FOR REFERENCE ONLY

U.P.

माध्यम

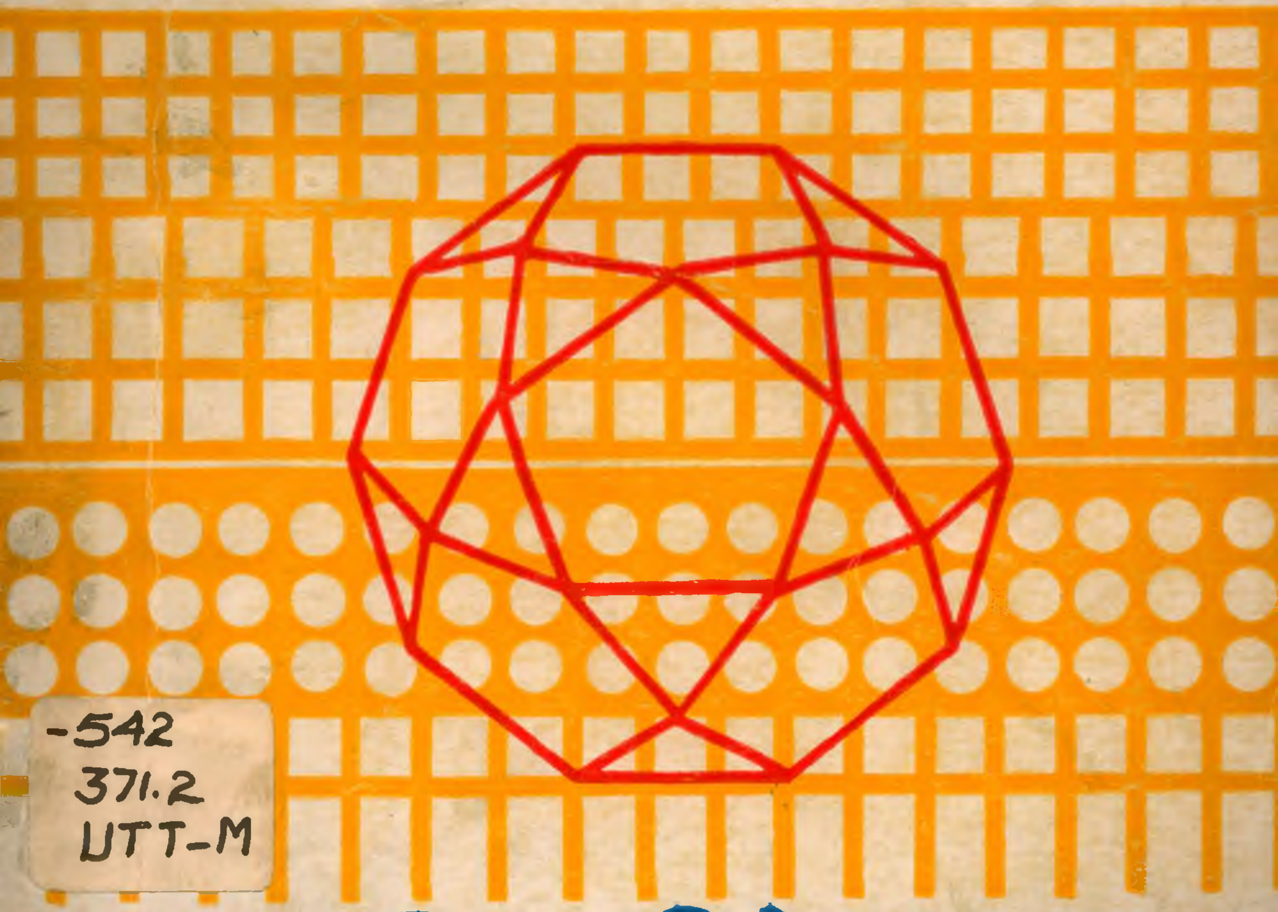

-542
371.2
UTT-M

शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश

FOR REFERENCE ONLY

नैतिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत

माध्यम

7

लिपिकों/लेखाकार/सहायक लेखाकारों के
प्रशिक्षण हेतु आधार सामग्री

NIEPA DC
D05123

शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश

-542
371.2
UTT-M

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-5723
Date 19:3:92

राजकीय कार्यालयों में सीमित प्रयोगार्थ
नि:शुल्क वितरण हेतु

मुद्रक : प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, 257-गोलागंज, लखनऊ-18, हिन्दुस्तानी आर्ट कॉटिज, अमीनाबाद रोड, लखनऊ
रोहिताश्व प्रिंटर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ

भूमिका

शिक्षा विभाग का सदैव प्रयास रहा है कि सेवारत अवधि के उपरान्त सेवा नैवृत्तिक लाभों के भुगतान में द्रुतगति आये, पेंशन का तुरन्त भुगतान हो।

मार्च, 1987 के पूर्व सेवा नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति का कार्य महालेखाकार, उ० प्र० द्वारा किया जाता था किन्तु शासन ने इसके बाद पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का दायित्व शिक्षा विभाग के मुख्य लेखाधिकारी को सौंपा है। विभागीय उत्तरदायित्व की वृद्धि के अनुरूप सभी को नियमों, विनियमों की जानकारी अपेक्षित है। विभागीय लेखा संगठन कार्मिकों द्वारा उक्त दायित्व को नियमानुसार त्वरित गति से सम्पादित किया जा सके इस उद्देश्य से उनके वृहद् प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जा रहा है।

प्रस्तुत पुस्तिका इस प्रयास में सहायक हो अतः इसमें तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं विभागीय आदेशों का संकलन किया गया है। पेंशन प्रपत्रादि तैयार करने के सहायतार्थ आवश्यक निर्देशों सहित समस्त प्रपत्र भी दिये जा रहे हैं।

इस पुस्तिका में इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने तथा नियमों की स्पष्ट जानकारी कराये जाने का विशेष मन्तव्य यही है कि अधीनस्थ कार्यालयों में सम्बन्धित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इसके महत्व एवं जटिलताओं को समझ लें एवं तदनुसार अपने दायित्व का भली प्रकार निर्वहन करें ताकि जो भी राजकीय सेवक सेवा निवृत्त हों उन्हें उनके समस्त देयों का समय से भुगतान हो जाय।

इस महत्वपूर्ण संकलन में श्री आर० एल० शुक्ल, मुख्य लेखाधिकारी का विशेष प्रयास रहा है। श्री भास्कर नाथ तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष ने इसके सम्पादन का कार्य सम्पन्न किया है। मैं उनका तथा उनके सहयोगियों का आभारी हूं।

मुझे आशा है कि लेखा संगठन एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए यह पुस्तिका मार्गदर्शक एवं सहायक सिद्ध होगी।

बी० पी० खण्डेलवाल
शिक्षा निदेशक, उ० प्र०

दिनांक 12-5-88

प्राक्कथन

पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का कार्य महालेखाकार, उ० प्र० से मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के फलस्वरूप विभागीय लेखा संगठन के अधिकारियों, लेखाकारों एवं सहायक लेखाकारों का दायित्व अपेक्षाकृत बढ़ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप पेंशन सम्बन्धी समस्त मामलों को त्वरित गति से निस्तारित करते हुए सेवा निवृत्त राजकीय सेवकों को तत्काल सेवा नैवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायें।

इसी उद्देश्य से विभिन्न शिक्षा विभागीय कार्यालयों में तत्सम्बन्धी कार्य करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। माध्यम के इस अंक में तद्विषयक राजाज्ञाओं, विभागीय निर्देशों तथा आवश्यक प्रपत्रों सहित आवश्यक कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। एतदर्थ विभाग के मुख्य लेखाधिकारी श्री आर० एल० शुक्ल बधाई के पात्र हैं। शिक्षा निदेशालय लेखा संगठन के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक श्री बाल मुकुन्द मिश्र और श्री भास्कर नाथ तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष ने भी इस अंक की प्रस्तुति में अथक परिश्रम किया है।

मुझे आशा है कि इस आधार सामग्री से उक्त प्रशिक्षण की उपादेयता बढ़ेगी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों, प्रधानाचार्यों एवं उक्त कार्य सम्पन्न करने वाले कार्मिकों के लिए भी यह उपयोगी होगी।

हरि प्रसाद पाण्डेय
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

दिनांक: 12-5-88

दो शब्द

शिक्षा विभाग में 31-3-87 तथा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का दायित्व शासन द्वारा मुख्य लेखाधिकारी को सौंपा गया। इस उद्देश्य से निदेशालय स्तर पर राजकीय पेंशन सेल गठित किया जा चुका है। अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रकरणों से यह आभास मिलता है कि सम्बन्धित कार्यालयों में पेंशन नियमों की समुचित जानकारी के अभाव में पेंशन पत्रजात तैयार करने में त्रुटियां होती हैं। पेंशन प्रकरण वांछित संलग्नकों सहित समय से प्राप्त नहीं होते हैं जिनको पूर्ण कराने में विलम्ब होता है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयों का निस्तारण समय से करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

माननीय शिक्षा निदेशक महोदय के निर्देश पर पेंशन नियमों एवं अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों की जानकारी वर्तमान में प्रभावी राजाज्ञाओं के परिप्रेक्ष्य में देने का दायित्व लेखा संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौंपा गया था।

प्रस्तुत पुस्तिका के संकलन एवं प्रकाशन में शिक्षा निदेशालय के लेखा संवर्ग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा श्री भास्करनाथ तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद एवं श्री बाल मुकुन्द मिश्र, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक का सक्रिय योगदान विशेष प्रशंसनीय रहा है।

आशा है कि प्रस्तुत पुस्तिका उक्त कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों एवं इसके पाठकों को पेंशन प्रकरणों को निबटाने में यथोचित सहायता करेगी, साथ ही सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने पेंशन आदि पत्रजात तैयार करने में भली भांति मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी।

आर० एल० शुक्ल
मुख्य लेखाधिकारी
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०
इलाहाबाद

दिनांक 10-5-88

अनुक्रम

प्रथम खण्ड

(राजकीय कर्मचारियों से सम्बन्धित पेंशन नियम, निर्देश, राजाज्ञाएं एवं प्रपत्र)

अध्याय-1

(1)	पेंशन नियम का इतिहास एवं वर्तमान नियम	1
(2)	शिक्षा निदेशालय स्तर पर राजकीय पेंशन सेल का गठन एवं निर्गत निर्देश	5
(3)	सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-1 से 14 तक)	9
(4)	पेंशन स्वीकृति आदेशों के प्रपत्र (प्र-1 से 4 तक)	38

अध्याय-2

(1)	पेंशन निस्तारण का समयबद्ध कार्यक्रम	40
(2)	पेंशन सम्बन्धी पत्रजातों का विवरण	50
(3)	पेंशन आगणन में ध्यान देने योग्य सावधानियां	51
(4)	राजकीय कर्मचारी व उसके परिवार को प्राप्तव्य सुविधाएं	53
(5)	सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-15)	54
(6)	पेंशन सम्बन्धी अपेक्षित प्रपत्र (प्र-5 से 31 तक)	59

अध्याय-3

(1)	सेवा नैवृत्तिक लाभ	96
(2)	परिलब्धियां	96
(3)	पेंशन के प्रकार एवं आगणन के उदाहरण	97
(4)	सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-16 से 26 तक)	128

अध्याय-4

(1)	आनुतोषिक	209
(2)	सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-27 से 31 तक)	215

अध्याय-5

(1)	पेंशन का राशिकरण	220
(2)	राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को राहत	226
(3)	सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-32 से 38 तक)	236

अध्याय-6

(1)	सेवारत मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा सहायता	245
(2)	सेवारत मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता	247

(3) अनुकम्पा निधि नियमावली 249
(4) अपेक्षित प्रपत्र (प्र-32) 252
(5) सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-39 से 41 तक) 256

अध्याय-7
(1) अवकाश प्राप्त करने वाले सेवकों को यात्रा व्यय भुगतान 260
(2) उपार्जित अवकाश का नकदीकरण 262
(3) सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-42 से 44 तक) 266

अध्याय-8
(1) शिक्षण कर्मचारियों की सेवा वृद्धि पर पेंशन की अनुमन्यता 271
(2) सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-45 से 47 तक) 277

अध्याय-9
(1) पुनर्योजित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण 282
(2) पुनर्योजित कर्मचारियों को पेंशन पर राहत अनुमन्यता 282
(3) मृतक आश्रित को सेवा में लेना 283
(4) सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-48 से 51 तक) 284

अध्याय-10
(1) अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी 290
(2) केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य अवकाश वेतन तथा पेंशन आबंटन के समायोजन की पद्धति .. 291
(3) अपेक्षित प्रपत्र (प्र-34) 291
(4) सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-52 से 53 तक) 293

द्वितीय खण्ड

(जी० पी० एफ० नियम, निर्देश, राजाज्ञाएं एवं प्रपत्र)

अध्याय-11
(1) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि नियम, व्यवस्था 1
(2) आहरण वितरण अधिकारी के लिए ज्ञातव्य 13
(3) ब्याज की दरें एवं आगणन के उदाहरण 13
(4) सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 26
(5) 90 प्रतिशत जी० पी० एफ० भुगतान प्रकरणों के प्रेषण में ज्ञातव्य कमियां 78
(6) जी० पी० एफ० में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना 81
(7) जी० पी० एफ० सम्बन्धी प्रपत्र (प्र-35 से 38 तक) 82
(8) सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-54 से 55 तक) 89

तृतीय खण्ड

(सामूहिक जीवन बीमा योजना सम्बन्धी नियम, निर्देश, राजाज्ञाएं एवं प्रपत्र)

अध्याय-12

(1) सामूहिक जीवन बीमा योजना का विवेचन 1 1 1
(2) दावों के निस्तारणार्थ अभिलेखों के रख-रखाव हेतु निर्देश 9 9 9
(3) दावों के प्रपत्र प्रेषण हेतु ज्ञातव्य 11717 17
(4) उ० प्र० इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड का गठन 11717 17
(5) अपेक्षित प्रपत्र (प्र-39 से 54 तक) 11919 19
(6) सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-56 से 66 तक) .. .. ·4343 43

चतुर्थ खण्ड

(शासकीय देनदारियों के प्री आडिट बिलों के निस्तारण सम्बन्धी निर्देश, नियम एवं प्रपत्र)

अध्याय-13

(1) प्री आडिट बिल निर्देशिका 1 1 1
(2) प्री आडिट द्वारा पारित बिलों के रजिस्टर का प्रारूप 5 5 5
(3) आपत्तिगत बिलों के रजिस्टर का प्रारूप 6 6 6
(4) अधिकार पत्र का प्रारूप 7 7 7
(5) प्री आडिट के उपरान्त बिल रजिस्टर/सर्विस बुक में अंकन प्रक्रिया 8 8 8
(6) सम्बन्धित राजाज्ञा (रा-67) 9 9 9
(7) वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियम 74(ए) का उद्धरण .. .. 1·14 14

पंचम खण्ड

(अग्रिम एवं ऋण व्यवस्था, राजाज्ञाएं, प्रपत्र)

अध्याय-14

(1) सरकारी सेवकों को अनुमन्य ऋण और अग्रिम 1 1
(2) वाहन अग्रिम 5 5
(3) सम्बन्धित राजाज्ञाएं (रा-68 से 71) 7 7
(4) अपेक्षित प्रपत्र (प्र-55 से 73) 1 13 13
(5) अन्य आवश्यक प्रपत्रों के प्रारूप (प्र-74 से 85) 5 59 59

प्रथम खण्ड

[राजकीय कर्मचारियों के पेंशन नियम,
निर्देश, राजाज्ञाएं एवं प्रपत्र]

अध्याय–1

1. पेंशन नियम का इतिहास एवं वर्तमान नियम

1-4-1961 के पूर्व समस्त सेवकों के पेंशन से संबंधित मामले सिविल सर्विस रेगुलेशन के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार निस्तारित किये जाते थे। उन नियमों के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी की चाहे सेवा अवधि में अथवा सेवा निवृत्ति के उपरान्त मृत्यु होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन देने की व्यवस्था नहीं थी। राजकीय सेवकों को तत्समय प्रचलित नियमों की व्यवस्था के अनुसार सी० पी० फण्ड (अंशदायी प्रविधायी निधि) में अंशदान देना पड़ता था तथा उनके सेवा निवृत्त होने पर शासन द्वारा अपना अंश सम्मिलित करके उसका पेंशनरी अंशदान पेंशन से घटाते हुए पेंशन दी जाती रही है। इस प्रकार के नियम काफी जटिल थे तथा उनके निस्तारण में काफी विलम्ब भी होता था।

1-4-1961 से शासन ने पेंशन नियमों से उदारता का रुख अपनाया। इस नियम को उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल 1961 की संज्ञा दी गयी। इन नियमों के प्रारम्भ होने से जो स्थायी राजकीय सेवक 1-4-1961 को सेवा में थे उन्हें 13-10-1962 तक निम्न तीन नियमों में से किसी एक नियम को चुनने का विकल्प दिया गया :—

(1) सी० एस० आर० का पुराना नियम।

(2) नया नियम उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल इन टो टो।

(3) सी० एस० आर० का पुराना नियम तथा नया नियम (1961 का नियम 11)।

यदि कोई सेवक उपरोक्त अवधि में अर्थात् 13-10-1962 तक किसी कारणवश उपरोक्त में से किसी एक नियम को चुनने का विकल्प नहीं दे सका तो उसके मामले में उ० प्र० रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 पूर्ण रूप से लागू मान लिये जाने का प्राविधान रखा गया। जिन लोगों ने क्रम 2 व 3 को चुनने का विकल्प दिया उन्हें सी० सी० आर० ग्रेच्युटी के प्रपत्र (ए) (बी) (सी) (डी) में से (किसी एक में) नामांकन भरना अनिवार्य था साथ ही पारिवारिक पेंशन हेतु प्रपत्र (ई) भी भरना होता है।

यू० पी० आर० डी० आर० 1961 में पारिवारिक पेंशन पाने का लाभ चाहे संबंधित कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल में हुई हो अथवा सेवा निवृत्ति के उपरान्त हुई हो बहुत ही सीमित रहा है। अत: शासन ने इन नियमों को भी और अधिक उदार बनाते हुए 1-4-1965 से नई पारिवारिक पेंशन नियमावली का प्रचलन किया। शासन ने उन सभी राजकीय सेवकों को जो कि 1-4-1965 को स्थायी पदों के धारक थे उन्हें 30-9-1967 तक इन नियमों को चुनने का समय दिया। इसमें इस आशय का संकेत था कि यदि कोई राजकीय सेवक इस तिथि तक कोई विकल्प न दे तो उसके मामले में उक्त नियमावली स्वत: लागू समझी जाय।

इस प्रकार इस नियमावली के आ जाने से निम्न तीन प्रकार के नियम राजकीय स्थायी सेवकों के संबंध में लागू हुए :—

(1) सी० एस० आर० का पुराना नियम।

(2) नया आर० बी० आर० 1961 नियम (टो टो) नई पारिवारिक पेंशन नियमावली 1965 सहित अथवा उसके रहित।

(3) सी० एस० आर० का पुराना नियम तथा नियम 11 (नये नियम का) यू० पी० आर० बी० आर० तथा नई पारिवारिक पेंशन नियमावली 1965 सहित अथवा इसके बगैर।

इस प्रकार इस अवधि के सेवारत सेवकों का जो कि 1-4-1961 व 1-4-1965 को राजकीय सेवा में स्थायी थे उनके पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करते समय उनके द्वारा प्रेषित विकल्प तथा नामांकन देखा जाना था तथा उसी के अनुसार उनके पेंशन प्रकरण निस्तारित किये जाने की पद्धति अपनाना था।

वर्तमान समय में पेंशन नियमों को शासन द्वारा और उदार किया गया और सामान्य रूप से यही नियम वर्तमान में सेवा निवृत्त राजकीय सेवकों के सम्बन्ध में लागू हैं। अत: इन्हीं नियमों को आधार मानकर आगामी पृष्ठों में उसके अनुसार ही चर्चा करना तथा उनका उल्लेख किया जाना लाभप्रद होगा। अस्तु इस पुस्तिका में भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों में देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी व अनुमन्य राशिकरण की स्पष्ट व्याख्या निम्न शासनादेशों के अनुरूप प्रक्रिया का उल्लेख अध्याय-2 में दिया जा रहा है :—

(1) सा०-3-1168/दस-935-87 दिनांक 22-6-87—दिनांक 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त/मृतक कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण।

(2) सा०-3-1657/दस-931/87 दिनांक 9-6-87—पारिवारिक पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण, अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के भुगतान की स्वीकृति।

पेंशन नियम

पेंशन राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त संतोषजनक सेवाओं का प्रतिफल है जो कि उनको वृद्धावस्था में उनकी उपार्जन क्षमता का ह्रास हो जाने के कारण उचित भत्ते के रूप में दिया जाता है। पेंशन उपदान (Gratuity) है अत: इसके लिये कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है। पेंशन के सम्बन्ध में लागू सामान्य नियम इस प्रकार है :—

(अ) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स (सी० एस० आर०) जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं। इस नियमों द्वारा किसी भी अधिकारी की पेंशन नियमित की जाती हैं।

(ब) यू० पी० लिबरेलाइज्ड पेंशन नियम, 1961

(स) यू० पी० रिटायरमेन्ट बेनीफिट नियम, 1965

(द) न्यू फैमिली पेंशन योजना, 1965

(य) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स

सी० एस० आर० में इस बात का उल्लेख है कि पेंशन की गणना किस प्रकार की जाती है और इसकी प्रक्रिया क्या है। पेंशन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार प्राप्त है और इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन से समय-समय पर पेंशन की उदारीकृत, सरलीकृत, सुधारीकृत योजनायें एवं आदेश निर्गत किये जाते हैं। इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का सार निम्नवत् है :—

(1) अनुच्छेद 350—सी० एस० आर० में दिये गये नियमों के अनुसार सभी पेंशन स्वीकार की जाती हैं। प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि किसी ग्रेड की सेवा को पेंशन हेतु अमान्य करें।

(2) अनुच्छेद 351—प्रत्येक पेंशन के लिये भविष्य के अच्छे चरित्र का होना अभिप्रेत शर्त (Implied condition) है। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह पेंशन अथवा उसके किसी अंश को रोक दे अथवा वापस ले ले, यदि पेंशनर किसी गम्भीर अपराध या दुराचरण के कारण दण्डित किया जाता है। जब तक नियमों में और कोई प्राविधान न हो तब तक पेंशन को रोकने/वापस लेने का अधिकार शासन को है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सा-3-1405/दस-905-77 दिनांक 8-2-78 अवलोकनीय है।

(3) अनुच्छेद 351-ए—राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये पेंशन को रोक दें, वापस ले लें या पेंशन से हानियों की, जो न्यायिक अथवा विभागीय आदेशों के द्वारा उस पर अधिभारित की गयी हो, वसूली करें। इस सम्बन्ध में सी० एस० आर० में उल्लिखित प्रतिबन्धों का पालन किया जायगा।

(4) अनुच्छेद 351-एए—अधिसूचना संख्या जी-3-79/दस-909-79 दिनांक 19-1-83 के अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जो अधिवर्षता पर अथवा अन्यथा सेवानिवृत्त होते हैं और जिनके विपरीत कोई विभागीय न्यायिक कार्य-

वाही अथवा प्रशासनिक अधिकरण द्वारा जांच, सेवानिवृत्ति की तिथि को विचाराधीन हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्रारम्भ की जानी हो, को अनन्तिम पेंशन आर्टिकल 919-ए के अन्तर्गत स्वीकार की जायेगी।

(5) अनुच्छेद 351-बी—उन मामलों में जिनमें 351-ए के अन्तर्गत पेंशन रोकने अथवा वापस लेने के आदेश नहीं हैं लेकिन राज्य सरकार को हुई आर्थिक हानि की पेंशन से वसूली के आदेश होने पर वसूली सामान्यत: मूलत: स्वीकृत ग्रास पेंशन के 1/3 से अधिक नहीं होगी।

(6) अनुच्छेद 361—पेंशन के लिये सेवा तब तक मान्य नहीं की जायगी जब तक निम्न तीन शर्तें पूरी नहीं होंगी:—

(i) सेवा राज्य सरकार के अन्तर्गत हो।

(ii) सेवा स्थायी तथा मौलिक हो।

(iii) सेवा हेतु राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया हो।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु अनुच्छेद 362 से 367 तक का अध्ययन आवश्यक है।

(7) अनुच्छेद 370—निम्न प्रतिबन्धों को छोड़कर एक कर्मचारी की निरन्तर अस्थायी अथवा स्थानापन्न सेवा, जो राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी हो और उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर स्थायी किया गया हो, पेंशन हेतु मान्य की जायगी :—

(i) नान पेंशनेबुल इस्टैब्लिशमेन्ट में की गयी अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि।

(ii) वर्कचार्ज इस्टैबलिशमेन्ट में की गयी सेवा की अवधि।

(iii) आकस्मिक व्यय मद से भुगतान की गयी सेवा की अवधि।

(8) अनुच्छेद 372—निम्न को छोड़कर वैतनिक उम्मीदवार की सेवा पेंशन के लिए जोड़ी नहीं जायगी :—
अभियन्ता या परीक्षक वैतनिक उम्मीदवार।

(9) अनुच्छेद 408—राजाज्ञा सं० सा-3-2085/दस-960/76 दि० 13-12-77 के प्रस्तर-3 के अनुसार निम्न कारणों से लिया गया अवकाश अर्हकारी सेवा में माना जायगा :—

(i) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर।

(ii) नागरिक अशान्ति होने के कारण ड्यूटी पर आने अथवा पुन: आने में उसकी असमर्थता के कारण।

(iii) उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के आधार पर।

(10) अनुच्छेद 420—निम्नांकित कारणों को छोड़कर सेवा में व्यवधान होने पर पुरानी सेवा पेंशन के लिए मान्य नहीं की जायगी :—

(अ) अधिकृत अवकाश के कारण अनुपस्थिति।

(ब) अनधिकृत अवकाश जो कि अधिकृत अवकाश के उपरान्त लिया गया हो जब तक कि पद मौलिक रूप से न भरा गया हो।

(स) निलम्बन के तुरन्त बाद बहाली होने पर, चाहे वह दूसरे कार्यालय में हुई हो।

(द) नियुक्ति की समाप्ति जो कि विभाग में पदों की कटौती के कारण हुई हो।

(य) सक्षम अधिकारी द्वारा अर्हकारी सेवा में स्थानान्तरण की अवधि, प्रतिबन्ध यह है कि एक कर्मचारी द्वारा स्वत: अर्हकारी सेवा से त्याग पत्र देने पर यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(र) अनुदानित विद्यालय में स्थानान्तरण होने पर पेंशन देय नहीं होगी।

(ल) एक नियुक्ति से दूसरी नियुक्ति पर जाने के मध्य पड़ने वाली अवधि।

(11) अनुच्छेद 421—वह प्राधिकारी, जो पेंशन स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है, अनुपस्थिति की अवधि को बिना वेतन के अवकाश के रूप में स्वीकार कर सकता है।

(12) अनुच्छेद 422—राजाज्ञा सा-3-1732/दस-914-73 दि० 13-11-73 की अधिसूचनानुसार सेवा में व्यवधान, चाहे वह स्थायी अथवा अस्थायी सेवा के दो अन्तरालों के मध्य हो या अस्थायी तथा स्थायी सेवा के एक अन्तराल में हो अथवा उसके विलोम हो, निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उपमर्षित किया जा सकता है :—

(i) ऐसा व्यवधान उन कारणों से हुआ होना चाहिए जो सम्बद्ध सरकारी सेवक के नियंत्रण के बाहर थे ।।

(ii) व्यवधान से पूर्व की सेवा पांच वर्ष से कम अवधि की नहीं होनी चाहिए और उन दशाओं में, जहां दो या इससे अधिक व्यवधान हों, कुल सेवा, जिसके सम्बन्ध में पेंशन के लाभ, यदि व्यवधान उपमर्षित नहीं किये जाते हैं, समाप्त हो जायेंगे, पांच वर्ष से कम न होनी चाहिये; और

(iii) व्यवधान की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उन दशाओं में, जहां दो या उससे अधिक ऐसे व्यवधान हों, उपमर्षित किये जाने के लिए निवेदित व्यवधानों की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

(13) अनुच्छेद 468—राजाज्ञा सं० जी-3-1431/दस-903-84 दिनांक 29-9-84, जो दि० 8-5-841 से प्रभावी हुआ, के अनुसार पेंशन की धनराशि सेवावधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। अर्हकारी सेवा की गणना करते समय छमाही के अंश को, जो तीन माह या इससे अधिक है, पूर्ण छमाही मान लिया जाता है ।

(14) अनुच्छेद 468-ए—पेंशन पूर्ण रुपये में निर्धारित की जाती है और आगणन में रुपये के किसी अंश को अगले पूर्ण रुपये में मान्य किया जाता है ।

(15) अनुच्छेद 919—पेंशन पत्रजात भेजने के उपरान्त विभागाध्यक्ष द्वारा अनन्तिम पेंशन स्वीकार करने की व्यवस्था स्वीकार की गई है। शासनादेश सं० सा-3-2085/दस-907/76 दिनांक 13-12-77 के अनुच्छेद-7 (ख) (ग) के अनुसार अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति देना चाहिए ।

(16) अनुच्छेद 919-ए—राजाज्ञा सं० सा०-3-79/दस-909/79 दिनांक 19-1-83 द्वारा अनुच्छेद बढ़ाया गया जिसके अनुसार अनुच्छेद 351 (कक) के द्वारा शासित कर्मचारियों को अनन्तिम पेंशन स्वीकार की जाती है :—

(i) अनुच्छेद 351 (कक) में विभागाध्यक्ष ऐसी अधिकतम पेंशन के बराबर अनन्तिम पेंशन दिए जाने को प्राधिकृत करेगा । किन्तु जो सरकारी सेवक सेवा निवृत्ति के दिनांक को निलम्बित होंगे उन्हें उस दिनांक के, जब वह निलम्बित किया गया था, ठीक पूर्वावरित दिनांक तक अर्हकारी सेवा के दिनांक को अनुमन्य पेन्शन के बराबर अनन्तिम पेन्शन स्वीकृत किया जायगा ।

(ii) अनन्तिम पेंशन सेवा निवृत्ति के दिनांक से उस दिनांक तक की अवधि तक के लिए जब, यथास्थिति, विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की समाप्ति के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश दिया जाय, दिया जाया प्राधिकृत किया जायेगा ।

(iii) सरकारी सेवक को मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा जांच समाप्त न हो जाय और उस पर अंतिम आदेश न दिया जाय ।

(iv) उपरोक्त खण्ड (i) के अधीन किए गए अनन्तिम पेंशन के भुगतान का समायोजन खण्ड (iii) में निर्दिष्ट कार्यवाही या जांच की समाप्ति के बाद ऐसे सरकारी सेवक को स्वीकृत अन्तिम सेवा निवृत्ति लाभ के प्रति किया जायेगा, किन्तु यदि अन्तिम रूप में स्वीकृत पेंशन अनन्तिम पेंशन से कम हो या पेंशन स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम कर दी जाय या रोक दी जाय तो कोई वसूली नहीं की जायेगी ।

2. शिक्षा निदेशालय स्तर पर पेंशन सेल का गठन एवं निर्गत निर्देश

अन्य विभागों की भांति शिक्षा विभागीय राजकीय सेवकों के पेंशन का कार्य महालेखाकार कार्यालय द्वारा ही सम्पादित होता रहा है। शासनादेश संख्या सा-3-355/दस-912/85 दिनांक 19-3-87 द्वारा शिक्षा विभाग के ऐसे राजकीय सेवकों का जो दिनांक 31-3-87 या उसके उपरान्त सेवा निवृत्त/मृत या अन्य प्रकार से पेंशन पाने के पात्र हों उनके प्रकरणों के निस्तारण का भार शिक्षा निदेशालय के मुख्य लेखाधिकारी को सौंपा गया।

दिनांक 31-3-87 के पूर्व के अवशेष पेंशन प्रकरणों का निस्तारण महालेखाकार कार्यालय द्वारा यथावत किया जाता रहेगा। शासन के निर्देशानुसार निदेशालय स्तर पर एक राजकीय पेंशन सेल गठित किया गया जो सभी क्षेत्रीय मंडल तथा अन्य कार्यालयाध्यक्षों से दिनांक 31-3-87 या उसके उपरान्त राजकीय सेवा से सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्राप्त होने पर उसका निस्तारण तत्परता से कर रहा है। पेंशन प्राधिकार पत्रों को निर्गत करने हेतु मुख्य लेखाधिकारी के स्तर से शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी किये जाने की व्यवस्था की गयी है। पेंशन प्राधिकारपत्र व पेंशनर की पुस्तिका राजकीय मुद्रणालय से ही मुद्रित होने की व्यवस्था है।

ग्रेच्युटी, राशिकरण तथा अग्रसारण पत्र, राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त न होने पर बाहरी प्रेसों से छपाकर उपभोग किया जाता है। ध्यान देने की बात है कि मूल पेंशन भुगतान आदेश, ग्रेच्युटी व राशिकरण आदि के भुगतानादेश पर मुख्य लेखाधिकारी की इम्बोसिंग सील अवश्य लगी हो तभी उनको मान्य मानते हुये भुगतान किया जाय अन्यथा उक्त आदेश अमान्य समझे जायं।

अग्रसारण पत्र, ग्रेच्युटी भुगतान आदेश व राशिकरण भुगतान आदेश एवं पेंशन भुगतान आदेश (संवितरण का भाग) के प्रारूप आपकी जानकारी हेतु पुस्तिका में अलग से दिये जा रहे हैं।

पेंशन सेल में प्राप्त पेंशन प्रकरणों की जांच करके पेंशन भुगतान आदेश, ग्रेच्युटी व राशिकरण के भुगतान आदेश सीधे कार्यालयाध्यक्षों को तथा सम्बन्धित कोषाधिकारी को भेजकर सेवा निवृत्त राजकीय सेवकों को उनके नैवृत्तिक लाभों का शीघ्र भुगतान कराने की व्यवस्था की गई है। पेंशन सेल के गठन, पेंशन कागजात तैयार करने तथा पेंशन नियमों की यथेष्ट जानकारी हेतु शिक्षा निदेशक महोदय के पत्रांक राजकीय पेंशन सेल/1-400/87-88 दिनांक 8-5-87 द्वारा समुचित आदेश अधीनस्थ कार्यालयों की जारी किये गये। माध्यम-4 पुस्तिका में भी इस दिशा में निर्गत निर्देशों को समावेश करते हुए पर्याप्त प्रकाश डाला गया किन्तु यह महसूस किया गया कि पेंशनर को प्राप्त होने वाले लाभों पर शासन स्तर से समय-समय पर कई एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये हैं जिनकी जानकारी हेतु अलग-अलग जगहों पर उपलब्ध संदर्भों को खोजना पड़ता है। कभी-कभी उक्त संदर्भ सुलभ नहीं हो पाते जिससे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पत्रजात तैयार करने में कठिनाई होती है।

अतः इसमें ऐसे महत्वपूर्ण राजाज्ञाओं/आदेशों, पेंशन प्रपत्रों एवं पेंशन नियमों को संकलित करने का प्रयास किया गया है जिनकी जानकारी सभी कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के साथ-साथ अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारियों एवं प्रकरणों को व्यवहृत करने वाले कार्मिकों के लिए आवश्यक एवं उपयोगी सिद्ध हो सकें।

पेंशन प्रकरण निस्तारण हेतु ज्ञातव्य

पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में निम्न बातों पर ध्यान देना अनिवार्य है :—

(1) स्थायी सेवा

पेंशन स्वीकृत कराने हेतु संबंधित कर्मचारी का किसी न किसी पद पर स्थायी होना आवश्यक है। बिना स्थायीकरण आदेश के पेंशन देय नहीं होती है। पेंशन 33 वर्ष की अधिकतम अर्हकारी सेवा के लिए अनुमन्य मानी गयी है। 33 वर्ष से कम सेवा पूर्ण करने पर कर्मचारी को अनुमन्य पेंशन व ग्रेच्युटी उसी अनुपात में होगी जो उसकी सेवा का 33

वर्ष के अनुपात में होता है। दिनांक 1-1-86 को अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों के मामले में पेंशन का आगणन 10 माह की औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से किया जायेगा। इस प्रकार आगणित की जाने वाली परिलब्धियों की अधिकतम धनराशि रुपया 4,500/- होगी।

(2) अर्ह सेवा

अर्हकारी सेवा किसी कर्मचारी की वह सेवावधि होती है जिसके आधार पर उसकी पेंशन निर्धारित की जाती है। शासनादेश संख्या सा-3-1168/दस-935-87 दिनांक 22-6-87 द्वारा आदेश जारी किये गये कि 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य न होगी। स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्ति के लिए कम से कम 20 वर्ष की अर्ह सेवा व 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अपने नियुक्ति अधिकारी को तीन माह की नोटिस देकर सेवा निवृत्त हो सकता है। इसका निर्धारण कर्मचारी की निर्धारित नियुक्ति की तिथि से उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक की अवधि, निम्नलिखित अवधि, यदि कोई हो, को घटाते हुए किया जाता है :—

(1) सेवा में व्यवधान (Breack in Service)।

(2) निलंबन की वह अवधि जिसे पेंशन के लिए सेवाकाल घोषित न किया गया हो।

(3) असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave) या वेतन रहित अवकाश (Leave without Pay)।

परन्तु

(अ) यदि सेवा में हुए व्यवधान के पूर्व की गयी सेवा की समाप्ति संबंधित कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देने, शासन द्वारा सेवा से पृथक किये जाने (Removal), पदच्युत किये जाने (Dismissal) अथवा हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप हुई हो तो उक्त भूतपूर्व सेवाकाल अर्हकारी सेवा अवधि में नहीं गिना जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि शासन द्वारा हड़ताल अवधि के सम्बन्ध में विशेष आदेश द्वारा छूट दी जाय तो वह अवधि जोड़ी जा सकती है, यथा राजाज्ञा सा-3-1019/दस-932-87 दिनांक 28-5-87 से स्पष्ट है।

(ब) यदि उपरोक्त क्रमांक (3) पर अंकित असाधारण अवकाश/वेतन रहित अवकाश सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया हो या नागरिक अशान्ति होने के कारण ड्यूटी पर आने में असमर्थता के कारण अथवा उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के कारण उपभोग किया गया हो तो उसकी गणना अर्हकारी सेवा अवधि में की जायेगी।

(3) सेवा निवृत्ति की तिथि का निर्धारण

अधिवर्षता पेंशन संबंधित कर्मचारी की आयु के आधार पर आगणित की जाती है एवं आयु की संगणना जन्म-तिथि से की जाती है जो कि उसकी सेवा पुस्तिका में अंकित होती है। अतः सभी कर्मचारी निर्धारित अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर अपनी जन्म-तिथि को ही सेवा निवृत्त किये जाते थे। परन्तु अब उक्त प्रणाली को राजाज्ञा सं०जी-2-956/दस-534/19/1975 दिनांक 22-5-75 एवं राजाज्ञा सं० सा-3-696/75/दस-52/1974 दिनांक 5-5-75 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत जिस माह में कोई सरकारी कर्मचारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करता है, उसी माह की अन्तिम तिथि को अपराह्न से उसे सेवा निवृत्त माना जाता है। किन्तु यदि किसी कर्मचारी की जन्म-तिथि किसी माह की पहली तारीख हो तो उसे उससे पूर्ववर्ती माह में अन्तिम दिवस से सेवा निवृत्त माना जाता है। कभी-कभी सेवा पुस्तिका में किसी कर्मचारी की जन्म-तिथि ठीक से उल्लिखित न करके केवल वर्ष ही लिखा पाया जाता है, ऐसी स्थिति में उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि उक्त वर्ष की प्रथम जुलाई मानकर आगणित की जायेगी तथा यदि माह और वर्ष लिखा रहे तो उस माह के साथ 16 तारीख मानकर सेवा निवृत्त उस माह की अन्तिम तिथि को किया जायेगा। जैसा कि राजाज्ञा संख्या 41/2/69 कार्मिक-2 दिनांक 7-6-80 में जन्म दिन का अवधारण करने का

आदेश दिया गया है। सामान्यतः किसी कर्मचारी की जन्म-तिथि उसके हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने से संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा पुस्तिका में अंकित की जाती है और किसी शासकीय सेवा में नियुक्ति के समय वही उसकी जन्म-तिथि मानी जाती है। जहां किसी सरकारी सेवक द्वारा सेवा में नियुक्ति के समय उक्त प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण न की गई हो वहां सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित जन्म-तिथि या आयु उसकी सेवा के संबंध में सभी प्रयोजनों के लिए जन्म-तिथि मानी जाती है। सामान्यतः कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष मानी गई है तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है। शासनादेश संख्या जी-2-1102/दस-534(19)-57 दिनांक 5-11-85 द्वारा उक्त प्राविधान का आंशिक संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया कि 5-11-85 को अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु अन्य कर्मचारियों की भांति 58 वर्ष ही होगी।

निम्न परिस्थितियों में पेंशन देय नहीं होती है :—

(1) यदि संबंधित कर्मचारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा की गई हो।

(2) यदि कर्मचारी की नियुक्ति नियमित (Regular) न हो एवं मात्र स्थानापन्न रूप से उसकी नियुक्ति की गई हो।

(3) यदि कर्मचारी द्वारा संबंधित पद के लिए वांछित न्यूनतम सेवा अवधि तक सेवा न की गई हो।

(4) यदि वह पद जिस पर कर्मचारी ने कार्य किया हो पेंशनेबुल घोषित न हो।

(5) यदि कर्मचारी किसी आरोप के अन्तर्गत विभागीय जांचोपरान्त सेवा से निष्कासित कर दिया गया हो।

(6) यदि संबंधित कर्मचारी किसी दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया हो।

कभी-कभी किसी कर्मचारी के विरुद्ध चल रही विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में अधिक समय लग जाता है और इसी बीच कर्मचारी सेवा निवृत्त हो जाता है। ऐसी सम्भावना विद्यमान रहती है कि जांचोपरान्त संबंधित कर्मचारी दोषमुक्त भी घोषित किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन का रोका जाना उसके लिए आर्थिक दण्ड का रूप ले सकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासनादेश संख्या सा-3-1679/दस-80-989/79 दिनांक 28-10-80 द्वारा यह आदेश प्रसारित किये गये हैं कि उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनन्तिम (Interim) पेंशन स्वीकृत कर दी जाय परन्तु आनुतोषिक का भुगतान किसी भी दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा जांच पूर्ण होने तथा संबंधित मामले में अन्तिम आदेश पारित होने से पूर्व न किया जाय। ऐसे कर्मचारियों को अनन्तिम पेंशन निम्न प्रतिबन्ध के अधीन है :—

(अ) अनन्तिम पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी जो उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक एवं निलम्बित कर्मचारी की दशा में उसके निलंबन के ठीक पहले की तिथि तक की अर्हकारी सेवा के अनुसार अनुमन्य है।

(ब) यह पेंशन संबंधित कर्मचारी को सेवा निवृत्ति की तिथि से उस तिथि तक मिलेगी जब तक कर्मचारी के विरुद्ध चल रही कार्यवाही अथवा जांच पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित न कर दिया जाय।

(4) पेंशन का जब्त किया जाना

(1) सी० एस० आर० के अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत दुराचरण के दोषी किसी पेंशनर की पेंशन जब्त करने का प्राविधान है। शासन ने राजाज्ञा संख्या सा-3-1405/दस-905-77, दिनांक 8-2-1978 द्वारा दुराचरण के आरोप में किसी पेंशनर की पेंशन आंशिक रूप से अथवा पूरी तौर पर रोकने/अपहरित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया है कि किसी पेंशनर को दुराचरण के कारण दण्डित किये जाने की दशा में उसकी पेंशन उस तिथि से ही रोकना उचित होगा, जिस तिथि से उसे न्यायालय द्वारा सजा दी गयी हो, किन्तु यदि जेल जाने की तिथि तक की पेंशन उसे मिल गयी है तो उसे वापस नहीं कराया जायगा।

(2) राजाज्ञा संख्या 6/10/79-कार्मिक-1 दिनांक 12-10-79 के द्वारा फौजदारी के मामलों में दण्डित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड के आधार पर कर्मचारी को सेवा मुक्त अथवा पदच्युत कर दिया जायगा किन्तु यदि अधीनस्थ न्यायालय में दिये गये किसी दण्ड के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील द्वारा दोष मुक्त हो जाता है तो उसकी सेवा मुक्ति या पदच्युति की कार्यवाही अवैध मानी जायगी। दोष मुक्त होने पर उसे पुनः सेवा में लिया जा सकता है तथा उक्त अवधि को समस्त लाभों के लिए भी मान्य माना जायगा।

(5) औसत परिलब्धि

पेंशन एवं ग्रेच्युटी हेतु औसत परिलब्धियों में राजाज्ञा संख्या सा-3-1168/दस-935/87 दिनांक 22-6-87 के क्रम में राजाज्ञा संख्या सा-3-1871/दस-935/87 दिनांक 20-8-87 एवं राजाज्ञा संख्या सा-3-2230/दस-935/87 दिनांक 7-11-87 के आदेशानुसार निम्न शासनादेशों के अन्तर्गत स्वीकृत महंगाई भत्ते व तदर्थ महंगाई भत्ते को वेतन के साथ शामिल किया जायगा। 1-1-86 से पूर्व अवधि में प्राप्त मूल वेतन में मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित मूल वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य धनराशि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा किन्तु 1-1-86 के बाद स्वीकृत अन्तरिम सहायता की किश्तों को शामिल किया जायेगा :—

(1) वे० आ०-1221/दस-66(एम)-82 दिनांक 31-5-85 महंगाई भत्ता
(2) वे० आ०-2380 दस-66(एम)-82 दिनांक 24-9-84 महंगाई भत्ता
(3) वे० आ०-1-210/दस-66(एम)-82 दिनांक 20-1-86 महंगाई भत्ता
(4) वे० आ०-1-312/दस-7(एम)-84 दिनांक 6-2-85 तदर्थ महंगाई भत्ता
(5) वे० आ०-1-2425/दस-7(एम)-84 दिनांक 15-10-85 तदर्थ महंगाई भत्ता

(6) पेंशन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं

राज्य सरकार द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारी को पेंशन के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधाएं अनुमन्य होती हैं :—

(1) सेवा निवृत्ति आनुतोषिक (Retirement Gratuity)।
(2) पेंशनर के विकल्प के अनुसार उसे अनुमन्य पेंशन के 1/3 की अधिकतम सीमा तक पेंशन के समर्पण पर निर्धारित सूत्र के अनुसार पेंशन राशिकरण (Commutation of Pension)।
(3) सेवा निवृत्ति के उपरान्त संबंधित सेवा निवृत्त कर्मचारी व उसके परिवार को उसके सेवा निवृत्ति के स्थान से उसके गृह जनपद अथवा ऐसे नगर तक जहां वह बसने का इच्छुक हो, राजाज्ञा संख्या सा-4-2001/दस-83-626/81 दिनांक 29-10-83 में उल्लिखित प्राविधानानुसार अनुमन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के अनुरूप यात्रा भत्ता जो कि उसे उसी श्रेणी की दर से अनुमन्य होता है जिसके लिए वह सेवा निवृत्ति से ठीक पूर्व अधिकृत था। उक्त यात्रा भत्ते का भुगतान उसे उसी कार्यालय से देय होता है जिसमें वह सेवा निवृत्ति के पूर्व कार्यरत था।
(4) सेवा निवृत्ति के उपरान्त यदि पेंशनर स्वयं अथवा उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य की चिकित्सीय संस्तुति पर किसी अन्य नगर (भारतवर्ष के भीतर) में उपचार हेतु ले जाना पड़ता है तो ऐसी यात्रा हेतु दो व्यक्तियों की अधिकतम सीमा तक साधारण यात्रा भत्ता (रेल/बस का किराया उपर्युक्त प्रस्तर की भांति) देय होता है। वि० नि० सं० खण्ड-3 अनु० 60 (एफ)।
(5) उसके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखे में जमा अवशेष धनराशि का भुगतान।
(6) दिनांक 30-9-77 या उसके उपरान्त सेवा निवृत्त कर्मचारी को उसके अर्जित अवकाश लेखे में जमा शेष अवकाश (अधिकतम 180 दिन) के समतुल्य अवकाश वेतन (Encashment of Leave)।
(7) सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत उसकी बचत निधि में जमा धनराशि का भुगतान।

3. सम्बन्धित राजाज्ञाएं

रा–1

संख्या सा०-3-555/दस-912/85

प्रेषक,

श्री विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2—निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3—निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4—निदेशक, पशु पालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 19 मार्च, 1987

विषय :—पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-3-1446/दस-912/85, दिनांक 6 अगस्त, 1985 में जारी आदेशों के अनुसार पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व परिषद के कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने पर देय पेंशनीय लाभों की स्वीकृति एवं भुगतानादेश जारी करने का कार्य महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के बजाय उक्त विभागों के मुख्य लेखा अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रक्रिया भी उपरोक्त शासनादेश में ही निर्धारित की गई थी। यह योजना उक्त विभागों के दिनांक 31 जुलाई, 1985 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू की गयी थी।

2—अब शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त योजना के आधार पर ही दिनांक 31 मार्च, 1987 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले आपके विभाग के सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में भी पेंशनीय लाभों की स्वीकृति एवं भुगतानादेश जारी करने का कार्य महालेखाकार के बजाय आपके विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा। आपके विभाग में इस योजना को लागू करने हेतु विस्तृत रूपरेखा वही रहेगी जैसी कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1985 (प्रतिलिपि संलग्न) में जारी की गयी है। उक्त शासनादेश के पैरा-1 (9) में जारी आदेशों में शासनादेश संख्या-3-50-86/दस-912/85, दिनांक 3 जनवरी, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा किंचित संशोधन कर दिया गया है।

3. चूंकि ग्राम्य विकास विभाग तथा पशुपालन विभाग में मुख्य लेखा अधिकारी का पद नहीं है अतएव उक्त विभागों में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के वर्तमान पद को उच्चीकृत करके मुख्य लेखा अधिकारी का पद सृजित करा लिया जायेगा।

4. उपरोक्त कार्य के संचालन हेतु उपरोक्त पांचों विभागों के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त अस्थाई पदों के 28 फरवरी, 1988 तक अथवा यदि उसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायें, सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

	सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	टंकक	रिकार्ड कीपर	चपरासी	योग
	(690–1420)	(570–1100)	(354–550)	(430–685)	(305–390)	
1. उद्योग विभाग	1	2	1	1	1	6
2. कृषि विभाग	1	3	1	1	1	7
3. ग्राम्य विकास विभाग	1	3	1	1	1	7
4. पशुपालन विभाग	1	2	1	1	1	6
5. शिक्षा विभाग	1	5	1	1	1	9

उपरोक्त पदों में से सहायक लेखा अधिकारी का पद निदेशक, कोषागार एवं लेखा द्वारा तथा टंकक, रिकार्ड कीपर एवं चपरासी के पद सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। लेखाकार का पद, यदि विभाग आवश्यक समझे तो, लेखा परीक्षकों अथवा कोषागार के लिपिक संवर्ग से भी भरा जा सकता है और उस स्थिति में यह पद असंवर्गीय पद समझा जायेगा। उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान स्टाफ को लगायेगा।

उपरोक्त योजना पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के लेखा शीर्षक से चालू वित्तीय वर्ष की बचतों से वहन किया जायेगा। आगामी वर्षों के व्यय हेतु संबंधित विभाग अपने आय-व्ययक से स्वयं प्राविधान करायेंगे।

भवदीय

विजय कृष्ण सक्सेना

प्रमुख सचिव

रा–2

संख्या : सा-3-1446/दस-912/85

प्रेषक,

डा० जे० पी० सिंह,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2—प्रमुख अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3—प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4—सचिव, राजस्व परिषद,
लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 6 अगस्त, 1985

वित्त सामान्य अनुभाग-3

विषय :—पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सामान्य-3-1338/दस-912-85 दिनांक 16 जुलाई, 1985 के क्रम में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि महालेखाकार के स्तर से पेंशन प्राधिकार-पत्र तथा पेंशन सम्बन्धी अन्य देयों जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन के राशिकरण आदि का प्राधिकार-पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त प्राधिकार-पत्रों को निर्गत करने की कार्यवाही का विकेन्द्रीकरण किया जाय और यह कार्य अब महालेखाकार के बजाय आपके विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा किया जाय। इस प्रणाली को आपके विभाग में 31-7-85 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले सभी स्तर के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक रूप से लागू किया जायेगा। इस प्रणाली की विस्तृत रूप-रेखा निम्नवत् होगी :—

(1) इस प्रणाली के अन्तर्गत उपरोक्त विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्षों के साथ संलग्न मुख्य लेखाधिकारी अथवा उनके स्तर के अन्य अधिकारी (यदि पद नाम में अन्तर हो) पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(2) यह प्रणाली उपरोक्त विभागों के उन अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होगी जिनके वेतन अधिष्ठान बिल पर आहरित किये जाते हैं। ऐसे अधिकारी, जो स्वयं बिल बनाकर सीधे कोषागार से अपना वेतन आहरित करते हैं, के सम्बन्ध में फिलहाल यह प्रणाली लागू नहीं की जायेगी। राजस्व विभाग में यह योजना केवल उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू समझी जायेगी जो राजस्व परिषद् के अधीन कार्यरत हैं।

(3) यह प्रणाली ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी लागू होगी जो स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति प्राप्त करेंगे अथवा जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जायेगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत अशक्तता पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा असाधारण पेंशन भी उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी।

(4) यह प्रणाली उपरोक्त विभागों के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू समझी जायेगी जो 31-7-85 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होंगे। 31-7-85 के पूर्व जो व्यक्ति सेवा निवृत्त हो चुके हैं उनके पेंशन-प्रपत्र महालेखाकार को ही भेजे जायेंगे और वे ही उनके पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति देयों से सम्बन्धित प्राधिकार-पत्रों को निर्गत करेंगे।

(5) इस प्रणाली के अन्तर्गत संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा पेंशन संबंधित सभी मामलों का निस्तारण किया जायेगा, जैसे पेंशन की स्वीकृति, ग्रेच्युटी की स्वीकृति, पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति अथवा पेंशन के राशिकरण की स्वीकृति आदि।

(6) बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि, भविष्य निर्वाह निधि के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि तथा सेवा निवृत्ति के समय अवशेष उपार्जित अवकाश के नकदीकरण से संबंधित मामले इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। इनके संबंध में विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत जो प्रक्रिया निर्धारित है वही यथावत लागू समझी जायेगी।

(7) इस प्रणाली के अन्तर्गत पेंशन-प्रपत्रों को तैयार करने का कार्य उस प्रक्रिया तथा समय-सारिणी के अनुसार किया जायेगा जैसी वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3-2085/दस-907-76 दिनांक 13-12-77 में निर्धारित है। केवल अन्तर इतना ही होगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा वांछित पेंशन-प्रपत्र अब महालेखाकार को भेजने के बजाय प्रमुख विभागाध्यक्ष के साथ संलग्न मुख्य लेखा अधिकारी को भेजे जायेंगे। मुख्य लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे उसे 6 माह की अवधि में, जो उन्हें पेंशन प्रपत्रों का परीक्षण कर पेंशन निर्धारित करने हेतु मिलेगी, पेंशन-प्रपत्रों का भली-भांति परीक्षण कर लें और यदि उनमें कोई त्रुटि/कमी हो तो उसे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से समय रहते ठीक करवा लें और सेवा निवृत्ति के एक माह पहले ही पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण के भुगतान आदेश उस कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित कर दें जहां से पेंशनर ने पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया हो अथवा जहां से वह सेवा निवृत्त हुआ हो और उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/कोषाधिकारी तथा पेंशनर को भेज दें। हर हालत में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ग्रेच्युटी के राशिकरण की धनराशि का भुगतान संबंधित पेंशनर के सेवा निवृत्ति के बाद के माह की पहली तारीख को प्राप्त हो जाय तथा पेंशन का भुगतान सेवा निवृत्ति के दिनांक के एक माह के बाद की पहली तारीख को हो जाय।

(8) इस प्रणाली को नियमित रूप से चलाने हेतु पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों की प्रतियां शासन द्वारा मुद्रित करवायी जायेंगी और संबंधित अधिकारियों को भेजी जायेंगी।

(9) संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने नमूने के हस्ताक्षर पहली बार महालेखाकार से सत्यापित करवा कर प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को सील्ड कवर में गोपनीय रूप से रजिस्ट्री से प्रेषित कर दें। इसकी एक प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, इलाहाबाद को भी प्रेषित

की जायेगी । अपने विभाग के कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों के उपयोगार्थ वे अपने हस्ताक्षर प्रमुख विभागाध्यक्ष से सत्यापित करवायेंगे और उन्हें संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करेंगे । उसके उपरान्त एक मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यभार छोड़ने पर वह अपने उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर परिचालनार्थ प्रमाणित कर देंगे ।

(10) सम्बन्धित मुख्य लेखा अधिकारी/कोषाधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को भेजे जाने वाले अपने नमूने के हस्ताक्षरों पर तथा पेंशन तथा अन्य प्राधिकार-पत्रों पर अपनी एक इम्बोसिंग सील लगायेंगे । इस स्पेशल सील का व्यास लगभग 2 इंच होगा । सम्बन्धित मुख्य लेखा अधिकारी इस सील को अपनी व्यक्तिगत कस्टडी में रखेंगे और स्वीकृति संबंधित हस्ताक्षर करते समय प्रपत्रों पर लगायेंगे ।

2. इस उद्देश्य से कि नयी प्रणाली के कार्यान्वयन में मुख्य लेखा अधिकारियों को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों से पेंशन-प्रपत्र आदि मंगवाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े, उपरोक्त विभागों के प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को इस प्रणाली के लागू करने हेतु समन्वय अधिकारी के रूप में नामित करेंगे । उपरोक्त विभागों के कार्यालयाध्यक्ष प्रतिवर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को ऐसे व्यक्तियों की एक छमाही सूची तैयार करेंगे जो अगले 24 से 30 माह तक सेवा निवृत्त होने वाले हों तथा उसकी एक प्रति मुख्य लेखा अधिकारी को तथा एक प्रति उपरोक्तानुसार नामित प्रशासनिक अधिकारी को भेजेंगे । यदि सूचना शून्य हो तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष मुख्य लेखाधिकारी को शून्य सूचना भेजेंगे । मुख्य लेखा अधिकारी तथा उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे इन सूचियों में उल्लिखित नामों को अपने कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र (फार्म-1) पर एक रजिस्टर में अंकित कर लें । यह रजिस्टर मास्टर रजिस्टर के रूप में उपयोग में लाया जायगा तथा पेंशन-प्रपत्रों की प्राप्ति तथा निर्गमन सम्बन्धी सूचना इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी । जो पेंशन-प्रपत्र प्राप्त होंगे उन्हें उपरोक्त रजिस्टर के अतिरिक्त एक अन्य रजिस्टर (फार्म-2) में दर्ज किया जायेगा । यह रजिस्टर पेंशन चेक रजिस्टर कहलायेगा और स्वीकृति संबंधी पूर्ण सूचना का मुख्य रजिस्टर होगा । इस रजिस्टर को कभी वीड नहीं किया जायेगा और इसी रजिस्टर को भविष्य में संदर्भ हेतु तथा समय-समय पर होने वाले पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाया जायेगा । पेंशन प्राधिकार-पत्रों पर भी इस रजिस्टर के नम्बर का संदर्भ होगा और यही संदर्भ संबंधित पेंशनर के सम्बन्ध में भविष्य में उपयोग में लाया जायेगा । पुलिस विभाग संदर्भ संख्या के पहले शब्द "पुलिस" का प्रयोग करेंगे । इसी प्रकार सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण तथा राजस्व विभाग शब्द "सिंचाई", "सानिवि" तथा "राजस्व" का प्रयोग करेंगे । बाद में यदि किसी व्यक्ति के पेंशन-प्रपत्र निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्राप्त न हों तो मुख्य लेखा अधिकारी तथा उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन-प्रपत्र भेजने के सम्बन्ध में पत्र भेजें । यदि फिर भी किसी कार्यालयाध्यक्ष से पेंशन-प्रपत्र प्राप्त न हो तो उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें ।

3. संबंधित पेंशन प्राधिकार-पत्र के कोषाधिकारी के स्तर पर तथा ग्रेच्युटी/राशिकरण संबंधी प्राधिकार-पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी उन्हें एक रजिस्टर, जो वित्त हस्तपुस्तिका भाग-पांच, खण्ड-दो के फार्म सं० 51 (प्रारूप संलग्न) में निर्धारित है, पर दर्ज कर लेंगे । कोषाधिकारी इसी रजिस्टर के क्रमांक को पेंशन प्राधिकार-पत्र (दोनों प्रतियों) पर दर्ज करेंगे और कोषाधिकारी के कार्यालय में डिस्बर्स हाफ को ढूंढने में उसका उपयोग करेंगे ।

4. पेंशन-प्रपत्रों के प्राप्त होने के उपरान्त मुख्य लेखाधिकारी के कार्यालय में निम्न कार्यवाही अपेक्षित होगी :—

(1) वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पेंशन-प्रपत्र हर प्रकार से पूर्ण हैं ।

(2) सेवा पुस्तिका में सेवा संबंधी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण हैं तथा वे उचित स्तर से प्रमाणित की गयी हैं। यदि सेवा पुस्तिका में कुछ अवधि/अवधियां सत्यापित न हों तो संबंधित सरकारी सेवक से, शासनादेश संख्या सा०-3-1998/दस-932-80, दिनांक 16 जनवरी, 1981 के पैरा 3 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार एक शपथ पत्र प्राप्त कर उस भाग को पेंशन के प्रयोजन हेतु अर्ह मान लेंगे।

(3) यदि अभिलेख पूर्ण है तो निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित सरकारी सेवक की सेवा निवृत्ति की तिथि से ठीक 10 माह पूर्व का औसत वेतन आगणित करेंगे और सेवा पुस्तिका की सहायता से उसकी अर्हकारी सेवा आगणित करेंगे। इन आंकड़ों के आधार पर पेंशन नियम एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर पेंशन का आगणन करके पेंशन प्राधिकार-पत्र निर्गत करेंगे।

(4) इसी प्रकार के पेंशन नियमों में एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन की राशिकरण की धनराशि का आगणन करेंगे और निर्धारित प्रपत्र पर प्राधिकार-पत्र निर्गत करेंगे।

(5) पेंशन तथा अन्य प्राधिकार-पत्रों को निर्गत करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त पत्रों पर निर्धारित सभी सूचना सही-सही भर दी गई है जिससे संबंधित कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी को उसका भुगतान करने में कठिनाई न हो।

(6) यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा की अवधि वाह्य सेवा की है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन-प्रपत्र भेजने के पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वाह्य सेवा योजक द्वारा संबंधित अवधि के अवकाश एवं पेंशन अंशदान उन्हें भेज दिये गये हैं अथवा नहीं और यदि भेज दिये गये हों तो पेंशन-प्रपत्रों के साथ उनकी चालान संख्या तथा कोषागारों के नाम तथा उस धनराशि की सूचना संलग्न करनी होगी जिनके माध्यम से अवकाश वेतन अंशदान एवं पेंशन अंशदान जमा किये गये हों। यदि ऐसी सूचना उपलब्ध न हो तो पेंशन-प्रपत्रों को भेजे जाने में विलम्ब न किया जाय बल्कि कार्यालयाध्यक्ष यथाशीघ्र उसके बाद ऐसी सूचना एकत्रित करके मुख्य लेखाधिकारी को उपलब्ध करा दें। यदि फिर भी पेंशन स्वीकृति के सम्बन्ध में उक्त सूचना उपलब्ध न हो तो मुख्य लेखाधिकारी पेंशन स्वीकृति संबंधी कार्य में ऐसी सूचना प्राप्त न होने के कारण विलम्ब न करें किन्तु कार्यालयाध्यक्ष से निरन्तर पत्र व्यवहार करके वांछित सूचना प्राप्त कर लें।

5. यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य प्रदेश के कोषागार के माध्यम से पेंशन आहरित करना चाहता है तो उसके लिए उसे फार्म संख्या 25 सी० एस० आर० की तीन प्रतियां भेजनी चाहिए। मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन आदि की स्वीकृति प्रदान कर फार्म संख्या 25 सी० एस० आर० की दो प्रतियां महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश को पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी अन्य प्रपत्रों के साथ इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वे सम्बन्धित महालेखाकार को उसकी पेंशन के वितरण करने हेतु सम्बन्धित कोषाधिकारी को अधिकृत कर दें। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश संबंधित महालेखाकार को भेजे गये ऐसे पत्र की एक प्रति मुख्य लेखा अधिकारी तथा एक प्रति सम्बन्धित पेंशनर को भी भेजेंगे।

6. यदि कोई व्यक्ति प्रदेश में ही पेंशन का भुगतान अपनी नियुक्ति के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से लेना चाहता है तो मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन प्राधिकार-पत्र उस जिले के कोषाधिकारी को भेज देंगे और कवरिंग पत्र की एक प्रति कार्यालयाध्यक्ष को तथा एक प्रति संबंधित पेंशनर को भेजेंगे।

7. इस प्रणाली के अन्तर्गत उपरोक्त विभागों के मुख्य लेखा अधिकारियों द्वारा निर्गत किये गये पेंशन प्राधिकार-पत्रों पर पहले तथा उसके उपरान्त किये जाने वाले मासिक भुगतान उस जिले के कोषाधिकारी द्वारा किये जायेंगे, जहां से संबंधित पेंशनर अपनी पेंशन लेना चाहता हो। यदि कोई पेंशनर कोषागार के स्थान पर उप कोषागार से पेंशन

आहरित करना चाहता है तो पेंशन प्राधिकार-पत्र जिले के कोषाधिकारी को ही भेजे जायेंगे तथा वे ही पेंशन आहरण करने हेतु संबंधित उप कोषागार को अधिकृत करेंगे। मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन के राशिकरण की धन-राशियों का भुगतान कोषागार के माध्यम से नहीं किया जायेगा बल्कि संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी इस प्रकार के भुग-तानों के प्राधिकार-पत्र उस आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित कर देंगे जहां से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त हुआ हो। यदि पेंशन का राशिकरण पेंशन स्वीकृत होने के साथ नहीं कराया गया है तो पेंशन राशिकृत धन-राशि का भुगतान कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा पेंशनर की पेंशन कोषाधिकारी द्वारा तदनुसार घटा दी जायेगी।

सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी उपरोक्त भुगतानों के आहरण के हेतु निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनायेंगे और उन्हें कोषागार से पारित करवाकर संबंधित व्यक्ति को उसका भुगतान कर देंगे। यदि भुगतान नियुक्ति के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से किये जाने हेतु आवेदन किया जाय तो उस दशा में सम्बन्धित व्यक्ति को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा। सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में चैक प्रणाली लागू है अतः संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को ग्रेच्युटी एवं पेंशन के राशिकरण के भुगतान हेतु बिल बनाकर उन्हें कोषागार को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

8. पेंशन एवं अन्य देयों से सम्बन्धित प्राधिकार-पत्र निर्गत करने के उपरान्त एक अन्य अधिकारी द्वारा, जो पेंशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत होंगे तथा उन्हीं को सीधे उत्तरदायी होंगे, सभी प्राधिकार-पत्रों की शत प्रतिशत कार्योत्तर सम्परीक्षा की जायगी। कार्योत्तर सम्परीक्षा किये जाने के उपरान्त ऐसे अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सूचना पेंशन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यदि कार्योत्तर सम्परीक्षा के उपरान्त पेंशन अथवा अन्य देयों के सम्बन्ध में त्रुटि पायी गयी तो मुख्य लेखा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे त्रुटि सुधार करके प्रश्नगत प्राधिकार-पत्र पुनः निर्गत करें। अधिक भुगतान होने की दशा में कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी संबंधित पेंशनर से अधिक भुगतान हुई धनराशि की वसूली की कार्यवाही करेंगे। पेंशन में अधिक भुगतान होने की दशा में यह वसूली किश्तों में की जा सकती है। अन्य भुगतानों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पेंशनर को अधिक भुगतान की गयी धनराशि को एक मुश्त में कैश में जमा करना होगा। इस हेतु संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशनर को भुगतान किये जाने के पूर्व एक इन्डेम्निटी बान्ड (फार्म-3) भरवा लेंगे जिस पर कार्यालय के दो अधिकारियों/कर्मचारियों का साक्ष्य प्राप्त किया जायगा।

9. यदि किसी कारणवश सेवा निवृत्ति के दिनांक के एक मास पूर्व किसी व्यक्ति की पेंशन अथवा मृत्यु की सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में प्राधिकार-पत्र निर्गत किया जाना सम्भव न हो पाये तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे शासनादेश संख्या सा-3-2085/दस-907/76 दिनांक 13-12-77 एवं सा-3-1797/दस-921/84 दिनांक 13-2-85 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति को अनन्तिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दें एवं शासनादेश संख्या सा-3-2921/दस-भ०ल०-7-78 दिनांक 27-1-79 के अन्तर्गत निर्धारित परिशिष्ट 1 पर आवश्यक सूचना महालेखाकार के स्थान पर विभाग के मुख्य लेखाधिकारी को प्रेषित कर दें और उसका आहरण पेंशन के मामले में सेवा निवृत्ति के एक माह के बाद के माह की पहली तिथि से प्रारम्भ कर दें तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान सेवा निवृत्ति के माह से अगले माह की पहली तिथि को ही कर दें।

10. मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन तथा अन्य देयों से सम्बन्धित प्राधिकार-पत्र निर्गत करने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इनके निर्णय में कोई विवाद उत्पन्न किया जायेगा तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी विभागाध्यक्ष को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे जो विभागाध्यक्ष द्वारा आव-श्यक निर्णय हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये गये ट्रेजरी रूल्स में यह प्राविधान है कि कोषाधिकारी सामान्य प्रकार से भुगतान करने हेतु अधिकृत नहीं है जब तक ऐसा भुगतान नियमों के

अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित न हो अथवा उसके लिए महालेखाकार का प्राधिकार-पत्र उपलब्ध न हो। ट्रेजरी रूल्स 222 में यह प्राविधान है कि सरकारी सेवकों को मिलने वाली पेंशन की दरें महालेखाकार द्वारा कोषाधिकारी को सूचित की जायेंगी। उपरोक्त प्रणाली को लागू करने हेतु संबंधित ट्रेजरी रूल्स को संशोधित करना होगा जिसमें समय लगने की संभावना है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नियमों के संशोधन के औपचारिक आदेश निर्गत होने के पूर्व इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से उन्हें संशोधित माना जायेगा और सम्बन्धित कोषाधिकारी मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये भुगतान प्राधिकार-पत्रों पर भुगतान करने हेतु अधिकृत समझे जायेंगे।

12. उपरोक्त कार्य के लिए सम्बन्धित विभागों में निम्नलिखित अस्थायी पदों के, 28 फरवरी, 1986 तक अथवा यदि उसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायें, सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

	सहायक लेखा अधिकारी (690-1420)	लेखाकार (570-(1100)	टंकक (354-550)	रिकार्ड कीपर (430-685)	चपरासी (305-390)	योग
1—पुलिस विभाग	1	6	1	1	1	10
2—सार्वजनिक निर्माण विभाग	1	4	1	1	1	8
3—सिंचाई विभाग	1	5	1	1	1	9
4—राजस्व विभाग	1	4	1	1	1	8
कुल योग						35

उपरोक्त पदों में से निम्न पद सम्बन्धित विभाग द्वारा वर्तमान स्टाफ में से भरे जायेंगे तथा शेष पदों को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से भरा जायेगा :—

					लेखाकार
1—पुलिस विभाग	—	—	—	—	2
2—सार्वजनिक निर्माण विभाग	—	—	—	—	2
3—सिंचाई विभाग	—	—	—	—	2
4—राजस्व विभाग	—	—	—	—	2

उपरोक्तानुसार स्वीकृत सभी पदों पर कार्यरत कर्मचारी सीधे मुख्य लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे और उन्हीं को उत्तरदायी होंगे। वे ही उनकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टि करने हेतु अधिकृत होंगे।

13. उपरोक्त विभागों के मुख्य लेखा अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस बीच सभी पेंशन नियमों तथा शासनादेशों का अध्ययन कर लें जिससे पेंशन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने में कठिनाई न हो।

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त प्रणाली का भली प्रकार अध्ययन कर लें और उसे अपने विभाग में 1-8-85 से लागू करने की कृपा करें।

भवदीय,
जे० पी० सिंह
वित्त सचिव

फार्म–1 (मास्टर इण्डेक्स रजिस्टर)

दिनांक	क्रमांक	कार्यालय का नाम तथा पता	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम व स्थायी पता	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पिता/पति का नाम	सेवा निवृत्त/मृत्यु तिथि	पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि	पेंशन तथा अन्य देयों की स्वीकृति का पत्र सं० एवं दिनांक	उस अधिकारी का पद नाम जिसे पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्र निर्गत किये गये	चैक रजिस्टर का		हस्ताक्षर		विवरण
									पृष्ठ संख्या	क्रम सं०	पेंशन लिपिक	सहायक लेखा अधिकारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

फार्म—2 (चैक रजिस्टर)

क्रम सं०	मास्टर इन्डेक्स रजिस्टर का क्रम संख्या एवं दिनांक	सरकारी सेवक का नाम, पिता/पति का नाम व वर्तमान पता तथा सेवा निवृत्ति के उपरान्त स्थायी पता	सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के नाम, जन्मतिथि, पते यदि परिवार न हो तो विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के नाम, जन्म-तिथि तथा पते	सरकारी सेवक					पत्र संख्या एवं दिनांक जिसके साथ पेंशन प्रपत्र प्राप्त हुए	सेवा में व्यवधान/व्यवधानों की अवधि यदि कोई हो और क्या अर्हकारी सेवा का आगणन करते समय उसके पूर्व की सेवा को सम्मिलित किया गया	सेवा की अन्य अवधियों जैसे निलंबन की अवधि अथवा अन्य अनधिकृत अनुपस्थितियों का विवरण तथा यदि वे विनियमित की जा चुकी हों तो उस अधिकारी का पद नाम तथा पत्र संख्या एवं दिनांक जिसके द्वारा उसे विनियमित किया गया। यदि विनियमित न किया गया हो तो उसका कारण और क्या अर्हकारी सेवा का आगणन करते समय उसे सेवा में सम्मिलित किया गया	अर्हकारी सेवा का आगणन	सेवा निवृत्ति के दिनांक से 10 माह पूर्व तक के औसत वेतन का आगणन
				की जन्म-तिथि	की सेवा प्रारम्भ की तिथि	की सेवा निवृत्ति की तिथि	की मृत्यु की तिथि	का पद जिस पर स्थायी घोषित किया गया तथा स्थायीकरण का दिनांक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का वास्तविक आगणन	ग्रेच्युटी की धनराशि का आगणन	राशिकरण की धनराशि का आगणन	पत्र/पत्रों की संख्या एवं दिनांक जिनके द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण प्राधिकार-पत्र भेजे गये	आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी का नाम जिसे ग्रेच्युटी/राशिकरण तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार-पत्र भेजे गये	हस्ताक्षर			विवरण
					पेंशन लिपिक	सहायक लेखा अधिकारी	मुख्य लेखा अधिकारी	
15	16	17	18	19	20			21

FORM 3

(To be signed by the retired Government Servant)

This deed of indemnity is made on the....................day of............19........ corresponding to Saka Samvat the day..................19......by Sri................ s/o..................................resident of.................................... (Bounden) IN FAVOUR OF the Governor.

Whereas:

1. The Bounden above named was in the service of the Government of Uttar Pradesh (called 'the Government') as..........................(designation) in.................. ....(name of office).

2. The Bounden above named has retired on..

3. Government is willing to disburse death-cum-retirement gratuity and/or commuted value of pension to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnity and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys the Bounden may be paid in excess of those admissible to him under the Rules.

Now this deed witnesses:

1. In consideration of Government agreeing to pay death-cum-retirement gratuity or commuted value of pension to the Bounden, the Bounden hereby covenants with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys that might have been paid to him in excess of those admissible to him under the Rules.

2. Any amount due under this deed may, in the intimation of the Chief Accounts Officer which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from him and in the event of default be recovered as arrears of land revenue.

In witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borned by the Government.

Signed by
Bounden

Witness:

1. Signature
   Full name
   Address

2. Signature
   Full name
   Address

FORM No. 51

(See Chapter 21, Para 511, F.H.B. Vol. V. Part II)

REGISTER OF PENSION PAYMENT ORDERS ON................TREASURY

Number of pension payment order	Name of pensioner	Monthly amount		Remarks
		Rs.	P.	

रा-3

संख्या सा०-3/50-86/दस-912/85

प्रेषक,

हरगोबिन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, कोषागार,
लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 3 जनवरी, 1986

विषय :—पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा-3/1446(1)/दस-912/85 दिनांक 6 अगस्त, 1985 के क्रम में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उक्त शासनादेश के पैरा 1(9) में यह प्राविधान किया गया था कि संबंधित मुख्य लेखाधिकारी अपने नमूने के हस्ताक्षर पहली बार महालेखाकार से सत्यापित करवा कर प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को सील्ड कवर में गोपनीय रूप से प्रेषित करेंगे। इस बिन्दु के संबंध में महालेखाकार द्वारा पूर्व निर्धारित प्राविधान में अपने परिपत्र संख्या टी०एम०/पेंशन/469 दिनांक 25-11-85 के पैरा 2 द्वारा किंचित संशोधन कर अब यह प्रक्रिया प्रदेश के कोषाधिकारियों को संसूचित की गयी है कि प्रश्नगत विभागों के विभागाध्यक्ष अपने अधिकृत मुख्य

लेखा अधिकारियों के नमूने के हस्ताक्षर स्वयं सत्यापित कर तथा अपनी सील के साथ निदेशक कोषागार एवं लेखा के माध्यम से कोषाधिकारियों को भेजेंगे।

2—महालेखाकार द्वारा निर्धारित की गयी उपरोक्त प्रक्रिया का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया है और परीक्षण उपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आदेश प्रदान किये हैं कि शासनादेश संख्या सा-3/1446(1)/दस-912/85 दिनांक 6 अगस्त, 1985 के पैरा 1(9) में उल्लिखित प्रक्रिया को महालेखाकार द्वारा संशोधित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

3—आपसे अनुरोध है कि आप तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
हरगोबिन्द डबराल
विशेष सचिव

रा–4

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या सा-3-1168/दस-935-87
लखनऊ, दिनांक 22 जून, 1987

कार्यालय ज्ञाप

विषय :— 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त/मृतक राज्य कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों तथा सेवारत मृत्यु हो जाने वाले सरकारी सेवकों के परिवारों के लिये पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन की प्रक्रिया तथा दरों में निम्न संशोधन किये हैं :—

लागू करने की तिथि

2.1 यह आदेश उन सरकारी सेवकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में लागू होंगे जो 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हों अथवा जिनकी मृत्यु 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त हुई हो। जो सरकारी सेवक 1-1-86 के पूर्व सेवा निवृत्त/मृत हो चुके थे उनके सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

2.2 1-1-86 के बाद सेवा निवृत्त अथवा मृतक सरकारी सेवकों के जिन मामलों में पेंशनें/पारिवारिक पेंशनें निर्धारित की जा चुकी हैं उन्हें इन आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया जायेगा।

परिलब्धियाँ

3.1 इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत पेंशनरों एवं मृत्यु सम्बन्धी समस्त लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित मूल वेतन से होगा। पेंशन का आगणन सेवा निवृत्ति के पूर्व

ठीक 10 माह के औसत के आधार पर किया जायेगा तथा अन्य पेंशनरी लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित अन्तिम आहरित मूल वेतन से होगा।

3.2 पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु उपरोक्त प्रस्तर 3.1 के अनुसार आगणित परिलब्धियों में महंगाई के 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ता, जो शासनादेश संख्या वे०आ० 715/दस-866(एम) 1982, दिनांक 1-4-1986 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था, को भी सम्मिलित किया जायेगा। साथ ही शासनादेश संख्या वे० आ० 312/दस-7 (एम)-84, दिनांक 6-2-1985, संख्या वे० आ० 1-2425/दस-7-(एम)-84, दिनांक 15-10-1985 तथा संख्या वे० आ० 1-742/दस-7(एम)-84, दिनांक 1-4-1986 के अन्तर्गत स्वीकृत तदर्थ महंगाई भत्ते को भी यथास्थिति सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पेंशन के आगणन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-1-86 के उपरान्त स्वीकृत अन्तरिम सहायता की किस्तों को भी सम्मिलित किया जायेगा। औसत परिलब्धियों के आगणन हेतु महंगाई भत्ते/तदर्थ महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता का आगणन सेवा निवृत्ति के पीछे के 10 मास के औसत के आधार पर किया जायेगा। 1-1-86 के पूर्व के मासों के लिये देय 568 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ते को ही परिलब्धि में जोड़ा जायेगा।

4.1 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिये आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी।

4.2 पेंशन का आगणन 1-1-86 के पूर्व लागू स्लैब सिस्टम के बजाय औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा और उसका अधिकतम 4,500 रु० होगा।

अतिरिक्त पेंशन के आधार पर राशिकरण

5.1 इन आदेशों के अन्तर्गत किये गये पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप यदि पेंशन में वृद्धि हुई हो तो उस वृद्धि के एक तिहाई के आधार पर राशिकरण की धनराशि भी पुनरीक्षित की जा सकती है और अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।

डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी

6.1 वर्तमान में अनुमन्य डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के स्थान पर रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी तथा डेथ ग्रेच्युटी के अलग-अलग प्राविधान किये जाते हैं। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी तथा जिसका अधिकतम परिलब्धियों के 16½ गुने के बराबर होगा, अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि रुपया एक लाख से अधिक नहीं होगी। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के आगणन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी।

6.2 सेवारत मृत्यु होने की दशा में डेथ ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दरें निम्नवत् होंगी :—

सेवा अवधि	डेथ ग्रेच्युटी की दर
1—एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का 2 गुना।
2—एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 6 गुना।
3—5 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना।
4—20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर होगी,

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि ग्रेच्युटी की धनराशि किसी भी दशा में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

आगणन योग्य परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नवत् होंगी। इन दरों में 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ते को सम्मिलित कर लिया गया है :—

मूल वेतन प्रतिमाह	पारिवारिक पेंशन की मासिक दर जिसमें 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ता सम्मिलित कर लिया गया है।
1—1,500 रु० से अनधिक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत।
2—1,500 रु० से अधिक किन्तु 3,000 रु० से अनधिक	मूल वेतन का 20 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 450 रु० प्रतिमाह होगा।
3—3,000 रु० से अधिक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 600 रु० तथा अधिकतम 1,250 रु० होगा।

दिनांक 1-1-86 तथा वर्तमान तिथि के बीच सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में स्पष्टीकरण

8.1 भारत सरकार द्वारा अपने सेवकों के सम्बन्ध में दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा अपने सेवकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु एक वेतन समिति का गठन किया गया है जिसकी सिफारिशें अभी अपेक्षित हैं। अतः उपरोक्त अवधि में सेवा निवृत्त पेंशनरों की पेंशनों के नये वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी। तदुपरान्त उपरोक्त अवधि में सेवा निवृत्त सभी सरकारी सेवकों को यह विकल्प उपलब्ध कराया जाना होगा कि वे पुराने वेतनमानों के तथा पेंशन के आगणन की तत्समय उपलब्ध व्यवस्था के आधार पर अपनी पेंशन का आगणन करा लें अथवा नये वेतनमानों तथा नयी पेंशन व्यवस्था के आधार पर अपनी पेंशन का आगणन करायें।

8.2 इस अवधि के बीच सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार पेंशनरी लाभों का पुनरीक्षण सम्बन्धित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि कोई पेंशनर उपरोक्त प्रस्तर 8.1 में उल्लिखित वेतन समिति की सिफारिशों पर वेतनमानों के पुनरीक्षण के पूर्व ही अपनी पेंशन पुनरीक्षित करवाना चाहता है तो उसे यह छूट होगी कि वह अपना प्रार्थना-पत्र उसके पूर्व ही सम्बन्धित पेंशन स्वीकृत-कर्ता अधिकारी को भेज दे। पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रार्थना-पत्र का प्रारूप भी संलग्न है।

9.1 उपरोक्त आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा निगमों आदि के सेवकों पर स्वतः लागू नहीं समझे जायेंगे। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

बी० के० सक्सेना
प्रमुख सचिव, वित्त

शासनादेश संख्या .... दिनांक ....

के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण का प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

.... (महालेखाकार अथवा मुख्य लेखाधिकारी
.... का पद नाम एवं पूरा पता)
....

1–प्रार्थी का नाम—

2–पिता/पति का नाम—

3–सेवा निवृत्ति के समय धारित पद—

4–कार्यालय/विभाग का पूरा नाम
एवं पता जहां से सेवा निवृत्त हुए—

5–पी०पी०ओ० संख्या—

6–स्वीकृत पेंशन की धनराशि—
(1) राशिकरण के पूर्व :
(2) राशिकरण के बाद :

7—कोषागार जहां से पेंशन आहरित होती है—

8—पेंशनर की मृत्यु हो जाने की दशा में जीवन
कालीन अवशेष पाने वाले का नाम तथा पता—

9—क्या अतिरिक्त पेंशन का राशिकरण चाहते हैं—

भवदीय,

(पेंशनर का पूरा नाम एवं पता)

दिनांक ....

रा–5

संख्या सा-3-1019/दस-932-87

प्रषक,

श्री सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 28 मई, 1987

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषय:—माह नवम्बर, 1986 में कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-4 से जारी शासनादेश संख्या 4229/का-4-45 ई० एम०-86, दिनांक 5/6 दिसम्बर, 1986 में यह आदेश जारी किये गये थे कि हड़ताल पर गये कर्मचारियों/अधिकारियों को माह नवम्बर, 1986 के सम्पूर्ण देय वेतन का भुगतान कर दिया जाये किन्तु इसमें से हड़ताल की अवधि के वेतन के बराबर धनराशि अग्रिम के रूप में मानी जायेगी और इसके समायोजन के सम्बन्ध में बाद में आदेश निर्गत किये जायेंगे। चूंकि इस सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम आदेश जारी नहीं हो सके हैं और इस बीच सेवा निवृत्त हो चुके सरकारी सेवकों के नैवृत्तिक लाभों के निर्धारण में कठिनाई हो रही है। अत: इस समस्या के समाधान के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन/ग्रेच्युटी के आगणन हेतु हड़ताल की अवधि को अनन्तिम रूप से अर्हकारी सेवा में शामिल कर लिया जायेगा और अन्तिम 10 माह के औसत का वेतन आगणन करने में यदि उक्त अवधि का कोई अंश आता है तो उसे भी अनन्तिम रूप से सम्मिलित करके औसत परिलब्धियों का आगणन कर लिया जायेगा जिसके आधार पर पेंशन का आगणन किया जायेगा। इस प्रकार आगणित पेंशन ग्रेच्युटी अनन्तिम रूप से स्वीकृत कर दी जायेगी जो तब तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में लागू रहेगी जब तक इस मामले में अन्तिम निर्णय न ले लिया जाय। जिन मामलों में इस व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जायेगी उनमें सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक से संलग्न प्रपत्र पर एक घोषणा-पत्र भी भरा लिया जायेगा।

भवदीय,
सोमदत्त त्यागी
विशेष सचिव

घोषणा-पत्र

मैं श्री .... एतद्द्वारा स्वीकार करता हूं कि मुझे जो पेंशन/ग्रेच्युटी तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक की धनराशियां स्वीकृत की जानी हैं वे अनन्तिम होंगी और मैं यह भली भांति समझता हूं कि उक्त पेंशन/ग्रेच्युटी तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक की धनराशियां मुझे नियमानुसार देय सीमा से अधिक पाये जाने पर पुनरीक्षित की जा सकती हैं जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मुझे कोई अधिक भुगतान हो गया है तो मैं उसे वापस कर दूंगा।

दिनांक ....

सेवा निवृत्त होने वाले सेवक के हस्ताक्षर
पदनाम ....

रा–6

संख्या जी-2-956/दस-534/19/1975

प्रेषक,

श्री महेश प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 22 मई, 1975

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

विषय :—अतिवयता आयु (age of superannuation) प्राप्त करने पर सेवा निवृत्ति के मामलों में सेवा निवृत्ति का वास्तविक दिनांक।

महोदय,

केन्द्रीय तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशन संबंधी सुविधा में कुछ संशोधन किये गये हैं जिनके व्यापक औचित्य पर इस शासन ने भी अपने कर्मचारियों के संदर्भ में विचार किया है और उनमें से कुछ का अनुकरण करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक का सबंध अतिवयता आयु ((age of superannuation) प्राप्त करके सेवा निवृत्त होने के दिनांक से है। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1975 से यह व्यवस्था लागू होगी कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 56 के खण्ड (ए) अथवा खण्ड (बी) के अधीन प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस मास के अन्तिम दिनांक के अपराह्न को सेवा निवृत्त हुआ करेगा जिसमें उसके सेवा निवृत्त होने की तिथि पड़ती है परन्तु इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव उक्त मूल नियम के खण्ड (ए) के प्रथम अथवा द्वितीय परन्तुक अथवा सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के पैरा 465 अथवा 465 ए (उनकी पाद टिप्पणियों सहित) अथवा उनके अधीन की जाने वाली कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसकी जन्म-तिथि किसी महीने का पहला दिनांक हो, अतिवयता आयु (58 या 60 वर्ष, जैसी भी दशा हो) प्राप्त करने पर उसके पूर्व वाले मास के अन्तिम दिनांक के अपराह्न में सेवा निवृत्त होगा।

2—श्री राज्यपाल ने यह भी निर्णय लेने की कृपा की है कि निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के मामले में सेवा निवृत्ति अथवा निवृत्ति पूर्व अवकाश की समाप्ति के दिनांक, जैसी भी दशा हो तथा ऊपर प्रस्तर-1 के अनुसार निर्धारित सेवा निवृत्ति के दिनांक के बीच की अवधि समस्त प्रयोजनों हेतु "कार्यरत अवस्था" (duty) मानी जायगी और ऐसे सरकारी कर्मचारी के संबंध में यह समझा जायगा कि वह प्रस्तर-1 के अनुसार निर्धारित दिनांक को सेवा निवृत्त हुआ है :—

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी जो इन आदेशों की तिथि से पूर्व ही अतिवयता आयु (age of superannuation) को पहुंच जाने के कारण 1 अप्रैल, 1975 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो गये हों ;

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी जो निवृत्ति पूर्व अवकाश पर थे और उसके समाप्त होने पर इन आदेशों की तिथि से पूर्व ही 1 अप्रैल, 1975 या उसके बाद सेवा निवृत्त हो गये हों; तथा

(3) ऐसे सरकारी कर्मचारी जो निवृत्ति पूर्व अवकाश पर जा चुके हों और इन आदेशों की तिथि के बाद सेवा निवृत्त होंगे।

3—नियमों के औपचारिक संशोधन की कार्यवाही पृथक रूप से की जा रही है।

भवदीय,
महेश प्रसाद
विशेष सचिव

रा–7

संख्या सा-3-696/75/दस-52/1974

प्रेषक,

श्री महेश प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक, लखनऊ 5 मई, 1975

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

विषय :—सेवा निवृत्ति मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में प्रभावित होने से सम्बन्धित प्रश्न।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा-3-2545/दस-52/1974, दिनांक 5 अप्रैल, 1975 की ओर आकर्षित करते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि उसमें निहित व्यवस्था दिनांक 15 मई, 1975 तक या अन्तिम आदेश प्रसारित होने तक, इनमें जो भी पहले घटित हो, लागू समझी जायगी।

भवदीय,
महेश प्रसाद
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 41/2/69-कार्मिक-2
लखनऊ, दिनांक 7 जून, 1980

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रवेश सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक का अवधारण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1980 कही जायेगी।

(2) यह 28 मई, 1974 से प्रवृत्त समझी जायगी।

उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (जन्म दिनांक अवधारण) नियमावली 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर नीचे स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायेगा :—

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2—ठीक जन्म दिनांक या आयु का अवधारण किसी सरकारी सेवक का जन्म दिनांक, जैसा कि उसके हाई-स्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के प्रमाण-पत्र में अभिलिखित हो, अथवा जहां कोई सरकारी सेवक उपर्युक्त ऐसी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो तो उसके सरकारी सेवा में प्रविष्ट होने के समय उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित जन्म दिनांक या आयु उसकी सेवा के सम्बन्ध में सभी प्रयोजनों के लिए, जिसके अन्तर्गत पदोन्नति, अधिवार्षिक समय, पूर्व सेवा निवृत्ति या सेवा निवृत्ति लाभ के लिए पात्रता भी है यथास्थिति उसका ठीक जन्म दिनांक या आयु समझी जायगी तथा ऐसे दिनांक या आयु को सही (करेक्शन) करने के बारे में कोई आवेदन-पत्र या अभ्यावेदन किन्हीं भी परिस्थितियों में चाहे जो भी हो ग्रहण नहीं किया जायेगा।	2—किसी सरकारी सेवक का जन्म दिनांक जैसा कि सेवा में उनके प्रवेश के समय हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र में अभिलिखित हो, या जहां किसी सरकारी सेवक ने उपर्युक्त ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या सेवा में प्रवेश करने के पश्चात् ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो वहां उसके सरकारी सेवा में प्रवेश करने के समय उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित जन्म दिनांक या आयु उसकी सेवा के सम्बन्ध में सभी प्रयोजनों के लिए, जिसके अन्तर्गत पदोन्नति, अधिवार्षिकी समय पूर्व सेवा निवृत्ति या सेवा निवृत्ति लाभ के लिए पात्रता भी है, यथास्थिति उसका ठीक जन्म दिनांक या आयु मानी जायगी और ऐसे दिनांक या आयु को शुद्ध करने के बारे में कोई आवेदन पत्र या अभ्यावेदन किन्हीं भी परिस्थितियों में चाहे जो भी हो ग्रहण नहीं किया जायगा।

आज्ञा से,
एस० एम० एच० रिजवी
सचिव

रा–

महत्वपूर्ण

संख्या जी-2-1102/दस-534(19)-57

प्रेषक,

डा० जे० पी० सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1—समस्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
2—समस्त विभागाध्यक्ष प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 5 नवम्बर, 1985

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

विषय:—मूल नियम 56 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु सीमा का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 में सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षता पर सेवा निवृत्ति की आयु का प्राविधान है। इसके उप नियम (ख) के अनुसार अवर सेवा (Inferior Service) के सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, और उप नियम (क) के अनुसार अन्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है । दिनांक 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व रु० 22-27, रु० 27-32 और रु० 32-37 के वेतनमान वाले पद अवर सेवा में थे और इन्हीं वेतनमानों में वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी और अन्य वेतनमानों में वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी ।

2. उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति (1964-65) ने सरकारी कर्मचारियों के सुपीरियर तथा इनफीरियर सर्विस के वर्गीकरण को उचित नहीं समझा और समस्त सरकारी कर्मचारियों की चार श्रेणियों में वर्गीकृत करने की संस्तुति की थी । उक्त समिति की संस्तुतियों पर दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से वेतनमान रु० 22-27, रु० 27-32 और रु० 32-37 के स्थान पर सामान्यतया रु० 55-57 और रु० 60-80 के वेतनमान स्वीकृत किये गये । परन्तु रु० 55-57 और रु० 60-80 के वेतनमान में ऐसे पद भी रख दिये गये जिन पर उक्त समिति की संस्तुति पर लागू किये गये नये वेतनमानों से पूर्व उपर्युक्त तीन वेतनमानों से भिन्न वेतनमान स्वीकृत थे । फलस्वरूप इस सम्बन्ध में शासन द्वारा एक सामान्य कार्यकारी नीति अपनायी गयी, जिसके अनुसार केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष मानी जाती है, जिनके पदों का दिनांक 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व रु० 22-27, रु० 27-32 अथवा रु० 32-37 का वेतनमान था । और जिनके लिए उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति (1964-65) की संस्तुति पर दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से उक्त वेतनमानों के स्थान पर रु० 55-75 अथवा रु० 60-80 का वेतनमान

स्वीकृत किया गया था। साथ ही उक्त समिति की संस्तुतियाँ लागू होने के समय से ही इस प्रश्न पर विचार किया जाता रहा है कि समस्त सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु एक समान 58 वर्ष कर दी जाए, अथवा किन्हीं विशेष वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु एक समान 58 वर्ष निर्धारित कर दी जाए, अथवा किन्हीं विशेष वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष बनायी रखी जाए। इसी बीच दिनांक 1 अगस्त, 1972 से उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) और उसके पश्चात् दिनांक 1 जुलाई, 1979 से द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुति पर नये वेतनमान लागू हो गये। अतः समस्त परिस्थितियों पर शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किये जाने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अब सरकारी सेवा में समस्त कर्मचारियों के लिए अधिवर्षता पर सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित कर दी जाए। अतः राज्यपाल महोदय यह आदेश प्रदान करते हैं कि अब समस्त सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षता पर सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी। तदनुसार उपर्युक्त मूल नियम-56 के अनुसार वर्तमान समय में जिन पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को अपर सेवा का मानते हुए उनकी अधिवर्षता पर सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, अब उन पदों पर नये नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की भी अधिवर्षता पर सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी।

3. यह आदेश इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होंगे, अर्थात यह आदेश उन मामलों में लागू होंगे जिनमें नियुक्तियाँ शासनादेशों के प्रभावी होने के दिनांक को या उसके पश्चात की गयी हों। इस दिनांक के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों की अधिवर्षता पर सेवा निवृत्ति की आयु के सम्बन्ध में स्थिति यथावत् बनी रहेगी।

4. वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2, भाग 2-4 के मूल नियम 56 में आवश्यक संशोधन अलग से किया जायेगा।

भवदीया,
डॉ० जे० पी० सिंह
सचिव

संख्या सा-3-1405/दस-905-77

प्रेषक,

श्री उदय प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद। लखनऊ, दिनांक 8 फरवरी, 1978

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

विषय :—सी० एस० आर० के अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत पेंशन जब्त करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी पेंशनर के दुराचरण का दोषी होने के कारण दण्डित कर दिये जाने पर उसकी पेंशन रोकने/अपहरित करने का प्रश्न काफी समय से शासन के विचाराधीन रहा है। सी० एस० आर० के अनुच्छेद 351 द्वारा शासन को किसी पेंशनर की पेंशन आंशिक रूप से अथवा पूरी तौर से रोकने/अपहरित करने का अधिकार प्राप्त है किन्तु विचाराधीन प्रश्न यह रहा है कि ऐसे मामलों में पेंशन किस तिथि से रोकी जाय अर्थात् पेंशन उस तिथि से रोकी जाय जिस दिन अपराध अथवा दुराचरण किया गया हो अथवा उस दिनांक से जब से अपराधी व्यक्ति को सजा या दण्ड दिया गया हो। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि घटना के दिनांक तथा पेंशन के भुगतान रोकने के आदेशों के बीच कुछ न कुछ समयावधि अवश्य व्यतीत हो जाती है और उस अवधि की पेंशन का भुगतान प्रायः हो चुका होता है जिसकी वसूली करना संभव नहीं होता है। सी० एस० आर० के अनुच्छेद 351 में केवल पेंशन रोकने का प्राविधान तो है किन्तु भुगतान की जा चुकी पेंशन की वसूली करने का कोई प्राविधान नहीं है। ऐसी दशा में पेंशनर को भुगतान की जा चुकी पेंशन की धनराशि को वापस लेना न तो विधिवत् प्रतीत होता है और न संभव हो सकेगा।

2—इसी संदर्भ में लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या जी-111-979/17-ए डी सी-68-69, दिनांक 30-10-1976 में आयोग का यह मत प्राप्त हुआ है कि अदालत के फैसले के बाद जितने दिन तक अपराधी व्यक्ति जेल में रहे केवल उतने ही समय तक की पेंशन जब्त होनी चाहिये किन्तु यदि जेल जाने की तिथि तक पेंशन मिल गई हो तो वह वापस न कराई जाय। शासन ने लोक सेवा आयोग के उपर्युक्त मत पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि किसी पेंशनर के दुराचरण के कारण दण्डित किये जाने की दशा में उसकी पेंशन उस तिथि से ही रोकना उचित होगा जिस तिथि से उसे न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो किन्तु यदि जेल जाने की तिथि तक पेंशन मिल गई हों, तो उसे वापस नहीं कराया जायगा।

भवदीय,
उदय प्रताप सिंह
उप सचिव

रा-111

संख्या 6/10/79-कार्मिक-1

अतिगोपनीय

प्रेषक,

सुमन कुमार माडवल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 12 अक्टूबर, 1979

विषय :—फौजदारी मामले में दण्डित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के समक्ष समय-समय पर यह शंका प्रकट की जाती रही है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी क्रिमिनल चार्ज के कारण दण्डित कर दिया जाता है और तदुपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय में अपील करता है तो उस दशा में अपील पर फैसला होने से पूर्व या अपील न दायर होने की दशा में अपील की अवधि समाप्त होने से पूर्व क्या उस कर्मचारी को सेवा से पदच्युत अथवा हटाया जाना उचित एवं वैधानिक होगा ?

2—इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि संविधान के अनुच्छेद 311(2) के नीचे परन्तुक (ए) के अनुसार यदि सरकारी सेवक को क्रिमिनल चार्ज के कारण न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड के आधार पर सेवा से पदच्युत या हटाया जाता है तो उस कार्यवाही को करने से पूर्व संविधान के अनुच्छेद (2) में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के नीचे परन्तुक (ए) में प्रयोग किए गए शब्द (conviction) के बारे में न्यायालयों ने यह निर्णय लिया है कि इसका आशय (conviction finally) से है जिसका तात्पर्य यह है कि यदि वह व्यक्ति अपील में दोष मुक्त कर दिया जाता है तो यह माना जायगा कि उसका (conviction) हुआ ही नहीं। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी सेवक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक आरोप (criminal charges) के आधार पर दण्डित कर दिया जाता है तथा सम्बन्धित कर्मचारी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर दी है तो अपील के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना या अपील दायर न होने की दशा में अपील दायर किए जाने की अवधि समाप्ति होने की प्रतीक्षा किए बिना सम्बन्धित सरकारी सेवक को सेवा से पदच्युत (Dismiss) अथवा हटाया (Remove) जा सकता है। इस कार्यवाही के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अनुसार किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। यदि अपील में सरकारी सेवक दोषमुक्त हो जाता है तो अपील के निर्णय के पहले उसके विरुद्ध सेवा से पदच्युत अथवा हटाये जाने की जो कार्यवाही की गई है वह अवैध होगी। परिणामस्वरूप

कर्मचारी को समस्त लाभों के साथ, जो उसको देय होते, यदि उसको सेवा से पदच्युत या हटाया न गया होता, सेवा में पदारूढ़ कर दिया जाय। यदि अपील का निर्णय कर्मचारी के विरुद्ध होता है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया दण्ड कायम रहता है तो अपील के लंबित रहते हुए जो आदेश पारित किए गए हैं वे यथावत रहेंगे और उनको यथावत रखने में कोई विधिक कठिनाई नहीं होगी।

भवदीय,
सुमन कुमार माडवल
सचिव

रा–12

संख्या 3-1679/दस-80-909-79

प्रेषक,

श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 28 अक्तूबर, 1980

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

विषय :—सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच चल रही हो, को अनन्तिम पेंशन का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के पेंशन संबंधी वर्तमान नियमों में अभी तक इस आशय का कोई विशिष्ट प्राविधान नहीं है कि सेवा निवृत्ति के दिनांक को, अथवा सेवा निवृत्त होने के उपरान्त यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच जारी हो अथवा जारी किया जाना अपेक्षित हो तो क्या उसे पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभ देय होंगे या नहीं। उक्त स्थिति में सामान्यतः अपनाये गये दृष्टिकोण और प्रयुक्त प्रक्रिया के अनुसार जब तक उस कार्यवाही अथवा जांच का परिणाम प्राप्त न हो जाय तब तक संबंधित सेवक को कोई पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है। उक्त कार्यवाहियों और जांच के पूरी होने और फिर आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर अन्तिम निर्णय लेने में अधिक समय भी लग सकता है और उस दशा में संबंधित सेवा निवृत्त कर्मचारी वर्षों तक सेवा नैवृत्तिक लाभों से वंचित रहता है जिससे उसे काफी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में कार्यवाही या जांच के परिणाम

स्वस्थ कर्मचारी निर्दोष पाया जा सकता है। इस प्रसंग में आपका ध्यान शा० आ० सं० सा-3-2085/दस-907/76, दिनांक 13-12-1977 की ओर भी आकर्षित करना है जिसमें ऐसे मामले में, जिनमें पेंशन ग्रेच्युटी की स्वीकृति और कागजात तैयार करने की कार्यवाही निर्धारित समय में पूरी न हो सके, अनन्तिम पेंशन व आनुतोषिक दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे। इन आदेशों का लाभ भी उपर्युक्त कार्यवाही अथवा जांच के मामलों में नहीं मिल पाता है।

2—इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त तथा इस बात को देखते हुए कि राज्य में प्रयुक्त नियमों और आदेशों के अन्तर्गत सामान्यत: सेवा निवृत्त कर्मचारी को पेंशन तथा ग्रेच्युटी के अन्तिम रूप से निर्धारित न हो सकने पर अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है, श्री राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों को, जिनके विरुद्ध सेवा निवृत्ति के समय विभागीय न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, अनन्तिम पेंशन का भुगतान अधिकृत कर दिया जाय, किन्तु ग्रेच्युटी का भुगतान किसी भी दशा में उक्त कार्यवाही या जांच पूरी होने और अन्तिम निर्णय होने के पूर्व न किया जाय। ग्रेच्युटी की धनराशि से वह कटौतियां की जायेंगी जिनका उल्लेख विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही इत्यादि के फलस्वरूप पारित आदेश में किया गया हो। ऐसे मामलों में अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति निम्न व्यवस्था के अधीन देय होगी :—

(1) अनन्तिम पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी जो उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक और यदि कर्मचारी सेवा निवृत्ति की तिथि को निलम्बित हो तो उसके निलम्बन के ठीक पहले की तिथि तक की अर्हकारी सेवाकाल के अनुसार अनुमन्य होती हो।

(2) यह पेंशन सेवा निवृत्ति की तिथि से उस दिनांक तक मिलेगी जब कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही/जांच पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित करा दिये जायं, तथा

(3) इस अनन्तिम पेंशन का, कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त अन्तत: कर्मचारी को स्वीकृत होने वाली पेंशन में समायोजन कर लिया जायेगा किन्तु यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत होने वाली पेंशन की राशि अनन्तिम पेंशन से कम हो अथवा पेंशन स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये कम कर दी जाय या आस्थगित की जाय, तो कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जायगी।

3—उपर्युक्त व्यवस्था तुरन्त प्रभावी मानी जायेगी तथा पेंशन संबंधी नियम तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे और औपचारिक संशोधन बाद में यथासमय किये जायेंगे।

4—कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

बाल कृष्ण चतुर्वेदी

विशेष सचिव

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-5123
Date 19.3.90

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या सा-3-1871/दस-935/87
लखनऊ, दिनांक 20 अगस्त, 1987

कार्यालय ज्ञाप

विषय :—दिनांक 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त/मृतक राज्य कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-31-168/दस-935/87, दिनांक 22 जून, 1987 में जारी किये गये आदेशों के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्तरों से कतिपय शंकायें उठाई गई हैं। अतएव उक्त शंकाओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती है :—

1. उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 जून, 1987 के प्रस्तर 3.2 के संबंध में यह शंका उठाई गई है कि जिन सरकारी सेवकों को सेवा निवृत्ति के पूर्व 10 माह की औसत परिलब्धियों के आगणन में यदि कुछ अवधि 1-1-86 के पूर्व की है और उस अवधि में 568 मूल्य सूचकांक से अधिक मूल्य सूचकांक के बराबर वास्तविक रूप से महंगाई भत्ता प्राप्त हुआ है तो क्या ऐसी महंगाई भत्ते की धनराशि, जो वास्तविक रूप से प्राप्त हुई है, औसत परिलब्धियों में सम्मिलित की जायेगी ? यह भी शंका उठाई गई है कि दिनांक 1-1-86 के पूर्व के 18 माह की अवधि में यदि किसी सरकारी सेवक को मूल वेतन (जैसा कि मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है) के अतिरिक्त कोई और धनराशि जैसे विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि प्राप्त हुए हैं, तो क्या उसे औसत परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा ?

(क) इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा निवृत्ति के पूर्व 10 माह की औसत परिलब्धियों में 568 मूल्य सूचकांक से 608 मूल्य सूचकांक के बीच जो भी महंगाई भत्ता व तदर्थ महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है उसे भी औसत परिलब्धियों के आगणन में सम्मिलित कर लिया जायेगा। संबंधित पेंशन स्वीकृत-कर्ता अधिकारियों के सूचनार्थ यह उल्लेखनीय है कि 568 मूल्य सूचकांक से आगे किन्तु 608 मूल्य सूचकांक तक जिस महंगाई भत्ते तथा तदर्थ महंगाई भत्ते को औसत परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा वह निम्न शासनादेशों के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था :—

(1) वे० आ०-1221/दस-66(एम)-82, दिनांक 31-5-85 महंगाई भत्ता।
(2) वे० आ०-2380/दस-66(एम)-1982, दिनांक 24-9-85 महंगाई भत्ता।
(3) वे० आ०-1-210,दस-66(एम)-82, दिनांक 20-1-86 महंगाई भत्ता।
(4) वे० आ०-1-312/दस-7(एम)-84, दिनांक 6-2-85 तदर्थ महंगाई भत्ता।
(5) वे० आ०-1-2425/दस-7(एम)-84, दिनांक 15-10-85 तदर्थ महंगाई भत्ता।

(ख) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि औसत परिलब्धियों का आगणन करते समय 1-1-86 से पूर्व की अवधि में प्राप्त मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित मूल वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य धनराशि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 22 जून, 1987 के प्रस्तर-7 के अन्तर्गत अनुमन्य की गई पारिवारिक पेंशन के संबंध में यह शंका उठाई गई है कि क्या पूर्व में निर्धारित इस प्राविधान को, कि दिवंगत होने वाले सरकारी सेवकों के

परिवारों को प्रथम 7 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक यथास्थिति जो भी कम हो, सामान्य दर पर आगणित पारिवारिक पेंशन के दो गुने के बराबर पेंशन दी जायेगी, समाप्त कर दिया गया है ? इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 जून, 1987 के अन्तर्गत प्रश्नगत व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया है और व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी ।

सोमदत्त त्यागी
विशेष सचिव

रा–14

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या सा-3-2230/दस-935/87
लखनऊ, दिनांक 7 नवम्बर, 1987

कार्यालय ज्ञाप

विषय :—दिनांक 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त/मृतक राज्य कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण ।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1168/दस-935/87, दिनांक 22 जून, 1987 में जारी किये गये आदेशों के सन्दर्भ में कार्यालयाध्यक्षों द्वारा कतिपय शंकायें उठाई गई हैं। उक्त कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में कतिपय शंकाओं का निराकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1871/दस-935-87, दिनांक 20-8-1987 में पहले भी किया जा चुका है और उसी क्रम में अब उठाई गई शंकाओं के सम्बन्ध में पुनः स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती है :—

	शंका	समाधान
1.	उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-6-87 के प्रस्तर-7 के सन्दर्भ में यह शंका उठाई गई है कि पारिवारिक पेंशन के आगणन हेतु वेतन में 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ते को भी शामिल किया जायेगा अथवा नहीं ।	उक्त कार्यालय ज्ञाप के पैरा 3.2 में पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों की व्याख्या की गई है जिसके अनुसार पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की किश्तों की भी यथास्थिति वेतन के साथ सम्मिलित किया जायेगा। अतएव पारिवारिक पेंशन आगणन भी तदनुसार किया जायेगा ।
2.	क्या प्रथम 7 वर्ष तक के लिए सामान्य दर पर आगणित पारिवारिक पेंशन के दो गुने के बराबर पारिवारिक पेंशन देने की पूर्व व्यवस्था लागू रहेगी ।	इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1871/दस-935/87, दिनांक 20-8-87 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि उक्त व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी ।

	शंका	समाधान
3.	जिन सरकारी सेवकों की सेवा निवृत्ति के पूर्व 10 माह की औसत परिलब्धियों के आगणन में कुछ अवधि 1-1-86 के पूर्व की है तो क्या उक्त अवधि के लिए भी 608 मूल्य सूचकांक के बराबर ही महंगाई भत्ता जोड़ा जायेगा।	इस बिन्दु पर भी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20-8-87 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि ऐसी अवधि के लिए 568 मूल्य सूचकांक से 608 मूल्य सूचकांक के बीच जो भी महंगाई भत्ते/तदर्थ महंगाई भत्ता वास्तव में अनुमन्य रहा हो उसे ही औसत परिलब्धियों के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा।
4.	कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-6-87 के प्रस्तर 3.2 के सम्बन्ध में यह शंका उठाई गई है कि क्या मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक के आगणन हेतु भी परिलब्धियों में 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई/तदर्थ महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता का लाभ देय होगा।	जैसा कि ऊपर बिन्दु-1 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जा चुका है समस्त पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की किश्तों की यथास्थिति मूल वेतन के साथ सम्मिलित किया जायेगा।
5.	क्या अन्तरिम सहायता का लाभ उन मामलों में भी देय होगा जिनमें सेवा निवृत्ति/मृत्यु अन्तरिम सहायता के आदेश जारी होने के पहले हो गई हो।	अन्तरिम सहायता की जिस तिथि से प्रभावी माना गया है उससे पूर्व हुई सेवा निवृत्ति/मृत्यु के मामलों में उसका लाभ नहीं दिया जायेगा।
6.	उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-6-87 के पैरा 4.2 के सन्दर्भ में यह शंका की गई है कि परिलब्धियों के 50% के आधार पर पेंशन का आगणन करने की व्यवस्था के साथ 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने की शर्त लागू रहेगी अथवा नहीं।	उक्त पैरा 4.2 में यह आदेश जारी किये गये हैं कि पेंशन का आगणन 1-1-86 के पूर्व लागू स्लैब सिस्टम के बजाय औसत परिलब्धियों के 50% के आधार पर किया जायेगा। जिसका तात्पर्य है कि पेंशन के आगणन हेतु केवल स्लैब सिस्टम की व्यवस्था को ही संशोधित किया गया है तथा अन्य व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी। अतएव उपरोक्तानुसार परिलब्धियों के 50% के आधार पर आगणित धनराशि 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर ही देय होगी और उससे कम अर्हकारी सेवा होने पर उक्त धनराशि सेवा के अनुपात में ही निर्धारित की जायेगी।

वेद प्रकाश अग्रवाल
संयुक्त सचिव

प्र–1

4. पेंशन स्वीकृति आदेशों के प्रपत्र

शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद

माध्यमिक शिक्षा

पेंशन/उपदान/पेंशन का राशिकरण/पारिवारिक पेंशन के भुगतानादेश का अग्रसारण-पत्र

1—सम्बन्धित श्री/श्रीमती ....
अन्तिम पद तथा कार्यालय का पता ....

प्रेषक,

मुख्य लेखाधिकारी,
(राजकीय पेंशन सेल)
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद।

सेवा में,

.... (कोषाधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी)
....
....

पत्रांक ..../शिक्षा (राजकीय पेंशन सेल) .... दिनांक ....

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ उक्त कर्मचारी से सम्बन्धित निम्नलिखित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी)/पेंशन के राशिकरण की धनराशि का भुगतानादेश भेज रहा हूं—

1—पेंशन/पारिवारिक पेंशन

पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदेश संख्या	पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी का नाम	पारिवारिक पेंशन भोगी का पेंशन भोगी से संबंध	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर

2—उपदान (ग्रेच्युटी)

उपदान आदेश संख्या	उपदान भोगी का नाम	उपदान भोगी का पेंशन भोगी से संबंध	धनराशि (रु०)
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			
(6)			

3—पेंशन का राशिकरण

भुगतानादेश संख्या	राशिकरण मूल्य	राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन में कमी की धनराशि	पेंशन की धनराशि में कमी का दिनांक

4—यदि उक्त अधिकारी/कर्मचारी की अनन्तिम (प्राविजनल) पेंशन/उपदान/राशिकरण का भुगतान किया गया है तो उपर्युक्त भुगतान किये जाने के पूर्व अनन्तिम (प्राविजनल) पेंशन/उपदान/राशिकरण का समायोजन कर लिया जाय।

भवदीय,

( )

मुख्य लेखाधिकारी,
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०
इलाहाबाद।

पत्रांक ..../शिक्षा/राजकीय पेंशन सेल/ दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) ....

(पेंशन भोगी/उपदान भोगी का नाम तथा पूरा पता)

....

(2) ....

..............(कोषाधिकारी को यदि उपर्युक्त पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी को भेजा गया है अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी को यदि उपर्युक्त पत्र कोषाधिकारी को भेजा गया है)

(3) महालेखाकार (ए एवं ई)—11, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

( )
मुख्य लेखाधिकारी
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०
इलाहाबाद।

प्र–2

पेंशन भुगतान आदेश

संवितरक का भाग

सील

उत्तर प्रदेश सरकार को डेबिट हो

लेखा शीर्षक

266—पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

मतदेय भारित

संयुक्त फोटो

पेंशन भोगीका नाम
प्रथम भुगतान के समय पेंशन भोगी के हस्ताक्षर लेने के लिए स्थान

पेंशन का वर्ग और प्रारम्भ होने का दिनांक	मुंह या हाथ पर वैयक्तिक पहचान का निशान, यदि कोई हो	लम्बाई फुट इंच / मी० सेमी०	जन्म का दिनांक या अनुमानित दिनांक	निवास स्थान का पता गांव एवं डाकघर सहित	सेवा-निवृत्ति के दिनांक को परिलब्धियां	सेवा-निवृत्ति के दिनांक को अन्तिम मास की औसत परिलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7

सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	सेवा-निवृत्ति का दिनांक	अर्ह सेवा अवधि	पेंशन के राशिकरण के पूर्व मासिक पेंशन की धनराशि	राशिकृत की गई पेंशन की धनराशि	राशिकरण के कारण पेंशन में कमी का दिनांक	अवशेष मासिक पेंशन की धनराशि	समय-समय पर स्वीकृत वृद्धियों की धनराशि / दिनांक/वृद्धि	मासिक योग
8	9	10	11	12	13	14	15	16

पारिवारिक पेंशन :—श्री/श्रीमती.....................की मृत्यु के पश्चात् दिनांक............
तक रु०............एवं तत्पश्चात् रु०...............श्री/श्रीमती..................को
उसकी मृत्यु अथवा पुनर्विवाह के दिनांक तक जो भी पहले हो किया जाये।

मुख्य लेखाधिकारी

मास, जिसके लिए पेंशन देय है	भुगतान का दिनांक	संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	भुगतान का दिनांक	संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	भुगतान का दिनांक	संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
मार्च						
अप्रैल						
मई						
जून						
जुलाई						
अगस्त						
सितम्बर						
अक्तूबर						
नवम्बर						
दिसम्बर						
जनवरी						
फरवरी						

मास, जिसके लिए पेंशन देय है	भुगतान का दिनांक	संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	भुगतान का दिनांक	संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	भुगतान का दिनांक	संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
मार्च						
अप्रैल						
मई						
जून						
जुलाई						
अगस्त						
सितम्बर						
अक्तूबर						
नवम्बर						
दिसम्बर						
जनवरी						
फरवरी						

प्र–3

शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद

(माध्यमिक शिक्षा)

उपदान (ग्रेच्युटी) भुगतान आदेश

सम्बन्धित श्री/श्रीमती ....

अन्तिम पद व कार्यालय का पता ....

....

सम्बन्धित पी० पी० ओ० सं०

प्रेषक,

मुख्य लेखाधिकारी
(राजकीय पेंशन सेल) अनुभाग
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद।

सील

सेवा में,

.... (आहरण एवं वितरण अधिकारी)
....
....

पत्रांक-शिक्षा/रा०पें०सेल/ /8-8 दिनांक ....

महोदय,

निवेदन है, कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार उपदान (ग्रेच्युटी) का भुगतान करने की कृपा करें :

1—(क) उपदान भोगी का नाम ....

(ख) कर्मचारी से उसका सम्बन्ध ....
(यदि कर्मचारी स्वयं उपदान भोगी है तो सम्बन्ध इंगित करने की आवश्यकता नहीं है)

2—(क) उपदान भोगी की जन्म-तिथि ....

(ख) पिता/पति का नाम ....

(ग) पहचान के लिये निजी चिन्ह व ऊंचाई ....

3—उपदान भोगी का पूरा पता ग्राम, डाकघर एवं जिला ....

4—उपदान की स्वीकृत धनराशि (अंकों में) रु० ....

(शब्दों में) रु० ....

5—कटौतियां—

(अ) अनन्तिम उपदान के रूप में भुगतान की गयी धनराशि (शब्दों में) यदि ज्ञात हो । यदि स्वीकृतकर्ता अधिकारी को इसकी जानकारी न हो तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अनन्तिम उपदान का समायोजन करके भुगतान किया जाय ।) ....

(ब) अन्य रोकी गयी राशि (शब्दों में) रु० ....

6—भुगतान के लिए उपदान की शुद्ध धनराशि (अंकों में) रु० ....

(शब्दों में) ....

भवदीय,

(   )

मुख्य लेखाधिकारी

शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०

पृ० सं० शिक्षा/राजकीय पेंशन सेल/ दिनांक

प्रतिलिपि कोषाधिकारी...को सूचनार्थ प्रेषित ।

(   )

मुख्य लेखाधिकारी

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद

रेवेन्यू टिकट

भुगतान प्राप्त किया

(हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान)

नाम..............................

आहरण एवं वितरण अधिकारी का भुगतान आदेश—

कोषाधिकारी..............

कृपया रु० (अंकों में)..............

(शब्दों में)..............

का भुगतान करने का कष्ट करें ।

हस्ताक्षर (आहरण एवं वितरण अधिकारी)

लेखा शीर्षक— 2071—पेंशन एवं सेवा निवृत्ति लाभ—(पदनाम)
01—सिविल—102—पेंशनों का रूपांतरित (सील) मूल्य—
27—पेंशन/आनुतोषिक"

2071	01	102	00	00	27

कोषाधिकारी का भुगतान आदेश

एजेन्ट स्टेट बैंक आफ इण्डिया ....
कृपया रु० (अंकों में) ....
(शब्दों में) ....
का भुगतान करने का कष्ट करें ।

हस्ताक्षर (कोषाधिकारी)
(सील)

प्र–4

शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद

(माध्यमिक शिक्षा)

पेंशन के राशिकरण की धनराशि का भुगतान आदेश

प्रेषक,

मुख्य लेखाधिकारी,
(राजकीय पेंशन सेल) अनुभाग
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद

सील

सेवा में,

कोषाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी
....
....

पत्रांक : शिक्षा/राजकीय पेंशन सेल/ दिनांक :

विषय :—पेंशन का राशिकरण तथा घटी हुई दर से पेंशन का भुगतान ।

महोदय,

निवेदन है, कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार पेंशन के राशिकरण की धनराशि का भुगतान करें :—

1—पेंशन भोगी का नाम—श्री/श्रीमती ....

2—अन्तिम पद तथा कार्यालय ....

3—पेंशन भुगतान आदेश संख्या ....

4—मूल पेंशन की धनराशि ....

5—पेंशन का भाग जिसका राशिकरण ....
कराया गया है।

6—राशिकरण के मूल्य के रूप में स्वीकृत धनराशि (अंकों में) रु० ....
(शब्दों में) रु० ....

7—राशिकरण के कारण पेंशन की घटी हुई दर (अंकों में) रु० ....
(शब्दों में) ....

8—घटी हुई पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि ....

कृपया राशिकरण के कारण घटी हुई पेंशन की दर तथा उसकी लागू तिथि पी० पी० ओ० के दोनों भागों में अंकन करके हस्ताक्षर कर दें।

राशिकरण का मूल्य विलम्ब से भुगतान होने की दशा में राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन में राशिकृत भाग के बराबर कमी राशिकरण की धनराशि के भुगतान की वास्तविक तिथि अथवा इस भुगतान आदेश की तिथि के तीन महीने बाद, जो भी पहले हों, से की जायगी।

भवदीय,

( )

मुख्य लेखाधिकारी
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०
इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या— दिनांक

(1) प्रतिलिपि पेंशन भोगी (नाम व पूरा पता) श्री/श्रीमती ....
.... को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि इस पत्र के साथ उक्त अधिकारी से सम्पर्क करें।

(2) आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी ....

( )

मुख्य लेखाधिकारी
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०
इलाहाबाद

भुगतान प्राप्त किया
(हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान)

रेवेन्यू टिकट

नाम ....

आहरण एवं वितरण अधिकारी का भुगतान आदेश ....
कोषाधिकारी ....

कृपया रु० (अंकों में) ....

(शब्दों में) .... मात्र।

का भुगतान करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर (आहरण एवं वितरण अधिकारी

(पद नाम)

लेखा शीर्षक—

"2071—पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ—

01—सिविल—102—पेंशनों का रूपांतरित मूल्य —

27—पेंशन/आनुतोषिक"

2071	01	102	00	00	27

कोषाधिकारी का भुगतान आदेश

एजेन्ट, स्टेट बैंक आफ इण्डिया ....

कृपया रु० (अंकों में) ....

(शब्दों में) ....

का भुगतान करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर कोषाधिकारी

(सील)

अध्याय–2

1. पेंशन निस्तारण का समयबद्ध कार्यक्रम

> यह कैसे सम्भव हो कि एक राजकीय सेवक जो कि अपनी सेवा निवृत्ति की आयु पर सेवा निवृत्त होने पर जिस माह का कार्य वेतन अथवा अवकाश वेतन आहरित किया है उसके दूसरे माह की प्रथम तिथि को अपनी पेंशन प्राप्त कर सके।

इस विषय पर एक समयबद्ध कार्य किये जाने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अनुसार सभी कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से कार्यवाही किये जाने की पद्धति निम्नवत् उल्लिखित है जिसका भलीभांति अनुसरण करने पर ही निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव हो सकती है :—

आयु		कार्य जो पूर्ण किया जाय
उच्च श्रेणी कर्मचारी/निम्न श्रेणी कर्मचारी		
1—50 वर्ष	55 वर्ष	कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करना कि उसके पूर्व की सेवा अवधि के संबंध में कोई बकाया आदि तो नहीं है। ताकि सेवा निवृत्ति के पांच वर्ष पूर्व का अदेय प्रमाण पत्र दिया जाना तत्काल सम्भव हो सके। राजपत्रित अधिकारी के मामले में यह कार्यवाही उसके अगले उच्च अधिकारी द्वारा किया जायगा।
2—52 वर्ष	57 वर्ष	सेवा पुस्तिका/सेवा रोल की भली प्रकार जांच करना। विशेष रूप से यह देख लिया जाय कि संबंधित सेवक की पूरी पूरी सेवाएं सत्यापित की गई हैं और उसके संबंध में वांछित प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका में यथा स्थान उल्लिखित है। संबंधित सेवक के स्थायीकरण किये जाने का स्पष्ट उल्लेख सेवा पुस्तिका में किया गया है। निलंबन व सेवा में बहाली के आदेश आदि यदि कोई हो तो उसका उल्लेख तथा क्या उक्त अवधि पेंशन हेतु गणना की जानी है, इसके संबंध में स्पष्ट उल्लेख सेवा पंजिका/रोल में किया गया है। बिना वेतन के असाधारण अवकाश अवधि के संबंध में भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका प्रकार क्या रहा है। अर्थात् क्या उक्त अवधि का अवकाश चिकित्सीय कारणों से तो नहीं लिया गया. अन्यथा जांचोपरान्त स्थिति स्पष्ट करके उसका उल्लेख अवश्य कर दिया जाना चाहिए।

इस आयु के पश्चात सेवा पुस्तिका को स्थानान्तरण के अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में अन्य कार्यालयों में न भेजी जाय। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की प्रति संबंधित कर्मचारी से कराकर तैयार करा लिया जाय और अन्य प्रयोजन हेतु जैसे एरियर बिल के भुगतान, अवकाश आदि के निर्णय तथा अन्य अवशेष क्लेम के निस्तारण हेतु इसी सेवा विवरण का प्रयोग किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय।

3—53½ वर्ष 58½ वर्ष

इस अवधि में पेंशन संबंधित निम्न प्रारम्भिक अभिलेख तैयार करा कर पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी की सेवा निवृत्ति के 6 माह पूर्व उपलब्ध करा दिया जाय।

यह कार्यवाही सेवा निवृत्ति के 8 माह पूर्व से प्रारम्भ करके दो माह में अवश्य पूर्ण कर ली जाय, ताकि सेवा निवृत्ति के 6 माह पूर्व अनिवार्य रूप से निम्न कागजात पेंशन स्वीकृत अधिकारी को उपलब्ध करा दिये जायं।

यदि किन्हीं कारणों से सेवा का सत्यापन या अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कराने में असमर्थता हो तो असत्यापित सेवा के लिए सम्बन्धित कर्मचारी से शपथ-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था राजाज्ञा सं० सा-3-1998/दस-932-80 दिनांक 16-1-81 द्वारा की गई है, जिसका पालन सुनिश्चित कर लिया जाय। इसका प्रारूप भी सुलभ संदर्भ हेतु दिया जा रहा है।

1—सेवा विवरण।

2—अवकाश लेखा।

3—सेवा पुस्तिका/सेवा रोल। उसमें अंत में आहरण एवं वितरण अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करायें कि "संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की जांच कर ली गयी है और उसे अद्यावधि पूर्ण कर लिया गया है।" यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कर्मचारी के स्थायी होने की स्थिति में वांछित प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में उल्लिखित की गयी है।

सेवा निवृत्ति के एक सप्ताह के भीतर पेंशन संबंधित कागजात के प्रेषण के पश्चात

सभी अंतिम पेंशन कागजात जैसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, अवशेष अवधि का सेवा सत्यापन प्रमाण-पत्र।

शिक्षा निदेशालय के पेंशन अनुभाग के प्राप्त संदर्भों का उत्तर अविलम्ब भेजा जाय।

उपर्युक्त की भांति मृत्यु, अशक्तता, सेवा निवृत्ति के पेंशन मामलों में एक पक्ष में सभी कार्यवाही वरीयता के आधार पर पूर्ण करके उनके समस्त क्लेम का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय।

यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पेंशन से संबंधित कागजात पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को भेजे गये हैं :—

2. पेंशन सम्बन्धी पत्रजातों का विवरण

सेवा निवृत्ति तथा (मृत्यु के अलावा) अन्य के मामलें में :—

1—25 सी० एस० आर० ।

2—आहरण/वितरण अधिकारी का प्रमाण पत्र कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं चल रही है ।

3—फार्म ए ट्रेजरी फार्म 326 ए ।

4—फार्म 30 सी० एस० आर० में प्रार्थना-पत्र ।

5—अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान के समस्त आदेशों की प्रतियां । यदि अनन्तिम भुगतान नहीं हुआ है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें ।

6—फार्म (ई) पारिवारिक पेंशन का नामांकन ।

7—अशक्तता प्रमाण पत्र यदि अशक्तता पेंशन की प्रार्थना की गई हो ।

8—सेवा पुस्तिका/रोल ।

9—अदेय प्रमाण पत्र ।

10—अंतिम वेतन प्रमाण पत्र ।

11—पति/पत्नी के संयुक्त पासपोर्ट आकार की फोटो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित तीन प्रतियों में ।

12—दो प्रतियों में नमूने के हस्ताक्षर जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों । प्रत्येक प्रति में तीन हस्ताक्षर किये जाने चाहिए । यदि सरकारी कर्मचारी अथवा उसका पति/पत्नी हिन्दी, अंग्रेजी या उर्दू में हस्ताक्षर नहीं कर सकता हो तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान भेजने होंगे ।

13—परिवार का विवरण ।

14—यदि पेंशन का राशिकरण पेंशन स्वीकृति के साथ अपेक्षित हो तो उसका उल्लेख कर्मचारी द्वारा प्रपत्र 25 सी० एस० आर० में किया जाय । अन्यथा पी० पी० ओ० जारी होने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर बिना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं तदुपरान्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र भेजना अनिवार्य होगा ।

मृत्यु प्रकरण यदि पेंशनर जीवित नहीं है :—

1—फार्म 25 सी० एस० आर० ।

2—मृत्यु प्रमाण पत्र ।

3—फार्म एच ।

4—परिशिष्ट–3 पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना पत्र ।

5—सेवा पुस्तिका/सेवा रोल ।

6—अंतिम वेतन प्रमाण पत्र ।

7—अदेय प्रमाण पत्र

8—प्रत्येक वयस्क नामित व्यक्ति के पासपोर्ट आकार की फोटो की तीन प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं तीन प्रतियों में नमूने के हस्ताक्षर (प्रत्येक प्रति में तीन हस्ताक्षर) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित ।

9—नामित वयस्क व्यक्ति/लाभग्राही के हिन्दी/अंग्रेजी या उर्दू में हस्ताक्षर न कर सकने पर राजपत्रित अधिकारी, द्वारा प्रमाणित अँगूठे तथा अँगुलियों के निशान।

10—परिवार का विवरण।

11—आनुतोषिक नामांकन पत्र ए०, बी०, सी०, डी० फार्म में, जो भी लागू हो।

3. पेंशन आगणन हेतु ध्यान देने योग्य सावधानियां

शासनादेश संख्या सा०-3–1168/दस-935-87, दिनांक 22 जून, 1987 के अन्तर्गत 1-1-86 से सेवा निवृत्त/मृतक राज्य कर्मचारियों के पेंशन के मामले निम्नवत निस्तारित होने हैं :—

1—पेंशन गणना में मूल वेतन वि० ह० पु० खण्ड-II भाग-2 से 4 के मूल नियम 9.21 के अनुसार व 1-1-86 का महंगाई भत्ता, तदर्थ महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की निम्नांकित धनराशियां परिलब्धियों में जोड़ी जानी है :—

1-1-86 का महंगाई भत्ता

1—675 रुपये तक वेतन का 84% अधिकतम 560 रुपये तक।

2—676 रुपये से 1500 तक 70% कम से कम 560 रुपये तक।

3—1501 रुपये से 2799 तक 1080 रुपये।

4—2800 रुपये से 2999 तक 1380 रुपये।

5—3000 और अधिक पर 1800 रुपये।

तदर्थ महंगाई भत्ता

वेतन	1-9-85	1-4-86
2050	3.00	3.00
2175	41.00	41.50
2200	101.40	108.60
2275	138.00	150.00
2300	151.90	165.90
2400	236.40	258.10
2500	319.80	347.30
2600	410.40	444.10
2700	519.10	560.40
2800	600.00	600.00
2900	600.00	600.00
3000	600.00	600.00

अन्तरिम सहायता

प्रथम किश्त—1-9-86 से देय 15% की दर से जिसकी न्यूनतम धनराशि रुपया 80 अधिकतम 350 रुपया।

द्वितीय किश्त—1-6-87 से अनुमन्य 10% की दर से जिसका न्यूनतम 60 रुपया व अधिकतम 225 रुपये।

तृतीय किश्त—1-9-87 से अनुमन्य 7% की दर से जिसका न्यूनतम 46.50 रुपया व अधिकतम 150 रुपये होगा।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन, राशिकरण की गणना हेतु सेवा निवृत्ति के पिछले दस मासों के औसत के आधार पर गणना किये जाने का प्राविधान है।

पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नवत् हैं :--

मूल वेतन	देय पारिवारिक पेंशन
1--1,500 रु० से अनधिक	मूल वेतन का 30%
2--1,500 से अधिक किन्तु 3,000 रु० से अनधिक	मूल वेतन का 20% जिसका न्यूनतम 450 रुपये प्रति माह होगा।
3--3,000 से अधिक	मूल वेतन का 15% जिसका न्यूनतम 600 रु० तथा अधिकतम 1,250 रु० होगा।

यह भी ध्यान दिया जाय कि सेवा निवृत्त अथवा मृत्यु की स्थिति में पेंशनर की पारिवारिक पेंशन सात वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि तक अनुमन्य धनराशि का दूना अथवा मूल वेतन का आधा जो कि अनुमन्य पेंशन से अधिक न हो, देये होती है। तत्पश्चात् सामान्य दर पर ही पारिवारिक पेंशन देय होगी।

चूंकि शिक्षा विभाग में कुछ एक कर्मचारी सेवा विस्तरण 30 जून तक की सुविधा पाने की पात्रता में आते हैं अस्तु उनकी उपरोक्त सात वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु की अवधि की अनुमन्यता देये के समय जन्म तिथि से जोड़ी जायेगी। पारिवारिक पेंशन संबंधित कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आगणन पर अनुमन्य होती है।

राशिकरण की गणना में अधिकतम धनराशि अनुमन्य पेंशन की 1/3 धनराशि से अधिक देय नहीं होती है।

पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन पूर्णांक रुपये में तथा ग्रेच्युटी व राशिकरण रुपये और पैसे में देय है।

डेथ-कम-रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी

वर्तमान में अनुमन्य डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के स्थान पर रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी तथा डेथ ग्रेच्युटी के अलग-अलग प्राविधान किये गये हैं। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी तथा जिसका अधिकतम परिलब्धियों के $16\frac{1}{2}$ गुने के बराबर होगा, अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि रुपया एक लाख से अधिक नहीं होगी। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के आगणन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी।

सेवारत मृत्यु होने की दशा में डेथ ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दरें निम्नवत् होंगी :--

सेवा अवधि	डेथ ग्रेच्युटी की दर
1--एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना।
2--एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम।	परिलब्धियों का 6 गुना।
3--5 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम।	परिलब्धियों का 12 गुना।
4--20 वर्ष या उससे अधिक।	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर होगी, अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि ग्रेच्युटी की धनराशि किसी भी दशा में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी। तीन महीने या उससे अधिक की अवधि एक छमाही, 9 महीने व उससे ऊपर की अवधि एक वर्ष मान्य है। पेंशन का आगणन 1-1-86 से परिलब्धियों के 50% के आधार पर किया जायगा और उसका अधिकतम 4500 रुपया होगा।

4. राजकीय कर्मचारी के सेवारत मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति पर प्राप्त होने वाली सुविधाएँ :—

(क) सेवा निवृत्ति पर

(1) अधिवर्षता पेंशन।
(2) आनुतोषिक (ग्रेच्युटी)।
(3) पेंशन का राशिकरण।
(4) सामूहिक जीवन बीमा में जमा अपनी बचत निधि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित।
(5) सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि 90% विभागाध्यक्ष के आदेश एवं 10% महालेखाकार के आदेश पर एवं उस पर बोनस की राशि।
(6) पेंशनरों की मृत्यु पर परिवार को पारिवारिक पेंशन।
(7) अर्जित अवकाश के बदले वेतन नकदीकरण (180 दिन की सीमा तक)।
(8) अवकाश ग्रहण करने पर अपने पैतृक आवास या जहां बसना चाहे वहां तक जाने का यात्रा भत्ता।
(9) सेवा निवृत्ति पर स्वयं या आश्रित परिवार सदस्य को चिकित्सीय संस्तुति पर किसी अन्य नगर में चिकित्सा हेतु जाने पर रेल/बस भाड़ा।

(ख) सेवारत मृत्यु पर (परिवार को)

(1) पारिवारिक पेंशन।
(2) आनुतोषिक (ग्रेच्युटी)।
(3) सामूहिक जीवन बीमा की बीमाकृत राशि

चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी	रु० 25,000/-
समूह (ख) के अधिकारी	रु० 40,000/-
समूह (क) के अधिकारी	रु० 80,000/-

एवं बचत निधि में जमा धनराशि पर 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर पूर्ण धनराशि।
(4) सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि एवं उस पर बोनस की राशि।
(5) सामान्य भविष्य निधि से सम्बद्ध बीमा की धनराशि।
(6) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति पर शासन के अनुकम्पा कोष से सहायता रुपया 5,000 तक।
(7) तत्काल सहायता योजनान्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सहायता अग्रिम रु० 1,000/- तक।
(8) आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) के विलम्ब से भुगतान किये जाने की दशा में ब्याज का भुगतान।
(9) अवशेष उपार्जित अवकाश के बदले वेतन का नकदीकरण।
(10) आश्रितों में से किसी एक को राजकीय सेवा में (लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत आने वाले पदों से भिन्न) तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति।

5. सम्बन्धित राजाज्ञाएं

संख्या सा—3—1998/दस-932-80

प्रेषक,

श्री आर० के० दर,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 16 जनवरी, 1981

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषय—पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन पत्रों के साथ अथवा सरकारी सेवक की सेवा निवृत्ति के पश्चात् अदेय प्रमाण-पत्र (नो डिमाण्ड सार्टीफिकेट) महालेखाकार को भेजा जाता है। इसके अभाव में पेंशन एवं आनुतोषिक के भुगतानादेश निर्गत करने में विलम्ब होता है। यह प्रमाण-पत्र कितनी अवधि का एकत्र किया जाय इसके बारे में अभी तक कोई आदेश नहीं हैं। पूरी सेवा का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विलम्ब होता है और फलस्वरूप सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी को आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि अदेय प्रमाण-पत्र सेवा के अन्तिम 5 वर्ष की सेवा की छान-बीन के आधार पर जारी कर दिया जाना चाहिये यदि अन्यथा इस बात की जानकारी हो कि 5 वर्ष से पहले की अवधि में संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई शासकीय देय है, तो पांच वर्ष से पहले के अभिलेखों की भी जांच की जानी चाहिये और देय धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। 5 वर्ष की सेवा की छानबीन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उन सभी कार्यालयों, जहां संबंधित सरकारी सेवक ने कार्य किया हो, से अदेयता के विषय में पूछताछ करेंगे तथा यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित कार्यालयों से उत्तर नहीं आता है तो मान लेंगे कि सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई राशि देय नहीं है और यदि बाद में कोई देय ज्ञात होते हैं तो उसके लिये संबंधित अधिकारियों को दोषी ठहराया जायेगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी सेवकों से जिनके संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र न मिल पाये इस आशय का एक बन्ध-पत्र (संलग्नक-1) भी भरवा लिया जाय कि यदि सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष के अन्दर उनके विरुद्ध कोई देय निकलते हैं तो उनकी वसूली उनसे कर ली जायेगी। यदि सरकारी सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाय तो उसके उत्तराधिकारियों से इसी आशय का बन्ध-पत्र (संलग्नक-2) भरवा लिया जाय। इन बन्ध-पत्रों पर देय स्टैम्प ड्यूटी शासन द्वारा वहन की जायेगी।

2. इस प्रसंग में यह इंगित किया जाना हैं कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति तथा समय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शा० आ० सं० सा-3-2085/दस-907/76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में समस्त कार्यवाहियों

की समय-सारिणी निर्धारित की गई है जिसके अनुसार पेंशन संबंधी कागजों पर कार्यवाही सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पहले प्रारम्भ किया जाना अपेक्षित है। तभी से विभागाध्यक्ष, अधिकारियों आदि द्वारा बकाया देय रकमों का पता लगाने अथवा निर्धारण करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये। उसी प्रकार मदों के विषय में अदेय प्रमाण-पत्रों के लिये छानबीन भी दो वर्ष पूर्व आरम्भ कर दी जानी चाहिये और सेवा निवृत्त होने से पहले सारी कार्यवाही पूरी कर ली जानी चाहिये। यदि सतर्कता विभाग से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो उसके लिये भी कम से कम सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले संदर्भ किया जाय।

3. कुछ सरकारी सेवकों के मामलों में पूर्ण सेवा का सत्यापन नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 915(सी) के अनुसार संबंधित कर्मचारी से एक लिखित बयान तथा घोषणा पत्र लेना होता है और उन्हें उसके समर्थन में सेवा अभिलेख तथा वह सारी सूचनायें, जो वह देने में समर्थ हो, भी देनी होती हैं। समय बीतने पर सरकारी सेवक के लिये ये सभी अभिलेख उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि असत्यापित सेवा के संबंध में सरकारी सेवक से एक शपथ-पत्र (ऐफिडेविट) जिसका प्रारूप संलग्न है (संलग्नक–3) प्राप्त कर उस भाग की पेंशन के प्रयोजन के लिये अर्ह सेवा मान लिया जायेगा। उक्त अनुच्छेद 915(सी) को इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा और औपचारिक संशोधन यथा समय बाद में किया जायगा।

4. उपर्युक्त आदेश 1 जनवरी 1981 से लागू होंगे किन्तु यदि उपर्युक्त कारणों से कोई लम्बित प्रकरण उक्त तिथि को अनिर्णीत हैं तो उनका भी निस्तारण इस आदेश के प्रकाश में कर दिया जायेगा।

भवदीय,
आर० के० बर,
सचिव

संलग्नक—1

This deed of indemnity is made on the.....................day of.............19 corresponding to Saka Samvat the.........................day of..................19 By Sri......................S/o.. Resident of..............................(Bounden) IN FAVOUR OF the Governor of Uttar Pradesh (called "the Governor")..........

Whereas—

1—The Bounden above named was/is in the service of the Government of Uttar Pradesh (called "the Government") as....................................(designation) in.....................................(name of office)...............................

2—The Bounden above named has retired/is due for retirement on...................

3—A 'No demand certificate' is required to be issued in favour of the Bounden by.... ....before sanction of pension, gratuity etc. to the Bounden but the said certificate could not be issued so far and the scrutiny of records for that purpose is likely to take further time.

4—The Government is willing to sanction pension and gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnity and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys found due against the Bounden within a period of two years from the date of retirement of the Bounden.

Now this deed witnesses—

1—In consideration of Government agreeing to sanction pension and gratuity etc. to the Bounden before issue of 'No demand certificate' in his favour, the Bounden hereby covenants with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be discovered, within a period of two years from the date of retirement of the Bounden, to be due against him;

2—Any amount due under this deed may, on the certificate of...................... which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from him as arrears of land revenue.

In Witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witnesses

Signed by

Bounden

1. ....

....
Address

2. ....

....
Address

संलग्नक—2

This Deed of Indemnity is made on the.................day of.................19 ....corresponding to Saka Samvat the...............day of ....19 ..By (1) Srimati/Sri...................................W/o, s/o late Sri............................r/o.......................(Bounden I)*[and (2) II] Sri......................s/o............................r/o..............(Bounden jointly called the "Boundens") IN FAVOUR OF THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (called "the Governor).

Whereas—

1. Late Sri............................was in the service of the Government of Uttar Pradesh (called the "Government") as........................(designation) in........... ....(Name of office).

2. Late Sri................................(called "deceased") died on............ and family pension and death-*cum*-retirement gratuity is to be sanctioned to his family.

3. Bounden I is the...................................(relationship with deceased) *[and Bounden II is the........................(relationship with deceased)] and is/are entitled to the family pension and gratuity.

4. A 'No demand certificate' is required to be issued in regrard to the deceased by...... ....before sanction of family pension, gratuity etc. to the Bounden, but the said certificate could not be issued so far and scrutiny of records for that purpose is likely to take further time.

5. The Government is willing to sanction family pension and gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnify and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys found due against the deceased within a period of two-years from the date of his death.

Now this deed witnesses that—

1. In consideration of Government agreeing to sanction family pension and gratuity etc. to the Bounden before issue of 'No demand certificate' the Bounden hereby covenants if necessary, [Jointly and severally covenant] with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be descovered to be due against the deceased within a period of two years from the date of his death, subject to a maximum of the amount of gratuity and family pension paid to the Bounden.

2. Any amount due under this deed may on the certificate of....................... ....which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from her/him/them as arrears of land revenue.

In witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has/have signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witnesses   Signed

1. ....

....   Bounden I

Address

2. ....

....   Bounden II

Address

---

*If necessary.

संलग्नक–3

पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर निम्नलिखित शपथ-पत्र दिया जाय (इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 की अनुसूची 1-बी के आर्टिकिल 4 के अनुसार स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है)।

शपथ-पत्र

मैं .... आत्मज श्री ....
जो .... (पदनाम) पर/से ....
.... (कार्यालय का नाम) कार्यरत हूं/दिनांक ....
को सेवानिवृत्त हो चुका हूं, शपथपूर्वक घोषित करता हूं :—

(1) कि शपथी ने निम्नलिखित अवधि/अवधियों में उनके सम्मुख उल्लिखित कार्यालय/कार्यालयों में तथा पद/पदों पर राजकीय सेवा की है :—

सेवा अवधि	कार्यालय का नाम	पदनाम

(2) शपथी को बताया गया है कि उसके द्वारा की गई उपर्युक्त सेवा/सेवाओं के सम्बन्ध में शपथी की सेवा पुस्तिका में सत्यापन उपलब्ध नहीं है।

*(3) कि उपर्युक्त सेवा अवधियों में कोई व्यवधान सेवा से त्याग-पत्र देने, बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण नहीं हुआ है/हुए हैं।

शपथी

मैं .... (शपथी) घोषित करता हूं कि उपर्युक्त शपथ पत्र के अनुच्छेद (1) तथा (2) तथा* (3) का कथन मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य है और कोई भी आवश्यक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आज दिनांक .... को .... (स्थान का नाम) शपथी द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रमाणित।

शपथी

---

*व्यवधान न होने की दशा में काट दिया जाय।

Try. Form No. 326

प्र-5

6. पेन्शन सम्बन्धी अपेक्षित प्रपत्र

Form No. 25—C. S. R.

[Articles 911, 912 (f) 915, 916, 917, 919, 920 and 921]

FIRST PAGE

FORM FOR THE PENSION AND GRATUITY

(To be sent in duplicate if payment is desired in different audit circle)

1. Name of Government servant.

2. Father's name (and also husband's name in the case of married woman Government servant)

3. Religion and nationality.

4. Permanent residential address showing village/town, district and State.

5. Present or last appointment, including name of establishment—
   (i) Substantive.
   (ii) Officiating, if any.

6. Class of pension or service gratuity applied for and cause of application.

7. Pension Rules opted/eligible.

8. Government under which service has been rendered (in order of employment).

9. Period of service qualifying for pension—
   (a) Period of Civil Service.
   (b) Period of War/Military Service.
   (c) Amount and nature of any pension/gratuity received from Military service.
   (d) Amount and nature of any pension/gratuity received for Civil Service.

10. (a) Average emoluments.

(b) Emoluments for gratuity.

11. Pay as defined in F. R. 9 (21).

12. Proposed pension/gratuity.

13. Proposed death-*cum*-retirement gratuity.

14. Whether the New Family Pension Scheme, 1965, is applicable, if so amount of lifetime family pension becoming payable to the entitled members of the family of the Government servant in the event of his/her death.

15. Date from which pension is to commence.

16. Place of payment of—

(a) Pension/gratuity (Treasury/Sub-Treasury).

(b) Death-*cum*-retirement gratuity (Treasury/Sub-Treasury/Head of the Office).

NOTE—Non-Gazetted retiring Government servants can opt for receiving the entire amount of death-cum-retirement gratuity through the Head of Department.

17. Whether nomination made for—

(i) Family Pension under the U. P. Liberalised Pension Rules, 1961, U. P. Retirement Benefits Rules, 1961, if applicable.

(ii) Death-*cum*-retirement gratuity.

18. Whether Government servant has paid all the Government dues (see Section IV of Chapter XLVII).

19. Date of birth by Christian era of—

(i) Government servants.

(ii) Government servant's wife/husband.

20. Height.

21. Identification marks.

*22. Thumb and finger impressions.

Thumb Fore finger Middle finger

Ring finger Little finger

(i) of Government servant.
(ii) of Government servant's wife/husband.

23. Date on which the Government servant applied for pension in Form 30.

Signature of the Head of Department

(Audit officer)**

*Persons who are literate enough to sign their names in English; Hindi or the Official Regional language are exempted from recording their left hand thumb and finger impressions.
**In case of gazetted Government servants only.

FIRST PAGE—**(Concluded)**

SECOND PAGE

Details of service of Sri/Srimati/Kumari.............................
Date of birth.......................

Section I

Establishment	Appointment	Officiating/ substantive	Date of beginning	Date of ending	Period reckoning as service			Period not reckoning as service		Remarks by the Audit Officer
1	2	3	4	5	6			7		8
				Year	month	days		Year	month	days

Total period of service..............

NOTE—Date of commencement and date of ending of each period of military service if any should also be indicated in the Section.

Section II

Emoluments drawn during the last three* years

Post held	From	To	Pay	Personal/Special Pay

Average emoluments

*In a case where the last three years include some period not to be reckoned for calculating average emoluments an equal period backwards has to be taken for calculating the average emoluments.

Section III

Period (s) of non-qualifying service.

1. Interruption (s) from to

2. Extraordinary leave not qualifying for pension.

3. Period of suspension not treated as qualifying.

4. Any other service not treated as qualifying.

Total

Section IV

Period of service not verified with reference to Acquittance Rolls.

Whether the above period verified in accordance with the provisions of Article 915(a) and if not whether the necessity of verification of the aforesaid period of service dispensed with under orders of the appropriate authority.

SECOND PAGE—**(Concluded)**

THIRD PAGE

(A) Audit Enfacement

1. Total period of qualifying service which has been accepted for the grant of superannuation / retiring / invalid / compensation pension/gratuity with reasons for disallowance, if any (other than disallowaces indicated in Second Page).

Note—Service for the period commencing from..............and up to the date of retirement has not yet been verified; this should be done before the pension payment order is issued.

2. Amount of superannuation/retiring/invalid/compensation pension/gratuity that has been admitted.

3. Amount of superannuation/retiring/invalid/compensation pension/gratuity, admissible after taking into account reduction, if any, in pension and gratuity made by the authority sanctioning pension.

4. Total period of qualifying service which has been approved for the grant of special additional pension.

5. The amount of special additional pension, if any, admitted under the rules.

6. The date from which the special additional pension is admissible.

7. The date from which the superannuation/retiring/invalid/compensation pension/gratuity is admissible.

8. Head of account to which the superannuation/retiring/invalid/compensation and special additional pension / gratuity is chargeable.

9. The amount of life-time family pension becoming payable to the entitled members of family in the event of death of the Government servant after retirement.

Account Officer

Assistant Accountant General

Back of the Third Page

1. Date of submission of pension application by the Government servant.

2. Name of Government servant.

3. Class of pension or gratuity.

4. Sanctioning authority.

5. Amount of pension sanctioned.

6. Amount of gratuity sanctioned.

7. Date of commencement of pension.

8. Date of sanction.

9. Amount of Family Pension admissible in the event of death of pensioner.

10. Amount to be recovered from the death-*cum*-retirement gratuity under the New Family Pension Scheme, 1965.

11. Government dues heldover from the gratuity.

THIRD PAGE—**(Concluded)**

FOURTH PAGE

Instructions

Calculation of average emoluments.

1. The calculation of average emoluments mentioned at item 10 of the first page should be based on the actual number of days contained in each month.

Compensation pension or gratuity.

2. (a) If the application is for a compensation pension or gratuity, the particulars of the savings effected should be duly stated against item 6 of the first page.

   (b) State why employment was not found elsewhere.

History of service.

3. (a) Give date, month and year of the various appointments, promotions and cessations. For the purpose of adding towards broken periods, a month is reckoned as thirty days.

   (b) All periods not reckoned as service should be distinguished and reasons for their exclusions given in the remarks column.

Identification marks.

4. Specify a few conspicuous marks, not less than two, if possible.

Name.

5. When initials or name of Government servant are incorrectly given in the various records consulted, mention this fact in the letter forwarding the pension papers to avoid unnecessary references from the Audit Officer.

Date of retirement.

6. Shown in the Service Book, and the Last Pay Certificate.

Reinstatement.

7. In the case of an officer who has been reinstated after having been suspended, compulsorily retired, removed or dismissed, brief statement leading to his reinstatement should be appended.

Alterations. 8. Make in red ink under dated initials of Gazetted Government servant.

Calendar month. 9. The following examples show how a period stated in calendar months should be calculated.

Examples

A period of six calendar months

beginning on the—	ends on the—
28 February	27th August
31st March or 1st April	30th September
29th August	28th February
30th August or 1st September.	last day of February.

A period of three calendar months

beginning on the—	ends on the—
29th November	28th February
30 November or 1st December.	Last day of February.

FOURTH PAGE—**(Concluded)**

प्र–6

अनुशासनात्मक कार्यवाही चलने/न चलने संबंधी सूचनाएं

आहरण वितरण अधिकारी के प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.......................................
पद ....कार्यालय.......................................
दिनांक ....को सेवा निवृत्त हो चुके हैं/चुकी हैं/होंगे/होंगी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/न्यायिक/प्रशासनाधिकरण जांच की कार्यवाही चल रही है/नहीं चल रही है ।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

नोट :—यदि संबंधित पेंशनर के मामले में उपरोक्त प्रकार की कोई कार्यवाही चल रही हो तो विस्तृत उल्लेख किया जाय ।

Try Form No. 326-A.

FORM "A"

(To be signed by the retiring Government Servant)

Whereas the................(there the state the designation of the officer sanctioning the pension/gratuity and death-cum-retirement gratuity) has consented to grant the sum of Rs..................per month as the amount of my pension with effect from............ and the sum of Rs.......................as the amount of my gratuity/death-cum-retirement gratuity. I hereby acknowledge that in accepting the said amount(s). I fully understand that the pension/gratuity, death-cum-retirement gratuity is subject to revision on the same being found to be in excess of that to which I am entitled under the rules, and I promise to base no objection to such revision. I further promise to refund any amount paid to me in excess of that to which I may be eventually found entitled.

Signature of the Government Servant.

1. Signature, address and occupation of witness—

   (i) ....

   (ii) ....

   (iii) ....

   (iv) ....

2. Signature, address and occupation of witness—

   (i) ....

   (ii) ....

   (iii) ....

   (iv) ....

The declaration should be witnessed by two persons of respectability in the town, village or pargana in which the applicant resides.

FORM (A)-30

FORMAL APPLICATION FOR PENSION

To,

....

....

....

Subject :—Application for sanction of pension.

Sir,

I beg to say that I am due to retire/have retired from service with effect from the...... ....my date of birth being................I, therefore, request that steps may kindly be taken with a view to the pension and gratuity, admissible to me, being sanctioned by the date of my retirement. I, desire to draw my pension from...............Treasury.

2. I hereby declare that I have neither applied for, nor received any pension or gratuity in respect of any portion of the service, qualifying for this pension and in respect of which pension and/or gratuity is claimed herein nor shall submit an application hereafter without quoting a reference to this application and the order which may be passed herein.

3. I enclose herewith—

(i) Three copies of joint photograph with my wife duly attested.

(ii) Three copies sets of specimen signature of mine duly attested.

(iii) Three slips each bearing my left hand thumb and finger impressions. (In case of illeterate Government servant)

(iv) Declaration on form 'A'

(v) Declaration for provisional pension and gratuity.

(vi) List of family members.

(vii) My address after retirement would be as given below:

Yours faithfully,

Address :

Signature ....

.... Designation ....

.... Date ....

Article 930 (C S R)

A part from special orders, a pension, other than wound or extra ordinary pension under part VI, is payable from the date on which the pensioner caused to be borne on the establishment or from the date of his application, whichever is later. The object of this letter alternative is to prevent unnecessary delay in your submission of application. The rule may be relaxed, in this particular, by the authority sanctioning the pension when the delay is sufficiently explained.

प्र–9

Draft of office order for the sanction of provisional gratuity & pension

कार्यालय..

संख्या...............   दिनांक..................

शासनादेश संख्या सा-3-2085/दस-907/76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में निर्गत आदेशों के अन्तर्गत निम्नांकित अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :—

1—सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी का नाम..................................

2—(क) अन्तिम पद..

(ख) कार्यालय का नाम जहां से सेवा निवृत्त हुआ..............................

3—(क) सेवा निवृत्ति की किस्म..

(ख) सेवा निवृत्ति का दिनांक..

4—ट्रेजरी का नाम जहां से अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी का आहरण किया जायगा..

5—ट्रेजरी का नाम जहां से अन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी का आहरण किया जायगा—

(क) पेंशन..

(ख) ग्रेच्युटी..

6—(क) अनन्तिम पेंशन की धनराशि (शब्दों तथा अंकों में)........................

(ख) अवधि जिसके लिये अनन्तिम पेंशन..........से..........तक स्वीकृत की गई।

7—अनन्तिम डी० सी० आर० ग्रेच्युटी की स्वीकृत की गई धनराशि रु०..............
(शब्दों तथा अंकों में)..............

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी का पदनाम

संख्या .... दिनांक..............................

(1) एक प्रति महालेखाकार (तृतीय), उत्तर प्रदेश पेंशन, आडिट विभाग, इलाहाबाद 211001 (पी० बी० सं०-113) को प्रेषित।

(2) दो प्रतियां (कार्यालयाध्यक्ष का पद नाम तथा पता)..............................
....
को प्रेषित।

(3) एक प्रति उस कोषाधिकारी को प्रेषित जहां से अनन्तिम पेंशन आहरित की जायगी ....

(जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम)

FORM-E

Hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family, to receive in the order shown below the family pension which may be granted by Government in the event of my death after completion of 10 years qualifying service :

Name and address of nominee	Relationship with Officer	Age	Whether married or unmarried

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on.................................. which stands cancelled.

N.B. The officer should draw lines across blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this..............................day of.....................19

at.....................................

Witnesses to signature :

1. ....

2. ....

Signature of officer

(To be filled in by the Head of office in the case of a non-gazetted officer)

Nomination by..................................

Designation..................................

Office

Signature of Head of Office

Date ....

Designation ....

प्र–11

अशक्तता की स्थिति में

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE IN INDIA

447. (a) The form of the certificate to be given respecting an officer applying for pension in India is as follows :

"Certified that I (we) have carefully examined A. B. son of C. D. a.................in the.............................His age is by his own statement...................... years, and by appearance about........................years. I (we) consider A. B., to be completely and permanently incapacitated for futher service of any kind (or in the Department to which he belongs) in consequence of (here state disease). His incapacity does not appear to me (us) to have been caused by irregular or intemperate habits."

Note :—If the incapacity is the result of irregular or intemperate habits, the following will be substituted for the last sentence.

"In my (our) opinion his incapacity is directly due to................has been accelerated or aggravated by irregular or intemperate habits."

If the incapacity does not appear to be complete and permanent the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made :

I am(we are)of opinion that A.B. is fit for further service of a less laborious character than that which he has been doing (or say, after resting for..................months, be fit for further service of a less labourious character than that which he has been doing).

(b) The object of the alternative certificate (of partial incapacity), is that an officer should, if possible, be employed even on lower pay, so that the expense of pensioning him may be avoided. If there is no means of employing him even on lower pay, then he may be admitted to pension; but it should be considered whether, in view of his capacity for partially earning a living, it is necessary to grant to him the full pension admissible under rule.

प्र–12

अदेय प्रमाण-पत्र (सेवानिवृत्ति/मृत्यु प्रकरण में)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री...
पद नाम ....जो इस कार्यालय में दिनांक.............
से दिनांक ....तक कार्यरत रहे/अथवा दिनांक ....
के अपरान्ह में सेवा निवृत्त हुये थे, से किसी प्रकार का सामान/धन कार्यालय अभिलेखों के अनुसार लेना/वसूलना शेष नहीं है ।

सक्षम अधिकारी

कार्यालय.................................

संख्या................................ दिनांक................................

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी।

(2) अधिष्ठान प्रभाग।

(3) मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्र–13

LAST PAY CERTIFICATE

Last Pay Certificate of...

of the...

proceeding on...

to...

....

2. He has been paid up to...at the following rates—

Particulars	*Rate*
Substantive pay..............................	....
Officiating pay..............................	....
Allowances, etc..............................	....

................Deducation...

....

....

....

*3. His Provident Fund Account numbers etc., are given below:

Name of the fund	Account no.	Which A. G. maintains the account.

4. He made over charge of the office of...

..........................on the..........................noon of..............

5. Recoveries are to be made from the pay of the Government servant as details on the reverse.

6. He has been paid leave-salary as detailed below. Deductions have been made as noted on the reverse.

*Period		Rate	Amount
From..............	to..............	at Rs.............. a month	....
From..............	to..............	at Rs.............. a month	....
From..............	to..............	at Rs.............. a month	....

†7. He is entitled to draw the following:

....

....

....

8. He is also entitled to joining time for................................days.

9. He finances the Insurance Policies detailed below from Provident Funds:

Name of Insurance Company	Number of policy	Amount of premium	Due date for the payment of premium
		Rs.	

10. The details of the income-tax recovered from him, up to the date from the beginning of the current year are noted on the reverse.

Dated......................197 .   *Signature*....................

Designation..................

*Against serial no. 8 the information should be incorporated by the head of the office in case of non-gazetted Government servants and by the Treasury Officer himself in the case of Gazetted Officers. In addition when a Government servant is transferred from one Audit Circle to another, the name of the accounts officers who will maintain his Provident Fund Accounts after transfer, should also be recorded in the case of Gazetted Officers by the Accountant General while countersigning the Last Pay Certificate and by the head of the office in the case of non-gazetted Government servants, if possible.

†When filling this item of the Last Pay Certificate the scale of pay, etc., as authorized by the Accountant General pay slips or in the cases of non-gazetted Government servant by competent authorities and the date of increment and of the cessation or change in the rate of pay should be invariably shown against this item with a view to unable the disbursing officers of the new district to disburse the pay etc. admissible, also the date up to which the payment has been shown in this certificate.

REVERSE

Details of Recoveries

Nature of Recovery..

Amount Rs...

Number of instalments in which to be recovered..

Deductions made from leave-salary

From...............to...............on account of...............Rs...............

From...............to...............on account of...............Rs...............

From...............to...............on account of...............Rs...............

Details of income-tax recovered

Name of months	Pay		Gratuity Fees, etc.		Funds and other deductions		Amount of income-tax recovered		Remarks
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
April, 19									
May, 19									
June, 19									
July, 19									
August, 19									
September, 19									
October, 19									
November, 19									
December, 19									
January, 19									
February, 19									
March, 19									

प्र–14

परिवार का विवरण (सेवानिवृत्ति/मृत्यु दोनों दशा में)

सेवा में,

. . . .

. . . .

. . . .

महोदय,

मैं यह घोषित करता हूं कि मेरे निजी परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

क्रम सं०	नाम	कर्मचारी से सम्बन्ध	जन्म तिथि/उम्र	टिप्पणी
1	2.	3	4	5

भवदीय

( )

प्र–15

प्रपत्र "कक"

(नियम 14 देखिए)

चिकित्सा परीक्षा के बिना राशिकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र

फोटो के लिए स्थान

मैं . . . . अपनी . . . . रुपये की मासिक पेंशन में से . . . . रुपये का राशिकरण कराना चाहता हूं। मेरा विचार राशिकृत मूल्य का उपयोग पृष्ठ 2 पर उल्लिखित उद्देश्यों के लिये करने का है और मुझे विश्वास है कि राशिकरण मेरे और मेरे परिवार के लिये निश्चित और स्थायी रूप से लाभप्रद होगा। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने नीचे स्तम्भों में प्रत्येक अपेक्षित सूचना सावधानी से उल्लिखित की है।

दिनांक हस्ताक्षर

स्थान पद नाम

पता

1—नाम ....
(स्पष्ट अक्षरों में)

2—जन्म दिनांक ....

3—(क) सेवा निवृत्ति का दिनांक ....

(ख) सेवा निवृत्ति के समय वास्तविक आयु ....

4—सेवा निवृत्ति के समय पद नाम और कार्यालय का नाम ....

5—पेंशन की धनराशि ....

6—पेंशन की श्रेणी ....

7—कोषागार या बैंक का नाम जहां से पेंशन ली जा रही है और लेखा संख्या ....

8—यदि राशिकृत मूल्य का भुगतान उस लेखा अधिकारी के माध्यम से नहीं किया जाता है, जिसने पेंशन प्राधिकृत की है तो उस कोषागार या बैंक का नाम जिसके माध्यम से राशिकृत मूल्य का भुगतान किया जाय ....

9—पेंशन पेमेन्ट आर्डर (पी० पी० ओ०) संख्या ....

10—धनराशि (पूर्ण रुपये में) का पेंशन का वह भाग जिसका राशिकरण कराने का विचार है ....

11—(क) क्या आप उ० प्र० लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 द्वारा नियंत्रित हैं ?

(ख) क्या आप उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स 1961 के नियम 11 द्वारा नियंत्रित हैं ?

(ग) क्या आप उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स 1961 द्वारा नियन्त्रित हैं ? (सम्पूर्णतः)

(घ) यदि उपर्युक्त (क) या (ख) द्वारा नियंत्रित हैं तो सकल पेंशन की धनराशि का उल्लेख करें।

12—यदि राशिकरण के लिये पहले आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसका विवरण दीजिये और क्या आप उसके संबंध में किसी चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुये या नहीं।

हस्ताक्षर ....

पद नाम ....

दिनांक ....

अनुमानित व्यय

राशिकरण का उद्देश्य

1—भवन का निर्माण या क्रय करने के लिये

2—ऋण के समापन के लिये

3—बच्चों या आश्रितों की शिक्षा के लिये

4—विवाह संबंधी व्यय के लिये

5—कारबार प्रारम्भ करने के लिये

दिनांक   हस्ताक्षर

स्थान

पेंशन की श्रेणी, अर्थात् अधिवर्षता, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त आदि जो लागू हो।

FORM H

APPLICATION FOR THE GRANT OF DEATH-*CUM*-RETIREMENT GRATUITY/ RESIDUARY GRATUITY TO THE FAMILY OF SRI .... LATE ....IN THE OFFICE/DEPARTMENT OF..

1. Name of applicant
2. Relationship to deceased officer/ pensioner
3. Date of birth
4. Date of retirement if the deceased was a pensioner
5. Date of death of the officer/pensioner
6. Name of the Treasury/Sub-Treasury at which payment is desired
7. Full address of the applicant
8. Signature or thumb impression of the applicant

*9. Attested by—

(i)

(ii)

10. Witnesses : Name Full address Signature

(i)

(ii)

---

*Attestation should be done by two or more persons of respectability in the town, village or pargana in which he applicant resides. Their designation or profession should also be given within brackets below their names.

FORM 'F'

APPLICATION FOR A FAMILY PENSION FOR THE FAMILY OF ....

SRI.................................. LATE A..................................

IN THE OFFICE/DEPARTMENT OF..

1. Name of the applicant

2. Relationship to the deceased officer/ pensioner

3. Date of retirement if the deceased was a pensioner

4. Date of death of the officer/pensioner

5. The order in which the applicant's name appears in the nomination Form 'E'

6. Names and ages of surviving kindred of the deceased

		Name	Date of birth (by Christian Era)
(*a*) Widows/husband Sons Unmarried daughters Widowed daughters	Including step-children and adopted children		
(*b*) Father Mother Brother Unmarried sisters Widowed sisters	Including step brothers and step-sisters		

7. Name of Treasury/Sub-treasury at which payment is desire ?

8. Descriptive roll of the applicant :

   (i) Date of birth (by Christian Era) ..

   (ii) Height ..

   (iii) Personal marks, if any, of the hand face, etc.

   (iv) Signature or left hand thumb and finger impressions ;

Small finger	Ring finger	Middle finger	Index finger	Thumb

9. Full address of the Applicant

Attested by

(1) (1) Witnesses

(2) (2)

NOTES—(1) The descriptive roll and signature, thumb and finger impressions accompanying the application for family pension should be in duplicate and attested by two or more persons of respectability in the town, village or pargana in which the applicant resides.

(2) If the applicant belongs to a category mentioned in item 6(*b*) he should furnish proof of his dependence on the deceased officer/pensioner for support.

(3) If the applicant is a minor brother of the deceased officer/pensioner, the statement against items 8(*i*) should be supported by a certificate of age (in original with two attested copies) showing the date of birth of the applicant. The original will be returned to the applicant after the necessary verification.

प्र–18

Try. Form No. 485A

FORM A

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

(When the officer has a family and wishes to nominate one member thereof)

I hereby nominate the person mentioned below, who is a member of my family, and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death :

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on nominee shall pass in the event of the nominee pre-deceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each*
1	2	3	4	5	6

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on which stands cancelled.

Dated this day of 19

Witnesses to signature :

1.

2.

(Signature of Officer)

(To be filled in by the Head of Office in the case of a non-gazetted officer.)

Nomination by (Signature of Head of Office)

Designation Date

Office Designation

*This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

Try. Form No. 485 B

FORM B

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

(When the officer has a family and wishes to nominate more than one member thereof)

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family, and confer on them the right to receive to the extent specified below, any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below, any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death :

Name and address of nominees	Relationship with officer	Age	Amount or share of gratuity payable to each*	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on nominee shall pass in the event of the nominee pre-deceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each*
1	2	3	4	5	6	7

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on which stands cancelled.

N.B.—The officer shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this day of 19

at

*This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

**The amount/share of gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the original nominees.

Witnesses to signature.

1.

2. (Signature of Officer)

(To be filled in by the Head of Office in the case of a non-gazetted officer)

Nomination by

Designation

Office

(Signtature of Head of Office)

Date

Designation

प्र–20

FORM C

Nomination for death-cum-retirement Gratuity

(When the officer has no family and wishes to nominate one person)

I, having no family, hereby nominate the person mentioned below and confer on him the right to receive, any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death and gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death.

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on nominee shall pass in the event of the nominee pre-deceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable each*
1	2	3	4	5	6

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on which stand cancelled.

Dated this.............................. day of...............19....

Witnesses of Signature :

(1)

(2)

(Signature of Officer)

(To be filled in by the Head of Office in the case of non-gazetted officer)

Nomination by — (Signature of Head of Office)

Designation — Date

Office — Designation

*This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

FORM 'D'

Nomination for death-cum-retirement Gratuity

(When the officer has no family and wishes to nominate more than one person.)

I, having no family, hereby nominate the persons mentioned below and confer on them the right to receive to the extent specified below, and any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death :

Name and address of Nominees	Relationship with officer	Amount of share of gratuity payable to each *	Contingencies on the happening of which the nomination become invalid.	Name, Address and relationship of the person or persons, if any, to whom the right conferred on the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity.	Amount of share gratuity payable to each**
1	2	3	4	5	6

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on................. which stands cancelled.

N. B.—The officer should draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this.........................day of............19......At......

Witnesses to signature :

1.

2.

(Signature of officer)

*This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

**The amount/share of gratuity shown in the column should cover the whole amount/share payable to the original nominees.

(To be filled in by the head of office in the case of non-gazetted officer)

Nomination by

Designation

(Signature of Head of Office)

Date

Office

Designation

प्र–22

पेंशन/ग्रेच्युटी का गणना-पत्र

जन्म तिथि :—
नियुक्ति का दिनांक :—
स्थायीकरण का दिनांक :—
सेवा निवृत्ति का दिनांक :—

नाम :—
पद :—
कार्यालय :—
चेक रजिस्टर का क्रमांक :—

अधिवर्षता

अर्ह सेवा	वर्ष	माह	दिवस	वर्ष	माह	दिवस
कुल सेवा कब से						
कब तक						
घटाइये/व्यवधान						
अवधि की सेवा/कब से कब तक						
कुल अर्ह सेवा						

औसत परिलब्धियों का विवरण 26-6-87 के शासनादेश के अनुसार

क्रम	माह	मूल वेतन 9.21 के अनुसार	1-1-86 का देय महंगाई भत्ता	तदर्थ महंगाई भत्ता 15-10-85 का व 1-4-86 का	अन्तरिम सहायता की धनराशि 15%	अन्तरिम सहायता की धनराशि 10%	कुल परिलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
कुल योग							

औसत परिलब्धि

50% पेंशन की धनराशि (33 वर्ष पूर्ण होने पर)

अन्यथा

छमाही अर्ह सेवा के अनुसार पेंशन की धनराशि

(1) सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी

अंतिम आहरित वेतन——

छमाही अर्ह सेवा——

धनराशि——

(2) डेथ ग्रेच्युटी (मृत्यु की स्थिति में)

सेवा अवधि——

ग्रेच्युटी की अनुमन्य धनराशि

घटाइये (–) अनन्तिम ग्रेच्युटी की धनराशि

अवशेष देय ग्रेच्युटी की धनराशि

(3) पारिवारिक पेंशन

मूल वेतन के आधार पर

1. प्रथम 7 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक
2. उसके उपरान्त

पेंशन में राशिकरण की धनराशि

1. जन्म तिथि
2. सेवा निवृत्ति के उपरान्त अगली जन्म तिथि
3. पेंशन की धनराशि
4. राशिकृत धनराशि
5. राशिकृत दर तथा मूल्य
6. घटी हुई पेंशन की धनराशि
7. पूर्व में अनंतिम पेंशन की धनराशि यदि स्वीकृत की गई हो।

हस्ताक्षर आहरण वितरण अधिकारी

पदनाम

प्र–23

लेखाधिकारी का जांच प्रमाण-पत्र

पेंशन पत्रजातों की जांच की गई। अभिलेखों के आधार पर श्री .... को दिनांक .... से निम्नवत् पेंशन ग्रेच्युटी तथा राशिकरण धनराशि अनुमन्य है।

(1) दिनांक .... से पेंशन रु० .... की दर से प्रतिमाह।

(2) ग्रेच्युटी .... मात्र।

(3) पेंशन अंकन .... का राशिकरण .... मात्र।

(4) पारिवारिक पेंशन निम्न को उनके नाम के आगे अंकित दर से पेंशन का भुगतान करें।

1—

2—

3—

सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, मण्डलीय उप
शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

तिथि

———

प्र–24

ANNEXURE III

Form for sanctioning family pension

1. Name of the Government Servant.
2. Father's name and also husband's name (in the case of a woman Government servant)
3. Religion and Nationality.
4. Last appointment held including name of establishment.
5. Date of beginning of service.
6. Date of ending service.
7. Substantive appointment held.
8. Pension Rules opted/eligible.
9. Length of continuous qualifying service prior to death.
10. Pay as per paragraph of G. O. No. G.2-769/X-917-61, dated August 24, 1966.

11. Amount of Family Pension admissible.

12. Date from which pension is to commence.

13. Place of payment (Government Treasury/ Sub-Treasury).

The undersigned having satisfied himself of the above particulars of late Sri/Smt.....
....
hereby orders to grant of a family pension of Rs...
p. m. to Sri/Smt..which may be accepted by the Audit Officer as admissible under the rules.

Signature and Designation of the
Sanctioning Authority

प्र–25

Try. Form no. 327

Form no. 25-A.C.S.R.

(Articles 909, 912, 917 and 920)

FORM SANCTIONING PENSION

(To be sent in duplicate if payment is desired in different audit circle)

1. Name of the government servant.

2. Father's name (and also husband's name in the case of women government servant.)

3. (*a*) Present or last appointment including name of establishment :
   (i) Substantive
   (ii) Officiating, if any

   (*b*) Remarks by the Receiving Authority :
   (1) As to character and past conduct of government servant. — **Good/Fair/ Indifferent/Bad.**
   (2) Explanation of any suspension or degradation.
   (3) Any other remarks.
   (4) Specific opinion of the Receiving Authority whether the service claimed is established and should be admitted or not.

Designation

(*c*) *Orders of the Pension sanctioning authority :*

The undersigned having satisfied himself that the service of Sri/Srimati/Kumari.......... has been thoroughly satisfactory hereby orders the grant of the full pension, death-*cum*-retirement, gratuity, service gratuity which may be accepted by the Audit Officer as admissible under the rules.

The undersigned having satisfied himself that the service of Sri/Srimati/Kumari.......... has not been thoroughly satisfactory hereby orders that the full pension and/or gratuity which may be accepted by the Audit Officer as admissible under the rules shall be reduced by the specified amount or percentage indicated below :

Amount or percentage of reduction in pension/ofservice gratuity..................

Amount or percentage of reduction in death-*cum*-retirement gratuity.............

The grant of pension and/or gratuity shall take effect from.......................

(*d*) In the event of death of Sri/Srimati................a family pension of Rs.......... will be admissible to Sri/Srimati................as admissible under the New Family Pension Scheme, 1965.

(*e*) In terms of the aforesaid Scheme he/she is required to contribute a portion of death-*cum*-retirement gratuity equal to two month's emolument or pay, as the case may be. Necessary recovery out of the gratuity payable to Sri/Srimati.................. has been may be made.

*(*f*) A sum of Rs..........................on account of..................is to be held over from the death-*cum*-retirement gratuity till the outstanding Government dues are assessed and adjusted.

(*g*) The following service of the government servant has been approved for the grant of special additional pension admissible under the Rules :

Post/posts held.......................

Period of service.....................

The pension, and death-*cum*-retirement gratuity, are payable at...................... Treasury/Sub-Treasury and are chargeable to the Head...............................

This order is subject to the condition that if the amount of pension and/or death-*cum*-retirement gratuity as authorised be afterwards found to be in excess of amounts to which the pensioner is entitled under the rules, he/she shall be called upon to refund such excess.

Dated......................Signature and Designation of the Pension Sanctioning Authority :

*No amount of the death-*cum*-retirement gratuity need be held over if the governement servant has made a cash deposit or furnished a surety of a permanent government servant in terms of Article 923.

-- (To be used in the case of government servants to whom Section III of Chapter XLVII applies.)

Details of provisional pension and gratuity to be drawn by the Head of Department in accordance with the procedure laid down in Article 919 :

Provisional pension ..Rs. p.m.

Provisional service gratuity

Death-*cum*-retirement gratuity (3/4th of the full gratuity mentioned against item 13 of Form 25).. Rs.

Less—

(i) Contribution towards New Family Pension Scheme, 1965 [*See* item 3(*e*) of the Form].............................. Rs.

(ii) Amount held over for adjustment of Government dues [*See* item (*f*) of the Form].. Rs.

Net amount of death-*cum*-retirement gratuity to be paid provisionally.. Rs.

Signature of Head of Department.

प्र–26

Draft of Affidavit to be Furnished by the Retired Employee if Service Book is not Available/Incomplete for the Settlement of Payment of Pension and Gratuity:

संलग्नक-3

पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर निम्नलिखित शपथ-पत्र दिया जाय (इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 की अनुसूची 1-बी के आर्टिकल 4 के अनुसार स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है) ।

शपथ-पत्र

मैं............................आत्मज श्री .... जो .... (पद नाम) पर/से, ... (कार्यालय का नाम) कार्यरत हूं। दिनांक .... को सेवा निवृत्त हो चुका हूं, शपथपूर्वक घोषित करता हूं :—

(1) कि शपथी ने निम्नलिखित अवधि/अवधियों में उनके सम्मुख उल्लिखित कार्यालय/कार्यालयों में तथा पद/पदों पर राजकीय सेवा की है :—

सेवा अवधि	कार्यालय का नाम	पद नाम

(2) शपथी को बताया गया है कि उसके द्वारा की गयी उपर्युक्त सेवा/सेवाओं के सम्बन्ध में शपथी की सेवा पुस्तिका में सत्यापन उपलब्ध नहीं है।

*(3) कि उपर्युक्त सेवा अवधियों में कोई व्यवधान सेवा से त्याग पत्र देने, बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण नहीं हुआ है/हुए हैं।

शपथी

मैं.................(शपथी) घोषित करता हूं कि उपर्युक्त शपथ-पत्र के अनुच्छेद (1) तथा (2) तथा *(3) का कथन मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य है और कोई भी आवश्यक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आज दिनांक......................को.................(स्थान का नाम) शपथी द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रमाणित।

शपथी

---

*व्यवधान न होने की दशा में काट दिया जाय।

प्र-27

कार्यालय..........

सेवा में,

महालेखाकार (तृतीय),
उत्तर प्रदेश, पेंशन आडिट विभाग, या मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
इलाहाबाद-211001 (पी०बी०सं०-113)

विषय :—अनन्तिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के विवरण।

महोदय,

अनन्तिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी की स्वीकृति के सम्बन्ध में किये गये भुगतानों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—(क) सेवा निवृत्त कर्मचारी का नाम तथा अन्तिम धारित पद..........................
(ख) सेवा निवृत्ति की तिथि तथा किस्म..........................

2—(क) अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति आदेश की संख्या तथा दिनांक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी..........................
(ख) अनन्तिम पेंशन की धनराशि तथा अवधि..........................
(ग) अनन्तिम ग्रेच्युटी की धनराशि..........................

3—ट्रेजरी का नाम जहां से भुगतान आहरित हुए..........................

4—आहरित की गई धनराशि के विवरण (ग्रेच्युटी तथा पेंशन अलग-अलग)..................

क्रमांक	अवधि	वाउचर नं० तथा दिनांक	धनराशि

5—भुगतानों की कुल धनराशि—

(क) अनन्तिम पेंशन

(ख) अनन्तिम ग्रेच्युटी

भवदीय,

(प्राधिकारी का पदनाम)

प्र–28

Bill form for drawal of provisional pension/D. C. R./Gratuity

(under rupees...

Office of..

....

for the month of................19 . Bill No.................

District Head of Account
266–Pension and other/
Retirement Benefits

Ist List
Voucher No.————
IInd List

Sl. No.	Name of pensioner	Date of retirement Type of retirement	Particular of sanction			Amount drawn	
			Sanctioning authority & No. and date of sanction	Rate & period of Pension	Amount of Gratuity	Provisional Pension	Provisional gratuity
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

1	2	3	4	5	6	7	8
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
Total							

Rupees...........................

Certificate

1. Certificate from the pensioner regarding non-employment has been obtained and placed on record.

2. Certified that the amount drawn in the last bill, vide voucher no................ of......................has been duly disbursed and the receipt obtained from the pensioner/gratuityant.

Signature..........................

Station..............................
Date.................................

Designation of the Drawing and Disbursing Officer

For use in Treasury

Examined and entered

Pay Rs................Rupees....in cash

Treasury Accountant

Treasury Officer

For use in A.G. Office

Admitted Rs..........................

Objected to..........................Rs............

Noted in the Audit Register of Provisional Pension/Gratuity at page ....of the Register.

Auditors S.O. A.O.

(B) In case of payment at the Bank

To,

The AGENT, STATE BANK OF INDIA ....

Please pay Rs.........................(   )..................

..................................Treasury :

Date.................., 19 .   Treasury Officer.

Payee's discharge to the Bank

Received payment   Name............................

Office

For use in Accountant-General's Office

Admitted, for Rs.

Objected to, Rs.

Auditor   ....
Superintendent

(2) शपथी को बताया गया है कि उसके द्वारा की गयी उपर्युक्त सेवा/सेवाओं के सम्बन्ध में शपथी की सेवा पुस्तिका में सत्यापन उपलब्ध नहीं है।

*(3) कि उपर्युक्त सेवा अवधियों में कोई व्यवधान सेवा से त्याग पत्र देने, बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण नहीं हुआ है/हुए हैं।

शपथी

मैं················(शपथी) घोषित करता हूं कि उपर्युक्त शपथ-पत्र के अनुच्छेद (1) तथा (2) तथा *(3) का कथन मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य है और कोई भी आवश्यक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आज दिनांक·····················को················(स्थान का नाम) शपथी द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रमाणित।

शपथी

---

*व्यवधान न होने की दशा में काट दिया जाय।

प्र–27

कार्यालय··········

सेवा में,

महालेखाकार (तृतीय),
उत्तर प्रदेश, पेंशन आडिट विभाग, या मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
इलाहाबाद-211001 (पी०बी०सं०-113)

विषय :—अनन्तिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के विवरण।

महोदय,

अनन्तिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी की स्वीकृति के सम्बन्ध में किये गये भुगतानों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—(क) सेवा निवृत्त कर्मचारी का नाम तथा अन्तिम धारित पद ·····················
(ख) सेवा निवृत्ति की तिथि तथा किस्म ·····································

2—(क) अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति आदेश की संख्या तथा दिनांक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी ·································
(ख) अनन्तिम पेंशन की धनराशि तथा अवधि ···························
(ग) अनन्तिम ग्रेच्युटी की धनराशि ·································

3—ट्रेजरी का नाम जहां से भुगतान आहरित हुए ·····························

4—आहरित की गई धनराशि के विवरण (ग्रेच्युटी तथा पेंशन अलग-अलग) ....

क्रमांक	अवधि	बाउचर नं० तथा दिनांक	धनराशि

5—भुगतानों की कुल धनराशि—
(क) अनन्तिम पेंशन
(ख) अनन्तिम ग्रेच्युटी

भवदीय,

(प्राधिकारी का पदनाम)

प्र–28

Bill form for drawal of provisional pension/D. C. R./Gratuity
(under rupees..
Office of...
....
for the month of................19 . Bill No..................

District Head of Account
266–Pension and other/
Retirement Benefits

Ist List
Voucher No.————
IInd List

Sl. No.	Name of pensioner	Date of retirement Type of retirement	Particular of sanction			Amount drawn	
			Sanctioning authority & No. and date of sanction	Rate & period of Pension	Amount of Gratuity	Provisional Pension	Provisional gratuity
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

1	2	3	4	5	6	7	8
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
Total							

Rupees............................

Certificate

1. Certificate from the pensioner regarding non-employment has been obtained and placed on record.

2. Certified that the amount drawn in the last bill, vide voucher no.................. of.......................has been duly disbursed and the receipt obtained from the pensioner/gratuityant.

Signature..........................

Station.................................. Designation of the Drawing and
Date.................................... Disbursing Officer

For use in Treasury

Examined and entered — Pay Rs................Rupees....in cash

Treasury Accountant — Treasury Officer

For use in A.G. Office

Admitted Rs...........................

Objected to.........................Rs............

Noted in the Audit Register of Provisional Pension/Gratuity at page ....of the Register.

Auditors — S.O. — A.O.

(B) In case of payment at the Bank

To,

The AGENT, STATE BANK OF INDIA ....

Please pay Rs............................( ).....................

.....................................Treasury :

Date......................, 19 . Treasury Officer.

Payee's discharge to the Bank

Received payment Name..............................

Office

For use in Accountant-General's Office

Admitted, for Rs.

Objected to, Rs.

....

Auditor Superintendent

प्र–30

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा रखा जाने वाला पेंशनों का कन्ट्रोल रजिस्टर

(माह तथा वर्ष) ························ में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पद	स्थायी धारित पद	जी० पी० एफ० लेखा सं०	सेवा निवृत्ति की तिथि	सेवा निवृत्ति की किस्में	अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति के विवरण			
							अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति के आदेश की संख्या तथा दिनांक	अनन्तिम पेंशन की धनराशि तथा अवधि		अनन्तिम ग्रेच्युटी की धनराशि
								धनराशि	अवधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भुगतान का विवरण		भुगतानों का विवरण महालेखाकार/मु०ले०अ० को सूचित करने की पत्र संख्या तथा दिनांक	अन्तिम पेंशन के कागजात महालेखाकार/मु०ले०अ० को भेजने की संख्या तथा दिनांक	महालेखाकार/मु०ले०अ० द्वारा जारी अन्तिम पी० पी० ओ०/जी० पी० ओ० केस नं०	अभ्युक्ति
वाउचर संख्या तथा तिथि	धनराशि				
12	13	14	15	16	17

प्र–31

प्रपत्र जिसमें अगले वित्तीय वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची विभागाध्यक्षों को भेजी जायगी

कार्यालय..

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम तथा पदनाम	स्थायी धारित पद	जन्मतिथि	जी० पी० एफ० लेखा सं०	पेंशन की स्वीकृति हेतु कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति	पेंशन कम करने विषयक आदेश की संख्या तथा दिनांक	अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति के आदेश की सं० व दिनांक मय विवरणों के	कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ए० जी०/ मुख्य लेखाधिकारी को पेंशन पेपर्स अग्रसारित करने का दिनांक	प्रकरण के अंतिम निस्तारण का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(प्रेषित करने वाले अधिकारी का) पदनाम

अध्याय—3

1. सेवा नैवृत्तिक लाभ

पेंशन नियमों को सरल तथा उदार बनाने का सदैव शासन का दृष्टिकोण रहा है। इस दिशा में निरन्तर प्रयत्न होते रहे हैं। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या सा-3-1168/-दस-935/87 दिनांक 22 जून, 1987 (प्रभावी 1-1-86 से) द्वारा इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। ये परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इनके प्रभाव में आने से पेंशन नियमों का एक तरह से मूल ढांचा ही परिवर्तित हो गया है। उपर्युक्त परिवर्तन प्रभावी होने से पूर्व सेवा नैवृत्तिक लाभों में परिलब्धियों के लिए वेतन की परिभाषा मूल नियम 9(21) वि० नि० संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 में परिभाषित थी मान्य था, परन्तु अब परिलब्धियों का अभिप्राय मूल वेतन, जैसा मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है, से होगा। 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर सेवा आनुतोषिक की गणना यू०पी० रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 के नियम 4 में संदर्भित संलग्नक में दिखाई गई तालिका के अनुसार की जाती थी। इसे सरल बनाने हेतु अब दिनांक 1-1-86 या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने की दशा में, अर्ह सेवा दस वर्ष होने की दशा में प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की अर्ह सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर आनुतोषिक देय होगी। सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को अब तक मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति आनुतोषिक समान आधार पर दी जाती थी (केवल इस अन्तर के कि सेवारत मृत्यु होने की दशा में यह परिलब्धियों के 12 गुना से कम नहीं होती थी) परन्तु उपर्युक्त परिवर्तन में मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक को दो अलग-अलग भागों में बांट दिया गया है। सेवा निवृत्ति के उपरान्त दी जाने वाली आनुतोषिक अब सेवानिवृत्ति आनुतोषिक कहलायेगी और सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में परिवार को दी जाने वाली आनुतोषिक मृत्यु आनुतोषिक कहलायेगी। इन दोनों की गणना भी अलग-अलग आधार पर होगी। पारिवारिक पेंशन की दरों में भी संशोधन किया गया है जिससे यह अधिक उदार हो सके। इसके अतिरिक्त वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या सा—3—1657/दस—931/87 दिनांक 9 जून, 1987 द्वारा पारिवारिक पेंशन के 90 प्रतिशत के बराबर तुरन्त अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के आदेश दिये गये हैं, जिससे मृतक सरकारी सेवक के परिवार को आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इन परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में पेंशन, सेवा आनुतोषिक, मृत्यु आनुतोषिक, पारिवारिक पेंशन एवं पेंशन राशिकरण की गणना के लिए परिलब्धियों के निमित्त निम्न को जोड़ा जायगा :—

2. परिलब्धियां

आर्टिकल 486 दिनांक 31-3-85 या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के मामलों में "परिलब्धियों" हेतु वेतन जैसा वि० वि० संग्रह खण्ड-2 भाग-दो से चार के मूल नियम 9(21) में परिभाषित है अर्थात् पद के वेतन के साथ, मूल नियम 9(21)(1) में आने वाले विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, समुद्री पार वेतन और तकनीकी वेतन तथा मूल नियम 9(21)(3) के अन्तर्गत आने वाले किसी भत्ते को, जिसको राज्यपाल महोदय ने "वेतन" घोषित कर दिया हो, भी शामिल किये जाते थे। इसके अतिरिक्त दिनांक 1 नवम्बर, 1984 को मिलने वाला महंगाई भत्ता भी सेवा नैवृत्तिक लाभों के लिए परिलब्धियों में शामिल होता था। परन्तु दिनांक 1 जनवरी, 1986 से परिलब्धियों के लिए वेतन का अर्थ है :—

मूल वेतन जैसा मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अब विशेष वेतन, वैयक्तिक

वेतन, तकनीकी वेतन, पर्वतीय भत्ता, सीमान्त विशेष वेतन, ऊंचे स्थानों पर रहने सम्बन्धी भत्ता तथा समुद्री पार भत्ता (जो मूल नियम 9(21)(2) में आते हैं) और अन्य कोई भत्ता जिसे राज्यपाल महोदय द्वारा वेतन घोषित किया गया हो (जो मूल नियम 9(21)(3) में आता है) सेवा नैवृत्तिक लाभों के लिए परिलब्धियों में शामिल नहीं किया जायेगा। मूल नियम 9(21)(1) में केवल मूल वेतन आता है।

उपर्युक्त परिलब्धियों में निम्न जोड़ा जायेगा—

(1) महंगाई भत्ता जैसा दिनांक 1-1-86 को देय था या शासन के आदेश संख्या वे० आ०-715/दस-66(एम)-1982 दिनांक 1-4-86।

(2) तदर्थ महंगाई भत्ता (यथास्थिति अनुसार) जिसकी स्वीकृति निम्न शासनादेशों द्वारा हुई :—

(अ) वे० आ०-312/दस-7(एम)-84 दिनांक 6-2-85

(ब) वे० आ०-1-2425/दस-7(एम)-84 दिनांक 10-10-85

(स) वे० आ०-1-742/दस-7(एम)-84 दिनांक 1-4-86

(3) अन्तरिम सहायता, वे किस्तें जो दिनांक 1 जनवरी, 86 के उपरान्त स्वीकृत हुईं। दिनांक 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की औसत परिलब्धियों की गणना में यदि 1-1-86 से पूर्व की अवधि भी शामिल हो जाती है, तो उसके वेतन पर 1-11-84 को देय महंगाई भत्ता जोड़कर परिलब्धियां निकाली जाती हैं परन्तु शासनादेश संख्या सा-3-1871/दस-935/87 दिनांक 20-8-87 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जिन सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति से पूर्व 10 माह की औसत परिलब्धियों के आगणन में यदि कुछ अवधि 1-1-87 से पूर्व की है, तो जो भी महंगाई भत्ता व तदर्थ महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है, उसे भी औसत परिलब्धियों के आगणन में सम्मिलित कर लिया जायेगा। तदनुसार यथास्थान उक्त संशोधन के आधार पर औसत परिलब्धियों की गणना की जाय।

(4) शासनादेश सं० सा-3-200/दस-938-75 दिनांक 25-1-79 द्वारा तत्काल प्रभाव से पेंशन आगणन हेतु परिलब्धियों में निःसंवर्गीय पद पर प्राप्त की गई परिलब्धियों को भी जोड़े जाने के आदेश हैं।

3. पेंशन के प्रकार एवं आगणन की विधियां

किसी सरकारी कर्मचारी को निम्न प्रकार की पेंशन देय हो सकती हैं :—

(1) अधिवर्षता पेंशन।

(2) निवृत्ति पेंशन :—

(अ) स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति।

(ब) अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

(3) अशक्तता पेंशन।

(4) प्रतिकर पेंशन।

(5) असाधारण पेंशन।

(6) एक्सग्रेशिया पेंशन।

(7) पारिवारिक पेंशन।

(अ) पेंशन देने के आधार एवं उनके आगणन की विधियां

उपर्युक्त प्रकार की पेंशन कब व किन आधारों पर देय होती है एवं इनके सम्बन्ध में देय पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी), राशिकरण तथा पारिवारिक पेंशन के आगणन के सम्बन्ध में कतिपय उदाहरणों सहित स्थिति निम्नवत् दी जा रही है :—

(1) अधिवर्षता पेंशन—

जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी अधिवर्षता 58/60 वर्ष की आयु सरकारी सेवा करते हुए पूर्ण कर लेता है और उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होता है, तो उसे मिलने वाली पेंशन/आनुतोषिक अधिवर्षता पेंशन के नाम से जाना जाता है। शिक्षा विभाग में शिक्षण कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु के उपरान्त भी शिक्षा सत्र के अन्त तक सेवा विस्तरण की सुविधा अनुमन्य होने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून मानी जायगी। इस सम्बन्ध में अध्याय 9 में विस्तृत विवरण एवं प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। अभी तक चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष थी, किन्तु राजाज्ञा संख्या जी-2-1182/दस-534(19)-57 दिनांक 5-11-1985 के अनुसार शासनादेश की तिथि या उसके उपरान्त राजकीय सेवा में आने वाले ऐसे कर्मचारियों जिनकी अधिवर्षता आयु पहले मूल नियम-56 के अन्तर्गत 60 वर्ष थी 58 वर्ष मानी गई है। दिनांक 5-11-85 के पूर्व नियुक्त कर्मचारी 60 वर्ष पर ही सेवानिवृत्त होंगे। निर्धारित अधिवर्षता आयु के उपरान्त बिना शासकीय अनुमति के किसी कर्मचारी को सेवा में बनाये रखने के लिए उत्तर-दायी अधिकारी से शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली किये जाने का आदेश राजाज्ञा सं० सा-3-1240/दस-927/81 दिनांक 26-7-82 द्वारा दिया गया।

अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन की गणना के कतिपय उदाहरण निम्नवत् दिये जा रहे हैं :—

उदाहरण (1)—एक राज्य सेवक जो वेतनमान 690-1420 में स्थायी था वेतनमान रु० 850-40-1050-द० रो०-50-1300-60-1420-द० रो०-60-1720 में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा था। वह दिनांक 1-10-1985 से स्थानापन्न पद पर रुपया 1660/- वेतन प्राप्त कर रहा था। इसके अतिरिक्त उसे उस पद पर रु० 75/- विशेष वेतन तथा परिवार नियोजन के कारण रुपया 60/- वैयक्तिक वेतन के रूप में अगस्त, 1983 से मिल रहे हैं। यदि वह दिनांक 31-12-85/31-1-86/31-12-87 को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त हो और महंगाई भत्ते एवं अंतरिम सहायता की दरें निम्नलिखित हों, तो सेवानिवृत्ति के लिए परिलब्धियों की गणना निम्नवत् की जायेगी :—

	दिनांक	वेतन सीमा	मासिक दर
महंगाई भत्ता	1-11-84	1501-2799	रुपया 900/-
उपर्युक्त	1-1-86	1501-2799	रुपया 1,080/-
अन्तरिम सहायता	1-11-86	दर 15% मूल वेतन का	न्यूनतम रु० 80/- अधिकतम रु० 350/-
उपर्युक्त	1-4-87	दर 10% मूल वेतन का	न्यूनतम रु० 60/- अधिकतम रु० 225/-

(क) सेवानिवृत्ति 31-12-85 की दशा में—

(1) वेतन (1-10-85 से)	रु० 1,660/-
(2) विशेष वेतन	रु० 75/-
(3) वैयक्तिक वेतन	रु० 60/-
(4) महंगाई भत्ता	रु० 900/-
परिलब्धियां	रु० 2,695/-

(ख) सेवानिवृत्ति 31-1-86 की दशा में—

(1) वेतन (1-10-85 को)	रु० 1,660/-	(विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन की परिलब्धियों में गणना नहीं होगी)
(2) महंगाई भत्ता	रु० 1,080/-	
परिलब्धियां	रु० 2,740/-	

(ग) सेवानिवृत्ति 31-12-87 की दशा में—

(1) वेतन	रु० 1,720/-	यह कल्पना की जाती है कि 1-10-86 को मिलने वाली साधारण वेतनवृद्धि स्वीकार कर दी गयी होगी। यह वेतनमान का अधिकतम है अतः 17-10-87 को वेतनवृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।
(2) महंगाई भत्ता	रु० 1,080/-	
(3) अन्तरिम सहायता प्रथम	रु० 258/-	
द्वितीय	रु० 172/-	
परिलब्धियां	रु० 3,230/-	

(क) औसत परिलब्धियां—

(आर्टिकल 487 सपठित वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 शासनादेश संख्या सा-3-2085/दस-907/76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977) पेंशन आगणन हेतु औसत परिलब्धियां पिछले 4 महीने के दौरान प्राप्त की गयी परिलब्धियों के संदर्भ में निर्धारित की जायेंगी।

नोट :—केवल औसत की गणना के लिए अवधि को कम किया गया है परन्तु उपर्युक्त आर्टिकल के अन्य उपबन्ध यथावत् लागू हैं।

उदाहरण (2)—

उदाहरण (1) के प्रकरण में पेंशन आगणन के लिए औसत परिलब्धियों की गणना निम्नवत् की जायगी :—

(अ) सेवानिवृत्ति 31-12-85 को :—

(1) वेतन पिछले 10 माह अर्थात् 1-3-85 से 30-9-85 दर 1600/- प्रतिमाह		11,200/-
1-10-85 से 31-12-85 दर 1660/- प्रतिमाह		4,980/-
	योग	16,180/-
	औसत रुपया	1,618/-
(2) विशेष वेतन : } अगस्त 83 से प्राप्त होने के कारण औसत पर प्रभाव नहीं होगा	रुपया	75/-
(3) वैयक्तिक वेतन : }	रुपया	60/-
(4) महंगाई भत्ता 1-11-84 से दर रु० 900/- होने के कारण औसत रुपया 900/- ही होगा।	रुपया	900/-
	औसत परिलब्धियां	रु० 2,653/-

(ब) सेवानिवृत्ति 31-1-86 को

(1) वेतन ग्रास दस माह :—1-4-85 से 30-9-85 तक दर 1,600/-= 9,600/-
1-10-85 से 31-1-86 तक दर 1,660/-= 6,640/-

योग	रुपया 16,240/-
औसत	रुपया 1,624/-

(2) महंगाई भत्ता :—1-4-85 से 31-12-85 तक (1-11-84) को अनुमन्य दर 900/- 8,100/-
महंगाई भत्ते की दर से देखें प्रस्तर 3(2) शा० आ० दिनांक 16-7-87

1-1-86 से 31-1-86 ....दर 1,080/- 1,080/-

	योग	9,180/-
औसत	रुपया	918/-

(3) कुल औसत परिलब्धियां रु० 1,624+रु० 918 =रु० 2,542/-

(स) सेवानिवृत्ति 31-12-87 को

(1) वेतन 1-3-87 से 31-12-87 दर रु० 1720/- (पद के वेतनमान का अधिकतम)			1-10-86 को वेतन 1660/- से बढ़कर रुपया 1720/- हो गया होगा।
(2) महंगाई भत्ता	—तदैव—	दर० रु० 1080/-	यह दर 1-1-86 से लागू है, अत: औसत यही रहेगा।
(3) अंतरिम सहायता	—तदैव—	(प्रथम) दर रु० 258/-	यह दर 1-11-86 से लागू है, अत: 10 माह का औसत यही होगा।
(4) उपर्युक्त	—तदैव—	(द्वितीय) दर रु० 172/-	

1-4-87 से 31-12-87= 9×172 = 1548/-
इसलिए दस माह का औसत = 154·80

(5) औसत परिलब्धियां = 3,212/-

(ख) पेंशन की गणना

दिनांक 1-1-86 या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय सेवकों के मामले में पेंशन औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के बराबर होगा।

उदाहरण (3)

उदाहरण (2) (स) पर आगणित औसत परिलब्धियों के आधार पर यदि अर्ह सेवा 33 वर्ष/31 वर्ष 3 माह/31 वर्ष 3 माह 25 दिन/31 वर्ष 6 माह/31 वर्ष 7 माह 25 दिन/31 वर्ष 9 माह 20 दिन हो, तो पेंशन की गणना निम्नवत् की जायेगी :—

(1) अर्हकारी सेवा 33 वर्ष औसत परिलब्धियां रु० 3,212·80

$$\text{पेंशन} = \frac{\text{औसत परिलब्धियां}}{2} \times \frac{\text{अर्हकारी सेवा की पूर्ण छ:माही}}{66}$$

$$= \frac{3,212.80}{2} \times \frac{66}{66} = 1,606.40$$

या रुपया 1,607/- प्रतिमाह

नोट :—आर्टिकिल 468-ए के अन्तर्गत पेंशन का आगणन पूर्ण रुपये में होता है। रुपये के किसी भी अंश को पूर्ण करने के लिए उसे अगले उच्चतर रुपये में परिवर्तित कर दिया जाता है।

(2) अर्ह सेवा 31 वर्ष 3 माह :—

आर्टिकल 468 के अन्तर्गत दिनांक 8-5-84 से अर्धवर्ष के किसी अंश को जो 3 माह या उससे अधिक हो को पूर्ण छ:माही माना जायगा अतएव, 31 वर्ष 3 माह = 63 पूर्ण छ:माही

$$\text{इसलिए पेंशन } \frac{3212.80}{2} \times \frac{63}{66} = \text{रु० } 1,534/- \text{ प्रतिमाह}$$

(3) अर्ह सेवा :—31 वर्ष 3 माह 25 दिन

पूर्ण छ:माही 62 + 1 = 63

जैसा क्रमांक (2) पर है। अत: पेंशन रुपया 1,534/- ही रहेगी।

(4) अर्ह सेवा :—31 वर्ष 6 माह

पूर्ण छ:माही 63

पेंशन क्रमांक (2) के अनुसार होगी।

(5) अर्ह सेवा :—31 वर्ष 7 माह 25 दिन

पूर्ण छमाही :—63 (1 माह 25 दिन की अवधि 3 माह से कम होने के कारण छोड़ दी जाएगी)।

पेंशन क्रम (2) के अनुसार होगी।

(6) अर्ह सेवा :—31 वर्ष 9 माह 20 दिन।

पूर्ण छमाही :—64 (6 माह के बाद अवधि 3 माह 20 दिन शेष रह जाते हैं जिसे पूर्ण छ:माही माना जायेगा।)

$$\text{पेंशन} = \frac{\text{औसत परिलब्धियां}}{2} \times \frac{\text{अर्हकारी सेवा की पूर्ण छ:माही}}{66}$$

$$\text{या } \frac{3,212.80}{2} \times \frac{64}{66} = 1,550/- \text{ रु० प्रतिमाह}$$

(ग) उ० प्र० सरकार के अधीन की गई निरन्तर अस्थायी या स्थानापन्न रूप में सेवा, यदि बगैर किसी व्यवधान के उसी पद पर या किसी अन्य पद पर स्थायीकरण हो जाये, अर्ह सेवा में सम्मिलित की जाती है। (आर्टिकल-470)।

उदाहरण (4)— निम्न विवरण से पेंशन की गणना कीजिए :—

(1)	जन्म तिथि	: 11-10-1928
(2)	राज्य सेवा में अस्थायी/स्थानापन्न रूप से नियुक्ति की तिथि	: 5-3-1953
(3)	उपरोक्त नियुक्ति के क्रम में स्थायीकरण की तिथि	: 1-2-1958
(4)	सेवानिवृत्ति की तिथि (अधिवर्षता आयु पर)	: 31-10-1986
(5)	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का वेतन-मान तथा वेतन	: 690-40-970-द० रो०-40-1050-50-1200-द० रो०-50-1300-60-1420 वेतन 1-8-85 से 1300/- (1-1-86 से रु० 676-1500 की वेतन सीमा पर 70 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य था जिसका न्यूनतम रु० 560/- था महंगाई भत्ता पेंशन लाभों के लिए वेतन में जोड़ा जाता था।

(6) विशेष—दिनांक 1-9-81 से 30-9-86 तक अर्द्ध वेतन पर निजी अवकाश पर रहा।

अर्ह सेवा :—

	वर्ष	माह	दिन	
(1) सेवानिवृत्ति की तिथि	86	10	31	
(2) प्रवेश की तिथि	53	3	4	(आर्टिकल 470 के अन्तर्गत अस्थायी/स्थानापन्न सेवा की अवधि को सम्मिलित करके।)
अर्ह सेवा	33	7	27	

या

66 पूर्ण छमाही (33 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य है। अतएव उसके ऊपर की सेवा-अवधि छोड़ दी जाती है।)

औसत परिलब्धियां :—

अवधि : 1-1-86 से 31-10-86 तक	वेतन		महंगाई भत्ता
1-1-86 से 31-7-86 दर 1300/-	9100		दर 910 = 6370
* 1-8-86 से 31-10-86 दर 1360/-	4,080		दर 952 = 2856
	13,180		9,226
	= 1,318	+	922.60
	2,240.60		

नोट :—*अवधि 1-9-86 से 30-9-86 तक अर्धवेतन पर निजी अवकाश पर रहने का औसत परिलब्धियों पर कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल 487 के नियम के अनुसार यदि कोई सरकारी सेवक पिछले 10 माह में

वेतनसहित अवकाश पर अनुपस्थित रहता है, तो औसत परिलब्धियां यह मानकर गणना की जाएँगी कि अगर वह अवकाश के कारण अनुपस्थित नहीं होता, तो उसकी परिलब्धियाँ क्या होतीं।

$$\text{पेंशन} = \frac{\text{औसत परिलब्धियां}}{2} \times \frac{\text{अर्हकारी सेवा की पूर्ण छमाही अवधि}}{66}$$

या $\frac{2240=60}{2} \times \frac{66}{66}$ = रु० 1120.30 या रु० 1121/- प्रतिमाह

उदाहरण (5)—यदि उपर्युक्त दिये उदाहरण में राज्य सेवक अवकाश पर न होता और 1-2-86 से 31-3-86 तक निलंबित रहता और दिनांक 1-4-86 को अपने पद पर इस शर्त के साथ पुनः स्थापित किया जाता कि निलंबन अवधि में वेतन अनुमन्य वेतन के 2/3 के बराबर होगा, तो ऐसी दशा में आर्टिकल 487 नियम 1 के अन्तर्गत उसकी परिलब्धियां पेंशन आगणन हेतु वही होंगी जो तब होतीं यदि वह निलंबित न होता। अतएव इस निलंबन का औसत परिलब्धियों एवं पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उसकी पेंशन वही होगी जो उदाहरण (4) में निकाली गयी है।

उदाहरण (6)—उदाहरण (4) के प्रकरण में यदि राज्य सेवक निजी कारण पर अवकाश के स्थान पर असाधारण अवकाश पर होता, तो उसकी औसत परिलब्धियों और पेंशन की गणना निम्नवत् की जायेगी :—

यदि सेवानिवृत्ति के दिनांक से पिछले 10 माह में कोई राज्य सेवक बगैर वेतन के अवकाश पर अनुपस्थित हो या दस माह निलंबित हो और पुनः पद-स्थापित होने पर निलंबन काल की अवधि पेंशन में शामिल न की जानी हो, तो दस माह का औसत निकालने हेतु ऐसी अवधि (अवधियों) को गणना में से निकाल दिया जायेगा और इतनी ही अवधि (अवधियाँ) दस मास से पूर्व की शामिल कर ली जाएगी। (नियम-2 आर्टिकल 487)

अर्ह सेवा	वर्ष	माह	दिन	
(1) सेवानिवृत्ति की तिथि	86	10	31	
(2) प्रवेश की तिथि	53	3	4	
	33	7	27	
घटाइये असाधारण अवकाश	—	1	—	
	33	6	27	या 66 पूर्ण छमाही

औसत परिलब्धियां :—

1-12-85 से 31-7-86 तक	दर 1300 प्रतिमाह	10,400/-
1-8-86 से 31-8-86	1360 प्रतिमाह	1,360/-
1-10-86 से 31-10-86	1360 प्रतिमाह	1,360/-
		13,120/-
	औसत	1,312/-

नोट :—असाधारण अवकाश की अवधि औसत परिलब्धियों की अवधि से पृथक् करके उतनी ही अवधि उससे पूर्व की शामिल कर ली गयी है।

महंगाई भत्ता :—

1-12-85 वेतन 1300 दर 60 प्रतिशत	= 780/-
1-1-86 से 31-7-86 वेतन 1300 दर 70 प्रतिशत यानी 910/- प्रतिमाह	= 6,370
1-8-86 से 31-8-86 एवं 1-10-86 सें 31-10-86 } वेतन 1360 दर 70 प्रतिशत = 952/- प्रतिमाह	= 1,904-
	9,054
औसत	905.40

कुल औसत परिलब्धियां :—1,312 + 905.40 = 2,217.40 .

$$\text{पेंशन} = \frac{2,217\cdot40}{2} \times \frac{\text{अर्ह सेवा की पूर्ण छमाही}}{66}$$

$$= 1108.70 \times \frac{66}{66}$$

$$= 1108.70 \text{ या रुपया } 1109 \text{ प्रतिमाह}$$

(घ) असाधारण अवकाश एवं निलंबन :—

आर्टिकल 408 जिसका पठन शासनादेश संख्या वित्त (सामान्य)–3-2085/दस-90-76 दिनांक 13-12-77 (प्रभावी 1-11-77) के प्रस्तर-3 के साथ किया जाये। निम्न कारणों से लिया गया असाधारण अवकाश अर्ह सेवा में शामिल किया जायेगा।

(1) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर।

(2) नागरिक अशान्ति होने के कारण ड्यूटी पर आने अथवा पुनः आने में असमर्थता, अथवा।

(3) उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों के कारण लिया गया अवकाश।

पेंशन कागजात तैयार करते समय 16 माह की अवधि में यह छानबीन कर ली जानी चाहिए कि असाधारण अवकाश किस कारण से लिया गया था। इसके उपरान्त कोई पूछताछ अथवा छानबीन नहीं होनी चाहिए। अकारण अवकाश की जो अवधि/अवधियां अर्हकारी न हों उनको सेवा से निकाल देना चाहिए। असाधारण अवकाश की अल्प अवधियां, जिनके विषय में स्थिति स्पष्ट न हो, अर्हकारी सेवा मानी जायगी।

आर्टिकल 416, जिसका पठन उपर्युक्त शा० आ० के साथ किया जाय के, अन्तर्गत निलंबन काल के ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें स्पष्ट आदेश है कि उसे पेंशन के प्रयोजन हेतु ड्यूटी नहीं माना जाएगा। अन्य मामलों में, जिनमें निलंबन काल के विषय में विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है, अर्हकारी सेवा के रूप में गणना की जानी चाहिए।

उदाहरण (7) एक राज्य सेवक का सेवा विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) जन्म तिथि	1-11-29
(2) सेवा में प्रवेश की तिथि	3-12-46
(3) स्थायीकरण	1-2-1950
(4) सेवानिवृत्ति	31-10-1987

(5) धारित पद, वेतनमान तथा स्थानापन्न रूप से वेतन — ज्येष्ठ लिपिक, वेतनक्रम (400-10-450-12-474 द० रो० 12-570- द० रो० 15-615)

वेतन दिनांक 1-3-87 से — 558/-(दिनांक 1-1-86 को रु० 558/- दर 84% से महंगाई भत्ता) अधिकतम सीमा रु० 560/- देय था। इसके अतिरिक्त अन्तरिम सहायता की प्रथम किस्त 1-11-86 से दर 15% (न्यूनतम रु० 80/- अधिकतम रुपया 350/-) एवं दूसरी किस्त 1-4-87 से दर 10% (न्यूनतम 60/- अधिकतम रुपया 225/-)। स्वीकृत की गयी थी।

(ङ) कर्मचारी 3-12-60 से 2-3-64 तक एवं 3-10-70 से 2-3-72 तक निलंबित रहा। प्रथम अवधि के विषय में सेवा-पुस्तिका में अंकित है कि निलंबन काल पेंशन हेतु ड्यूटी नहीं माना जायगा परन्तु दूसरी अवधि के विषय में स्पष्ट आदेश नहीं है।

(च) कर्मचारी के अवकाश लेखा में निम्न असाधारण अवकाश अंकित है परन्तु सेवा-पुस्तिका में इसके विषय में कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है और पेंशन कागजात तैयार करने में असाधारण अवकाश की अवधियां :—

3-2-60 से 28-2-60
15-12-66 से 31-12-66
1-3-80 से 8-3-80
5-10-82 से 13-10-82
3-2-86 से 21-2-86

(अ) अर्ह सेवा :—

	वर्ष	माह	दिन
सेवानिवृत्ति की तिथि	1987	10	31
प्रवेश की तिथि	1949	10	31
	38	0	0

वास्तविक प्रवेश की तिथि 3-12-46 की है परन्तु 20 वर्ष की आयु से पूर्व की सेवा आर्टिकिल 398 के अन्तर्गत अर्ह सेवा नहीं मानी जाती। अतः उसे अर्ह सेवा से निकाल दिया गया।

घटाइये :—

सेवा जो अर्हकारी नहीं है	वर्ष	माह	दिन
निलंबन अवधि			
3-12-60 से 2-3-64	64	3	2
	60	12	2
	3	3	0

नोट :—निलंबन अवधि 5-10-70 से 2-3-74 एवं विभिन्न अवधियों में ग्रहण किये असाधारण अवकाश के विषय में सेवा-पुस्तिका में विशिष्ट प्रविष्टियां न होने के कारण उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में वर्णित नियम के अनुसार अर्ह सेवा माना गया है।

शुद्ध अर्ह सेवा :—

34 वर्ष 9 माह या 66 पूर्ण छमाही (अधिकतम)

(ब) औसत परिलब्धियां :—

अवधि 1-1-87 से 31-10-87

वेतन	दर	योग
1-1-87 से 28-2-87	546	1092
1-3-87 से 31-10-87	558	4464
		5556
	औसत	555.60

महंगाई भत्ता :—

2 माह वेतन 546 का 84% या 458.60	= 917.20
8 माह वेतन 558 का 84% या 468.70	= 3749.60
	4666.80
औसत	466.68 या 466-70

अन्तरिम सहायता :—

प्रथम किस्त :—

1-1-87 से 28-2-87 रु० 546 दर 15% या रु० 82 प्रतिमाह	= 164
1-3-87 से 31-10-87 रु० 558 दर 15% या रु० 84 प्रतिमाह	= 672
	836
औसत रु०	83.60

द्वितीय किस्त :—

1-4-87 से 31-10-87 रु० 558/- दर 10 प्रतिशत या 55·80 परन्तु रु० 60/- न्यूनतम = 420

औसत रु० 42/-

कुल औसत परिलब्धियां = 555.60 + 466·70 + 83.60 + 42/- 1147.90

(स) पेंशन :—

$$\text{पेंशन} = \frac{\text{औसत परिलब्धियां}}{2} \times \frac{\text{अर्ह सेवा की पूर्ण छमाही}}{66}$$

$$= \frac{1147{\cdot}90}{2} \times \frac{66}{66} = 573\text{-}90 \text{ या रुपया } 574/\text{- प्रतिमाह}$$

(2) रिटायरिंग पेंशन

यह दो प्रकार की होती है। (अ) स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति (ब) अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने पर।

(अ) स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति :—मूल नियम 56 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो भाग-2 से 4 के अन्तर्गत कोई सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण कर लेने अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तीन माह का नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है। ऐसे सरकारी सेवक की नियुक्ति अधिकारी पेंशन और मृत्यु तथा सेवा आनुतोषिक के लिए 5 वर्ष अथवा उस अवधि का जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के दिनांक तथा साधारण रूप से अधिवर्षता आयु के बीच हो, जो दोनों में कम हो, अतिरिक्त सेवा का लाभ दे सकता है। नियुक्ति अधिकारी चाहे तो किसी सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना या अल्प अवधि के नोटिस के बदले बिना शास्तिका भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना, सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार सेवानिवृत्त होने पर रिटायरिंग पेंशन देय होती है।

उदाहरण (8) :

(1)	जन्म तिथि	16- 5-1933
(2)	राजकीय सेवा में प्रवेश की तिथि	13-11-1954
(3)	स्थायीकरण की तिथि	2- 3-1958
(4)	स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की तिथि	31- 1-1987
(5)	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/वेतनमान तथा वेतन	स्थानापन्न रूप से लेखाधिकारी के पद पर वेतनमान 850-1720 में कार्यरत थे और 1-4-86 से पद का अधिकतम 1720/- प्राप्त कर रहे थे।
(6)	महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता जो पेंशन हेतु परिलब्धि माना जाता हो।	दिनांक 1-1-86 से वेतन सीमा 1501 से 2799 पर रु० 1080/- महंगाई भत्ता देय था, और दिनांक 1-11-86 से वेतन का 15% (न्यूनतम 80/- एवं अधिकतम 350/-) अन्तरिम सहायता देय थी जो पेंशन हेतु परिलब्धि माने जाते हैं।

उपर्युक्त विवरण से पेंशन की गणना निम्नवत् होगी :—

(अ) अवधि जिसका अर्ह सेवा में लाभ अनुमन्य है :

	वर्ष	मास	दिन
(1) साधारण रूप से अधिवर्षता वर्ष पर सेवानिवृत्ति की तिथि	1991	5	31
(2) स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की तिथि	1987	1	31
	4	4	0

चूंकि यह अवधि 5 वर्ष से कम हैं, अतएव नियुक्ति अधिकारी अधिकतम 4 वर्ष 4 माह का सेवा का लाभ मूल नियम 56 के अन्तर्गत प्रदान कर सकता है।

(ब) अर्ह सेवा :—

	वर्ष	मास	दिन
(1) सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की तिथि	1987	1	31
(2) प्रवेश की तिथि	1954	11	12
	32	2	19
जोड़िये अवधि जिसका लाभ अनुमन्य है जैसा (अ) पर निकाला गया है।	4	4	0
	36	6	19

अथवा
66 पूर्ण छमाही

(स) औसत परिलब्धियाँ :—

(1) 1-4-86 से 31-1-87 वेतन दर 1720/- प्रतिमाह	औसत = 1720/-
(2) महंगाई भत्ता दर 1080/- प्रतिमाह	औसत = 1080
(3) अन्तरिम सहायता रु० 1,720/- पर 15% की दर से रु० 258.00 (दिनांक 1-11-86 से) अर्थात् —774/-	औसत 77.40
औसत परिलब्धियां :—	2877.40

(द) पेंशन :—

$$\frac{\text{परिलब्धियां}}{2} \times \frac{\text{अर्ह सेवा की पूर्ण छमाही}}{66}$$

$$\text{या } \frac{2877.40}{2} \times \frac{66}{66} \quad \text{या रु० 1,439/- प्रतिमाह}$$

उदाहरण (9)

(1) जन्मतिथि	3	5	1940
(2) राजकीय सेवा में प्रवेश की तिथि	13	11	1964
(3) स्थायीकरण की तिथि	2	1	1968
(4) स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की तिथि	31	8	1986

(5) सेवानिवृत्ति के समय पद-नाम/वेतनमान/वेतन — वेतनमान 850-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द०रो० 60-1720 में स्थानापन्न रूप से कोषाधिकारी के पद पर कार्यरत और 1-11-85 से रुपया 1,420/- वेतन आहरित कर रहे थे।

(6) महंगाई भत्ता जो पेंशन हेतु परिलब्धि में शामिल होगा —
(अ) दिनांक 1-1-86 से पूर्व वेतन के 60 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 480/-
(ब) दिनांक 1-1-86 से 70 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 560/-

उपर्युक्त विवरण के आधार पर पेंशन की गणना कीजिए।

(अ) स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने पर अनुमन्य सेवा का लाभ :—

	वर्ष	माह	दिन
(1) साधारणतया अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की तिथि	1998	5	31
(2) स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की तिथि	1986	8	31
	11	9	0
(ब) दिया जाने वाला सेवा का अधिकतम लाभ :—	5—	0—	0—

उपर्युक्त (अ) एवं (ब) में "ब" पर दिखाई गई अवधि कम है। अतएव इस प्रकरण में 5 वर्ष की सेवा का लाभ अनुमन्य है।

(स) अर्ह सेवा :—

(1) सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की तिथि	1986	8	31
(2) प्रवेश की तिथि	1964	11	12
अर्ह सेवा	21	9	19
जोड़िये (अ) पर अनुमन्य लाभ—	5	0	0
	26	9	19

या

54 पूर्ण छमाही

(द) परिलब्धियां :—

वेतन 1-11-85 से 31-8-1986 दर रु० 1,420/- औसत	= 1,420.
महंगाई भत्ता 1-11-85 से 31-12-85 दर 1,420/- पर 60 प्रतिशत से अर्थात् रु० 852 प्रतिमाह की दरसे	= 1,704
1-1-86 से 31-8-86 तक दर 1,420/- पर 70 प्रतिशत सें अर्थात् रु० 994/- प्रतिमाह से	= 7,952
	9,656
औसत रु०	965.60

कुल औसत परिलब्धियां = रु० 1,420+ 965.60= 2,385.60

(च) पेंशन :—

$$\frac{\text{परिलब्धियां}}{2} \times \frac{\text{अर्ह सेवा की पूर्ण छमाही}}{66}$$

या $\frac{2385.60}{2} \times \frac{54}{66}$

या रु० 976/- प्रतिमाह।

(ब) अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति :—

कर्मचारियों को शासन अपने आदेशों द्वारा उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के आदेश दे सकता है। इस प्रकार की सेवानिवृत्ति भी रिटायरिंग पेंशन योग्य होती है चाहे यह दण्डस्वरूप ही क्यों न की गई हो। ऐसे कर्मचारी को पेंशन दी जायेगी किन्तु इस प्रकार की सेवानिवृत्ति में निम्न बातों को ध्यान में रख कर पेंशन की गणना करनी है :—

(1) अनिवार्य सेवानिवृत्ति की नोटिस की अवधि तीन माह की होती है।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस के बदले वेतन/भत्ते देकर भी सेवानिवृत्ति किये जाने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) यदि नोटिस के बदले वेतन/भत्ते देकर सेवानिवृत्त किया जाता है, तो उस अवधि का जिसके वेतन/भत्ते दिये गये हैं, अर्ह सेवा में गणना नहीं की जायेगी।

उदाहरण (10)—मान लीजिये उदाहरण (8) में राजकीय सेवक स्वयं सेवानिवृत्त नहीं होना चाहता बल्कि नियुक्ति अधिकारी उसे दिनांक 31-1-87 से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर देता है। ऐसी दशा में राजकीय सेवक की पेंशन निम्नवत् निर्धारित की जायेगी :—

(अ) अर्ह सेवा :—	वर्ष	माह	दिन
(1) अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति की तिथि	1987	1	31
(2) सेवा में प्रवेश की तिथि	1954	11	12
अर्ह सेवा	32	2	19
पूर्ण छमाही	64		

(ब) औसत परिलब्धियां :—

(1) 1-4-86 से 31-1-87 तक वेतन दर रु० 1,720/- प्रतिमाह औसत 1,720/-

(2) उपर्युक्त पर महंगाई भत्ता रु० 1,080/- प्रतिमाह औसत रु० 1,080/-

(3) 1-11-86 से 31-1-87 तक अन्तरिम सहायता दर रु० 1,720 का 15 प्रतिशत

अर्थात् रु० 258/- प्रतिमाह कुल 774/- औसत रु० 77.40

कुल औसत :— 2,877.40

(स) पेंशन $= \frac{\text{औसत परिलब्धियां}}{2} \times \frac{\text{पूर्ण छमाही की अर्ह सेवा}}{66}$

$= \frac{2,877.40}{2} \times \frac{64}{66}$

= रु० 1,396/- प्रतिमाह

(3) अशक्तता पेंशन (आर्टिकल 441)

किसी राजकीय सेवक को उसके सेवाकाल में ही शारीरिक रूप या मानसिक रूप से सेवा में सक्षम न होने पर अशक्तता पेंशन (इनवैलिड पेंशन) देय होती है। अशक्तता पेंशन के लिए आर्टिकल 442 के अन्तर्गत सभी राजपत्रित

कर्मचारियों एवं ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिनका वेतन मूल नियम 9(21) वि० नि० संग्रह खण्ड-दो भाग-दो से चार में 400/- प्रतिमास से अधिक होता है, को चिकित्सा परिषद में चिकित्सा परीक्षा करानी पड़ती है। अक्षमता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा लिखित पत्र, जिसमें कर्मचारी की जन्म तिथि/आयु सूचित की जायगी तथा बीमारी और उपचार का संक्षिप्त विवरण भी होगा, के आधार पर निर्धारित प्रारूप (आर्टिकल 447 (ए) में) में दिया जायेगा। प्रारूप अपेक्षित प्रपत्र में संलग्न है । ऐसा होने पर ही अशक्तता पेंशन देय होती है ।

आर्टिकल 474 के अन्तर्गत दिनांक 1-4-75 या उसके बाद से किसी दिनांक को अशक्तता पेंशन पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी को अनुमन्य अशक्तता पेंशन उस धनराशि से कम न होगी जो उसके परिवार को उस तिथि पर जैसा उसकी मृत्यु की दशा में न्यू फेमिली पेंशन स्कीम 1965, (जैसा कि उस समय हो) के अधीन फेमिली पेंशन के रूप में देय ती।

उदाहरण (11)

एक राजकीय सेवक, जिसका विवरण निम्न है, दिनांक 2-1-87 से अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो गया :—

(1) जन्मतिथि	11	12	1950
(2) राजकीय सेवा में प्रवेश की तिथि	15	11	1973
(3) स्थायीकरण की तिथि	15	11	1975
(4) अशक्तता के कारण सेवानिवृत्ति की तिथि	2	1	1987

(सक्षम अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है)

(5) पद/वेतनमान/वेतन	पद : लिपिक वेतनमान : 354-10-424-द०रो० 10-454-12-514-द०रो० 12-550 वेतन : 514 दिनांक 1-12-86 से
(6) महंगाई भत्ता/अन्तरिम सहायता जो परिलब्धियों में शामिल होगी	दिनांक 1-1-86 से रु० 675/- तक की वेतन सीमा पर महंगाई भत्ते की दर 84 प्रतिशत अधिकतम रुपया 560/- अन्तरिम सहायता दिनांक 1-11-86 से वेतन का 15 प्रतिशत न्यूनतम रुपया 80/-

उपरोक्त विवरण से उसकी पेंशन की गणना निम्नवत् की जायेगी :—

(अ) अर्हं सेवा :—

	वर्ष	माह	दिन
(1) सेवा से निवृत्ति की तिथि	1987	1	2
(2) प्रवेश की तिथि	1973	11	14
	13	1	18

या

26 पूर्ण छमाही

(ब) औसत परिलब्धियां

3-3-86 से 2-1-1987

(1) वेतन :—3-3-86 से 30-11-86 तक दर 502/-	= 4,485.61
1-12-86 से 2-1-87 तक दर दर 514/-	= 547.16
	5,032.77
औसत रु०	= 503.27
(2) महंगाई भत्ता :—रु० 503.27 का 84 प्रतिशत	= 422.74
(3) अन्तरिम सहायता	80.00
कुल औसत परिलब्धियां	= 1006.01

(स) पेंशन = $\frac{\text{औसत परिलब्धियां}}{2} \times \frac{\text{अर्ह सेवा की पूर्ण छमाही}}{66}$

$= \frac{1006.01}{2} \times \frac{26}{66}$

= रुपया 198.15 या 199 प्रतिमाह ।

शर्त यह है कि अशक्तता पेंशन के प्रकरण में पेंशन अशक्तता के दिनांक को अनुमन्य पारिवारिक पेंशन से कम नहीं हो सकती, अतएव प्रकरण में पारिवारिक पेंशन की गणना करनी होगी ।

पारिवारिक पेंशन—दिनांक 2-1-87 को वेतन	रु० 514·00
महंगाई भत्ता	431.80
अन्तरिम सहायता	80.00
परिलब्धियां :—	1,025.80

पारिवारिक पेंशन की दर :—वेतन सीमा	दर
रु० 1500/- से अधिक नहीं ।	30 प्रतिशत

रु० 1025.80 का 30 प्रतिशत = 307.74

अत: पेंशन = रु० 308 प्रतिमाह

(4) कम्पेन्शेसन पेंशन (आर्टिकिल 426 सी० एस० आर०) :—

जब किसी स्थायी कर्मचारी का पद समाप्त कर दिया जाता है और उसे समाप्त किये गये स्थायी पद के समकक्ष नियुक्ति नहीं दी जाती, तो कर्मचारी को विकल्प होता है कि—

(1) की गई सेवाओं के आधार पर अनुमन्य पेंशन/आनुतोषिक प्राप्त करे।

या

(2) कम वेतन पर दी जाने वाली नियुक्ति को स्वीकार करे और पूर्वसेवा को पेंशन के लिए गिने।

आर्टिकल 436 के अन्तर्गत स्थायी कर्मचारी को पद की समाप्ति से पूर्व 3 माह का नोटिस दिया जाना चाहिए। दि सेवा-समाप्ति की तिथि को उक्त अवधि का नोटिस नहीं दिया गया है और राजकीय सेवक को वैकल्पिक नियुक्ति ो नहीं दी जा सकी है, तो नोटिस की अवधि के लिए आनुतोषिक का भुगतान किया जायगा जिसकी धनराशि उक्त वधि की परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी, लेकिन जिस अवधि की नोटिस के बदले आनुतोषिक प्राप्त होगा, उसको पेंशन य नहीं होगी।

उदाहरण (12)

एक स्थायी राजकीय सेवक को, जिसका सेवा विवरण निम्न प्रकार है, तीन माह के नोटिस की समाप्ति पर म्पेनसेशन पेंशन पर दिनांक 2-1-87 को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है :—

(1)	जन्म तिथि	11	12	1950
(2)	राजकीय सेवा में प्रवेश	15	12	1978
(3)	स्थायीकरण की तिथि	15	12	1980

(4) वेतनमान एवं वेतन — 1660-60-1900-द०रो०-75-2200-100-2300 एवं विशेष वेतन 100 रुपये
वेतन रुपया 1975/+ रुपया 100/-विशेष वेतन दिनांक 1-4-86 से–

(5) महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता जो परिलब्धियों में गिनी जायेगी। — दिनांक 1-1-86 से वेतन सीमा रुपया 1501/-से 2799/-तक रुपया 1,080/-
अन्तरिम सहायता : —
दिनांक 1-11-86 से वेतन का 15 प्रतिशत न्यूनतम रुपया 80/- प्रतिमाह तथा अधिकतम रुपया 350/- प्रतिमाह

ंशन की गणना निम्नवत् की जायेगी :—

(अ) अर्ह सेवा	वर्ष	माह	दिन
(1) सेवानिवृत्ति की तिथि	1987	1	2
(2) सेवा में प्रवेश	1978	12	14
	8	0	18

पूर्ण छमाही 16

(ब) चूंकि अर्ह सेवा 10 वर्ष से कम है, अतएव कोई पेंशन देय नहीं है। (आर्टिकल 474–ए)

ेवल आनुतोषिक देय होगा जिसकी गणना प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए 15 दिन की परिलब्धियों के आधार पर होगी।

$$\frac{\text{परिलब्धि}}{2} \times \text{पूर्ण छमाही}$$

(स) परिलब्धियां :—

वेतन :	रुपया 1975	(विशेष वेतन परिलब्धियों में नहीं जोड़ा जायगा)
महंगाई भत्ता :	रुपया 1,080	
अन्तरिम सहायता :	रुपया 296	(विशेष वेतन पर अन्तरिम सहायता देय नहीं है)
रु० 1,975 का 15 प्रतिशत		
	योग = 3 351	

(द) आनुतोषिक $= \frac{3,351}{2} \times 16$

= रु० 26,808

(5) असाधारण पेंशन (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) :—

जब कोई सरकारी कर्मचारी पद के जोखिम के परिणामस्वरूप मारा जाय या उसके कारण लगी चोटों से उस मृत्यु हो जाय, तो सरकारी सेवक की विधवा और उसके अवयस्क बालकों की उतनी धनराशि की पेंशन, जो अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य धनराशि से अधिक नहीं होगी, दिये जाने का प्राविधान एक्स्ट्रा-आर्डिनरी पेंशन नियमाव 1981 के अधीन किया गया है ।

1—इस नियम के अधीन स्वीकृत की जाने वाली पेंशन या कुल पेंशनों के योग की धनराशि, अनुसूची-तीन विनिर्दिष्ट दरों के (जिसमें न्यूनतम सीमा भी सम्मिलित है) होते हुए भी मृत सरकारी सेवक के वेतन से अधिक न होगी । यदि किसी मामले में अनुसूची-तीन के अधीन संगठित ऐसी पेंशनों की धनराशि मृतक के वेतन से अधिक जाय, तो प्रत्येक पेंशन की धनराशि में ऐसी आनुपातिक कमी की जायगी जिससे वह धनराशि ऐसी सीमा तक हो जाय

2—इसके अन्तर्गत प्राप्त पेंशन एवं आनुतोषिक प्रथमतः विधवा को और यदि विधवा न हो, तो अवयस्क बालकों अनुसूची-तीन-क में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य धनराशि का आनुतोषिक और पेंशन/अधिनिर्णय की धनराशि स्वीकृत की जायेगी यदि मृत कर्मचारी की पत्नी जीवित नहीं है या उसकी मृत्यु हो जाय या पुनर्विवाह कर ले, तो अवयस्क बालक ऐसी घट के दिनांक से ऐसी पूर्ण पेंशन एवं आनुतोषिक के हकदार होंगे जो विधवा को अनुमन्य होती और उसे उनमें बराबर-बराब बांट दिया जायेगा ।

3—अनुसूची-तीन-क के स्तम्भ-2(क) में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य धनराशि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इ नियमावली के अनुसार औपचारिक अधिनिर्णय होने तक सरकारी सेवक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर आनुतोषि प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों को तुरन्त संवितरित कर दी जायेगी ।

परन्तु यह और कि यदि इस उपनियम के अधीन कोई अधिनिर्णय दिया गया हो, तो उ० प्र० पुलिस (असाधार पेंशन) नियमावली 1961 के अधीन कोई अधिनिर्णय या यू० पी० लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स या यू० पी० रिटायरमे बेनीफिट्स नियम के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक या न्यू फेमिली पेंशन स्कीम 1965 के अधीन पारिवा रिक पेंशन, या यू० पी० कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स नियम के अधीन सरकारी अंशदान नहीं दिय जायेगा ।

इस नियम के अधीन यदि सरकारी सेवक के दो पत्नियां थीं, तो अनुमन्य पेंशन/आनुतोषिक बराबर-बराबर बांट दि जायेगा ।

4—यदि कोई विधवा या अवयस्क बालक नहीं है, तो अधिनियर्ण की धनराशि उसके माता-पिता को संयुक्त अथवा क्-पृथक् दी जायेगी। माता-पिता न होने पर अवयस्क भाइयों/बहनों को पृथक्-पृथक् या सामूहिक रूप से, यदि वे रण-पोषण के लिए उस कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित थे। किन्तु इन्हें अधिनिर्णय की कुल धनराशि (जो विधवा को थी) से आधी धनराशि से अधिक देय नहीं होगी।

यदि मृत कर्मचारी द्वारा अपनी वसीयत में विधवाओं, बालकों, पिता, माता या अवयस्क भाइयों या बहनों में से सी को अपनी सम्पत्ति में किसी अंश से वंचित किया गया हो, तो उसे उक्त धनराशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं गा और लाभ दूसरे पात्र व्यक्तियों को वितरित किया जायेगा।

5—असाधारण पेंशन तब देय नहीं होगी जबकि सम्बन्धित सरकारी सेवक स्वयं अपनी चूक से या सारवान मात्रा अपनी किसी उपेक्षा के परिणामस्वरूप क्षति हो जाये या मारा जाय या ऐसी क्षति के कारण मृत्यु हो जाय।

6—इस अधिनियम के अधीन राज्यपाल की स्वीकृति के सिवाय कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जा सकता परन्तु -विशेष के जोखिम के परिणामस्वरूप किसी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विभागाध्यक्ष औपचारिक अधिनिर्णय ने तक सरकारी सेवक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर केवल आनुतोषिक का वितरण पात्र व्यक्तियों को कर कता है।

7—जब कोई क्षति पेंशन या उपदान या पारिवारिक पेंशन के लिए कोई दावा प्रोद्भूत हो, तब उस कार्यालय या भाग का अध्यक्ष जिसमें मृत सरकारी सेवक सेवायोजित था, दावे को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सामान्य माध्यम सरकार को भेजेगा :—

(1) उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें क्षति पहुँची, रोगग्रस्त हुआ या मृत्यु हुई।

(2) अनुसूची चार में दिये गये प्रपत्रों में से प्रपत्र "क" में क्षति पेंशन या उपदान के लिए आवेदन-पत्र या यथास्थिति प्रपत्र "ख" में पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन-पत्र।

(3) क्षतिग्रस्त सरकारी सेवक या ऐसे सेवक की जो रोगग्रस्त हो गया हो, स्थिति में अनुसूची-चार में दिये गये प्रपत्र "ग" में चिकित्सा रिपोर्ट/मृत सरकारी सेवक की स्थिति में मृत्यु सम्बन्धी चिकित्सा रिपोर्ट या वास्तव में मृत्यु होने का विश्वसनीय साक्ष्य यदि सरकारी सेवक की ऐसी परिस्थिति में जान गयी हो जिसमें चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकती थी।

(4) सम्बद्ध लेखा परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट कि क्या नियमों के अधीन अधिनिर्णय ग्राह्य है और यदि ग्राह्य है तो कितनी धनराशि के लिए।

ग) असाधारण पेंशन नियमावली की अनुसूची

अनुसूची-तीन

(नियम–10)

पारिवारिक पेंशन

(क) विधवा

ु के दिनांक को सरकारी सेवक का वेतन	मासिक पेंशन
1	2
1) 800 रु० या उससे अधिक ..	वेतन का आठवां भाग किन्तु अधिकतम 200 रुपये।

(2) 200 रु० और उससे अधिक किन्तु 800 रु० से कम	..	वेतन का छठा भाग किन्तु अधिकतम 100 रु० और न्यूनतम 50 रु० ।
(3) 200 रु० से कम	..	वेतन का एक तिहाई भाग किन्तु अधिकतम 50 रु० और न्यूनतम 10 रु० ।

(ख) बालक

मृत्यु के दिनांक को सरकारी सेवक का वेतन	प्रत्येक बालक की मासिक पेंशन	
	यदि बालक मातृहीन हो ।	यदि बालक मातृहीन न हो ।
1	2	3
(1) 800 रुपये और उससे अधिक	40 रु०	25 रु०
(2) 250 रु० और उससे अधिक किन्तु 800 रु० से कम	25 रु०	13 रु०
(3) 250 रु० से कम	वेतन का दसवां भाग किन्तु न्यूनतम 8 रु०	वेतन का बीसवां भाग किन्तु न्यूनतम 4 रु०

अनुसूची-तीन "क"

(नियम-10)

पारिवारिक आनुतोषिक और पेंशन

सरकारी सेवक का वर्ग	आनुतोषिक		पेंशन
	तात्कालिक अनुतोष के लिए	दीर्घकालीन आनुतोष के लिए	
1	2क	2ख	3
एक	5000	50,000	मृत कर्मचारी द्वारा उस दिनांक तक, जब वह अधिवर्षता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाता, ली गई परिलब्धियों के बराबर तत्पश्चात् पारिवारिक पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी जो मृत कर्मचारी, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, निम्नलिखित उपधाराओं के अधीन रहते हुए तत्समय प्रयोज्य साधारण पेंशन नियमों के अनुसार लेता :—
दो	3000	40,000	
तीन	2000	30,000	
चार	1000	20,000	

(1) मृत कर्मचारी अधिवर्षता के दिनांक तक अर्हकारी सेवा करता रहता और उसे कोई पदोन्नति नहीं मिली थी।

(2) यदि मृत कर्मचारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था, तो उसके स्थायीकरण के सम्भाव्य दिनांक की उपधारणा कर ली जायगी। यदि उस वेतनमान को जिसमें मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार कार्य किया उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर दिया जाये जिस दिनांक को वह अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होता, तो पेंशन की संगणना उस उपधारित वेतन पर की जायगी जो मृत कर्मचारी को यदि वह जीवित होता, अधिवार्षिकी के समय मिलता।

(अ) असाधारण पेंशन हेतु परिलब्धियों की गणना :—

इसके अन्तर्गत परिलब्धियों में निम्न सम्मिलित होगा :—

(एक) इस नियमावली में यथा परिभाषित वेतन

(दो) महंगाई भत्ता

(ब) असाधारण पारिवारिक पेंशन पर राहत की अनुमन्यता :—

शासन ने राजाज्ञा सं० सा-3-ए०जी०-41/दस-918-83, दिनांक 12-8-83 द्वारा निर्देश दिये हैं कि असाधारण पेंशन नियमावली के अन्तर्गत पेंशन प्राप्तकर्ताओं को भी उन्हीं दरों पर एवं उन्हीं तिथियों से राहत दी जायगी जिन तिथियों एवं दरों पर उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायमेन्ट बेनीफिटस रूल्स 1961 एवं पारिवारिक पेन्शन स्कीम 1965 के अधीन पेंशन प्राप्तकर्ताओं को देय होती है।

(स) एक्सग्रेशिया पेंशन :—

ऐसे राज्य कर्मचारियों को, जो सेवा अवधि के दौरान अन्धे अथवा विकलांग हो जायं और जो किसी अन्य नियमावली के अन्तर्गत किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त करने के अन्यथा अधिकारी नहीं हैं, आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से राजाज्ञा सं० सा-3-574/दस-942/75 दिनांक 19-6-76 द्वारा (राजाज्ञा की तिथि से) एक्सग्रेशिया पेंशन निम्नांकित दरों पर दिये जाने के आदेश दिये गये :—

	वेतन सीमा	पेंशन की दरें
(1)	800 रु० तथा उससे अधिक	वेतन का 10 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि 95 रु० प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि 140 रु० प्रतिमाह।
(2)	200 रु० तथा उससे अधिक किन्तु 800 रु० से कम	वेतन का 12 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि 50 रु० प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि 90 रु० प्रतिमाह होगी।
(3)	200 रु० से नीचे	वेतन का 25 प्रतिशत।

इस प्रयोजन के लिए वेतन का तात्पर्य वि० ह० पुस्तिका खण्ड-दो भाग-दो से चार के मूल नियम 9(21) में

परिभाषित ऐसे वेतन से है जो सरकारी कर्मचारी अन्धे होने अथवा विकलांग हो जाने के दिनांक को पा रहा हो। यदि उक्त दिनांक को सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होने से (जिसमें असाधारण अवकाश भी सम्मिलित है) या निलंबित किये जाने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो, तो वेतन का तात्पर्य उस वेतन से होगा जो उक्त कर्मचारी ने ऐसी छुट्टी पर जाने या निलंबित किये जाने के ठीक पहले प्राप्त किया हो।

यह योजना 19-6-76 से लागू हुई और इसके निमित्त किसी प्रकार के अवशेष देय नहीं हैं किन्तु ऐसे अन्धे हुए अथवा विकलांग हुए कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों पर गुण-अवगुण के आधार पर भी विचार कर लिया जायेगा, जो इन आदेशों के जारी होने के पूर्व ही अन्धे/विकलांग हो जाने के फलस्वरूप सेवा से पृथक् कर दिये गये थे और जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन किसी अन्य नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली पेंशन के लिए सम्बन्धित राज्य सेवक को अपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) पर अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करना होता है।

पेंशन की धनराशि कुल रुपयों में दी जायेगी। पूर्ण रुपयों के ऊपर की धनराशि को अगला पूर्ण रुपया माना जायेगा।

ऐक्सग्रेशिया पेंशन की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र

1—सरकारी कर्मचारी का नाम ....

2—प्रार्थी के पिता/पति का नाम ....

3—जन्मतिथि ....

4—अन्तिम धारित पदनाम तथा अधिष्ठान का नाम ....

5—नियुक्ति की प्रकृति—स्थायी अथवा अस्थायी ? यदि नियुक्ति स्थानापन्न हो, तो मौलिक नियुक्ति का उल्लेख किया जाय ....

6—अंतिम आहरित वेतन तथा वेतनमान जिसमें वेतन आहरित किया गया हो। ....

7—अशक्तता की तिथि ....

8—अशक्तता की प्रकृति ....

9—अशक्तता की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र ....

10—क्या उ० प्र० सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा-आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन पेंशन तथा/अथवा ग्रेच्युटी प्राप्त हो चुकी है या प्राप्त होने वाली है ....

प्रार्थी के विधिवत् सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिये स्थान।

11—ट्रेजरी का नाम जहां से भुगतान अपेक्षित हो ....

....

12—नामिनी का नाम तथा संबंध, जिसे जीवनकालीन अवशेष, यदि कोई हो, भुगतान किये जाने अपेक्षित हों, ...

स्थान ....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक ....

प्रार्थी का निशानी अंगूठा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सही है ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी का निशानी अंगूठा

अग्रसारित करने वाले प्राधिकारी की संस्तुति
....
....

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के
हस्ताक्षर तथा पदनाम

(7) पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन यू० पी० लिबरलाइज्ड रूल्स 1961 के अन्तर्गत उ० प्र० शासन की विज्ञप्ति सं० जी-2-2585/दस-944-1959 दिनांक 12 सितम्बर, 1961 द्वारा दिनांक 1-4-1961 से प्रारम्भ किया गया। इसके तुरन्त बाद शासन ने यू० पी० रिटायरमेण्ट बेनीफिट्स रूल्स 1961 विज्ञप्ति सं० जी-2-/749/दस-917-1961 दिनांक 29 मार्च, 1962 द्वारा दिनांक 1-4-61 से प्रभावी किया। इसके अन्तर्गत बने नियमों में भी यू० पी० लिबरलाइज्ड रूल्स 1961 के समान ही पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की गई थी। पारिवारिक पेंशन को अधिक उदार बनाने के दृष्टिकोण से एक नई पारिवारिक पेंशन योजना "न्यू फेमिली पेंशन स्कीम, 1965" को राजाज्ञा संख्या जी-2-769/दस-917-61 दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से प्रभावी किया।

उक्त तीनों नियमावलियों में पारिवारिक पेंशन के अन्तर को संक्षिप्त रूप में निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है :—

विवरण	यू०पी० लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961	यू० पी० रिटायर-मेन्ट बेनीफिट्स रूल्स	न्यू फेमिली पेंशन स्कीम 1965
1	2	3	4
1—कर्मचारियों की श्रेणी जिन पर लागू है।	राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी	जैसा स्तम्भ-2 में	पेंशन योग्य अधिष्ठानों के स्थायी/अस्थायी दोनों प्रकार के सेवकों पर **सेवारत मृत्यु की दशा में :—** इस शर्त के साथ कि राजकीय पद पर नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार चिकित्सा-परीक्षा में सरकारी सेवा के योग्य पाया गया हो। (यह शर्त राजाज्ञा संख्या सामान्य 3-1358/दस-918/79 दिनांक 21-9-79 द्वारा लागू की गयी।) **नोट :—**दिनांक 21-9-79 से पूर्व सेवारत मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन तभी देय थी जब उसने कम से कम एक वर्ष की लगातार

			सेवा, जिसमें भत्तारहित छुट्टियां, निलम्बन काल की अवधि तथा 20 वर्ष की आयु से पहले की गयी सेवा अवधि सम्मिलित न हो, पूर्ण कर ली हो । **सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु :—** मृत्यु के समय कोई प्रतिकर, अशक्तता सेवानिवृत्ति अथवा अधिवर्षता पेंशन पा रहा हो।
2—अर्हकारी सेवा	20 वर्ष होने पर (वित्त विभाग विशेष परिस्थितियों में 10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर सकता है ।)	जैसा स्तम्भ-2 में	कोई सीमा नहीं थी अर्थात् पारिवारिक पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा होना अनिवार्य नहीं था ।
3—पारिवारिक पेंशन की धनराशि	**1—सेवारत मृत्यु :—** यह मानकर कि यदि राजकीय सेवक मृत्यु के अगले दिन से सेवा निवृत्त हो जात, तो जो, उसे उस दशा में अधिवर्षता पेंशन देय होती, उसका आधा । **2—सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु :—** स्वीकृत पेंशन का आधा । न्यूनतम 30/- प्रतिमास अधिकतम 150/- प्रतिमास ।	जैसा स्तम्भ-2 में	पारिवारिक पेंशन का कोई सम्बन्ध पेंशन से नहीं रखा गया । इस योजना के अन्तर्गत देय पारिवारिक पेंशन अनुमन्य मूल वेतन के निर्धारित प्रतिशत के बराबर है, जो समय-समय पर बदलता रहा है ।
4—पारिवारिक पेंशन के भुगतान की अवधि	**दस वर्ष प्रतिबन्ध :—** सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की दशा में अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के 5 वर्ष बाद देय नहीं है । **सेवारत मृत्यु की दशा में :—** साधारण दशा में अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक से 5 वर्ष के बाद देय नही है ।	उपर्युक्त	(क) पति/पत्नी विधुर/विधवा :—जीवन भर या पुनर्विवाह तक जो पहले हो— इनके मृत्यु/पुनर्विवाह होने की दशा में । (ख) पुत्र:—21 वर्ष की आयु तक । उक्त (क) व (ख) के पात्र व्यक्ति उपलब्ध न होने पर । (ग) अविवाहित पुत्री :—24 वर्ष की आयु तक या विवाह होने तक जो भी पहले हो ।

			नोट :—यदि कोई पुत्र/पुत्री मानसिक विक्षिप्त या विकलांग हो, तो जीवनपर्यन्त ।
5—नामांकन–पत्र	नामांकन-पत्र में दिये क्रम के अनुसार एक बार में परिवार के एक सदस्य को।	उपर्युक्त	नामांकन-पत्र की व्यवस्था समाप्त करके यह प्राविधान किया गया कि योजना के अन्तर्गत पेंशनर की मृत्यु पर स्वत: ही पारिवारिक पेंशन प्रथमत: विधवा/विधुर को देय होगी। इनकी मृत्यु के उपरान्त पेंशनर के ज्येष्ठ पुत्र को (21 वर्ष की आयु तक) और उसके बाद ज्येष्ठ अविवाहित पुत्री को (24 वर्ष की आयु तक या विवाह की तिथि तक जो भी पहले हो) ।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होगा कि नयी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 अधिक उदार है। उत्तर प्रदेश शासन के अधिकतर सेवकों पर यही योजना या तो स्वत: लागू होती है या वे इससे शासित होते हैं। अतएव इस योजना के प्राविधानों को निम्नवत् स्पष्ट किया जा रहा है :—

[य]ोजना 1965 [क]ा पैरा (1) [ज]से राजाज्ञा [सं]ख्या सा-3-1168/दस-935/87 दिनांक 22 जून, 1987 [के] साथ पढ़ें :—

2—**वेतन** :—दिनांक 1-1-86 या इससे पूर्व सेवारत मृत्यु या सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृतकों की दशा में पारिवारिक पेंशन के लिये **वेतन** का अर्थ था **वेतन** जैसा वि० नि० संग्रह खण्ड-दो भाग-2 से 4 के मूल नियम 9 (21) में परिभाषित हैं अर्थात पद के धारण करने के कारण प्राप्त होने वाले वेतन में विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, तकनीकी वेतन, समुद्री पार भत्ता, जो मूल नियम 9(21) (2) में वेतन माने जाते हैं, एवं अन्य कोई भत्ता, जिसे राज्यपाल महोदय ने मूल नियम 9(21)(3) में वेतन घोषित किया हो, भी शामिल होते थे परन्तु महंगाई भत्ता जो सेवा नैवृतिक लाभों के उद्देश्य से वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की राजाज्ञा जी-3-1386/दस-910/79 दिनांक 25 जून, 1979 द्वारा (दिनांक 31-3-79 से 30-6-79 तक) एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या सा-3-1391/दस-903/85 दिनांक 30 जुलाई, 1985 द्वारा (दिनांक 31-3-85 से 31-12-85 तक) देय था वेतन माना गया, पारिवारिक पेंशन हेतु वेतन की परिभाषा में नहीं आता था ।

दिनांक 1-1-86 या उसके बाद सेवारत अथवा सेवा उपरान्त मृतक राजकीय सेवकों की दशा में शासनादेश संख्या सा-3-2230/दस-935/87 दिनांक 7-11-87 द्वारा स्थिति स्पष्ट हो जाने पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-6-87 के प्रस्तर–7 के संदर्भ में पैरा 3-2 में पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों की व्याख्या की गई है जिसके अनुसार पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की किस्तों को भी यथास्थिति वेतन के साथ सम्मिलित किया जायगा। अतएव पारिवारिक पेंशन आगणन भी तदनुसार किया जायगा।

3—सेवारत मृत्यु की दशा में मृत्यु से पूर्व असाधारण अवकाश पर अथवा सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश पर हो, जिसमें असाधारण अवकाश भी शामिल हो, वेतन का तात्पर्य उस वेतन से होगा जो अवकाश पर जाने से ठीक पहले मिला है :—

उदाहरण :—(1)—मान लीजिये कि मृतक राजकीय सेवक दि० 1-4-86 से रु० 1,975

प्रतिमाह वेतन एवं रु० 1080 प्रतिमाह महंगाई दि० 1-1-86 से प्राप्त कर रहा था और दिनांक 1-8-86 से मृत्यु की तिथि तक असाधारण अवकाश पर था, तो पारिवारिक पेंशन के लिये उसके वेतन की गणना निम्नवत् की जायगी :—

(1)	दिनांक 1-8-86 के पूर्व उसको देय वेतन	रु० 1975/-
(2)	महंगाई भत्ता (दिनांक 1-1-86 को) जो पारिवारिक पेंशन हेतु वेतन माना जायगा।	रु० 1080/-
	योग	रु० 3055/-

4—सेवारत मृत्यु की दशा में यदि मृत्यु से पूर्व निलम्बित था और निलम्बनकाल में मृत्यु हो जाती है, तो निलम्बितकाल सभी प्रयोजनों के लिये कार्य-अवधि माना जायगा और उसके परिवार को उक्त अवधि के लिये पहले से दिये गये निर्वाह भत्ते को समायोजित करके पूरा वेतन तथा भत्ते दिये जायेंगे, जिसके लिये वह हकदार होता यदि निलम्बित न किया गया होता (पैरा 5 शासनादेश संख्या जी-2-255/दस-534(18)-71 दिनांक 23 जुलाई, 1975 मूल नियम 54 बी(2) ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन के लिये उसका वेतन वह होगा, जो उपरोक्त रीति से देय होगा।

योजना 1965 का पैरा-3-(क)

5—**पारिवारिक पेंशन देय होने की शर्तें** :—पेंशन योग्य अधिष्ठानों के स्थायी/अस्थायी दोनों प्रकार के राजकीय सेवकों को योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन देय है।

(अ) **सेवारत मृत्यु** :—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 शासनादेश संख्या सामान्य-3-1358/दस-918/79 दिनांक 21-9-79 (प्रभावी राजाज्ञा जारी होने की तिथि से) यदि सरकारी सेवक की राजकीय पद पर नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार चिकित्सा परीक्षा करा ली गयी है और वह सेवा के योग्य पाया गया है, तो कार्यभार ग्रहण के दिनांक को भी मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन देय होगी।

(ब) **सेवानिवृत्ति उपरान्त मृत्यु** :—पारिवारिक पेंशन तब ही देय होगी जब राजकीय सेवक किसी प्रकार की पेंशन अर्थात् प्रतिकर या अशक्तता या सेवानिवृत्ति या अधिवर्षता प्राप्त कर रहा हो, अर्थात् सेवानिवृत्ति के उपरान्त पारिवारिक पेंशन स्थायी सरकारी सेवकों को ही मिल सकती है।

महत्वपूर्ण :—अस्थायी सेवक के परिवार को उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने पर किसी प्रकार की पारिवारिक पेंशन देय नहीं होती है क्योंकि अस्थायी सेवक को किसी प्रकार की पेंशन अनुमन्य नहीं है।

योजना 1965 का प्रस्तर 3(ख)(ग) जैसा शासनादेश संख्या जी-3-1382/दस-3-82 दिनांक

6—**परिवार की परिभाषा** :—इस योजना के लिये परिवार में केवल सरकारी सेवक के निम्न-लिखित सम्बन्धी सम्मिलित होंगे :—

(1) पति/पत्नी

(2) 21 वर्ष तक की आयु के पुत्र (1-4-82 से पूर्व यह सीमा 18 वर्ष थी)

(3) 24 वर्ष तक की अविवाहित पुत्रियां (1-4-82 से पूर्व यह सीमा 21 वर्ष थी)।

और उपर्युक्त को पारिवारिक पेंशन निम्न क्रम में उनके सामने अंकित अवधि तक देय होगी :—

5-9-82 (प्रभावी 1-4-82 से) एवं शासनादेश संख्या सी-3-859/दस-3-82 दिनांक 30-4-86 द्वारा संशोधित है।

(अ) प्रथम पत्नी अथवा पति को :—मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि तक जो भी पहले हो।

(ब) उसके बाद ज्येष्ठतम उत्तरजीवी पुत्र को :—जब तक आयु 21 वर्ष की न हो जाय।

(स) अन्त में ज्येष्ठतम उत्तरजीवी अविवाहित पुत्री को :—आयु 24 वर्ष होने तक या विवाह तक जो भी पहले हो।

शासनादेश संख्या सा-3-1155/दस-2-81 दिनांक 6 अगस्त, 81 (प्रभावी जारी होने की तिथि से)

7—मृतक सरकारी सेवक के ऐसे पुत्र या पुत्री को जो शारीरिक रूप से अपंग अथवा विकलांग या मानसिक रूप से अक्षम अथवा विक्षिप्त हो जिसके कारण वह अपनी जीविका कमाने में असमर्थ हो निम्न शर्तों के अधीन जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन देने की व्यवस्था :—

शर्तें :—(1) शारीरिक या मानसिक अशक्तता सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अथवा सेवाकाल में मृत्यु से पहले प्रकट हुई हो।

(2) विधवा/विधुर न हो और पात्रता बच्चों की बनती हो।

(3) मृत सरकारी सेवक के परिवार में एक से अधिक सन्तानें हैं और इनमें से एक विकलांग/अपंग/विक्षिप्त/अक्षम है, तो ऐसी दशा में पहली योजना के अन्तर्गत निर्धारित क्रम में तब तक देय होगी जब तक पुत्र होने की दशा में 21 वर्ष तथा पुत्री होने की दशा में 24 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। उसके बाद पारिवारिक पेंशन मानसिक रूप से विकलांग/अपंग पुत्र/पुत्री को पुनः देय हो जायगी।

(4) एक से अधिक मानसिक रूप से विक्षिप्त/अक्षम या शारीरिक रूप से विकलांग/अपंग सन्तान होने पर पहले पुत्र को और यदि एक से अधिक ऐसे पुत्र हैं, तो पहले आयु में ज्येष्ठ को और उसके न रहने पर कनिष्ठ पुत्र को।

(5) ऐसा पुत्र न हो, तो पुत्री को। यदि एक से अधिक ऐसी पुत्रियां हों, तो पहले आयु में ज्येष्ठ को और उसके न रहने पर उससे कनिष्ठ को।

(6) मानसिक रूप से विक्षिप्त / अक्षम या शारीरिक रूप से विकलांग अपंग को पारिवारिक पेंशन का भुगतान संरक्षक के माध्यम से होगा।

(7) ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने से पूर्व यह सन्तुष्ट हो जाना आवश्यक होगा कि ऐसा व्यक्ति अपनी विकलांगता / अपंगता / विक्षिप्तता / अक्षमता के कारण जीवकोपार्जन करने में असमर्थ है। इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये जिसमें उसकी शारीरिक/मानसिक स्थिति का उल्लेख हो।

(8) संरक्षक को प्रत्येक तीसरे वर्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह जिस व्यक्ति के लिये पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वह निरन्तर मानसिक रूप से विक्षिप्त/अक्षम या शारीरिक रूप से विकलांग/अक्षम है।

(9) जीविकोपार्जन करने की तिथि से ऐसे पुत्र / पुत्री को पारिवारिक पेंशन बन्द कर दी जायगी। पुत्री की दशा में उसका विवाह हो जाने पर पारिवारिक पेंशन विवाह की तिथि से बन्द हो जायगी।

(10) संरक्षकों को प्रत्येक माह यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि ऐसे व्यक्ति ने अभी जीवकोपार्जन आरम्भ नहीं किया है। पुत्री की दशा में यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसका विवाह नहीं हुआ है।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 शा० आ० संख्या सा-3-1220/दस-905/81 दिनांक 16 सितम्बर, 1981 (जारी होने की तिथि से प्रभावी)

8—**पारिवारिक पेंशन के पात्र व्यक्ति का राजकीय सेवक की हत्या करने के अपराध से या ऐसा अपराध किये जाने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित होना :—**

(1) ऐसा होने पर उसका पारिवारिक पेंशन का दावा तथा परिवार के अन्य पात्र व्यक्तियों का दावा अपराधी व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलम्बित रहेगा।

(2) यदि हत्या का या हत्या करने के लिये उकसाने का अपराध सिद्ध हो जाय, तो उस व्यक्ति का पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार समाप्त हो जायगा और निर्धारित क्रम में देय अन्य पात्र सदस्य को, यदि कोई है, मृत्यु की तिथि से पारिवारिक पेंशन देय होगी।

(3) यदि आरोपित व्यक्ति दोषमुक्त हो जाता है, तो उसे पारिवारिक पेंशन सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से देय होगी।

योजना, 1965 का पैरा 1 सपठित शासनादेश संख्या सा-3-1168/दस-935/87 दिनांक 22-6-87

9—(अ) **पारिवारिक पेंशन की धनराशि :—**

(1) रु० 1500/- से अनधिक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत
(2) रु० 1500/- से अधिक परन्तु रु० 3000/- से अनधिक	मूल वेतन का 20 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 450/- प्रतिमाह)
(3) रु० 3000/- से अधिक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत (न्यूनतम रु० 600/- प्रतिमाह अधिकतम रु० 1250/- प्रतिमाह)

शा० आ० संख्या सामान्य-3-1426/दस-917-64 दिनांक 13-6-73 (प्रभावी 1-4-73) एवं संख्या सा० 3-657/दस-900-78 दिनांक 10-5-78 (प्रभावी 1-4-78)

10—सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में अथवा सेवानिवृत्ति के प्रथम सात सालों में मृत्यु हो जाने पर बढ़ी दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान :—

(अ) यदि किसी राजकीय सेवक की सेवारत मृत्यु 7 साल की अविरल सेवा के बाद हो जाय, तो उसके परिवार को मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से पहले सात साल तक उस अथवा उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती (65 वर्ष की आयु का प्राविधान 1-4-78 से प्रभावी है, इससे पूर्व अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की व्यवस्था थी) जो भी पहले होती मूल वेतन का आधा अथवा नियमों में देय पारिवारिक पेंशन का दुगुना, जो भी कम हो, की दर से पारिवारिक पेंशन देय होगी।

(ब) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की दशा में पहले सात वर्ष तक अथवा उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले हो, पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का आधा अथवा देय पारिवारिक पेंशन का दुगुना, जो भी कम हो, के बराबर होगी, शर्त यह है कि इस प्रकार बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति के उपरान्त स्वीकृत की गयी सेवा पेंशन से अधिक नहीं होगी आगे शर्त यह भी है कि जिन मामलों में साधारण रूप से अनुच्छेद 9 के अनुसार निकाली गयी पारिवारिक पेंशन सेवानिवृत्ति के उपरान्त स्वीकृति सेवा पेंशन से अधिक हो,

उनमें उस अनुच्छेद के अन्तर्गत दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन उस धनराशि (अर्थात् पैरा 9 के अनुसार निकली पारिवारिक पेंशन) से कम नहीं होगी।

नोट :—(सेवा पेंशन का अर्थ है मूल पेंशन अर्थात् राशिकरण से पूर्व स्वीकृत पेंशन)

नयी पारिवारिक पेंशन, 1965 के पैरा 1 के अनुसार यदि कोई राज्य सेवक मृत्यु से पूर्व असाधारण अवकाश पर हो, तो पारिवारिक पेंशन के प्रयोजनार्थ उसका वेतन वह होगा जो वह ऐसे अवकाश से पूर्व पा रहा हो।

उदाहरण—(1) राज्य शासन में "क" एक अस्थायी कर्मचारी है जो 690-1420 के वेतनमान में रु० 730/- वेतन प्रतिमाह दिनांक 1-7-86 से आहरित कर रहा है। उसकी जन्म-तिथि 15-2-1961 है और उसने सेवा में 1-7-85 को प्रवेश किया। उसकी मृत्यु 3-2-87 को हो गयी। उसके द्वारा दिये गये परिवार के विवरण के अनुसार उसके परिवार में मृत्यु के समय निम्न सदस्य थे :—

(1) पत्नी
(2) पुत्र जन्म तिथि 1-10-84
(3) पुत्र जन्म तिथि 15-12-86

पत्नी पर पति की हत्या का आरोप है। स्पष्ट करें कि यदि (1) आरोप में पत्नी को न्यायालय से सजा हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन किसको और कब से देय होगी (2) पत्नी आरोप से मुक्त हो, जाती है तो पारिवारिक पेंशन किसको कब से मिलेगी।

पत्नी को (पति जो कि राज्य कर्मचारी थे), पारिवारिक पेंशन देय होती थी परन्तु उस पर पति की हत्या का आरोप है। ऐसी दशा में शा० आ० दिनांक 16-9-81 (पैरा 8) के अन्तर्गत न्यायालय के निर्णय तक पारिवारिक पेंशन का दावा अन्य पात्र व्यक्तियों सहित निलम्बित रहेगा।

(1) **हत्या के आरोप में पत्नी को सजा होने पर** :—पत्नी का पारिवारिक पेंशन का दावा समाप्त हो जायगा। ज्येष्ठ पुत्र को दिनांक 4-2-87 से पारिवारिक पेंशन प्राप्त होगी। वह यह पेंशन 30-9-2005 तक प्राप्त करेगा। उसके बाद पारिवारिक पेंशन दूसरे पुत्र को दिनांक 14-12-2007 तक (जब तक वह 21 वर्ष का होगा) मिलेगी। उसके बाद यह पेंशन मिलनी बन्द हो जायगी।

(2) **हत्या के आरोप से दोषमुक्त हो जाना** :— पत्नी को दिनांक 4-2-87 से पारिवारिक पेंशन मृत्यु अथवा पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो, के दिनांक तक प्राप्त होगी।

उदाहरण–(2) "क" एक अस्थायी राज्य सेवक है जो वेतनमान 354-550 में दिनांक 1-10-85 से रु० 454/- प्रतिमाह वेतन पा रहा है। उसकी अकस्मात मृत्यु 13-2-86 को हो जाती है। उसके परिवार में मृत्यु के समय निम्न सदस्य हैं :—

(1) पुत्र जन्म-तिथि 3-7-1976
(2) पुत्र जन्म तिथि 1-2-1978 (शारीरिक रूप से विकलांग जन्म से)
(3) पुत्री जन्म तिथि 15-4-80।

स्पष्ट करें कि पारिवारिक पेंशन प्रत्येक सदस्य को कब तक किस प्रकार प्राप्त होगी।

आ० शा० दिनांक 6-8-81 (देखें नोट का पैरा 1) के अन्तर्गत उपर्युक्त प्रकरण में राजकीय सेवक की पत्नी न होने के कारण पारिवारिक पेंशन की पात्रता पुत्र और पुत्रियों की होती है। सर्वप्रथम पारिवारिक पेंशन ज्येष्ठ पुत्र को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अर्थात् 2-7-1997 तक अनुमन्य होगी।

(2) दिनांक 3-7-1997 से पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार दूसरे पुत्र को, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, उत्पन्न हो जायगा। उसे यह पेंशन 31-1-1999 तक जब तक वह 21 वर्ष का होगा, प्राप्त होगी।

(3) दिनांक 1-2-1999 से पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार पुत्री का उत्पन्न हो जायगा और वह यह पेंशन 15-4-2004 तक या विवाह होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, प्राप्त करेगी। उसके उपरान्त यह पेंशन शारीरिक रूप से विकलांग पुत्र को पुनः मिलनी आरम्भ हो जायगी और तब तक प्राप्त होगी जब तक विकलांग होने के कारण वह अपना जीवकोपार्जन नहीं कर पाता। पारिवारिक पेंशन के कतिपय उदाहरण अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं। इनके अनुसार पारिवारिक पेंशन आगणन करने की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जायगी।

दिनांक 1-1-86 के पूर्व सेवानिवृत्ति पेन्शनरों के ढांचे का सरलीकरण/अभिनवीकरण :

(1) राजाज्ञा संख्या सा-4-1120/दस-87-301/87 दिनांक 28-7-1987 द्वारा 1-1-86 से पूर्व सेवा-निवृत्त/मृत हुए सभी सिविल पेंशनरों की पेंशनों का सरलीकरण/अभिनवीकरण करते हुए उनको राजाज्ञा में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निर्धारित/विनियमित करने के आदेश दिये गये हैं जिसके अनुसार निम्न धनराशियों को समेकित करने के आदेश दिये गये हैं :—

(1) वर्तमान पेंशन/वर्तमान पारिवारिक पेंशन

(2) वर्तमान महंगाई राहत तथा

(3) अतिरिक्त राहत एवं स्लैब पद्धति पर स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन (मूल राजाज्ञा के आधार पर)।

(2) शासनादेश सा०-4-1121/दस-87-301/87 दिनांक 28-7-87 द्वारा शासन ने 608 मूल्य सूचकांक के आधार पर सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत अनुमन्य की है। यह राहत उक्त राजाज्ञा 28-7-87 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 1-1-86 से समेकित (consolidated) धनराशि पर देय की गयी है।

सेवा निवृत्तिक लाभों के आगणन के कुछ उदाहरण

क्रम सं०	सेवा निवृत्त कर्मचारी का पद नाम	जन्म तिथि	सेवाप्रारम्भ की तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि	पेंशन हेतु कुल अर्ह सेवा अवधि	सेवानिवृत्ति की तिथि को आहरित मूल वेतन	पेंशन व ग्रेच्युटी के आगणन हेतु 10 माह की औसत परिलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वरिष्ठ सहायक	12-3-1929	20-8-49	31-3-87	33 वर्ष	890.00	1580.00
2.	सहायक अध्यापक	10-11-1928	19-8-1963	30-6-87	24 वर्ष	636.00	1249.66
3.	प्रधानाचार्य	30-12-1928	19-7-1955	30-6-1987	30 वर्ष (अशासकीय सेवा घटाया)	1600.00	2855.30
4.	उप निदेशक	26-12-1929	22-8-1955	31-12-1987	32.5 वर्ष	2050.00	3641.90
5.	दफ्तरी (मृतक)	22-7-1945	1-12-1980	13-10-87 (मृत्यु)	6 वर्ष	370.00	867.30

पारिवारिक पेंशन हेतु, अंतिम आहरित वेतन महंगाई भत्ता, अंतरिम सहायता आदि सम्मिलित करते हुए	सकल पेंशन सेवा अवधि के आधार पर	राशिकृत पेंशन	राशिकृत मूल्य	शुद्ध देय पेंशन	ग्रेच्युटी	पारिवारिक पेंशन: सात वर्ष/65 वर्ष आयु पूरी करने तक	पारिवारिक पेंशन: तत्पश्चात्	अन्य
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1647.00	790.00	263.00	33011.75	527.00	27175.50	790.00	450.00	
1329.20	455.00	151.00	18953.50	304.00	15950.40	455.00	399.00	
3080.00	1298.00	432.00	54224.65	866.00	46200.00	1200.00	600.00	
3789.50	1794.00	598.00	75060.95	1196.00	61579.40	1200.00	600.00	
867.30	–	—	–	261.00	10407.60	261.00 ही देय होंगे	–	

रा—16

4. सम्बन्धित राजाज्ञाएँ

संख्या सा-3-200/दस–938-75

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

दिनांक, लखनऊ 25 जनवरी, 1979।

विषय :—पेंशन के आगणन हेतु निःसंवर्गीय पद पर प्राप्त की गई परिलब्धियों का लेखे में लिया जाना।

महोदय,

आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा-3-3534/दस–938-75, दिनांक 24 मई, 1976 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह निर्देश जारी किये गये थे कि केवल ऐसे स्थायी निःसंवर्गीय पदों पर आहरित की गई परिलब्धियां ही पेंशन आगणन हेतु लेखे में ली जायेंगी जो अपेंशनीय घोषित न किये गये हों और जिन पर पेंशन प्राप्ति की अन्य शर्तें पूरी होती हों।

2—इस विषय पर शासना द्वारा पुनर्विचार किये जाने पर यह देखा गया है कि असंवर्गीय पदों पर नियुक्तियां योग्यता एवं प्राप्त अनुभव के आधार पर की जाती है और ऐसे पदों का सृजन शासन द्वारा जनहित में ही किया जाता है। निःसंवर्गीय पद पर प्राप्त किया गया वेतन वस्तुतः स्थानापन्न वेतन ही होता है और सी० एस० आर० के अनुच्छेद 486 के अनुसार स्थानापन्न वेतन भी पेंशन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों में शामिल किया जाता है। अतएव पेंशन आगणन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों के लिये संवर्गीय अथवा निःसंवर्गीय पद का विभेद किया जाना उचित नहीं है।

3—अतः शासनादेश संख्या सा–3–3534/दस–938-75, दिनांक 24 मई, 1976 का अतिक्रमण करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन आगणन के लिये संवर्गीय अथवा निःसंवर्गीय पद का विभेद नहीं किया जायगा तथा निःसंवर्गीय पद पर प्राप्त परिलब्धियां भी पेंशन आगणन हेतु औसत परिलब्धियों में शामिल की जायेगी।

4—यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे। अनिर्णीत मामलों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जा सकेगा किन्तु निर्णीत हो चुके मामलों को पुनर्जीवित नहीं किया जायगा।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद,
वित्त सचिव।

रा—17

संख्या सा–3–1420/दस-927/81

प्रेषक,

जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई, 1982

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषय :—सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त सेवा में बनाये रखने की अनियमितता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा–3–1216/दस–917-78, दिनांक 22 जुलाई, 1978 की ओर आकर्षित करते हुए मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि सरकारी सेवकों की अधिवर्षता की आयु के उपरान्त बगैर शासकीय अनुमति के सेवा में बनाये रखने की प्रवृत्ति को तुरन्त समाप्त किया जाये। यह भी आदेश दिये गये थे कि सरकारी सेवकों को उनकी अधिवर्षता की आयु के उपरान्त अनियमित रूप से सेवा में बनाये रखने के लिये दोषी पाये गये विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली की जायेगी।

2—खेद की बात है कि उपर्युक्त आदेशों के बावजूद अनेक ऐसे मामले आते रहे हैं जिनमें यह देखा गया है कि सरकारी सेवकों को अतिवयता आयु प्राप्त हो जाते पर भी सेवा में बनाये रखा जाता है तथा वे अपने पद का वेतन आदि आहरित करते रहते हैं। पहले भी यह बताया जा चुका है तथा पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि वित्तीय दृष्टिकोण से यह एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि कोई भी सरकारी सेवक अतियता आयु प्राप्त करने के उपरान्त सेवा में उसी दशा में रह सकता है जबकि उसे सेवा में बनाये रखने के लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। यह देखा गया है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में सेवा संबंधी रिकार्ड सन्तोषजनक रूप से न रखे जाने के कारण कभी-कभी सरकारी सेवक अधिवर्षता की आयु के उपरान्त सेवा में बने रह जाते हैं। सेवा संबंधी रिकार्ड एवं समय से पूर्व पेंशन कागज तैयार किये जाने के लिये शासन द्वारा कितने ही आदेश निर्गत किये गये हैं, परन्तु ऐसा आभास होता है कि उनमें निहित निर्देशों का वांछित कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की सेवा अनियमितता के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

3—अतएव मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि आप अपने स्तर पर सरकारी सेवकों के सेवा रिकार्ड उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तथा निर्धारित समय के भीतर पेंशन कागज आदि तैयार करने की कार्यवाही स्वयं अपने निरीक्षण में करायें तथा सुनिश्चित करें कि कोई सरकारी सेवक अधिवर्षता की आयु के उपरान्त सेवा में न बना रहे।

ङ--यह भी स्पष्ट करना है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में पूर्वोक्त प्रकार के मामले घटित होने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की होगी तथा उस मामले में शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली भी की जायेगी । इस प्रकार की अनियमितता करने वाले दोषी सरकारी सेवक/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

भवदीय,
जे० एल० बजाज,
सचिव ।

रा—18

संख्या सा–3–2085/दस-907/76

प्रेषक,

श्री बन विहारी टण्डन,
आयुक्त एवं वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक लखनऊ : 13 दिसम्बर, 1977।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषय :—अधिवर्षता पेंशन और मृत्यु-तथा-सेवा निवृत्ति आनुतोषिक की आदयगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्यविधि का सरलीकरण

महोदय,

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति देने सम्बन्धी कार्यविधियों का सरलीकरण करने एवं उनमें गति लाने का प्रश्न इस शासन के विचाराधीन रहा है। अतएव इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में निम्नलिखित संशोधन तथा अन्य संगत आदेश दिनांक 1 नवम्बर, 1977 से अर्थात् उक्त दिनांक संगत अधिकारी का प्रथम कार्य विलग दिवस (non working day) हो, या उसके उपरान्त किसी दिनांक से अधिवर्षता आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्ति होने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभावी होंगे ।

2—**कार्य के लिए समय-सारणी**—प्रत्येक मामले में अधिवर्षता पेंशनों की अदायगी जिस महीने में देय हो उसी महीने की पहली तारीख से शुरू होनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिये विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों तथा पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारियों को, (महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सम्मिलित करते हुये) पेंशन और आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) के प्राधिकरण तथा अदायगी से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित 24 मासीय समय-सूची का पालन करना होगा :—

(1) 16 मास की अवधि में पेंशन सम्बन्धी कागजों की तैयारी के लिये अर्हकारी सेवा की गणना सेवा अभिलेखों की जांच तथा उन्हें पूर्ण कराना आदि ;

(2) अगले 8 मास की अवधि में से :—

(क) प्रथम 6 माह की आवधि में पेंशन सम्बन्धी कागजों की तैयारी का वास्तविक कार्य :;

(ख) अगले एक माह की अवधि के अन्त तक पेंशन भुगतानादेश तथा आनुतोषिक भुगतानादेश जारी करना ;

(ग) सेवा के अन्तिम माह की पहली तारीख को पेंशन तथा आनुतोषिक के अन्तिम भुगतानादेशों का सेवा-निवृत्ति होने वाले कर्मचारी को दे दिया जाना ।

शासन का आशय यह है कि प्राथमिक और प्रारम्भिक कार्य काफी समय पहले से ही शुरू किया जाना चाहये तथा कार्य के लिए विभिन्न स्तरों और प्रक्रियाओं के लिये पर्याप्त समय देते हुए इन्हें अनुचित रूप से विलम्बित नहीं होने

देना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर के सम्बन्ध में विभाजन तरीखें निर्धारित की गई हैं ताकि जब विभाजन दिनांक आ जाये तो कार्य अनिवार्य रूप से अगले स्तर पर पहुंच जाये।

(क) पेंशन सम्बन्धी कागजों को तैयार करने के लिये कार्यालयाध्यक्ष अथवा अन्य जिम्मेदार प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी के सेवा-निवृत्ति की तारीख के दो वर्ष पहले ही पेंशन के मामले पर कार्यवाही शुरू करेंगे। इस स्तर पर मुख्य कार्य अर्हकारी सेवा का हिसाब लगाने के लिये अपेक्षित सूचना इकट्ठा करने का होगा। चूंकि पेंशन के मामलों में अधिकतर विलम्ब सेवा-पुस्तिका रिकार्ड में व्यवधानों तथा अपूर्णताओं के कारण होता है इसलिये इस स्तर पर इनको दूर करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जाना आवश्यक होगा लेकिन इसके साथ-साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा कि सम्पूर्ण सेवा पुस्तिका अथवा रिकार्ड की पूर्ण जांच अथवा निरीक्षण कराने का अभिप्राय नहीं है परन्तु केवल जो तुरन्त उद्देश्य सम्मुख हैं उसी सीमा तक जांच करनी है—उदाहरणतः पेंशन संबंधी कागजों को तैयार करना। यह प्रक्रिया समय रहते हुए तथा किसी भी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को सेवा -निवृत्ति की तारीख से कम से कम आठ महीने पहले पूरी हो जानी चाहिए।

(ख) सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले पेंशन के कागजों को तैयार करने संबंधी वास्तविक कार्य को हाथ में लेना चाहिये—उदाहरणतः अर्हकारी सेवा की संगणना तथा औसत परिलब्धियों का हिसाब लगाना। सेवा रिकार्ड में कोई कमी अथवा अपूर्णता अथवा चूक अभी यदि विद्यमान रह जाती है तो उसकी इस स्तर पर उपेक्षा कर दी जायेगी तथा सेवा रिकार्ड में उस समय तक ऊपर उप-पैरा (क) के अनुसार की गई प्रविष्टियों के आधार पर अर्हकारी सेवा का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) औसत परिलब्धियां पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त (12 महीने की नहीं जैसा कि अब से पहले होता था) की गई परिलब्धियों के संदर्भ में निर्धारित की जायेंगी। यद्यपि औसत की गणना करने संबंधी अवधि को कम कर दिया गया है, परन्तु सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 487 के अन्य उपबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

इस कार्य में केवल औसत परिलब्धियों के लिए गणितात्मक (Arithmetical) संगणना ही अन्तर्ग्रस्त नहीं है बल्कि परिलब्धियों के सत्यता की जांच भी करानी होगी। परिलब्धियों की सत्यता स्वभावतः इस बात पर निर्भर करेगी कि इस दस माह की अवधि के आरम्भ होने वाली पहली तारीख को प्राप्त परिलब्धियां भी सही हों, परन्तु पहले की परिलब्धियों की सत्यता की जांच, चाहे पेंशन के कागज तैयार करने वाले कार्यालय में हो अथवा बाद में, पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार कार्यालय में हो, गहरी छान-बीन हेतु काफी पीछे जाने का अवसर नहीं होना चाहिये, कम से कम उतनी जांच की जानी चाहिये जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। किसी भी स्थिति में उक्त जांच सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व के 34 महीने की अवधि सें अधिक अवधि के संबंध में करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

(घ) अर्हकारी सेवा का निर्धारण और औसत परिलब्धियां तथा स्वीकार्य पेंशन और आनुतोषिक से संबंधित प्रक्रिया हर हालत में दो महीने के अन्दर पूरी हो जानी चाहिये तथा पेंशन संबंधी कागज महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम छः महीने पहले ही भेज देने चाहिये। वह कार्यालय कागजों की उपर्युक्त पैराग्राफ (क) और (ग) में उल्लिखित उद्देश्यों तक ही सीमित रखते हुए आवश्यक जांच करने के पश्चात, सेवा-निवृत्ति की तारीख के कम से कम एक महीने पहले पेंशन अदायगी आदेश (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की आदायगी के आदेशसहित) जारी करेगा।

(ङ) उन मामलों में जिनमें किसी सरकारी कमचारी की सेवा-निवृत्ति अधिवर्षता सेवा-निवृत्ति की सामान्य तारीख से पहले हो, चाहे वह वित्तीय नियमावली खण्ड 2, भाग 2-4 के मूल नियम 56 (सी) अथवा (ई) के उपबन्धों

के अनुसरण में हो अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/निगम आदि में स्थायी रूप से खपा लिये जाने के आधार पर सेवा-निवृत्ति हो जाने के फलस्वरूप हो, ऐसे मामलों में भी पेंशन के मामलों का निस्तारण शीघ्रता से किया जायेगा और इस संबंध में अलग से अनुदेश जारी किये जायेंगे ।

3—**असाधारण छुट्टी और निलम्बन**—सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 407, 419(बी) तथा 487 के नीचे दिये नियमों के अनुसार पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिये केवल सवेतन अवकाश की अवधि ही अर्हकारी सेवा में सम्मिलित की जाती है तथा किसी भी दशा में असाधारण अवकाश की अवधि (जो बिना वेतन की होती है) को पेंशन के लिये अहकारी सेवा में नहीं गिना जाता है । शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि असाधारण अवकाश की अवधि को भी पेंशन के लिए अहकारी सेवा में सम्मिलित किया जायेगा यदि असाधारण अवकाश निम्नलिखित कारणों के आधार पर स्वीकृत किया गया हो :—

(1) सक्षम चैकित्सिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर;

(2) नागरिक अशांति होने के कारण ड्यूटी पर आने व अथवा पुन: आने में उसकी असमर्थता, अथवा

(3) उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के कारण ।

अन्य आधारों पर लिया गया असाधारण अवकाश अर्हकारी सेवा नहीं माना जायेगा और इसलिये सेवा रिकार्ड में इस आशय की एक निश्चित प्रविष्टि की जानी आवश्यक होगी । सेवा अहकारी है अथवा नहीं इसके सम्बन्ध में प्रविष्टियां भी घटना के साथ-साथ ही की जानी चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया गया है तो प्रारम्भिक कार्यवाही अर्थात् सेवानिवृत्ति की तारीख के दो वर्ष पूर्व से सेवा-निवृत्ति के आठ महीने पहले तक के लिये स्वीकार्य अवधि के दौरान, अर्थात् सेवानिवृत्ति के दिनांक से 16 माह पूर्व की अवधि में, इस चूक को सुधार देना सम्भव होना चाहिये । परन्तु उस अवधि के अन्त में (अर्थात जैसा कि उक्त पैराग्राफ 2 (ख) में निर्धारित किया हुआ है ।) पेंशन के कागजों की वास्तविक तैयारी का काम शुरू किये जाने पर पहले की घटनाओं अथवा पहले के रिकार्डों के सम्बन्ध में कोई भी और आगे पूछ-तांछ अथवा जांच नहीं की जानी चाहिये । जो अवधि/अवधियां अर्हकारी न हों उनके सम्बन्ध में सेवा रिकार्ड में विशिष्ट प्रविष्टियों को नोट किया जायेगा तथा ऐसी अवधि/अवधियों को सेवा में से निकाल दिया जायेगा । इस प्रकार की विशिष्ट प्रविष्टियो के अन्तर्गत न आयी असाधारण अवकाश की सभी अल्पावधियों को अर्हकारी सेवा में माना जायेगा ।

(ख) वित्तीय नियमावली खण्ड 2, भाग 2-4 के मूल नियम 54 तथा मूल नियम 54-बी में यह प्राविधान उपलब्ध है कि किसी भी निलम्बित सरकारी सेवक को सेवा में पुन: स्थापित करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा यह विशिष्ट आदेश दिया जायेगा कि निलम्बन अवधि का विनियमन किस प्रकार होगा अर्थात् क्या ऐसी अवधि किसी प्रयोजन के लिये ड्यूटी मानी जायेगी या नहीं । सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बन काल के बारे में कोई आदेश न दिये जाने के कारण उपरोक्त नियम के अनुसार ऐसी अवधि को अभी अहकारी सेवा में सम्मिलित नहीं किया जाता है । अत: अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें निलम्बन को पूर्णत: अनुचित माना गया हो, अन्य सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी को उपयुक्त समय पर ही इस बात का स्पष्ट आदेश सेवा अभिलेख में करना चाहिये कि क्या तथा किस हद तक निलम्बन की अवधि को अर्हकारी सेवा में माना जायेगा । अर्हकारी सेवा का हिसाब लगाते समय सेवा-पुस्तिका रिकार्ड में इस आशय की विशिष्ट टिप्पणियों का ध्यान रखा जायेगा । किसी विशिष्ट प्रविष्टि के न होने पर निलम्बन की अवधि को अर्हकारी सेवा के रूप में गणना की जायेगी ।

4—सेवा में व्यवधान—सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 422 के अनुसार सेवा की दो अवधियों के मध्य उत्पन्न हुए व्यवधान/व्यवधानों का यदि मर्षण नहीं किया जाता है तो व्यवधान/व्यवधानों से पूर्व की सेवा अर्हकारी सेवा में सम्मिलित नहीं होती है । अब यह निर्णय लिया गया है कि सेवा रिकार्ड में कोई विशिष्ट संकेत न होने पर राज्य

सरकार के अन्तर्गत की गई सेवा की दो अवधियों के बीच हुए व्यवधान/व्यवधानों को स्वतः ही मर्षित माना जायेगा और पेंशन के लिये व्यवधान/व्यवधानों से पूर्व की सेवा अर्हकारी सेवा मानी जायेगी सिवाय इसके कि जहां अन्यथा यह जानकारी हो कि व्यवधान सेवा में त्याग-पत्र देने, बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुआ हो। किसी भी हालत में पेंशन के लिये व्यवधान/व्यवधानों की अवधि अर्हकारी सेवा के रूप में आगणित नहीं की जायेगी।

5—प्रतिनियुक्ति वाह्य सेवा—(क) वाह्य सेवा की शर्तों के अनुसार वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में पेंशन सम्बन्धी अंशदान के भुगतान की जिम्मेदारी प्रायः स्वतः सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पर होती है जिससे वह अपनी पेंशन योग्य सेवा की निरन्तरता कायम रख सके। ऐसे मामलों में यह पता लगाना आवश्यक होगा कि बाह्य सेवा की अवधि की अर्हकारी सेवा के रूप में गणना करने से पहले वसूलियां कर ली गई है अथवा नहीं। परन्तु कभी-कभी सरकारी कर्मचारी को प्रशासनिक/लेखा कार्यालयों द्वारा गलत तरह से अथवा अपूर्ण रूप से रखे गये रिकार्ड के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में यद्यपि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से युक्त-संगत रूप में है तो पूछा जा सकता है कि वह यह बताये कि क्या वास्तव में उसने अंशदान का भुगतान किया है परन्तु प्रशासनिक प्राधिकारियों को भी जो साक्ष्य वह इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करे उसके प्रति इस प्रकार के दिये गये साक्ष्य का मूल्यांकन करने तथा स्वीकार करने में औचित्य और समंजन की भावना (spirit of reasonableness and accommodation) दिखानी चाहिये तथा उसे सेवा तथा सेवा सम्बन्धी अभिलेखों के संदर्भ में, जिनके रख-रखाव की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी की नहीं होती है, कड़ाई के साथ औपचारिक प्रमाण पर आग्रह नहीं करना चाहिये।

(ख) परन्तु जहां पेंशन सम्बन्धी अंशदान का भुगतान करने की जिम्मेदारी प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले संगठन/वाह्य सेवायोजक की हो तथा जिसमें या तो कुछ अंशदानों की वसूली न की गई हो या इस प्रकार के अंशदानों की गई वसूलियों का रिकार्ड अपूर्ण हो, वहां जब कि संबद्ध प्राधिकारियों को उपयुक्त कार्यवाही के लिये उपरोक्त संगठन के अंशदानों की वसूली से सम्बन्धित कार्यवाही तो करते रहना चाहिये परन्तु इसका पेंशन के कागजों की प्रक्रिया और निस्तारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

6—पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति तथा अनुमोदित सेवा की अवधारणा—(क) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति अधिकारी को सेवा से निवृत्ति होने वाले सरकारी सेवक की अनुमोदित सेवा की अवधारणा के सन्दर्भ में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक होता है, यद्यपि अधिकांश मामलों में यह केवल एक औपचारिकता मात्र ही होती है, परन्तु इसमें पेंशन के मामलों के निस्तारण में काफी देर हो जाती है।. इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। अतएव पेंशन का निर्धारण नियमों के अनुसार सिर्फ एक संगणना का ही मामला होगा ; और पेंशन के कागजों पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 470 (बी) के उपबन्धों में निहित आशय को त्याग देने का अभिप्रायः कदापि नहीं है जिनके अन्तर्गत असंतोषजनक सेवा अथवा आचरण के आधार पर किन्हीं विशेष मामलों में विहित औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् पेंशन/आनुतोषिक की पूर्ण स्वीकार्य धनराशि से कम धनराशि स्वीकार की जा सकती है। इस उपबन्ध का सहारा केवल अपवादस्वरूप मामलों में ही लिया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि पेंशन सम्बन्धी समस्त मामलों को विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेजा जाय अथवा प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में डाला जाय। इसके बजाय उस समय जब पेंशन के कागजों को तैयार करने का काम शुरू किया

जाय, अर्थात् सेवा-निवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले, पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी को नियुक्ति प्राधिकारी से (उस दशा में जब पेंशन स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी नियुक्ति अधिकारी से भिन्न है), इस आशय की अलग से पूछ-तांछ करनी चाहिये कि क्या पूर्ण पेंशन मंजूर करने के बजाय कम पेंशन देने का आशय है अथवा कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने का विचार है। (इस प्रयोजन के लिये उस प्राधिकारी को पेंशन के कागज भेजने की आवश्यकता नहीं है) इस पूछ-ताछ के उत्तर के अभाव में पेंशन के कागज तैयार करने वाले प्राधिकारी को यह मान लेना चाहिये कि पूर्ण पेंशन/आनुतोषिककी धनराशि से कम धनराशि की स्वीकृति देने की कोई मंशा नहीं है और तदनुसार पेंशन के कागजों पर इस प्रकार से कार्यवाही करनी चाहिये ताकि उनको पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निर्धारित समय की अवधि तक भेजा जा सके। यदि इसके विपरीत, नियुक्ति प्राधिकारी इस बात का निर्णय करता है कि पूर्ण स्वीकार्य पेंशन/आनुतोषिक से कम धनराशि की स्वीकृति देने का मामला है तो निर्धारित संवैधानिक कार्यविधि को अपनाया जाना चाहिये और पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास पेंशन सम्बन्धी कागजों को भेजने की अन्तिम तारीख से पहले ही, अर्थात् सेवा-निवृत्ति की तारीख के 6 महीने पहले से यह प्रक्रिया हर हालत में पूरी कर लेनी चाहिये। पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी के स्वयं के मामलों में कार्यवाही उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार उनसे उच्चतर अधिकारी द्वारा की जायेगी।

7—अन्तिम पेंशन और आनुतोषिक की अदायगी—(क) उक्त पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट समय-सारिणी का दृढ़ता से पालन किया जाना है। किन्हीं विशिष्ट कारणों से यदि किसी विशेष मामले में निर्धारित समय सूची के अन्दर अन्तिम आदेश जारी करने के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पेंशन के कागज पूर्ण करके भेजना संभव न हुआ हो, अथवा उनके कार्यालय को पेंशन के कागज देरी से भेजे गये हों और/अथवा उस कार्यालय से या तो और आगे सूचना लेने के लिये सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को कागज वापस किये हों या वह सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीना पहले पेंशन अदायगी आदेश जारी नहीं कर सका हो तो उन मामलों में भी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा उस माह की पहली तारीख तक अनन्तिम पेंशन और आनुतोषिक की अदायगी प्राधिकृत करने के लिये कदम उठाये जायेंगे जिससे अन्तिम पेंशन देय होती हो। इस प्रयोजन के लिये जो भी सूचना कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध उसी का उपयोग किया जायेगा और इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष को सेवा-निवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारी से एक साधारण विवरण भी मांग लेना होगा जिसमें उसका सम्पूर्ण-सेवाकाल (ड्यूटी पर आने की तारीख से सेवा निवृत्ति की तारीख तक, जिसमें सेवा में व्यवधान की अवधि का भी, यदि कोई हो, उल्लेख हो) तथा सेवा के अन्तिम दस महीनों के दौरान प्राप्त परिलब्धियों का भी उल्लेख किया हो। सेवा निवृत्ति होने वाले कर्मचारी से यह प्रमाणित करने के लिये भी कहा जायेगा कि उसके द्वारा दिये गये तथ्य उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। यदि पिछले दस महीनों के दौरान प्राप्त की गई परिलब्धियों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना विभागाध्यक्ष के पास अथवा सरकारी कर्मचारी के पास उपलब्ध न हो तो प्राप्त की गई अनन्तिम परिलब्धियों को ही अन्तिम रूप से औसत परिलब्धियां मान लिया जायेगा। विभागाध्यक्ष इस प्रकार से प्राप्त की गई सूचना के संदर्भ में संगणना की गई पेंशन की शत-प्रतिशत स्वीकृति अन्तिम पेंशन के रूप में देंगे। मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक का निर्धारण भी इसी प्रकार से किया जायेगा।

अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में (सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 914 के नीचे दिये स्पष्टीकरण" के अनुसार) अनन्तिम पेंशन और आनुतोषिक का आहरण तथा वितरण सम्बन्धी कार्य सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद 919(1) के अनुसार यथावत् जारी रहेगा। अनन्तिम आनुतोषिक का भुगतान करने से पहले बकाया दीर्घावधि अग्रिम, वेतन और भत्तों आदि के किये गये अधिक भुगतान और अन्य देय वसूलियों जैसी ज्ञात सभी देय रकमों का समायोजन किया जायेगा। जहां इस प्रकार के कोई समायोजन नहीं किये जाने हों वहां विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित

की गई आनुतोषिक की धनराशि के 10 प्रतिशत या 1000 रु०, जो भी कम हों, की कटौती अंशतः अनिर्धारित देय रकमों को, यदि हों तो, पूरा करने के लिये और अंशतः आनुतोषिक के अंतिम निर्धारण में समायोजन किये जाने के लिये कर की जायेगी।

(ख) वर्तमान में, राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में जहां अन्तिम पेंशन का निर्धारण न किया गया हो वहां पूर्वानुमानित पेंशन अदायगी आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका संशोधन करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि इन मामलों में भी यदि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीना पहले अन्तिम पेंशन अदायगी आदेश जारी नहीं किये गये हैं तो राजपत्रित अधिकारी अनन्तिम पेंशन और आनुतोषिक का आहरण और वितरण के लिये अपने विभागाध्यक्ष से अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिये उप पैराग्राफ (क) में विनिर्दिष्ट कार्य-विधि सामान रूप से लागू होगी।

(ग) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 919(1) में यह प्राविधान है कि जब पेंशन कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिये जावें तो उसके पश्चात् विभागाध्यक्ष अराजपत्रित कर्मचारियों को जैसा कि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 914 के नीचे दिये "स्पष्टीकरण" में इंगित हैं उसके द्वारा ही आगणित की गई पेंशन का भुगतान 12 माह की अवधि के लिये अनन्तिम रूप से करेंगे। उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (क) और (ख) में बताई व्यवस्था भी 12 मास की अवधि के लिये लागू रहेगी परन्तु यदि अब इस बारह मास की अवधि के भीतर ही पेंशन एवं आनुतोषिक अंतिम रूप से निर्धारित न किये जा सके हों तो बारह मास की अवधि की समाप्ति पर अनन्तिम रूप से स्वीकृति की गई पेंशन अन्तिम रूप से स्वीकृति की गई पेंशन मान ली जायेगी और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी पेंशन तथा आनुतोषिक के अन्तिम भुगतानादेश तदनुसार अधिकृत किये जायेंगे।

8—अंतिम वेतन-पत्र—अनन्तिम पेंशन की अदायगी से पहले अन्तिम वेतन पत्र के जारी करने के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये। सेवा-निवृत्ति से बारह महीने की अवधि के दौरान सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अथवा अन्य सम्बद्ध कार्यालय के लिये यह संभव होना चाहिये कि वह सरकारी कर्मचारी को अन्तिम वेतन-पत्र जारी करें। उन मामलों में जिनमें पेंशन/आनुतोषिक अदायगी आदेशों के प्राप्त होने तक अन्तिम वेतन-पत्र जारी नहीं किया जा सका हो, अन्तिम वेतन-पत्र के तैयार होने तक किसी भी स्थिति में, आनुतोषिक अदायगी में, आनुतोषिक का 10 प्रतिशत अथवा 1,000 रु० इनमें से जो भी कम हो, रोक लेने की व्यवस्था भी की जायेगी।

9—सरकार को देय रकमों का समायोजन—सेवा-निवृत्ति की तारीख के दो वर्ष पहले जब पेंशन सम्बन्धी कागजों पर कार्यवाही शुरू की जाय तो उसी समय से विभागाध्यक्ष, समक्ष अधिकारी द्वारा बकाया देय रकमों का पता लगाने अथवा निर्धारण करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये। चूंकि वस्तुतः पेंशन के कागजों को तैयार करने का अगला स्तर एक वर्ष और चार महीनों पश्चात् आता है, इसलिये सरकार की दी जाने वाली सभी प्रकार की रकमों का पता लगाने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है। उक्त 16 मास की अवधि के उपरान्त, अर्थात् सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के आठ महीने पहले, तो देय रकम की वसूली के लिये रिकार्ड की छानबीन केवल एक सीमित अवधि के लिये की जायेगी, अर्थात् सेवा-निवृत्ति की तारीख के दो वर्ष पहले की अवधि तक ही। इसलिये यह विभागाध्यक्ष अथवा महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जैसी भी स्थिति हो, के लिये बिल्कुल संभव होना चाहिये कि वह पेंशन अदायगी/आनुतोषिक अदायगी आदेश अथवा अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम आनुतोषिक आदेश के जारी करने का निर्धारित अवधि से पहले सभी देय रकमों का पता लगायें अथवा निर्धारण करें, विशेषकर जिनका सम्बन्ध मकान निर्माण अथवा वाहन अग्रिम जैसे दीर्घावधि अग्रिमों, वेतन और भत्तों की अधिक भुगतान की गई धनराशियों तथा इसी प्रकार की अन्य देय रकम से होता है। पेंशन सम्बन्धी कागजों में कुल बकाया देय रकमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये जिन- वसूली मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी (चाहे अंतिम हो अथवा अनन्तिम हो) का प्राधिकार-पत्र जार

करने से पहले आनुतोषिक से की जायेगी, और यदि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पेंशन के कागज भेजने के बाद आनुतोषिक से की जाने वाली कुछ अन्य वसूलियां भी ज्ञात हो जायें तो इस तथ्य की सूचना तत्काल महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दे दी जायेगी। उस मामले में, जहां कोई भी भारी वसूलियां देय नहीं हों, परन्तु सरकार को सम्भावित देय रकमों के कारण निर्धारण न करने के अथवा उक्त पैराग्राफ 7(क) के अनुसार आनुतोषिक की अदायगी अनन्तिम रूप से किये जाने के कारण या अन्तिम वेतन-पत्र के प्राप्त न होने के कारण (उक्त पैराग्राफ 8 देखिये) आनुतोषिक का 10 प्रतिशत अथवा 1,000 रु०, जो भी कम हो, रोक लिया गया है तो सेवा निवृत्ति के 12 महीने समाप्त हो जाने के बाद रोकी गई रकम स्वतः ही देय हो जायेगी। विभागाध्यक्ष अथवा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद किसी भी स्थिति हो, अनन्तिम आनुतोषिक या अन्तिम आनुतोषिक अदायगी आदेश की स्वीकृति के आदेशों में हो रोकी गई आनुतोषिक की धनराशि का उल्लेख करेंगे तथा इस बात का और आगे उल्लेख करेंगे कि सेवा निवृत्ति की तारीख से 12 महीने की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् रोकी गई धनराशि बिना किसी अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा किये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को दे दी जायेगी, बशर्तें कि उक्त अवधि के अन्दर रोकी गई धनराशि में से किसी विशिष्ट धनराशि की वसूली के लिये अनुदेश जारी न किये गये हों।

10—रिकार्ड रखने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व—उपर्युक्त निर्णय लेने में सरकार ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी रिकार्ड और कार्य-विधि में अपूर्णता रह सकती है परन्तु सेवा निवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिये यह अन्याय होगा यदि उसे सेवा रिकार्ड के उपयुक्त रख-रखाव के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के कारण कष्ट उठाना पड़े। नई कार्य विधि के अन्तर्गत यदि रिकार्ड अपूर्ण हैं या उसमें किसी प्रकार की कमी है तो करिकल्पना सरकारी कर्मचारी के पक्ष में कर ली जायेगी। इससे संबंधित अधिकारियों द्वारा सेवा और लेखा संबंधी सभी रिकार्ड की उचित प्रकार से नियमित तौर पर और समय पर पूरा किये जाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने का महत्व बढ़ जाता है ताकि इस प्रकार की कल्पना किये जाने के अवसर कम से कम हों। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि यदि भविष्य में पेंशन के मामलों पर कार्यवाही करते समय तथा उनको निपटाते समय सेवा के रिकार्डों में अपूर्णता अथवा अधूरापन पाया जाये तो उन मामलों में देरी नहीं की जायेगी परन्तु रिकार्डों के रखने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को, उसमें किसी प्रकार की कमियों, खराबी अथवा की गई चूकों के लिये जिम्मेदार ठहराया जायेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अतः समस्त विभागाध्यक्षों आदि से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि इन अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जाये।

11—उक्त आदेशों द्वारा पेंशन सम्बन्धी नियम संशोधित किये गये समझे जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथासमय जारी किये जायेंगे।

भवदीय,
वन बिहारी टण्डन,
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या सा–3–ए० जी० 41/दस–918-83

प्रेषक,

श्री बसन्त लाल शाह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 12 अगस्त, 1983।

विषय :—असाधारण पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर राहत की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अनेकों कोषागारों से यह जिज्ञासा की जा रही है कि क्या उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन स्वीकृत असाधारण पारिवारिक पेंशनरों को भी वही राहत की धनराशि अनुमन्य है जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961/उत्तर प्रदेश रिटायरमेण्ट बेनीफिट्स रूल्स 1961/नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर्ताओं को अनुमन्य होती है। इस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को भी उन्हीं तिथियों से एवं उन्हीं दरों से राहत अनुमन्य है जिन तिथियों एवं दरों से उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961/उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स 1961/नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को अनुमन्य है।

2–इस प्रसंग में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त राहत उन मामलों में अनुमन्य नहीं है जिनमें पारिवारिक पेंशन डाकुओं से मुठभेड़ में गैर सरकारी व्यक्ति की मृत्यु/इंजरी होने पर स्वीकृत की गई हो।

3—आपके कोषागार से यदि कोई मामला लम्बित हो तो उसमें उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
बसन्तलाल शाह,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा–3–574/दस–942-75

प्रेषक,

श्री बन बिहारी टण्डन,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक लखनऊ, 19 जून, 1976।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषय :—सेवारत अस्थाई कर्मचारियों को, जो सेवा अवधि के दौरान ही अंधे अथवा विकलांग हो जायें "एक्सग्रेशिया पेंशन" देना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे राज्य कर्मचारियों को, जो सेवा अवधि के दौरान अंधे अथवा विकलांग हो जायें और जो किसी अन्य नियमावली के अन्तर्गत किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त करने के अन्यथा अधिकारी नहीं है, आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन रहा है। इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त, राज्यपाल महोदय निम्नलिखित दरों पर "एक्सग्रेशिया पेंशन" दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

	वेतन सीमा		पेंशन की दरें
(1)	800 रु० तथा उससे अधिक	..	वेतन का 10 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनारशि 95 रु० प्रति माह तथा अधिकतम धनराशि 140 रु० प्रति माह होगी।
(2)	200 रु० तथा उससे अधिक परन्तु 800 रु० से कम	..	वेतन का 12 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि 50 रु० प्रति माह तथा अधिकतम धनराशि 90 रु० प्रति माह होगी।
(3)	200 रु० से नीचे	..	वेतन का 25 प्रतिशत

प्रस्तावित पेंशन उन मामलों में नहीं दी जायगी जिनमें अंधे हुए या विकलांग हुए कर्मचारी पर कोई अन्य नियम लागू होते हैं जिनके अन्तर्गत वे पेंशन प्राप्त कर रहे हों या प्राप्त कर सकते हों।

इस प्रयोजन के लिये वेतन का तात्पर्य फाइनेंशियल हैण्डबुक खण्ड 2, भाग 2, के फण्डामेण्टल रूल 9(21) में परिभाषित ऐसे वेतन से है जो सरकारी कर्मचारी अंधे होने अथवा विकलांग हो जाने के दिनांक को पा रहा हो। यदि उक्त दिनांक को सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होने से (जिसमें असाधारण छुट्टी भी सम्मिलित है) या निलम्बित किये जाने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो, तो वेतन का तात्पर्य उस वेतन से होगा जो उक्त कर्मचारी ने ऐसी छुट्टी पर या निलम्बित किये जाने से ठीक पहले प्राप्त किया हो।

2—यह योजना इन आदेशों के जारी होने की तिथि से लागू होगी और इसके निमित्त किसी प्रकार का अवशेष देय नहीं होगा। किन्तु ऐसे अंधे हुए अथवा विकलांग हुए कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों पर गुणागुण के आधार पर भी विचार कर लिया जायगा, जो इन आदेशों के जारी होने के दिनांक से पूर्व ही अंधे अथवा विकलांग हो जाने के फलस्वरूप सेवा से अलग कर दिये गये थे और जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन किसी अन्य नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली पेंशन के लिये सम्बन्धित राज्य सेवक को अपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में, (प्रति संलग्न है) अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

3—पेंशन की धनराशि निर्धारित करते समय पेंशन की धनराशि कुल रुपयों में दी जायेगी और पूर्ण रुपयों के ऊपर यदि एक पैसा भी अतिरिक्त आता है तो उसे अगला पूर्ण रुपया माना जायेगा।

4—इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की जाने वाली "एक्सग्रेशिया पेंशन" का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "266–पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ–आयोजनेतर–ज–अन्य पेंशन–सेवा के दौरान अंधे या विकलांग हो जाने वाले अस्थाई सरकारी कर्मचारियों को एक्सग्रेशिया पेंशन (मतदेय)" के नामें डाला जायगा।

भवदीय,
वन बिहारी टण्डन,
आयुक्त एवं सचिव।

No. G-2—561/X—917-61

FROM

SRI V. K. DIKSHIT,

UP SACHIV,

UTTAR PRADESH SHASAN.

To

ALL THE HEAD OF DEPARTMENT AND

PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,

UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, August, 24, 1966.

Vitt (Samanya-2) Vivhag.

Subject—Grant of option to persons in pensionable establishment who are on contributory Provident Funds benefits to come over to pensionable service.

SIR,

I AM directed to invite a reference to G. O. no. G-2-769/X—917-61, dated August 24, 1966 introducing the New Family Pension Scheme, 1965 and to say that the Governor is pleased to order that such Government servants in pensionable establishments as have retained the Contributory Provident Fund benefits in terms of rule 28(1)(a) of Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules may be allowed an opportunity to opt for the U. P. Retirement Benefits Rules, 1961 (in toto) along with the benefit of the aforesaid New Family Pension Scheme, 1965 by December 31, 1966. The option now exercised will be final and will be available to every Government servant who is serving in such capacity on the date of issue of this letter. The benefit of this option will also be available to those who were serving in such capacity on April 1, 1965, but retire or die before January 1, 1967 without exercising option, provided such retired Government servant or the heirs or nominees of the deceased Government servant, as the case may be , submit an application in writing to the pension sanctioning authority by December 31, 1966 or within four months of the death of the Government servant concerned, whichever is latter, opting this Scheme and agreeing to deposit within one month on demand in any Government treasury by credit to the head "XLVIII-Contributions and recoveries towards Pensions and other Retirements Benefits—Miscellaneous" in one lump sum the entire amount of Government's contribution to the Contributory Provident Fund

of such Government servant and interest thereon. The option shall be effective only after such deposit has been made in full. Threre will be no option to elect the U. P. Retirement Benefits Rules, 1961 (in toto) without the benefits of the New Family Pension Scheme, 1965, or to elect only Rule 11 of the U. P. Retirement Benefits Rules, 1961 with or without the benefits of the New Family Pension Scheme.

2. Option should be communicated (in the form attached) by the officer concerned to the head of office in the case of a non-gazetted officer and to the Accountant General, U. P., in the case of gazetted officer. The option of a non-gazetted officer should be countersigned by the head of office and pasted in the service book/roll of the officer concerned. The receipt of every option shall be acknowledged in the attached from. It will be the responsibility of the officer concerned to ensure that he receives acknowedgement of his option from the Accountant General, U. P. or his head of office, as the case may be.

3. A Government servant who does not exercise the option referred to in para 2 within the prescribed priod, or quits service, or whose option is incomplete or not strictly in the prescribed from, or in respect of whom the desposit referred to in para 1 is not made as required shall be deemed to have opted to remain under the existing Contributory Provident Fund benefits.

4. In the case of a Government servant who elects to be governed by the U. P. Retirement Benefits Rules (in toto) along with the benefits of the New Family Pension Scheme, 1965, the amount of Government contribution with interest thereon satnding to his credit in the Contributory Provident Fund shall be resumed by Government. The Government servant's subscription together with interest thereon in that Fund shall be transferred to his General Provident Funds Account which shall be opened in accordance with the General Provident Fund (U. P.) Rules, provided that no such transfer to General Provident Fund will be necessary in the case of a Government servant whose retiement falls on or before March 31, 1967. The past service rendered by such a Government servant shall be deemed to have been rendered *ab initio* in a pensionable establishment and shall count as service qualifying for pension in the manner and to the extent provided for in the relevant pension rules in force from time to time, provided that no inflated rates of pay in lieu of retirement benefits were drawn for the period during which he did not subscribe to the Contributory Provident Fund.

5. Steps should be taken immediately to bring the contents of this G. O. to the notice of all Government servants under your administrative control who are affected or their hairs where necessary and possible, including those on leave, foreign service or deputation or who have reitred after April 1, 1965 (i.e., for whom this day was a working one). It would be des-

able to obtain an acknowledgement from each individual so that ignorance of these orders is ot pleaded at a later date.

Yours faithfully,
V. K. DIKSHIT,
Up Sachiv.

No. G-2-561(1)/X—917-61 of date

Copy forwarded for information to :

(1) All the Departments of Secretariat, and

(2) The Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.

By order,
S. D. MISRA,
Sahayak Sachiv.

LAST DATE FOR EXERCISING THIS OPTION—DECEMBER 31, 1966.

FORM

Having understood the comparative advantages and disadvantages of pensionary and Provident Fund benefits as applicable in my case :

(i) I *opt* for the U. P. Retirement Benefits Rules, 1961 (in toto) including the benefit of the New Family Pension Scheme, 1965 introduced by Finance (G-2) Department G. O. no. G.2-769/X-917-61, dated August 24, 1966 on the terms and conditions laid down in that Department G. O. no. G-2-561/X—917-61, dated August 24, 1966.

(ii) I *opt* to continue under the existing Contributory Provident Fund benefits.

Witness	**Signature*
Name in full	Name in full
(In block letters)	(In block letters)
Designation	*Designation*
Office	Office
	Date

*Left hand thumb impression in the case of those who cannot sign their name in Engligh or Hindi.

NOTES—(1) Strike out item(i) or (ii) as per option.

(2) If the above option is not exercised by December 31, 1966, by any Government servant he will be deemed to have elected to remain under the existing Contributory Provident Fund benefits.

CERTIFICATE

(Applicable only in the case of inferior servants and illiterate employees and to be signed by the officer dealing with the establishment)

The rules were explained to Sri...in my presence.

Signature

Name

(In block letters)

Designation

Acknowledgement

No. .... Date ....

Received from Sri.......................................Designation................

Office.......................................an option dated...........................

(1) for the pensionary benefits along with the New Family Pension Scheme, 1965.

(2) For existing Contributory Provident Funds benefits.

Signatture

Name in full

Designation

Office

NOTE—Strike out (1) or (2) as per option.

संख्या जी-2-769/दस-917-61

प्रेषक,

श्री विनोद कुमार दीक्षित,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक, 24 अगस्त, 1966

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

विषय :—नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार कुछ समय से उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन प्रवृत्त परिवार पेंशन योजनाओं को उदार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। राज्यपाल ने अब परिवार पेंशन की एक नयी योजना, जिसका इसके बाद उल्लेख नयी परिवार पेंशन योजना, 1965 नाम से किया गया है, स्वीकृत की है जिसके अधीन निम्नलिखित लाभ दिये जा रहे हैं :

अधिकारी का वेतन		विधवा/विधुर/बच्चों की मासिक पेंशन।
1—800 रु० और उससे अधिक	..	वेतन का 12 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 150 रु०।
2—200 रु० और उससे अधिक किन्तु 800 रु० से कम।	..	वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 96 रु० और कम से कम 60 रु०।
3—200 से कम	..	वेतन का 30 प्रतितश किन्तु कम से कम 25 रु०।

इस प्रयोजन के लिये वेतन का तात्पर्य फण्डामेंण्टल रूल्स के नियम 9(21) में परिभाषित ऐसे वेतन से है जिसमें महंगाई वेतन, यदि कोई हो, सम्मिलित है जो सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के दिनांक को यदि मृत्यु सेवा काल में हुई हो, अन्यथा अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहा हो। यदि मृत्यु के दिनांक को जब कि वह सेवा में हुई हो या उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होने से (जिसमें असाधारण छुट्टी भी सम्मिलित है) या निलम्बित किये जाने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो तो "वेतन" का तात्पर्य उस वेतन से है जो उक्त कर्मचारी ने ऐसी छुट्टी पर जाने या निलम्बित किये जाने से ठीक पहले लिया हो।

2—उपर्युक्त योजना 1 अप्रैल, 1965 से प्रवृत्त होगी और पैरा 5, 6, 10 और 13 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पेंशन योग्य अधिष्ठानों के ऐसे समस्त सरकारी अधिकारियों-स्थायी या अस्थायी-पर लागू होगी जो 1 अप्रैल, 1965 को सेवा में थे या उसके बाद भर्ती किये जायें।

3—उपर्युक्त योजना का प्रशासन निम्नलिखित प्रकार से होगा :—

(क) परिवार पेंशन सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर उस दशा में अनुमन्य

(admissible) होगी जब सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु होने की दशा में सरकारी कर्मचारी मृत्यु के समय कोई प्रतिकर (compensation) अशक्तता (invalid) सेवा निवृत्ति (retiring) या अधिवर्ष (superannuation) पेंशन पा रहा हो या पा रहा होता और सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में यदि उसने कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा जिसमें भत्ता-रहित छुट्टी की अवधि, ड्यूटी के रूप में न माना गया निलम्बन तथा 20 वर्ष की आयु से पहले की गई सेवा अवधि सम्मिलित नहीं है, पूरी कर ली हो।

(ख) इस योजना के प्रयोजनों के लिए "परिवार" में सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धी सम्मिलित रहेंगे :—

(1) पत्नी/पति,

(2) अवयस्क पुत्र,

(3) अविवाहित अवयस्क पुत्रियां।

टिप्पणी 1—उपर्युक्त (2) और (3) में सेवानिवृत्ति से पहले वैध रूप से गोद ली गई सन्तान भी सम्मिलित होगी।

टिप्पणी 2—सेवानिवृत्ति के बाद किया गया विवाह इस योजना के प्रयोजनों के लिये मान्य नहीं समझा जायगा।

(ग) पेंशन निम्नलिखित दशाओं में उपलभ्य (admissible) होगी :—

1—विधवा/विधुर की दशा में मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, के दिनांक तक।

2—अवयस्क पुत्र की दशा में जब तक कि उसकी आयु 18 वर्ष की न हो जाय।

3—अविवाहित पुत्री की दशा में जब तक कि उसकी 21 वर्ष की आयु या विवाह, जो भी पहले हो, न हो जाय।

टिप्पणी—जहां दो या दो से अधिक विधवायें हों तो पेंशन ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को देय होगी। उसकी मृत्यु/पुनर्विवाह होने पर यह पेंशन अगली उत्तरजीवी विधवा, यदि कोई हो, को देय होगी। शब्द 'ज्येष्ठतम' का तात्पर्य विवाह के दिनांक के निर्देश वरिष्ठता से है।

(घ) इस योजना के अधीन दी गई पेंशन एक ही समय में सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी। यह निम्नलिखित क्रम से अनुमन्य (admissible) होगी अर्थात् पहले विधवा/विधुर को, उसके बाद ज्येष्ठतम उत्तरजीवी अवयस्क पुत्र को और तत्पश्चात् ज्येष्ठतम उत्तरजीवी अविवाहित अवयस्क पुत्री को।

(ङ) विधवा/विधुर का पुनर्विवाह/मृत्यु हो जाने पर, पेंशन उसके अवयस्क सन्तानों को उनके प्रकृत अभिभावक (natural gaurdian) के माध्यम से ही दी जायगी किन्तु विवादास्पद मामलों में भुगतान विधिक अभिभावक (legal gaurdian) के माध्यम से किया जायगा।

(च) शासनादेश सं० जी–2–1160/दस–909–1959, दिनांक 4 अप्रैल 1964 में स्वीकृत तदर्थ वृद्धि इस योजना के अधीन स्वीकृत परिवार पेंशन के लिये अनुमन्य (admissible) नहीं होगी।

4—इस योजना द्वारा प्रशासित प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिये अपने आनुतोषिक का, जहां वह अनुमन्य हो, एक भाग समर्पित करना होगा, जिसकी धनराशि यदि आनुतोषिक की गणना परिलब्धियों के आधार पर की गई हो तो उसकी दो महीने की परिलब्धियों के बराबर या यदि आनुतोषिक की गणना वेतन के आधार पर की गई हो तो दो मास के वेतन के बराबर होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह धनराशि अधिक से अधिक 3,600 रु० होगी। यदि इस योजना

द्वारा प्रकाशित सरकारी कर्मचारी अविवाहित ही सेवानिवृत्त हो जाय और उसने कोई बच्चा गोद न लिया हो तो उसके आनुतोषिक से कोई कटौती नहीं की जायगी। यदि अनुमन्य आनुतोषिक दो महीने की परिलब्धियों/वेतन से कम हो तो वह धनराशि सरकार द्वारा इस योजना के अधीन अनुमन्य परिवार पेंशन-सम्बन्धी लाभों के हेतु पुनर्गहण कर ली जायेगी।

5--सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1965 को सेवा में रहे हों (जिनमें ऐसे कर्मचारी सम्मिलित नहीं जो हैं उस दिन अपराह्न में सेवा निवृत्त हुए थे अर्थात् जिनके लिये 31 मार्च, 1965 अन्तिम कार्य दिवस था) और उक्त जो दिनांक को उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स 1961 (सम्पूर्ण रूप में) या अन्तिमोक्त नियमावली के नियम 11 द्वारा प्रशासित हों उन्हें वर्तमान परिवार पेंशन लाभों के बदले में जो पूर्वोक्त नियमावलियों के अधीन अनुमन्य हो, इस योजना को चुनने या अपने वर्तमान लाभों को बनाये रखने का विकल्प होगा। यह विकल्प 31 दिसम्बर, 1976 तक प्रपत्र 'क' (संलग्न) में चुनना होगा। एक बार विकल्प चुन लिये जाने पर वह अन्तिम होगा। यदि उक्त अवधि के भीतर कोई सरकारी कर्मचारी विकल्प न चुने तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने नई परिवार पेंशन योजना को चुन लिया है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 1 जनवरी, 1967 से पहले विकल्प चुने बिना मृत्यु हो जाय तो मृत सरकारी कर्मचारी पर लागू होने वाली पेंशन नियमावली के अधीन सभी लाभार्थियों को इस योजना को चुनकर इस विकल्प को संयुक्त रूप से प्रयोग करने का अधिकार होगा जिसकी सूचना वे लिखित रूप में पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को 31 दिसम्बर, 1966 तक या सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के 4 महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, उस प्रपत्र में देंगे जो पृथक् रूप से निर्धारित किया जायगा। उक्त लाभार्थियों को एक बन्धपत्र भी निष्पादित करना होगा कि यदि भविष्य में कोई दावा उत्पन्न हो तो वे सरकार की क्षतिपूर्ति करेंगे।

6--जो कर्मचारी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नियमावली या कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स द्वारा, जिसके संबंध में अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं, प्रशासित न हों, उन्हें इस योजना के लाभ प्राप्त करने का तब तक अधिकार नहीं होगा जब तक कि वे उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स (सम्पूर्ण रूप में) को न चुन लें। तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नया विकल्प चुनने की अनुमति दी जाय। इस विकल्प का प्रयोग भी अधिक से अधिक 31 दिसम्बर, 1966 तक प्रपत्र 'ख' (संलग्न) में करना होगा, किन्तु नई परिवार पेंशन योजना, 1965 के लाभों को बिना प्राप्त किये उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 (सम्पूर्ण रूप में) को चुनने का कोई विकल्प प्राप्त नहीं होगा। एक बार विकल्प चुन लेने पर वह अन्तिम होगा। जो कर्मचारी उक्त अवधि के भीतर विकल्प नहीं चुनेंगे उनके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उन्होंने उन पर प्रयोज्य वर्तमान पेंशन नियमों द्वारा पूर्ववत् शासित होने का विकल्प चुना है। इस पैरा के अधीन विकल्प चुनने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसके सेवा निवृत्ति लाभ उत्तर प्रदेश कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 द्वारा अन्यथा प्रशासित हों, सरकारी अंशदान की धनराशि उस पर ब्याज सहित जो कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंन्शन फण्ड में उक्त कर्मचारी के नाम जमा हो सरकार द्वारा वापस ले ली जायेगी। उक्त निधि में सरकारी कर्मचारी का अपना अभिदान (subscription) उस पर ब्याज सहित एक ऐसे जनरल प्राविडेन्ट फण्ड लेखा में संक्रमित कर दिया जायगा जो जनरल प्रविडेन्ट फण्ड के अनुसार खोला जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसकी सेवा निवृत्ति 31 मार्च, 1967 को या उसके पहले होनी हो जनरल प्राविडेन्ट फण्ड निधि में कोई ऐसा संक्रमण करना आवश्यक नहीं होगा। इस पैरा के अधीन विकल्प चुनने के हकदार किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु उक्त विकल्प चुने बिना 1 जनवरी, 1967 के पहले हो गई हो तो ऐसे मामलों के लिये उपर्युक्त पैरा 5 में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी।

7—यह हो सकता है कि उपर्युक्त पैरा 5 में या 6 में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी का कोई सरकारी कर्मचारी नयी परिवार पेंशन योजना के प्रख्यापन के पहले सेवा से विमुक्त किया गया हो या हटाया गया हो और विकल्प चुनने की अवधि की समाप्ति के बाद अन्ततः फिर नौकरी में बहाल कर दिया गया हो जिसके फलस्वरूप वह उपर्युक्त पैरा 5 या 6 में, जैसी कि स्थिति हो उल्लिखित विकल्प चुनने से वंचित रह गया हो। ऐसे मामलों में सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार नौकरी में बहाल किये जाने के दिनांक से 4 महीने के भीतर विकल्प चुनने की अनुमति होगी।

8—उपर्युक्त पैरा 5, 6 और 7 में उल्लिखित विकल्प लिखित रूप में चुना जायगा और सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि वह अराजपत्रित अधिकारी है तो अपने कार्यालय के अध्यक्ष को और यदि राजपत्रित अधिकारी है तो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया जायगा। अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी का विकल्प कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिये और उसकी सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी में चिपकाया जाना चाहिये।

9—पैरा 5 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के ऐसे समस्त मामलों में जो 1 अप्रैल, 1965 (प्रवर्तन का दिनांक) 31 दिसम्बर, 1966 (विकल्प चुनने के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक) के बीच के हों जब तक उक्त पैरा के अनुसार विकल्प यथाविधि न चुना गया हो, जिस दशा में इस मामले पर विकल्प के आधार पर कार्यवाही की जायगी। 2 महीने की परिलब्धियों या वेतन, जैसी भी स्थिति हो के बराबर धनराशि आनुतोषिक में से तब तक रोक ली जानी चाहिए जब तक सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी अपेक्षित विकल्प को न चुन लें। यदि वह अन्ततः नई परिवार पेंशन योजना, 1965 को नहीं चुनता है तो आनुतोषिक की शेष धनराशि जो कि रोक ली गई हो उसे भुगतान कर दी जाय। पैरा 6 के अधीन विकल्प चुनने के हकदार ऐसे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो अभी उत्तर प्रदेश कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन फण्ड रूल्स द्वारा प्रशासित हों, उनके कान्ट्रीब्यूटरी फण्ड में सरकार के अंशदान की सारी धनराशि उस पर ब्याज सहित तब तक रोक ली जाय जब तक कि उपर्युक्त पैरा 6 के अनुसार विकल्प को न चुन लें। इसका भुगतान ऐसे अधिकारी को तभी किया जाय जब वह अपने वर्तमान पेंशन सम्बन्धी लाभों को बनाये रखना चाहता हो या यह समझ लिया गया हो कि वह उक्त पेंशन सम्बन्धी लाभों को बनाये रखना चाहता है, उक्त पैरा 6 के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को तब तक के लिये केवल प्रत्याशित (anticipatory) पेंशन स्वीकृत की जानी चाहिये जब तक उक्त पैरा के अनुसार वे विकल्प को न चुन लें। ऐसी प्रत्याशित पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में उस धनराशि से अधिक न होनी चाहिये जो उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स (सम्पूर्ण रूप में) के अधीन अनुमन्य हो।

10—उस दशा में जब कि पेंशन तथा या आनुतोषिक का किन्हीं परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी या उसके दावाधिकारियों को उस धनराशि से अधिक भुगतान हो गया हो जो उसे चुने गये या चुना समझे गये विकल्प के आधार पर अनुमन्य होती, तो ऐसा विकल्प तब तक मान्य और प्रवर्तनीय (enforceable) न होगा जब तक कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी या यदि उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसके दावाधिकारी किसी सरकारी खजाने में मांग के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर शीर्षक : "48 पेंशनों तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के हेतु अंशदान तथा वसूलियां प्रकीर्ण" के अन्तर्गत इस प्रकार भुगतान की गयी समस्त धनराशि एक मुश्त जमा न कर दें।

11—1 अप्रैल, 1965 को या उसके बाद सेवा में आने वाले सरकारी कर्मचारी इस योजना द्वारा स्वतः प्रशासित होंगे।

12—इस योजना द्वारा प्रशासित ऐसे सरकारी कर्मचारियों की/के विधवायें/विधुर किसी अन्य नियमावली के अधीन परिवार पेंशन के तब तक हकदार नहीं होंगी/होंगे जब तक कि वह नियमावली अधिक लाभप्रद न हों। किन्तु परिवार पेंशन केवल किसी एक ही नियमावली के अधीन ग्राह्य होगी।

13—यह योजना निम्नलिखित पर लागू न होगी—

(क) सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 1965 को या उसके पहले सेवा निवृत्त हो गये हो (अर्थात् जिनके लिये 1 अप्रैल, 1965 कार्य दिवस नही था),

(ख) प्रासंगिक व्यय से वेतन पाने वाले व्यक्ति,

(ग) कार्य प्रभारित अधिष्ठान,

(घ) अनियत मजदूर (Casual Labour) तथा,

(ङ) संविदाधीन अधिकारी (Contıact Officer)।

इस योजना से ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को अवगत कराने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाय जो आपके शासकीय नियंत्रण में हो जिनमें ऐसे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जो छुट्टी पर हों, विदेश सेवा में हों या प्रतिनियुक्ति र हों अथवा जो 1 अप्रैल, 1965 के बाद सेवा निवृत्त हुये हों अर्थात् जिनके लिए वह दिवस एक कार्य दिवस था। ह वांछनीय होगा कि इन आदेशों के सम्बन्ध में प्रत्येक कर्मचारी से एक प्राप्ति स्वीकार पत्र प्राप्त किया जाय ताकि र बाद में यह न कहा जा सके कि उसे इन आदेशों की जानकारी ही नहीं हुई है।

भवदीय,
विनोद कुमार दीक्षित,
उप सचिव।

सं० जी०-2-769(1)–दस-917-61

तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2) महालेखाकार, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शंकर दत्त मिश्र,
सहायक सचिव।

इस विकल्प को चुनने का अन्तिम दिनांक 31 दिसम्बर, 1966

प्रपत्र 'क'

(इसका प्रयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश ायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 द्वारा, प्रशासित ते हैं।)

नयी परिवार पेंशन योजना, 1965, जैसा कि वह मुझ पर लागू हो सकती है के तुलनात्मक लाभों तथा अलाभों को री तरह समझ लेने के बाद....(1) मैं, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट ीफिट्स रूल्स, 1961 उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 के अधीन अनुमन्य वर्तमान रिवार पेंशन योजना के स्थान पर वित्त (सामान्य-2) विभाग शासनादेश संख्या जी-769/दस–917-61, दिनांक 4 अगस्त, 1966 द्वारा लागू की गयी नयी परिवार पेंशन योजना, 1965 को स्वीकार करने का विकल्प चुनता हूं।

(2) मैं, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961

उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 के अधीन वर्तमान परिवार पेंशन के लाभों को, ज कि पहले से मुझे अनुमन्य है, बनाये रखने का विकल्प चुनता हूँ।

साक्षी :	हस्ताक्षर
हस्ताक्षर	दिनांक
पूरा नाम	पूरा नाम
पद नाम	पद नाम
कार्यालय	कार्यालय

जो व्यक्ति अंग्रेजी या हिन्दी में अपना नाम न लिख सकें उनके बायें अंगूठे का निशान लगाया जाय।

टिप्पणी (1) चुने गये विकल्प के अनुसार मद (1) या (2) को तथा लागू न होने वाली नियमावलियों क काट दिया जाय।

टिप्पणी—(2) यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1966 को उक्त विकल्प न चुने तो यह समझा जाय कि उसने नयी परिवार पेंशन योजना नियमावली, 1965 को चुन लिया है।

प्रमाण-पत्र

(यह केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियों (inferior servants) तथा निरक्षर कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रयो होगा और इस पर अधिष्ठान का कार्य करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे)।

उक्त नियमावली श्री .... को मेरे समक्ष समझा दी गयी थी

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

प्राप्ति स्वीकृति

सं० दिनांक ....

श्री .... पद नाम ....

कार्यालय .... से एक विकल्प दिनांक ....

निम्नलिखित के लिये प्राप्त हुआ :—

(1) नयी परिवार पेंशन योजना, 1965 के पक्ष में,

(2) उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स के नियम 11 के अधीन वर्तमान परिवार पेंशन के लाभों को बना रखने के पक्ष में।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद नाम

कार्यालय

टिप्पणी—(1) चुने गये विकल्प के अनुसार मद (1) या (2) को तथा लागू न होने वाली नियमावलि को काट दिया जाय।

इस विकल्प का अन्तिम दिनांक 31-12-1966

प्रपत्र 'ख'

(यह केवल ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जाय जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स के नियम 11 से प्रशासित नहीं होते हैं)।

(1) मैं, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 (सम्पूर्ण रूप में) द्वारा प्रशासित होने का विकल्प चुनता हूं जिसमें वित्त (सामान्य-2) विभाग, शासनादेश संख्या जी-2-769/दस-917/61/61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा लागू की गयी परिवार पेंशन योजना, 1965 का लाभ भी सम्मिलित है।

(2) मैं, वर्तमान पेंशन नियमावली, जो कि मुझ पर प्रयोज्य है, द्वारा पूर्ववत् प्रशासित होने का विकल्प चुनता हूं।

साक्षी :	हस्ताक्षर
हस्ताक्षर	दिनांक
पूरा नाम	पूरा नाम
पद नाम	पद नाम
कार्यालय	कार्यालय

ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो साक्षर न होने से अपना नाम अंग्रेजी या हिन्दी में न लिख सकते हों, उनके बायें अंगूठे का निशान लिया जाय।

टिप्पणी—(1) चुने गये विकल्प के अनुसार मद (1) या (2) को काट दिया जाय।

टिप्पणी—(2) यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1966 तक उक्त विकल्प न चुने तो यह समझा जायगा कि उसने उस पर प्रयोज्य वर्तमान पेंशन नियमावली द्वारा पूर्ववत् प्रशासित होते रहने का विकल्प चुना है।

प्रमाण-पत्र

(यह केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियों (inferiorservants) तथा निरक्षर कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रयोग होगा और इस पर अधिष्ठान का कार्य करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे)।

उक्त नियमावली श्री ....को मेरे समक्ष समझा दी गयी थी।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

प्राप्ति स्वीकृत

सं०	दिनांक ....
श्री	पद नाम ....
कार्यालय	से एक विकल्प दिनांक ....

निम्नलिखित के लिये प्राप्त हुआ—

(1) उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स, रूल्स, 1961 (सम्पूर्ण रूप में) जिसमें नयी परिवार पेंशन योजना 1965 सम्मिलित है, के पक्ष में।

(2) वर्तमान पेंशन नियमावली जो कि उस पर प्रयोज्य है, के पक्ष में।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

कार्यालय

संख्या सा–3–1220/दस–905-81

प्रेषक,

श्री राज कुमार दर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर, 1981

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषय:—सरकारी सेवक की हत्या करने अथवा उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दोषी पाये गये परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन से विवर्जन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी-2-769/दस-917/61, दिनांकित 24 अगस्त, 1966 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 लागू की गई थी और उसमें समय-समय पर संशोधन भी किये गये हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत, विनिर्दिष्ट दशाओं में सरकारी सेवक की सेवाकाल में अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने पर निर्धारित क्रम में उसके परिवार के सदस्यों में विधवा/विधुर, अवयस्क पुत्र/पुत्री को निर्धारित दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं।

2—शासन को यह भी इंगित किया गया है कि कतिपय ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें सरकारी सेवक पेंशनर की मृत्यु उसकी हत्या किये जाने के कारण होने और उस अपराध के पीछे, उसकी मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन पाने के लिये पात्र व्यक्ति का हाथ होने का सन्देह हो, तो क्या ऐसे मामले में उक्त व्यक्ति को नई पारिवारिक पेंशन योजना के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकार की जानी चाहिये। इस विषय में सविस्तार विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित आदेश प्रदान किये हैं:—

(1) यदि कोई व्यक्ति, जो सेवाकाल में अथवा सेवानिवृत्योपरान्त किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने की स्थिति में उक्त योजना के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र हो, सरकारी सेवक की हत्या करने के अपराध के लिये या ऐसा अपराध किये जाने के दुष्प्रेरण के लिये आरोपित हो, तो पारिवारिक पेंशन के भुगतान हेतु ऐसे व्यक्ति का दावा, जिसके अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने के लिये पात्र परिवार का/के अन्य सदस्य के दावे भी हैं/हों, उसके विरुद्ध संविधान दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलंबित रहेगा।

(2) यदि उपर्युक्त दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति पर, सम्बद्ध व्यक्ति —

(क) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के लिये दोषी सिद्ध किया जाय तो वह व्यक्ति पारिवारिक पेंशन पाने से विवर्जित कर दिया जायेगा जो निर्धारित क्रम में परिवार के अन्य पात्र सदस्य को, यदि कोई हो, देय होगी।

(ख) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाय तो उसे पारिवारिक पेंशन सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से देय होगी।

(3) यह आदेश शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(4) उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन अनुमन्य मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान तथा पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में ऐसे मामलों में समान व्यवस्था अलग से की जा रही है।

(5) कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

भवदीय,
राज कुमार दर,
सचिव।

संख्या सा–3–969/दस–923/85

प्रेषक,

डा० जे० पी० सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 8 अगस्त, 1986

विषय :—नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 की प्रसुविधा को ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को अनुमन्य कराना जो दिनांक 31–3–1965 को अथवा उनके पूर्व सेवा निवृत्त/दिवंगत हो चुके हों अथवा जिनके परिवार उपर्युक्त स्कीम, 1965 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61 दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से निम्नलिखित प्रबन्धों के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू की गयी थी :—

(क) यह योजना उन सरकारी सेवकों पर लागू थी जो दिनांक 1 अप्रैल, 1965 को पेंशन योग्य-अधिष्ठानों की सेवा में थे या उसके बाद भर्ती किये गये थे ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सरकारी सेवक के लिए दो माह की परिलब्धियों के बराबर धनराशि समर्पित करनी होती थी । तदुपरांत शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900/78, दिनांक 10 मई, 1978 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1978 से उक्त दो माह के वेतन के बराबर धनराशि काटे जाने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया था ।

2—उपर्युक्त योजना के लागू होने के उपरांत अनेक सरकारी सेवकों ने उक्त योजना का वरण (opt) नहीं किया और डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की पूरी धनराशि प्राप्त कर ली जिसके फलस्वरूप उनका परिवार पारिवारिक पेंशन की सुविधा से वंचित रह गया । राज्य सरकार ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को जो 1-4-1965 के पूर्व दिवंगत/सेवा निवृत्त हो चुके थे तथा ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को जिन्होंने नयी पारिवारिक

7—यह हो सकता है कि उपर्युक्त पैरा 5 में या 6 में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी का कोई सरकारी कर्मचारी नयी परिवार पेंशन योजना के प्रख्यापन के पहले सेवा से विमुक्त किया गया हो या हटाया गया हो और विकल्प चुनने की अवधि की समाप्ति के बाद अन्ततः फिर नौकरी में बहाल कर दिया गया हो जिसके फलस्वरूप वह उपर्युक्त पैरा 5 या 6 में, जैसी कि स्थिति हो उल्लिखित विकल्प चुनने से वंचित रह गया हो। ऐसे मामलों में सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार नौकरी में बहाल किये जाने के दिनांक से 4 महीने के भीतर विकल्प चुनने की अनुमति होगी।

8—उपर्युक्त पैरा 5, 6 और 7 में उल्लिखित विकल्प लिखित रूप में चुना जायगा और सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि वह अराजपत्रित अधिकारी है तो अपने कार्यालय के अध्यक्ष को और यदि राजपत्रित अधिकारी है तो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया जायगा। अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी का विकल्प कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिये और उसकी सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी में चिपकाया जाना चाहिये।

9—पैरा 5 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के ऐसे समस्त मामलों में जो 1 अप्रैल, 1965 (प्रवर्तन का दिनांक) 31 दिसम्बर, 1966 (विकल्प चुनने के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक) के बीच के हों जब तक उक्त पैरा के अनुसार विकल्प यथाविधि न चुना गया हो, जिस दशा में इस मामले पर विकल्प के आधार पर कार्यवाही की जायगी। 2 महीने को परिलब्धियों या वेतन, जैसी भी स्थिति हो के बराबर धनराशि आनुतोषिक में से तब तक रोक ली जानी चाहिए जब तक सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी अपेक्षित विकल्प को न चुन लें। यदि वह अन्ततः नई परिवार पेंशन योजना, 1965 को नहीं चुनता है तो आनुतोषिक की शेष धनराशि जो कि रोक ली गई हो उसे भुगतान कर दी जाय। पैरा 6 के अधीन विकल्प चुनने के हकदार ऐसे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो अभी उत्तर प्रदेश कान्ट्री-ब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन फण्ड रूल्स द्वारा प्रशासित हों, उनके कान्ट्रीब्यूटरी फण्ड में सरकार के अंशदान की सारी धनराशि उस पर ब्याज सहित तब तक रोक ली जाय जब तक कि उपर्युक्त पैरा 6 के अनुसार विकल्प की न चुन लें। इसका भुगतान ऐसे अधिकारी को तभी किया जाय जब वह अपने वर्तमान पेंशन सम्बन्धी लाभों को बनाये रखना चाहता हो या यह समझ लिया गया हो कि वह उक्त पेंशन सम्बन्धी लाभों को बनाये रखना चाहता है, उक्त पैरा 6 के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को तब तक के लिये केवल प्रत्याशित (anticipatory) पेंशन स्वीकृत की जानी चाहिये जब तक उक्त पैरा के अनुसार वे विकल्प को न चुन लें। ऐसी प्रत्याशित पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में उस धनराशि से अधिक न होनी चाहिये जो उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स (सम्पूर्ण रूप में) के अधीन अनुमन्य हो।

10—उस दशा में जब कि पेंशन तथा या आनुतोषिक का किन्हीं परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी या उसके दावाधिकारियों को उस धनराशि से अधिक भुगतान हो गया हो जो उसे चुने गये या चुना समझे गये विकल्प के आधार पर अनुमन्य होती, तो ऐसा विकल्प तब तक मान्य और प्रवर्तनीय (enforceable) न होगा जब तक कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी या यदि उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसके दावाधिकारी किसी सरकारी खजाने में मांग के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर शीर्षक : "48 पेंशनों तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के हेतु अंशदान तथा वसूलियां प्रकीर्ण" के अन्तर्गत इस प्रकार भुगतान की गयी समस्त धनराशि एक मुश्त जमा न कर दें।

11—1 अप्रैल, 1965 को या उसके बाद सेवा में आने वाले सरकारी कर्मचारी इस योजना द्वारा स्वतः प्रशासित होंगे।

12—इस योजना द्वारा प्रशासित ऐसे सरकारी कर्मचारियों की/के विधवायें/विधुर किसी अन्य नियमावली के अधीन परिवार पेंशन के तब तक हकदार नहीं होगी/होंगे जब तक कि वह नियमावली अधिक लाभप्रद न हो। किन्तु परिवार पेंशन केवल किसी एक ही नियमावली के अधीन ग्राह्य होगी।

13—यह योजना निम्नलिखित पर लागू न होगी—

(क) सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 1965 को या उसके पहले सेवा निवृत्त हो गये हो (अर्थात् जिनके लिये 1 अप्रैल, 1965 कार्य दिवस नही था),

(ख) प्रासंगिक व्यय से वेतन पाने वाले व्यक्ति,

(ग) कार्य प्रभारित अधिष्ठान,

(घ) अनियत मजदूर (Casual Labour) तथा,

(ङ) संविदाधीन अधिकारी (Contıact Officer)।

इस योजना से ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को अवगत कराने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाय जो आपके प्रशासकीय नियंत्रण में हो जिनमें ऐसे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जो छुट्टी पर हों, विदेश सेवा में हों या प्रतिनियुक्ति पर हों अथवा जो 1 अप्रैल, 1965 के बाद सेवा निवृत्त हुये हों अर्थात् जिनके लिए वह दिवस एक कार्य दिवस था। यह वांछनीय होगा कि इन आदेशों के सम्बन्ध में प्रत्येक कर्मचारी से एक प्राप्ति स्वीकार पत्र प्राप्त किया जाय ताकि फिर बाद में यह न कहा जा सके कि उसे इन आदेशों की जानकारी ही नहीं हुई है।

भवदीय,
विनोद कुमार दीक्षित,
उप सचिव।

सं० जी०-2-769(1)–दस-917-61

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2) महालेखाकार, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शंकर दत्त मिश्र,
सहायक सचिव।

इस विकल्प को चुनने का अन्तिम दिनांक 31 दिसम्बर, 1966

प्रपत्र 'क'

(इसका प्रयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 द्वारा प्रशासित होते हैं।)

नयी परिवार पेंशन योजना, 1965, जैसा कि वह मुझ पर लागू हो सकती है के तुलनात्मक लाभों तथा अलाभों को पूरी तरह समझ लेने के बाद....(1) मैं, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 के अधीन अनुमन्य वर्तमान परिवार पेंशन योजना के स्थान पर वित्त (सामान्य-2) विभाग शासनादेश संख्या जी-769/दस–917-61, दिनांक 4 अगस्त, 1966 द्वारा लागू की गयी नयी परिवार पेंशन योजना, 1965 को स्वीकार करने का विकल्प चुनता हूं।

(2) मैं, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961

उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 के अधीन वर्तमान परिवार पेंशन के लाभों को, कि पहले से मुझे अनुमन्य है, बनाये रखने का विकल्प चुनता हूँ।

साक्षी :	हस्ताक्षर
हस्ताक्षर	दिनांक
पूरा नाम	पूरा नाम
पद नाम	पद नाम
कार्यालय	कार्यालय

जो व्यक्ति अंग्रेजी या हिन्दी में अपना नाम न लिख सकें उनके बायें अंगूठे का निशान लगाया जाय।

टिप्पणी (1) चुने गये विकल्प के अनुसार मद (1) या (2) को तथा लागू न होने वाली नियमावलियों काट दिया जाय।

टिप्पणी—(2) यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1966 को उक्त विकल्प न चुने तो यह समझा जाय कि उसने नयी परिवार पेंशन योजना नियमावली, 1965 को चुन लिया है।

प्रमाण-पत्र

(यह केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियों (inferior servants) तथा निरक्षर कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रयो होगा और इस पर अधिष्ठान का कार्य करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे)।

उक्त नियमावली श्री.................................को मेरे समक्ष समझा दी गयी थी

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

प्राप्ति स्वीकृति

सं० दिनांक ....

श्री.. पद नाम ....

कार्यालय .... से एक विकल्प दिनांक ....

निम्नलिखित के लिये प्राप्त हुआ :—

(1) नयी परिवार पेंशन योजना, 1965 के पक्ष में,

(2) उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 उ० प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स के नियम 11 के अधीन वर्तमान परिवार पेंशन के लाभों को बन रखने के पक्ष में।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद नाम

कार्यालय

टिप्पणी—(1) चुने गये विकल्प के अनुसार मद (1) या (2) को तथा लागू न होने वाली नियमावलि को काट दिया जाय।

इस विकल्प का अन्तिम दिनांक 31-12-1966

प्रपत्र 'ख'

(यह केवल ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जाय जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स के नियम 11 से प्रशासित नहीं होते हैं)।

(1) मैं, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 (सम्पूर्ण रूप में) द्वारा प्रशासित होने का विकल्प चुनता हूं जिसमें वित्त (सामान्य-2) विभाग, शासनादेश संख्या जी-2-769/दस-917/61/61, दिनांक 24 अगस्त, **1966** द्वारा लागू की गयी परिवार पेंशन योजना, 1965 का लाभ भी सम्मिलित है।

(2) मैं, वर्तमान पेंशन नियमावली, जो कि मुझ पर प्रयोज्य है, द्वारा पूर्ववत् प्रशासित होने का विकल्प चुनता हूं।

साक्षी :	हस्ताक्षर
हस्ताक्षर	दिनांक
पूरा नाम	पूरा नाम
पद नाम	पद नाम
कार्यालय	कार्यालय

ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो साक्षर न होने से अपना नाम अंग्रेजी या हिन्दी में न लिख सकते हों, उनके बायें अंगूठे का निशान लिया जाय।

टिप्पणी—(1) चुने गये विकल्प के अनुसार मद (1) या (2) को काट दिया जाय।

टिप्पणी—(2) यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1966 तक उक्त विकल्प न चुने तो यह समझा जायगा कि उसने उस पर प्रयोज्य वर्तमान पेंशन नियमावली द्वारा पूर्ववत् प्रशासित होते रहने का विकल्प चुना है।

प्रमाण-पत्र

(यह केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियों (inferiorservants) तथा निरक्षर कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रयोग होगा और इस पर अधिष्ठान का कार्य करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे)।

उक्त नियमावली श्री .... को मेरे समक्ष समझा दी गयी थी।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

प्राप्ति स्वीकृत

सं०	दिनांक ....
श्री	पद नाम ....
कार्यालय	से एक विकल्प दिनांक ....

निम्नलिखित के लिये प्राप्त हुआ—

(1) उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स, रूल्स, 1961 (सम्पूर्ण रूप में) जिसमें नयी परिवार पेंशन योजना 1965 सम्मिलित है, के पक्ष में।

(2) वर्तमान पेंशन नियमावली जो कि उस पर प्रयोज्य है, के पक्ष में।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

कार्यालय

संख्या सा–3–1220/दस–905-81

प्रेषक,

श्री राज कुमार दर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर, 1981

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषयः—सरकारी सेवक की हत्या करने अथवा उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दोषी पाये गये परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन से विवर्जन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी-2-769/दस-917/61, दिनांकित 24 अगस्त, 1966 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 लागू की गई थी और उसमें समय-समय पर संशोधन भी किये गये हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत, विनिर्दिष्ट दशाओं में सरकारी सेवक की सेवाकाल में अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने पर निर्धारित क्रम में उसके परिवार के सदस्यों में विधवा/विधुर, अवयस्क पुत्र/पुत्री को निर्धारित दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं।

2—शासन को यह भी इंगित किया गया है कि कतिपय ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें सरकारी सेवक पेंशनर की मृत्यु उसकी हत्या किये जाने के कारण होने और उस अपराध के पीछे, उसकी मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन पाने के लिये पात्र व्यक्ति का हाथ होने का सन्देह हो, तो क्या ऐसे मामले में उक्त व्यक्ति को नई पारिवारिक पेंशन योजना के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकार की जानी चाहिये। इस विषय में सविस्तार विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित आदेश प्रदान किये हैं:—

(1) यदि कोई व्यक्ति, जो सेवाकाल में अथवा सेवानिवृत्योपरान्त किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने की स्थिति में उक्त योजना के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र हो, सरकारी सेवक की हत्या करने के अपराध के लिये या ऐसा अपराध किये जाने के दुष्प्रेरण के लिये आरोपित हो, तो पारिवारिक पेंशन के भुगतान हेतु ऐसे व्यक्ति का दावा, जिसके अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने के लिये पात्र परिवार का/के अन्य सदस्य के दावे भी हैं/हों, उसके विरुद्ध संविधान दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलंबित रहेगा।

(2) यदि उपर्युक्त दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति पर, सम्बद्ध व्यक्ति —

(क) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के लिये दोषी सिद्ध किया जाय तो वह व्यक्ति पारिवारिक पेंशन पाने से विवर्जित कर दिया जायेगा जो निर्धारित क्रम में परिवार के अन्य पात्र सदस्य को, यदि कोई हो, देय होगी।

(ख) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाय तो उसे पारिवारिक पेंशन सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से देय होगी।

(3) यह आदेश शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(4) उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन अनुमन्य मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान तथा पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में ऐसे मामनों में समान व्यवस्था अलग से की जा रही है।

(5) कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

भवदीय,
राज कुमार दर,
सचिव।

रा–24

संख्या सा–3–969/दस–923/85

प्रेषक,

डा० जे० पी० सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 8 अगस्त, 1986

विषय :—नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 की प्रसुविधा को ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को अनुमन्य कराना जो दिनांक 31–3–1965 को अथवा उनके पूर्व सेवा निवृत्त/दिवंगत हो चुके हों अथवा जिनके परिवार उपर्युक्त स्कीम, 1965 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61 दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू की गयी थी :—

(क) यह योजना उन सरकारी सेवकों पर लागू थी जो दिनांक 1 अप्रैल, 1965 को पेंशन योग्य-अधिष्ठानों की सेवा में थे या उसके बाद भर्ती किये गये थे ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सरकारी सेवक के लिए दो माह की परिलब्धियों के बराबर धनराशि समर्पित करनी होती थी । तदुपरांत शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900/78, दिनांक 10 मई, 1978 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1978 से उक्त दो माह के वेतन के बराबर धनराशि काटे जाने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया था ।

2—उपर्युक्त योजना के लागू होने के उपरांत अनेक सरकारी सेवकों ने उक्त योजना का वरण (opt) नहीं किया और डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की पूरी धनराशि प्राप्त कर ली जिसके फलस्वरूप उनका परिवार पारिवारिक पेंशन की सुविधा से वंचित रह गया । राज्य सरकार ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को जो 1-4-65 के पूर्व दिवंगत/सेवा निवृत्त हो चुके थे तथा ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को जिन्होंने नयी पारिवारिक

पेंशन योजना, 1965 का वरण नहीं किया था पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने के बिन्दु पर काफी समय से विचार कर रही थी । इसी बीच दिनांक **30 अप्रैल, 1985 को** श्रीमती पूनामल बनाम यूनियन आफ इण्डिया की रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार की पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 केन्द्र सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवारों पर भी लागू की जाय जो पेंशनेबुल अधिष्ठानों में थे और जो उस समय उपर्युक्त योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं थे अथवा जिन्होंने उक्त योजना का वरण नहीं किया था । भारत सरकार के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि **नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 की प्रसुविधायें दिनांक 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व सेवा निवृत्त/दिवंगत ऐसे सभी सरकारी सेवकों के परिवारों को जिन्होंने उक्त योजना से बाहर रहने का विकल्प दिया था तथा जो अपनी सेवा निवृत्ति के दिनांक को राज्य सरकार के किसी पेंशनेबुल अधिष्ठान में कार्यरत थे, भी अनुमन्य कर दी जाय ।**

3—**यह आदेश 1-5-86 से लागू समझे जायेंगे** अर्थात् दिनांक 1-4-65 के पूर्व के सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सेवकों के परिवारों को तथा उन सरकारी सेवकों के परिवारों को जिन्होंने उक्त योजना से बाहर रहने का विकल्प दिया था, यदि उनके परिवारों में **पारिवारिक पेंशन पाने हेतु पात्र व्यक्ति 1-5-86 को जीवित हो, 1-5-86 से पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की जायगी ।**

4—इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगी जो शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900/78 दिनांक 10-5-78, के द्वारा निर्धारित की गई थी । सुविधा हेतु यह दरें निम्नवत् अंकित की जा रही हैं :—

	अधिकारी का वेतन		विधवा/विधुर/बच्चों की मासिक पेंशन
(1)	400 रु० से कम		वेतन का 30 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि रु० 60 प्रति माह और अधिकतम धनराशि रु० 100 प्रति माह होगी ।
(2)	400 रु० और उससे अधिक किन्तु रु० 1200 से कम	...	वेतन का 15 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि रु० 100 प्रति माह और अधिकतम धनराशि रु० 160 प्रति माह होगी ।
(3)	रु० 1200 और उससे अधिक	...	वेतन का 12 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि रु० 160 प्रति माह और अधिकतम धनराशि रु० 250 प्रति माह होगी ।

5—पारिवारिक पेंशन पाने हेतु पात्रता निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी :—

(1) **उपर्युक्त श्रेणी के यदि कोई पेंशनर अब भी जीवित हैं तो वह उस कोषाधिकारी से जहां से वे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं एक प्रार्थना-पत्र (सादे कागज पर) देकर अधोलिखित प्रस्तर–8 में उल्लिखित दरों पर शासनादेश संख्या सा–3–530/80–दस–900/78, दिनांक 5-4-1980 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने पी० पी० ओ० तथा डिसबर्स हाफ पर पारिवारिक पेंशन**

की धनराशि अंकित करवा लेगें और कोषाधिकारी उसकी सूचना उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित प्रारूप पर महालेखाकार कार्यालय को एक माह की अवधि में भेज देंगे। इस पी०पी०ओ० पर पेंशनर तथा उसकी पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा, चिपका होना चाहिए। यदि पी०पी०ओ० पर ऐसा संयुक्त फोटोग्राफ न चिपका हो तो कोषाधिकारी उसे अब चिपकवा लेंगे। तदुपरांत पेंशनर की मृत्यु होने की दशा में कोषाधिकारी उसकी पत्नी/पति को, जैसी भी स्थिति हो, पारिवारिक पेंशन का भुगतान वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत प्रारम्भ कर देंगे।

(2) यदि उपर्युक्त श्रेणी के किसी पेंशनर की मृत्यु हो गयी हो तो शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के अनुसार उसकी विधवा/विधुर पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र समझे जायेंगे किन्तु यदि विधवा/विधुर की भी मृत्यु हो गई हो तो संबंधित पेंशनर के पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री जिसकी आयु क्रमशः 21 अथवा 24 वर्ष से अनधिक हो पात्र समझे जायेंगे। यदि संबंधित पेंशनर के परिवार में न तो विधवा/विधुर जीवित हो और न ही कोई पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री जीवित हो जिनकी आयु क्रमशः 21 अथवा 24 वर्ष से अनधिक हो तो परिवार का कोई सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने हेतु अधिकृत नहीं होगा किन्तु यदि पेंशनर की संतान में से कोई संतान ऐसी हो जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हो तो ऐसी संतान शासनादेश संख्या सा–3–1155/दस–2–81, दिनांक 6 अगस्त, 1981 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चैकित्सिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर आजीवन पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार होगा।

6—इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु परिवार के पात्र व्यक्ति (उपरोक्त प्रस्तर 5 (2) के अनुसार) द्वारा संलग्न प्रपत्र पर (दो प्रतियों में) उस कार्यालयाध्यक्ष को प्रार्थना-पत्र (अनुलग्नक-1) प्रेषित करना होगा जहां संबंधित सरकारी सेवक सेवा निवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को कार्यरत था। राजपत्रित अधिकारी सेवकों के संबंध में आवश्यक प्रार्थना-पत्र विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना होगा। यदि फार्म उपलब्ध न हो तो एक साधारण कागज पर सब तथ्यों को लिखते हुए भी प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है।

7—उपर्युक्तानुसार प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के उपरांत संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्तर पर निम्नलिखित तीन कार्यवाहियां अपेक्षित होंगी:—

(1) संबंधित पेंशनर की सेवा निवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को उसे प्राप्त हो रहे वेतन की धनराशि की जानकारी करना तथा उसके आधार पर पारिवारिक पेंशन का निर्धारण करना।

(2) पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु सही व्यक्ति का निर्धारण करना।

(3) पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान करना।

8—उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :—

(1) सामान्यतः प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के लिए यह संभव होना चाहिए कि वे अपने कार्यालय अभिलेखों से संबंधित सरकारी सेवक की सेवा निवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को उसके अंतिम वेतन की जानकारी कर लें। राजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में यदि किसी कारणवश आवश्यक जानकारी कार्यालय में उपलब्ध न हो तो यह जानकारी जिस कोषागार से अंतिम वेतन आहरित किया गया था उससे की जा सकती है। कार्यालय के अभिलेखों से अथवा कोषागार के अभिलेखों

से अंतिम वेतन की जानकारी करने के उपरांत कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा उपरिलिखित प्रस्तर–4 में उल्लिखित दरों के अनुसार पारिवारिक पेंशन की गणना की जायगी। यदि इसके बावजूद अंतिम वेतन की जानकारी न हो पाये तो कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित पेंशनर द्वारा प्राप्त की गयी पेंशन की जानकारी की जाय और निम्न सारणियों के अनुसार पारिवारिक पेंशन निर्धारित कर दी जाय। (निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी दरें मूल पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की दरें हैं जो शासनादेश दिनांक 10–5–84 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित होने के पूर्व लागू थीं।)

(1–4–1961 के पूर्व सेवा निवृत्त तथा 1–4–61 एवं उसके उपरांत सेवा निवृत्त पेंशनर जो यू० पी० लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू०पी० रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 11 से शासित थे)

सारणी—1

पेंशन (रु०)	पारिवारिक पेंशन
1—200 रु० से कम ··· ···	60 प्रतिशत न्यूनतम 60 रु० अधिकतम 100 रु०।
2—200 रु० तथा अधिक किन्तु 600 रु० से कम ···	30 प्रतिशत न्यूनतम 100 रु० अधिकतम 160 रु०।
3—600 रु० और उससे अधिक ···	24 प्रतिशत न्यूनतम 160 रु० अधिकतम 250 रु०।

सारिणी–2

[1–4–61 और 31–3–75 के बीच सेवा निवृत्त पेंशनर जो उ०प्र० रिटायरमेंट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 (सम्यक्) से शासित थे]

पेंशन (रु०)	पारिवारिक पेंशन
75–00 तक	रु0 60–00
76–00 से 125–00 तक ··· ···	पेंशन का 80 प्रतिशत (100 रु0 से अनधिक)
126–00 से 250–00 तक ··· ···	रु0 100–00
251–00 से 400–00 तक ··· ···	पेंशन का 40 प्रतिशत (रु0 160 से अनधिक)
401–00 से 500–00 तक ··· ···	रु0 160–00
501–00 से ऊपर ··· ···	पेंशन का 32 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 250–00

सारिणी–3

[1–4–75 और 1–4–78 के बीच सेवा निवृत्त पेंशनर जो उ०प्र० रिटायरमेंट बेनीफिट्स रूल्स, 196 (सम्यक्) से शासित थे।]

पेंशन (रु०)	पारिवारिक पेंशन
80–00 तक	रु0 60–00
81–00 से 140–00 तक ··· ···	पेंशन का 75 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 100–0
141–00 से 275–00 तक ··· ···	रु0 100–00
276–00 से 440–00 तक ··· ···	पेंशन का 36 प्रतिशत (रु0 160–00 से अनधिक)
441–00 से 550–00 तक ··· ···	रु0 160–00
551–00 से ऊपर ··· ···	पेंशन का 29 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 250–0

यदि किसी पेंशनर के संबंध में कार्यालय के अभिलेखों से उसके अन्तिम वेतन की जानकारी प्राप्त करना संभव न हो और पेंशन पट्टे से पेंशन की जानकारी करना भी संभव न हो तो कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा पारिवारिक पेंशन की गणना संबंधित सरकारी सेवक के पद के वेतनमान के मध्य की धनराशि को आधार मानकर की जायेगी। उदाहरण के रूप से यदि किसी पद का वेतनमान रु0 160–400 है तो उसकी पारिवारिक पेंशन की धनराशि की गणना के लिए रु0 280 को आधार माना जायेगा।

9—प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के उपरांत आवेदक को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि वह सम्बन्धित सरकारी सेवक की विधवा/विधुर अथवा पात्र सन्तान है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उपरोक्त की पुष्टि प्रथमत: अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत संगत दस्तावेजों के आधार पर करेंगे। यदि आवेदक अपनी पहचान हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर सकें और कार्यालय में भी इस हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय के किन्हीं दो वरिष्ठ तथा स्थायी कर्मचारियों से आवेदक की शिनाख्त करवा लें। यदि उपर्युक्तानुसार भी कार्यवाही किया जाना सम्भव न हो सके तो सम्बन्धित आवेदक को निम्न में से एक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा :—

(1) न्यायालय द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या

(2) कार्यकारी मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार के समक्ष दिया गया शपथ पत्र।

10—उपरोक्तानुसार पेंशन के आगणन का कार्य करने तथा पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु सम्बन्धित व्यक्ति की पहचान करने के उपरांत सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष निर्धारित प्रपत्र (पी0 पी0 ओ0 तथा डिसबर्सर्स हाफ) पर पेंशन स्वीकृत करके उसे कोषाधिकारी को प्रेषित कर देंगे। इस प्रस्तर के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन का आहरण प्रथम बार उस स्थान के कोषागार से किया जायगा जहां के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष ने पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की है। यदि आवेदक उस स्थान के कोषागार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के किसी अन्य कोषागार से पारिवारिक पेंशन आहरित करना चाहता हैं तो उसे तदनुसार उपरोक्त कोषाधिकारी को अपने पेंशन प्रपत्र स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना-पत्र देना होगा और यह सम्बन्धित कोषाधिकारी का दायित्व होगा कि वे ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के तत्काल बाद सभी पेंशन प्रपत्र उस कोषागार को स्थानान्तरित कर दें जहां से सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनर अपनी पारिवारिक पेंशन आहरित करना चाहता है।

11—इस हेतु आवश्यक पी0 पी0 ओ0 तथा डिसबर्सर्स हाफ की प्रतियां कोषागारों में उपलब्ध करा दी जावेंगी और सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष आवश्यकतानुसार उन्हें स्थानीय कोषागारों से प्राप्त कर सकते हैं। शासन द्वारा छपवाये गये पी0 पी0 ओ0 (पेंशनर्स हाफ) के प्रारूप में पारिवारिक पेंशन से सम्बन्धित कालम्स उपलब्ध हैं और सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उसी के अनुसार वांछित प्रविष्टियां कर दें। किन्तु डिसबर्सर्स हाफ में पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित कालम्स उपलब्ध नहीं हैं अत: उस पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष डिसबर्सर्स हाफ में आवश्यक संशोधन करके तथा प्रविष्टियां करके उसे कोषाधिकारी अथवा महालेखाकार (जैसी स्थिति हो) को प्रेषित कर दें।

12—इस प्रकार स्वीकृत की जाने वाली पारिवारिक पेंशन के लिए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा अनुलग्नक 2 पर उल्लिखित प्रारूप पर एक इन्डेक्स रजिस्टर का रख-रखाव किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु एक चेक रजिस्टर का, जिसका प्रारूप अनुलग्न 3 पर संलग्न है, रख-रखाव किया जायेगा। पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने तथा इन्डेक्स रजिस्टर तथा चेक रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के उपरान्त संबंधित

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष पी० पी० ओ० (पेंशनर्स हाफ एवं डिसबर्सर्स हाफ की मूल प्रतियां) तथा पारिवारिक पेंशन हेतु दिये गये आवेदन पत्र की एक प्रति एवं अग्रसारण पत्र के साथ जिसका प्रारूप अनुलग्नक 4 पर संलग्न है कोषाधिकारी को भेजेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी) को भेजेंगे। इस अग्रसारण पत्र के साथ वे चेक रजिस्टर में की गयीं प्रविष्टियों की (अनुलग्नक 3) एक प्रति भी संबंधित कोषाधिकारी एवं महालेखाकार को भेजेंगे। यदि पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रदेश के बाहर किसी अन्य कोषागार से अपेक्षित हो तो मूल प्रति ही महालेखाकार को प्रेषित की जायेगी और उसके स्थानीय कोषाधिकारी को पृष्ठांकन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि पारिवारिक पेंशन किसी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गयी है तो उक्त अग्रसारण-पत्र की एक प्रति विभागाध्यक्ष को भी प्रेषित की जायेगी। संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के मामलों की एक सूची महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ० प्र०, इलाहाबाद को प्रत्येक माह में प्रेषित की जायेगी।

13—उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30–4–85 के निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन व्यक्तियों को उपर्युक्तानुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जायेगा उसके लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे दो माह की परिलब्धियों के बराबर अंश दान दें। इसी प्रकार पेंशनभोगियों द्वारा पहले से किये गये अंशदान की वापसी के लिये भी किसी प्रकार की मांग पर विचार नहीं किया जायेगा। तदुपरान्त सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये हैं कि उपर्युक्त पैरा 2 में देय लाभ हेतु दो माह के वेतन/परिलब्धियों के बराबर अंशदान नहीं लिया जायेगा और जिन पेंशनरों से नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, का लाभ देने हेतु दो माह के वेतन/परिलब्धियों के बराबर अंशदान लिया जा चुका है उसे वापस करना भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14—उपर्युक्तानुसार स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी। महंगाई राहत की दर/दरें वही होंगी जो 1–4–79 से पहले सेवा निवृत्त हुए पेंशनरों को पेंशन की धनराशि पर 1–5–86 को अनुमन्य हैं अथवा जो उसके बाद समय-समय पर स्वीकृत की जायं। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्तर पर केवल मूल पारिवारिक पेंशन का आगणन किया जायेगा। राहत की गणना तथा पी0 पी0 ओ0 (पेंशनर्स हाफ एवं डिसबर्सर्स हाफ) पर उसका उल्लेख कोषाधिकारी/महालेखाकार के स्तर पर किया जायेगा।

15—उपर्युक्त व्यवस्था/प्रक्रिया केवल उन सरकारी सेवकों के संबंध में ही अपनायी जायेगी जो 1–4–65 के पूर्व सेवा निवृत्त/दिवंगत हो चुके थे अथवा जो नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 से शासित नहीं थे। शेष नये मामलों में वही प्रक्रिया अपनायी जायगी जो वर्तमान में प्रचलित है।

16—जिन सरकारी सेवकों के परिवारों को उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उ0 प्र0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन दिनांक 1–4–1961 तथा 31–3–1965 के मध्य सीमित अवधि के लिये पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी थी तथा शासनादेश संख्या सा–3–1426/दस–917–64, दिनांक 13–6–1973 के प्राविधानों के अनुसार, उन्हें उसमें निर्धारित दरों के अनुसार आजीवन या पुनर्विवाह जो भी पहले घटित हो तक, पारिवारिक पेंशन का लाभ अंकित कर दिया गया था, उनके मामलों में भी संबंधित कोषाधिकारी उनकी पारिवारिक पेंशन की धनराशि शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900/78 दिनांक 10–5–1978 की दरों के अनुसार अन्तिम रूप से निर्धारित कर देंगे तथा उसका भुगतान 1–5–86 से सुनिश्चित करते हुए उसकी सूचना शासनादेश सं0 सा–3–530/80–दस–900/78 दिनांक 5–4–80

में निर्धारित प्रारूप पर एक माह की अवधि में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दे देंगे। यदि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10–5–78 के अनुसार संबंधित पेंशनर के मूल वेतन की जानकारी के अभाव में कोषाधिकारी के लिये पारिवारिक पेंशन का आगणन करना संभव न हो तो सर्वप्रथम कोषाधिकारी उक्त मूल वेतन की जानकारी संबंधित पेंशनर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर करेंगे। यदि अभिलेख उपलब्ध न हों तो संबंधित पारिवारिक पेंशनर द्वारा इस हेतु एक शपथ पत्र भी दिया जा सकता है। कोषाधिकारी इस प्रकार की सूचना के सही होने की पुष्टि शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24–8–66 के अनुसार वर्तमान में मिल रही पारिवारिक पेंशन की धनराशि से कर सकते हैं। किन्तु यदि उपरोक्तानुसार भी मूल वेतन की जानकारी न हो सके तो उसे कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से प्राप्त करेंगे जहां से संबंधित पेंशनर सेवा निवृत्त हुआ हो और उसके आधार पर शासनादेश दिनांक 10–5–78 के अनुसार पारिवारिक पेंशन का आगणन कर देंगें। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश अन्य मामलों के समान इस प्रकार के मामले में किये गये आगणन को चेक करते हुए कोषाधिकारी तथा संबंधित पेंशनर को सूचित करेंगे। पूर्व में स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन की धनराशि 1–5–86 से वर्तमान में स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन की धनराशि में से समायोजित कर ली जायेगी।

17—ऐसे सरकारी सेवक जो दिनांक 1–4–1965 एवं 31–3–1978 के मध्य सेवा निवृत्त हो गये थे तथा जिनकी मृत्यु भी दिनांक 31–3–1978 के पूर्व हो चुकी थी तथा जिन पर नयी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 लागू है, के परिवारों को शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24–8–1966 में निर्धारित दरों के अनुसार पारिवारिक पेंशन मिल रही है। यह निश्चित है कि शासनादेश दिनांक 24–8–1966 में निर्धारित दरें शासनादेश दिनांक 10–5–1978 में निर्धारित दरों से कम है, अतएव दिनांक 1–5–1986 से उनकी पारिवारिक पेंशनों को शासनादेश दिनांक 10–5–1978 में निर्धारित दरों तथा उपरोक्त प्रस्तर 16 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषाधिकारियों द्वारा अनन्तिम रूप से पुनरीक्षित कर दिया जायेगा तथा उसकी सूचना महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को शासनादेश संख्या–3–530/80–दस–900/78, दिनांक 5–4–1980 में निर्धारित प्रारूप पर एक माह की अवधि में दे दी जायगी जो उसको चेक करके आवश्यकतानुसार कोषाधिकारी तथा संबंधित पेंशनर को अवगत करा देंगे। इस प्रकार स्वीकृत की जाने वाली पारिवारिक पेंशन पूर्व में स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन में समायोजित कर दी जायगी।

18—उपर्युक्तानुसार कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी द्वारा दी गयी स्वीकृति अनन्तिम मानी जायेगी और उसके आधार पर अधिकतम अठारह माह तक भुगतान किया जायेगा। महालेखाकार से यह अपेक्षित होगा कि वह संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गयी अनंतिम पेंशन की जांच कर लें और पेंशन केस की प्राप्ति के दिनांक से अठारह माह के भीतर यथासंभव यह सुनिश्चित करके कि अनन्तिम पेंशन की धनराशि ठीक है अथवा नहीं संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी तथा पारिवारिक पेंशनर को सूचित कर दें। यदि महालेखाकार से अठारह मास के भीतर कोई सूचना प्राप्त न हो तो कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत किये गये आदेश अंतिम माने जायेंगे।

19—उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "266—पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ", के नामे डाला जायेगा।

20—यह आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 जे0 पी0 सिंह,

सचिव।

अनुलग्नक–1

पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

सेवा में,

(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जहां से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था / उसकी मृत्यु हुई थी)

विषय : ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान करना जो दिनांक 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा जिनकी मृत्यु हो गई थी अथवा जो अन्यथा नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अन्तर्गत न आते हों ।

महोदय,

मैं शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–923/85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 के अनुसार परिवारिक पेंशन की स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती हूं ।

2–अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :—

1––आवेदक का नाम ... ...

(क) विधवा/विधुर ... ...

(ख) संरक्षक का नाम ... ...

(संरक्षक की आवश्यकता केवल निम्न परिस्थितियों में ही होगी । यदि दिवंगत व्यक्ति की विधवा/विधुर जीवित न हो और परिवार में ऐसे पुत्र/पुत्री हों जिनकी आयु क्रमश: 21 वर्ष तथा 24 वर्ष से कम हो, या ऐसे पुत्र/पुत्री जीवित हों जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हों अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हों तथा अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हों ।)

2––आवेदक का पूरा पता ... ...

... ...

3––उत्तरजीवी विधवा/विधुर और दिवंगत सरकारी सेवक/पेंशन भोगी की संतानों के नाम तथा आयु दिनांक 1 मई, 1986 को यदि पुत्र की आयु 21 वर्ष तथा पुत्री की आयु 24 वर्ष बीत चुकी है तो वे पारिवारिक पेंशन के पात्र नहीं होंगे । परन्तु यदि संतान मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा शारीरिक रूप से विकलांग है और आजीविका कमाने से असमर्थ हैं, तो उन्हें लाभ मिलेगा) ।

क्र0 सं0	नाम	स्वर्गीय सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	ईसवी सन् के अनुसार जन्मतिथि
1––			
2––			
3––			
4––			
5––			
6––			

4—दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी का नाम ....

5—सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख ....

6—कार्यालय/विभाग/अधिष्ठान जिसमें दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी ने सबसे बाद में सेवा की हो और उसके द्वारा अवधारित पद : ....

7—दिवंगत सरकारी कर्मचारी के पेंशन प्रमाण-पत्र/पी0 पी0 ओ0 संख्या यदि कोई हो : ....

8—लेखाधिकारी का पद नाम अर्थात् पेंशन प्रमाण पत्र/पेंशन अदायगी आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी ....

9—यदि आवेदक संरक्षक है तो उसकी जन्म तिथि और दिवंगत सरकारी कर्मचारी (पेंशन भोगी के साथ उसका संबंध) ....

10—क्या आवेदक (संरक्षक के अलावा अन्य व्यक्ति) पारिवारिक पेंशन भोगी है, यदि हां तो मासिक पेंशन की धनराशि कितनी है ....

11—आवेदन पत्र के साथ निम्न पत्रादि भी संलग्न करें—

(i) आवेदक के नमूने के दो हस्ताक्षर जो विधिवत्, अनुप्रमाणित किये गये हों (दो अलग-अलग कागजों पर प्रस्तुत किये जाये)

(ii) आवेदक के पासपोर्ट साइज की फोटो की दो प्रतियां जो विधिवत् अनुप्रमाणित की गई हों।

(iii) दो प्रतियां जिनमें से प्रत्येक पर आवेदक के बायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों के निशान हों जो विधिवत् अनुप्रमाणित की गई हों।

(iv) आवेदक की विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित विवरण–पत्र पंजी जिसमें (क) कद और (ख) हाथ; चेहरे आदि पर वैयक्तिक चिन्ह यदि कोई हों, दर्शाये जायें। कुछ पहचान चिन्ह निर्दिष्ट करें जो यदि संभव हों तो, दो, एक से कम न हों।

(v) आयु का प्रमाण पत्र—बच्चों की जन्मतिथि के संबंध में हाईस्कूल परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र (दो अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जायें, उपलब्ध न हों तो यह प्रमाण पत्र, नगर प्राधिकरण या स्थानीय पंचायत या मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होना चाहिये (यदि बच्चा इस प्रकार के विद्यालय में पढ़ रहा है)।

(vi) यदि आवेदक स्वर्गीय सरकारी सेवक की ऐसी संतान है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या शारीरिक रूप से विकलांग है और आजीविका कमाने में असमर्थ है तो उसे मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा कि "वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है या शारीरिक रूप से विकलांग है तथा अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है।"

12—आवेदक के हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे का निशान..............................—...

13—निम्नलिखित द्वारा प्रति हस्ताक्षरित :

	नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
(1)			
(2)			

साक्षी

(1)

(2)

14—कोषागार का नाम........ ... ...

(जिसके माध्यम से पारिवारिक पेंशन का भुगतान चाहते हैं)

15—संलग्न किये गये दस्तावेज/साक्ष्य की सूची :—

(i) सेवानिवृत्ति आदेश की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति ।

(ii) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु का प्रमाण पत्र ।

(iii) सरकारी कर्मचारी का पेंशन अदायगी आदेश ।

(iv) पेंशन के लिये प्रपत्र/बच्चों की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र ।

(v) अन्य कोई दस्तावेज जो यह दर्शाते हों कि आवेदक वास्तविक दावेदार है ।

भवदीय

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :

नोट—(1) आवेदक के बायें हाथ के अंगूठे के निशान उस स्थिति में दिये जायें जब कि प्रार्थी इतना पढ़ा लिखा/लिखी-पढ़ी न हो कि अपने नाम के हस्ताक्षर कर सकें ।

2—प्रतिहस्ताक्षरित, दो राजपत्रित सरकारी सेवकों द्वारा अथवा उस नगर, गांव या परगने के जिसमें आवेदक निवास करता है, दो या दो से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये ।

3—यदि कोई आवेदक अपनी पेंशन उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के कोषागार से लेना चाहते हैं तो उपरोक्त प्रस्तर—14 में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख करते हुए अपना आवेदन पत्र अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करें । विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करके सीधे महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ भेज देंगे कि पी० पी० ओ० को इंगित राज्य के महालेखाकार को संबंधित कोषागार के माध्यम से भुगतान करवाने हेतु अग्रसारित कर दें ।

संलग्नकों की तालिका :

1—आवेदक के नमूने के दो हस्ताक्षर जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित होंगे ।

2—आवेदक के पासपोर्ट साइज के दो अनुप्रमाणित फोटो ।

3—आवेदक के बायें हाथ के अंगूठे के और उंगलियों के निशानों की दो अनुप्रमाणित प्रतियां (अलग-अलग कागज पर)।

4—आवेदक का (1) कद एवं (2) हाथ चेहरे आदि पर वैयक्तिक चिन्ह, यदि कोई हो, दर्शाये जायें। दो पहचान-चिन्ह भी दर्शायें। उपरोक्त विवरण राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित होने चाहिये ।

5—आयु का प्रमाण पत्र (जैसा कि आवेदन पत्र के प्रस्तर (11) (v) में बताया गया है।

6—यदि आवेदक स्वर्गीय सरकारी सेवक की ऐसी सन्तान है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा शारीरिक रूप से विकलांग है और अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है तो उक्त आशय का मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

7—स्वर्गीय सरकारी सेवक का अनुप्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र।

8—पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के समर्थन में कोई अन्य जानकारी, सूचना यदि कोई हो।

——:o:——

अनुलग्नक–2

पारिवारिक पेंशन इडेंक्स रजिस्टर

दिनांक	क्रमांक/पी0पी0 ओ0 संख्या	कार्यालय का नाम	आवेदक का नाम व स्थाई पता	परिवारिक पेंशनर के पिता/पत्नी का नाम	सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तिथि	पारिवारिक पेंशन की धनराशि एवं स्वीकृति का पत्र संख्या एवं दिनांक	कोषाधिकारी/ महालेखाकार का पद नाम जिसे पारिवारिक पेंशन पत्र निर्गत किया गया	कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर	**पारिवारिक पेंशन चेक रजिस्टर का क्रमांक एवं पृष्ठ संख्या**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुलग्नक–3

पारिवारिक पेंशन चेक रजिस्टर

दिनांक	क्रमांक	कार्यालय का नाम तथा पता	पारिवारिक पेंशनर का नाम व स्थायी पता	पारिवारिक पेंशनर के पिता/पति/पत्नी का नाम	सेवा निवृत्ति/ मृत्यु की तिथि	पारिवारिक पेंशन का आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि	पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति का पत्र संख्या एवं दिनांक	पारिवारिक पेंशन की धनराशि का वास्तविक आगणन		
								अंतिम वेतन के आधार पर	पेंशन की धनराशि के आधार पर	वेतनमान के मध्य विन्दु के आधार पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
								1	2	3

पारिवारिक पेंशन की धनराशि (स्तम्भ–9 के आधार पर)	कोषाधिकारी/महालेखाकार का पदनाम जिसे पारिवारिक पेंशन का प्राधिकार पत्र नर्गत किया गया	इन्डेक्स रजिस्टर का		हस्ताक्षर		विवरण
		पृष्ठ संख्या	क्रम संख्या	लिपिक/मुख्य लिपिक	कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष	
10	11	12	13	14	15	16

अनुलग्नक–4

प्रेषक,

... ... (कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)

... ...

... ...

सेवा में,

कोषाधिकारी/महालेखाकार

... ...

संख्या   दिनांक

विषय : शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–932/85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का आदेश ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे सूचित करना है कि इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती ... ... विधुर/विधवा स्व0 श्री ... ... (पेंशनर/स्वर्गीय सरकारी सेवक का नाम एवं कार्यालय का पता जहां से सेवानिवृत्त हुआ था) ... ... पी0 पी0 ओ0 संख्या ... ... (यदि कोई हो) को उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित प्रक्रिया एवं दरों के अनुसार रुपये (अंकों में ... ... शब्दों में ... ...) प्रतिमाह की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई है। पारिवारिक पेंशन के आगणन एवं अन्य विवरण से सम्बन्धित पारिवारिक पेंशन चेक रजिस्टर की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न की जा रही है । कृपया उपरोक्त व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का कष्ट करें । यदि भुगतान किसी अन्य कोषागार से अपेक्षित हो तो प्रथम भुगतान करने के उपरांत सभी प्रपत्र सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित कर दिये जायें ।

2—उपरोक्त पी0 पी0 ओ0 पर भुगतान करने के पूर्व उसे कोषागार के इंडेक्स रजिस्टर में दर्ज करा दिया जाये और पी0 पी0 ओ0 को कोषागार की इन्डेक्स रजिस्टर संख्या प्रदत्त कर दी जाये । भविष्य के लिए यही संख्या पी0 पी0 ओ0 संख्या मानी जायेगी । पी0 पी0 ओ0 संख्या के साथ कोषागार का नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया जाये जिससे भविष्य में यह जानकारी हो सके कि प्रथम भुगतान तथा इन्डेक्स रजिस्टर संख्या किस कोषागार से सम्बन्धित है । यदि भुगतान प्रदेश के बाहर किसी कोषागार से अपेक्षित है तो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा पी0 पी0 ओ0 संख्या इंगित की जायेगी ।

भवदीय,

संख्या—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) ... ... (सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनर का नाम व पता)
... ...
... ...

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को चेक रजिस्टर तथा पारिवारिक पेंशन हेतु दिये गये आवेदन पत्र की प्रति के साथ।

(3) ... ...(विभागाध्यक्ष का नाम व पता)
... ...
... ...

आज्ञा से,

(   )

उत्तर प्रदेश शासन — रा—25

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा0 4–1121/दस–87–301–87

लखनऊ, 28 जुलाई, 1987

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:—राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई के 608 मूल्य सूचकांक के आगे होने वाली मूल्य वृद्धि के लिए महंगाई राहत की अनुमन्यता।

राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स, 1961, नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 तथा शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–923/85 दिनांक 8 अगस्त, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पारिवारिक पेंशन स्कीम के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं तथा अशक्तता पेंशन एवं असाधारण पेंशन नियमावली के अन्तर्गत पेंशन पाते हैं, 1–1–86 के उपरांत 608 मूल्य सूचकांक से आगे की मूल्य वृद्धि के लिए, महंगाई राहत की निम्नलिखित दरें निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :—

अवधि	पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रति माह	महंगाई राहत की मासिक दर
1-7-86 से 31-12-86 तक	(1) रु0 1750 से अनधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 4 प्रतिशत
	(2) रु0 1750 से अधिक किन्तु रु0 3000 से अनधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 3 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु0 70
	(3) रु0 3000 से अधिक	पेंशन का 2 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु 90
1-1-87 से तथा उसके बाद	(1) रु0 1750 से अनधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 8 प्रतिशत
	(2) रु0 1750 से अधिक किन्तु रु0 3000 से अनधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 6 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु0 140
	(3) रु0 3000 से अधिक	पेंशन का 5 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु0 180

इन आदेशों के अन्तर्गत :—

(1) 1-1-86 से पूर्व सेवा निवृत्त व्यक्तियों के मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिप्राय पेंशन की उस समेकित (कन्सालिडेटेड) धनराशि से होगा जो शासनादेश संख्या सा0 4-1120/दस-87-301-87, दिनांक 28-7-87 के प्राविधानों के अन्तर्गत 1-1-86 से निर्धारित की गयी है।

(2) ऐसे सरकारी सेवकों के मामलों में जो 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हों या होंगे या जिनके मामलों में पारिवारिक पेंशन शासनादेश संख्या सा0 3-969/दस-923/85, दिनांक 8-8-86 के अन्तर्गत मामलों को छोड़कर 1-1-86 अथवा उसके बाद पहली बार स्वीकृत की गयी है पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिप्राय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की उस मूल धनराशि से होगा जो शासनादेश संख्या सा0-3-1168/दस-935/87, दिनांक 22-6-87 के अन्तर्गत निर्धारित की गई है।

(3) ऐसे पारिवारिक पेंशनरों के मामलों में जिन्हें शासनादेश संख्या सा-3-969/दस-923-85, दिनांक 8-8-86 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई है पारिवारिक पेंशन की धनराशि वह धनराशि होगी जो शासनादेश संख्या सा-4-1120/दस-87 -301-87, दिनांक 28-7-87 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार समेकित (कन्सालिडेटेड) की गयी है।

1-2. महंगाई राहत को ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में अगणित होगी उसे अगले रुपये में राउन्ड कर दिया जायेगा।

1-3. ऐसे पेंशनरों को महंगाई राहत का विनियमन जिन्हें सेवायोजित/पुनर्योजित किया गया है अथवा जिन्हें एक से अधिक पेंशन मिल रही है, पूर्व प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता रहेगा।

1-4. 1-7—86 से 31-12-86 तक तथा 1-1-87 एवं उसके बाद अनुमन्य महंगाई राहत, जैसी इन आदेशों के अन्तर्गत देय है, का एक रेडी रेकनर संलग्न किया जा रहा है।

1-5. यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर स्वत: लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2—शासनादेश संख्या सा–4–1084/दस–86–300–85, दिनांक 21–7–86, शासनादेश संख्या सा–4–1523/दस–86–300–85, दिनांक 8–10–86 तथा शासनादेश संख्या सा–4–1816/दस–86–300–85, दिनांक 18–12–86 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं तथा उनके अन्तर्गत भुगतान की गयी महंगाई राहत की धनराशि को इस शासनादेश के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली धनराशि से समायोजित कर लिया जायेगा।

3–1. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए–1–252/दस–10 (3)–81, दिनांक 27–4–82 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए अब महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान संलग्न रेडी रेकनर के आधार पर कर दिया जायेगा और उसके लिए महालेखाकार अथवा किसी अन्य अधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इस परिप्रेक्ष्य में समस्त कोषाधिकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया कोषागारों से पेंशन पाने वाले पेंशनरों की राहत का भुगतान उपरोक्त निर्देशानुसार प्रारम्भ कर दें।

3–2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भी जो राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशनों का भुगतान करते हैं, अनुरोध है कि वे कृपया इस राज्य सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए–1–1137/दस–10 (3)–81, दिनांक 17–8–82 तथा उसके संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई के परिपत्र सं0 जी ए0 एन0 बी0 –2878/जी0 ए0–64 (11)(10)–81–82, दिनांक 24–6–82 में जारी किये गये निर्देशानुसार भारतीय रिजर्व बैंक से बिना किसी अन्य निर्देशों की प्रतीक्षा किये इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी राहत का भुगतान तुरन्त प्रारम्भ करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

4—संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु एक स्पष्टीकरण ज्ञाप संलग्नक–1 पर संलग्न है।

सेवा में,

1—समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0।

2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4—समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।

5—शेष को पूर्व सूची के अनुसार।

बी0 के0 सक्सेना,

प्रमुख सचिव (वित्त)

संलग्नक—1

पेंशन वितरण अधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु स्पष्टीकरण ज्ञाप

वर्तमान में प्रचलित प्रणाली के अनुसार राज्य के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान मूल्य सूचकांक के प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि होने पर पेंशन के ढाई प्रतिशत की दर से किया जाता रहा है और सम्बन्धित पेंशनरों की सेवा निवृत्ति को तिथि के परिप्रेक्ष्य में उन्हें चार श्रेणियों में रखा जाता रहा है।

2—पेंशनरों को मंगाई राहत की अनुमन्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अपनी नीति में मौलिक परिवर्तन करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या 2/5/87-पी0 आई0 सी0, दिनांक 22-4-87 निर्गत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की सम्बन्धित नीति को अपने यहां अपना लिया गया है। भारत सरकार की नीति जैसी राज्य सरकार द्वारा अपनायी गयी है, की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :—

(1) पुनरीक्षित व्यवस्था महंगाई के 608 मूल्य सूचकांक से आगे की मूल्य वृद्धि के लिये लागू होगी।

(2) महंगाई राहत प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई तथा 1 जनवरी से अनुमन्य की जायगी जिसका आधार 608 मूल्य सूचकांक से आगे की 30 जून अथवा 31 दिसम्बर की मूल्य वृद्धि होगी। यह आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक 30-6-87 तक हुई मूल्य वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में राहत के नये आदेश निर्गत न कर दिये जायं।

(3) समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर, चाहे उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि कोई भी हो, महंगाई राहत के वर्तमान सिद्धांत समान रूप से लागू होंगे। 1-1-86 से पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों को वर्तमान आदेश के अन्तर्गत महंगाई राहत उनकी कन्साबिडेटेड पेंशन/पारिवारिक पेंशन की उस धनराशि पर अनुमन्य होगी जिसमें 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई राहत को सम्मिलित करके उनकी पेंशन शासनादेश संख्या सा-4-1120/दस-87-301-87, दिनांक 28 जुलाई, 1987 के द्वारा पुनर्आगणित कर दी गयी है। 1-1-86 के उपरांत सेवा निवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के परिवार को महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन अथवा मूल पारिवारिक पेंशन पर ही अनुमन्य होगी।

(4) 608 मूल्य सूचकांक से आगे वृद्धि के लिये वर्ष 1986 में पुरानी पद्धति के अनुसार राहत की तीन किस्तें 1-4-86, 1-6-86 तथा 1-7-86 से अनुमन्य की गयी थी। उक्त दिनांकों से स्वीकृत किस्तों के अन्तर्गत भुगतान की गयी धनराशि को वर्तमान शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत महंगाई राहत की धनराशि से समायोजित कर लिया जायेगा।

(5) नयी व्यवस्था के अन्तर्गत भी निम्नलिखित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(क) ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में सेवायोजित/पुनर्योजित किये गये हों और वहां सेवारत हों।

(ख) ऐसे सेवक जो राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति लेकर किसी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, निगम अथवा स्वायत्तशासी संस्था में स्थायी रूप से संविलीन हो गये हों और वहां सेवारत हों।

(6) ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिन्हें एक से अधिक पेंशनें प्राप्त हो रही हैं, को महंगाई राहत समस्त पेंशनों के योग पर अनुमन्य होगी।

(7) दिनांक 1-7-86 तथा 1-1-87 से स्वीकृत महंगाई राहत की किस्त की अनुमन्यता के लिये एक रेडी रेकनर संलग्न किया जा रहा है।

(8) यदि महंगाई राहत की अनुमन्यता के सम्बन्ध में किसी पेंशन भुगतान अधिकारी को कोई संदेह हो तो वह अपने संदेह के निवारणार्थ सम्बन्धित मामले को राज्य सरकार के वि० (सामान्य) अनुभाग-4 को संदर्भित कर सकता है।

ANNEXURE (संलग्नक)

AMENDED RELIEF FROM JULY 1, 1986 AND JANUARY 1, 1987

1 जुलाई, 1986 तथा 1 जनवरी, 1987 से पुनरीक्षित राहत

Relief on Pension पेंशन पर राहत		
Pension/Family Pension पेंशन/पारिवारिक पेंशन	From July 1, 1986 to December 31, 1986 1 जुलाई 86 से 31 दिसम्बर 86 तक	From January 1, 1987 1 जनवरी, 1987 से
1	2	3
से तक		
243 to 250 ..	10	20
251 to 262 ...	11	21
263 to 275 ...	11	22
276 to 287 ...	12	23
288 to 300 ...	12	24
301 to 312 ...	13	25
313 to 325 ...	13	26
326 to 337 ...	14	27
338 to 350 ...	14	28
351 to 362 ...	15	29
363 to 375 ...	15	30
376 to 384 ...	16	31
385 to 400 ...	16	32
401 to 412 ...	17	33
413 to 425 ...	17	34
426 to 437 ...	18	35
438 to 450 ...	18	36
451 to 462 ...	19	37
463 to 475 ...	19	38
476 to 487 ...	20	39
488 to 500 ...	20	40
501 to 512 ...	21	41
513 to 525 ...	21	42
526 to 537 ...	22	43
538 to 550 ...	22	44
551 to 562 ...	23	45
563 to 575 ...	23	46
576 to 587 ...	24	47
588 to 600 ...	24	48
601 to 612 ...	25	49
613 to 625 ...	25	50
626 to 637 ...	26	51
638 to 650 ...	26	52
651 to 662 ...	27	53
663 to 675 ...	27	54
676 to 687 ...	28	55
688 to 700 ...	28	56
701 to 712	29	57
713 to 725 ...	29	58
726 to 737 ...	30	59
738 to 750 ...	30	60
751 to 762 ...	31	61
763 to 775 ...	31	62
776 to 787 ...	32	63
788 to 800 ...	32	64
801 to 812 ...	33	65
813 to 825 ...	33	66
826 to 837 ...	34	67
838 to 850 ...	34	68
851 to 862 ...	35	69
863 to 875 ...	35	70
876 to 887 ...	36	71
888 to 900 ...	36	72
901 to 912 ...	37	73
913 to 925 ...	37	74
926 to 937 ...	38	75
938 to 950 ...	38	76
951 to 962 ...	39	77
963 to 975 ...	39	78
976 to 987 ...	40	79
988 to 1000 ...	40	80

Relief on Pension

पेंशन राहत

Pension/Family Pension पेंशन/पारिवारिक पेंशन	From July 1, 1986 to December 31, 1986 1 जुलाई, 86 से 31 दिसम्बर, 86 तक	From January 1, 1987 1 जनवरी, 1987 से
1	2	3
1001 to 1012	41	81
1013 to 1025	41	82
1026 to 1037	42	83
1038 to 1050	42	84
1051 to 1062	43	85
1063 to 1075	43	86
1076 to 1087	44	87
1088 to 1100	44	88
1101 to 1112	45	89
1113 to 1125	45	90
1126 to 1137	46	91
1138 to 1150	46	92
1151 to 1162	47	93
1163 to 1175	47	94
1176 to 1187	48	95
1188 to 1200	48	96
1201 to 1212	49	97
1213 to 1225	49	98
1226 to 1237	50	99
1238 to 1250	50	100
1251 to 1262	51	101
1263 to 1275	51	102
1276 to 1287	52	103
1288 to 1300	52	104
1301 to 1312	53	105
1313 to 1325	53	106
1326 to 1337	54	107
1338 to 1350	54	108
1351 to 1362	55	109
1363 to 1375	55	110
1376 to 1387	56	111
1388 to 1400	56	112
1401 to 1412	57	113
1413 to 1425	57	114
1426 to 1437	58	115
1438 to 1450	58	116
1451 to 1462	59	117
1463 to 1475	59	118
1476 to 1487	60	119
1488 to 1500	60	120
1501 to 1512	61	121
1513 to 1525	61	122
1526 to 1537	62	123
1538 to 1550	62	124
1551 to 1562	63	125
1563 to 1575	63	126
1576 to 1587	64	127
1588 to 1600	64	128
1601 to 1612	65	129
1613 to 1625	65	130
1626 to 1637	66	131
1638 to 1650	66	132
1651 to 1662	67	133
1663 to 1675	67	134
1676 to 1687	68	135
1688 to 1700	68	136
1701 to 1712	69	137
1713 to 1725	69	138
1726 to 1737	70	139
1738 to 2333	70	140
2334 to 2350	71	141
2351 to 2366	71	142
2367 to 2383	72	143
2384 to 2400	72	144
2401 to 2416	73	145
2417 to 2433	73	146
2434 to 2450	74	147
2451 to 2466	74	148
2467 to 2483	75	149
2484 to 2500	75	150
2501 to 2516	76	151
2517 to 2533	76	152
2534 to 2550	77	153
2551 to 2566	77	154
2567 to 2583	78	155

Relief on Pension
पेंशन पर राहत

Pension/Family Pension पेंशन/पारिवारिक पेंशन		From July 1, 1986 to December 31, 1986 1 जुलाई, 86 से 31 दिसम्बर, 86 तक	From January 1, 1987 1 जनवरी, 1987 से
1		2	3
2584 to 2600	—	78	156
2601 to 2616	—	79	157
2617 to 2633	—	79	158
2634 to 2650	—	80	159
2651 to 2666	—	80	160
2667 to 2683	—	81	161
2684 to 2700	—	81	162
2701 to 2716	—	82	163
2717 to 2733	—	82	164
2734 to 2750	—	83	165
2751 to 2766	—	83	166
2767 to 2783	—	84	167
2784 to 2800	—	84	168
2801 to 2816	—	85	169
2817 to 2833	—	85	170
2834 to 2850	—	86	171
2851 to 2866	—	86	172
2867 to 2883	—	87	173
2884 to 2900	—	87	174
2901 to 2916	—	88	175
2917 to 2933	—	88	176
2934 to 2950	—	89	177
2951 to 2966	—	89	178
2967 to 2983	—	90	179
2984 to 3600	—	90	180
3601 to 3620	—	90	181
3621 to 3640	—	90	182
3641 to 3660	—	90	183
3661 to 3680	—	90	184
3681 to 3700	—	90	185
3701 to 3720	—	90	186
3721 to 3740	—	90	187
3741 to 3760	—	90	188
3761 to 3780	—	90	189
3781 to 3800	—	90	190
3801 to 3820	—	90	191
3821 to 3840	—	90	192
3841 to 3860	—	90	193
3861 to 3880	—	90	194
3881 to 3900	—	90	195
3901 to 3920	—	90	196
3921 to 3940	—	90	197
3941 to 3960	—	90	198
3961 to 3980	—	90	199
3981 to 4000	—	90	200
4500	—	90	225

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा0–4–1120/दस–77–301/87

लखनऊ, दिनांक 28 जुलाई, 1987

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :—दिनांक 1–1–86 से पूर्व सेवा निवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन ढांचे का सरलीकरण/अभिनवीकरण।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–1–86 से पूर्व सेवा निवृत्त/मृत हुए सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों के सरलीकरण/अभिनवीकरण के सम्बन्ध में निम्न आदेश प्रदान किये हैं :

2--उपरोक्त पेंशनरों की पेंशनें एवं पारिवारिक पेंशनें, दिनांक 1–1–86 से निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निर्धारित/विनियमित की जायेंगी। यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961, नयी पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 तथा शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–923/85 दिनांक 8–8–86 के अन्तर्गत स्वीकृत पारिवारिक पेंशन स्कीम के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर स्वत: लागू नहीं होंगे। उनके सम्बन्ध में सम्बंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3—इन आदेशों के अन्तर्गत :

(क) "वर्तमान पेंशनर" अथवा "वर्तमान पारिवारिक पेंशनर" का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो 31-12-85 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख) "वर्तमान पेंशन" का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो 31–12–85 को देय थी, से है। 'वर्तमान पेंशन' में 1–4–75 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों को अनुमन्य तदर्थ राहत तथा 31–3–79 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों को 209 रुपये तक की पेंशन पर दी जा रही अस्थायी वृद्धि, तदर्थ वृद्धि तथा अतिरिक्त तदर्थ वृद्धि को भी सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(ग) "वर्तमान पारिवारिक पेंशन" का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो नयी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अधीन शासनादेश संख्या सा-3-657/दस-900/78 दिनांक 10-5-78 अथवा शासनादेश सं0 सा-3-1563/दस-921/81 दिनांक 3-11-81 में उल्लिखित दरों पर 31-12-85 को अथवा शासनादेश सं0 सा-3-969/ दस-923/85 दिनांक 8-8-86 से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को 1-5-86 से अनुमन्य थी।

(घ) "वर्तमान महंगाई राहत" का तात्पर्य पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को महंगाई के 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मिल रही उस राहत से है जो शासनादेश संख्या सा-4-जी आई-18/दस-86-300/85 दिनांक 6 मई, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी थी।

वर्तमान पेंशनरों के लिए अतिरिक्त राहत

4. 1--विभिन्न श्रेणियों के "वर्तमान पेन्शनरों" को निम्न दर से अतिरिक्त राहत अनुमन्य होगी :—

(क) ऐसे "वर्तमान पेन्शनर" जो 31-3-79 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए तथा उन सरकारी सेवकों के परिवार जो 1-7-79 के पूर्व मरे/सेवा निवृत्त हुए और जिन्हें पारिवारिक पेन्शन अनुमन्य है, को अतिरिक्त राहत निम्न दरों पर अनुमन्य होगी :

(i) रु० 500 से अनधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन तथा वर्तमान राहत के योग के 15 प्रतिशत के बराबर होगी जिसका न्यूनतम रु० 75 होगा।

(ii) रु० 500 से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन [जैसी उपरोक्त प्रस्तर 3 (ख) में परिभाषित है] के 95 प्रतिशत की दर से आगणित नोशनल रिलीफ में से वर्तमान में प्राप्त राहत अर्थात् रु० 638 को घटाकर आने वाली धनराशि के बराबर होगी किन्तु यदि ऐसी धनराशि ऋण में हो अथवा रु० 175 से कम हो तो अनुमन्य अतिरिक्त राहत की धनराशि रु० 175 से कम नहीं होगी।

(ख) ऐसे "वर्तमान पेंशनर" (पारिवारिक पेंशनरों को छोड़कर) जो 31-3-79 अथवा उसके बाद किन्तु 1-7-79 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए के मामलों में अतिरिक्त राहत निम्न दरों पर अनुमन्य होगी :—

(i) रु0 500 से अनधिक पेंशन पाने वाले पेन्शनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत की धनराशि वर्तमान पेंशन तथा वर्तमान राहत के योग का 10 प्रतिशत होगी किन्तु ऐसी धनराशि रु0 50 से कम नहीं होगी।

(ii) रु0 500 से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन [जैसी उपरोक्त प्रस्तर 3 (ख) में परिभाषित है] के 80 प्रतिशत के दर से आगणित नोशनल रिलीफ में से वर्तमान में प्राप्त राहत अर्थात् रु0 538 को घटाकर आने वाली धनराशि के बराबर होगी किन्तु यदि ऐसी धनराशि ऋण में हो अथवा रु0 125 से कम हो तो अनुमन्य अतिरिक्त राहत की धनराशि रु0 125 से कम नहीं होगी।

(ग) ऐसे "वर्तमान पेंशनर" जो 1–7–79 को अथवा उसके बाद किन्तु 31–3–85 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए तथा उन सरकारी सेवकों के परिवारों को जो 1–7–79 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुए और जिन्हें पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, अतिरिक्त राहत निम्न दरों पर अनुमन्य होगी:—

(i) रु0 500 से अनधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन तथा वर्तमान राहत के योग के 10 प्रतिशत के बराबर होगी जिसका न्यूनतम रु0 [illegible] होगा।

(ii) रु0 500 से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन (जैसी उपरोक्त प्रस्तर 3 (ख) में परिभाषित है।) के 65 प्रतिशत की दर से आगणित नोशनल रिलीफ में से वर्तमान में प्राप्त राहत रु0 438 को घटाकर आने वाली धनराशि के बराबर होगी किन्तु यदि ऐसी धनराशि ऋण में हो अथवा रु0 100 से कम हो तो अनुमन्य अतिरिक्त राहत की धनराशि रु0 100 से कम नहीं होगी।

(घ) ऐसे सरकारी सेवकों को, जो 31–3–85 अथवा उसके उपरांत किन्तु 31–12–85 तक सेवा निवृत्त हुए, अतिरिक्त राहत उपरोक्त पैरा (क), (ख), (ग) के अनुसार अनुमन्य नहीं होगी। ऐसे पेंशनरों की अतिरिक्त राहत की धनराशि रेडी रेकनर के भाग I की तालिका 4 व भाग II के स्तम्भ–5 में दर्शायी गयी दर के अनुसार होगी।

4.2—यदि अतिरिक्त राहत की धनराशि एक रुपया के गुणांक में आगणित होगी तो उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जायगा।

स्लैब फार्मूले के स्थान पर औसत परिलब्धियों के 50% की दर से पेंशन का पुनर्आगणन

5—वर्तमान पेंशनर, जिनकी पेंशन स्लैब फार्मूले के अनुसार आगणित है, की पेंशन औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से पुनर्आगणित की जायेगी। इस प्रकार पुनर्आगणित पेंशन की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। तथापि इस प्रस्तर के अभिप्राय हेतु अर्हकारी सेवा तथा परिलब्धियां जिनके आधार पर मूल रूप से पेंशन आगणित की गयी थी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा तथा इस प्रस्तर के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन न तो अतिरिक्त राहत के आगणन हेतु "वर्तमान पेंशन" में सम्मिलित की जायगी और न ही उसका कोई राशिकरण किया जा सकेगा।

पेंशन का समेकन (Consolidation)

6. 1—वर्तमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, 1–1–86 से, निम्न धनराशियों को सम्मिलित करके समेकित की जायेगी—

(1) वर्तमान पेंशन/वर्तमान पारिवारिक पेंशन,

(2) वर्तमान महंगाई राहत तथा

(3) उपरोक्त प्रस्तर–4 के अन्तर्गत आगणित अतिरिक्त राहत तथा प्रस्तर–5 के अन्तर्गत स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन।

उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित धनराशि 1–1–86 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन समझी जायेगी। चूंकि उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित पेंशन में पेंशन का राशिकृत भाग सम्मिलित होगा अतः पेंशन का मासिक/नियमित भुगतान करते समय पेंशन के सम्बन्धित राशिकृत भाग को पेंशन की धनराशि से घटा दिया जायेगा।

6. 2—ऐसे वर्तमान पेंशनर जो 31–3–85 तथा 31–12–85 के बीच सेवानिवृत्त हुए हों और जिन्हें वैयक्तिक पेंशन स्वीकृत की गयी हो के मामलों में वैयक्तिक पेंशन पृथक से अनुमन्य होती रहेगी और ऐसी वैयक्तिक पेंशन को उपरोक्त प्रस्तर 6.1 के प्रयोजन हेतु पेंशन का भाग नहीं माना जायेगा।

6.3—चूंकि उपरोक्त प्रस्तर 6.1 में किये गये पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समेकन में महंगाई के 608 औसत मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई राहत को सम्मिलित कर लिया गया है अतः 1–1–86 के उपरांत 608 औसत मूल्य सूचकांक के आगे की महंगाई के लिए शासनादेश संख्या सा–4–1121/दस–301–87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 में निर्धारित पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत तथा उसमें अनुमन्य दरों के अनुसार ही महंगाई राहत अनुमन्य होगी। महंगाई राहत की जो किस्तें शासनादेश संख्या सा–4–1084/दस–86–300–85 दिनांक 21–7–86 शासनादेश संख्या-सा–4–1523/दस–86–300–85 दिनांक 8–10–86 तथा शासनादेश संख्या सा–4–1816/दस–86–300–85 दिनांक 18–12–86 के अन्तर्गत क्रमशः 1–4–86, 1–6–86 तथा 1–7–86 से स्वीकृत की गयी थी उनकी धनराशि शासनादेश संख्या सा-4–1121/दस–87–301/87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के अन्तर्गत स्वीकृत महंगाई राहत की धनराशि से समायोजित कर ली जायगी।

सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनर

7—सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनरों/पारिवारि कपेंशनरों की पेंशनों/पारिवारिक पेंशनों पर वर्तमान में महंगाई राहत अनुमन्य नहीं है। उनके मामलों में अतिरिक्त राहत की गणना हेतु नोशनल महंगाई राहत की उस धनराशि को आधार माना जायगा जो उन्हें उस दशा में अनुमन्य होती यदि वे सेवा निवृत्ति के उपरांत सेवायोजित/पुनर्योजित नहीं हुये होते और उसी के अनुसार उपरोक्त प्रस्तर 6.1 के अन्तर्गत उनकी पेंशन का समेकन किया जायगा। दिनांक 1–1–86 से उनका वेतन उपरोक्तानुसार आगणित समेकित पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारित किया जायगा। दिनांक 1–1–86 के उपरांत होने वाली मूल्य वृद्धि से सम्बन्धित महंगाई राहत भी उन्हें सेवायोजन/पुनर्योजन की अवधि में अनुमन्य नहीं होगी।

पारिवारिक पेंशन का पुनर्आगणन

8.1–पारिवारिक पेंशन की दो दरें होती हैं—(1) सामान्य दर और (2) बढ़ी हुई दर जो सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु के बाद प्रथम 7 वर्ष तक अथवा उसकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दिनांक तक, यदि वह जीवित रहता, जो भी पहले हो, अनुमन्य होती है। इस आदेश के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का समेकन निम्न विधि से किया जायगा:—

(क) जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर आहरित की जा रही है उनमें से 1–7–79 के पूर्व सेवा निवृत्त अथवा मृतक सरकारी सेवकों के परिवारों की पारिवारिक पेंशन में जोड़े जाने वाली अतिरिक्त राहत की धनराशि वह होगी जो उपरोक्त प्रस्तर 4 (क) के अन्तर्गत अनुमन्य है। ऐसे सरकारी सेवकों के मामलों में जो 1–7–79 तथा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा मरे हैं के परिवारों की पारिवारिक पेंशन में उपरोक्त पेंशन में उपरोक्त प्रस्तर 4 (ग) के अन्तर्गत

अनुमन्य अतिरिक्त राहत जोड़ी जायगी तथा दोनों दशाओं में इस प्रकार आगणित अतिरिक्त राहत को जोड़ते हुए उपरोक्त प्रस्तर 6.1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारिवारिक पेंशन का समेकन किया जायगा।

(ख) उन मामलों में जिनमें पारिवारिक पेंशन शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900/78 दिनांक 10–5–78 के अन्तर्गत मृत्यु के बाद पहले सात वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दिनांक तक, यदि वह जीवित रहता, जो भी पहले हो, बढ़ी हुई दर पर मिलती है, की पेंशन का समेकन बढ़ी हुई दर तथा साधारण दर दोनों पर उपरोक्त प्रस्तर 6.1 सपठित प्रस्तर 8.1 (क) के अनुसार अलग अलग किया जायगा जिससे सामान्य दर पर अगणित पारिवारिक पेंशन, बढ़ी हुयी दर पर मिलने वाली पारिवारिक पेंशन की अवधि की समाप्ति पर, तुरन्त प्रारम्भ हो जाय। पारिवारिक पेंशन के समेकन हेतु वास्तविक पारिवारिक पेंशन की दोनों धनराशियों पर अतिरिक्त राहत अलग अलग निकाली जायगी।

8.2—ऐसे मामलों में जिनमें संबधित पेंशनर 1–1–86 को जीवित था और जिसके पेंशन भुगतान आदेश पर पारिवारिक पेंशन की सामान्य तथा बढ़ी हुई दोनों दरें अंकित हैं की पारिवारिक पेंशन का उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित विधि के अनुसार पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा ही समेकन करके पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की दोनों दरों का उल्लेख पेंशन भुगतान आदेश के दोनों अर्ध भागों (ह्राव्स) पर कर दिया जाएगा। पारिवारिक पेंशन की पुनरीक्षित दरें संबधित पेंशनर को मृत्यु के उपरान्त लागू हो जायेगी।

8.3—(क) शासनादेश संख्या सा–3–969/दस—923/85 दिनांक 8–8–86 द्वारा राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को भी जो दिनांक 31–3–65 अथवा उसके पूर्व सेवा निवृत्त/दिवंगत हो चुके हैं अथवा जिन्हें नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं थी, दिनांक 1–5–86 से पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की गयी है। इस श्रेणी के पारिवारिक पेंशनरों को राहत उन्हीं दरों पर अनुमन्य है जो दिनांक 1–7–79 अथवा उसके पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के परिवारों के लिए अनुमन्य है। ऐसे पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन के समेकन के प्रयोजन हेतु उनकी मूल पारिवारिक पेंशन की धनराशि में शासनादेश संख्या सा–4–जी0 आई0 18/दस–86–300/85 दिनांक 6–5–86 के अन्तर्गत राहत (जो 608 मूल्य सूचकांक के बराबर है) तथा ऐसी अतिरिक्त राहत की धनराशि सम्मिलित की जायगी जो उपरोक्त प्रस्तर 4.1 (क) (1) में उल्लिखित सिद्धान्त के अनुसार आगणित की गयी हो और इस प्रकार समेकित धनराशि को 1–5–86 से पारिवारिक पेंशन समझा जायगा।

(ख) चूंकि उपरोक्तानुसार समेकित पारिवारिक पेंशन की धनराशि में महंगाई के 608 औसत मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई राहत को सम्मिलित कर लिया गया है अतः उससे आगे की मूल्य वृद्धि के लिये शासनादेश सं0 सा–4–1221/दस–87–301/87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के अन्तर्गत निर्धारित पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत तथा उसमें अनुमन्य दरों के अनुसार ही महंगाई राहत अनुमन्य होगी। महंगाई राहत की जो किस्तें शासनादेश सं0 सा–4–1084/दस–86–300–85 दिनांक 21–7–86 शासनादेश संख्या सा–4–1523/दस–86–300–85 दिनांक 8–10–86 तथा शासनादेश सं0 सा–4–1816/दस–86– 300–85 दिनांक 18–12–86 के अन्तर्गत क्रमश: 1–4–86, 1–6–86 तथा 1–7–86 से स्वीकृत की गयी थी उनको धनराशि शासनादेश संख्या सा–4–1121/दस–87-301/87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के अन्तर्गत स्वीकृत महंगाई राहत की धनराशि से समायोजित कर ली जायगी।

9—राज्य सरकार के ऐसे सेवकों के मामलों को, जिनमें राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत संबंधित सरकारी सेवकों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्थायी संविलयन ले लिया गया हो, निम्न प्रकार विनियमित किया जायगा।

(क) पेंशन

उन स्थायी संविलयन के मामलों में, जिनमें संबंधित सरकारी सेवक राज्य सरकार से अपनी पेंशन पृथक् से आहरित कर रहा हो उसकी पेंशन इन आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दी जायगी। उन मामलों में जिनमें संबंधित सरकारी सेवक के पेंशनरी लाभों का भुगतान, एक मुश्त में संबधित सरकारी सेवक/संस्था को कर दिया गया हो, इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जायगा।

(ख) पारिवारिक पेंशन

सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में संविलीन हुए जिन सरकारी सेवकों के संविलयन की शर्तों में पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की गयी है उनकी पारिवारिक पेंशन की धनराशि इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित कर दी जायगी।

10.1—उपरोक्त आदेशों के कार्यान्वियन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :—

(क) रु0 500 से अनधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु समस्त पेंशन भुगतान अधिकारियों अर्थात् कोषाधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो पेंशन का भुगतान करते हैं एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। इस श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों/पारिवारिक पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु कोई पत्र/आवेदन महालेखाकार अथवा अन्य पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु कोषाधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुविधा के लिये एक रेडी रेकनर संलग्न किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की वर्तमान पेंशन तथा समेकित पेंशन जो 1-1-86 से देय है इंगित कर दी गयी है। यदि कोई पेंशनर एक से अधिक पेंशनें प्राप्त कर रहा है तो उनका पुनरीक्षण पृथक-पृथक किया जायगा और पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा उनका तदनुसार भुगतान किया जायगा। पेंशन भुगतान अधिकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रत्येक पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र (पी0 पी0 ओ0) के दोनों अर्धभागों (हाल्व्स) पर पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि अंकित कर दी जायगी। उपरोक्तानुसार आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सूचना पेंशन भुगतान अधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा महालेखाकार/मुख्य लेखाधिकारी को भी, जैसी स्थिति हो प्रारूप III पर दी जायगी जिससे वे उसकी सूचना पेंशन पेमेन्ट आर्डर रजिस्टर में अंकित कर लें। पेंशन भुगतान अधिकारी महालेखाकार/पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्त्ता अधिकारी को भेजी गयी उपरोक्त सूचना की प्राप्ति भी स्वीकार करवा लें।

(ख) ऐसे पेंशनर जो रु0 500 से अधिक पेंशन पाते हैं, की पेंशनों का समेकन दो चरणों में किया जायगा :

(1) प्रथम चरण में संबंधित पेंशन भुगतान अधिकारियों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संबंधित पेंशनरों के पी0 पी0 ओ0 (दोनों अर्ध भागों) पर संलग्न रेडी रेकनर के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन अंकित कर दी जायगी और तदनुसार भुगतान किया जायगा। इस हेतु संबंधित पेंशनर को महालेखाकार/मुख्य लेखाधिकारी को किसी आवेदन पत्र के देने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) द्वितीय चरण में संबंधित पेंशनरों को अपनी पेंशनों के उपरोक्त प्रस्तर 5 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण हेतु महालेखाकार अथवा अन्य पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्त्ता अधिकारी को जैसी स्थिति में हो, संलग्न प्रारुप I पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत महालेखाकार अथवा संबंधित पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी संबंधित पेंशनर की पेंशन का धनराशि का प्रस्तर 5 के अनुसार पुनरीक्षण करेंगे और उसकी सूचना संलग्न प्रारूप II पर संबंधित कोषाधिकारी/बैंक को भेजेंगे। इस सूचना की प्राप्ति के बाद संबंधित कोषाधिकारी/बैंक पी0 पी0 ओ0 के दोनों अर्ध भागों पर पुनरीक्षित पेंशन का उल्लेख कर देंगे और उपरोक्त उप प्रस्तर 10. 1 (ख) (1) के अन्तर्गत पुनरीक्षित तथा उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित दोनों धनराशियों की सूचना संलग्न प्रारूप III पर महालेखाकार/मुख्य लेखाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कर देंगे कि वे उसे पेंशन पेमेन्ट आर्डर रजिस्टर में अंकित कर लें। पेंशन भुगतान अधिकारी महालेखाकार/पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी को भेजी गई उपरोक्त सूचना की प्राप्ति भी स्वीकार करवा लें।

10.2—यदि किसी मामले में, चाहे वह रु0 500 से कम पेंशन पाने वाले पेंशनर का हो अथवा उससे अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनर का हो, पेंशन भुगतान प्राधिकारी को कोई संदेह हो या पेंशनर द्वारा विवाद उत्पन्न किया जाय तो उन्हें ऐसे मामलों को महालेखाकार अथवा पेंशन स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी को संदर्भित करना होगा।

बी० के० सक्सेना,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0।

(2) समस्त कोषाधिकारी, उ0 प्र0, — स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियां (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायं) (प्रत्येक को 50 प्रतियां)

(3) समस्त जिला अधिकारी, उ0 प्र0 — (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु) (5 प्रतियां)।

प्रारूप–I

(यह प्रार्थना-पत्र केवल उन्हीं पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा जिनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व 10 माह की औसत परिलब्धियां रु0 1,000 से अधिक रही हों)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा) द्वितीय
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

अथवा

मुख्य लेखा अधिकारी (या अन्य पद नाम जिससे विभागीय मुख्य लेखा अधिकारी विभाग में जाने जाते हों)

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

विषय :—शासनादेश संख्या सा–4–1120/दस–87–301–87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के प्रस्तर–5 के अन्तर्गत औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से पेन्शन का पुनर्गणन

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है :—

1—नाम (पूरा नाम) —

2—कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का पद नाम एवं पता जहां से सेवानिवृत्त हुआ — — — — — — — — —
— —

3—महालेखाकार/मुख्य लेखाधिकारी द्वारा निर्गत पी0 पी0 ओ0 संख्या — — — — — — — — — — — —

4—मासिक पेन्शन (राशिकरण की धनराशि को सम्मिलित करते हुए)— — — — — — — — — — — —

5—कोषागार/बैंक का नाम (जहां से पेन्शन प्राप्त की जा रही है) — — — — — — — — — — — —
— —
— —

मेरा अनुरोध है कि उपरिलिखित शासनादेश के प्रस्तर–5 के प्राविधानों के अनुसार मेरी वर्तमान पेन्शन का पुनरीक्षण करने की कृपा करें और — कोषाधिकारी/प्रबन्धक — — — — — — — — — — (उस कोषागार का नाम/बैंक का नाम जहां से पेन्शन आहरित की जा रही हों) को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रार्थी, पेन्शनर के हस्ताक्षर

प्रारूप–II

प्रेषक,

1—महालेखाकार (लेखा) द्वितीय
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2— — — — — — — — — — — — — — — (मुख्य लेखाधिकारी अथवा अन्य पेन्शन प्राधिकार-पत्र निर्गत-कर्ता अधिकारी का नाम व पद नाम एवं पता)

— — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — —

सेवा में,

— — — — — — — — — — — — — — — (कोषाधिकारी/बैंक का नाम एवं पता)

— — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — —

संख्या — — — — — — — — — — — दिनांक — — — — — — — —

विषय :—शासनादेश संख्या सा–4–1120/दस–87–301/87, दिनांक 28 जुलाई, 1987 के प्रस्तर–5 के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेन्शन की धनराशि की सूचना ।

महोदय,

श्री — — — — — — — — — — — — — — (पेन्शनर का नाम) — (पेन्शनर का पूरा पता) जिनकी पी0 पी0 ओ0 संख्या — — — — — — — — — है ने इस कार्यालय को उपरिलिखित शासनादेश के प्रस्तर–5 के अन्तर्गत अपनी पेन्शन के पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन किया है। उनकी वर्तमान पेंशन रु0– — — — — — — –है एवं उपरोक्त प्रस्तर 5 के अन्तर्गत पुनरीक्षण के उपरांत दिनांक 1 जनवरी, 1986 से उसकी धनराशि रु0 — — — — — — — –हो जायेगी ।

आप कृपया सम्बन्धित पेंशनर को तद्नुसार उसकी पेंशन का भुगतान करने का कष्ट करें और उपरिलिखित शासनादेश के प्रस्तर 10.1 (क) तथा 10.1 (ख) (1) व (2) के अन्तर्गत पुनरीक्षित धनराशि की सूचना प्रारूप III पर इस कार्यालय को अविलम्ब भेजने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(   )

मुख्य लेखाधिकारी, लेखाधिकारी महालेखाकार कार्यालय

कार्यालय महालेखाकार अथवा मुख्य लेखाधिकारी (सम्बन्धित विभाग)

संख्या— — — — — — –तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री/श्रीमती– — — — — — — —
(पेंशनर का नाम व पता) को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(   )

लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय अथवा मुख्य लेखाधिकारी (सम्बन्धित विभाग)

प्रारूप–III

...वा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, पेंशन विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

अथवा

मुख्य लेखाधिकारी (या अन्य पद नाम जिससे विभागीय मुख्य लेखाधिकारी विभाग में जाने जाते हों)

विषय—शासनादेश सं0 सा–4–1120/दस–87–301/87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के प्रस्तर 10.1 (क) व 10.1 (ख) (1) तथा (2) के अनुदेशों के अनुपालन में पुनरीक्षित पेंशन की सूचना।

...विषय,

शासनादेश सं0 सा–4–1120/दस–87–301/87 दिनांक 28–7–87 के प्रस्तर 10–1 (क) व 10.1 ...) (1) तथा (2) के अनुदेशों के अनुपालन में श्री/श्रीमती– – – – – – – – – – – – –धारक पी0 पी0 ओ0/...0 पी0 पी0 ओ0 संख्या– – – – – – – – –को पुनरीक्षित पेंशन का समेकन आपको सूचित किया जाता है, जो ...लिखित है:—

		रु0
1—वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन	– –	–
2—रेडी रेकनर में दर्शायी गई समेकित/पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि		–
3—शासनादेश के प्रस्तर 5 के अन्तर्गत स्वीकृति अतिरिक्त पेंशन		–
4—कुल योग		–

भवदीय,

कोषाधिकारी (अथवा अन्य पेंशन भुगतानकर्ता अधिकारी)

रेडी रेकनर

(READY RECKONER)

भाग—1

PART---1

500 रु० से अनधिक पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को 1-1-86 से देय वर्तमान पेंशनें को

तालिका :

Table showing existing pension and consolidated pension due fron January 1, 1986 in respect of pensioners whose existing pension is not mor than Rs. 500

1—तालिका (क–1)—इसमें ऐसे पेंशनर्स की समेकित पेंशन दर्शायी गयी है जो 1–4–75 के पू सेवानिवृत्त हुए और जिनकी वर्तमान पेंशन 209 रु० प्रतिमाह तक है तथा जिनकी पेंशन का समेकन पैरा 4.1 (क (i) के अन्तर्गत किया गया है।

(Table (ka–1)--This column shows the consolidated pension of those pensioner who retired before April 1, 1975 but before july 1, 1979 and whose existing pension is u to Rs. 209 p. m. This consolidation has been done according to para–4.1 (ka) (i) .

2—तालिका (क–2)—इसमें ऐसे पेंशनरों की समेकित पेंशन दर्शायी गयी है जो 1–4–75 य उसके बाद किन्तु 31–3–79 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए और जिनकी पेंशन 209 रु० प्रतिमाह तक है तथा जिनक पेंशन का समेकन प्रस्तर 4.1 (क) (i) के अन्तर्गत किया गया है।

Table (ka–2)--This coloumn shows the consolinated pension of those pensionei who retird on or after April 1, 1975 but before Jnly 1, 1979 and whose existing pensio is up to Rs. 209 p. m. This consolidation has been done according to para 4.1 (ka) (i) .

3—तालिका (क–3)—इसमें उन सरकारी सेवकों के परिवारों की समेकित पारिवारिक पेंशन दर्श गयी है जो 1–7–79 के पूर्व दिवंगत / सेवानिवृत्त हुए और जिनकी वर्तमान पारिवारिक पेंशन 209 रु० त है तथा जिनकी पारिवारिक पेंशन का समेकन प्रस्तर 4.1 (क) (i) के अन्तर्गत किया गया है।

Table (ka–3)—This coloumn shows the consolidated family pension of th families of those Government servents who retired/died before July 1, 1979 and whos existing family pension is upto Rs. 209 p. m. This consolidation has been done accordir to para 4.1 (ka) (i) .

4—तालिका (ख–1)—इसमें उन पेंशनर्स की समेकित पेंशन दर्शायी गयी है जो 31–3–79 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा जिनकी वर्तमान पेंशन 210 रु० या उससे अधिक है और उन सरकारी सेवकों के परिवारों की समेकित पारिवारिक पेंशन दर्शायी गयी है जो 1–7–79 के पूर्व दिवंगत / सेवानिवृत्त हुए और जिनकी वर्तमान पारिवारिक पेंशन 210 रु० प्रतिमाह या उससे अधिक है तथा जिसका समेकन प्रस्तर 4.1 (क) (i) के अन्तर्गत किया गया है।

Table (kha–1)—This column shows the consolidated pension of those pensioners who retired before March 31, 1979 and whose existing pension is Rs. 210 or more and also shows the consolidated family pension of the families of those Government servants who retired/died before July 1, 1979 and whose existing family pension is Rs. 210 or more . This consolidation has been dene according to para 4.1 (kha) (i) .

5—तालिका 2—इसमें उन पेंशनरों की समेकित पेंशन दर्शायी गयी है जो 31–3–79 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए और जिनकी पेंशन का समेकन प्रस्तर 4.1 (ख) (i) के अन्तर्गत किया गया है।

Table 2—This coloumn shows the consolidated pension of those pensioners who retired on or after March 31, 1979 but before July 1, 1979. This consolidation has been done according to para 4.1 (kha) (i) .

6—तालिका 3—इसमें उन पेंशनरों की समेकित पेंशन दर्शायी गयी है जो 1–7–79 को या उसके बाद किन्तु 31–3–85 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए तथा उन सरकारी सेवकों के परिवारों की समेकित पारिवारिक पेंशन दर्शायी गयी है जो 1–7–79 या उसके बाद दिवंगत / सेवा निवृत्त हुए और जिनकी पेंशन का समेकन प्रस्तर 4.1 (ग) (i) के अन्तर्गत किया गया है।

Table 3—This coloumn shows the consolidated pension of those pensioners who retired on or after July 1, 1979 but before March 31, 1985 and also shows the consolidated family penson of the familes of those Government servents who died/retired on or after July 1, 1979 but before march 31, 1985, This consolidation has been done according to para 4.1 (Ga) (i) .

7—तालिका 4—इसमें उन पेंशनरों की समेकित पेंशन दर्शायी गयी है जो 31.3.85 को या उसके बाद किन्तु 1–1–86 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए तथा जिनकी अतिरिक्त राहत के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रस्तर 4.1 (घ) के अन्तर्गत की गयी है।

Table 4—This coloumn shows the consolidated pension of those pensioners who retired on or after March 31, 1985 but before January 1, 1986 . Necessary action regarding calculation of additional Relief has been taken in their respect according to para 4.1 (Gha) .

Amount of Existing Pension (Rs.) वर्तमान पेंशन धनराशि (रु०)	Consolidated Pension w. e. f. 1-1-86 से समेकित पेंशन Table (Ka-1) तालिका (क-1)	Table (Ka-2) तालिका (क-2)	Table (Ka-3) तालिका (क-3)
1	2	3	4
30 तक	258	243	—
31	261	246	—
32	263	247	—
33	263	248	—
34	264	249	—
35	265	250	—
36	266	251	—
37	267	252	—
38	268	253	—
39	269	254	—
40	270	255	—
41	271	256	—
42	272	257	—
43	273	258	—
44	274	259	—
45	275	260	—
46	276	261	—
47	277	262	—
48	278	263	—
49	279	264	—
50	280	265	—
51	281	266	—
52	282	267	—
53	283	268	—
54	284	269	—
55	285	270	—
56	286	271	—
57	287	272	—
58	288	273	—
59	289	274	—
60	290	275	263
61	292	276	264
62	293	278	265
63	294	279	266
64	295	280	267

Amount of Existing Pension (Rs.) वर्तमान पेंशन धनराशि (रु०)	Consolidated Pension w. e. f. 1-1-86 से समेकित पेंशन Table (Ka-1) तालिका (क-1)	Table (Ka-2) तालिका (क-2)	Table (Ka-3) तालिका (क-3)
1	2	3	4
65	296	281	268
66	297	282	269
67	298	283	270
68	299	284	271
69	300	285	272
70	301	286	273
71	302	287	274
72	303	288	275
73	304	289	276
74	305	290	277
75	306	291	278
76	310	295	279
77	311	296	280
78	312	297	281
79	313	298	282
80	314	299	283
81	316	300	284
82	318	301	285
83	320	302	286
84	321	303	287
85	323	304	288
86	330	305	289
87	332	306	290
88	333	307	291
89	335	308	292
90	337	309	293
91	339	310	294
92	341	311	295
93	342	312	296
94	344	313	297
95	346	314	298
96	346	314	299
97	346	314	300
98	346	314	30[illegible]
99	346	314	302

Amount of Existing Pension (Rs.) वर्तमान पेंशन की धनराशि (रु०)	Consolidated Pension w. e. f. ...... 1–86 से समेकित पेंशन					
	Table (ka-1) तालिका (क-1)	Table (ka-2) तालिका (क-2)	Table (ka-3) तालिका (क-3)	Table-2 तालिका-2	Table-3 तालिका-3	Table-4 तालिका-4
1	2	3	4	5	6	7
100	351	314	303	258	238	113
101	351	319	305	261	239	114
102	351	320	307	262	241	115
103	351	321	309	264	243	116
104	351	322	312	266	245	117
105	351	322	314	268	247	118
106	351	323	316	270	249	119
107	353	325	318	272	251	120
108	354	327	321	274	253	122
109	356	328	323	276	254	123
110	358	330	325	278	256	124
111	360	332	328	280	258	125
112	362	334	330	282	260	126
113	364	336	332	284	262	127
114	366	339	334	287	264	128
115	369	341	337	289	266	130
116	371	343	339	291	268	131
117	373	345	341	293	269	132
118	375	348	343	295	270	133
119	378	350	346	297	273	134
120	380	353	348	299	275	135
121	382	354	350	301	277	136

1	2	3	4	5	6	7
122	384	356	353	303	279	137
123	386	359	355	305	281	138
124	389	361	357	307	283	140
125	391	363	359	309	284	141
126	393	365	362	311	286	142
127	395	368	364	314	288	143
128	398	370	366	316	290	144
129	400	372	368	318	292	145
130	402	374	371	320	294	146
131	404	376	373	322	296	147
132	406	379	375	324	298	149
133	409	381	378	326	299	150
134	411	383	380	328	301	151
135	412	385	382	330	303	152
136	414	386	384	332	305	153
137	416	388	387	334	307	154
138	418	390	389	336	309	155
139	419	392	391	338	311	156
140	421	394	394	341	313	158
141	423	396	396	343	314	159
142	425	398	398	345	316	160
143	427	400	400	347	318	161
144	428	403	403	349	320	162
145	430	405	405	351	322	163
146	432	407	407	353	324	164
147	434	409	409	355	326	165
148	435	412	412	357	328	167
149	437	414	414	359	329	168
150	439	416	416	361	331	169
151	441	419	419	363	333	170
152	443	421	421	365	335	171
153	444	423	423	367	337	172
154	446	425	425	370	339	173

Amount of Existing Pension (Rs.) वर्तमान पेंशन की धनराशि (रु०)	Consolidated Pension w. e. f. 1-1-1986 से समेकित पेंशन						
	Table (ka-1) तालिका (क-1)	Table (ka·2) तालिका (क-2)	Table (ka-3) तालिका (क-3)	Table (kha-1) तालिका (ख-1)	Table-2 तालिका-2	Table-3 तालिका-3	Table-4 तालिका-4
1	2	3	4	5	6	7	8
155	448	428	428	...	372	341	174
156	450	430	430	...	374	343	176
157	451	432	432	...	376	344	177
158	453	434	434	...	378	346	178
159	455	437	437	...	380	348	179
160	457	439	439	...	382	350	180
161	458	442	442	...	384	352	181
162	460	444	444	...	386	354	182
163	462	446	446	...	388	356	183
164	464	448	448	...	390	358	184
165	466	450	450	...	392	359	186
166	467	453	453	...	394	361	187
167	469	455	455	...	397	363	188
168	471	457	457	...	399	365	189
169	473	459	459	...	401	367	190
170	475	462	462	...	403	369	191
171	477	464	464	...	405	371	192
172	479	466	466	...	407	373	194
173	481	469	469	...	409	375	195
174	484	471	471	...	411	376	196
175	486	473	473	...	413	378	197
176	488	475	475	...	415	380	198
177	490	478	478	...	417	382	199
178	493	480	480	...	419	384	200

1	2	3	4	5	6	7	8
179	495	482	482	...	421	386	201
180	497	485	485	...	424	388	203
181	500	487	487	...	426	389	204
182	502	489	489	...	428	391	205
183	504	491	491	...	430	293	206
184	506	494	494	...	432	295	207
185	509	456	496	...	434	397	208
186	511	498	498	...	436	399	209
187	513	500	500	...	438	401	210
188	515	503	503	...	440	403	212
189	518	505	505	...	442	404	413
190	520	507	507	...	444	406	214
191	522	510	510	...	446	408	215
192	525	512	512	...	448	410	216
193	527	514	514	...	450	412	217
194	529	516	516	...	453	414	218
195	531	519	519	...	455	416	219
196	534	521	521	...	457	418	221
197	536	523	523	...	459	419	222
198	538	525	525	...	461	421	223
199	540	528	528	...	463	423	224
200	543	530	530	...	465	425	225
201	544	532	532	...	467	427	226
202	545	535	535	...	469	429	227
203	546	537	537	...	471	431	228
204	547	539	539	...	473	433	230
205	548	541	541	...	475	434	231
206	549	544	544	...	477	436	232
207	550	546	546	...	480	438	233
208	551	548	548	...	482	440	234
209	552	550	550	...	484	442	235

Consolidated Pension w. e. f. 1-1-1986 से समेकित पेंशन					Consolidated Pension w. e. f. 1-1-1986 से समेकित पेंशन				
Amount of Existing Pension (Rs.) वर्तमान पेंशन की धनराशि (रु०)	Table (kha-1) तालिका (ख–1)	Table -2 तालिका -2	Table -3 तालिका -3	Table -4 तालिका -4	Amount of Existing Pension (Rs.) वर्तमान पेंशन की धनराशि (रु०)	Table kha-1 तालिका (ख–1)	Table —2 तालिका —2	Table —3 तालिका —3	Table —4 तालिका —4
1	5	6	7	8	1	5	6	7	8
210	553	486	444	236	238	623	544	496	268
211	555	488	446	237	239	626	546	498	269
212	557	490	448	238	240	628	548	500	270
213	560	492	449	240	241	631	550	502	271
214	562	494	451	241	242	634	553	504	272
215	564	496	453	242	243	636	555	506	273
216	566	498	455	243	244	639	557	508	275
217	569	500	457	244	245	641	559	509	276
218	571	502	459	245	246	644	561	511	277
219	573	504	461	246	247	646	565	513	278
220	577	507	463	248	248	649	567	515	279
221	579	509	464	249	249	651	569	517	280
222	581	511	466	250	250	655	571	519	281
223	584	513	468	251	251	657	574	521	282
224	586	515	470	472	252	659	576	523	284
225	589	517	472	253	253	663	578	524	285
226	592	519	474	254	254	665	580	526	286
227	594	521	476	255	255	667	582	528	287
228	597	523	478	257	256	670	585	530	288
229	600	525	479	258	257	673	587	532	289
230	603	527	481	259	258	676	589	534	290
231	605	529	483	260	259	678	591	536	291
232	608	531	485	261	260	681	594	538	293
233	611	533	487	262	261	684	597	539	294
234	612	536	489	263	262	686	599	541	295
235	616	538	491	264	263	688	601	543	296
236	618	540	493	266	264	692	603	545	297
237	620	542	494	267	265	694	605	547	298

1	5	6	7	8	1	5	6	7	8
266	696	608	549	299	308	807	703	636	347
267	699	610	552	300	309	809	706	637	348
268	702	612	554	302	310	811	708	640	349
269	704	614	555	303	311	815	710	642	350
270	707	616	557	304	312	817	712	644	351
271	710	619	559	305	313	819	714	645	352
272	712	621	561	306	314	822	718	647	353
273	715	623	564	307	315	825	720	649	354
274	717	626	566	308	316	827	722	652	356
275	720	629	568	309	317	830	724	654	357
276	723	631	570	311	318	832	726	656	358
277	725	633	571	312	319	835	729	658	359
278	727	635	574	313	320	838	731	660	360
279	731	637	576	314	321	840	733	662	361
280	733	640	578	315	322	843	735	664	362
281	735	642	580	316	323	846	737	666	363
282	739	644	582	317	324	848	740	668	365
283	741	646	585	318	325	850	742	670	366
284	743	648	587	320	326	854	744	673	367
285	746	651	588	321	327	856	747	675	368
286	749	653	590	322	328	858	750	677	369
287	751	656	592	323	329	861	752	678	370
288	754	658	594	324	330	864	754	680	371
289	756	660	597	325	331	866	756	682	372
290	759	663	599	326	332	869	758	685	374
291	762	665	601	327	333	872	761	687	375
292	764	667	603	329	334	874	763	689	376
293	768	669	604	330	335	877	765	691	377
294	770	671	607	331	336	879	767	693	378
295	772	674	609	332	337	883	769	695	380
296	774	676	611	333	338	885	772	697	381
297	778	678	613	334	339	887	774	699	382
298	780	780	615	335	340	891	777	701	383
299	782	682	618	336	341	893	779	703	384
300	785	686	620	338	342	895	781	706	385
301	788	688	621	339	343	897	784	708	386
302	791	690	623	340	344	901	786	710	387
303	793	692	625	341	345	903	788	711	389
304	796	695	627	342	346	906	790	713	390
305	799	697	630	343	347	908	792	715	391
306	801	699	632	344	348	911	795	718	392
307	803	701	634	345	349	914	797	720	393

1	5	6	7	8	1	5	6	7	8
350	916	799	722	394	392	1026	894	809	441
351	919	801	724	395	393	1029	896	810	442
352	922	803	726	396	394	1031	898	812	443
353	924	806	728	398	395	1034	901	814	444
354	926	809	730	399	396	1037	904	817	446
355	930	811	732	400	397	1039	906	819	447
356	932	813	734	401	398	1041	908	821	448
357	934	816	736	402	399	1045	910	823	449
358	937	818	739	403	400	1047	913	825	450
359	940	820	741	404	401	1049	916	827	451
360	942	822	743	405	402	1053	918	829	452
361	945	824	744	406	403	1055	920	831	453
362	948	827	746	407	404	1057	922	833	455
363	950	829	748	408	405	1060	924	835	456
364	953	831	751	410	406	1063	927	838	457
365	955	833	753	411	407	1065	930	840	458
366	958	835	755	412	408	1068	932	842	459
367	961	839	757	413	409	1070	934	843	460
368	963	841	759	414	410	1073	937	845	461
369	965	843	761	415	411	1076	939	847	462
370	969	845	763	416	412	1078	941	850	464
371	971	847	765	417	413	1081	943	852	465
372	973	850	767	419	414	1084	945	854	466
373	977	852	769	420	415	1086	948	856	467
374	979	854	772	421	416	1088	950	858	468
375	981	856	774	422	417	1092	952	860	469
376	984	858	776	423	418	1094	954	862	470
377	987	861	777	424	419	1096	956	864	471
378	989	863	779	425	420	1100	960	866	473
379	992	865	781	426	421	1102	962	868	474
380	995	867	784	428	422	1104	964	871	775
381	998	869	786	429	423	1107	966	873	476
382	1000	870	788	430	424	1110	968	874	477
383	1002	874	790	431	425	1113	971	876	478
384	1006	876	792	432	426	1115	973	878	479
385	1008	878	793	433	427	1117	975	880	480
386	1010	880	796	434	428	1121	977	883	482
387	1012	883	798	435	429	1123	979	885	483
388	1016	885	800	436	430	1126	982	887	484
389	1018	887	802	438	431	1129	984	889	485
390	1022	889	805	439	432	1131	986	891	486
391	1024	891	807	440	433	1133	988	893	487

1	5	6	7	8	1	5	6	7	8
434	1136	992	895	488	468	1225	1069	966	527
435	1139	994	897	489	469	1228	1071	967	529
436	1141	996	899	491	470	1230	1073	970	530
437	1144	998	901	492	471	1233	1075	972	531
438	1146	1000	904	493	472	1236	1077	974	532
439	1149	1002	905	494	473	1238	1080	976	533
440	1152	1005	908	495	474	1240	1083	978	534
442	1154	1007	910	496	475	1244	1085	980	535
442	1157	1009	912	497	476	1246	1087	982	536
443	1160	1011	915	498	477	1248	1090	983	537
444	1162	1014	917	500	478	1251	1092	985	538
445	1164	1016	918	501	479	1354	1094	987	539
446	1168	1018	920	502	480	1256	1096	990	540
447	1170	1021	922	503	481	1259	1098	993	541
448	1172	1023	924	504	482	1262	1100	995	542
449	1175	1026	927	505	483	1264	1103	997	543
450	1178	1028	929	506	484	1267	1105	999	545
451	1180	1030	931	507	485	1269	1107	1000	546
452	1183	1032	933	509	486	1272	1109	1002	547
453	1186	1034	934	510	487	1275	1113	1005	548
454	1188	1037	937	511	488	1277	1115	1007	549
455	1191	1039	939	512	489	1279	1117	1009	550
456	1193	1041	941	513	490	1283	1119	1011	551
457	1196	1043	943	514	491	1285	1121	1014	552
458	1199	1045	945	515	492	1287	1124	1016	554
459	1201	1048	948	516	493	1291	1126	1017	555
460	1205	1051	950	518	494	1293	1128	1019	556
461	1207	1053	951	519	495	1295	1130	1021	557
462	1209	1055	953	520	496	1298	1132	1023	558
463	1211	1058	955	521	497	1301	1135	1026	559
464	1215	1060	957	522	498	1303	1137	1028	560
465	1217	1062	960	523	499	1306	1139	1030	561
466	1219	1064	962	524	500	1309	1142	1032	563
467	1222	1066	964	525					

(READY RECKONER)

रेडी रेकनर

Part II

भाग–2

500 रु० से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को 1-1-86 से देय वर्तमान पेंशन तथा आंशिक समेकित पेंशन की तालिका

Table showing existing pension and the part consolidated pension due from 1-1-86 in respect of pensioners drawing pension above Rs. 500

1—तालिका 1—इसमें ऐसे पेंशनर्स की समेकित पेंशन दर्शायी गयी हैं जो 31-3-79 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए तथा जिनकी पेंशन का समेकन प्रस्तर 4.1 (क) (ii) के अन्तर्गत किया गया है।

Table 1—This column shows the consolidated pension of those pensioners who retired prior to 31-3-79 and whose pension has been consolidated according to para 4.1 (Ka) (ii).

2—तालिका 2—इसमें ऐसे पेंशनर्स की समेकित पेंशन दर्शायी गयी है जो 31–3–79 को अथवा उसके बाद किन्तु 1–7–79 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए तथा जिनकी पेंशन का समेकन प्रस्तर 4.1 (ख) (ii) के अन्तर्गत किया गया है।

Table 2—This column shows the consolidated pension of those pensioners who retired on or after 31-3-79 but before 1-7-79 and whose pension has been consolidated according to para 4.1 (kha) (ii).

3—तालिका 3—इसमें ऐसे पेंशनर्स की समेकित पेंशन दर्शायी गयी है जो 1–7–79 को अथवा उसके बाद किन्तु 31–3–85 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए तथा उन सरकारी सेवकों के परिवारों की पारिवारिक पेंशन दर्शायी गयी है जो 1–7–79 को या उसके बाद दिवंगत/सेवा निवृत्त हुए और जिन्हें पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है तथा जिनकी पेंशन का समेकन प्रस्तर 4.1 (ग) (ii) के अन्तर्गत किया गया है।

Table-3—This column shows the consolidated pension of those pensioners who retired onr ofter 1-7-79 but before. 31-3-85 and the consolidated family pension of the families of those Government servants who retired/died on or after 1-7-79 and who are entitled to family pension and whose pension has been consolidated according to para 4.1 (Ga) (ii).

4—तालिका 4—इसमें ऐसे पेंशनर्स को अनुमन्य अतिरिक्त राहत दर्शायी गयी है जो 31–3–85 अथवा उसके बाद किन्तु 31–12–85 तक सेवा निवृत्त हुए हैं।

Table-4—This column shows the amount of additional relief admissible to those pensioners who retired on or after 31-3-1985 but upto 31-12-1985.

Amount of Exisiting Pension (Rs.) वर्तमान पेंशन (रु.)	Part Consolidated Pension w. e. f., 1-1-86 से आंशिक समेकित पेंशन (रु०)			
	Table-1 तालिका –1	Table-2 तालिका –2	Table-3 तालिका –3	Table-4 तालिका –4
1	2	3	4	5
501	1314	1164	1039	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases सभी मामलों में स्तम्भ–1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि
502	1315	1165	1040	
503	1316	1166	1041	
504	1317	1167	1042	
505	1318	1168	1043	
506	1319	1169	1044	
507	1320	1170	1045	
508	1321	1171	1046	
509	1322	1172	1047	
510	1323	1173	1048	
511	1324	1174	1049	
512	1325	1175	1050	
513	1326	1176	1051	
514	1327	1177	1052	
515	1328	1178	1053	
516	1329	1179	1054	
517	1330	1180	1055	
518	1331	1181	1056	
519	1332	1182	1057	
520	1333	1183	1058	
521	1334	1184	1059	
522	1335	1185	1060	
523	1336	1186	1061	
524	1337	1187	1062	
525	1338	1188	1063	
526	1339	1189	1064	
527	1340	1190	1065	
528	1341	1191	1066	
529	1342	1192	1067	
530	1343	1193	1068	
531	1344	1194	1069	
532	1345	1195	1070	
533	1346	1196	1071	
534	1347	1197	1072	

Amount of Existing Pension (Rs.) वर्तमान पेंशन	Part Consolidated Pension w.e.f. 1-1-86 से आंशिक समेकित पेंशन (रु०)			
	Table.1 तालिका –1	Table-2 तालिका –2	Table-3 तालिका –3	Table-4 तालिका –4
1	2	3	4	5
535	1348	1198	1073	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases सभी मामलों में स्तम्भ-1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि
536	1349	1199	1074	
537	1350	1200	1075	
538	1351	1201	1076	
539	1352	1202	1077	
540	1353	1203	1078	
541	1354	1204	1079	
542	1355	1205	1080	
543	1356	1206	1081	
544	1357	1207	1082	
545	1358	1208	1083	
546	1359	1209	1084	
547	1360	1210	1085	
548	1361	1211	1086	
549	1362	1212	1087	
550	1363	1213	1088	
551	1364	1214	1089	
552	1365	1215	1090	
553	1366	1216	1091	
554	1367	1217	1092	
555	1368	1218	1093	
556	1369	1219	1094	
557	1370	1220	1095	
558	1371	1221	1096	
559	1372	1222	1097	
560	1373	1223	1098	
561	1374	1224	1099	
462	1375	1225	1100	
563	1376	1226	1101	
564	1377	1227	1102	
565	1378	1228	1103	
566	1379	1229	1104	
567	1380	1230	1105	
568	1381	1231	1106	

1	2	3	4	5
569	1382	1232	1107	Amount equal to total of coloum 1 and Rs. 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ-1 और 63रु0 के योग के बराबर धनराशि
570	1383	1233	1108	
571	1384	1234	1109	
572	1385	1235	1110	
573	1386	1236	1111	
574	1387	1237	1112	
575	1388	1238	1113	
576	1389	1239	1114	
577	1390	1240	1115	
578	1391	1241	1116	
579	1392	1242	1117	
580	1393	1243	1118	
581	1394	1244	1119	
582	1395	1245	1120	
583	1396	1246	1121	
584	1397	1247	1122	
585	1398	1248	1123	
586	1399	1249	1124	
587	1400	1250	1125	
588	1401	1251	1126	
589	1402	1252	1127	
590	1403	1253	1128	
591	1404	1254	1129	
592	1405	1255	1130	
593	1406	1256	1131	
594	1407	1257	1132	
595	1408	1258	1133	
596	1409	1259	1134	
597	1410	1260	1135	
598	1411	1261	1136	
599	1412	1262	1137	
600	1413	1263	1138	
601	1414	1264	1139	
602	1415	1265	1140	
603	1416	1266	1141	
604	1417	1267	1142	
605	1418	1268	1143	
606	1419	1269	1144	
607	1420	1270	1145	
608	1421	1271	1446	
609	1422	1272	1147	
610	1423	1273	1148	

1	2	3	4	5
611	1424	1274	1149	Amount equal to total of column 1 plus Rs. 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ-1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि
612	1425	1275	1150	
613	1426	1276	1151	
614	1427	1277	1152	
615	1428	1278	1153	
616	1429	1279	1154	
617	1430	1280	1155	
618	1431	1281	1156	
619	1432	1282	1157	
620	1433	1283	1158	
621	1434	1284	1159	
622	1435	1285	1160	
623	1436	1286	1161	
624	1437	1287	1162	
625	1438	1288	1163	
626	1439	1289	1164	
627	1440	1290	1165	
628	1441	1291	1166	
629	1442	1292	1167	
630	1443	1293	1168	
631	1444	1294	1169	
632	1445	1295	1170	
633	1446	1296	1171	
634	1447	1297	1172	
635	1448	1298	1173	
636	1449	1299	1174	
637	1450	1300	1175	
638	1451	1301	1176	
639	1452	1302	1177	
640	1453	1303	1178	
641	1454	1304	1179	
642	1455	1305	1180	
643	1456	1306	1181	
644	1457	1307	1182	
645	1458	1308	1183	
646	1459	1309	1184	
647	1460	1310	1185	
648	1461	1311	1186	
649	1462	1312	1187	
650	1463	1313	1188	
651	1464	1314	1189	
652	1465	1315	1190	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
653	1466	1316	1191	Amount equal to total Column 1 plus Rs. 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ-1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि	695	1508	1358	1233	Amont equal to total of Column 1 plus Rs 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ—1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि
654	1467	1317	1192		696	1509	1359	1234	
655	1468	1318	1193		697	1510	1360	1235	
656	1469	1319	1194		698	1511	1361	1236	
657	1470	1320	1195		699	1512	1362	1237	
658	1471	1321	1196		700	1513	1363	1238	
659	1472	1322	1197		701	1514	1364	1239	
660	1473	1323	1198		702	1515	1365	1240	
661	1474	1324	1199		703	1516	1566	1241	
662	1475	1325	1200		704	1517	1367	1242	
663	1476	1326	1201		705	1518	1368	1243	
664	1477	1327	1202		706	1519	1369	1244	
665	1478	1328	1203		707	1520	1370	1245	
666	1479	1329	1204		708	1521	1371	1246	
667	1480	1330	1205		709	1522	1372	1247	
668	1481	1331	1206		710	1523	1373	1248	
669	1482	1332	1207		711	1524	1374	1249	
670	1483	1333	1208		712	1525	1375	1250	
671	1484	1334	1209		713	1526	1376	1251	
672	1485	1335	1210		714	1527	1377	1252	
673	1486	1336	1211		715	1528	1378	1253	
674	1487	1337	1212		716	1529	1379	1254	
675	1488	1338	1213		717	1530	1380	1255	
676	1489	1339	1214		718	1531	1381	1256	
677	1490	1340	1215		719	1532	1382	1257	
678	1491	1341	1216		720	1533	1383	1258	
679	1492	1342	1217		721	1534	1384	1259	
680	1493	1343	1218		722	1535	1385	1260	
681	1494	1344	1219		723	1536	1386	1261	
682	1495	1345	1220		724	1537	1387	1262	
683	1496	1346	1221		725	1538	1388	1263	
684	1497	1347	1222		726	1539	1389	1264	
685	1498	1348	1223		727	1540	1390	1265	
686	1499	1349	1224		728	1541	1391	1266	
687	1500	1350	1225		729	1542	1392	1267	
688	1501	1351	1226		730	1543	1393	1268	
689	1502	1352	1227		731	1544	1394	1269	
690	1503	1353	1228		732	1545	1395	1270	
691	1504	1354	1229		733	1546	1396	1271	
692	1505	1355	1230		734	1547	1397	1272	
693	1506	1356	1231		735	1548	1398	1273	
694	1507	1357	1232		736	1549	1399	1274	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
737	1550	1400	1275	Amount equal to total of Coloum 1 plus Rs 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ—1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि	779	1592	1442	1317	Amount equal to total of Coloum 1 plus Rs 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ—1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि
738	1551	1401	1276		780	1593	1443	1318	
739	1552	1402	1277		781	1594	1444	1319	
740	1553	1403	1278		782	1595	1445	1320	
741	1554	1404	1279		783	1596	1446	1321	
742	5555	1405	1280		784	1597	1447	1322	
743	1556	1406	1281		785	1598	1448	1323	
744	1557	1407	1282		786	1599	1449	1324	
745	1558	1408	1283		787	1600	1450	1325	
746	1559	1409	1284		788	1601	1451	1326	
747	1560	1410	1285		789	1602	1452	1327	
748	1561	1411	1286		790	1603	1453	1328	
749	1562	1412	1287		791	1604	1454	1329	
750	1563	1413	1288		792	1605	1455	1330	
751	1564	1414	1289		793	1606	1456	1331	
752	1565	1415	1290		794	1607	1457	1332	
753	1566	1416	1291		795	1608	1458	1333	
754	1567	1417	1292		796	1609	1459	1334	
755	1568	1418	1293		797	1610	1460	1335	
756	1569	1419	1294		798	1611	1461	1336	
757	1570	1420	1295		799	1612	1462	1337	
758	1571	1421	1296		800	1613	1463	1338	
759	1572	1422	1297		801	1614	1464	1339	
760	1573	1423	1298		802	1615	1465	1340	
761	1574	1424	1299		803	1616	1466	1341	
762	1575	1425	1300		804	1617	1467	1342	
763	1576	1426	1301		805	1618	1468	1343	
764	1577	1427	1302		806	1619	1469	1344	
765	1578	1428	1303		807	1620	1470	1345	
766	1579	1429	1304		808	1621	1471	1346	
767	1580	1430	1305		809	1622	1472	1347	
768	1581	1431	1306		810	1623	1473	1348	
769	1582	1432	1307		811	1624	1474	1349	
770	1583	1433	1308		812	1625	1475	1350	
771	1584	1434	1309		813	1626	1476	1351	
772	1585	1435	1310		814	1627	1477	1352	
773	1586	1436	1311		815	1628	1478	1353	
774	1587	1437	1312		816	1629	1479	1354	
775	1588	1438	1313		817	1630	1480	1355	
776	1589	1439	1314		818	1631	1481	1356	
777	1590	1440	1315		819	1632	1482	1357	
778	1591	1441	1316		820	1633	1483	1358	

1	2	3	4	5
821	1634	1484	1359	Amount equal to total of Coloum 1 plus Rs 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ—1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि
822	1635	1485	1360	
823	1636	1486	1361	
824	1637	1487	1362	
825	1638	1488	1363	
826	1639	1489	1364	
827	1640	1490	1365	
828	1641	1491	1367	
829	1642	1493	1368	
830	1643	1494	1370	
831	1644	1496	1372	
832	1645	1498	1373	
833	1646	1500	1375	
834	1647	1502	1377	
835	1648	1503	1378	
836	1649	1505	1380	
837	1650	1507	1382	
838	1651	1509	1383	
839	1652	1511	1385	
840	1653	1512	1386	
841	1654	1514	1388	
842	1655	1516	1390	
843	1656	1518	1391	
844	1657	1520	1393	
845	1658	1521	1395	
846	1659	1523	1396	
847	1660	1525	1398	
848	1661	1527	1400	
849	1662	1529	1401	
850	1663	1530	1403	
851	1664	1532	1405	
852	1665	1534	1406	
853	1666	1536	1408	
854	1667	1538	1410	
855	1668	1539	1411	
856	1670	1541	1413	
857	1672	1543	1415	
858	1674	1545	1416	
859	1676	1547	1418	
860	1677	1548	1419	
861	1679	1550	1421	
862	1681	1552	1423	

1	2	3	4	5
863	1683	1554	1424	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases सभी मामलों में स्तम्भ—1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि
864	1685	1556	1426	
865	1687	1557	1428	
866	1689	1559	1429	
867	1691	1561	1431	
868	1693	1563	1433	
869	1695	1565	1434	
870	1697	1566	1436	
871	1699	1568	1437	
872	1701	1570	1439	
873	1702	1572	1441	
874	1705	1574	1443	
875	1707	1575	1444	
876	1709	1577	1446	
877	1711	1579	1448	
878	1713	1581	1449	
879	1715	1583	1451	
880	1716	1584	1452	
881	1718	1586	1454	
882	1720	1588	1456	
883	1722	1590	1457	
884	1724	1592	1459	
885	1726	1593	1461	
886	1728	1595	1462	
887	1730	1597	1464	
888	1732	1599	1466	
889	1734	1601	1467	
890	1736	1602	1469	
891	1738	1604	1471	
892	1740	1606	1472	
893	1742	1608	1474	
894	1744	1610	1476	
895	1746	1611	1477	
896	1748	1613	1479	
897	1750	1615	1481	
898	1752	1617	1482	
899	1754	1619	1484	
900	1755	1620	1485	
901	1757	1622	1487	
902	1759	1624	1489	
903	1761	1626	1490	
904	1763	1628	1492	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
905	1765	1629	1494	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases सभी मामलों में स्तम्भ–1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि	947	1847	1705	1563	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases सभी मामलों में स्तम्भ–1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि
906	1767	1631	1495		948	1849	1707	1565	
907	1769	1633	1497		949	1851	1709	1566	
908	1771	1635	1499		950	1853	1710	1568	
909	1773	1637	1500		951	1855	1712	1570	
910	1775	1638	1502		952	1857	1714	1571	
911	1777	1640	1504		953	1859	1716	1573	
912	1779	1642	1505		954	1861	1718	1575	
913	1781	1644	1507		955	1863	1719	1576	
914	1783	1646	1509		956	1865	1721	1578	
915	1785	1647	1510		957	1867	1723	1580	
916	1787	1649	1512		958	1869	1725	1581	
917	1789	1651	1514		959	1871	1727	1583	
918	1791	1653	1515		960	1872	1728	1584	
919	1793	1655	1517		961	1874	1730	1586	
920	1794	1656	1518		962	1876	1732	1588	
921	1796	1658	1520		963	1878	1734	1589	
922	1798	1660	1522		964	1880	1736	1591	
923	1800	1662	1523		965	1882	1737	1593	
924	1802	1664	1525		966	1884	1739	1594	
925	1804	1665	1527		967	1886	1741	1596	
926	1806	1667	1528		968	1888	1743	1598	
927	1808	1669	1530		969	1890	1745	1599	
928	1810	1671	1532		970	1892	1746	1601	
929	1812	1673	1533		971	1894	1748	1603	
930	1814	1674	1535		972	1896	1750	1604	
931	1816	1676	1537		973	1898	1752	1606	
932	1818	1678	1538		974	1900	1754	1608	
933	1820	1680	1540		975	1902	1755	1609	
934	1822	1682	1542		976	1904	1757	1611	
935	1824	1683	1543		977	1906	1759	1613	
936	1826	1685	1545		978	1908	1761	1614	
937	1828	1687	1547		979	1910	1763	1616	
938	1830	1689	1548		980	1911	1764	1617	
939	1832	1691	1550		981	1913	1766	1619	
940	1833	1692	1551		982	1915	1768	1621	
941	1835	1694	1553		983	1917	1770	1622	
942	1837	1696	1555		984	1919	1772	1624	
943	1839	1698	1556		985	1921	1773	1626	
944	1841	1700	1558		986	1923	1775	1627	
945	1843	1701	1560		987	1925	1777	1629	
946	1845	1703	1561		988	1927	1779	1631	

1	2	3	4	
989	1929	1781	1632	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases सभी मामलों में स्तम्भ–1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि
990	1931	1782	1634	
991	1933	1784	1636	
992	1935	1786	1637	
993	1937	1788	1639	
994	1939	1790	1641	
995	1941	1791	1642	
996	1943	1793	1644	
997	1945	1795	1646	
998	1947	1797	1647	
999	1949	1799	1649	
1000	1950	1800	1650	
1001	1952	1802	1652	
1002	1954	1804	1654	
1003	1956	1806	1655	
1004	1958	1808	1657	
1005	1960	1809	1659	
1006	1962	1811	1660	
1007	1964	1813	1662	
1008	1966	1815	1664	
1009	1968	1817	1665	
1010	1970	1818	1667	
1011	1972	1820	1669	
1012	1974	1822	1670	
1013	1976	1824	1672	
1014	1978	1826	1674	
1015	1980	1827	1676	
1016	1982	1829	1677	
1017	1984	1831	1679	
1018	1986	1833	1680	
1019	1988	1835	1682	
1020	1989	1836	1683	
1021	1991	1838	1685	
1022	1993	1840	1687	
1023	1995	1842	1688	
1024	1997	1844	1690	
1025	1999	1845	1692	
1026	2001	1847	1693	
1027	2003	1849	1695	
1028	2005	1851	1697	
1029	2007	1853	1698	
1030	2009	1854	1700	

1	2	3	4	
1031	2011	1856	1702	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases सभी मामलों में स्तम्भ–1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि
1032	2013	1858	1703	
1033	2015	1860	1705	
1034	2017	1862	1707	
1035	2019	1863	1708	
1036	2021	1865	1710	
1037	2023	1867	1712	
1038	2025	1869	1713	
1039	2027	1871	1715	
1040	2028	1872	1716	
1041	2030	1874	1718	
1042	2032	1876	1720	
1043	2034	1878	1721	
1044	2036	1880	1723	
1035	2038	1881	1725	
1046	2040	1883	1726	
1047	2042	1885	1728	
1048	2044	1887	1730	
1049	2046	1889	1731	
1050	2048	1890	1733	
1051	2050	1592	1735	
1052	2052	1894	1736	
1053	2054	1896	1738	
1054	2056	1898	1740	
1055	2058	1899	1741	
1056	2060	1901	1743	
1057	2062	1903	1745	
1058	2064	1905	1746	
1059	2066	1907	1748	
1060	2067	1908	1749	
1061	2069	1910	1751	
1062	2071	1913	1753	
1063	2073	1914	1754	
1064	2075	1916	1756	
1065	2077	1917	1758	
1066	2079	1919	1759	
1067	2081	1921	1761	
1068	2083	1923	1763	
1069	2085	1925	1764	

1	2	3	4	5
1070	2087	1926	1766	Amount equal to total of Coloumn 1 and Rs. 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ—1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि
1071	2089	1928	1768	
1072	2091	1930	1769	
1073	2093	1932	1771	
1074	2095	1934	1773	
1075	2097	1935	1774	
1076	2099	1937	1776	
1077	2101	1939	1778	
1078	2103	1941	1779	
1079	2105	1943	1781	
1080	2106	1944	1782	
1081	2008	1946	1784	
1082	2110	1948	1786	
1083	2112	1950	1787	
1084	2114	1952	1789	
1085	2116	1953	1791	
1086	2118	1955	1792	
1087	2120	1957	1794	
1088	2122	1959	1796	
1089	2124	1961	1797	
1090	2126	1962	1799	
1091	2128	1964	1801	
1092	2130	1966	1802	
1093	2132	1968	1804	
1094	2134	1970	1806	
1095	2136	1971	1807	
1096	2138	1973	1809	
1097	2140	1975	1811	
1098	2142	1977	1812	
1099	2144	1979	1814	
1100	2145	1980	1815	
1101	2147	1982	1817	
1102	2149	1984	1819	
1103	2151	1986	1830	
1104	2153	1988	1822	
1105	2155	1989	1824	
1106	2157	1991	1825	
1107	2159	1993	1827	
1108	2161	1995	1829	Amount equal to total of Coloumn 1 and Rs. 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ—1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि
1109	2163	1997	1830	
1110	2165	1998	1832	
1111	2167	2000	1834	
1112	2169	2002	1835	
1113	2171	2004	1837	
1114	2173	2006	1839	
1115	2175	2007	1840	
1116	2177	2009	1842	
1117	2179	2011	1844	
1118	2181	2013	1845	
1119	2183	2015	1847	
1120	2184	2016	1848	
1121	2186	2018	1850	
1122	2188	2020	1852	
1123	2190	2022	1853	
1124	2192	2024	1855	
1125	2194	2025	1857	
1126	2196	2027	1858	
1127	2198	2029	1860	
1128	2200	2031	1862	
1129	2202	2033	1863	
1130	2204	2034	1865	
1131	2206	2036	1867	
1132	2208	2038	1868	
1133	2210	2040	1870	
1134	2212	2042	1872	
1135	2214	2043	1873	
1136	2216	2045	1875	
1137	2218	2047	1877	
1138	2220	2049	1878	
1139	2222	2051	1880	
1140	2223	2052	1881	
1141	2225	2054	1883	
1142	2227	2056	1885	
1143	2229	2058	1886	
1144	2231	2060	1888	
1145	2233	2061	1890	
1146	2235	2063	1891	
1147	2237	2065	1893	
1148	2239	2067	1895	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1149	2241	2069	1896	Amount equal to totol of Coloumn 1 and Rs. 63 In all cases. सभी मामलों में स्तम्भ—1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि	1190	2321	2142	1964	Amount equal to total of Coloumn 1 and Rs. 63 in all cases.
1150	2243	2070	1898		1191	2323	2144	1966	
1151	2245	2072	1900		1192	2325	2146	1967	
1152	2247	2074	1901		1193	2327	2148	1969	
1153	2249	2076	1903		1194	2329	2150	1971	
1154	2251	2078	1905		1195	2331	2151	1972	
1155	2253	2079	1906		1196	2333	2153	1974	
1156	2255	2081	1908		1197	2335	2155	1976	
1157	2257	2083	1910		1198	2337	2157	1977	
1158	2259	2085	1911		1199	2339	2159	1979	
1159	2261	2087	1913		1200	2340	2160	1980	
1160	2262	2088	1914		1201	2342	2162	1982	
1161	2264	2090	1916		1202	2344	2164	1984	
1162	2266	2092	1918		1203	2346	2166	1985	
1163	2268	2094	1919		1204	2348	2168	1987	
1164	2270	3096	1921		1205	2350	2169	1989	
1165	2272	2097	1923		1206	2352	2171	1990	
1166	2274	2099	1924		1207	2354	2173	1992	
1167	2276	2101	1926		1208	2356	2175	1994	
1168	2278	2103	1928		1209	2358	2177	1995	
1169	2280	2105	1929		1210	2360	2178	1997	
1170	2282	2106	1931		1211	2362	2180	1999	
1171	2284	2108	1933		1212	2364	2182	2000	
1172	2286	2110	1934		1213	2366	2184	2002	
1173	2288	2112	1936		1214	2368	2186	2004	
1174	2290	2114	1938		1215	2370	2187	2005	
1175	2292	2115	1939		1216	2372	2189	2007	
1176	2294	2117	1941		1217	2374	2191	2009	
1177	2296	2119	1943		1218	2376	2193	2010	
1178	2297	2121	1944		1219	2378	2195	2012	
1179	2298	2123	1946		1220	2379	2196	2013	
1180	2300	2124	1947		1221	2381	2198	2015	
1181	2303	2126	1949		1222	2383	2200	2017	
1182	2305	2128	1951		1223	2385	2202	2018	
1183	2307	2130	1952		1224	2387	2204	2020	
1184	2309	2132	1954		1225	2389	2205	2022	
1185	2311	2133	1956		1226	2391	2207	2023	
1186	2313	2135	1957		1227	2393	2209	2025	
1187	3315	2137	1959		1228	2395	2211	2027	
1188	2317	2139	1961		1229	2397	2213	2028	
1189	2319	2141	1962		1230	2399	2214	2030	

1	2	3	4	5
1231	2401	2216	2032	Amount equal to total of Coloumn 1 and Rs. 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ -1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि
1232	2403	2218	2033	
1233	2405	2220	2035	
1234	2407	2222	2037	
1235	2409	2223	2038	
1236	2411	2225	2040	
1237	2413	2227	2042	
1238	2415	2229	2043	
1239	2417	2231	2045	
1240	2418	2232	2046	
1241	2420	2234	2048	
1242	2422	2236	2050	
1243	2424	2238	2051	
1244	2426	2240	2053	
1245	2428	2241	2055	
1246	2430	2243	2056	
1247	2432	2245	2058	
1248	2434	2247	2060	
1249	2436	2249	2061	
1250	2438	2250	2063	
1251	2440	2252	2065	
1252	2442	2254	2066	
1253	2444	2256	2068	
1254	2446	2258	2070	
1255	2448	2259	2071	
1256	2450	2261	2073	
1257	2452	2263	2075	
1258	2454	2265	2076	
1259	2456	2267	2078	
1260	2457	2268	2079	
1261	2459	2270	2081	
1262	2461	2272	2083	
1263	2463	2274	2084	
1264	2365	2276	2086	
1265	2467	2277	2088	
1266	2469	2279	2089	
1267	2471	2281	2091	
1268	2473	2283	2093	
1269	2475	2285	2094	
1270	2477	2286	2096	
1271	2479	2288	2098	
1272	2481	2290	2099	Amount equal to total of Coloumn 1 and Rs. 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ -1 और 63 रु० के योग के बराबर धनराशि
1273	2483	2292	2101	
1274	2485	2294	2103	
1275	2487	2295	2104	
1276	2489	2297	2106	
1277	2491	2298	2108	
1278	2493	2301	2109	
1279	2495	2303	2111	
1280	2496	2304	2112	
1281	2498	2306	2114	
1282	2500	2308	2116	
1283	2502	2310	2117	
1284	2504	2312	2119	
1285	2506	2313	2121	
1286	2508	2315	2122	
1287	2510	2317	2124	
1288	2512	2319	2126	
1289	2514	2321	2127	
1290	2516	2322	2129	
1291	2518	2324	2131	
1292	2520	2326	2132	
1293	2522	2328	2134	
1294	2524	2330	2136	
1295	2526	2331	2137	
1296	2528	2333	2139	
1297	2530	2335	2141	
1298	2532	2337	2142	
1299	2534	2339	2144	
1300	2535	2340	2145	
1301	2537	2342	2147	
1302	2539	2344	2149	
1303	2541	2346	2150	
1304	2543	2348	2152	
1305	2545	2349	2154	
1306	2547	2351	2155	
1307	2549	2353	2157	
1308	2551	2355	2159	
1309	2553	2357	2160	
1310	2555	2358	2162	
1311	2557	2360	2164	
1312	2559	2362	2165	

1	2	3	4	5
1313	2561	2364	2167	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases सभी मामलों में स्तम्भ–1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि
1314	2563	2366	2169	
1315	2565	2367	2170	
1316	2567	2369	2172	
1317	2569	2371	2174	
1318	2571	2373	2175	
1319	2573	2375	2177	
1320	2574	2376	2178	
1321	2576	2378	2180	
1322	2578	2380	2182	
1323	2580	2382	2183	
1324	2582	2384	2185	
1325	2584	2385	2187	
1326	2586	2387	2188	
1327	2588	2389	2190	
1328	2590	2391	2192	
1329	2592	2393	2193	
1330	2594	2394	2195	
1331	2596	2396	2197	
1332	2598	2398	2198	
1333	2600	2400	2200	
1334	2602	2402	2202	
1335	2604	2404	2203	
1336	2606	2405	2205	
1337	2608	2407	2207	
1338	2610	2409	2208	
1339	2612	2411	2210	
1340	2613	2412	2211	
1341	2615	2414	2213	
1342	2617	2416	2215	
1343	2619	2418	2216	
1344	2621	2420	2218	
1345	2623	2422	2220	
1346	2625	2423	2221	
1347	2627	2425	2223	
1348	2629	2427	2225	
1349	2631	2429	2226	
1350	2633	2430	2228	
1351	2635	2432	2240	
1352	2637	2434	2241	
1453	2639	2436	2243	
1354	2641	2438	2235	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases सभी मामलों में स्तम्भ–1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि
1355	2643	2439	2236	
1356	2645	2443	2238	
1357	2647	2441	2240	
1358	2649	2445	2241	
1359	2651	2447	2243	
1360	2652	2448	2244	
1361	2654	2450	2246	
1362	2656	2452	2248	
1363	2658	2454	2249	
1364	2660	2456	2251	
1365	2662	2457	2253	
1366	2664	2459	2254	
1367	2666	2461	2256	
1368	2668	2463	2258	
1369	2670	2465	2259	
1370	2672	2466	2261	
1371	2674	2468	2263	
1372	2676	2470	2264	
1373	2678	2472	2266	
1374	2680	2474	2268	
1375	2682	2475	2269	
1376	2684	2477	2271	
1377	2686	2479	2273	
1378	2688	2481	2274	
1379	2690	2483	2276	
1380	2691	2484	2277	
1381	2693	2486	2279	
1382	2695	2488	2281	
1383	2697	2490	2282	
1384	2699	2492	2284	
1385	2701	2493	2286	
1386	2703	2495	2287	
1387	2705	2497	2289	
1388	2707	2499	2291	
1389	2709	2501	2292	
1390	2711	2502	2294	
1391	2713	2504	2296	
1392	2715	2506	2297	
1393	2717	2508	2299	
1394	2719	2510	2301	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1395	2721	2511	2302	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ–1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि	1436	2801	2585	2370	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ–1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि
1396	2723	2513	2304		1437	2803	2587	2372	
1397	2725	2515	2306		1438	2805	2589	2373	
1398	2727	2517	2307		1439	2807	2591	2375	
1399	2729	2519	2309		1440	2808	2592	2376	
1400	2730	2520	2310		1441	2810	2594	2378	
1401	2732	2522	2312		1442	2812	2596	2380	
1402	2734	2524	2314		1443	2814	2598	2381	
1403	2736	2526	2315		1444	2816	2600	2383	
1404	2738	2528	2317		1445	2818	2602	2385	
1405	2740	2529	2319		1446	2820	2604	2386	
1306	2742	2531	2320		1447	2822	2605	2388	
1407	2744	2533	2322		1448	2824	2607	2390	
1408	2746	2535	2324		1449	2826	2609	2391	
1409	2748	2537	2325		1450	2828	2610	2393	
1440	2750	2538	2327		1451	2830	2612	2395	
1411	2752	2540	2329		1452	2832	2614	2396	
1412	2754	2542	2330		1453	2834	2616	2398	
1413	2756	2544	2332		1454	2836	2618	2400	
1414	2758	2546	2334		1455	2838	2619	2401	
1415	2760	2547	2335		1456	2840	2621	2403	
1416	2762	2549	2337		1457	2842	2623	2405	
1417	2764	2551	2339		1458	2844	2625	2406	
1418	2766	2553	2340		1459	2846	2627	2408	
1419	2768	2555	2342		1460	2847	2628	2409	
1420	2769	2556	2343		1461	2849	2630	2411	
1421	2771	2558	2345		1462	2851	2632	2413	
1422	2773	2560	2347		1463	2853	2634	2414	
1423	2775	2562	2348		1464	2855	2636	2416	
1424	2777	2564	2350		1465	2857	2637	2418	
1425	2779	2565	2352		1466	2859	2639	2419	
1426	2781	2567	2353		1467	2861	2641	2421	
1427	2783	2569	2355		1468	2863	2643	2423	
1428	2785	2571	2357		1469	2865	2645	2424	
1429	2787	2573	2358		1470	2867	2646	2426	
1430	2789	2574	2360		1471	2869	2648	2428	
1431	2791	2576	2362		1472	2871	2650	2429	
1432	2793	2578	2363		1473	2873	2652	2431	
1433	2795	2580	2365		1474	2875	2654	2433	
434	2797	2582	2367		1475	2877	2655	2434	
435	2799	2583	2368		1476	2879	2657	2436	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1477	2881	2659	2438	Amount equal to total of Column 1 and Rs. 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ–1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि	1489	2904	2681	2457	Amount equal to total f Column 1 and Rs. 63 in all cases. सभी मामलों में स्तम्भ–1 और 63 रु0 के योग के बराबर धनराशि
1478	2883	2661	2439		1490	2906	2682	2459	
1479	2885	2663	2441		1491	2908	2684	2461	
1480	2886	2664	2442		1492	2910	2686	2462	
1480	2888	2666	2444		1493	2912	2688	2464	
1482	2890	2668	2446		1494	2914	2690	2466	
1483	2892	2670	2447		1795	2916	2691	2467	
1484	2894	2672	2449		1496	2918	2693	2469	
1485	2896	2673	2451		1497	2920	2695	2471	
1486	2898	2675	2452		1498	2922	2697	2472	
1487	2900	2677	2454		1499	2924	2699	2474	
1488	2902	2679	2456		1500	2925	2700	2475	

अध्याय 4
आनुतोषिक (उपदान)

उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट वेनिफिटस रूल्स 1961 के नियम 5 (1) व 5 (4) तथा उ०प्र० लिबराइज्ड पेंशन रूल्स 1961 नियम-3 (1) के अनुसार सेवा निवृत्ति / मृत राजकीय कर्मचारियों को देय आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) की अधिकतम धनराशि निम्नवत मान्य की गयी है ।

राजाज्ञा संख्या व दिनांक	पात्र व्यक्ति पर लागू होने की तिथि	अधिकतम धनराशि रुपयों में	विवरण
		24,000-00	परिलब्धियों का 15गुना (आगणन में परिलब्धियों की उच्चतम सीमा 1800 रुपये प्रतिमास के अधिक की धनराशि उपेक्षित की जायेगी)
सा०-3-896/दस 52-(1)-74 दि० 2-6-75	1-4-75 या उसके बाद सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारी	30,000-00	परिलब्धियों का 16.5 गुना (आगणन में परिलब्धियों की उच्चतम सीमा 2,500 रू० प्रति मास से अधिक की धन राशि उपेक्षित किया जायगा ।)
सा०-3-1106/दस-910-82 दिनांक 17-7-82	31-1-82 या उसके बाद सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारी	36,000-00	———उक्तवत———
सा० -3-1500/ दस-903-85 दिनांक 30-7-85	31-3-85 या उसके बाद सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारी	50,000-00	परिलब्धियों का 16.5 गुना (आगणन में परिलब्धियों की उच्चतम सीमा 4,000 रूपये प्रति मास से अधिक की धन राशि उपेक्षित किया जायगा ।)

शासन ने राजाज्ञा संख्या सा-3-1168/ दस-935-87 दिनांक 22-6-1987 द्वारा पेंशन आगणन प्रणाली का सरलीकरण करते हुए दिनांक 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त / मृतक राज्य कर्मचारियों के "डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी" के स्थान पर " अनु– 6.1 में रिटायरमेन्ट तथा डेथ ग्रेच्युटी के अलग – अलग प्राविधान किये हैं जिसके अनुसार –

(1) रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी

रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी केवल उन्ही सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो । रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी जिसका अधिकतम परिलब्धियों के 16.5 गुने के बराबर होगा । अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि रु० 1,00,000-00(एक लाख)से अधिक नहीं होगी। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के आगणन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

(2) सेवारत मृत्यु ग्रेच्युटी

सेवारत मृत्यु की दशा में डेथ ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दरें निम्नवत होंगी:-

सेवा अवधि	**डेथ ग्रेच्युटी की दर**
1- एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का 2 गुना
2- एक वर्ष या उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 6 गुना ।
3-5 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्यिों का 12 गुना
4-20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर होगी । अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि ग्रेच्युटी की धनराशि किसी भी दशा में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी ।

आगणन हेतु परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी ।

(3) आनुतोषिक भुगतान में विलम्ब न किया जाना

शासन ने पेन्शन एवं मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में विलम्ब दूर करने के उद्देश्य से कार्यविधि का सरलीकरण राजाज्ञा संख्या सा०--3 -1004/दस -907-76 दिनांक 11-7-78 व सा०-3- 2827/दस- 907-76 दिनांक 2-12-78 एवं सा० -3- 1085/ दस-907-76 दिनांक 12-12-81 द्वारा करते हुए निदेश दिया है कि आनुतोषिक का 10 प्रतिशत या रु० 1000/- जो भी कम हो रोककर आनुतोषिक का भुगतान कर दिया जायेगा ।

(4)आनुतोषिक पर ब्याज

शासनादेश संख्या सा० -3-664 / दस- 971/80 दिनांक 29-4-83 द्वारा शासन ने निर्णय लिया कि आनुतोषिक देय हो जाने के तीन माह से आगे की अवधि के लिए देर से उपदान की अदायगी होने की दशा में ग्रेच्युटी पर 5 % प्रति वर्ष ब्याज दिया जायेगा । यह ब्याज उस माह के पूर्ववर्ती महीने के अन्त तक देय होगा जिसमें वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है । ऐसे मामलों में ब्याज के आगणन हेतु ग्रेच्युटी के भुगतान की तिथि वह मानी जायेगी जो महालेखाकार द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतानादेश (प्राधिकार पत्र) जारी होने की तिथि होगी (राजाज्ञा सा०-3- 1373/दस -971-80 दिनांक 12-9-83)

नोट :- उक्त के अनुसार चूंकि अब पेन्शन व ग्रेच्यूटी का भुगतानादेश विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में नियुक्त मुख्य लेखाधिकारी द्वारा जारी किया जा रहा है अत: महालेखाकार के स्थान पर मुख्य लेखाधिकारी पढ़ा जाय ।

शासनादेश सं० सा०-3-1776/दस -971/80 दिनांक 30-11-84 द्वारा शासन ने ग्रेच्युटी के बिलम्ब से भुगतान पर देय व्याज की दर को निम्नवत संशोधित किया जो दिनांक 30-11-84 से प्रभावी हुई:-

(1)तीन माह के बाद तथा एक वर्ष तक	7 प्रतिशत वार्षिक
(2)एक वर्ष के बाद	10 प्रतिशत वार्षिक

(5) अन्य प्रतिबन्ध:-

(1) ब्याज केवल उन्हीं परिस्थितियों से दिया जायेगा जहां यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो कि ग्रेच्युटी भुगतान में बिलम्ब

प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर थे ।

(2) ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले पर शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जायेगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जायेगा ।

(3) जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी और उसके लिए उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(4) जिन मामलों में सेवा निवृत्ति के समय सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यवाही लंबित होने अथवा चलाये जाने के कारण कार्यवाही के अपूर्ण रहने तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है और केवल अनन्तिम पेन्शन दी जाती है और उनमें यदि कार्यवाही के समाप्त हो जाने और अन्तिम निर्णय के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा कर्मचारी को ग्रेच्युटी लेने की अनुमति दे दी गई हो तो उन मामलों में ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब के सम्बन्ध में ब्याज के भुगतान के प्रयोजन के लिए उपदान सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि से देय माना जायगा । किन्तु जिनमें कर्मचारी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है उनमें उक्त प्रयोजन हेतु सेवा निवृत्ति की तिथि से अगली तिथि को उपदान देय होने की तिथि माना जायगा । यह लाभ ऐसे मामलों में कर्मचारियों को देय नहीं होगा जिनमें कर्मचारी की मृत्यु कार्यवाही के दौरान हो गयी हो जिसके कारण कार्यवाही समाप्त कर दी जाये । ब्याज की गणना के लिए ऐसे मामलों में उपदान की देयता की तिथि से तीन माह बाद की अवधि विचार में ली जायेगी ।

आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) के आगणन के कतिपय उदाहरण निम्नवत दिये जा रहे हैं:–

सेवा निवृत्ति आनुतोषिक निम्न दर पर अनुमन्य होगी:–

$\frac{\text{परिलब्धियां}}{4}$ x अर्ह सेवा की पूर्ण छमाही (आनुतोषिक की अधिकतम सीमा एक लाख रुपया होगी)

नोट:-(1) परिलब्धियों का अर्थ है जैसा राजाज्ञा सा०–3-1168 दिनांक 22-6-87 के प्रस्तर 3 (1) व 3(2) में तथा उदाहरण 1 (ख) एवं (ग) में स्पष्ट किया गया है अर्थात सेवारत मृत्यु / सेवा निवृत्ति की तिथि को पद का मूल वेतन, जैसा मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है, उस पर दिनांक 1-1-86 को देय मंहगाई भत्ता, तदर्थ मंहगाई भत्ता (यदि कोई देय हो) और दिनांक 1-1-86 के उपरान्त स्वीकृत अन्तरिम सहायता की किश्तें ।

(2) सेवा अवधि का तात्पर्य "अर्हकारी सेवा" से है ।

(3) आगणन हेतु परिलब्धियों की अधिकतम सीमा दिनांक 1-1-86 से समाप्त कर दी गयी है ।

(6) मृत्यु आनुतोषिक

उदाहरण:–13 उदाहरण (1) में मान लीजिए राजकीय सेवक अशक्तता सेवा पर सेवा निवृत्त नहीं होता बल्कि दिनांक 2-1-87 को उसकी मृत्यु हो जाती है । उसके परिवार को दी जाने वाली मृत्यु आनुतोषिक की गणना निम्नवत की जायगी:–

परिलब्धियां	(1) दिनांक 2-1-87 को वेतन	514=00
	(2) रु० 514 पर दिनांक 1-1-86 को मंहगाईभत्ते की दर 84 प्रतिशत अर्थात –	431=80
	(3) अन्तरिम सहायता प्रथम दर 15 प्रतिशत न्यूनतम	80=00
	(4) अन्तरिम सहायता द्वितीय दर 10 प्रतिशत न्यूनतम	60=00
		1085=80

अर्ह सेवा:– 13 वर्ष 1 माह 18 दिन (अर्थात 5 वर्ष अथवा उससे अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम)

मृत्यु आनुतोषिक :– 12 × 1085.80 = 13,029=60

उदाहरण:-14 मान लीजिये उदाहरण (9) में दिये प्रकरण में राजकीय सेवक दिनांक 31-8-86 को स्वेच्छा से सेवा निवृत्त नहीं होता बल्कि उसकी मृत्यु हो जाती है । उसके परिवार को दी जाने वाली मृत्यु आनुतोषिक की गणना निम्नवत की जायगी:-

परिलब्धियां	(1)दिनांक 31-8-86 को वेतन	रु० 1420=00
	(2) रु० 1420=00 पर दिनांक 1-1-86से देय मंहगाई भत्ता दर 70 प्रतिशत से	रु०994=00
	(3) अन्तरिम सहायता 31-8-86 तक घोषित नहीं हुई है ।	शून्य
		रु० 2414=00

अर्ह सेवा:- 21 वर्ष 9 माह 19 दिन (20वर्ष से अधिक) अर्थात पूर्ण छमाही44

मृत्यु आनुतोषिक :- 2414/2 × 44= रु०53,108=00

(7) सेवा निवृत्त आनुतोषिक

उदाहरण (15) उदाहरण 10 में राजकीय सेवक 31-1-87 को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया जाता है । उसके सेवा निवृत्ति आनुतोषित को गणना निम्नवत की जायगी:-

(अ) परिलब्धियां:-(1) वेतन दिनांक 31-1-87 को	1,720=00
(2) रु०1720पर दिनांक 1-1-86 से मंहगाई भत्ता	1,080=00
(3) अन्तरिम सहायता:-	
1 किश्त दर 15 प्रतिशत (वेतन पर)	258=00
	रु० 3,058=00

(ब) अर्ह सेवा: 32 साल 2 माह 19 दिन अर्थात 64 छमाही

(स) सेवानिवृत्ति आनुतोषिक परिलब्धियां /4× अर्ह सेवा की पूर्ण छमाही

या

3058/4× 64 = 48,928=00

(8) आनुतोषिक का भुगतान

नामांकन पत्र न भरने पर या उसके वैध न होने पर सेवारत मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवा निवृत्त होने पर सेवा आनुतोषिक प्राप्त होने से पूर्व मृत्यु की दशा में मृत्यु / सेवा आनुतोषिक का भुगतान ।

(क) नियम 6 (9) यू०पी० रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स,1961:-

उपर्युक्त दशा में यदि मृतक राज्य सेवक के परिवार की परिभाषा में सम्मिलित क्रम संख्या 1 से 4 की श्रेणी में आने वाले सदस्य हैं, तो मृत्यु आनुतोषिक उनमें बराबर भागों में बांट दी जायेगी ।

(1)व (2) पति या पत्नि जैसी भी स्थिति हो ।

(3) पुत्र — सौतेले एवं दत्तक बच्चों को

(4) अविवाहित पुत्रियां — सम्मिलित करते हुए

यदि उपर्युक्त में से कोई सदस्य नहीं है परन्तु परिवार की परिभाषा में आने वाले क्रम संख्या 5 से 9 वाले निम्न सदस्य हैं तो उनमें देय आनुतोषिक का समान भागों में वितरण होगा:-

(5) 18 वर्ष की उम्र में से कम के भाई और अविवाहित और विधवा बहनें (सौतले भाई / बहनों को सम्मिलित करते हुए)

(6) पिता

(7) माता

(8) विवाहित पुत्रियां / विधवा पुत्रियां / (सौतेली पुत्रियों महित)

(9) पूर्व मृतक पुत्र के बच्चे (मृतक पुत्र का एक भाग मानते हुए)

(ख) नियम 6 (10) विज्ञप्ति संख्या सी –3-1200 /दस –935 -75दिनांक 20 जून, 1979

यदि मृतक राजकीय सेवक के परिवार में उपर्युक्त क्रमांक (1) में (9) में वर्णित कोई मदस्य नहीं है और उमने कोई नामांकन पत्र नहीं भरा हैं और यदि भरा है तो वह अवैध है तो नियम में देय मृत्यु / सेवा आनुतोपिक का किसी को भुगतान नहीं होगा और वह शासन के पक्ष में लैप्स हो जायेगी ।

उदाहरण –16 मान लीजिये कि उदाहरण 13 में राजकीय सेवक की मृत्यु बगैर नामांकनपत्र भरे हो जाती है और उसके परिवार में निम्न सदस्य हैं:–

(1) पत्नी

(2) पुत्र (दो)

(3) अविवाहित पुत्री (एक)

(4) माता

(5) पिता

(6) 2 भाई– एक 18 वर्ष की कम आयु के और एक की आयु 25 वर्ष तथा एक अविवाहित बहन ।

(7) विधवा पुत्री एक

ऐसी स्थिति में रुपया 13,029 = 60 मृत्यु अनुतोषित का भुगतान उपरोक्त परिवार के केवल क्रम संख्या (1) मे (3) में 4 समान भागों अर्थात 3257 = 40 प्रति सदस्य की दर से वितरित की जायगी । माता, पिता, भांई, बहन तथा विधवा पुत्री किसी भाग के अधिकारी नहीं होगें । (देखो नियम6(9) यू०पी० रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स, 1961)

उदाहरण – 17

मान लीजिये उदाहरण 16 पर दिये प्रकरण में मृतक राजकीय सेवक के परिवार में केवल क्रम संख्या (4) से (7) के सदस्य हैं तो रुपया 13,029 = 60 मृत्यु आनुतोषिक का भुगतान निम्न भागों में नियम 6 (9) यू०पी० रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स, 1961 के अन्तर्गत वितरित होगी ।

(1) माता

(2) पिता

(3) भाई(18) वर्ष से कम ।

नोट:– 25 वर्ष वाले भाई को कोई भाग देय न होगा

(4) अविवाहित बहन

(5) विधवा पुत्री ।

रु० 13,029-60 को 6 भागों में बराबर–बराबर बांट दिया जायेगा ।

उदाहरण –18 मानलीजिये उदाहरण 16 में मृतक राजकीय सेवक के परिवार में निम्न सदस्य हैं और उसकी मृत्यु बगैर नामांकन पत्र भरे हो गयी है ।

(1) चाचा

(2) चाची

(3) 45वर्ष का भाई

(4) उपर्युक्त क्रम संख्या 3 की पुत्री

(5) भाई के 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र / पुत्रियां तो रुपया 13,029 = 60 मृत्यु आनुतोषिक के भुगतान हेतु उसके परिवार में जीवित उक्त सदस्य यू०पी० रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स, 1961 के नियम 6 (9) सपठित नियम 3 (3) की श्रेणी में नहीं आते हैं । अतएव देय मृत्यु आनुतोषिक का नियम 6 (9) के अन्तर्गत किसी को भुगतान नहीं होगा और यह धनराशि शासन में व्यपगत (लैप्स) हो जायगा ।

12. नियम 12 यू०पी० रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स 1961 जैसा विज्ञप्ति संख्या जी--3-1253/दस -925-75 दिनाक 16 सितम्बर, 1961 (**गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी) द्वारा नियमों में जोड़ा गया है:-**

यदि कोई व्यक्ति जो राजकीय सेवक के सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु आनुतोषिक पाने का पात्र हो, सरकारी सेवक की हत्या करने के अपराध में या ऐसा अपराध करने के दुष्प्रेरणा करने के लिए आरोपित हो तो मृत्यु **आनुतोषिक में अपना अंश पाने का उसका दावा उसके विरुद्ध संस्थापिक दांडित कार्यवाही की समाप्ति तक निलम्बित** रहेगा ।

यदि दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति पर सम्बद्ध व्यक्ति पर हत्या करने या हत्या करने के लिये दुष्प्रेरण का अपराध सिद्ध हो जाता है तो आनुतोषिक पाने का उसका अधिकार समाप्त हो जायगा और उसका भाग परिवार के अन्य पात्र व्यक्ति, यदि कोई हो, को वितरित कर दिया जायगा ।

यदि हत्या करने के अथवा या उसकी हत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के आरोप में दोषमुक्त सिद्ध हो जाता है, तो मृत्यु आनुतोषिक का सम्बद्ध अंश उसे देय होगा ।

नोट:-उपर्युक्त उपबन्ध ऐसे मामलों पर लागू होंगे जहां सेवा निवृत्ति के उपरान्त सेवा आनुतोषिक देय होती है परन्तु उसके पूर्ण / आंशिक भुगतान से पूर्व राजकीय सेवक की मृत्यु हो गयी है ।

उदाहरण- (19) मान लीजिये उदाहरण 16 प्रकरण में एक पुत्र पर पिता की हत्या अथवा ऐसा अपराध करने के दुष्प्रेरण का आरोप है जिसके लिए उसके विरुद्ध न्यायालय में दाण्डिक कार्यवाही चल रही है ।

दाडिंक कार्यवाही की समाप्ति पर :-

(अ) सजा हो जाने पर मृत्यु आनुतोषिक में उसके भाग का निस्तारण किस प्रकार होगा?

अथवा

(ब) आरोप से दोषमुक्त हो जाने पर मृत्यु आनुतोषिक में उसके भाग का निस्तारण किस प्रकार होगा?

राजकीय सेवक के परिवार में परिवार की श्रेणी क्रम संख्या (1) से (4) में आने वाले निम्न सदस्य हैं:-

(1) पत्नी

(2) दो पुत्र,

(3) एक अविवाहित पुत्री ।

राजकीय सेवक की मृत्यु सेवा में बगैर नामांकन पत्र भरे हो गयी है । अतएव मृत्यु आनुतोषिक 4 बराबर भागों में (अर्थात रु० 13,029=60 ÷4=3257=40 की दर से) बांटनी है । एक पुत्र पर पिता की हत्या का आरोप है । अतएव उसका अंश अर्थात रु०3,257=40 का भुगतान दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलम्बित रखा जायगा ।

कार्यवाही की समाप्ति पर

(अ) पिता की हत्या के आरोप में सजा हो जाने पर, पुत्र को मृत्यु आनुतोषिक में उसके अंश रुपया 3,257=40 का भुगतान नहीं होगा और यह धनराशि

(1) पत्नी

(2) दूसरे पुत्र एवं अविवाहित बहन में तीन बराबर भागों में अर्थात रुपया1,085=80 की दर से वितरित कर दी जायेगी ।

(ब) आरोप से दोषमुक्त हो जाने पर

पुत्र की निलम्बित अंश रुपया 3,257=40भुगतान कर दिया जायगा ।

2 -सम्बन्धित राजाज्ञाए

संख्या सा –3-1004/दस –907-76 रा –27

प्रेषक

श्री त्रिभुवन प्रसाद
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुखकार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश

दिनांक, लखनऊ11 जुलाई, 1978,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

विषय:– पेंशन और मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले बिलम्ब की दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधि का सरलीकरण

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय विज्ञप्ति संख्या –3-754/दस–917-74, दिनांक 11 जून,1975 द्वारा सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 919 (1) में यह प्राविधान किया गया था कि लेखा परीक्षा अधिकारी को पेंशन के पत्रादि भेज दिये जाने के पश्चात विभागाध्यक्ष प्रत्येक पेंशन भोगी के लिए पृथकता: पेंशन अनुमन्य होने की दशा में अस्थायी पेंशन का भुगतान सरकारी सेवक के सेवा निवृत्त होने के दिनांक से केवल 12 माह की अवधि तक ही जारी रखेगा जब तक कि सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 920 (5) के अधीन लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा उक्त अवधि न बढ़ायी जाय । तत्पश्चात शासनादेश संख्या सा–3 -2085/दस– 907-76 दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा 7 (ग) में यह प्राविधान किया गया कि पैरा7 (क) तथा (ख) के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली अनन्तिम पेंशन का भुगतान 12 माह तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा और उसे 12 माह की अवधि के भीतर पेंशन एवं ग्रेच्युटी अन्तिम रूप से निर्धारित न किये जा सके हो तो 12 माह की अवधि की समाप्ति पर, अनन्तिम रूप से स्वीकृति की गई पेंशन अन्तिम रूप से स्वीकृत की गयी मान ली जायगी और महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी पेंशन तथा आनुतोषिक के अन्तिम भुगतानादेश तदनुसार अधिकृत किये जायेंगे ।

2-इसी प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा 9 में यह प्राविधान किया गया था कि जिन मामलों में सरकार को सम्भावित देय रकमों के कारण, आनुतोषिक की अदायगी अनन्तिम रूप से किये जाने के कारण या अन्तिम वेतन पत्र के प्राप्त न होने के कारण आनुतोषिक का 10 प्रतिशत अथवा रु० 1,000 जो भी कम हो, रोक लिया गया है तो सेवा निवृत्ति के 12 महीने के बाद रोकी गई रकम स्वत: ही देय हो जायगी और ऐसी धनराशि बिना किसी अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा किये सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी की दे दी जायगी बशर्ते कि उक्त अवधि के अन्दर उक्त धनराशि से किसी विशिष्ट धनराशि की वसूली के लिए अनुदेश जारी न किये गये हों । इस विषय पर शासन ने पुन: विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि इन आदेशों के जारी होने के दिनांक से अनन्तिम पेंशन के भुगतान की अवधि 12 माह के बजाय 6 माह ही रहेगी तथा ग्रेच्युटी की धनराशि से 10प्रतिशत अथवा रुपया 1,000 जो भी कम हो, 6 माह की अवधि तक ही रोका जायगा और यदि इस अवधि में कोई देय रिपोर्ट प्राप्त न हो तो रोकी गयी धनराशि 6 माह की समाप्ति पर सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को दे दी जायगी ।

3- शासनादेश संख्या सा० -3-2085/दस– 907-76 दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा ७(ग) तथा पैरा 9 तथा विज्ञप्ति संख्यासा०–3-754 / दस-917-74, दिनांक 11 जून, 1975 के अनुसार संशोधित सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 919(1) तथा 920(5) भी ऊपर पैरा 2 में वर्णित निर्णय के अनुसार संशोधित समझे जायेंगे । इस सम्बन्ध में औपचारिक संशोधन यथा समय जारी किये जायेंगे ।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद,
वित्त सचिव

संख्या सा०–3-2827/दस –907-76

रा - 28

प्रेषक

त्रिभुवन प्रसाद,

वित्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: दिनांक 2 दिसम्बर, 1978

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

विषय:– अधिवर्षता पेंशन और मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले बिलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्यविधि का सरलीकरण

महोदय

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा०–3- 20815 दस –907-76, दिनांक 13 दिसम्बर 1977 की ओर आपका **ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के पैरा 2 (घ) में यह प्राविधान है कि** पेंशन सम्बन्धी कागज महालेखाकार, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद के कार्यालय को सम्बंधित कर्मचारी / अधिकारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से कम से कम छ: महीने पहले भेज देना चाहिए और वह कार्यालय आवश्यक जांच करने के पश्चात (सेवा निवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीना पहिले पेंशन अदायगी आदेश मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी के आदेश सहित) जारी करेगा । इस प्रक्रिया के अनुसार महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में पेंशन और आनुतोषिक की संगणना इस अनुमान पर ही करना संभव होगा कि कर्मचारियों / अधिकारियों के पेंशन के कागजों में अहंकारी सेवा और परिलब्धियों का जो विवरण उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक के लिए अनुमानित रूप से दिखाया गया हो वह वस्तुत: सत्य प्रमाणित हो । यदि किसी कर्मचारी / अधिकारी के पेंशन सम्बन्धी कागज महालेखाकार के कार्यालय को भेजने के पश्चात तथा उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि के बीच कोई ऐसी घटना हो जाय जिसके कारण उस कर्मचारी के पेंशन प्रकरण में भेजे गये विवरण में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो इसकी सूचना महालेखाकार, उत्तर प्रदेश— -3 इलाहाबाद को तुरन्त भेजना अनिवार्य होगा । इन आदेशों का परिपालन करने हेतु उपरोक्त शासनादेश संख्या–सा–3-2085/ दस–907-76, दिनांक 13-12-977 के पैरा 6 (ख), के बाद एक नया उप–पैरा (ग) निम्न प्रकार से जोड़ दिया समझा जायेगा:–

(ग) यदि पेंशन सम्बन्धी कागज महालेखाकार के कार्यालय को पैरा 2 (घ) के अन्तर्गत प्रस्तुत करने के पश्चात कोई ऐसी घटना होती है जिससे कर्मचारी को देय पेंशन या आनुतोषिक प्रभावित होती हो तो उसकी सूचना तुरन्त महालेखाकार, उत्तर प्रदेश– 3, इलाहाबाद को भेज देना चाहिये तथा उस कार्यालय से इसकी पावती ले लेनी चाहिए यदि ऐसी कोई घटना न हो जिससे सम्बन्धित कर्मचारी की अनमानित सेवा तथा परिलब्धियों में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो उक्त कर्मचारी का अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र (लास्ट पे सार्टीफिकेट) महालेखाकार के कार्यालय को भेजने से पहले उस पर निम्नलिखित प्रमाण–पत्र भी अंकित कर दिया जाय:–

"यह प्रमाणित किया जाता है कि पत्र संख्या...........दिनांक ....के साथ भेजे गये उक्त कर्मचारी के पेंशन योग्य सेवा तथा परिलब्धियों के विवरण में ऐसा कोई परिवर्तन नही हुआ है जिससे कि उसकी पेंशन / ग्रेच्युटी की संगणना प्रभावित हो तथा उनके दावों पर अन्तर पड़े ।"

यह अति आवश्यक है कि अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र सम्बन्धित कर्मचारी /अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद शीघ्रातिशीघ्र भेज दिया जाय ।

भवदीय,

त्रिभुवन प्रसाद,

वित्त सचिव

संख्या सा–3-1085/दस -907-76

प्रेषक — रा -29

श्री सुधीर कुमार विश्वास,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक, लखनऊ 12 दिसम्बर, 1981

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषयः— पेंशन और मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधि का सरलीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा– 3-2085/दस 907-76,दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा 7 में अतिंम पेंशन और आनुतोषिक की अदायगी के सम्बन्ध में यह अनुदेश जारी किए गए थे कि विभागाध्यक्ष सम्बन्धित सेवा निवृत कर्मचारी की कुल अर्हकारी सेवा तथा अनन्तिम परिलब्धियों के सम्बन्ध उपलब्ध सूचना के आधार पर आगणित की गयी पेंशन की शतप्रतिशत स्वीकृत अनन्तिम पेंशन के रूप में देंगे और मृत्यु तथा सेवा निवृत आनुतोषिक का निर्धारण भी इसी प्रकार से किया जायगा । अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बध में (सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 914 के नीचे दिये, 'स्पष्टीकरण' के अनुसार) अनन्तिम पेंशन और आनुतोषिक का आहरण तथा वितरण सम्बन्धी कार्य सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 919 (1) के अनुसार यथावत् जारी रहेगा । अनन्तिम आनुताषिक का भुगतान करने से पहले बकाया दीर्घावधि अग्रिम, वेतन और भत्तों आदि के किए गए अधिक भुगतान और अन्य देय वसूलियों जैसी ज्ञात सभी देय रकमों का समायोजन किया जायगा । जहां इस प्रकार के कोई समायोजन नहीं किए जाने हों वहां विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई आनुतोषिक की धनराशि के 10 प्रतिशत या 1,000 रू०, जो भी हो, की कटौती अंशतः अनिर्धारित देय रकमों को, यदि कोई हों तो, पूरा करने के लिए और अंशतः आनुतोषिक के अग्रिम निर्धारण में समायोजन किए जाने के लिए कर ली जायगी ।

2—शासन को यह विदित हुआ है कि कहीं–कहीं पर इन अनुदेशों के सम्बन्ध में कतिपय भ्रान्ति अनुभव की जा रही है और मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति आनुतोषिक के निर्धारण एवं भुगतान के सम्बन्ध में यह शंका उत्पन्न हुई है कि सेवा निवृत कर्मचारी को देय कुल आनुतोषिक का केवल 75 प्रतिशत भाग ही अनन्तिम आनुतोषिक के रूप में दिया जायगा अथवा शत प्रतिशत आनुतोषिक में से केवल 10 प्रतिशत या 1,000 रू०, जो भी कम हो, को रोककर शेष धनराशि का भुगतान कर दिया जायगा । इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति यह है कि यद्यपि अनन्तिम पेंशन एवं आनुतोषिक के आहरण एवं वितरण कार्य सी० एस० आर० के अनुच्छेद 919 (1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायगा किन्तु कर्मचारी की भुगतान की जाने वाली अनन्तिम आनुतोषिक, अनन्तिम पेंशन की भांति शतप्रतिशत ही निर्धारित की जायगी तथा उसके भुगतान करने से पूर्व बकाया देय रकमों जैसी दीर्घावधि अग्रिम, वेतन और भत्तों आदि के किए गए अधिक भुगतान तथा अन्य ज्ञात सरकारी देय रकमों का समायोजन कर लिया जायगा और अनिर्धारित देय रकमों के लिए तथा अंशतः आनुतोषिक के अनन्तिम निर्धारण में समायोजन किए जाने के लिए 10 प्रतिशत या रू० 1,000 जो भी कम हो, रोक कर शेष धनराशि का भुगतान अनन्तिम रूप से कर दिया जायगा ।

भवदीय,
सुधीर कुमार विश्वास,
विशेष सचिव

प्रेषक,

संख्या सा–3-1797/दस– 921/84

रा 30

डा० जे०पी० सिंह,
वित्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक 13 फरवरी, 1985

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

विषय:– पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्त आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले बिलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधि का सरलीकरण ।

महोदय,

उपर्यक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा– 3-2085/ दस– 907/76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा (ग) में यह प्राविधान किया गया था कि पैरा 7 (क) तथा (ख) के अनुसार स्वीकृत की जाये वाली अनन्तिम पेंशन का भुगतान 12 माह तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा और यदि 12 माह की अवधि में पेंशन एवं ग्रेच्युटी अनन्तिम रूप से निर्धारित न किये जा सके हों, तो 12 माह की अवधि की समाप्ति पर अनन्तिम रूप से स्वीकृत की गई पेंशन अनन्तिम रूप से स्वीकृत की गई मान ली जायगी और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी पेंशन तथा आनुतोषिक के अनन्तिम भुगतानादेश तदनुसार अधिकृत किये जायेंगे । तदुपरान्त शासनादेश संख्या सा०– 3-1004/ दस– 907-78 दिनांक 11 जुलाई, 1978 के प्रस्तर– 2 में यह प्रविधान कर दिया गया कि अनन्तिम पेंशन के भुगतान की अवधि 12 माह के बजाय 6 माह ही रहेगी तथा ग्रेच्युटी की धनराशि से 10 प्रतिशत अथवा 1,000 रू० जो भी कम हो, की कटौती को 6 माह की अवधि तक ही रोका जायगा और यदि इस अवधि में कोई देय रिपोर्ट प्राप्त न हो तो रोकी गई धनराशि का 6 माह की समाप्ति पर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को भुगतान कर दिया जायगा ।

2- इस प्रकार उपरोक्त प्राविधान के अनुसार, जब कि ग्रेच्युटी के अनन्तिम तथा अनन्तिम भुगतान में कोई कठिनाई नहीं है, यह अनुभव किया जा रहा हैं कि अनन्तिम पेंशन के भुगतान हेतु निर्धारित 6 माह की अवधि के समाप्ति होने के बाद भी महालेखाकार के स्तर से अनन्तिम पेंशन निर्धारित नहीं हो पा रही हैं और 6 माह की अवधि के बाद अनन्तिम पेंशन भी बन्द हो जाने के कारण सरकारी सेवक की अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । वर्णित परिस्थितियों में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या सा– 3-1004/ दस– 907-76, दिनांक 11 जुलाई, 1978 के प्रस्तर -2 में उल्लिखित 6 माह सम्बन्धी व्यवस्था की इस सीमा तक संशोधित कर दिया जाये कि विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, सेवानिवृत्त के बाद 6 माह की अवधि समाप्त होने पर, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अनन्तिम रूप से पेंशन निर्धारित न किये जाने की दशा में 6 माह की अवधि के लिए अग्रेतर अनन्तिम पेंशन और स्वीकृत कर दें । यदि उपुर्युक्त 12 माह की अवधि में भी महालेखाकार से अनन्तिम रूप से पेंशन निर्धारित न हो तो विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष उक्त अवधि की बढ़ाने के लिए अपने प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव संदर्भित करें जो उसे पुन: 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं । प्रशासकीय विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अनन्तिम पेंशन की अवधि के इस प्रकार बढ़ाये जाने के पूर्व इससे आश्वस्त हो जायें कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की अनन्तिम पेंशन निर्धारित किये जाने को प्रक्रिया में होने वाले बिलम्ब में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष दोषी नहीं हैं और यदि दोषी हैं तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही भी करने का कष्ट करें । प्रत्येक दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष इस बात के लिए सतत प्रयत्नशील रहें कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन अनन्तिम रूप से शीघ्रातिशीघ्र निर्धारित हो जाये । सम्बन्धित नियमों में संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायगी ।

भवदीय
जे०पी० सिंह
वित्त सचिव

संख्या सा –3-1976/दस– 971/80

प्रेषक,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　रा–31

श्री जे०पी० सिह

वित्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक 30 नवम्बर, 1984

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

विषय:– डेथ–कम–रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की देर से अदायगी किये जाने पर ब्याज का भुगतान ।

महोदय,

उपर्यक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के देय हो जाने के बाद तीन महीने से आगे की अवधि के लिये देर से अदायगी की गई ग्रेच्युटी पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या सा-3-664/दस–971/80 दिनांक 29 अप्रैल, 1983 में की गई थी । अब शासन द्वारा इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ग्रेच्युटी के बिलम्ब से भुगतान किये जाने पर देय ब्याज की दर को निम्न प्रकार संशोधित कर दिया जाय:-

(1) तीन मास के बाद तथा एक वर्ष तक	....7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज
(2) एक वर्ष के बाद	......10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज

उपरोक्त दरें आदेश जारी होने के दिनांक से लागू मानी जायेंगी ।

2- इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें ब्याज की अदायगी की जानी हो, बिलम्ब के लिये जिम्मेदारी नियत करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिये और व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिये । ब्याज की उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों के संबंध में अन्य सारी शर्ते उपरोक्त शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 1983 तथा शासनादेश संख्या सा–3-1373/ दस– 971/80, दिनांक 12 सितम्बर, 1983 के अनुसार ही लागू मानी जायेंगी ।

भवदीय,

जे०पी० सिंह

वित्त सचिव

अध्याय–5

1- पेंशन का राशिकरण

पेंशन का राशिकरण से संबंधी नियम "यू० पी० सिविल कम्यूटेशन रूल्स, 1941 " में उपलब्ध है । जून, 1980 में इन नियमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण राशिकरण की समस्त प्रक्रिया केवल सरल ही नही हुई है अपितु पेंशनर्स के लिए लाभदायक भी बन गयी है । नियमों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु पुरानी एवं वर्तमान व्यवस्था नीचे दी जा रही है ।

क्र० स०	नियम का संदर्भ	पुरानी व्यवस्था	वर्तमान व्यवस्था
1	3	राशिकरण स्वीकृत करने का अधिकार शासन में निहित था । ऐसे मामलों में जिनमें पेंशन भारत के कोषागारों से आहरित होती थी ।	दिनांक 1.3.80 से विज्ञप्ति संख्या जी–3-54/ दस–7040/78, दिनांक 6 मार्च, 1984 द्वारा यह अधिकार शासन के सचिवों को, जिन मामलों में पेंशन शासन स्तर पर स्वीकृत होती है तथा विभागाध्यक्षों को जिनमें पेंशन विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत होती है, प्रदान किये गये । शासनादेश संख्या जी– 3-184/ दस–7040-78, दिनांक 18 मई, 1983 द्वारा दिनांक 1 जून, 1983 से राशिकरण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी ।
2.	4.	पेंशन के आधे भाग को कुछ शर्तो के अधीन राशिकरण कराने की व्यवस्था थी ।	विज्ञप्ति दिनांक 6 मार्च, 1984 प्रभावी 1.7.80 द्वारा इस पेंशन के आधे भाग को घटाकर 1/3 भाग कर दिया गया, जब तक कि लागू पेंशन नियमों में अन्यथा व्यवस्था न हो शासन ने इस नियम में उदारता करते हुए राजाज्ञा सा–3-1587/ दस– 87-958/80 दिनांक 23-7-87 द्वारा पेंशन के राशिकरण भाग को सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष उपरान्त पुनर्स्थापन करने के आदेश दिये हैं ।
3.	6	राशिकरण के प्रार्थना–पत्र उन मामलों में जिनमें पेंशन भारत में स्थित किसी कोषागार से आहरित होती थी, राजकीय सरकार को सम्बोधित किये जाते थे ।	विज्ञप्ति दिनांक 6.3.84 प्रभावी 1.7.80 द्वारा राशिकरण के लिये प्रार्थना–पत्र शासन के सचिवों को उन मामलों में जिनमें पेंशन उनके स्तर से स्वीकृत हुई थी, तथा विभागाध्यक्षों को उन मामलों में जिनमें पेंशन उनके तथा कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर स्वीकृति हुई थी, सम्बोधित करने का प्राविधान किया गया । उपर्युक्त क्रम -1 पर संदर्भित शासनादेश दिनांक 18 मई, 1983 द्वारा राशिकरण के लिये प्रार्थना– पत्र कार्यालयाध्यक्ष को सम्बोधित किये जाने के प्राविधान किया गया ।

7	राशिकरण के प्रत्येक मामले में चिकित्सा परीक्षा आवश्यक थी । राशिकरण तब ही अनुमन्य होता था जब चिकित्सा परीक्षा में पेंशनर राशिकरण के योग्य पाया जाता था ।	विज्ञप्ति दिनांक 6 मार्च, 1984 प्रभावी 3 जून, 1980 में राशिकरण हेतु चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता ऐसे मामलों में समाप्त कर दी गयी है जिनमें:– (1) राशिकरण के लिये प्रार्थना–पत्र सेवा निवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाय । या (2) पी०पी०ओ० जारी होने की तिथि से राशिकरण हेतु प्रार्थना–पत्र एक वर्ष के अन्दर दे दिया जाय । इस सम्बन्ध में राजाज्ञा सा–3-1196/ दस– 7040-78 दिनांक 19-8-81 भी अवलोकनीय है । उपर्युक्त (1) एवं (2) में जो भी बाद में हो अस्तु चिकित्सा परीक्षा राशिकरण हेतु उन्हीं मामलों में आवश्यक रह गयी जिसमें राशि करण हेतु प्रार्थना–पत्र सेवा निवृत्ति की तिथि से अथवा पी०पी०ओ० जारी होने की तिथि से, जो भी बाद में हो, एक वर्ष के बाद दिया जाता है ।
5. 8	राशिकरण की एक मुश्त धनराशि उस आयु पर आकलित होती थी जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाय परन्तु जो वास्तविक आयु से कम न हो ।	(क) विज्ञप्ति दिनांक 6 मार्च, 1984 (प्रभावी 6 अक्टूबर, 1982) जिसे शा० आ० दिनांक 18 मई, 1983 (प्रभावी 1-6-83) के साथ पढ़े, उन मामलों में जिनमें चिकित्सा परीक्षा आवश्यक नही रही है और राशिकरण हेतु प्रार्थना–पत्र सेवा निवृत्तियों से यथा पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दिया जाता है, उनमें सेवा निवृत्ति के बाद पड़ने वाली जन्म दिवस को आयु के संदर्भ में आगणित करके राशिकरण प्रार्थना–पत्र पर अंकित कर दिया जायगा । (ख) जिन मामलों में राशिकरण का प्रार्थना–पत्र सेवा निवृत्ति से पूर्व प्रस्तुत नही किया जाता परन्तु सेवा निवृत्तिकी या पी०पी० ओ० जारी होने की तिथि से जो भी बाद में हो, एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाता है और इस कारण उनमें भी चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नही होती, कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय में राशिकरण का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने की तिथि के बाद पड़ने वाले पेंशनर के जन्म दिवस के संदर्भ में राशिकरण मूल्य का आगणन करके उसके प्रार्थना–पत्र पर अंकित करेंगे । इस सम्बन्ध में राजाज्ञा सा–3-1647/ दस–7000-82 दिनांक 6-10-82 भी अवलोकनीय है ।

			(ग) चिकित्सा परीक्षा:– वाले मामलों में प्रार्थना– अर्थात जिनमें राशिकरण के लिये चिकित्सा परीक्षा अनिवार्य होगा, राशिकरण का प्रार्थना प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष उसे विभागाध्यक्ष / विभाग के सचिव जैसी भी स्थिति होगी, को भेजेगें । विभागाध्यक्ष / विभाग के सचिव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था करेगें । चिकित्सा परीक्षा में राशिकरण के योग्य पाये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा परिषद जो भी लागू हो, द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्सा रिर्पोट पर हस्ताक्षर करने की तिथि के बाद पड़ने वाली जन्म तिथि के संदर्भ में राशिकृत पेंशन का राशिकृत मूल्य आगणित किया जायगा । विभागाध्यक्ष / विभाग के सचिव राशिकरण के प्रार्थना पत्र को चिकित्सा, प्रमाण–पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु महालेखाकार / संबंधित विभाग में नियुक्त ज्येष्ठ / मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो को अग्रसारित करेगें ।
6.	10	राशिकरण स्वीकृत आदेश में इंगित तिथि से, जो कि साधारणतया आदेश के पन्द्रह दिन बाद की होती थी, से प्रभावी होता था और समस्त गणना इस तिथि के संदर्भ में की जाती थी ।	राशिकरण के औपचारिक स्वीकृति आदेश जारी करने की व्यवस्था दिनांक 1 जून, 1983 से जैसा कि क्रम संख्या (1) पर इंगित है समाप्त की जा चुकी है । राशिकरण मूल्य की गणना क्रम संख्या -7 पर इंगित प्राविधानों के अनुसार होती है ।
7.	11.	पेंशन में से राशिकृत भाग की कटौती उस दिन से होती थी,जिस तिथि से राशिकरण प्रभावी माना जाता था अर्थात राशिकरण स्वीकृति आदेश में इंगित तिथि से जो कि साधारणतया आदेश की तिथि से 15 दिन बाद होती थी । अधिकतर मामलों में राशिकरण स्वीकृति आदेश के 15 दिन बाद तक राशिकरण मूल्य का पेंशनर को भुगतान नहीं हो पाता था । उन्हें राशिकृत मूल्य का भुगतान कभी हो, उनकी पेंशन से राशिकृत भाग की कमी राशिकरण के स्वीकृत आदेश में इंगित तिथि से होती थी, जिससे पेंशनरों को आर्थिक कठिनाई होती थी ।	शा०आ० दिनांक 18 मई, 1963 राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन में पेंशन के बराबर कमी, पेंशनर, को राशिकरण की धनराशि भुगतान होने की तिथि अथवा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत भुगतान आदेशों की तिथि के तीन माह बाद, जो भी पहले हो, से की जाती है ।
8.	13.	यदि पेंशनर की मृत्यु राशिकरण के एब्सोल्यूट होने को तिथि (अर्थात राशिकरण स्वीकृति आदेश में इंगित तिथि	शा० आ० दिनांक 18 मई, 1983 में इस नियम को दो भागों में बांटा गया । **प्रथम**:– जिन मामलों में चिकित्सा परीक्षा की

		जो साधारणतया आदेश की तिथि से 15 दिन बाद की होती थी) के बाद हो जाये तो राशिकृत धनराशि का भुगतान उसके वारिसों को होगा ।	आवश्यकता अब नहीं है । उन मामलों में यदि पेंशनर की मृत्यु राशिकरण हेतु आवेदन पत्र कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करने के बाद परन्तु राशिकरण की धनराशि प्राप्त करने से पूर्व हो जाये तो राशिकरण की धनराशि उसके वारिसों को भुगतान होगी । **द्वितीय:–** जिन मामलों में चिकित्सा परीक्षा आवश्यक है उनमें यदि पेंशनर की स्वास्थ्य परीक्षा के बाद, जिसमें वह राशिकरण हेतु उपयुक्त पाया जाय, चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद परन्तु राशिकृत धनराशि प्राप्त करने के पूर्व होती है, उसमें राशिकृत धनराशि का भुगतान उसके वारिसों को होगा ।
9.	14.	राशिकरण के लिये प्रार्थना पत्र नियमों में निर्धारित प्रपत्र में दिया जायगा ।	अब प्रार्थना पत्र दो प्रारूप में है । नियम 14 में निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र उन प्रकरणों में दिया जायगा, जिसमें राशिकरण के लिए चिकित्सा परीक्षा आवश्यक है । अन्य मामलों में अर्थात जिनमें चिकित्सा परीक्षा आवश्यक नहीं है, प्रार्थना पत्र शा०आ० संख्या सा–3-1445/ दस–7040/78 दिनांक 30 जून, 1980 के अनुसार देना होगा ।
10.	15.	राशिकरण के लिए प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति होने के बाद दिया जा सकता है ।	शा०आ० दिनांक (18.5.83) प्रभावी (1.6.83) राशिकरण के लिए प्रार्थना– पत्र सेवा निवृत्ति से यथा समय पूर्व प्रस्तुत कर देने का प्राविधान किया गया ।

2- राशिकरण निम्न उद्देश्यों के लिए अनुमन्य है:–

(1) व्यापार आरम्भ करना ।
(2) मकान का क्रय/निर्माण ।
(3) ऋण की बेबाकी ।
(4) बच्चों या आश्रितों की शिक्षा और
(5) विवाह व्यय ।

(राशिकृत मूल्य की दर रा–38 पर)

उदाहरण (१) पेंशन का राशिकृत भाग बताते हुए उसके निम्न प्रकरणों में राशिकृत मूल्य का आगणन दर्शाया गया है:–

क्र० सं०	सेवा निवृत्ति के समय आयु	राशिकृत मूल्य की तालिका के अनुसार अगली जन्म तिथि पर रू० 1/- का राशिकृत मूल्य		पेंशन प्रति माह
		अगला जन्म दिवस	मूल्य	
१	५८ वर्ष	59 वर्ष	10.46	500=00
2.	35 वर्ष	36 वर्ष	16.72	200=00
3.	41 वर्ष	42 वर्ष	15.40	1,000=00
4.	52 वर्ष	53 वर्ष	12.35	450=00

पेंशन का राशिकृत भाग

क्र० सं०	पेंशन	पेंशन का भाग जिसका राशिकरण अनुमन्य है	पेंशन का राशिकृत भाग (रूपयों में)
1.	500=00	1/3	166.00
2.	200=00	उपर्युक्त	66.00
3.	1,000=00	उपर्युक्त	333.00
4.	450=00	उपर्युक्त	150.00

राशिकृत मूल्य

1. 166 (10.46 × 12) = 125.52 × 166 = रू० 20,836=32
2. 66 (16.72 × 12) = 200.64 × 66 = रू० 13,242=24
3. 333 (19.40 × 12) = 184.80 × 333 = रू० 61,538=40
4. 150 (12.35 × 12) = 148.20 × 150 = रू० 22,230=00

उदाहरण (2) "क" एक स्थायी सेवक सेवा से 30.6.85 को 58 वर्ष की आयु पर (जन्म तिथि 1.7.1927 सेवा निवृत्ति हुआ और उसकी पेंशन रू० 1203/= + रू० 15/=वैयत्तिक पेंशन निर्धारित हुए । उसने रू० 281/= पेंशन के राशि करण के लिए सेवा निवृत्ति से पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । दूसरा पेंशन राशिकरण का प्रार्थना पत्र जिसमें रू० 120/= के राशिकरण का अनुरोध किया गया दिनांक 4.3.86 को पूर्ण रूप से कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में प्राप्त हुआ ।

स्पष्ट कीजिए उपर्युक्त पेंशन में से अधिकतम कितने रूपये का राशिकरण अनुमन्य है । यह भी गणना करके बतायें राशिकरण का मूल्य कितना देय है यदि 1/- का अगले जन्म दिवस को राशिकरण तालिका के अनुसार निम्न मूल्य हो:–

अगले जन्म दिवस पर आयु	1/- का राशिकृत मूल्य
58	10.78
59	10.46
60	10.13
61	9.81
62	9.48

1. पेंशन रू० 1203 + 15/- वैयत्तिक पेंशन
2. पेंशन जिसका अधिकतम राशिकरण अनुमन्य है रू० 1203 × $\frac{1}{3}$ अर्थात रू० 401/-

नोट: वैयत्तिक पेंशन जो 31.3.85 या उसके बाद 31.12.85 तक सेवा निवृत्त होने वालों को देय है का राशिकरण अनुमन्य नहीं है [(शा०आ० संख्या सा–3-1391/ दस–903/83 दिनांक 30 जुलाई 1985]

३ **राशिकरण की धनराशि:**

(१) पेंशन में से रू० 281/- के राशिकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेंशन पर जाने से पूर्व प्रस्तुत किया । अतएव सेवा निवृत्ति 58 वर्ष की आयु के बाद पड़ने वाले जन्म दिवस अर्थात 59वर्ष पर दिये वर्ष मूल्य के संदर्भ में राशिकृत मूल्य आगणित होगा ।

रू० 281 (10.46 × 12) = रू० 35,271.12

(2) राशिकरण का दूसरा प्रार्थना पत्र दिनांक 4.3.86 को प्रस्तुत किया गया । अगले जन्म दिवस पर उसकी आयु 59 होगी, जिस दिन 1/- की राशिकृत मूल्य 10.46 है । अतएव रू० 120/- का राशिकृत मूल्य निम्न प्रकार होगा ।

रू० 120 (10.46 × 12) = रू० 15,062.40

उदाहरण (3) मान लीजिये कि उपर्युक्त मामलों में प्राधिकारी का पी०पी० ओ० दिनांक 4.5.86 को जारी होता है । वह रू० 120/- के राशिकरण हेतु 15.3.87 को प्रार्थना पत्र भेजता है जो कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में 2.4.87 को प्राप्त होता है । कृपया ऐसी दशा में राशिकरण दिये जाने की प्रक्रिया का उल्लेख करें ।

राशिकरण नियमावली के नियम 7 के अनुसार देय पेंशन के राशिकरण हेतु सेवा निवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अथवा पी०पी०ओ० जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर, जो भी तिथि बाद में हो, प्रार्थना पत्रप्रस्तुत कर दिया जाय, तो चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती ।

उपर्युक्त मामले में:–

(1) सेवा निवृत्ति की तिथि 30.6.85

(2) पी०पी०ओ० जारी होने की तिथि 4.5.86

(1)एवं (2) में 4.5.86 बाद की तिथि है । पेंशन के राशिकरण हेतु कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 2.4.87 को प्राप्त हो गया है जो पी०पी०ओ० जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर है । अतएवचिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है । दिनांक 2.4.87 से बाद पड़ने वाले जन्म दिवस अर्थात 1.7.87 की 60 वर्ष पर राशिकृत मूल्य के संदर्भ में रूपया 120/- की राशिकरण धनराशि राशिकरण प्रार्थना पत्र पर अंकित करके कार्यालयाध्यक्ष उसे महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद /\ विभाग में नियुक्त मुख्य लेखाधिकारी / ज्येष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो राशिकरण आदेश जारी करने हेतु अग्रसारित कर देगें ।

उदाहरण (4) मान लीजिए उदाहरण 3 में पेंशनर की मृत्यु राशिकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद परन्तु राशिकरण की धनराशि प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है तो क्या राशिकरण की धनराशि का भुगतान देय होगा? यदि हां तो भुगतान किसको किया जायगा?

उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स 1941 के नियम 13 जैसा शा०आ०संख्या सा–3- 184/दस–, 7040-78 दिनांक 18 मई, 1983 द्वारा संशोधित है, यदि उन मामलों में जिनमें राशिकरण हेतु चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, पेंशनर की मृत्यु राशिकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त परन्तु राशिकरण की धनराशि प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है, तो पेंशन की राशिकरण की धनराशि का भुगतान उनके वारिसों को होगा ।

उदाहरण (5) मान लीजिए कि उदाहरण -3 में पेंशनर रू० 120/- के राशिकरण हेतु दिनांक 24.6.87 को प्रार्थना पत्र देता है जो कार्यालयाधयक्ष के कार्यालय में 2.7.87 को प्राप्त होता है । ऐसी दशा में पेंशन का राशिकरण पेंशन के राशिकृत मूल्य की गणना निम्न तिथि को आधार मानकर की जायेगी?

(1) सेवा निवृत्ति की तिथि से 30.6.85 (एक वर्ष समाप्त होगा 29.6.86)

(2) पी०पी०ओ० जारी होने के तिथि 4.5.86(एक वर्ष समाप्ति का दिनांक 3.5.87)

(3) (1)एवं (2) में बाद में समाप्त होने वाली तिथि 3.5.87

(4) राशिकरण हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में प्राप्ति की तिथि 2.7.87

चूंकि उपर्युक्त मामले में राशिकरण हेतु प्रार्थना पत्र पर दिनांक 2.7.87 अर्थात एक वर्ष बाद होता है, अतएव चिकित्सा परीक्षा आवश्यक है ।

कार्यालयाध्यक्ष राशिकरण के प्रार्थना पत्र को विभागाध्यक्ष / शासन के सचिव, जो भी पेंशन स्वीकृत करने के लिए उस श्रेणी के सेवक की सक्षम हो, अग्रसारित करेंगें । विभागाध्यक्ष / शासन के सचिव राज्य सेवक की चिकित्सा परीक्षा कराने हेतु नियम 18 एवं नियन 19 के अनुसार चिकित्सा परिषद / मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखेगें । जिस जिले के कोषागार से पेंशन आहरित करता है, उसके मुख्य चिकित्साधिकारी को उस दशा में लिखना होगा जब पेंशन के राशिकरण हेतु आवेदित एवं अनुमन्य धनराशि 25/- तक है । परन्तु उससे अधिक अनुमन्य एवं आवेदित धनराशि के लिए पेंशन पा रहे जनपद के मण्डल के मण्डलीय चिकित्सा परिषद से चिकित्सा कराने हेतु मंडल के मुख्यालय के मुख्य

चिकित्सा प्राधिकारी को प्राधिकृत करेगा । निर्धारित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रपत्र –बी की दो प्रतियां सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी को भेजी जायेगी, जिनकी (दोनो प्रतियों) को चिकित्सा परीक्षा के बाद अपनी आख्या सहित संबंधित अनुभाग को मूलरूप में वापस कर देगें ।

यदि चिकित्सा, परीक्षा में पेशनर राशिकरण के योग्य पाया जाता है तो चिकित्सा रिर्पोट हस्ताक्षर होने की तिथि के संदर्भ में अर्थात उसके बाद पड़ने वाली जन्म तिथि को राशिकरण का जो मूल्य हो, उसके आधार पर राशिकरण की धनराशि की गणना करके एवं उसे प्रार्थनापत्र पर अंकित करके प्रार्थना पत्र महालेखाकार / विभागीय मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, चिकित्सा रिपोंट की एक प्रति के साथ अग्रसारित कर दी जाय जो राशिकरण धनराशि के आदेश जारी करगें ।

उदाहरण (6) मान लीजिए कि उदाहरण -5 में चिकित्सा रिर्पोट 2.9.87 को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर को जाते है तो किस आयु के आधार पर राशिकरण की गणना होगी और राशिकरण की धनराशि क्या होगी?

उपर्युक्त उदाहरण में राज्य सेवक की चिकित्सा रिपोर्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिनांक 2.9.87 जिसमें वह राशिकरण योग्य घोषित किया गया है, को हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त उसकी अगली जन्म तिथि 1.7.88 को होगी जिस दिन उसकी आयु 61 वर्ष की होगी । 61 वर्ष पर रू०1/- का राशिकृत मूल्य रू० 9.81 है । अतएव रू०120/- पेंशन के राशिकृत भाग का मूल्य 120 ×(9.81 × 12) अर्थात 14,126=40 होगा ।

उदाहरण (7) मान लीजिए कि उपर्युक्त प्रकरण में राज्य सेवक की मृत्यु 3.10.87 की राशिकरण की धनराशि प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है तो क्या राशिकरण की धनरीश का भुगतान होगा या नही । यदि होगा तो यह भुगतान किसको अनुमन्य होगा ।

उपर्युक्त उदाहरण से पेंशनर की राणिकरण हेतु स्वास्थ्य परीक्षा की रिपोर्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 2.9.87 की हस्ताक्षर की गयी है, जिसमें वह राशिकरण हेतु स्वस्थ्य पाया गया है । चूंकि इस मामले में पेंशनर की मृत्यु स्वास्थ्य रिपोर्ट पर दिनांक 2.9.87 को हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त दिनांक 3.10.87 को होती हैं, तो भुगतान वारिस नियम 13 जैसा शासनादेश संख्या जी–3-184/ दस–7040/78 दिनांक 18 मई, 1983 संशोधितहै, राशिकरण की धनराशि पाने के अधिकारी होगें ।

2-राज्य सरकार के सिविल पेंशनरो को एवं पारिवारिक पेंशनों को राहतः–

राज्य सरकार सेवा निवृत्त कर्मचारियों (सिविल पेंशनरों) की भुगतान किये जा रहे पेंशनर समय-समय पर मँहगाई के कारण उनकी आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पेंशन पर राहत की घोषणा करती है । 1.7.80 से पूर्व तक यह राहत पेंशन के स्लैब पर स्वीकृत किया जाता रहा किन्तु द्वितीय वेतन आयोग की रिपोर्ट आने एवं भारत सरकार द्वारा मँहगाई भत्ता / राहत की प्रतिशत के आधार पर दिये जाने की संतुतियों के आधार पर दिनांक 1.7.80 से इसे सभी पेंशनरों पर लागू किया गया । प्रतिशत के आधार पर आगणित राहत में यह भी आदेश है कि राहत पूर्ण रूपये में द्री जाय तथा ऐसे आगणन में यदि 50 पैसे से कम की धनराशि आती है तो उसे छोड़ दिया जायगा किन्तु 50 पैसे या अधिक धनराशि अगले रूपये में जोड़ा जायगा ।

दिनांक 1.7.80 से प्रतिशत के आधार देय राहत की गणना निम्नलिखित मदों के योग पर की जायेगी :–

(1) पेंशन,जिसमें पेंशन का राशिकृत भाग यदि कोई हो सम्मिलित है ।

(2) दिनांक 1.4.75 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों को निम्नतालिका के अन्तर्गत अनुमन्य बृद्धियों को उनके पेंशन में जोडकर ।

ग्रास पेंशन की सीमा (रु० में)	1-4-47 से अस्थायी वृद्धि रु०	1-4-64 में तदर्थ वृद्धि (रु० में)	अतिरिक्त तदर्थ वृद्धि 1-10-68 से रु० में	अतिरिक्त तदर्थ वृद्धि 1-4-70 से रु० में	कुल वृद्धियों का योग
1	2	3	4	5	6
रु० 30 तक	5	5	5	वह धनराशि जिसे पेंशन तथा पूर्व वृद्धियों को जोड़कर योग रुपया 30 हो जाय	
रु० 30 से अधिक 60 तक	5	5	7.50		17.50
रु० 60 से अधिक 75 तक	6	5	7.50		18.50
रु० 75 से अधिक 95 तक	6	5	10.00		21.00
रु० 95 से 100 तक	6	वह धनराशि जिसे पेंशन में मिलाकर योग 100 रु० हो जाय।	10.00		16 से 21.00 तक
रु० 100 से अधिक 200 तक	वह धनराशि जिसे पेंशन में मिलाकर योग रु० 106 हो जाय	–	10.00		10.00 से 16.00 तक
रु० 200 से अधिक			वह धनराशि जिसे पेंशन में मिलाकर योग रु० 210 हो जाय		1.00 से 9.00 तक

(अ) पेंशन पर राहत निम्नांकित को देय नहीं होगी:–

(1) ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर्स जो सरकार के किसी विभाग / कार्यालय में सेवायोजित / पुनर्योजित किये गये हों और वहां सेवारत हों।

(2) ऐसे सेवक जो राज्य सरकार से सेवा निवृत्त होकर किसी केन्द्रीय / राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, निगम अथवा स्वायत्तशासी संस्था में स्थायी रूप से संविलीन हो गये हों।

(ब) एक से अधिक पेंशन प्राप्त करता को :–

ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर जिन्हें एक से अधिक पेंशन प्राप्त हो रही हो को मँहगाई राहत समस्त पेंशनों के योग्य पर अनुमन्य होगी। जैसा कि राजाज्ञा सा–3-585/दस–935/78 दिनांक 16.5.83 द्वारा आदेशित किया गया है

(स) पारिवारिक पेंशनर को राहत की स्वीकृति :–

राजाज्ञा संख्या सा०–4-1630/दस -82-54 (1)-81 दिनांक 17-8-82 द्वारा पेंशन पर जो राहत स्वीकृत किया गया उसमें उ०प्र० सरकार के सभी सिविल पेंशनरों के साथ ही पारिवारिक पेंशनरों को (जो उ०प्र० लिबर-लाइज्ड पेंशन रूल्स 1961 व उ०प्र० रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन पेंशन प्राप्त करते हैं) को भी सम्मिलित किया गया। इस प्रकार दिनांक 1-4-82 से पारिवारिक पेंशनरों को भी पेंशन पर राहत अनुमन्य हुआ

राजाज्ञा सं० व दिनांक जिससे स्वीकृत हुआ	प्रभावी तिथि	पेंशन की धनराशि प्रतिमाह रुपयों में	स्वीकृत राहत की दर प्रतिमाह			1-4-75 के पूर्व सेवा निवृत्ति को अतिरिक्त तदर्थ वृद्धि		टिप्पणी
			1-4-75 से पूर्व सेवा निवृत्त	1-4-75 से 31-3-79 तक सेवा निवृत्त	31-3-79 के बाद सेवा निवृत्त	पेंशनर के प्रतिमाह पेंशन पर	स्वीकृत वृद्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जी–4-952/दस -54-76 दि० 11-5-76	1-4-76	100 रु० तक	10.00	10.00	—	—	—	—
		100 से अधिक 200 तक	15.00	15.00	—	—	—	—
		200 से अधिक	20.00	20.00	—	—	—	—
सा–4-1101/ दस–54- 78 दि० 26-4-78	1-4-78	100 रु० तक	10.00	10.00	—	सभी को	5.00	—
		100 रु० से अधिक	5.00	5.00	—			
सा–4- 2813/ दस–54- 78 दि० 18-6-79	1-4-79	100 रु० तक	15.00	15.00	—	85रु० तक	5.00	—
		100से अधिक 200 तक	20.00	20.00	—	85 रु० से अधिक	10.00	—
		200 से अधिक	15.00	15.00	—			
सा०–4-979/दस -54- 80 दि० 30-5-80	1-1-80	100 रु० तक	5.00	5.00	15.00	—	—	—
		101 से 200 तक	10.00	10.00	20.00	—	—	—
		201 से 300 तक	10.00	10.00	15.00			
		301 से500 तक	20.00	20.00	15.00			
		501 से अधिक	25.00	25.00	15.00			

1	2*	3	4	5	6	7	8	9
सा०–4-1374/ दस-54 -80 दि०11-8-80	1-4-80	100 रु० तक	5.00	5.00	15.00	सभी को	5.00	यह राहत 101 से 200 तक प्रतिमाह पेंशन पाने वाले पेंशनरों के लिए पेंशन का 45 % किन्तु न्यूनतम 50 रु० व अधिकतम 60 रु० प्रतिमाह होगा
		101 से 200 तक	शून्य से 10.00 तक	शून्य से 10.00 तक	20.00			
		201 से 300 तक	15.00	15.00	15.00			
		301 से 500 तक	20.00	20.00	15.00			
		501 तथा अधिक	25.00	25.00	15.00			

राजाज्ञा सं० व दिनांक जिससे स्वीकृत	प्रभावी तिथि	31-3-79 के पूर्व सेवा–निवृत्त हुए पेंशनरों को पेंशन का			31-3-79 को या उसके उपरान्त किन्तु 1-7-79 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए हों			1-7-79 को या उसके बाद सेवा निवृत्त			कालम 4 व 5 के पेंशनरों के पेंशन व राहत की धनराशि का योग निम्न से अधिक न हो ।	31-3-85 को या उसके बाद सेवा निवृत्त पेंशनर को		
		प्रतिशत	न्यूनतम	अधिकतम	प्रतिशत	न्यूनतम	अधिकतम	प्रतिशत	न्यूनतम	अधिकतम		प्रतिशत	न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	6	7 (क)	7 (ख)	7 (ग)
सा -4-	1-7-80	50	50.00	250.00	30	30.00	150.00	10	10.00	50.00	—	—	—	—
1899/दस	1-9-80	55	55.00	275.00	35	35.00	175.00	15	15.00	75.00	—	—	—	—
-81 -54	1-12-80	57.5	57.50	287.50	37.5	37.50	187.50	17.5	17.50	87.50	—	—	—	—
(i) दि०	1-2-81	60	60.00	300.00	40	40.00	200.00	20	20.00	100.00	—	—	—	—
29-10-81	1-4-81	62.50	62.50	312.50	42.5	42.50	212.50	22.5	22.50	112.50	—	—	—	—
सा-4-जी	1-8-81	67.5	67.50	337.50	47.5	47.50	237.50	27.5	27.50	137.50	1637.50	—	—	—
आई-24/	1-10-81	70	70.00	350.00	50	50.00	250.00	30	30.00	150.00	1650.00	—	—	—
दस -54	1-11-81	72.5	72.50	362.50	52.5	52.50	262.50	32.5	32.50	162.50	1662.50	—	—	—
(i) -8	1-1-82	75	75.00	375.00	55	55.00	275.00	35	35.00	175.00	1675.00	—	—	—
दि० 15-6-82														

सा-4-1630/दस-82-54 (i)/81 दि० 17-8-82	1-4-82	77.5	77.50	387.50	57.5	57.50	287.50	37.5	37.50	187.50	1687.50	—	—	—
सा-4-2131/दस-82-54 (i)/81 दि० 11-10-82	1-6-82	80	80.00	400.00	60	60.00	300.00	40	40.00	200.00	1700.00	—	—	—
सा-4-1179-ए/दस-82-54 (i)/81 दि० 18-4-83	1-9-82	82.5	82.50	412.50	62.5	62.50	312.50	42.5	42.50	212.50	1712.50	—	—	—
	1-12-82	85	85.00	425.00	65	65.00	325.00	45	45.00	225.00	1725.00	—	—	—
सा-4-2134 दस-83-54 (i)/81 दि० 28-9-83	1-3-83	87.5	87.50	437.50	67.5	67.50	337.50	47.5	47.50	237.50	1737.50	—	—	—
	1-5-83	90.	90.00	450.00	70	70.00	350.00	50	50.00	250.00	1750.00	—	—	—
	1-7-83	92.5	92.50	462.50	72.5	72.50	362.50	52.5	52.50	262.50	1762.50	—	—	—

1	2	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	6	7 (क)	7 (ख)	7 (ग)
मा-4-886/ दम-83-54 (i)/ 81 दि० 2-7-84	1-8-83	95	95.00	475.00	75	75.00	375.00	55	55.00	275.00	1775.00	—	—	—
	1-10-83	97.5	97.50	487.50	77.5	77.50	387.50	57.5	57.50	287.50	1787.50	—	—	—
	1-11-83	100	100.00	500.00	80	80.00	400.00	60	60.00	300.00	1800.00	—	—	—
मा -4-1371/ दम -84-54 (i) 81 दि० 18 -10 -84	1-1-84	102.5	102.50	512.50	82.5	82.50	412.50	62.5	62.50	312.50	1812.50	—	—	—
	1-2-84	105	105.00	525.00	85	85.00	425.00	65	65.00	325.00	1825.00	—	—	—
	1-4-84	107.5	107.50	537.50	87.5	87.50	437.50	67.5	67.50	337.50	1837.50	—	—	—
	1-6-84	110	110.00	550.00	90	90.00	450.00	70	70.00	350.00	1850.00	—	—	—
मा—4-383/ दम—85-54 (i)/ 81 दि० 1-4-85	1-8-84	112.5	112.50	562.50	92.5	92.50	462.50	72.5	72.50	362.50	1862.50	—	—	—
	1-11-84	115.0	115.00	575.00	95	95.00	475.00	75	75.00	375.00	1875.00	—	—	—
मा-4-1364 / दम -85-54 (i) / 81 दि० 31-7-85	1-1-85	117.5	117.50	587.50	97.5	97.50	487.50	77.5	77.50	387.50	1887.50	2.5	2.50	12.50

मा -4- जी आई 60 दम — 85- 300 -85 दि० 9-10-85	1-5-85	120	120.00	600.00	100	100.00	500.00	80	80.00	400.00	1900.00	5	5.00	25.00
मा-4-	1-8-85	122.5	122.50	612.50	102.5	102.50	512.50	82.50	82.50	412.50	1912.50	75	7.50	37.50
जी आई 188/दम -85- 300-85 दि० 18-2-86	1-11-85	125	125.00	625.00	105	105.00	525.00	85	85.00	425.00·	1925.00	10	10.00	50.00
सा - 4-1364- जी आई 18/दम —86- 300/85 दि० 6-5-86	1-1-86	127.5	127.50	637.50	107.5	107.5	537.50	87.5	87.50	437.50		12.5	12.50	62.50

1	2	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	6	7 (क)	7 (ख)	7 (ग)
मा - 4-1084 - दस 86-300/ 85 दि० 21-7-86	1-4-86	130	130.00	650.00	110	110.00	550.00	90	90.00	450.00	1937.00	15	15.00	75.00
सा - 3-1523 / दस –86-309/85 दि० 8-10-86	1-6-86	132.5	132.50	662.50	112.5	112.50	562.50	92.5	92.50	462.50	—	17.5	17.50	87.50

शासन द्वारा राजाज्ञा संख्या सा -4-1121/दस -87-301-87 दिनांक 28-7-87 द्वारा दिनांक 1-1-86 के उपरान्त 608 मूल्य सूचकांक के आगे होने वाली मूल्य बृद्धि के लिए मँहगाई राहत समस्त सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए जो उ०प्र० लिबर लाइज्ड पेंशन रूल्स 1961,उ०प्र० रिटरयरमेंट वेनिफिट्स रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 तथा शासनादेश संख्या सा०-3-969/दस -923 , 85 दिनांक 8-8-86 के अर्न्तगत स्वीकृत पारिवारिक पेंशन स्कीम के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं तथा अशक्तता पेंशन एवं असाधारण पेंशन नियमावली के अर्न्तगत पेंशन पाते हैं. को निम्न दिनांकों से उनके सम्मुख अंकित दरों पर मँहगाई राहत स्वीकार किया:–

अवधि	पेंशन / पारिवारिक पेशन प्रतिमाह	मँहगाई राहत की मासिक दर
1	2	3
1-7-86 से31-12-86	(1) रू०1750 से अनाधिक	4 प्रतिशत
	(2) रू०1750 से अधिक किन्तु रू० 3000से अनधिक	3 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 70 रू०
	(3) रू०3000 से अधिक	2 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 90 रू०
1-1-87 से तथा उसके बाद	(1) रू०1750 से अनधिक	8 प्रतिशत
	(2) रू०1750 से अधिक किन्तु रू० 3000से अनधिक	6 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 140.00 रू०
	(3) रू०3000 से अधिक	5 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 180.00

नोटः– (1) दिनांक 1-1-86 से पूर्व सेवा निवृत्त व्यक्तियों के मामलों में पेंशन / पारिवारिक पेंशन का अभिप्राय पेंशन की उस समेकित (consolidated) धनराशि से होगा जो शासनादेश स० सा-4-1120/दस -87-301-87 दिनांक 28-7-87 के प्राविधानों के अर्न्तगत दिनांक 1-1-86 से निर्धारित की गयी है । (राजाज्ञा सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है)

(2) ऐसे सरकारी सेवकों के मामलों में जो 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हों या होंगे या जिनके मामलों में पारिवारिक पेंशन शासनादेश संख्या सा -3-969/ दस -923/85 दिनांक 8-8-86 के अर्न्तगत मामलों को छोड़कर 1-1-86 अथवा उसके बाद पहली बार स्वीकृति की गई है पेंशन / पारिवारिक पेंशन का अभिप्राय पेंशन / पारिवारिक पेंशन की उस मूल धनराशि से होगा जो राजाज्ञा सा०-3-1168/दस -935/87, दिनांक 22-6-87के अर्न्तगत निर्धारित की गई है ।

(3) ऐसे पेंशनरों के मामलों में जिन्हें शासनादेश सा-3-969 दिनांक 8-8-86 के अर्न्तगत पेंशन स्वीकृत है पारिवारिक पेंशन की धनराशि वह होगी जो राजाज्ञा स०सा०-4-1120/दिनांक 28-7-87 में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार समेकित (कन्सालिडेटेड) की गयी है ।

(4) मँहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के गुणांक में आगणित होगी उसे अगले रूपये में राउन्ड कर दिया जायगा ।

(5) शासनादेश दिनांक 21-7-87, 8-10-86 तथा 18-12-86को इस शासनादेश से निरस्त कर दिया गया तथा उससे उन शासनादेश के अर्न्तगत भुगतान की गई मँहगाई राहत की धनराशि को इस शासनादेश के अर्न्तगत भुगतान की जाने वाली धनराशि से समायोजित कर लिया जायगा ।

3- सम्बन्धित राज्ञाएं

संख्या सा -3-749/दस -917-82 रा -32

प्रेषक,

श्री जे०एल० बजाज,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश

लखनऊ, दिनांक 18 मई, 1963 ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग -3

विषय— सैनिक पेंशनरों का सिविल पद पर पुनर्योजन किये जाने पर वेतन निर्धारण की सामान्य नीति—सिविल रेग्युलेशन्स का अनुच्छेद 526 ।

महोदय,

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 526 सपठित शासनादेश संख्या सा -3-17/दस -3-78, दिनांक 21 जनवरी, 1980 के अधीन यह प्राविधान है कि यदि कोई सैनिक कर्मचारी 55वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेना से निवृत्त होता है और उसे सिविल पद पर पुनर्योजित किया जाता है तो उसका वेतन निर्धारित किये जाने में उसकी सैनिक पेंशन के प्रथम रू० 125 तक की धनराशि उपेक्षित कर दी जाती है । वेतन निर्धारण में उपेक्षित की जाने वाली पेंशन की उपर्युक्त सीमा में बृद्धि किये जाने का प्रश्न कुछ समय से शासन के विचाराधीन रहा है जिस पर भली—भांति विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश देने की कृपा की है कि सिविल पदों पर पुनर्योजित सैनिक पेंशनरों का वेतन निर्धारण करते समय सैनिक पेंशन की धनराशि निम्न प्रकार से उपेक्षित की जायेगी ।

(1) सैनिक अधिकारियों को सिविल पद पर पुनर्योजित किये जाने पर उनकी सैनिक पेंशन के प्रथम रू० 250

(2) कमीशन्ड अधिकारियों से नीचे की श्रेणी के सैनिक पेंशनरों की पूरी पेंशन

2- इन आदेशों के प्रयोजन हेतु पेंशन से तात्पर्य उनकी सकल पेंशन से है, जिसमें ग्रेच्युटी तथा अन्य पेंशनरी लाभों की पेंशन समतूल्य धनराशि सम्मिलित रहेगी ।

3- यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 1983 से प्रभावी समझे जायेंगे । जो व्यक्ति उस तिथि अर्थात दिनांक 1 अप्रैल, 1983 को सिविल पदों पर पुनर्योजित थे उनका वेतन इन आदेशों के आधार पर उक्त तिथि से पुन: निर्धारण किया जायगा यदि वे इस संशोधन को वरण करने का विकल्प दें । इस प्रकार विकल्प को लेने पर उनका वेतन नये रूप में इस प्रकार निधारित किया जायगा जैसे कि वे प्रथम बार उक्त तिथि अर्थात दिनांक 1 अप्रैल, 1983 को पुनर्योजित हुये हों । विकल्प इस आदेश के जारी होने की तिथि के 6 माह के भीतर लिखित रूप से करना होगा तथा एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

4— सैनिक पेंशनरों के पुनर्योजन संबंधी शेष व्यवस्थायें पूर्ववत् रहेंगी ।

5— कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें

भवदीय,

जे० एल० बजाज

वित्त सचिव

संख्या सा -3-184/दस -7040-78

प्रेषक, रा -33

श्री जे०एल० बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 18 मई, 1983 ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग -3

विषय—पेंशन राशिकरण की प्रक्रिया का उदारीकरण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा -3-1445/दस-7040-78, दिनांक 3 जून 1980 सपठित शासनादेश संख्या सा -3-710/दस-7040-78, दिनांक 8 मई, 1981 व शासनादेश संख्या सा -3-1647/दस -7000-82; दिनांक 6 अक्टूबर, 1982 में की गई व्यवस्थानुसार राजकीय सिविल पेंशनरों द्वारा राशिकरण आवेदन —पत्र सेवानिवृत्ति अथवा पी०पी० ओ० की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर देने पर पेंशन के एक भाग के राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य होती है तथा स्वीकृति कर्ता अधिकारी द्वारा राशिमूल्य देयता का आगणन अपने स्तर पर करके स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है । ऐसे मामलों में पेंशनर आवेदित राशिकृत पेंशन की धनराशि के राशिमूल्य के पाने का हकदार कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष के यहां आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से हो जाता है और राशिकरण की स्वीकृत भी उसी तिथि से प्रदान की जाती है अर्थात राशिकरण उसी तिथि से 'एब्सोल्यूट' होता है ।

2- उपर्युक्त शासनादेशों के तहत न आने वाले मामलों में राशिकरण के प्रयोजन हेतु पेंशनर की स्वास्थ्य परीक्षा करायी जानी अनिवार्य होती है । ऐसे मामलों में राशिकृत पेंशन पर देय राशिमूल्य की सूचना महालेखाकार से प्राप्त की जाती है व तत्पश्चात स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा राशिकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं स्वीकृति के आदेश में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के नियम 10 के अनुसार सामान्यत: आदेश के दिनांक से एक पक्ष बाद की स्वीकृति की तिथि (Absolute होने की तिथि) अंकित की जाती है ।

3- उपर्युक्त दोनों प्रकार के मामलों में स्वीकृति के आदेश प्राप्त होने पर महालेखाकार द्वारा संबंधित कोषाधिकारी की राशिमूल्य के भुगतानादेश निर्गत किये जाते हैं । उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन की (कम्युटेशन) के रूल्स के नियम 11 (2) की व्यवस्था के अनुसार राशिकरण की धनराशि का भुगतान पेंशनर को स्वीकृति की तिथि के बाद चाहे जब हो राशिकृत पेंशन की धनराशि स्वीकृति की तिथि तक भुगतान की गई राशिकृत पेंशन की समस्त धनराशि राशिकरण की धनराशि में से काट ली जाती है ।

4- वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पेंशनर द्वारा पेंशन राशिकरण हेतु आवेदन—पत्र देने पर कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के पास उसकी स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अग्रसारित किया जाता है तत्पश्चात राशिकरण स्वीकृति करने के अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है । शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि स्वीकृति प्रदान किये जाने की इस प्रक्रिया में भी कभी—कभी विलम्ब हो जाता है तथा पेंशनर को कठिनाई हो सकती है । अत: इस प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया को समाप्त कर दिये जाने का औचित्य पाया गया है ।

5- उपर्युक्त प्रस्तर —1 में उल्लिखित बिना स्वास्थ्य परीक्षा के राशिकरण अनुमन्य होने वाले मामलों में यदि पेंशनर की मृत्यु आवेदन कार्यालयाध्यक्ष की प्रस्तुत करने के बाद राशिकरण के धनराशि के भुगतान प्राप्त करने के पूर्व हो जाती है तो उसको स्वीकृत राशिकरण की धनराशि का भुगतान उसके वारिसों को कर दिया जाना नियमानुसार अनुमन्य है, परन्तु जिन मामलों में पूर्व प्रस्तर —2 वर्णित परिस्थिति के अनुसार राशिकरण के प्रयोजन हेतु पेंशनर की स्वास्थ्य परीक्षा करनी पड़ती है उन मामलों में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन्स (कम्युटेशन) रूल्स के नियम 13 में व्यवस्थानुसार पेंशनर की मृत्यु

स्वीकृति की तिथि (Absolute होने की) तिथि को या उसके बाद किन्तु राशिकरण की धनराशि का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व होने की दशा में ही उक्त धनराशि का भुगतान उसके वारिसों को अनुमन्य है अन्यथा नही ।

6- पेंशन राशिकरण विषयक उपर्युक्त प्राविधानों को और उदार बनाने तथा तत्विषयक प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधित व्यवस्थायें कर दी जायें:-

(1) राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन से पेंशन के राशिकृत भाग के बराबर कमी, पेंशनर को राशिकरण की धनराशि के भुगतान की तिथि, अथवा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उसके लिये निर्गत भुगतानादेश की तिथि के तीन महीने बाद, जो भी पहले हो, से की जायेगी ।

(2) जिन मामलों में पेंशन के एक भाग के राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा करायी जानी आवश्यक हो, उन मामलों में यदि पेशनर स्वास्थ्य परीक्षा में योग्य पाया जाय तो मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्सा परिषद जो भी लागू हो, द्वारा नियमों के अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा रिर्पोट पर हस्ताक्षर करने की तिथि से राशिकरण का पात्र माना जाय व उस तिथि के बाद यदि राशिकरण की धनराशि का भुगतान प्राप्त किये बिना पेंशनर की मृत्यु हो जाये तो अनुमन्य राशिकरण की धनराशि का भुगतान उसके वारिसों को कर दिया जायगा । ऐसे मामलों में देय राशिमूल्य की गणना उक्त तिथि के आधार पर की जायेगी ।

(3) अब पेंशन राशिकरण की औपचारिक स्वीकृति जारी किया जाना आवश्यक नही होगा । अब जो राज्य कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद ही राशिकरण कराना चाहेंगें वे उसके लिये आवेदन-पत्र सेवानिवृत्ति से पूर्व यथा समय कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे । कार्यालयाध्यक्ष आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर यह देख लेगे कि अंकित प्रयोजन हेतु राशिकरण अनुमन्य है और अपने स्तर से राशिकरण के भाग का राशिमूल्य आंकलन कर आवेदन-पत्र पर अंकित करेंगे और अन्य पेंशन कागजातों के साथ महालेखाकार को भेज देंगे । महालेखाकार सभी तथ्यों, जिनमें राशिकृत भाग की अनुमन्यता और राशिमूल्य की गणना भी शामिल है, को अपने कार्यालय में जांच करके राशिमूल्य का भुगतानादेश भी पेंशन / ग्रेच्युटी के भुगतानादेश के साथ जारी करेंगे । ऐसा उन्ही मामलों में किया जायगा जिनमें पेंशन अंतिम रूप से दी जा रही हो । किन्तु जहां कर्मचारी / सेवानिवृत्ति कर्मचारी पी०पी०ओ० जारी होने के उपरान्त ही अपनी पेंशन का राशिकरण कराना चाहें, उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध होगी परन्तु उनके मामलों मे भी राशिकरण का आवेदन-पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही महालेखाकार को भेजा जायगा । ऐसे जिन मामलों में नियमानुसार स्वास्थ्य परीक्षा करायी जानी आवश्यक हो, उन आवेदन पत्रों-को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथा उपयुक्त विभागाध्यक्ष / विभागीय सचिव को अग्रसारित किया जायेगा जो निर्धारित प्रक्रियानुसार पेंशनर की स्वास्थ्य परीक्षा कराकर चिकित्सा रिपोर्ट के साथ आवेदन-पत्र महालेखाकार को भेजेंगे और महालेखाकार द्वारा जाच करके राशिमूल्य की अनुमन्य धनराशि का भुगतानादेश जारी किया जायगा ।

7- ये आदेश दिनांक 1 जून, 1983 से लागू माने जायेगे और उसी तिथि से संबंधित नियम संशोधित माने जायेंगे । उक्त तिथि से पूर्व के मामलों में कार्यवाही विद्यमान आदेशों और नियमों के अनुसार की जायेगी ।

8- कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाये ।

भवदीय,
जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग -3
संख्या सा–3-1587/ दस–87-958/80
लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 1987
कार्यालय ज्ञाप

विषय:– पेंशन के राशिकरण भाग का सेवा निवृत्ति के 15वर्ष उपरान्त पुनर्स्थापन (रेस्टोरेशन) ।

उत्तर प्रदेश लिबरलाईज्ड पेंशन नियमावली 1961 की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सेवा निवृत्त सरकारी सेवक, उसे स्वीकृति की गयी पेंशन के लिए एक तिहाई भाग से अनधिक धनराशि का राशिकरण करवा सकता है । इस व्यवस्था के अर्न्तगत सम्बन्धित पेंशनर को पेंशन के राशिकृत भाग के बदले एक मुश्त धनराशि प्राप्त हो जाती है और राशिकरण कराने के दिनांक से उसकी पेंशन की धनराशि में से राशिकृत भाग के बराबर कमी करके शेष धनराशि पेंशन के रूप में आजीवन भुगतान की जाती है ।

2- पेंशन के इस राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन का मामला पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये हैं कि ऐसे पेंशनर जिन्होंने अपनी पेंशन के एक भाग का राशिकरण करवाया था, उनकी पेंशन के राशिकृत भाग को सेवा निवृत्ति के दिनांक से 15 वर्ष बाद दिनांक 1-7-87 से अथवा यदि 15 वर्ष की अवधि 1-7-87 के बाद पूरी हो तो उस दिनांक से पुनर्स्थापित कर दिया जाये ।

3- ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम / स्वशासी संस्था से संविलीन हो गये हैं, और जो अपनी रिटायरिंग पेंशन के एक तिहाई भाग का राशिकरण करवा चुके हों, उन्हें इन आदेशों के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा, क्योंकि संविलियन के उपरान्त वे राज्य के सरकारी सेवक नहीं रहते हैं ।

4- इस आदेश के अन्तर्गत अनुमन्य प्रसुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित पेंशनर को संलग्न प्रारूप में उस कोषाधिकारी अथवा बैंक को, जहां से वह अपनी पेंशन आहरित कर रहा है, एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि पेंशन प्राधिकार पत्र पर पेंशन के राशिकृत भाग का उल्लेख नहीं है तो उस दशा में प्रार्थना –पत्र की एक प्रतिलिपि महालेखाकार को भी भेजी जायेगी और उस दशा में प्रार्थना– पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा । यदि उसके पेंशन प्राधिकार पत्र (पी०पी०ओ०) पर राशिकृत धनराशि का उल्लेख है तो सम्बन्धित कोषाधिकारी अथवा बैंक इन आदेशो के अन्तर्गत प्रश्नगत राशिकृत भाग को पुनर्स्थापित (रेस्टोर) कर देंगे और तदनुसार पेंशन प्राधिकार पत्र पर उसका उल्लेख कर देंगे किन्तु यदि उस पर राशिकृत भाग का उल्लेख नहीं है तो कोषाधिकारियों / बैंकों को उनके सम्बन्धित में वाँछित जानकारी महालेखाकार उत्तर प्रदेश से प्राप्त करनी होगी । इस हेतु महालेखाकार को भेजने के लिए पत्र का प्रारूप भी संलग्न है । महालेखाकार से वांछित जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित कोषाधिकारी / बैंक द्वारा उसका उल्लेख पेंशन प्राधिकार पत्र पर कर दिया जायेगा और उसका पुनर्स्थापन कर दिया जायेगा ।

विजय कृष्ण सक्सेना
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या सा– 3-11-96 / दस– 7040-78

रा– 35

प्रेषक

श्री राजकुमार दर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ, दिनांक 19 अगस्त, 1981

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

विषय:– सेवा निवृत्त होने पर पेंशन का राशिकरण – स्वास्थ्य परीक्षा ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3-1445/दस– 7040-78, दिनांक 3 जून, 1980 में इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं कि यदि कोई सेवानिवृत्ति राज्य कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पेंशन के एक भाग के राशिकरण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करें तो उसे उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के नियम 4 सपठित उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 के नियम 9 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट वेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 8 में निर्धारित सीमाओं के अधीन रहते हुए पेंशन के राशिकृत मूल्य की अदायगी के प्रयोजन के लिए डाक्टरी जांच करवानी आवश्यक नहीं होगी । उसके प्रस्तर 5 के अनुसार उक्त आदेश शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी हुए और इसी प्रस्तर में यह आदेश भी निहित है कि यह आदेश उन अनिस्तारित मामलों पर भी लागू होंगे जहां पेंशनर ने सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष के भीतर ही राशिकरण का आवेदन पत्र दिया हो ।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 3 जून, 1980 के उक्त प्रस्तर 5 में उल्लिखित अनिस्तारित मामलों में संबंधित शासन को प्रेषित कतिपय प्रत्यावेदनों में यहां तक प्रस्तुत किया गया है कि स्वास्थ्य परीक्षा से छूट उन सभी मामलों में अनुमन्य होना चाहिए जिनमें सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के भीतर राशिकरण का आवेदन पत्र दे दिया गया था चाहे सेवानिवृत्ति शासनादेश की तिथि से कितनी ही अवधि पहले हुई हो । अतः यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उक्त प्राविधान उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल उन मामलों के विषय में किया गया था जिनमें कर्मचारी उक्त शासनादेश जारी होने की तिथि से पूर्व एक वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्ति हुए हों और उसका आशय यह नहीं था कि उक्त सुविधा इससे पुराने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को अनुमन्य होगी । शासनादेश दिनांक 3 जून, 1980 के जारी होने के दिनांक को ऐसे अनिस्तारित मामलों में ही निर्धारित शर्तों के अधीन स्वास्थ्य परीक्षा में छूट की सुविधा अनुमन्य होगी जिसमें पेंशनर 3 जून 1980 से पिछले एक वर्ष के भीतर अर्थात 4 जून, 1979 से 3 जून,1980 के बीच सेवानिवृत्त हुआ हो । तदनुसार ऐसे मामलों में कार्यवाही की जाय ।

भवदीय
राजकुमार दर
सचिव ।

संख्या सा -3-1647/ दस -7000-82

प्रेषक,

सा-36

श्री जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 1982

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषय:– बिना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन राशिकरण के मामलों मे राशिमूल्य की गणना स्वीकृताधिकारी द्वारा ही करके स्वीकृति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा -3-1445/ दस -7040-78; दिनांक 3-6-1980 सपठित शासनादेश संख्या सा -3-710/ दस-7040-78, दिनांक 8-5-1981 में निहित आदेशों के अनुसार उनमें उल्लिखित शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति अथवा पी०पी०ओ० जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर राज्य पेंशनर द्वारा अपनी पेंशन के भाग के राशिकरण हेतु आवेदन करने पर उसे राशिकरण प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा में छूट अनुमन्य की गई है । उ०प्र० सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के नियम 8 सपठित नियम 25 के अनुसार अपेक्षित है कि आवेदित अथवा अनुमन्य राशिकृत पेंशन के भाग की देय राशिमूल्य की सूचना महालेखाकार से मांग कर ही अन्तिम स्वीकृति जारी की जाय । इस प्रक्रिया के अनुसरण में पर्याप्त समय लग जाता है और पेंशनर को स्वीकृति मिलने में बिलम्ब होने से कठिनाई होती है ।

2-उपर्युक्त कठिनाई के निराकरण के लिए महालेखाकार के परामर्श से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आदेश दिये हैं कि तात्कालिक प्रभाव के इस सम्बन्ध में निम्न संशोधित व्यवस्था लागू कर दी जाय:–

(1) जिन मामलों में पेंशन के एक भाग के राशिकरण हेतु स्वास्थ्य परीक्षा में छूट अनुमन्य हो उन मामलों में स्वीकृताधिकारी अपने स्तर पर ही शासन द्वारा निर्धारित राशि मूल्य की दरों के आधार पर राशि मूल्य की गणना करके अनुमन्य धनराशि के राशिकरण की स्वीकृति के आदेश महालेखाकार उत्तर प्रदेश को भेज दें ।

(2) ऐसे मामलों के स्वीकृति के आदेश महालेखाकार के कार्यालय में प्राप्त होने पर उनके द्वारा कोषाधिकारी को धनराशि के भुगतानादेश जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वकृिताधिकारी द्वारा की गई राशिमूल्य की गणना ठीक है तथा राशिकृत भाग की धनराशि पेंशनर के पेंशन के तिहाई भाग, जो कि नियमानुसार अनुमन्य है, से अधिक नही है ।

अत: उक्त श्रेणी के पेंशन राशिकरण के मामलों में स्वीकृति उक्त संशोधित प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाय । अन्य मामलों में जिनमें स्वास्थ्य परीक्षा कराया जाना अपेक्षित हो, पूर्व की भांति राशिमून्य की सूचना महालेखाकार से प्राप्त करके स्वीकृति जारी की जायेगी । राशिकरण हेतु राशि की निर्धारित दरों की तालिका को प्रति सूचनार्थ एवं उपयोगार्थ संलग्न है । सुविधा एवं मार्गदर्शन हेतु अनुलग्नक में राशिमूल्य की संगणना के कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं ।

3-उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स को इन आदेशों द्वारा उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायगा । औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से किया जायगा ।

भवदीय

जे० एल० बजाज,

वित्त सचिव ।

ANNEXURE

Commutation Table effective from Ist March. 1971 Prescribed by Government of India vide Misistry of finance O. M. no. 2(1)-E. V-71, dated March 6, 1971 and circulated by Government of U.P. Endorsement No. G-2-667/X-5-57, dated March 29,1971.

Commutation Values for a pension of Rs.1 per annum

Age Next birthday	Commutation value expressed as number of years, purchase	Age Next birthday	Commutation value expressed as number of years, purchase
	Rs.P.		Rs.P.
17	19.28	51	12.95
18	19.20	52	12.66
19	19.01	53	12.35
20	19.11	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.18
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	09.81
28	18.07	62	9.48
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82
31	17.62	65	8.50
32	17.46	66	8.17
33	17.25	67	7.85
34	17.11	68	7.53
35	16.92	69	7.22
36	16.72	70	6.91
37	16.52	71	6.60
38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6.01
40	15.97	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4.90
44	14.90	78	4.65
45	14.64	79	4.40
46	14.37	80	4.17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

अनुलग्नक
बिना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन राशिकरण हेतु राशिमूल्य की संगणना

पेंशन की धनराशि	अधिकतम अनुमन्य राशिकरण (1/3) रु०	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति	पी०पी०ओ० की तिथि	राशिकरण हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने का दिनांक	अगली जन्म तिथि पर आयु व उस पर निर्धारित राशि मूल्य की दर (प्रति रु०)	कुल देय राशि मूल्य
1-300 रु०	100 रु०	15-7-24	31-7-82	31-12-82	15-1-83	59 वर्ष 125 रु० 52 पै० (रु० 10.46 × 12) (= रु० 125.52)	रु० 125.52 × 100 = 12,552.00
2-300 रु०	100 रु०	15-7-24	31-7-82	31-12-82	20-7-83	60 वर्ष 121 रु० 56 पै० (रु० 10.13 × 12 = रु० 121.56)	रु० 121.56 × 100 = 12.156.00
3-300 रु०	100 रु०	15-7-24	31-7-82	10-8-84	1-10-84	61 वर्ष 117 रु० 72 पै० (रु० 9.81 × 12 = रु० 117.72)	रु० 117.72 × 100 = 11,772.00

संख्या सा -3-585/ दस -935-78

रा-38

प्रेषक,

जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 16 मई, 1983 ।

विषय:– दो पेंशन— सर्विस पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन — प्राप्तकर्ताओं को राहत का भुगतान ।

महोदय,

शासन में यह प्रश्न विचाराधीन रहा है कि यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक दो पेंशनें प्राप्त कर रहा है, अर्थात एक अपनी सेवा के आधार पर सेवा पेंशन तथा दूसरी अपने पति / पत्नी, जो सरकारी सेवक रहा / रही हो, की मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप पारिवारिक पेंशन, तो ऐसे मामलों में राहत किस प्रकार देय होगी, अर्थात दोनों पेंशनों की धनराशियों के योग पर राहत आगणित की जायेगी । मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर भली–भांति विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त प्रकार के मामलों में राहत की गणना दोनों पेंशनों, अर्थात सेवा पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की धनराशि के योग पर की जायेगी । राहत को गणना हेतु यह देखा जायगा कि श्रेणी के हिसाब से सेवा पेंशन पर अनुमन्य राहत की दर तथा पारिवारिक पेंशन पर अनुमन्य राहत की दर में से जो अधिक हो, उस दर से पेंशनों के योग पर राहत देय होगी जिससे पेंशनर को हानि न हो ।

2-उपर्युक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी समझे जायेंगे । कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें ।

भवदीय,
जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव ।

अध्याय 6

1. सेवारत मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे उत्कृष्ट सरकारी कर्मचारियों, जिनकी सेवाकाल में असामयिक मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से एक अनुकम्पा कोष की स्थापना की है।

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि के विनियमन हेतु बनाई गई नियमावली को शासन ने अपने पत्रांक : बी–3/3249/ दस–20 (10)/77, दिनांक 3-10-78 द्वारा प्रसारित किया। इस नियमावली में समय-समय पर हुए संशोधनों को सम्मिलित करने के उपरान्त स्थिति निम्नवत् है :—

1—उत्तर प्रदेश के राजस्व से वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के उन परिवारों की सहायता करना है, जो ऐसे व्यक्ति की, जिस पर वे पालन-पोषण के लिये निर्भर थे, असामयिक मृत्यु के कारण निर्धनावस्था में पड़ गये हैं। निधि की वार्षिक अनुदान की अधिकतम राशि पाँच लाख रुपये होगी। (राजाज्ञा बी–3-3531/दस–86–4 (2)–85–अनु० निधि, दिनांक 11-7-86 के अनुसार) इस सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यकतानुसार प्रावधान उपर्युक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा।

टिप्पणी :—शब्द "परिवार" में मृत सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित संबंधियों में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेंगे जो मृत्यु के समय उस पर पूर्णतया आश्रित थे—पत्नी/पति, वैध सन्तान, सौतेली सन्तान, पिता और माता। (राजाज्ञा संख्या : बी–3–151/दस–80–15 (1)/78–अ० को०, दिनांक 24–1–1980)।

2—सरकार ने इस निधि के प्रशासन में सरकार को परामर्श देने के लिये उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि समिति नामक एक समिति नियुक्त की है। इस समिति में वित्त सचिव अथवा उनके द्वारा नामित वित्त विभाग के कोई संयुक्त सचिव अध्यक्ष होंगे और तीन सदस्य और होंगे, जिनमें एक सरकार के गृह विभाग के सचिव या संयुक्त सचिव और शेष दो सरकार के स्वायत्त शासन तथा राजस्व विभागों के उप सचिव होंगे। शासन के वित्त विभाग का कोई अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा, जो कम-से-कम अनुसचिव के स्तर का हो। (राजाज्ञा संख्या : बी–3–2556/दस–81–15 (1)–78–अ० को०, दिनांक 11–5–81)।

समिति की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर बराबर हुआ करेंगी। मृत सरकारी कर्मचारी के परिवारों से आनुतोषिकों के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों पर पहले-पहल सरकार के उस प्रशासनिक विभाग द्वारा, जिसके अधीन मृतक व्यक्ति ने कार्य किया हो, वित्त विभाग के परामर्श से विचार किया जायेगा, जो कि प्रस्तावित सहायता के सम्बन्ध में सलाह देगा। जिन मामलों में निधि से सहायता देने की सिफारिश की गई हो उन्हें प्रशासनिक विभाग सभी सम्बन्धित कागज-पत्रों तथा एक टिप्पणी के साथ, जिसमें प्रत्येक मामले से सम्बन्धित तथ्यों का सारांश दिया गया हो, वित्त विभाग को भेजेंगे। प्रशासनिक विभागों को टिप्पणी में यह सूचना देनी चाहिए कि यदि उनके यहाँ कोई विभागीय निधि है, तो क्या ऐसी निधि से परिवार को कोई सहायता स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है। वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के सामने प्रस्तुत करेगा।

टिप्पणी :—सरकार ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर साधारणतः विचार नहीं करेगी, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष बाद उसे प्राप्त हुआ हो।

3—सरकार का वित्त विभाग समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और अपना निर्णय प्रशासनिक विभाग को सूचित करेगा, जो आवश्यक आदेश जारी करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि यथारीति महालेखाकार को वित्त विभाग के माध्यम से भेजेगा।

4—निधि से दिये जाने वाले अनुदान की विनियामक शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) निधि से दिये जाने वाले अनुदान आपवादिक प्रकार के मामलों तक सीमित रहते हैं।

(2) ऐसी मृत्यु से, जो कि कर्तव्य के प्रति विशेष निष्ठावान रहने के कारण हुई हो, अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किये जाने की माँग बलवती हो जाती है।

(3) साधारण मामलों में उन अधिकारियों के आश्रितों को वरीयता दी जानी चाहिए जो अनेक वर्षों तक सेवा कर चुके हैं, किन्तु अपनी पेंशन नहीं प्राप्त कर पाये हैं।

टिप्पणी :—(1) साधारणतया ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर जिनकी सेवानिवृत्त होने के बाद मृत्यु होती हैं, उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से सहायता देने के लिये विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु ऐसे आपवादिक मामलों में अनुदान दिये जा सकते हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी की उसके सेवानिवृत्त होने के छः महीने के भीतर मृत्यु हो जाय और वह अपने परिवार के लिये कोई व्यवस्था न कर सका हो। परन्तु ऐसे अनुदान अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दिये जायेंगे, उदाहरणार्थ—ऐसी परिस्थिति में जिसमें सरकारी कर्मचारी को रोगवश सेवा के अयोग्य करार दे दिया गया हो और वह उसके बाद ही मर गया हो और अपनी बीमारी के कारण अपने परिवार के लिये कोई व्यवस्था न कर सका हो तथा उन्हें निराश्रित छोड़ गया हो।

टिप्पणी :—(2) जब तक अन्यथा कार्यवाही को न्यायोचित ठहराने वाली आपवादिक परिस्थितियां न हों तब तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिशें स्वीकार न करेगी, जिनमें मृत अधिकारी/कर्मचारी ने एक वर्ष से कम सेवा की हो। (राजाज्ञा संख्या–बी–3–3531/दस–86–4(2)–85–अनु० निधि, दिनांक 11–7–86)।

5—अन्य बातों के समान रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिए जो कम वेतन पाते रहे हों।

6—साधारणतया, यदि मृत अधिकारी का वेतन रु० 1,500 मासिक से अधिक हो, तो अनुदान न दिया जाय (राजाज्ञा सं० बी–3–689/दस–83–4(1)/82–अनु०नि०, दिनांक 4–3–83)।

7—इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उन अधिकारियों के परिवारों को बहुत अधिक अनुदान न दिये जायँ जो सरकार के मुख्यालय में काम करते रहे हों।

8—(1) इस निधि से कोई पेंशन न दी जाय, परन्तु बच्चों को शिक्षा के व्यय के भुगतान के लिये निधि से एक सीमिति अवधि तक वार्षिक अनुदान दिये जा सकते हैं।

टिप्पणी :—कन्याओं के विवाह के लिये निधि से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जा सकता।

8—(2) किसी एक व्यक्ति के मामले में देय अधिकतम आनुतोषिक 5,000/- रुपये हैं। ठीक-ठीक धनराशि

सभी मामलों में परिवार की सदस्य संख्या और मामले की जरूरतों के अनुसार निश्चित की जाती है। साधारणतया उन मामलों में जिनमें परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उदार कार्यवाही अपेक्षित है, मृतक के डेढ़ वर्ष के वेतन के बराबर धनराशि उपर्युक्त अधिकतम धनराशि समझी जाती है किन्तु साधारण मामलों में छः महीने अथवा एक वर्ष का वेतन परिवार की सदस्य संख्या को देखते हुए पर्याप्त समझा जाना चाहिए। (राजाज्ञा बी–3–258/दस–15(1)–78, दिनांक 31–1–79)।

टिप्पणी :—यदि इस नियम के खण्ड (1) के अधीन किसी मामले में वार्षिक अनुदान दिया जाता है, तो यह आवश्यक है कि इस प्रकार दी गई कुल धनराशि 5,000 रु० से अधिक न हो।

उपर्युक्त नियमावली के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता हेतु जो भी प्रस्ताव शासन को भेजे जायँ उनमें अन्य सूचनाओं के साथ-साथ यह सूचना भी दी जायेगी कि मृतक के किसी आश्रित को "उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" के अधीन अनुकम्पा के आधार पर राजकीय सेवा में लिया गया है अथवा नहीं ? यदि हाँ, तो उसकी मासिक परिलब्धियां कितनी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता के लिये राजाज्ञा संख्या बी–3–3401/दस–84–4(2)–84 अनु० निधि, दिनांक 25-9-84 द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र के प्रारूप को पूर्ण कराकर शासन के प्रशासनिक विभाग को यथाशीघ्र भेजने का उत्तरदायित्व कार्यालयाध्यक्ष का है। इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान यह रखना चाहिए कि यह आवेदन-पत्र विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति सहित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को एक वर्ष के भीतर प्राप्त हो जायँ अन्यथा उन पर विचार नहीं किया जाता।

अनुकम्पा निधि से सहायता अनुदान प्राप्त करने की नियमावली व आवेदन-पत्र का प्रारूप आगे दिया गया है।

2. सेवाकाल में मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार को तत्काल सहायता की योजना

उ० प्र० सरकार द्वारा राजाज्ञा संख्या : सा 4-1468/दस-541-60, दिनांक 31-8-79 द्वारा मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता देने हेतु तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आदेश प्रदान किया गया है :—

2. (I) **पात्रता**—ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो नैमित्तिक अथवा दैनिक मजदूरी (कैजुअल अथवा डेली वेजेज) के कर्मचारी नहीं हैं, और जो किसी राजपत्रित अथवा अराजपत्रित पद पर स्थायी अथवा अस्थायी रूप से तैनात हैं, चाहे वे ड्यूटी पर हों या सवेतन अथवा वेतनरहित अवकाश पर हों, की मृत्यु यदि सेवाकाल में हो जाती है, तो उनका परिवार इस कार्यालय ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार अग्रिम के रूप में तत्काल सहायता पाने का पात्र होगा।

(II) **सहायता की धनराशि**—सहायता अग्रिम के रूप में दी जायेगी, जो मृत सरकारी कर्मचारी के तीन माह के वेतन (वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन सहित) अथवा रु० 1,000/- (एक हजार रुपये) जो भी कम हो (राजाज्ञा सं० सा-4-1585/- दस-87 दिनांक 3-11-87 द्वारा सहायता राशि 6 माह का वेतन अथवा अधिकतम 3,000 रुपये तक कर दी गई है।) उस धनराशि तक सीमित होगी तथा इसमें प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार स्वीकृत धनराशि परिवार को देय निम्नलिखित खण्ड (V) में बताये गये अनुमानित भुगतान से अधिक नहीं होगी।

(III) **अग्रिम की स्वीकृति**—अग्रिम की स्वीकृति की सूचना विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार को दी जायेगी और उसमें निम्नलिखित व्योरे दिये जायेंगे :—

(1) सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद

(2) सरकारी कर्मचारी की पद-स्थिति (राजपत्रित/अराजपत्रित)

(3) अंतिम प्राप्त परिलब्धियाँ—

(क) वेतन

(ख) विशेष वेतन

(ग) वैयक्तिक वेतन

(घ) महँगाई भत्ता

(ङ) अन्तरिम राहत

(4) स्वीकृत अग्रिम की धनराशि रु०—

(5) जिन लाभग्राही व्यक्ति/व्यक्तियों को अग्रिम का भुगतान किया जाना है उनके नाम, पते, मृत कर्मचारी से सम्बन्ध, अग्रिम के समायोजन की विधियाँ भी स्वीकृति के आदेश में दी जायेंगी।

(IV) **लेखा शीर्षक**—इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत स्वीकृत अग्रिमों को लेखा शीर्षक "निक्षेप और अग्रिम (ख) बिना ब्याज के अग्रिम-850-सिविल अग्रिम (2) अन्य अग्रिमों" के नामे डाला जायेगा।

(V) **अग्रिम का समायोजन**—अग्रिम का समायोजन मृत सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों की बकाया में से किया जायेगा जिसमें अवकाश का वेतन, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक (ग्रेच्युटी)/अंशदायी भविष्य निधि अथवा सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि अथवा मृत सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके परिवार को देय अन्य कोई धनराशि सम्मिलित रहेगी। अग्रिम का समायोजन यथासम्भव शीघ्र किया जाना चाहिए और इस समायोजन में अग्रिम की स्वीकृति की तिथि से 6 महीने से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए।

(VI) **लाभग्राही व्यक्ति**— (क) यदि मृत सरकारी कर्मचारी पर उ० प्र० लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उ० प्र० रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स 1961 की व्यवस्था लागू होती थी अथवा वह अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता था, तो पेशगी भुगतान व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) अथवा अंशदायी भविष्य निधि में जमा धनराशि का भुगतान किया जाता है।

(ख) उपखण्ड (क) में उल्लिखित से भिन्न मामले में अग्रिम का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाना चाहिए जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर देय मृत्यु आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) को पाने का हक़दार हो तथा अग्रिम धनराशि की वसूली की जाने से सहमत हो।

(VII) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे इस प्रयोजन के लिए अग्रदाय (इम्प्रेस्ट) अथवा उसके पास उपलब्ध अन्य साधनों का उपयोग कर सकें जिससे कि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता का भुगतान कर सकें। यदि अग्रदाय (इम्प्रेस्ट) अथवा अन्य साधन की धनराशि भुगतान के लिए पर्याप्त न हो, तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को चाहिए कि वे वि० ह० पु० खण्ड–5 भाग-1 के पैरा 251 की व्यवस्था के अनुसार फार्म 6 बी में कोषागार से धनराशि निकालने की व्यवस्था कर ले। जैसे ही अग्रिम का भुगतान कर दिया जाता है, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जहाँ आवश्यक हो तत्काल महालेखाकार को सूचित करेंगे और इस सम्बन्ध में भी सूचना देंगे कि उक्त अग्रिम का समायोजन मृत सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में देय धनराशियों के प्रति किस प्रकार किया जायेगा। अग्रिम धनराशि के भुगतान का उल्लेख सी० एस० आर० फार्म-25 की मद संख्या 18 तथा सी० एस० आर० के फार्म-25 ए की मद संख्या 3 (एफ) में किया जाना चाहिए। विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अग्रिम धनराशि के भुगतान का उल्लेख संबंधित कर्मचारी के अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में भी

लिखा जाना चाहिए। श्रेणी-1 के राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को अग्रिम धनराशि की स्वीकृति के आदेश की एक प्रति संबंधित कोषाधिकारी को पृष्ठांकित की जानी चाहिए जिससे कोषाधिकारी अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में अग्रिम की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख कर सके।

3. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना है कि इस योजना की मूल भावना मृत कर्मचारी के परिवार को तुरन्त राहत पहुँचाना है। कार्यालयाध्यक्ष को उनके कर्मचारी की मृत्यु की सूचना मिलते ही वे अग्रिम सहायता की धनराशि के भुगतान की व्यवस्था तुरन्त कर दें। शोकग्रस्त परिवार से औपचारिक आवेदन-पत्र के लिए प्रतीक्षा न करें। केवल उपर्युक्त पैरा 2(VI) में वर्णित लाभग्राही व्यक्ति से औपचारिक रूप से यह लिखित करार प्राप्त कर लें कि अग्रिम की धनराशि मृत कर्मचारी को देय वेतन और भत्तों की बकाया में से और/अथवा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) में प्राप्त होने वाली धनराशि, भविष्य निधि की धनराशि अथवा जो अन्य अदायगी परिवार को देय होगी उसमें से वसूल किये जाने में वह सहमत है।

4. **तत्काल सहायता की अदायगी के समय सरकार की बकाया रकमों को हिसाब में लिया जाना चाहिए या नहीं :—**

शासन का विचार यह है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तुरन्त बाद उसके परिवार को सहायता मिल जाय। जिन मामलों में प्रशासनिक अधिकारी मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा देय सरकारी धनराशियों का निर्धारण करने की स्थिति में हों वहाँ ऐसा उसी दिन कर दिया जाय और यदि यह पाया जाय कि शासन को देय धनराशि परिवार को दी जानेवाली सहायता की धनराशि की अपेक्षा अधिक है, तो वे कोई तुरन्त राहत न दें। अन्य मामलों में जहाँ कि सरकार को देय धनराशियों का उसी दिन निर्धारण करना सम्भव न हो वहाँ मृत्यु की सूचना मिलने पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा तुरन्त ही तत्काल राहत दे दी जाय और बाद में यदि परिवार को दी जाने वाली अदायगी की अपेक्षा सरकार की देय धनराशियाँ अधिक पायी जायें, तो शेष धनराशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाय।

5. जिस सरकारी कर्मचारी की मृत्यु वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि में हो जाती है उसके मामले में अग्रिम की धनराशि की स्वीकृति उसके पैतृक विभाग द्वारा की जायेगी।

रा—39

3. अनुकम्पा निधि नियमावली

संख्या–बी–3–3401/दस–84–4(2)/84-अनु० निधि

श्री प्रेम प्रकाश वैरिया,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं
सत्र न्यायाधीश तथा प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग—3 लखनऊ, दिनांक 25 सितम्बर, 1984

विषयः—मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी—3–3249/दस–20 (10)/77 दिनांक 3 अक्टूबर, 1978 के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि के विनियमन हेतु बनाई गई नियमावली की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नियमावली में समय-समय पर जो संशोधन किये जाते रहे हैं, उन्हें सम्मिलित करते हुए नियमावली की संशोधित प्रति एवं अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये निर्धारित आवेदनपत्र के प्रारूप को पुनः मुद्रित करा लिया गया है, जिसकी दो प्रतियां आपको सुगम संदर्भ हेतु भेजी जा रही हैं ।

संलग्नक—उपर्युक्त ।

भवदीय,
प्रेम प्रकाश वैरिया,
उप सचिव ।

25–9–84 तक जारी संशोधनों को सम्मिलित करते हुए ।

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली

1—अनुकम्पा निधि का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के राजस्व से वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के उन परिवारों को सहायता करना है जो ऐसे व्यक्ति की, जिस पर वे पालन-पोषण के लिये निर्भर थे, असामयिक मृत्यु के कारण निर्धनावस्था में पड़ गये हैं । निधि की वार्षिक अनुदान की राशि 2,00,000 रुपये होगी । वर्ष के अनुदान की अवशेष राशि अनुवर्ती वर्ष में इसी प्रकार के व्यय के लिये उपयोग में लायी जा सकती है किन्तु किसी एक वर्ष में निधि से किया जाने वाला व्यय वर्ष के लिए निर्धारित अनुदान की राशि से 10,000 रुपये से अधिक न होगा ।

टिप्पणी :—शब्द "परिवार" में मृत सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धियों में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेंगे, जो मृत्यु के समय उस पर पूर्णतया आश्रित थे—पत्नी/पति, वैध सन्तान, सौतेली सन्तान, पिता और माता ।

2—सरकार ने इस निधि के प्रशासन में सरकार को परामर्श देने के लिये "उत्तर प्रदश अनुकम्पा निधि समिति" नामक एक समिति नियुक्त की है । इस समिति में वित्त सचिव अथवा उनके द्वारा नामित वित्त विभाग के कोई संयुक्त सचिव अध्यक्ष होंगे और तीन सदस्य और होंगे जिनमें एक सरकार के गृह विभाग के सचिव या

संयुक्त सचिव और शेष दो, सरकार के स्वायत्त शासन तथा राजस्व विभागों के उप सचिव होंगे। शासन के वित्त विभाग का कोई अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा जो कम-से-कम अनुसचिव के स्तर का हो।

समिति की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर बराबर हुआ करेंगी। मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों से आनुतोषिकों के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों पर पहले-पहल सरकार के उस प्रशासनिक विभाग द्वारा जिसके अधीन मृत व्यक्ति ने कार्य किया हो, वित्त विभाग के परामर्श से विचार किया जायगा, जो कि प्रस्तावित सहायता के सम्बन्ध में सलाह देगा। जिन मामलों में निधि से सहायता देने की सिफारिश की गयी हो उन्हें प्रशासनिक विभाग सभी सम्बन्धित कागज-पत्रों तथा एक टिप्पणी के साथ, जिसमें प्रत्येक मामले के सम्बन्धित तथ्यों का सारांश दिया गया हो, वित्त विभाग को भेजेगा। प्रशासनिक विभागों की टिप्पणी में यह सूचना देनी चाहिये कि यदि उनके यहाँ कोई विभागीय निधि है, तो क्या ऐसी निधि से परिवार को कोई सहायता स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है। वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के सामने प्रस्तुत करेगा।

टिप्पणी :—सरकार ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर साधारणत: विचार नहीं करेगी जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष बाद उसे प्राप्त हुआ हो।

3—सरकार का वित्त विभाग समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और लिये गये निर्णय के अनुसार आवश्यक आदेश जारी करेगा जिसकी प्रतिलिपि प्रशासकीय विभाग को तथा महालेखाकार को भी यथारीति भेजी जायगी। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत राशियों का प्रत्येक प्रार्थी/प्रार्थिनी के नाम अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट बनवाकर प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करा दिया जायगा जिसे वे सम्बन्धित व्यक्ति को उपलब्ध कराकर उसकी रसीद प्राप्त करके वित्त विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा देंगे।

4—निधि से दिये जाने वाले अनुदान की विनियामक शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) निधि से दिये जाने वाले अनुदान आपवादिक प्रकार के मामलों तक सीमित रहते हैं।

(2) ऐसी मृत्यु से, जो कि कर्तव्य के प्रति विशेष निष्ठावान रहने के कारण हुई हो, अनुदान के प्रश्न पर विचार किये जाने की मांग बलवती हो जाती है।

(3) साधारण मामलों में उन अधिकारियों के आश्रितों को वरीयता दी जानी चाहिये जो अनेक वर्षों तक सेवा कर चुके हैं किन्तु अपनी पेंशन नहीं प्राप्त कर पाये हैं।

टिप्पणी :—(1) साधारणतया ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर जिनकी सेवानिवृत्त होने के बाद मृत्यु होती है, उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से सहायता देने के लिये विचार नहीं किया जायगा, किन्तु ऐसे आपवादिक मामलों में अनुदान दिये जा सकते हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी की उसके सेवानिवृत्त होने के छ: महीने के भीतर मृत्यु हो जाय और वह अपने परिवार के लिये कोई व्यवस्था न कर सका हो। परन्तु ऐसे अनुदान अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दिये जायेंगे, उदाहरणार्थ ऐसी परिस्थिति में जिसमें सरकारी कर्मचारी को रोगवश सेवा के अयोग्य करार दे दिया गया हो और वह इसके बाद ही मर गया हो और अपनी बीमारी के कारण अपने परिवार के लिये कोई व्यवस्था न कर सका हो तथा उसे निराश्रित छोड़ गया हो।

टिप्पणी :—(2) जब तक अन्यथा कार्यवाही को न्यायोचित ठहराने वाली आपवादिक परिस्थितियां न हों तब तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिशें स्वीकार न करेगी जिनमें मृत अधिकारियों ने पांच वर्ष से कम सेवा की हो।

5—अन्य बातों के समान रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिये जो कम वेतन पाते रहे हों।

6—साधारणतया, यदि मृत अधिकारी का वेतन 1,500 रुपये मासिक से अधिक हो, तो अनुदान न दिया जाय।

7—इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उन अधिकारियों के परिवारों को बहुत अधिक अनुदान न दिये जायें जो सरकार के मुख्यालय में काम करते रहे हों।

8—(1) इस निधि से कोई पेंशन न दी जाय, परन्तु बच्चों की शिक्षा के व्यय के भुगतान के लिये निधि से एक सीमित अवधि तक वार्षिक अनुदान दिये जा सकते हैं।

टिप्पणी :—कन्याओं के विवाह के लिये निधि से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जा सकता।

8—(2) किसी एक व्यक्ति के मामले में देय न्यूनतम आनुतोषिक 5,000 रुपये तथा अधिकतम आनुतोषिक 10,000 रुपये है। ठीक-ठीक राशि सभी मामलों में परिवार की सदस्य संख्या और मामलों की जरूरतों के अनुसार निश्चित की जाती है। साधारणतया उन मामलों में जिनमें परिस्थितियां ऐसी हैं कि उदार कार्यवाही अपेक्षित है, मृतक के डेढ़ वर्ष के वेतन के बराबर धनराशि उपर्युक्त अधिकतम धनराशि समझी जाती है। किन्तु साधारण मामलों में न्यूनतम और अधिकतम आनुतोषिक की उपरोक्त सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए छः महीने अथवा एक वर्ष का वेतन परिवार की सदस्य संख्या को देखते हुए पर्याप्त समझा जाना चाहिये।

टिप्पणी :—यदि इस नियम के खण्ड—(1) के अधीन किसी मामले में वार्षिक अनुदान दिया जाता है, तो यह आवश्यक है कि इस प्रकार दी गई कुल धनराशि 5,000 रुपये से कम तथा 10,000 रुपये से अधिक न हो।

4. अपेक्षित प्रपत्र

प्र—32

प्रार्थना-पत्र का फार्म

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि (कम्पैशनेट फण्ड) से मृतक स्व० श्री/श्रीमती/कु०............................के परिवार को, जो मृत्यु को तिथि को..कार्यालय में..
....पद पर कार्यरत थे, अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र।

मृत सरकारी कर्मचारी के विवरण

1—नाम तथा पद..

2—मृत्यु के समय का वेतन..

3—(क) चाल-चलन..

(ख) कार्य की श्रेणी—*असामान्य उत्कृष्ट/उत्कृष्ट/सामान्य सन्तोषजनक/सन्तोषजनक/असन्तोषजनक

4—सेवा की अवधि तथा प्रकार (स्थायी अथवा अस्थायी)..

5—मृत्यु का कारण..

6—मृत्यु की तारीख..

मुख्य स्वत्वाधिकारी (प्रार्थी) के विवरण

7—नाम तथा निवास-स्थान का पूरा पता..

....

....

8—राष्ट्रीयता एवं धर्म..

9—पहचान के चिह्न..

10—मृतक से सम्बन्ध..

11—वर्तमान धन्धा तथा आर्थिक स्थिति..

....

....

....

....

12—मृतक द्वारा छोड़ी गई अथवा प्रस्तावित स्वत्वाधिकारी द्वारा अधिकृत सम्पत्ति के पूर्ण ब्योरे तथा उससे सम्भावित वार्षिक आय..

....

....

13—क्या मृतक सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी (कण्ट्रीब्यूटरी) भविष्य *निधि में रुपया जमा करता था ? यदि हाँ, तो उसकी मृत्यु के समय उसके जमा खाते में कितनी धनराशि शेष थी एवं उसके समक्ष कितनी राशि भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना (डिपाजिट लिंक्ड इन्श्योरेन्स स्कीम) के अन्तर्गत प्राप्य है तथा उनमें से कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है (प्राप्ति तिथि के उल्लेख सहित)....................

....

....

14—मृतक के परिवार को स्वीकृत पारिवारिक पेन्शन की राशि तथा उसकी स्वीकृति की स्थिति..................

....

15—मृतक के परिवार को अनुमन्य मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक एवं उसकी प्राप्ति की स्थिति (प्राप्ति तिथि के उल्लेख सहित)..

....

16—क्या मृतक ने जीवन बीमा कराया था ? यदि हाँ, तो जीवन बीमा निगम की पालिसी संख्या तथा बीमा की धनराशि तथा उसकी प्राप्ति की स्थिति (प्राप्ति तिथि के उल्लेख सहित)..............................

....

17—मृतक के परिवार को ग्रुप इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत प्राप्य धनराशि तथा उसकी प्राप्ति की स्थिति (प्राप्ति तिथि के उल्लेख सहित)..

....

18—यदि मृतक इस स्थिति में था कि अपने परिवार के लिये व्यवस्था कर सके और वैसा नहीं कर सका, तब वैसा न कर सकने के कारण..

....

19—क्या मृतक के परिवार को किसी वैभागिक परोपकारी कोष से कोई सहायता स्वीकृत हो गई है या स्वीकृत होने की आशा है? यदि हाँ, तो ब्योरे दीजिये..

....

अन्य विवरण

20—आर्थिक स्थिति के साथ मृतक के सम्बन्धियों का उल्लेख तथा सहायता करने की उनकी क्षमता एवं इच्छा पर टिप्पणी..

....

....

21—आर्थिक स्थिति के साथ विधवा/* विधुर के सम्बन्धियों का उल्लेख तथा सहायता करने की उनकी क्षमता एवं इच्छा पर टिप्पणी..

....

22—प्रस्तावित अनुदान की राशि..

23—भुगतान का स्थान..

24—मृतक के आश्रितों के नाम तथा आयु (जहाँ सम्भव हो वहाँ जन्म की तारीख और ईस्वी सन् के साथ)**

विधवा/विधुर	पुत्र	अविवाहित तथा विधवा पुत्रियां	पिता	माता
1	2	3	4	5

25—यदि पुत्र एवं पुत्रियां स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनकी कक्षाओं और जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका/उनका नाम**

....

....

....

दिनांक.................19 ई०

प्रार्थी के हस्ताक्षर....................

घोषणा-पत्र

मैं........................पत्नी/पति/माता/पिता/पुत्र/पुत्री स्व० श्री/श्रीमती*........................यह प्रमाणित करती/करता हूँ* कि जो विवरण ऊपर दिये गये हैं मेरी जानकारी में वे सही हैं। यदि प्रार्थना-पत्र में दिये गये तथ्यों में कोई तथ्य गलत पाया जाय, तो उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता स्वीकार होने की दशा में उसकी पूर्ण धनराशि एकमुश्त मुझसे मेरी स्थायी अथवा अस्थायी सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है।

दिनांक.................19 ई०

प्रार्थी के हस्ताक्षर..............

सिफारिश करने वाले पदाधिकारी की संस्तुति..

....

दिनांक....................19 ई०

सिफारिश करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर

और पदनाम...................................

प्रमाणित

विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर.......................

दिनांक....................19 ई०

पदनाम...

....

....

**यदि तालिका में उपलब्ध स्थान वांछित सूचना के लिए अपर्याप्त हो, तो वांछित विवरण अलग से संलग्न कर दिया जाय।

*अनावश्यक शब्द काट दिये जायं।

टिप्पणी—सरकार को प्रार्थना-पत्र समर्पित करने से पूर्व उपर्युक्त सभी विवरण (मद 12 को छोड़कर) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होने चाहिये।

5. सम्बन्धित राजाज्ञाएँ

रा—40

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग—4

संख्या–सा–1468/दस—541–60

लखनऊ, 31 अगस्त, 1979

कार्यालय-ज्ञाप

विषय—सेवाकाल में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को "तत्काल सहायता" की योजना।

उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के 16 फरवरी, 1963 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या क्रमशः जी–2–1534/दस–541-60 तथा जी–2–544/दस–541-60 का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता देने हेतु तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं :—

2. (i) **पात्रता**—ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो नैमित्तिक अथवा दैनिक मजदूरी (केजुअल अथवा डेलीवेजेज) के कर्मचारी नहीं हैं, और जो किसी राजपत्रित अथवा अराजपत्रित पद पर स्थायी अथवा अस्थायी रूप से तैनात हैं तथा चाहे वे ड्यूटी पर हों या सवेतन अथवा वेतनरहित अवकाश पर हों, की मृत्यु यदि सेवाकाल में हो जाती है, तो उनका परिवार इस कार्यालय-ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार अग्रिम के रूप में तत्काल सहायता पाने का हकदार होगा।

(ii) **सहायता की धनराशि**—सहायता अग्रिम के रूप में दी जायेगी, जो मृत सरकारी कर्मचारी के तीन माह के वेतन (वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन सहित) अथवा रु० 1,000 (एक हजार रुपये) में जो भी कम हो, उस धनराशि तक सीमित होगी तथा इसमें प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार स्वीकृत धनराशि परिवार को देय निम्नलिखित खण्ड V में बताये गये अनुमानित भुगतान से अधिक नहीं होगी।

(iii) **अग्रिम की स्वीकृति**—अग्रिम की स्वीकृति की सूचना विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार को दी जायेगी और उसमें निम्नलिखित ब्योरे दिये जायेंगे :—

(1) सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद।

(2) सरकारी कर्मचारी की पदस्थिति (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित)।

(3) अन्तिम प्राप्त परिलब्धियाँ :—

	रु०
(क) वेतन	
(ख) विशेष वेतन	

(ग) वैयक्तिक वेतन ... ...
(घ) महंगाई भत्ता ... ...
(ङ) अन्तरिम राहत ... ...

कुल ...

(4) स्वीकृत अग्रिम की धनराशि... ... . रु०

(5) जिन लाभग्राही व्यक्ति/व्यक्तियों को अग्रिम का भुगतान किया जाना है उनके नाम, पते तथा मृत कर्मचारी से सम्बन्ध। (अग्रिम के समायोजन की विधियाँ भी स्वीकृति के आदेश में दी जायेंगी।)

(iv) **लेखा शीर्षक**—इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत स्वीकृत अग्रिम की लेखा शीर्षक—"ट—निक्षेप और अग्रिम—(ख) बिना व्याज वाले अग्रिम 850—सिविल अग्रिम—(2) अन्य अग्रिम" के नामे डाला जायेगा।

(v) **अग्रिम का समायोजन**—अग्रिम का समायोजन मृत सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों की बकाया में से किया जायेगा जिसमें अवकाश का वेतन, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक (ग्रेच्युटी), अंशदायी भविष्य निधि अथवा सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि अथवा मृत सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके परिवार को देय अन्य कोई धनराशि सम्मिलित रहेगी। अग्रिम का समायोजन यथासम्भव शीघ्र किया जाना चाहिए और इस समायोजन में अग्रिम की स्वीकृति की तिथि से 6 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

(vi) **लाभग्राही व्यक्ति**—

(क) यदि मृत सरकारी कर्मचारी पर उ० प्र० लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961/उ० प्र० रिटायरमेंट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 की व्यवस्था लागू होती थी अथवा वह अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता था, तो पेशगी भुगतान व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) अथवा अंशदायी भविष्य निधि में जमा धनराशि का भुगतान किया जाता है।

(ख) उपखंड (क) में उल्लिखित से भिन्न मामले में अग्रिम का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाना चाहिए जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) को पाने का हकदार हो तथा अग्रिम धनराशि की वसूली की जाने में सहमत हो।

(vii) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे इस प्रयोजन के लिए अग्रदाय (इम्प्रेस्ट) अथवा उनके पास उपलब्ध अन्य साधनों का उपयोग कर सकें जिससे कि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता का भुगतान कर सकें। यदि अग्रदाय (इम्प्रेस्ट) अथवा अन्य साधन की धनराशि भुगतान के लिए पर्याप्त न हो, तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को चाहिए कि वे वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड—5, भाग—1 के पैरा 251 की व्यवस्था के अनुसार फार्म 6-बी में कोषागार से धनराशि निकालने की व्यवस्था कर लें। जैसे ही अग्रिम का भुगतान कर दिया जाता है, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जहाँ आवश्यक हो, तत्काल महालेखाकार को सूचित करेंगे और इस सम्बन्ध में भी सूचना देंगे कि उक्त अग्रिम का समायोजन मृत सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में देय धन-राशियों के प्रति किस प्रकार किया जायेगा। अग्रिम धनराशि के भुगतान का उल्लेख सी० एस० आर० फार्म 25 की

मद सं० 18 तथा सी० एस० आर० के फार्म 25-ए की मद संख्या 3 (एफ) में किया जाना चाहिए। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अग्रिम धनराशि के भुगतान का उल्लेख सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में भी किया जाना चाहिए। श्रेणी 1 के राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को अग्रिम धनराशि की स्वीकृति के आदेश की एक प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को पृष्ठांकित की जानी चाहिए जिससे कोषाधिकारी अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में अग्रिम की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख कर सकें।

3. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना है कि इस योजना की मूल भावना मृत कर्मचारी के परिवार को तुरन्त राहत पहुँचाना है। कार्यालयाध्यक्ष को उनके कर्मचारी की मृत्यु की सूचना मिलते ही वे अग्रिम सहायता की धनराशि के भुगतान की व्यवस्था तुरन्त कर दें। शोकग्रस्त परिवार से औपचारिक आवेदन-पत्र के लिए प्रतीक्षा न करें। केवल उपर्युक्त पैरा—2 (vi) में वर्णित लाभग्राही व्यक्ति से औपचारिक रूप से यह लिखित करार प्राप्त कर लें कि अग्रिम की धनराशि मृत कर्मचारी को देय वेतन और भत्तों की बकाया में से और/अथवा मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) में प्राप्त होने वाली धनराशि, भविष्य निधि की धनराशि अथवा जो अन्य अदायगी परिवार को देय होगी उसमें से वसूल किये जाने में वह सहमत है।

4. तत्काल सहायता की अदायगी के समय सरकार की बकाया रकमों को हिसाब में लिया जाना चाहिए या नहीं :—

शासन का विचार है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तुरन्त बाद उसके परिवार को सहायता मिल जाय। जिन माललों में प्रशासनिक अधिकारी मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा देय धनराशियों का निर्धारण करने की स्थिति में हों, वहाँ ऐसा उसी दिन कर दिया जाय और यदि यह पाया जाय कि शासन की देय धनराशि परिवार को दी जाने वाली सहायता की धनराशि की अपेक्षा अधिक है, तो वे कोई तुरन्त राहत न दें। अन्य मामलों में जहाँ कि सरकार को देय धनराशियों का उसी दिन निर्धारण करना सम्भव न हो, वहाँ मृत्यु की सूचना मिलने पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा तुरन्त ही तत्काल राहत दे दी जाय और बाद में यदि परिवार को दी जाने वाली अदायगी की अपेक्षा सरकार को देय धनराशियाँ अधिक पायी जायं तो शेष धनराशि को बट्टे खाते डाल दिया जाय।

5. जिस सरकारी कर्मचारी की मृत्यु वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि में हो जाती है उसके मामले में अग्रिम धनराशि की स्वीकृति उसके पैतृक विभाग द्वारा की जायेगी।

सुरेन्द्र सिंह पांगती,
विशेष सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

रा—41

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग—4

संख्या–सा–4–1585/दस–87

लखनऊ, दिनांक 3 नवम्बर, 1987

कार्यालय–ज्ञाप

विषय—सेवाकाल में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को तत्काल सहायता की योजना—धनराशि में वृद्धि ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवाकाल में दिवंगत होने वाले सरकारी सेवकों के परिवार की वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–4–1468/दस–541/60, दिनांक 31 अगस्त, 1979 (प्रति संलग्न) के प्रस्तर–2 (ii) में तात्कालिक सहायता की धनराशि वर्ष 1979 में एक हजार रुपये निर्धारित की गयी थी । उसके बाद से मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए राज्यपाल महोदय ने उक्त राजाज्ञा, दिनांक 31 अगस्त, 1979 के प्रस्तर–2 (ii) में निर्धारित एक हजार रुपये की सहायता की धनराशि को मृत सरकारी सेवक के 6 माह के वेतन अथवा अधिकतम तीन हजार रुपये तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है ।

2. यह व्यवस्था इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि से लागू होगी और 31 अगस्त, 1979 की उक्त राजाज्ञा की शेष व्यवस्थायें एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी ।

सोमदत्त त्यागी
विशेष सचिव

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

अध्याय—7

1. अवकाश प्राप्त करने वाले सेवकों को यात्रा-व्यय का भुगतान :

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–III के अनुच्छेद 81 (बी) के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार को अपने गृह-नगर अथवा जहाँ वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहते है, जाने के लिए यात्रा-व्यय अनुमन्य किया गया है। यह सुविधा अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्त, अक्षमता पेन्शन, प्रतिकर पेंशन, जो सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम 441 व 426 के अन्तर्गत स्वीकृत होती है, को अनुमन्य है।

यह यात्रा-व्यय सुविधा सरकारी कर्मचारी व उसके परिवार तथा व्यक्तिगत सामानों को उसके अंतिम कार्य-स्थल से उसके गृह नगर जैसा ऊपर अंकित है तक ले जाने के लिए निम्नवत् देय है :—

(क) रेल और/या स्टीमर की यात्रा :— (i) वास्तविक किराया आरक्षण व्यय सहित (यदि हो) उस श्रेणी का जिसके लिए वह सेवानिवृत्ति के पूर्व अधिकृत था (किन्तु वातानुकूलित श्रेणी मान्य नहीं है) इसके साथ ही प्रासंगिक (इन्सीडेन्टल) व्यय भी उसी दर पर तथा उन्हीं परिस्थितियों में देय होगा जैसा कि वह राजकीय सेवा में रहते हुए स्थानान्तरण पर प्राप्त करता।

(ii) व्यक्तिगत सामानों को ले जाने का परिवहन व्यय जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के अनुच्छेद 42 (2) (i) (iii) के अनुसार हो।

(ख) सड़क की यात्रा के लिए :—

स्वयं के लिए— (1) जब बस से यात्रा की जाय—एक किराया उस श्रेणी का जिसके लिए अधिकृत हो तथा प्रासंगिक व्यय का दुगुना जैसा कि स्थानान्तरण पर प्राप्त होता है।

(2) श्रेणी I या II का सेवक जब अपनी, किराये की या मंगनी की कार या अन्य सवारी से यात्रा करता है और उसका चलन व्यय वह स्वयं वहन करता हैं, तो उसे अपनी या मांगी की सवारी के लिए अनुच्छेद 42(2) (ii) (iv) की दर पर प्राप्त होगी। किन्तु यदि मोटर या अन्य सवारी जो किराये पर चलती है में केवल एक सीट लेकर चलते हैं, तो उस किराये की सवारी/मोटर की एक सीट का वास्तविक किराया, जो भुगतान किया है तथा प्रासंगिक व्यय का दुगुना जो स्थानान्तरण पर अनुमन्य होता, से अधिक नहीं।

(3) श्रेणी—3 का सेवक जो मोटर सायकिल / स्कूटर / मोपेड से यात्रा करता है, जो उसकी स्वयं की हो और उसका चलन व्यय उसने स्वयं वहन किया हो उसका व्यय अनुच्छेद 42 (2) (ii) (iv) के अनुसार देय होगा।

परिवार के लिए :

(1) यदि बस से सफर करते हैं, तो सरकारी कर्मचारी के नाते जिस श्रेणी के लिए अधिकृत हैं उसी श्रेणी का प्रत्येक वयस्क की एक सीट व बच्चे के लिए आधी सीट का किराया जो वास्तव में ट्रान्सपोर्ट कम्पनी / कार-पोरेशन ने उनसे चार्ज किया है। इसके लिए परिवार के सदस्यों की संख्या व सेवानिवृत्त कर्मचारी से उसके संबंध का प्रमाण-पत्र देना होगा।

(2) श्रेणी I व II के सेवकों के परिवार यदि मोटर कार या अन्य सवारी जो उसकी खुद की, किराये की, या मंगनी की हो और उसने उसका चलन व्यय वहन किया हो, तो किराये की/खुद की सवारी की स्थिति में—

(*i*) यदि दोनों स्थान रेल से जुड़े हों, तो उसे नियम 42(2)(i)(iv) के अनुसार चार्ज मिलेगा। किन्तु रेलवे/स्टीमर के अनुमन्य किराये से अधिक नहीं।

(*ii*) यदि दोनों स्थान सड़क से जुड़े हों, तो नियम 42(2) (i)(iv) की दर पर एक माइलेज भत्ता। यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी के अतिरिक्त परिवार सदस्य संख्या दो से अधिक है, तो दो माइलेज उसी दर पर देय होगा जो उस कर्मचारी को देय है।

(*iii*) व्यक्तिगत सामानों के लिये वास्तविक परिवहन व्यय जैसा नियम 42(2)(ii)(iii) के अनुसार देय है।

नोट :—(1) सेवानिवृत्ति के पूर्व सरकारी कर्मचारी यदि मोटर कार या अन्य सवारी का रख-रखाव करता रहा है, तो उसे उसी दर एवं उन्हीं दशाओं पर उसका परिवहन व्यय मान्य होगा जो उसे स्थानान्तरण की दशाओं में प्राप्त होता।

(2) घर से रेलवे स्टेशन के मध्य की दूरी के लिए उसे माइलेज भत्ता नियम 42 (2)(ii) के साथ पठित नियम–14 के अनुसार देय होगा।

(ग) **डिस्टरबेन्स भत्ता :**

सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी उसी दर पर देव होगा जैसा कि स्थानान्तरण के समय उसे देय था।

अन्य प्रतिबन्ध :

(1) यात्रा-व्यय निकटतम दूरी के मार्ग से देय है।

(2) गृहनगर या गाँव का तात्पर्य उस स्थान से होगा जो उसके कार्यालयी अभिलेखों में दर्ज हो या ऐसा अन्य स्थान जैसा उसने स्वयं डिक्लेयर किया हो और जो कारणों सहित पुष्ट हो (जैसे अचल सम्पत्ति का मालिकाना, निकटतम सम्बन्धी (यथा भाई या पेरेन्ट) का स्थायी निवास आदि।

(3) यदि सरकारी सेवक ने हाल में भारतीय नागरिकता स्वीकार की हो या वे जिन्होंने किसी उद्देश्य के लिए शासन से लिखा-पढ़ी में अपना घर घोषित न किया हो (यथा सेवा अभिलेख में, भूमि-भवन अग्रिम आदि में) को अब उसे घोषित करना पड़ेगा एवं ऐसी घोषणा को उसके कन्ट्रोलिंग अधिकारी द्वारा उसके कथन से संबंधित अभिलेखों की जांच के उपरांत स्वीकृत होना चाहिए।

(4) एक बार घोषित गृह-नगर को सामान्यतया अंतिम माना जायेगा। विशेष परिस्थिति में शासन का प्रशासकीय विभाग कर्मचारी के सेवाकाल में उक्त घोषणा को एक बार बदलने की स्वीकृति दे सकता है।

(5) यदि कोई कर्मचारी अपने गृह-नगर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर बसना चाहता है, तो वह वास्तविक यात्रा-व्यय प्राप्त करने का अधिकारी होगा, किन्तु उसका यात्रा-व्यय उसके तैनाती के स्थान से गृह-नगर के लिए देय व्यय से अधिक न होगा।

(6) यह सुविधा वह लीव प्रिपरेटरी टु रिटायरमेन्ट की अवधि में, रिफ्यूज्ड लीव या अवकाश-ग्रहण की तिथि के 6 माह के भीतर प्राप्त कर सकता है।

(7) सेवा से त्याग-पत्र देने, सेवाच्युत किये जाने, सेवाविमुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को यह सुविधा देय नहीं है।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक राज्य सरकार की सेवा में पुनर्नियुक्त होता है जबकि वह लीव प्रिपरेटरी टु रिटायरमेन्ट या सेवानिवृत्ति के 6 माह के भीतर हो, तब उसे इन नियमों के अन्तर्गत पुनर्नियुक्ति की समाप्ति के 6 माह के भीतर यह सुविधा इस शर्त पर देय होगी कि इसके पूर्व उसने इसका उपभोग न किया हो।

(9) यदि परिवार उसके साथ नहीं जाता है किन्तु छः माह के भीतर या एक माह बाद जाता है, तो यह मान लिया जायेगा कि उसके साथ गया है। उक्त अवधि की गणना अवकाश-प्राप्ति या पुनर्नियुक्ति की समाप्ति की तिथि से गिनी जायेगी। परिवार के सदस्यों को यात्रा भत्ता देय नहीं है, यदि उसके साथ परिवार का मुखिया वास्तव में नहीं जाता है।

(10) इन नियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता बिल स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के अनुरूप बनेगा एवं उस पर स्थानान्तरण के अनुरूप आवश्यक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। जो सरकारी सेवक अवकाश-प्राप्ति के पूर्व स्वयं अपने बिलों के लिए कन्ट्रोलिंग अधिकारी थे वे अपने से उच्च अधिकारी द्वारा बिल को प्रति-हस्ताक्षरित करायेंगे और यदि वहाँ ऐसा उच्च प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव उसे प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। उ० प्र० शासन के सचिवों के यात्रा बिल उनके पद पर आने वाले सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(11) प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व अपने को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि दावेदार और उसके परिवार ने वास्तव में अपने गृह-नगर या स्थान जहाँ वह बसना चाहता है वहाँ तक यात्रा की है। इस सम्बन्ध में :

(1) दावेदार से इस आशय का प्रमाण-पत्र लेना चाहिए कि उसने व उसके परिवार के सदस्यों ने वास्तव में यात्रा की है।

(2) परिवहन व्यय एवं सड़क भत्ता की वास्तविक रसीदें/बाउचर देखना।

2. उपार्जित अवकाश का नकदीकरण

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति के दिनांक को उनके अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले धनराशि का नकद भुगतान अवकाश वेतन के समतुल्य करने के आदेश राजाज्ञा संख्या जी—4–1002/दस–200–77 दिनांक 26–4–78 द्वारा दिये। यह आदेश दिनांक 30–9–77 या उसके पश्चात् अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले सेवकों पर लागू हुए।

1—उक्त सुविधा निम्न प्रतिबन्धों के अधीन देय होगी :—

(1) अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 180 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रहेगा।

(2) अवकाश वेतन के समतुल्य इस प्रकार स्वीकृत नकद भुगतान सेवानिवृत्ति पर देय होगा औ उसकी अदायगी एक बार निपटाने के रूप में एकमुश्त की जायगी किन्तु सरकार द्वारा यदि भूतगामी प्रभाव से महँगाई/अतिरिक्त महँगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है एवं सेवानिवृत्त कर्मचा उसे पाने का पात्र था, तो उसे अन्तर का भुगतान स्वीकार्य होगा।

(3) नकद धनराशि का भुगतान अर्जित अवकाश के लिए नियमानुसार अनुमन्य अवकाश वेतन और सेवानिवृत्ति के दिनांक को महँगाई भत्ते की प्रभावी दरों के अनुसार उस अवकाश वेतन पर प्राप्त होने वाले महँगाई भत्ते की धनराशि के योग के बराबर होगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई सरकारी सेवक 30–4–79 को सेवानिवृत्त हुआ हो और उस दिनांक को 120 दिन का अर्जित अवकाश उसके लेखे में अनुपभुक्त अवशेष हो, तो उसे इस अर्जित अवकाश के बदले वह धनराशि नकद भुगतान की जानी चाहिये जो उसे दिनांक 1–5–79 से 28–8–79 तक 120 दिन का अर्जित अवकाश वास्तविक रूप से उपभोग करने की दशा में उपरोक्तानुसार प्राप्त होती। इसके अतिरिक्त कोई नगर प्रतिकर भत्ता/मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(4) अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्ति के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि की स्वीकृति के आदेश स्वयमेव (Suo moto) जारी करने में सक्षम होंगे।

2—यह आदेश उन सरकारी सेवकों पर लागू नहीं होंगे जिन्होंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण की हो अथवा जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो।

3—इन आदेशों के अन्तर्गत लाभ उन सरकारी सेवकों को भी ग्राह्य होगा जिन्होंने दिनांक 30–9–77 को या उसके पश्चात् अधिवर्षता की आयु प्राप्त की थी और उस दिनांक के पश्चात् उनको सेवावृद्धि स्वीकृत की गयी। ऐसे मामलों में सेवावृद्धि की अवधि समाप्त होने पर अन्तिम रूप से सेवानिवृत्त होने पर यह लाभ 180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए उस अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में ग्राह्य होगा जो अधिवर्षता के दिनांक को देय हो तथा सेवावृद्धि की अवधि में अर्जित किया गया हो परन्तु इसमें से सेवावृद्धि की अवधि में उपभोग किये गये अर्जित अवकाश, यदि कोई हो, को घटा दिया जायेगा। परन्तु यह सुविधा ऐसे मामलों में ग्राह्य नहीं होगी जहाँ किसी सरकारी सेवक ने दिनांक 30–9–77 से पूर्व अधिवर्षता की आयु प्राप्त की हो और उसे उस दिनांक के ...ात् सेवावृद्धि स्वीकार की गयी हो।

4—इस आदेश के जारी होने के परिणामस्वरूप अब सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में अर्जित अवकाश ...ो अस्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सरकारी सेवक अपने अवकाश लेखा में जमा अर्जित अवकाश के ...क अंश को सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में भी उपभोग कर सकता है। उस स्थिति में इस कार्यालय-ज्ञाप ... उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए इन आदेशों के अन्तर्गत लाभ उसे उस अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में ...ह्य होगा जो सेवानिवृत्ति के दिनांक को सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में शेष रह गया हो।

(ख) राजाज्ञा संख्या सा–4–1687/दस–83–200–77–टी०सी० दिनांक 25–7–83 द्वारा दिनांक 1–4–83 ... उपर्युक्त सुविधा निम्नलिखित मामलों में भी दिये जाने का आदेश दिया गया :—

(1) जब कोई सरकारी सेवक निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त ...े जाता है, तो वह अपने विरुद्ध कार्यवाही की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को अपने अवकाश लेखों में जमा ...जित अवकाश के बदले वेतन के समतुल्य नकद भुगतान के लाभ का पात्र होगा, यदि उसे सेवा में बहाल करने ... लिए सक्षम प्राधिकारी यह अभिधारित करता है कि उसका निलम्बन पूर्णतया अनुचित था।

(2) यदि सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है अथवा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ...ण कर लेता है, तो उसे 180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति के दिनांक को उसके

अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश तथा उस दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा सम्पूर्ण निजी कार्य पर अवकाश के लिए अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा ग्राह्य होगी । प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य अवकाश की कुल अवधि उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने अथवा उसके द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने के दिनांक तथा उस दिनांक के बीच की अवधि से अधिक नहीं होगी जिस दिनांक को वह सेवा में बने रहने की स्थिति में सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सामान्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ होता । अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य पर अवकाश के लिए आगे मद (7) के अनुसार अवकाश वेतन तथा महँगाई भत्ता अनुमन्य होगा, परन्तु पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभों के पेंशन के समतुल्य तथा पेंशन पर अनुमन्य राहत की धनराशि की निजी कार्य पर अवकाश की उस अवधि के सम्बन्ध में देय अवकाश वेतन में से घटा दिया जायगा जिसके लिए नकद धनराशि का भुगतान देय है । यदि निजी कार्य पर अवकाश के अंश के बदले देय अवकाश वेतन पेन्शन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभों के समतुल्य से कम पड़ता है, तो निजी कार्य पर अवकाश के लिए अवकाश वेतन का नकद भुगतान स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

नोट :— शासनादेश सं० सा-4-1998/दस-86-200-77 टी० सी०, दिनांक 16-12-1986 द्वारा उक्त अनुच्छेद को निम्नांकित सीमा तक संशोधित कर दिया गया :—

"सरकारी सेवक के अवकाश खाते में देय एवं अनुमन्य केवल अर्जित अवकाश, जो 180 दिन से अधिक नहीं होगा, के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य होगी भले ही वह अवधि सरकारी सेवक के अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने अथवा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने की तिथि और अधिवर्षता पर सामान्य दशा में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि के बीच की अवधि से अधिक हो जाती हो ।"

(3) जहाँ किसी सरकारी सेवक की सेवाएँ नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा उसकी नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा समाप्त कर दी जाती हैं वहाँ सरकारी सेवक को 180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए उसकी सेवासमाप्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि की सुविधा ग्राह्य है ।

(4) यदि कोई सरकारी सेवक सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या सेवा छोड़ देता है, तो 90 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए उसकी सेवासमाप्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखों में जमा कुल अर्जित अवकाश की आधी सीमा तक अर्जित अवकाश के लिए नकद धनराशि की सुविधा अनुमन्य होगी ।

(5) यदि किसी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्योजित कर लिया जाता है, तो उसे उसके पुनर्योजन की समाप्ति के दिनांक को देय अर्जित अवकाश के बदले अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा ग्राह्य होगी । परन्तु यह सुविधा अधिकतम 180 दिन की अवधि के लिए अनुमन्य होगी, जिसमें अर्जित अवकाश की वह अवधि भी सम्मिलित होगी जिसके लिए उसे उसकी सेवानिवृत्ति पर नकद धनराशि का भुगतान स्वीकृत किया गया हो ।

(6) ऐसे सरकारी सेवक को, जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिया गया हो, उसकी अशक्तता के दिनांक को उसके अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य पर अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि की सुविधा अनुमन्य होगी परन्तु अवकाश की वह अवधि जिसके लिए नकद धनराशि स्वीकृत की जाय उस दिनांक से आगे न जायगी जिस दिनांक को वह सेवा में बने रहने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के लिए विहित आयु प्राप्त करने

पश्चात् सामान्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ होता । अस्थायी सरकारी सेवकों के मामलों में सेवा से अशक्तता के दिनांक को उनके अवकाश लेखों में जमा निजी कार्य पर अवकाश के बदले नकद धनराशि के भुगतान को सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

(7) उपर्युक्त मामलों में सरकारी सेवक को अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य अवकाश के लिए वह अवकाश वेतन ग्राह्य होगा जो उसे उसकी सेवानिवृत्ति/सेवासमाप्ति/सेवा में न रहने के दिनांक से उस अवकाश का उपभोग वास्तविक रूप से करने की स्थिति में नियमानुसार ग्राह्य होता यदि वह सेवा में बना रहता । उस अवकाश वेतन पर महँगाई भत्ता उसकी सेवानिवृत्ति/सेवासमाप्ति/सेवा में न रहने के दिनांक की महँगाई भत्ते की प्रभावी दरों के अनुसार ग्राह्य होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि महँगाई भत्ता अवकाश के केवल प्रथम 180 दिन तक ही अनुमन्य होगा । उपर्युक्त प्रकार से आगणित अवकाश वेतन तथा महँगाई भत्ते की धनराशि का जो योग आयेगा उसी के बराबर नकद धनराशि स्वीकृत की जानी चाहिए ।

(ग) राजाज्ञा संख्या सा-4-1327/दस-200/77 दिनांक 18-6-79 द्वारा दिनांक 1-4-79 की अथवा उसके बाद सेवारत/मृत राजकीय कर्मचारी के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि के नकद भुगतान का आदेश निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया गया :—

(1) अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान 180 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रहेगा ।

(2) अवकाश वेतन के समतुल्य स्वीकृत नकद धनराशि का भुगतान मृत सरकारी सेवक के परिवार को यथाशीघ्र और उसकी अदायगी एक ही बार में निपटाने के रूप में एकमुश्त की जायगी ।

(3) नकद धनराशि का भुगतान जमा अर्जित अवकाश के लिए नियमानुसार अनुमन्य अवकाश वेतन और (मृत्यु के दिनांक को महँगाई भत्ते की प्रभावी दरों के अनुसार उस अवकाश वेतन पर प्राप्त होने वाले) महँगाई भत्ते की धनराशि के योग के बराबर होगा । इसके अतिरिक्त कोई नगर प्रतिकर भत्ता/मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा ।

(4) अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी मत्यु के दिनांक को मृतक सरकारी सेवक के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के लिए अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि की स्वीकृति के आदेश स्वयमेव (Suo moto) जारी करने में सक्षम होंगे ।

(5) शासनादेश सं० सा-4-1023/दस-85/205-84 दिनांक 13-6-85 द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि के आगणन की प्रक्रिया बतायी गयी है जिसके अनुसार आगणन किया जायगा ।

रा—42

3–सम्बन्धित राजाज्ञाएँ

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा–4–1998/दस–86–200–77 टी०सी०

लखनऊ, दिनांक 16 दिसम्बर, 1986

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :—सेवानिवृत्ति के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–4–1687/दस–83–200–77 टी० सी० दिनांक 25 जुलाई, 1983 द्वारा सरकारी सेवकों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने पर अथवा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर 180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति के दिनांक की उसके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश तथा उस दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा सम्पूर्ण निजी कार्य पर अवकाश के लिये अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा इस प्रतिबन्ध के अधीन उपलब्ध करायी गयी थी कि अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य पर अवकाश की कुल अवधि उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने अथवा उसके द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने के दिनांक तथा उस दिनांक के बीच की अवधि से अधिक नहीं होगी जिस दिनांक को वह सेवा में बने रहने की स्थिति में सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता। तथापि शासन की जानकारी में ऐसे कुछ मामले आये हैं, जिनमें उक्त प्रतिबन्ध के कारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने वाले तथा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने वाले कुछ सरकारी सेवक अपने अवकाश खाते में सेवानिवृत्ति के दिनांक को अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में भी नकदीकरण नहीं करा पाये हैं।

2—इस प्रकार के मामलों में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि सरकारी सेवक के अवकाश खाते में देय एवं अनुमन्य केवल अर्जित अवकाश जो 180 दिन से अधिक नहीं होगा के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य होगी भले ही वह अवधि सरकारी सेवक के अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने अथवा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने की तिथि और अधिवर्षता पर सामान्य दशा में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि के बीच की अवधि से अधिक हो जाती हो।

3—उपरोक्त संदर्भित शासकीय कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–4–1687/दस–83–200–77 टी० सी० दिनांक 25 जुलाई, 1984 का प्रस्तर 1(2) उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4—अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही की जायगी।

जे० पी० सिंह
वित्त सचिव

रा—43

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा–4–1023/दस–85/205–84

लखनऊ, दिनांक 13 जून, 1985

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–4–962/200–77/दिनांक 30-5–79 के प्रस्तर–2 के अनुसार सेवानिवृत्ति के दिनांक को देय अर्जित अवकाश के लिए सम्बन्धित सरकारी सेवक को वह अवकाश वेतन ग्राह्य होता है जो उसे सेवानिवृत्ति के दिनांक से अवकाश का वास्तविक रूप से उपभोग करने की स्थिति में नियमानुसार ग्राह्य होता। उदाहरणार्थ यदि कोई कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1984 को सेवानिवृत्त होता है और उसके खाते में 180 दिन का उपार्जित अवकाश अवशेष है, तो उसे 1 जनवरी से 29 जून (माह फरवरी में 28 दिन होने की दशा में) तक की अवधि के अवकाश वेतन के समतुल्य धनराशि ग्राह्य होगी, परन्तु यदि कोई कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त होता है और उसके खाते में 180 दिन का उपार्जित अवकाश अवशेष है, तो उसे 1 जुलाई से 27 दिसम्बर तक की अवधि के अवकाश वेतन के समतुल्य धनराशि ग्राह्य होगी। इस प्रकार से अवकाश वेतन का आगणन करने से वर्ष के विभिन्न महीनों में दिनों की संख्या में भिन्नता होने के कारण सेवानिवृत्ति के दिनांक को अर्जित अवकाश के समतुल्य भुगतान की जाने वाली धनराशि में एकरूपता नहीं रहती है।

2—उपरोक्त विसंगति को दूर करने हेतु राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर अब सेवानिवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखे में जमा उपार्जित [illegible]काश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जायेगा :—

नकद समतुल्य = $\frac{\text{सेवानिवृत्ति के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{30}$ × 180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवानिवृत्ति के दिनांक को सम्बन्धित सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या।

3—उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मई, 1979 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4—यह आदेश दिनांक 1–4–1985 से प्रभावी होंगे।

हरगोविन्द डबराल
विशेष सचिव

रा—44

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग—4

संख्या सा–4–1687/दस–83–200–77 टी० सी०

लखनऊ, दिनांक 25 जुलाई, 1983

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—सेवानिवृत्ति के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-4-1002/दस-200-77, दिनांक 26 अप्रैल, 1978, सपठित कार्यालय-ज्ञाप संख्या सामान्य—4-1939/दस-200-77, दिनांक 10 जनवरी, 1979 के अन्तर्गत शासन द्वारा सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के दिनांक को देय अर्जित अवकाश के बदले नियमानुसार ग्राह्य अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी । यह सुविधा उपरोक्त कार्यालय-ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अधीन केवल अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को ही ग्राह्य हैं । सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर उसके अवकाश के लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि के नकद भुगतान की सुविधा शासकीय कार्यालय-ज्ञाप संख्या सामान्य-4-1327/दस-200-77, दिनांक 18 जून, 1979 के अन्तर्गत अनुमन्य की गई है । राज्यपाल महोदय ने इस विषय में सम्यक् विचारोपरान्त सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि अब उपर्युक्त सुविधा निम्नलिखित मामलों में भी ग्राह्य होगी :—

(1) जब कोई सरकारी सेवक निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह अपने विरुद्ध कार्यवाही की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को अपने अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान के लाभ का पात्र होगा, यदि उसे सेवा में बहाल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह अभिधारित करता है कि उसका निलम्बन पूर्णतया अनुचित था ।

(2) यदि किसी सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है अथवा कोई सरकारी सेवक स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण कर लेता है, तो उसे 180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश तथा उस दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा सम्पूर्ण निजी कार्य पर अवकाश के लिए अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा ग्राह्य होगी । परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य पर अवकाश की कुल अवधि उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने अथवा उसके द्वारा स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने के दिनांक तथा उस दिनांक के बीच की अवधि से अधिक नहीं होगी जिस दिनांक को वह सेवा में बने रहने की स्थिति में सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ होता । अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य पर अवकाश के लिए आगे मद (7) के अनुसार अवकाश वेतन तथा महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा, परन्तु पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभों के पेंशन समतुल्य तथा पेंशन पर अनुमन्य राहत की धनराशि को निजी कार्य पर

अवकाश की उस अवधि के सम्बन्ध में देय अवकाश वेतन में से घटा दिया जायगा जिसके लिए नकद धनराशि का भुगतान देय है । यदि निजी कार्य पर अवकाश के अंश के बदले देय अवकाश वेतन पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभों के समतुल्य से कम पड़ता है, तो निजी कार्य पर अवकाश के लिए अवकाश वेतन का नकद भुगतान स्वीकृत नहीं किया जायगा ।

(3) जहाँ किसी सरकारी सेवक की सेवायें नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा उसकी नियुक्ति के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा समाप्त कर दी जाती है वहां सरकारी सेवक को 180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए उसकी सेवासमाप्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि की सुविधा ग्राह्य होगी ।

(4) यदि कोई सरकारी सेवक सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या सेवा छोड़ देता है, तो 90 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए उसकी सेवासमाप्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा कुल अर्जित अवकाश की आधी सीमा तक अर्जित अवकाश के लिए नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा अनुमन्य होगी ।

(5) यदि किसी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्योजित कर लिया जाता है, तो उसे उसके पुनर्योजन की समाप्ति के दिनांक को देय अर्जित अवकाश के बदले अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा ग्राह्य होगी । परन्तु यह सुविधा अधिकतम 180 दिन की अवधि के लिए अनुमन्य होगी जिसमें अर्जित अवकाश की वह अवधि भी सम्मिलित होगी जिसके लिए उसे उसकी सेवानिवृत्ति पर नकद धनराशि का भुगतान स्वीकृत किया गया हो ।

(6) ऐसे सरकारी सेवक को जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिया गया हो उसकी अशक्तता के दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य पर अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि की सुविधा अनुमन्य होगी, परन्तु अवकाश की वह अवधि जिसके लिए नकद धनराशि स्वीकृत की जाय उस दिनांक से आगे नहीं जाएगी जिस दिनांक को वह सेवा में बने रहने की स्थिति में सेवा-निवृत्ति के लिए विहित आयु प्राप्त करने के पश्चात् सामान्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ होता । अस्थायी सरकारी सेवकों के मामलों में सेवा से अशक्तता के दिनांक को उनके अवकाश लेखे में जमा निजी कार्य पर अवकाश के बदले नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा अनुमन्य नहीं होती ।

(7) उपरोक्त मामलों में सरकारी सेवक की अर्जित अवकाश तथा/अथवा निजी कार्य पर अवकाश के लिए वह अवकाश वेतन ग्राह्य होगा जो उसे उसकी सेवानिवृत्ति/सेवासमाप्ति/सेवा में न रहने के दिनांक से उस अवकाश का उपभोग वास्तविक रूप से करने की स्थिति में नियमानुसार ग्राह्य होती यदि वह सेवा में बना रहता । उस अवकाश वेतन पर महंगाई भत्ता उसकी सेवा निवृत्ति/सेवासमाप्ति/सेवा में न रहने के दिनांक को महंगाई भत्ते की प्रभावी दरों के अनुसार ग्राह्य होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि महंगाई भत्ता अवकाश के केवल प्रथम 180 दिन तक ही अनुमन्य होगा । उपरोक्त प्रकार से आगणित अवकाश वेतन तथा महंगाई भत्ता की धनराशि का जो योग आएगा उसी के बराबर नकद धनराशि स्वीकृत की जानी चाहिए ।

2. उपर्युल्लिखित कार्यालय-ज्ञाप उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे ।

3. यह आदेश 1 अप्रैल, 1983 से प्रभावी होंगे ।

4. अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने के संबंध में अलग से कार्यवाही की जायेगी ।

जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०

अध्याय—8

1. शिक्षण कर्मचारियों की सेवा वृद्धि पर पेन्शन अनुमन्यता

राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार शासनादेश संख्या 2429/15(2)/27(51)/76 दिनांक 12-5-77 द्वारा प्रदान करने की अनुमन्यता की गयी थी।

इस संबंध में शासन द्वारा जारी राजाज्ञाएं सं० 7022/15(1)/83-31(16)/77 दिनांक 21-3-84 व सं० 6641/15-1-31(16)/77 दिनांक 17-12-84 अद्यावधि प्रभावी हैं। सेवाविस्तरण के लिए निम्नांकित शर्तों का पालन करना पड़ता है :—

1—सेवाकाल में संबंधित अध्यापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो।

2—वह शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ हो।

3—वह वास्तव में कोई विषय नियमित रूप से पढ़ाता हो।

इस प्रकार के सभी मामले उच्चादेश के लिए सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। श्रेणी 2 से नीचे के पदों पर कार्यरत अध्यापक/प्रधानाध्यापक के सेवाविस्तरण के मामलों पर विचार एवं निर्णय के लिए संबंधित पद के नियुक्ति अधिकारी सक्षम होगें तथा श्रेणी 1 व 2 के अधिकारियों के मामले में शासन के आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार छात्रों की पढ़ाई एवं शिक्षण कार्य पर कुप्रभाव न पड़े, अस्तु उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जनहित में शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के सभी अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों की जो अपनी आयु (1 जुलाई के बाद और 30 जून से पहले) शैक्षिक सत्र के मध्य में पूरी कर रहे हों और 58/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व कोई विषय नियमित रूप से पढ़ाते हों तो संबंधित शैक्षिक सत्र के अंत तक (अर्थात् 30 जून तक) सेवा-विस्तरण की सुविधा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 के नियम 56 (ए) के अन्तर्गत प्रदान करने का प्राविधान है।

पिछले वर्ष सत्र-परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में कतिपय अध्यापकों ने 30 जून के स्थान पर 30 अप्रैल सत्र के परिवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्त किये जाने की याचिकायें दायर की थीं। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने इस प्रकार की याचिकाओं को 13 अगस्त, 1987 को निरस्त करते हुए 30 जून की सेवानिवृत्ति की तिथि को ही मान्यता प्रदान की है।

मूल नियम 56(ए) जिसके अंतर्गत इस सुविधा की अनुमन्यता प्रदान करने की व्यवस्था है उसका उद्धरण निम्नवत् है :—

Amended F.R. 56 is reproduced below :—

Fandamental Rule 56, Financial Hand Book, Volume II, Part II to IV

56 (a) Except as otherwise provided in other clauses of this rule, the date of compulsory retirement of a government servant other than a government servant in inferior service,

is the date on which he attains the age of 58 years. He may be retained in service after the date of compulsory retirement with the sanction of the Government on public grounds, which must be recorded in writing, but he must not be retained after the age of 60 years, except in very special circumstances.

(b) The date of compulsory retirement of a government servant in inferior service is the date on which he attains the age of 60 years. He must not be retained in service after that date, except in very special circumstances and with the sanction of the Government.

(c) Notwithstanding anything contained in clause (b), the appointing authority may, at any time by notice to any government servant (whether permanent or temporary), without assigning any reason require him to retire after he attains the age of fifty years or such government servant may by notice to the appointing authority voluntarily retire at any time after attaining the age of fifty years or after he has completed qualifying service for twenty years.

Order of the State Government

In clause (c) for the words "fifty years" occurring the second time the words "forty-five years" shall be substituted.

(Government Notification No. 4873/XVIII-V-1-161-76 dated 18-11-1976. The amendment deemed to have come into force with effect from November 18, 1976.)

(d) The period of such notice shall be three months.

Provided that—

(i) Any such Government servant may, by order of the appointing authority without such notice or by a shorter notice, be retired forthwith at any time after attaining the age of fifty years and on such retirement the Government servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances, if any, for the period of the notice or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of three months, at the same rates at which he was drawing immediately before his retirement;

(ii) It shall be open to the appointing authority to allow a Government servant to retire without any notice or by a shorter notice without requiring the Government servant to pay any penalty in lieu of notice :

Provided further that such notice given by the Government servant against whom a disciplinary proceeding is pending or contemplated, shall be

effective only if it is accepted by the appointing authority, provided that in the case of a contemplated disciplinary proceeding the Government servant shall be informed before the expiry of his notice that it has not been accepted;

Provided also that the notice once given by a Government servant under clause (c) seeking voluntary retirement shall not be withdrawn by him except with the permission of the appointing authority.

(e) A retiring pension shall be payable and other retirement benefits, if any, shall be available in accordance with and subject to the provisions of the relevant rules, to every Government servant who retires or is required or allowed to retire under this rule :

Provided that where a Government servant who voluntarily retires or is allowed voluntarily to retire under this rule, the appointing authority may allow him, for the purposes of pension and gratuity, if any, the benefit of additional service of five years or of such period as he would have served if he had continued till the ordinarily date of his superannuation, whichever be less.

(Proviso added vide notification No. 4873/XVII-V-1-161-76 dated 18-11-1976 and came into force from that date.)

Explanation : (1) The decision of appointing authority under clause (c) to require the Government servant to retire as specified therein shall be taken if it appears to the said authority to be in the public interest, but nothing herein contained shall be construed to require any recital, in the order, of such decision having been taken in public interest.

(2) In order to be satisfied whether it will be in the public interest to require a Government servant to retire under clause (c) the appointing authority may take into consideration any material relating to Government servant and nothing herein contained shall be construed to exclude from consideration :—

(a) any entries relating to any period before such Government servant was allowed to cross any efficiency bar before he was promoted to any post in an officiating or substantive capacity or in an adhoc basis, or

(b) any entry against which a representation is pending provided that the representation is also taken into consideration along with the entry, or

(c) any report of the vigilance establishment constituted under the Uttar Pradesh Vigilance Establishment Act, 1965.

(2-A) Every such decision shall be deemed to have been taken in the public interest.

(*Explanation* (2) and (2-A) were substituted and added respectively vide Notification No. 4873/XVII-V-1-161-76 dated 18-11-1976. Explanation (2) shall be deemed to have always been substituted.)

(3) The expression "appointing authority" means the authority which for the time being has the power to make substantive appointment to the post or service from which the Government servant is Required or wants to retire; and the expression "qualifying service" shall have the same meaning as in the relevant rules relating to retiring pension.

(4) Every order of the appointing authority requiring a Government servant to retire forthwith under the first proviso to clause (d) of this rule shall have effect from the afternoon of the date of its issue, provided that if after the date of its issue, the Government servant concerned, bonafide and in ignorance of that order, performs the duties of his office, his acts shall be deemed to be valid notwithstanding the fact of his having earlier retired.

मूल नियम 56 पुनर्नियोजित (Re-employment) कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू होता है जो कि सिविल सर्विस रेगुलेशन के अध्याय XXI की धारा 520 के अन्तर्गत बने नियमों से शासित है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है :—

After Superannuation or Retiring Pension

520. An officer who is in receipt of a superannuation or retiring pension shall not be re-employed or continue to be employed in service paid from general revenues or from a local fund, except on public grounds. Sanction to re-employment or extension of the term of employment may be given as follows :

(i) By the Government of India in the Administrative Department concerned, when the pensioner served before retirement in a Gazetted appointment directly under the Government of India or belonged to an Imperial Service or Imperial Branch of any Service, or was an officer who, before retirement, held a post usually filled by officers of an Imperial Service or Branch;

(ii) In other cases, by the State Government under whose administration the pensioner is re-employed;

(iii) By any authority subordinate to a State Government to whom the State Government may delegate its powers under this Article in respect of pensioners re-employed in establishments under the control of such authority.

Note:—A State Government may declare that the restrictions contained in this Article shall not apply to any particular local fund or to local funds of any particular class in its territories, or that they shall apply subject to such modifications as it may direct.

Decisions of the State Government

1. Administrative departments need not refer the following categories of cases to the Finance Department :—

(a) Where a retired Government servant is proposed to be re-employed on the same post from which he retired and it is proposed to allow him a pay which, together with his pension as originally sanctioned, i.e. before commutation, if any, does not exceed the pay drawn by him immediately prior to retirement; and

(b) where a Government servant, who was serving on a post outside the regular line prior to retirement, is proposed to be re-employed on a post in the regular line and, on re-employment, is to be allowed a pay which, together with his pension, as originally sanctioned, does not exceed the pay which he would have drawn immediately prior to retirement had he retired from the post which he would have occupied in the regular line.

Case of re-employment not covered by the above paragraph should continue to be referred to the Finance Department.

It should be borne in mind that in respect of pensioners who were members of the U.P. Contributory Provident (Pension) Fund, the amount of pension to be taken into account for purposes of fixing the pay on re-employment should be the amount of pension they would have been entitled to draw had they not joined the U.P. Contributory Provident (Pension) Fund.

Note :—The same principle will apply to the Death-cum-Retirement Gratuity earned under the Liberalized Pension Rules/Retirement Benefits Rules. The pension to be taken into account in such cases should include the pension equivalent of the D.C.R. gratuity. (Also see Article 521).

(Finance Department O.M. No. G-II-121/X-1—1953, dated January 19, 1953.)

2. Although re-employment of a pensioner can be sanctioned only by Government, appointing authorities often re-employ pensioners without obtaining prior approval and move Government after a long time for ex-post-facto approval of such re-employment. In some cases, a re-employed pensioner is even allowed pay which together with his pension exceeds the pay drawn by him at the time of retirement. This places Government in an embarrassing position leading even to difficulties of recovery of excess payments. It should, therefore, be ensured that no pensioner should be re-employed without obtaining prior approval of Government. O.M. No. G-2-1588/X-1/1953, dated March 22, 1960.

Decisions of the Government of India

1. In view of the powers possessed by an Administrative Department of the Government of India under clause (1) of Article 520, C.S.R. the extension of the term of employment, of a

pensioner who served before retirement in a non-Gazetted capacity directly under the Government of India may be accepted in audit, although a Department of the Government of India has not been invested with the powers of a Local Government under clause (ii) of Article 520, C.S.R.

(Government of India, Finance Department U.O. No. 5675-C.S.R., dated the 18th November, 1926.)

2. When in special and exceptional circumstances, it is considered desirable to re-employ an officer who has been permitted to retire on proportionate pension in a post under the Government, the pay of the post should be reduced by the full amount of his pension. In cases where rule 9 of the Rules for Premature Retirement on Proportionate Pension is applicable, an alternative course might be to move the Secretary of State to suspend the payment of pension while the officer continues to be employed under the Crown.

(Government of India, Finance Department Memo No. F-12-1-R-11/1929, dated the 5th August, 1929.)

3. The restrictions on the provincial Governments under Article 520 of C.S.R. requiring them to obtain sanction of the Government of India, for the re-employment of retired Central Government Officers ceases to be operative. The modification of the Rule has, however, been deferred till the revision of the C.S.R.

(Government of India, Ministry of Finance. File no. 7(59)-EV/1958.)

4. Provincial Governments are competent to sanction the re-employment of retired officers, previously under the rule making control of the Secretary of State in posts created by them under their own powers.

(Government of India, Home Department no. 125/41-Ests., dated the 22nd November, 1941.)

Audit Instructions

Fundamental Rule 56 is generally applicable to re-employed personnel, and the rules in Chapter XXI of the Civil Service Regulations are subject to the conditions laid down in Fundamental Rule 56. Article 520, Civil Service Regulations, however, from the nature of its concession and conditions, puts the re-employment of a person in receipt of a superannuation or retiring pension in a special class outside Fundamental Rule 56, and subject to the conditions stated in the Article itself which must be osbserved with every renewal of sanction.

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर इनकी पेन्शन, ग्रेच्युटी आदि की गणना इनकी वास्तविक अधिवर्षता आयु की स्थिति के अनुसार ही की जानी चाहिये। सेवा-वृद्धि/पुनर्नियोजित अवधि का लाभ सेवा नैवृत्तिक सुविधाओं हेतु अनुमन्य नहीं होगा। दूसरे शब्दों में सेवा नैवृत्तिक लाभों हेतु अर्हकारी सेवा की गणना मात्र अधिवर्षता आयु की सीमा तक ही की जानी चाहिये।

2. सम्बन्धित राजाज्ञाएँ

रा—45

सं० 7022/15(1)/83-31(16)/77

प्रेषक,

श्री ज्ञान चन्द्र जैन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (1) अनुभाग लखनऊ, दिनांक 21 मार्च, 1984

विषय: राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवाविस्तरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-2 के अर्द्ध शा० पत्र संख्या 1/2/1973-कार्मिक-2, दिनांक 23 मई, 1983 में सुस्पष्ट निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि सरकारी कर्मचारियों को 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त सेवा-विस्तार/पुर्नानियुक्ति/अनुबन्ध के आधार पर अथवा दैनिक वेतन पर नियुक्ति स्वीकृत नहीं की जायगी।

2—इस संबंध में शिक्षा विभाग की विशेष कठिनाइयां शासन के समक्ष आयी हैं कि राजकीय शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के शैक्षिक सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त होने से न केवल शैक्षिक संस्थाओं में संबंधित विषय के अध्यापन का कार्य कुछ समय के लिये अस्त-व्यस्त हो जाता है, अपितु उनके स्थान पर जो नये अध्यापक आते हैं उनके लिये भी पूर्ण रीति से कार्य करने में कुछ समय लग जाता है जिसके कारण शिक्षण कार्य में एक लम्बी अवधि के लिये ढिलाई आ जाती है, तथा दूसरी ओर जिन संस्थाओं से अध्यापकों के स्थानान्तरण अथवा प्रोन्नति द्वारा इस प्रकार की रिक्तियां भरी जाती हैं उनमें भी शैक्षिक कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार कई विद्यालयों के शिक्षण कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है और छात्रों की पढ़ाई में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाता हैं।

3—उपरोक्त कठिनाइयों पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त पार्श्वांकित शासनादेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय जनहित में वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 56 (ए) के अन्तर्गत यह आदेश देते हैं कि शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को, जो शिक्षा सत्र के मध्य में अर्थात् 1 जुलाई के बाद और 30 जून से पहले अधिवर्षता की आयु 58 वर्ष प्राप्त कर रहे हों, निम्नांकित शर्तों पर संबंधित शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात् 30 जून तक सेवा-विस्तरण दे दिया जाय :

> 1—सं० 8196/15-1-31(16)/77 दि० 8-2-1970
> 2—सं० 12429/15-2-27 (5)/76, दि० 12-5-1977
> 3—सं० यू० ओ० 318/15-2-77-30(67)/71 दि० 6-2-78

1—सेवाकाल में संबंधित अध्यापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो ।

2—वह शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ हो ।

3—वह वास्तव में कोई विषय नियमित रूप सें पढ़ाता हो ।

इस प्रकार के सभी मामले उच्चादेश के लिये समय से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना तथा प्रत्येक के संबंध में शासन के आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

4—मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ हैं कि ऐसे अधिकारियों को, जो अध्यापन का कार्य न कर रहे हों, उनको सेवा के अन्तिम वर्ष में अध्यापन के कार्य में बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाय जिससे उन्हें अनायास ही 30 जून तक सेवा में बने रहने का लाभ मिल जाय ।

5—मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन के शिक्षा (14) अनुभाग के शासनादेश संख्या 1772/15-14-30(67)/71, दिनांक 6-5-1982 सपठित शासनादेश संख्या 2974/15-14-30(67)/71, दिनांक 26-7-1983 में जारी किये गये आदेशानुसार राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कृत अध्यापकों को, जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हैं, उनकी अधिवर्षता आयु के पश्चात् दो वर्ष के सेवा-विस्तरण की सुविधा प्रदान की गयी है । यह सुविधा राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को पूर्ववत् जारी रहेगी ।

6—राज्यपाल महोदय जनहित में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 56 (ए) के अन्तर्गत यह भी आदेश देते हैं कि शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत सभी राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कारप्राप्त अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को, जो शैक्षिक सत्र के मध्य में अर्थात् 1 जुलाई के बाद तथा 30 जून के पहले) 60 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, उपर्युक्त परिच्छेद-3 में उल्लिखित शर्तों पर ही 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संबंधित शैक्षिक सत्र के अन्त तक (अर्थात् 30 जून तक) सेवा-विस्तरण प्रदान किया जाय । इन मामलों में भी यह आवश्यक होगा कि ऐसे अधिकारियों को, जो अध्यापन कार्य न कर रहे हों, उनको सेवा के अंतिम वर्ष में अध्यापन के कार्य में बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाय ।

यह आदेश कार्मिक विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
ज्ञान चन्द्र जैन
संयुक्त सचिव

रा—46

संख्या 6641/15-1-31(16)/77

प्रेषक,

श्री विनोद कुमार सेठ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2—शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

शिक्षा (1) अनुभाग   लखनऊ, दिनांक 17 दिसम्बर, 1984

विषय :— राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों की अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा-विस्तरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहना है कि शासनादेश संख्या 7022/15-1-83-31(16)/77, दिनांक 31-3-1984 में राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को अधिवर्षता की आयु के उपरान्त सेवा में विस्तरण प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये थे तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में निर्देश दिया गया था कि सेवा-विस्तरण के सभी मामले उच्च आदेश के लिये समय से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना तथा प्रत्येक के संबंध में शासन के आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

2—प्रश्नगत विषय में पुनर्विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग में श्रेणी-2 से नीचे के पदों पर कार्यरत अध्यापक/प्रधानाध्यापक के सेवा-विस्तरण के मामलों पर विचार एवं उपर्युक्त निर्णय के लिये संबंधित पद के नियुक्ति अधिकारी सक्षम होंगे तथा उनके मामलों में शासन की सहमति अपेक्षित नहीं होगी। श्रेणी-1 तथा 2 के अधिकारियों, जिनके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल महोदय हैं, के प्रकरणों में पूर्व की भांति 58 वर्ष की अधि-वर्षता की आयु के उपरान्त सेवा-विस्तरण के लिए शासन के आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

3—संदर्भित शासनादेश दिनांक 21-3-1984 कृपया उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय
विनोद कुमार सेठ
संयुक्त सचिव

रा—47

संख्या 12429/15(2)/27(51)/76

प्रेषक,

श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (2) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 12 मई, 1977

विषय :— राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि।

महोदय,

1—37 यू०ओ०/15-2/72, दिनांक 15-5-72
2—30/67/71/15-2/72, दिनांक 15-9-72
3—7721/15(1)/31/73, दि० 17-12-73
4—यू०ओ० 424/15-1-75, दिनांक 16-12-75

पूर्व में जारी किये गये उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित राजाज्ञाओं का अतिक्रमण करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। शासन द्वारा भारत सरकार से प्राप्त इस सुझाव पर विचार किया गया है कि इन अध्यापकों को विशेष सुविधायें तथा सम्मान प्रदान किया जाना आवश्यक है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उन्हें अध्यापकों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। अतः राज्यपाल महोदय ने समुचित विचारोपरान्त यह आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले ऐसे सभी अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को जो केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार अथवा राज्य सरकार से राज्य पुरस्कार प्राप्त हैं वित्त नियमावली खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 56 (ए) के अन्तर्गत विशेष रूप से राजकीय सेवा में 60 वर्ष तक चलते रहने की अनुमति दी जायगी यदि अधिवर्षता आयु (58 वर्ष) के समय उनका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक हो और वे शारीरिक तथा मानसिक तौर पर स्वस्थ हों। इस प्रकार के सभी मामले उच्चादेश के लिए समय से शासन को प्रस्तुत किये जायेंगे और प्रत्येक के संबंध में राज्यादेश प्राप्त किये जायेंगे।

इस संबंध में मुझे यह भी कहना हैं कि राजकीय शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के शैक्षिक सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त होने से न केवल शैक्षिक संस्थाओं में संबंधित विषय के अध्यापन का कार्य कुछ समय के लिए अस्तव्यस्त हो जाता है, उनके स्थान पर जो नये अध्यापक आते हैं उनके लिये भी पूर्ण रीति से कार्य करने में कुछ समय लग जाता है जिसके कारण शिक्षण कार्य में एक लम्बी अवधि के लिए ढिलाई आ जाती है। दूसरी ओर जिन संस्थाओं से अध्यापकों के स्थानान्तरण अथवा प्रोन्नति द्वारा इस प्रकार की रिक्तियां भरी जाती हैं उनमें भी शैक्षिक कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार कई विद्यालयों के शिक्षण कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है और छात्रों की पढ़ाई में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाता है।

अतएव उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल महोदय ने, जनहित में, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 के नियम 56 (ए) के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के सभी अध्यापकों/प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों, जो 58 वर्ष एवं राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार-प्राप्त के संबंध में 60 वर्ष की आयु शैक्षिक सत्र के मध्य सें (अर्थात् 1 जुलाई के बाद और 30 जून सें पहिले) पूरी कर रहे हों और 58/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व कोई विषय नियमित रूप से पढ़ाते हों, की सम्बन्धित शैक्षिक सत्र के अन्त तक (अर्थात् 30 जून तक) सेवा-विस्तरण देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आवश्यक होगा कि ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन का कार्य न कर रहे हों उनको सेवा के अन्तिम वर्ष में अध्यापन के कार्य में बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाय जिससे उन्हें अनायास ही 30 जून तक सेवा में बने रहने का लाभ मिल जाय।

भवदीय,

सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी

उप सचिव।

अध्याय–9

1. पुनर्योजित सरकारी कर्मचारियों का वेतन-निर्धारण

सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवकों के पुनर्योजन एवं उक्त अवधि के वेतन-निर्धारण का प्राविधान सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 520 में निहित है। पुनर्योजन जनहित में किया जा सकता है। पुनर्योजन शासन के आदेश से ही स्वीकार किया जा सकता है, जब तक शासन ने अन्यथा प्रतिनिधायन न किया हो। सामान्यत: पुनर्योजन की अवधि में सरकारी कर्मचारी को नियत वेतन अनुमन्य होता है जो उसके समस्त नैवृत्तिक लाभों को सम्मिलित करते हुए उसके द्वारा आहरित अन्तिम वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न हो। शासनादेश सं० सा-3-1443/दस-930-83 दिनांक 15-12-83 द्वारा शासन ने स्पष्ट किया है कि समस्त नैवृत्तिक लाभों का तात्पर्य शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण के) तथा डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के पेंशनरी समतुल्य धनराशि के योग से है। डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी का पेंशनरी समतुल्य उ०प्र० सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स में निर्धारित राशिकृत मूल्य की तालिका के आधार पर आगणित किया जायेगा। राशिकृत मूल्य 58, 59, 60 तथा 61 वर्ष की सेवा के आधार पर निम्नवत् होगा :—

वर्ष	राशिकृत मूल्य	वार्षिक मूल्य
58 वर्ष	10.78	129.36
59 वर्ष	10.46	125.52
60 वर्ष	10.13	121.56
61 वर्ष	9.81	117.72

उदाहरण के लिए एक अधिकारी 850-1720 वेतनक्रम में 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर 1720 के स्तर पर सेवा-निवृत्त होता है। उसको 1250-2050 के वेतनक्रम में पुनर्योजित किया जाता है। उस अधिकारी की पेंशन 1173 तथा 43,230 रु० ग्रेच्युटी निर्धारित होती है अत: उसको पुनर्योजित वेतनक्रम 1250-2050 में 2050 – (पेंशन 1173 रु० + ग्रेच्युटी 43,230 रु० ÷ 11.78 × 12 या 129.36) = 2050 – (1173 + 334) = 543 रु० पर या इससे कम पर पुनर्योजित किया जा सकता है।

उक्त अधिकारी की 543 रु० पर पुनर्योजित किये जाने पर 1173+543=1716 रु० वेतन पर अनुमन्य दरों पर महंगाई भत्ता दिया जायेगा।

2. पुनर्योजित सरकारी सेवक को पेन्शन पर राहत

राजाज्ञा सं० सा-3-23/दस-912/81 दिनांक 3-10-81 के अनुसार दिनांक 3-10-81 से पुनर्योजित सरकारी सेवक की समय-समय पर उसकी पेन्शन की धनराशि पर स्वीकृत की गई राहत की कटौती उस समेकित राशि में से न की जाय जो उसे पुनर्योजन की अवधि में वेतन, मानदेय या फीस के रूप में देय हो, बशर्ते कि इस प्रकार की राशि में महंगाई भत्ते का कोई अंश सम्मिलित न हो।

3. मृतक के आश्रित को सेवा में लेना

सेवाकाल में ही मृत राजकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को सरकारी सेवा में नियुक्त किये जाने के विषय में उ०प्र० शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा दिनांक 7-10-1974 को एक अधिसूचना के द्वारा नियमावली बनायी गयी जो "उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974" के नाम से जानी जाती है।

1—इस नियमावली के अनुसार उ०प्र० सरकार के अधीन सेवारत किसी कर्मचारी की मृत्यु उसके सेवाकाल में ही हो जाती है, तो उसके कुटुम्ब के एक ऐसे सदस्य को, जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से ही सेवायोजित नहीं है, उसके द्वारा आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए समूह "ग" एवं "घ" के पदों पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो। इस क्रम में प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद की विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो। ऐसी नियुक्ति अविलम्ब एवं यथासम्भव उसी विभाग में दी जानी चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था।

इस उद्देश्य के लिए कुटुम्ब के आश्रित सदस्यों का तात्पर्य निम्नांकित से होगा :—

(1) पत्नी या पति

(2) पुत्र

(3) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ

नियुक्ति निम्नांकित शर्तों से प्रतिबन्धित होगी :—

(1) इस प्रकार नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जानी चाहिए।

(3) अभ्यर्थी ऐसे पद के लिए वांछित अर्हता रखता हो।

(4) वह मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सेवा के योग्य हो।

(5) अभ्यर्थी का चरित्र सरकारी सेवा में सेवायोजन की दृष्टि से उपयुक्त हो।

(6) किसी पुरुष अभ्यर्थी की दशा में उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी न हो तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो।

(7) चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत यथा लिखित परीक्षा या साक्षात्कार से ऐसा अभ्यर्थी यद्यपि मुक्त होगा, परन्तु नियुक्ति अधिकारी यदि चाहे तो अभ्यर्थी की योग्यता का परीक्षण उपर्युक्तानुसार कर सकता है।

(8) कुटुम्ब के मात्र एक सदस्य को उक्त सुविधा ग्राह्य होगी। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर, नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकानुसार ऐसे सदस्य का चयन करेगा जो अधिक हितकर हो।

2—इस सम्बन्ध में शासनादेश अ० शा० पत्र संख्या 6/12/1973-कार्मिक-दिनांक 22-6-84 द्वारा नियुक्त अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं के अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश भी दिये गये :—

(1) जिस किसी विभाग/कार्यालय में किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है उसी विभाग/कार्यालय में स्थानीय/रीजनल/मुख्यालय स्तर के अधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि मृतक के आश्रितों

की नियमावली के अधीन सेवायोजन की आवश्यकता तो नहीं है। यदि ऐसे सेवायोजन की आवश्यकता पायी जाती है तो आश्रितों को नियमावली की व्यवस्था की जानकारी देते हुए उपयुक्त पात्र का आवेदन-पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

(2) यदि इस नियमावली के अधीन मृतक सरकारी सेवक के किसी आश्रित द्वारा सेवायोजन की मांग की जाती है, तो सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिन के अन्दर अपेक्षित जांच-पड़ताल/समाधान के उपरान्त या तो संबंधित को सेवायोजित करा देंगे और यदि इस संबंध में कोई कठिनाई हो, तो अपने उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे।

(3) यदि किन्हीं मामलों में अन्य किसी कारणों से मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को सेवायोजित कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में सम्बन्धित विभाग/कार्यालय शासन के अपने प्रशासकीय विभाग को स्थिति से अवगत कराते हुए आदेश प्राप्त करेंगे।

3—राजाज्ञा 6/12/73-कार्मिक-2-86 दिनांक 12-2-86 द्वारा शासन ने मृतक आश्रित के सेवायोजन के लंबित मामलों का विवरण निम्न प्रपत्र पर छमाही सूचना शासन के अपने प्रशासकीय विभाग को यह स्पष्ट उल्लेख करते हुए भेजने के निर्देश दिये हैं कि मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अभी तक किन कारणों से सेवायोजित नहीं किया जा सका है।

प्रपत्र

उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के लागू होने के दिनांक अर्थात् 21-12-1973 से इस नियमावली के अन्तर्गत प्रदान किये गये सेवायोजन का विवरण।

कार्यालय का नाम——————

क्र० सं०	मृतक कर्मचारी का नाम/पिता का नाम तथा पद नाम जिस पर कार्यरत था	मृत्यु का दिनांक	मृतक के आश्रित का विवरण तथा उसके द्वारा सेवायोजन प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन-पत्र की तिथि	सेवायोजन प्रदान किये जाने का दिनांक	सेवायोजन प्रदान न किये जाने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

4. सम्बन्धित राजाज्ञाएं

रा—48

संख्या सा-3-1443/दस–930/83

प्रेषक,

श्री जे०एल० बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक—15 दिसम्बर, 1983

विषय : पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

शासन की सुस्पष्ट नीति है कि 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के उपरान्त सेवावृद्धि या पुनर्नियुक्ति न की जाये। परन्तु कभी-कभी जनहित में अपरिहार्य होने की दशा में अनुबन्ध के आधार पर/अथवा अन्यथा पुनर्नियुक्ति, कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त कर, विभाग करते हैं। सेवानिवृत्ति के उपरान्त सिविल सरकारी सेवकों के पुनर्योजन एवं उक्त अवधि में वेतन निर्धारण का प्राविधान सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 520 में निहित है। सामान्यतया पुनर्योजन की अवधि में सरकारी सेवक को वह नियत वेतन अनुमन्य होता है जो उसके समस्त नैवृत्तिक लाभों को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न हो। समस्त नैवृत्तिक लाभों से तात्पर्य शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण के) तथा डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के पेंशनरी समतुल्य धनराशि के योग से है। डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी का पेंशनरी समतुल्य उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स में निर्धारित राशिकृत मूल्य की तालिका के आधार पर (सुगम संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है) आगणित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु उस आयु पर राशिमूल की दर ली जायेगी जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि की आयु के पूर्ण वर्षों के लिए हो।

उदाहरण के लिये एक अधिकारी 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त हुआ और उसे रु० 30,000 ग्रेच्युटी प्राप्त हुई, तो ग्रेच्युटी का पेंशनरी समतुल्य होगा 30,000 ÷ (10·78 × 12) = 30000 ÷ 129·36 = 232 रुपये। इसी प्रकार उक्त आयु के आधार पर रु० 29,000 अथवा रु० 31,000 ग्रेच्युटी का पेंशनरी समतुल्य क्रमशः रु० 224 तथा रु० 240 होगा।

2—पुनर्योजन की अवधि में वेतन निर्धारण का उपर्युक्त स्पष्ट सिद्धान्त होने के बावजूद शासन के अनेक स्रोतों से यह जानकारी की जाती रही है कि पुनर्योजन की अवधि में वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा तथा उक्त अवधि में महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते किस प्रकार दिये जायेंगे।

3—उपर्युक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्योजित सरकारी सेवक की स्थिति एक अस्थायी सरकारी सेवक की होती हैं। अतएव सामान्यतया उसे वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते आदि उसी प्रकार उपलब्ध होंगे जो उसके समकक्ष अन्य अस्थायी सेवकों को अनुमन्य होते हैं। अतः पुनर्योजन की अवधि में, अन्यथा प्राविधान न होने की दशा में, सरकारी सेवक को अनुमन्य किये गये वेतन की धनराशि तथा सकल पेंशन (अर्थात् शुद्ध पेंशन, बिना राशिकरण के, तथा डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की पेंशन समतुल्य धनराशि के बराबर) की धनराशि के योग पर अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते दिये जायेंगे। जिस पुनर्योजित सरकारी सेवक को ऐसी अन्य सुविधा उपलब्ध हो जिसके लिये कोई कटौती उसके वेतन के आधार पर की जानी हो, यथा मकान किराया, तो उसका आगणन उसे अनुमन्य वेतन और सकल पेंशन के योग की धनराशि के आधार पर किया जायेगा।

4—पुनर्योजन की अन्य मानक शर्तें निम्न प्रकार होंगी :—

(1) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिये नहीं गिनी जायेगी और पद का भार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।

(2) पुनर्योजित सरकारी सेवक को अस्थायी कर्मचारी की भांति वित्तीय नियमावली खण्ड 2 भाग 2-4 के सहायक नियम 157-ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(3) पुनर्योजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उसके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम 16-ए में प्राविधान है।

(4) पुनर्योजित सरकारी सेवक की पुनर्नियुक्ति पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने के पहले किसी समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है व जिस पद पर उन्हें पुनर्योजित किया गया है वह भी निर्धारित अवधि के पूर्व कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस शर्त के अधीन रहते हुए उन पर अन्य सेवा शर्तें वही लागू होंगी जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(5) पुनर्योजन की अवधि में अस्थायी/तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत, यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगी। किन्तु ऐसे पुनर्योजन के मामलों में जिनमें केवल समेकित वेतन (Consolidated Pay) ही अनुमन्य किया जाता है, जिसके साथ न महंगाई भत्ता दिया जाता है और न वेतन में महंगाई भत्ते का अंश सम्मिलित होता है, तो पेंशन पर अनुमन्य राहत मिलती रहेगी।

(6) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को राज्य सरकार के अन्तर्गत पद पर पुनर्नियुक्ति की दशा में उन्हें राज्य शासन द्वारा स्वीकृत दरों से महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

5—सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि पुनर्योजन संबंधी आदेशों में उपर्युक्त शर्तों का समावेश अवश्य कर लिया करेंगे।

6—इस विषय में पूर्व में जारी आदेश उक्त सीमा तक संशोधित/अतिक्रमित समझे जायेंगे।

भवदीय,
जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव।

रा—49

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा-3-23/दस-912/81

लखनऊ, दिनांक 3 अक्टूबर, 1981

—०—

कार्यालय-ज्ञाप

विषय—पुनर्योजित सरकारी सेवक को पेंशन पर स्वीकृत राहत का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नियमानुसार सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवा में पुनर्योजित कर्मचारी को वह वेतन दिया जाता है जो उसके समस्त नैवृत्तिक लाभों को सम्मिलित करते हुए उसके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजन पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न हो। सामान्यतया पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन तथा सकल पेंशन के योग की धनराशि पर अनुमन्य महंगाई भत्ता भी दिया जाता है, परन्तु उक्त अवधि में उसकी पेंशन की धनराशि पर स्वीकृत राहत/अतिरिक्त राहत/तदर्थ राहत की धनराशि अनुमन्य नहीं होती है। कुछ पुनर्योजन के मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल समेकित वेतन (Consolidated Pay) ही अनुमन्य किया जाता है जिसके साथ न महंगाई भत्ता दिया जाता है और न वेतन में महंगाई भत्ते का अंश ही सम्मिलित होता है। अतएव इस बिन्दु पर भली भांति विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि पुनर्योजित कर्मचारियों को समय-समय पर उनकी पेंशन की धनराशि पर स्वीकृत की गई राहत की कटौती उस समेकित राशि में से न की जाय जो उसे पुनर्योजन की अवधि में वेतन, मानदेय या फीस के रूप में देय हो, बशर्ते कि इस प्रकार की राशि में महंगाई भत्ते का कोई अंश सम्मिलित न हो।

2—ये आदेश इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

नृपेन्द्र मिश्र,
विशेष सचिव।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

रा—50

गिरीश मेहरा,
मुख्य सचिव।

अर्द्ध शा०प० सं०-6/12/1973-कार्मिक
उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 22 जून, 1984

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर, उनके परिवार की विषम आर्थिक स्थिति के निराकरण हेतु अनुकम्पा के आधार पर मृतक पर आश्रित परिवार के एक व्यक्ति को उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार समूह "ग" एवं "घ" के किसी पद पर, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के होंगे, सेवायोजित किया जायेगा। शासन की जानकारी में यह आया है कि कतिपय मामलों में नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित तत्परता नहीं बरती गई और अनुमन्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनेक बार दौड़ना पड़ता है। अतः मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा हुई है कि कृपया ऐसे सभी सन्दर्भों का सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाये। ऐसे सन्दर्भों के निस्तारण में निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय :—

(1) जिस किसी विभाग/कार्यालय में किसी सेवारत कर्मचारी की मृत्यु होती है, उस विभाग/कार्यालय के स्थानीय/रीजनल/मुख्यालय स्तर के अधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि मृतक के आश्रितों को नियमावली के अधीन सेवायोजन की तो आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसे सेवायोजन की आवश्यकता पाई जाती है, तो आश्रितों को नियमावली की व्यवस्था की जानकारी देते हुए उपयुक्त पात्र का आवेदन-पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

(2) यदि इस नियमावली के अधीन मृतक सरकारी सेवक के किसी आश्रित द्वारा सेवायोजन की मांग की जाती है, तो संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिन के अन्दर अपेक्षित जांच-पड़ताल/समाधान के उपरांत या तो संबंधित को सेवायोजित करा देंगे और यदि इस संबंध में कोई कठिनाई हो, तो अपने उच्चाधिकारी के आदेश प्राप्त करेंगे।

(3) यदि किन्हीं मामलों में अन्य किन्हीं कारणों से मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को सेवायोजित कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में संबंधित विभाग/कार्यालय शासन के अपने प्रशासकीय विभाग को स्थिति से अवगत कराते हुए आदेश प्राप्त करेंगे।

2—कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
गिरीश मेहरा

शासन के समस्त सचिव।
विशेष सचिव (नाम से)

रा—51

संख्या : 6/12/73-कार्मिक-2-86

प्रेषक,

श्री हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०
(नाम से)

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 1986.

विषय : उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 की व्यवस्था के अनुसार मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित करने में विलम्ब ।

महोदय,

शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 की व्यवस्था के अनुसार मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित करने में अपेक्षित तत्परता नहीं बरती जा रही है और नियुक्ति प्राधिकारियों के स्तर पर ऐसे मामले वर्षों से लम्बित हैं । यह स्थिति किसी भी दृष्टिकोण से सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है । नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में किये जा रहे अनावश्यक विलम्ब के परिणामस्वरूप जहां एक ओर मृतक सरकारी सेवक के परिवार को आर्थिक विपदा का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर शासन की छवि भी धूमिल होती है, जो एक कल्याणकारी सरकार के लिये गम्भीर चिन्ता का विषय है ।

2—इस संदर्भ में शासन के कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा उपर्युक्त विषय पर जारी किये गये अशासकीय पत्र संख्या 6/12/1973-कार्मिक-2, दिनांक 22 जून, 1984 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित निर्देशों की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों के स्तर पर लम्बित मामलों के विवरण संलग्न प्रपत्र पर छमाही सूचना सचिवालय स्थित अपने प्रशासकीय विभाग को प्रेषित करें जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय कि मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अभी तक किन कारणों से सेवायोजित नहीं किया जा सका है । शासन के उपर्युक्त निर्देश का अनुपालन कराया जाना आपका दायित्व होगा ।

3—कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

भवदीय
हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव ।

अध्याय—10

1. अनन्तिम पेन्शन एवं ग्रेच्युटी

अनन्तिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को उस दशा में स्वीकृत की जाती है जबकि उसकी अंतिम पेन्शन स्वीकृत होने में किन्हीं कारणों से विलम्ब की सम्भावना हो। अनन्तिम पेन्शन/ग्रेच्युटी को स्वीकृत करने हेतु दिनांक 1-11-77 से अराजपत्रित के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा राजपत्रित अधिकारियों के लिए विभागाध्यक्ष को अधिकार प्रदान किया गया है।

राजाज्ञा संख्या सा-3-2085/दस-907/76 दिनांक 13-12-77 द्वारा इस प्रकार स्वीकृत की जाने वाली अनन्तिम पेन्शन का भुगतान 12 माह की अवधि तक किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। पुनः राजाज्ञा संख्या सा-3-1004/दस-907/78 दिनांक 11-7-78 द्वारा अनन्तिम पेन्शन के भुगतान की अवधि 12 माह के स्थान पर 6 माह कर दी गयी। किन्तु इससे उत्पन्न पेंशनर की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शासन ने राजाज्ञा संख्या सा-3-1797/दस-921/84 दिनांक 13-2-85 द्वारा उक्त नीति का और सरलीकरण करते हुए निम्नवत् आदेश जारी किया :—

1—अनन्तिम पेंशन भुगतान हेतु निर्धारित 6 माह की अवधि के समाप्त होने के बाद भी महालेखाकार/मुख्य लेखाधिकारी, जैसी स्थिति हो, के स्तर से अन्तिम पेंशन निर्धारित न हो पाने की दशा में 6 माह की अवधि के लिए अग्रेतर अनन्तिम पेंशन और स्वीकृत कर दें।

2—यदि उपर्युक्त 12 माह की अवधि में भी अन्तिम रूप से पेंशन निर्धारित न हो, तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उक्त अवधि को बढ़ाने के लिए अपने प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव संदर्भित करें जो उसे पुनः 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं।

3—प्रशासकीय विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अनन्तिम पेंशन की अवधि के इस प्रकार बढ़ाये जाने के पूर्व इससे आश्वस्त हो लें कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की अन्तिम पेंशन निर्धारित किये जाने की प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब के लिए विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष दोषी नहीं हैं।

(अ) अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी की अदायगी :—

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यदि शासन द्वारा विनिर्दिष्ट समयसारिणी के अनुसार किन्हीं विशिष्ट कारणों से किसी विशेष मामले में अन्तिम पेंशन आदेश जारी करने के लिए पेन्शन के कागज पूर्ण करके महालेखाकार/मुख्य लेखाधिकारी को भेजना सम्भव न हुआ हो अथवा उन्हें विलम्ब से भेजा गया हो और सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीना पहले पेन्शन अदायगी आदेश जारी न किया जा सका हो, तो उन्हीं मामलों में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी अदायगी आदेश जारी करेंगे। अनन्तिम आनुतोषिक का भुगतान करने से पूर्व, बकाया दीर्घावधि अग्रिम, वेतन और भत्तों आदि के किये गये अधिक भुगतान और अन्य देय, वसूलियों जैसी ज्ञात सभी देय रकमों का समायोजन किया जायगा। जहां इस प्रकार के कोई समायोजन नहीं किये जाने हों वहां विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित आनुतोषिक की धनराशि के 10 प्रतिशत या रुपया 1000/-, जो भी कम हो, की कटौती अंशतः अनिर्धारित देय रकमों को, यदि कोई हो, तो पूरा करने के लिए और अंशतः आनुतोषिक के अन्तिम निर्धारण में समायोजन किये जाने के लिए कर ली जायेगी। यह रकम 1000/- रुपया केवल 6 माह तक ही रोके जाने के आदेश हैं। यदि इस अवधि में देय रिपोर्ट प्राप्त न हो, तो रोकी गयी धनराशि 6 माह की समाप्ति पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भुगतान कर दी जायेगी।

अनन्तिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी के स्वीकृति आदेश का प्रारूप भी दिया जा रहा है।

2. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अवकाश वेतन तथा पेन्शन के आबंटन के समायोजन की पद्धति

उ० प्र० शासन द्वारा भारत सरकार के निर्देश पर सरकारी सेवकों के केन्द्र सरकार से प्रदेशीय सरकारों एवं प्रदेशीय सरकारों से केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के मामलों में अवकाश वेतन एवं पेन्शनरी अंशदानों के भुगतान की नई प्रक्रिया राजाज्ञा सं० जी-1-553/दस-201-85 दिनांक 18-5-87 द्वारा दिनांक 1-4-87 से निम्नवत् लागू की गयी :—

(क) **अवकाश वेतन**—भुगतान करने का उत्तरदायित्व उस विभाग का होगा जहां से सरकारी सेवक अवकाश पर प्रस्थान करेगा चाहे वह उसका पैतृक विभाग हो अथवा वह विभाग जहां प्रतिनियुक्ति पर है।

(ख) **पेन्शन**—पेंशन, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल है, के सम्पूर्ण भुगतान का उत्तरदायित्व उस केन्द्र अथवा राज्य सरकार का होगा जिससे सेवानिवृत्ति के समय सरकारी सेवक स्थायी रूप से सम्बद्ध होगा। केन्द्र / राज्य सरकार जहां सरकारी सेवक ने कार्य किया है से आनुपातिक पेन्शन की वसूली नहीं की जायगी।

उक्त आदेश ऐसे सरकारी सेवकों के मामलों में लागू नहीं होंगे जो भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं।

प्र—34

3. अपेक्षित प्रपत्र

अनन्तिम पेन्शन/ग्रेच्युटी स्वीकृति आदेश प्रपत्र

Draft of Office Order for the sanction of Provisional Gratuity & Pension

कार्यालय ....

संख्या .... दिनांक ....

शासनादेश संख्या सा-3-2085/दस-907-76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में निर्गत आदेशों के अन्तर्गत निम्नांकित अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :—

1—सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का नाम ....

2—(क) अन्तिम पद ....

(ख) कार्यालय का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुआ ....

3—(क) सेवानिवृत्ति की किस्म ....

(ख) सेवानिवृत्ति का दिनांक ....

4—ट्रेजरी का नाम जहां से अनन्तिम पेंशन/
ग्रेच्युटी का आहरण किया जायगा ....

5—ट्रेजरी का नाम जहां से अन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी का आहरण किया जायगा—

(क) पेंशन ....

(ख) ग्रेच्युटी ....

6—(क) अनन्तिम पेंशन की धनराशि (शब्दों तथा अंकों में) ....

(ख) अवधि जिसके लिये अनन्तिम पेंशन..........से............ तक स्वीकृत की गई।

7—अनन्तिम डी०वी०आर० ग्रेच्युटी की स्वीकृत की गई धनराशि रु०.....................

(शब्दों तथा अंकों में) ....

स्वीकर्त्ता अधिकारी का पदनाम

संख्या .... दिनांक ....

(1) एक प्रति महालेखाकार (तृतीय), उत्तर प्रदेश पेंशन, आडिट विभाग, इलाहाबाद 211001 (पी० बी० सं०-113) को प्रेषित।

(2) दो प्रतियां कार्यालयाध्यक्ष का पद नाम तथा पता ....

....

को प्रेषित।

(3) एक प्रति उस कोषाधिकारी को प्रेषित जहां से अनन्तिम पेंशन आहरित की जायगी } ....
....
....

(जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम)

रा—52

4. सम्बन्धित राजाज्ञाएं

संख्या सा-3-1657/दस-931-87

प्रेषक,

श्री सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 9 जून, 1987

विषय : पारिवारिक पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण—अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के भुगतान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 शासनादेश संख्या जी-2–769/दस-917-61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 में निहित प्राविधानों के अधीन दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से प्रभावी की गई थी । उक्त योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिये यह प्राविधान किया गया था कि यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा के दौरान अथवा उसके उपरान्त मृत्यु हो जाये, तो उसके परिवार के पात्र सदस्य को मृत्यु के दूसरे दिन से पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की जायेगी । उपरोक्त शासनादेश में किये गये प्राविधानों तथा उसके बाद किये गये संशोधनों के अनुसार परिवार के सदस्यों की पारिवारिक पेंशन की पात्रता से सम्बन्धित स्थिति अब निम्नवत् है । पारिवारिक पेंशन :

(क) सर्वप्रथम विधवा/विधुर को आजीवन या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, तक मिलेगी ।

(ख) विधवा/विधुर की मृत्यु/पुनर्विवाह होने की दशा में पुत्र को 21 वर्ष की आयु तक मिलेगी ।

(ग) उपर्युक्त (क) अथवा (ख) के पात्र व्यक्ति उपलब्ध न होने पर अविवाहित पुत्री को 24 वर्ष की आयु अथवा विवाह होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी । यदि कोई पुत्र अथवा पुत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हो, तो उसे ऐसी पारिवारिक पेंशन जीवन-पर्यन्त अनुमन्य होगी ।

2—इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन की दरें, जैसी शासनादेश संख्या सा-3–1563/दस-921-81, दिनांक 3 नवम्बर, 1981 में निर्धारित हैं, निम्नवत् हैं :—

राज्य कर्मचारी का वेतन	पारिवारिक पेंशन की धनराशि
(1) रु० 1,500 प्रतिमाह से कम	वेतन का 15% जिसका न्यूनतम रुपये 100 तथा अधिकतम रुपये 200 प्रति माह होगा ।
(2) रु० 1,500 प्रतिमाह या उससे अधिक	वेतन का 12% जिसका न्यूनतम रुपये 200 तथा अधिकतम रुपये 300 प्रति माह होगा ।

3—उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 की व्यवस्था के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अधिकृत किया गया है और उसमें अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की कोई व्यवस्था नही की गई है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में यह व्यवस्था है कि उनके पक्ष में निर्गत किये गये पेंशन प्राधिकार-पत्र में ही मृत्यु के उपरान्त उसके परिवार को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन की धनराशि व उसके भुगतान के आदेश उपलब्ध रहते हैं। अतएव पेंशनर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन का तत्काल भुगतान प्रारम्भ किये जाने में विलम्ब की संभावना नहीं रहती है। परन्तु ऐसे सरकारी सेवकों, जिनकी मृत्यु उनके सेवाकाल में ही हो जाती है, के परिवारों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने हेतु उनके प्रपत्रों को कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के कार्यालय द्वारा तैयार करने, उन्हें महालेखाकार/मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय भेजने और तत्पश्चात् वहां से प्राधिकार-पत्र निर्गत होने से अत्यधिक आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतएव इस समस्या पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये है कि ऐसे सेवारत सरकारी सेवकों के परिवारों को, जिनकी मृत्यु दिनांक 1 जून, 1987 अथवा उसके उपरान्त हो, अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की सुविधा अनुमन्य करा दी जाये तथा अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उसी प्राधिकारी द्वारा अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी/उप सचिव, इरला चेक अनुभाग सचिवालय द्वारा स्वीकृत कर दी जाये जहां से संबंधित सेवक अपना वेतन आहरित कर रहा था। इस प्रकार स्वीकृत की गई अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान मृत्यु के माह से अगले माह की पहली तारीख से हर दशा में प्रारम्भ कर दिया जाये।

4—अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निम्नवत् होगी :—

(1) सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर परिवार के संबंधित पात्र व्यक्ति द्वारा संलग्न अनुलग्नक—1 पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी/उप सचिव, इरला चेक अनुभाग सचिवालय को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिनका यह दायित्व होगा कि वे अविलम्ब संबंधित पात्र व्यक्ति को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रारम्भ कर दें।

(2) अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 90% होगी। यदि पारिवारिक पेंशन शासनादेश संख्या सा-3–1563/दस-921-81, दिनांक 3 नवम्बर, 1981 के अन्तर्गत बढ़ी हुई दर पर अनुमन्य है, तो अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उस बढ़ी हुई धनराशि के 90% की दर से अनुमन्य होगी। अनन्तिम पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी। प्रत्येक रुपये के भाग को अगले रुपये में राउण्ड करके स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अनन्तिम पारिवारिक पेंशन अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। प्रत्येक अंतिम पारिवारिक पेंशन प्राधिकार-पत्र पर महालेखाकार/मुख्य लेखा अधिकारी यह अभ्युक्ति अंकित करेंगे कि "अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि से अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि समायोजित कर ली जाये।"

(3) किसी सरकारी सेवक की सेवा में रहने पर मृत्यु हो जाने की दशा में यदि मृतक ने कम से कम सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान कर ली हो, तो मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष तक या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो, पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी अथवा उपरोक्तानुसार देय धनराशि की दुगुनी, जो भी कम हो, के बराबर होगी किन्तु यदि मृत्यु होने की तिथि से सरकारी सेवक पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका हो, तो उसके मामले में अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उसके मामले में अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि उसके पेंशन प्राधिकार-पत्र (पी.पी.ओ.) पर पहले से ही अंकित होगी

और उसके परिवार को मृतक की 65 वर्ष की आयु तक बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार स्वतः अनुमन्य हो जायेगी ।

5—यदि मृत्यु के समय सरकारी सेवक प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्य सेवा पर कार्यरत है, तो संबंधित पारिवारिक पेंशनर को अपना प्रार्थना-पत्र पैतृक विभाग के संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो यह प्रकल्पित करते हुए कि संबंधित सरकारी सेवक मृत्यु के दिनांक के ठीक पूर्व अपने पैतृक विभाग को प्रत्यावर्तित हो चुका था, उसकी अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने की अनन्तिम कार्यवाही करेगा । यदि प्रतिनियुक्ति पर जाने के पूर्व संबंधित सरकारी सेवक अपना वेतन कोषागार से सीधे अथवा उप सचिव, इरला चेक अनुभाग के माध्यम से आहरित करता रहा हो, तो पैतृक विभाग का संबंधित अधिकारी संबंधित कोषाधिकारी को अनन्तिम पेंशन आहरित करने हेतु अधिकृत कर देगा । स्वीकृति हेतु आगणन की कार्यवाही कोषाधिकारी के स्तर पर ही की जायेगी । प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अन्य सरकारी सेवकों की अनन्तिम पारिवारिक पेंशन पैतृक विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरित की जायेगी ।

6—आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी/उप सचिव, इरला चेक अनुभाग द्वारा अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी :—

(क) आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर

अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी सर्वप्रथम प्रार्थना-पत्र की सत्यता से अपने आपको संतुष्ट कर लेंगे और फिर उपरोक्त पैरा-2 में उल्लिखित दरों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का आगणन करके संलग्न अनुलग्नक-2 पर अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर देंगे जिसकी एक प्रति संबंधित कोषाधिकारी तथा दूसरी प्रतिलिपि महालेखाकार द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद अथवा मुख्य लेखा अधिकारी, जैसी स्थिति हो, को प्रेषित कर देंगे । साथ ही वे संबंधित पारिवारिक पेंशनर से सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नियमित तथा अन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त करेंगे और उसे मृत्यु के एक माह के भीतर महालेखाकार को अथवा अपने विभाग के मुख्य लेखाधिकारी (यदि मुख्य लेखा अधिकारी अन्तिम पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी हों) को प्रेषित कर देंगे । अन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना-पत्र प्रेषित करते समय संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी उक्त प्रार्थना-पत्र पर अनिवार्य रूप से यह अंकित कर देंगे कि संबंधित पारिवारिक पेंशनर को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन (पारिवारिक पेंशन एवं राहत की धनराशि अलग-अलग दर्शायी जायेगी) के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है । अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के उपरान्त संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी अनन्तिम पेंशन आहरण करने की प्रक्रिया के सदृश अनन्तिम पारिवारिक पेंशन हर माह तब तक आहरित करते रहेंगे जब तक महालेखाकार/मुख्य लेखा अधिकारी से अन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्राधिकार-पत्र प्राप्त न हो जाये । आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्यालय में इस हेतु उसी प्रकार के अभिलेख रखे जायेंगे जैसे अनन्तिम पेंशन के आहरण हेतु रखे जाते हैं ।

ख) कोषाधिकारी के स्तर पर

कोषाधिकारी के स्तर से अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने तथा भुगतान करने की प्रक्रिया केवल ऐसे अधिकारियों के लिए ही अपनायी जायेगी जो अपना वेतन कोषागार से सीधे आहरित करते हों । इनमें वे अधिकारी भी सम्मिलित होंगे जो मृत्यु के दिनांक को प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्य सेवा पर नियुक्त रहे हों तथा प्रतिनियुक्ति / बाह्य सेवा पर जाने से पूर्व कोषागार से अथवा उप सचिव, इरला चेक अनुभाग के माध्यम से अपना वेतन आहरित करते रहे हों । संबंधित पारिवारिक पेंशनर से प्रार्थना-पत्र (अनुलग्नक-1) प्राप्त होने के

उपरान्त संबंधित कोषाधिकारी प्रार्थना-पत्र की सत्यता की पुष्टि करेंगे । इस हेतु वे मृतक सरकारी सेवक के दो सहकर्मियों/साथी अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र ले लें कि संबंधित अभ्यर्थी मृतक के परिवार का ही सदस्य है तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र है । तदुपरान्त संबंधित कोषाधिकारी संलग्न अनुलग्नक-2 पर अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर देंगे और उसकी एक प्रति महालेखाकार अथवा मुख्य लेखा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को प्रेषित कर देंगे । संबंधित कोषाधिकारी द्वारा अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उसी बिल फार्म पर आहरित की जायेगी जिस पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अनन्तिम पेंशन आहरित की जाती है । इस हेतु वे एक रजिस्टर का रख-रखाव करेंगे जिस पर पारिवारिक पेंशनर का नाम तथा उसका पूर्ण विवरण, सरकारी सेवक का नाम, विभाग का नाम, मासिक अनन्तिम पेंशन की धनराशि तथा उसके मासिक आहरण आदि से संबंधित सूचना उपलब्ध रहेगी । इस पैरा में संदर्भित संबंधित व्यक्तियों द्वारा अन्तिम पारिवारिक पेंशन के प्रार्थना-पत्र सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मृतक के विभागाध्यक्ष के माध्यम से मृत्यु के एक माह के भीतर महालेखाकार/मुख्य लेखा अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे । अन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना-पत्र प्रेषित करते समय संबंधित विभागाध्यक्ष उक्त प्रार्थना-पत्र पर अनिवार्य रूप से यह भी अंकित करेंगे कि संबंधित पारिवारिक पेंशनर को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन (पारिवारिक पेंशन एवं राहत की धनराशि अलग-अलग दर्शायी जायेगी) के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ।

(ग) उप सचिव, इरला चेक अनुभाग के स्तर पर

ऐसे अधिकारियों, जिनका वेतन उप सचिव, इरला चेक अनुभाग द्वारा सीधे आहरित करके उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है, की मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र सदस्य के द्वारा उप सचिव, इरला चेक अनुभाग को संलग्न अनुलग्नक-1 पर अनन्तिम परिवारिक पेंशन स्वीकृत करने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा । ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सर्वप्रथम उप सचिव, इरला चेक अनुभाग प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यो की सत्यता की पुष्टि करेंगे और इस हेतु वे मृतक के दो सहकर्मी/साथी अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे कि संबंधित अभ्यर्थी मृतक के परिवार का ही सदस्य है तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति है । तदुपरान्त वे संबंधित प्रार्थी से यह अनुरोध करेंगे कि वे अनन्तिम पारिवारिक पेंशन आहरण करने हेतु किसी बैंक में अपना खाता खोल दें । यदि उनका खाता पहले ही से खुला हुआ हो, तो दूसरा खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु यदि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति अवयस्क हो, तो अनन्तिम पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु संबंधित व्यक्ति को आवश्यक आवेदन-पत्र किसी संरक्षक (Guardian) के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा और बैंक खाता किसी संरक्षक के नाम से खोलना होगा । उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त उपसचिव, इरला चेक अनुभाग संबंधित व्यक्ति को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उसी प्रक्रिया के अनुसार आहरित करते रहेंगे जैसी सामान्य रूप से वेतन आहरण करने हेतु अपनायी जाती है । यह आहरण तब तक किया जाता रहेगा जब तक संबंधित व्यक्ति का अन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्राधिकार-पत्र प्राप्त न हो जाये । इस पैरा में संदर्भित व्यक्तियों द्वारा अन्तिम पारिवारिक पेंशन के प्रार्थना-पत्र मृत्यु के एक माह के भीतर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मृतक के विभागाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार/मुख्य लेखा अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे । अन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना-पत्र प्रेषित करते समय संबंधित विभागाध्यक्ष उक्त प्रार्थना-पत्र पर अनिवार्य रूप से यह भी अंकित करेंगे कि संबंधित पारिवारिक पेंशनर की अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के रूप में कितनी धनराशि (पारिवारिक पेंशन एवं राहत की धनराशि अलग-अलग दर्शायी जायेगी) स्वीकृत की गई है ।

7—यदि स्वर्गीय सरकारी सेवक का परिवार लिखित रूप से यह प्रार्थना करता है कि उसकी अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान मनीआर्डर द्वारा किया जाये, तो संबंधित विभाग स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार के व्यय पर उक्त धनराशि मनीआर्डर द्वारा भेज सकते हैं ।

8—(क) यदि संबंधित पारिवारिक पेंशनर अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उस स्थान (जहां मृतक सरकारी सेवक अपना वेतन आहरित कर रहा था) के अतिरिक्त प्रदेश के किसी अन्य स्थान, जहां संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का Counterpart उपलब्ध हो, से प्राप्त करना चाहे, तो प्रथम स्थान का आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वीकृति आदेश की एक प्रति नान-पेमेन्ट सर्टीफिकेट अथवा एल०पी०सी० (अन्तिम भुगतान प्रमाण-पत्र) के साथ अपने Counterpart को भेज देगा जहां अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसी प्रकार किया जाता रहेगा जैसे उक्त प्रथम कार्यालय द्वारा किया जाता । यदि किसी दूसरे स्थान पर मूल आहरण एवं वितरण अधिकारी का कोई Counterpart नहीं है अथवा पारिवारिक पेंशनर अनन्तिम पारिवारिक पेंशन प्रदेश के बाहर प्राप्त करने की व्यवस्था चाहता है, तो ऐसी दशा में वह अपनी पारिवारिक पेंशन उपरोक्त पैरा 7 में इंगित प्रक्रिया के अनुसार मनीआर्डर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है ।

(ख) यदि कोई पारिवारिक पेंशनर अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उपरोक्त पैरा 6 (ख) के अनुसार किसी कोषागार द्वारा अन्य कोषागार से आहरित करना चाहता है, तो उपरोक्त पैरा 8 (क) में उल्लिखित प्रक्रिया के सदृश अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का स्वीकृति आदेश दूसरे कोषाधिकारी को स्थानान्तरित कर देंगे जो अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसी प्रकार करते रहेंगे जैसा पहले कोषाधिकारी द्वारा किया जाता ।

(ग) यदि किसी पारिवारिक पेंशनर की अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उपरोक्त पैरा 6(ग) के अनुसार उप सचिव, इरला चेक अनुभाग द्वारा स्वीकृत की गई है और वह उसे किसी अन्य स्थान से आहरित करना चाहता है, तो उपरोक्त पैरा 8 (क) में उल्लिखित प्रक्रिया के सदृश प्रक्रिया के अनुसार उप सचिव, इरला चेक अनुभाग अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का स्वीकृति आदेश उस स्थान के कोषाधिकारी को स्थानान्तरित कर देंगे जहां संबंधित पारिवारिक पेंशनर अनन्तिम पारिवारिक पेंशन आहरित करना चाहता है तथा जो अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान उस प्रकार करेंगे जैसा उनके द्वारा उस दशा में किया जाता जब अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उन्हीं के द्वारा स्वीकृत की गई होती ।

9—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश/मुख्य लेखा अधिकारी से अन्तिम पारिवारिक पेंशन प्राधिकार-पत्र प्राप्त हो जाने के साथ ही अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा तथा पूर्व में भुगतान की गई धनराशि का समायोजन करने के उपरान्त नियमित रूप से भुगतान प्रारम्भ किया जायेगा ।

भवदीय,
सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव ।

अनुलग्नक—1

अनन्तिम पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

(छपा हुआ फार्म उपलब्ध न होने पर यह आवेदन सादे कागज पर दिया जा सकता है।)

सेवा में,

महोदय,

मैं श्रीमती/श्री/कुमारी..आयु................................

वर्ष..................................माह..................................दिन (जन्मतिथि)..

श्री/श्रीमती.. (मृतक सरकारी सेवक का नाम) को/का विधवा/विधुर पुत्र/पुत्री हूँ और उनकी (सरकारी सेवा में) मृत्यु के उपरान्त शासनादेश संख्या जी 2—769/दस–917–61 दिनांक 24-8-66 सपठित शासनादेश संख्या सा–3–1563/दस–921–81 दिनांक 3-11-1981 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने हेतु पात्र व्यक्ति हूँ। मेरे पति/पत्नी/पिता/माता मृत्यु के पूर्व.............................. ....(कार्यालय का नाम एवं पता) में..के पद पर कार्यरत थे/थी और वे मृत्यु के ठीक पूर्व वेतनमान रु०..........................में रु०...........................मासिक वेतन आहरित कर रहे थे/थी (यदि सरकारी सेवक को मूल मासिक वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य धनराशियां भी प्राप्त हो रही थीं, तो उनका भी पूर्ण विवरण हाशिये में दिया जाये)।

2—मेरे पति/पत्नी/पिता/माता की मृत्यु दिनांक...को हो गई है। मृत्यु प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि/फोटोस्टेट प्रति संलग्न है। मेरे पति/पत्नी/पिता/माता की जन्मतिथि ....है और वे दिनांक....................................को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करते/करतीं।

3—मेरा निवेदन है कि मुझे पारिवारिक पेंशन की 90% धनराशि अनन्तिम रूप से स्वीकृत की जाये। मैं इस बात से सहमत हूँ कि बाद में अन्तिम रूप से स्वीकृत पारिवारिक पेंशन से अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की पूर्ण धनराशि, जिसका मुझे भुगतान किया जायेगा, का समायोजन कर लिया जाये। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के रूप में मिली धनराशि यदि मुझे अन्ततोगत्वा देय धनराशि से अधिक हो, तो उस अधिक धनराशि को भी एकमुश्त अथवा किस्तों में अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि से समायोजित कर लिया जाये। इस हेतु तथा अपनी पहचान एवं पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु मैं निम्न दो अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रस्तुत करती/करता हूँ जो मेरे इस संबंध में साक्षी एवं जमानतकर्ता होंगे :—

	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1—	____________	____________	____________
2—	____________	____________	____________

4—मृतक के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम तथा विवरण निम्नवत् हैं :—

सदस्य का नाम	सदस्य का पता	सदस्य का मृतक से सम्बन्ध	सदस्य की जन्मतिथि

5—मृतक के परिवार के निम्न सदस्य (पुत्र एवं पुत्रियों के सम्बन्ध में ही सूचना दी जाये) मानसिक रूप से विक्षिप्त/शारीरिक रूप से विकलांग हैं (चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न) :—

1—

2—

3—

भवदीय/भवदीया

नाम (   )

तिथि :   पूरा पता :

अनुलग्नक—2

अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का स्वीकृति आदेश

प्रेषक,

.... (स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय का

.... नाम व पता)

सेवा में,

.... (पारिवारिक पेंशन पाने वाले का नाम

.... एवं पता)

....

संख्या :—   दिनांक ....

विषय :—श्री/श्रीमती/कुमारी .... **को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति ।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या सा-3—1657/दस—931-87, दिनांक 9 जून, 1987 के अधीन आपको उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है :—

1—मृतक सरकारी सेवक का नाम तथा मृत्यु के पूर्व	....
पदनाम तथा कार्यालय का नाम	....
2—मृत्यु की तिथि	....
3—मृतक की सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि	....
4—मृतक की मृत्यु के दिनांक की प्राप्त मूल वेतन	....
5—अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि	....
6—अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि (उपरोक्त 5 का 90%)	....
7—अनन्तिम पारिवारिक पेंशन पर देय राहत	....
8—योग	रु० ....
	या
	रु० .... (अगले रुपये में राउन्ड करने के उपरान्त)
	रु० .... (शब्दों में)
9—यदि मृत्यु के पूर्व सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की गई हो, तो शासनादेश संख्या सा-3—1563/दस—921-81 दिनांक 3-11-1981 के अन्तर्गत देय पारिवारिक पेंशन की धनराशि	....
10—उपरोक्त 9 में उल्लिखित दशा में अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि (उपरोक्त 9 का 90%)	....
11—उपरोक्त 10 की धनराशि पर अनुमन्य राहत	....
12—योग	रु० ....
	या
	रु० .... (अगले रुपये में राउन्ड करने के उपरान्त)
	रु० .... (शब्दों में)

2—चूंकि उपरोक्त क्रमांक 12 पर स्वीकृत धनराशि केवल 7 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य है, अतः यह धनराशि दिनांक················तक ही अनुमन्य होगी। तत्काल दिनांक················ से उपरोक्त क्रमांक 5 अथवा 6, जैसी स्थिति हो, पर उल्लिखित धनराशि अनुमन्य होगी।

3—यह स्पष्ट किया जाता है कि महालेखाकार/मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय से अन्तिम पारिवारिक पेंशन का आदेश प्राप्त हो जाने की अगली तिथि से उपरोक्त अनन्तिम पारिवारिक पेंशन बन्द कर दी जायेगी और अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि को अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि से समायोजित कर लिया जायेगा।

4—उपरोक्त अनन्तिम पारिवारिक पेंशन श्री/श्रीमती/कुमारी ···················· को दिनांक················ तक (अथवा पुनर्विवाह की स्थिति में पुनर्विवाह के दिनांक तक), जो भी पहले हो, अनुमन्य की जायेगी। तत्पश्चात् उसे दिनांक···················· तक श्री/श्रीमती/कुमारी को तथा दिनांक················तक श्री/श्रीमती/कुमारी— ························की अनुमन्य किया जायेगा।

भवदीय,

( )

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम।

संख्या— वही तिथि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ इस आशय से प्रेषित कि वे अन्तिम पारिवारिक पेंशन के अग्रसारण पत्र की एक प्रति उपरोक्त आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी/उप सचिव, इरला चेक अनुभाग को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कर दें कि वे अन्तिम पारिवारिक पेंशन में से अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि अवश्य समायोजित कर लें :—

1—कोषाधिकारी, ························ (यह पृष्ठांकन उस दशा में आवश्यक है जब आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाये।)

2— (विभागाध्यक्ष का नाम एवं पता—यह पृष्ठांकन उस दशा में आवश्यक है जब अनन्तिम पारिवारिक पेंशन कोषाधिकारी अथवा उप सचिव, इरला चेक अनुभाग द्वारा स्वीकृत की जाये।)

3—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/मुख्य लेखा अधिकारी························ (नाम एवं पता)।

भवदीय,

रा—53

संख्या जी–1–553/दस–201–85

प्रेषक,

श्री सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—1 लखनऊ : दिनांक 18 मई, 1987

विषय : केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अवकाश वेतन तथा पेंशन के आवंटन के समायोजन की पद्धति का सरलीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1987 से सरकारी सेवकों के केन्द्र सरकार से प्रदेशीय सरकारों, प्रदेशीय सरकारों से केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के मामलों में अवकाश वेतन एवं पेंशनरी अंशदानों के भुगतान की प्रथा को समाप्त किये जाने और उक्त तिथि से ऐसे मामलों में एक नई प्रक्रिया लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है जो निम्न प्रकार है :—

(क) **अवकाश वेतन**—केन्द्र सरकार से प्रदेशीय सरकारों तथा प्रदेशीय सरकारों से केन्द्र सरकार को अवकाश वेतन अंशदान भुगतान करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाये । अवकाश वेतन के भुगतान करने का उत्तरदायित्व उस विभाग को होगा जहां से सरकारी सेवक अवकाश पर प्रस्थान करेगा चाहे वह सरकारी सेवक का पैतृक विभाग हो अथवा वह विभाग हो जहां वह प्रतिनियुक्ति पर है ।

(ख) **पेंशन**—पेंशन, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल है, के सम्पूर्ण भुगतान का उत्तरदायित्व उस केन्द्र अथवा राज्य सरकार का होगा जिससे सेवानिवृत्ति के समय सरकारी सेवक स्थायी रूप से सम्बद्ध होगा । केन्द्र/राज्य सरकार, जहाँ सरकारी सेवक ने कार्य किया है, से आनुपातिक पेंशन की वसूली नहीं की जायेगी ।

2—भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त दोनों प्रकार के अंशदानों के संबन्ध में लागू की गई व्यवस्था को उत्तर प्रदेश सरकार में भी दिनांक 1 अप्रैल, 1987 से लागू किये जाने के संबन्ध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है । अतएव भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–14(5)/86/टी०ए०/1029, दिनांक 9 अक्टूबर, 1986 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने और उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

3—यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश ऐसे सरकारी सेवकों, जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर जाते है, के मामलों में लागू नहीं होंगे ।

भवदीय,
सोम दत्त त्यागी
विशेष सचिव ।

COPY

No. 14(5)/86/TA/1029

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

CONTROLLER-GENERAL OF ACCOUNTS

8th FLOOR, LOK NAYAK BHAWAN

KHAN MARKET, NEW DELHI–110003.

Dated, the 9th October, 1986.

OFFICE MEMORANDUM.

Subject :—Simplification of adjustments on account of allocation of leave salary and pension between Central and State Governments.

The Government of India appointed a Committee to review the existing G.F. Rs. Treasury Rules and Account Code Vol. I and to make conceptual suggestions for their revision so as to simplify and rationalise those rules. The Committee in Chapter 5 of its Second Report has examined the existing system of allocating the liability on account of leave salary and pensionary charges of the government servants who have served under the Central Government and State Governments as contained in Appendix 3-B-II and IV of Account Code, Vol. I and made his following recommendations :—

(a) The practice of realising leave salary contributions may be dispensed with altogether as this is a very small fraction of amounts payable to State Governments on account of deputation of their officers to the Central Government.

(b) Recovery of leave/pension contributions in respect of inter-State transactions, which must be few and far between and could be given up.

(c) In regard to pensionary hability, the Central Government may forgo any contribution recoverable from State Governments to whom Central Government officers are deputed.

(d) In lieu of Central Government liability towards pension of State Government officers (mainly All India Service Officers) who are deputed to Centre for varying spells an adhoc grant payable in cash to State Government may be worked out at the beginning of the financial year and disbursed to them in one lump sum as Grant-in-Aid (Non-Plan) on the basis of a simple formula which takes into account cadre strength and average length of deputation of All India Service Officers to Central Government.

2. Pursuant to the above, it has been decided in consultation with the State Governments to dispense with the system of allocation of leave salary and pension between Central and State Governments as specified below :—

(a) *Leave Salary*—The existing system of allocation or sharing of the liability on account of leave salary contribution by Central Government to State Governments or vice versa will be dispensed with. The liability for leave salary will be borne in full by the Department from which the Government servant proceeds on leave, whether it be his parent department or a borrowing department with whom he is on deputation.

(b) *Pension*—The liability for pension including gratuity will be borne in full by the Central/ State Department to which the Government Servant permanently belongs at the time of retirement. No recovery of proportionate pension will be made from Central/State Government under whom he has served.

(c) *Contributory Provident Fund*—The liability for Government contributions will be borne by the parent department of the Central or State Government and no share of contribution among the departments of the various State Governments.

3. It has also been proposed to extend the above provisions to exchange of officers between two State Governments. Accordingly, there will be no allocation of leave salary/pension contribution among the departments of the various State Governments.

4. These orders will take effect from April 1, 1987, and will apply to all cases of leave salaries and pensions sanctioned on or after that date.

5. Necessary action in regard to the payment of compensation in the form of grant-in-aid, as envisaged in para 1 (d) above, to each State Government in lieu of Central Government liability towards pension of State Government officers is being taken sparately.

6. This issues with the concurrence of the Comptroller and Auditor-General of India Vide his U.O. No. 114-AG-1/163-86, Vol. II, dated October 3, 1986

P. V. Desai,

Joint Controller-General of Accounts.

द्वितीय खण्ड

[राजकीय कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि नियम, निर्देश, राजाज्ञाएं एवं प्रपत्र]

अध्याय - 12

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि – नियम, व्यवस्था

भविष्य निर्वाह निधि की व्यवस्था कर्मचारी और उसके परिवार के लिये इस उद्देश्य से की गई है कि वह बचत उनके गाढ़े समय में काम आ सके। इसी कारण इस निधि में जमा की गई धनराशि भविष्य निर्वाह निधि अधिनियम 1925 के प्राविधान के अन्तर्गत अभिरक्षित है और उससे अभिदाता के किसी कर्ज या अन्य देनदारों की वसूली नहीं की जा सकती है, न ही अन्यथा अटैच किया जा सकता हैं।

1. भविष्य निर्वाह निधि नियमावली

(1) प्रत्येक कर्मचारी एक वर्ष की अस्थायी सेवा के उपरान्त सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान के लिए अधिकृत ही जाता है।

(2) अभिदान की वर्तमान न्यूनतम दर मौलिक वेतन का दस प्रतिशत है। सरकारी सेवक स्वेच्छा से इससे अधिक दर से भी अभिदान दे सकता है।

(3) जो धनराशि अभिदाता के भविष्य निधि में नियमित रूप से जमा की जाती है, वह राशि विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त अभिदाता के सेवा निवृत्ति होने, नौकरी छूट जाने, निधन होने से पूर्व नहीं निकाली जा सकती है, परन्तु सेवाकाल में अभिदाता कुछ निर्धारित दायित्वों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए उस निधि से अग्रिम/अन्तिम निष्कासन प्राप्त कर सकता है।

(4) कतिपय प्रतिबन्धों के साथ किन्हीं सीमित प्रयोजनों हेतु सरकारी सेवक भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से अस्थायी अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। यह अग्रिम उसके आश्रितों की बीमारी, चिकित्सा अथवा विकलांगता अथवा उच्च शिक्षा, विवाह, अन्तिम संस्कार एवं अन्य संस्कारों के प्रथानुसार उत्सवों आदि पर व्यय हेतु स्वीकार किया जा सकता है। इसकी वसूली अधिकतम 24 किस्तों में तथा अग्रिम 3 माह के वेतन से अधिक होने की दशा में 36 किस्तों तक वसूल की जा सकती है।

(5) पहले अस्थायी/स्थायी अग्रिमों पर कर्मचारी से ब्याज भी लिया जाता था लेकिन 11-10-76 से भविष्य निर्वाह निधि अग्रिम पर ब्याज समाप्त हो गया है।

(6) शासनादेश संख्या सा 4-109/दस -51-1-75 दिनांक 5-12-79 तथा सा- 4-1463 / दस- 81-501/75 दिनांक ■ 11-81 तथा सा- 4-14/दस- 82/501/75 दिनांक 30-3-82 के अन्तर्गत भविष्य निर्वाह निधि में जमा की जाने वाली धनराशि से जीवन बीमा पालिसी के वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध है किन्तु चार से अधिक बीमा की पालिसी के लिए अग्रिम आहरण नहीं कर सकता है।

(7) शासनादेश संख्या सा- 4-1491/दस- 502 दिनांक 24 अगस्त, 1979 तथा सा- 4-222/दस- 502/71 दिनांक 17 सितम्बर, 1977 के अनुसार नामांकन पत्र भरे जाने के समय यदि अभिदाता का परिवार है तो वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम निधि का नामांकन नहीं कर सकता है। यदि कोई अभिदाता एक से अधिक नामांकन भरता है तो उसे नामांकन प्रपत्र में प्रत्येक नामांकित व्यक्ति का अलग-अलग हिस्सा स्पष्ट करना होगा।

(8) शासनादेश संख्या सा- 4-222 /दस- 502/71 दिनांक 17-9-77 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले भविष्य निधि के नामांकन पत्रों के भरे जाने की प्रक्रिया की सरल बना दिया है। अब उन्हें महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर कर्मचारी के विभागाध्यक्ष के कार्यालय में ही अभिरक्षित रखे जाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

(9) निलम्बन अवधि अथवा अवकाश अवधि में वेतन देय नहीं होता है अथवा आधा औसत वेतन प्राप्त होता है तो भविष्य निधि की कटौती नहीं होगी।

(10) शासनादेश संख्या सा- 4-478 /दस- 506/72 दिनांक 1-4-75 द्वारा यह आदेश दिये गये हैं कि एक से अधिक अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करते समय पिछले अग्रिम की वसूली की अवशिष्ट धनराशि को अनुवर्ती के साथ समेकित करके वसूली किस्तें निश्चित की जायें।

(11) निधि से अन्तिम निष्कासन भवन निर्माण अथवा भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय करने, अपने मकान में परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करने, पुत्र तथा पुत्री के विवाह तथा उच्च शिक्षा के लिए अभिदाता को स्वीकार किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निष्कासन तभी अनुमन्य है जबकि अभिदाता ने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों अथवा उसकी आयु के अनुसार अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने के लिये 10 वर्ष रह गये हों। इस सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों की भविष्य निधि नियमावली, 1985 द्वारा इसका क्षेत्र और विस्तृत किया मया है।

(12) सामान्यतः अन्य निर्धारित शर्तों के रहते हुए अन्तिम निष्कासन की धनराशि अभिदाता के छः मास के वेतन अथवा उसके खाते में जमा अवशेष धनराशि से आधे, जो भी कम हो, से अधिक न होगी। किन्तु विशेष परिस्थितियों में निधि में जमा अवशेष के तीन चौथाई के बराबर तक स्वीकृत किया जा सकता है।

(13) पहले की राजाज्ञानुसार राज्य कर्मचारियों को भविष्य निधि से अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति के उपरान्त आहरण हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना पड़ता था। अब शासनादेश संख्या जी- 4-2385 /दस- 514/53 दिनांक 1-10-75 द्वारा यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी है।

(14) शासनादेश संख्या सा- 1786 /दस- 512/53 दिनांक 31-5-78 द्वारा उच्च शिक्षा में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी भविष्य निर्वाह निधि से अन्तिम निष्कासन की सुविधा प्रदान कर दी गई।

(15) शासनादेश संख्या जी- 4-2626 /दस- 521/60 दिनांक 16-12-75 द्वारा दि. 1 अप्रैल 1976 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिनका पुराना वेतन मान 185-265 अथवा उससे निम्न वेतनमान हो, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के लेखों के रख-रखाव के सम्बन्ध में पासबुक प्रणाली लागू की गयी है।

(16) शासनादेश संख्या सा- 4-2450/दस- 503/77 दिनांक 12-12-77 तथा सा- 4-1077/दस- 503/77 दिनांक 8-5-78 के अनुसार ऐसे सभी राज्य कर्मचारी जिनके पुराने वेतनमान का अधिकतम 1200/- से अधिक नहीं है तथा मया वेतनमान 1720/- से अधिक नहीं है सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखों के रख-रखाव के लिए 1-4-78 से पासबुक प्रणाली चालू की गई है तथा उनके भविष्य निर्वाह निधि लेखों के लेजर खातों का रखरखाव भी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा। 1-4-85 से सभी वर्गों के राजकीय सेवकों के लिए पासबुक प्रणाली लागू करने के आदेश शासनादेश संख्या सा- 4ए.जी- 57 /दस- 84-510/84 दि. 26-12-84 द्वारा प्रदान किया गया।

(17) शासनादेश संख्या सा- 4-2869 /दस- 512/75 दिनांक 25-11-78 द्वारा ऐसे राज्य कर्मचारियों को जो अपने भविष्य निर्वाह निधि खाते में लगातार 5 वर्षों तक कोई निष्कासन नहीं लेते उनके खाते में जमा धनराशि पर 1 प्रतिशत प्रोत्साहन बोनस देने का निर्णय लिया गया था। शासनादेश संख्या सा- 4-जी.आई. 28 /दस- 86-59-81 दि. 5-7-86 द्वारा दि. 1-4-86 से अलग से बोनस देने की प्रथा समाप्त कर दी गई।

(18) शासनादेश संख्या सा- 4-ए.जी./दस- 513/50 दिनांक 2-3-79 के द्वारा सेवानिवृत्ति के 4 माह पूर्व से उनके वेतन से भविष्य निधि के सम्बन्ध में कोई कटौती या वसूली नहीं की जायेगी तथा उनके खाते के अन्तिम भुगतान का प्रार्थना-पत्र भी उनसे प्राप्त कर महालेखाकार, उ. प्र., इलाहाबाद, को अग्रसारित कर दिया जायेगा।

2. पासबुक प्रणाली के रख-रखाव हेतु आवश्यक निर्देश

राज्यपाल महोदय ने शासनादेश संख्या सा- 4-2450/दस- 503/1977 दिनांक 12 दिसम्बर, 1977 के द्वारा 1 अप्रैल, 1978 पासबुक प्रणाली निम्न प्रकार लागू की है—

(1) प्रारम्भिक अवशेष

प्रत्येक अभिदाता को एक पासबुक दी जायेगी, जिसमें उसके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखे का हिसाब रखा जायेगा। इस 1 अप्रैल 77 को वह धनराशि प्रारम्भिक अवशेष के रूप में ली जायेगी जो महालेखाकार उ. प्र. द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को वित्तीय 1976-77 तक के लिए जारी की गयी लेखा पर्ची में उसके भविष्य निर्वाह निधि में 31-3-77 को इतिशेष के रूप में दिखाई गई

(2) जमा, अभिदान अग्रिम की वसूली, ब्याज आदि का विवरण

पहली अप्रैल 77 के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि शिड्यूल के आधार पर भविष्य निधि खाता (लेजर) बनाया जायेगा जिसके अनुसार धनराशि पासबुक में अंकित की जायेगी। कार्यालय द्वारा भविष्य निधि खाते का रख-रखाव इस शासनादेश के साथ संलग्न लेजर के प्रारूप के अनुसार किया जायेगा।

(3) महालेखाकार द्वारा प्रेषित लेखा पर्ची में पाई गई विषमता का निराकरण

चूंकि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खातों के रख-रखाव की वर्तमान व्यवस्था में पासबुक प्रणाली जोड़ी जा रही है, अतः महालेखाकार द्वारा प्रत्येक कर्मचारी की उसके भविष्य निधि खाते की वार्षिक लेखा पर्ची पूर्ववत् भेजी जाती रहेगी जिसका मिलान वह अपनी भविष्य निर्वाह निधि की पासबुक में दिखाई गई धनराशि से करेगा और विषमता होने की दशा में उसे ठीक कराने की कार्यवाही कार्यालयाध्यक्षों द्वारा तत्परता से की जायेगी।

(4) वार्षिक इतिशेष

प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को जो इतिशेष होगा वह अगले वर्ष की पहली अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष के रूप में अंकित किया जायेगा।

(5) पासबुक की प्रविष्टियां आहरण/वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी जो अपने सुस्पष्ट हस्ताक्षर करेंगे एवं उसके नीचे दिनांक व मुहर लगायेंगे।

(6) पासबुक में दिये गये सभी स्तम्भ भरे जायेंगे और उनमें छपे अनुदेशों का सावधानी से पालन किया जायेगा।

(7) वे पासबुकें सम्बन्धित कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पास रहेंगी जो उनमें आवश्यक प्रविष्टियां कर वर्ष में दो बार अप्रैल तथा अक्टूबर के महीने में सम्बन्धित कर्मचारियों को उनकी जानकारी के लिए उपलब्ध करा देंगे। कर्मचारी अपनी पासबुक की जाँच करने के 1 माह के अन्दर उपरोक्त अधिकारियों को अग्रिम प्रविष्टियाँ अंकित करने के लिए वापस कर देगा।

(8) यदि कोई कर्मचारी किसी दूसरे विभाग में अथवा कार्यालय की स्थानान्तरित हो जाता है तो कार्यालयाध्यक्ष उसकी पासबुक में प्रविष्टियां पूर्ण कराकर उसमें निम्नलिखित पृष्ठांकन अंकित करेगा तथा उसे उसके अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के साथ सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को भेज देगा।

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता इस कार्यालय क पत्र-संख्या ....
दिनांक .... द्वारा .... को स्थानान्तरित कर दिया गया।

हस्ताक्षर
मुहर सहित

(9) वर्ष 1976-77 तथा इससे पूर्व के वर्षों में भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि में भिन्नता हो तो उन्हें ठीक कराने की कार्यवाही सम्बन्धित कर्मचारी के प्रार्थना-पत्र के दिनांक से छः माह के अन्दर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

अन्य बिन्दु

(1) प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप कर्मचारियों के कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फण्ड खाते में जमा धनराशि पर नियोक्ता के अंशदान की राशि ब्याज सहित सरकारी खजाने में जमा कराने के सम्बन्ध में शासनादेश सं. सा- 3-381/दस- 79 -म. ले- 11-78 दिनांक ..-2-79 द्वारा यह आदेश दिये गये हैं कि प्रान्तीयकरण की शर्तों में यह उल्लेख कर दिया जाता है कि इन कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि खाते में नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान ब्याज सहित राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिये। ऐसा किए जाने के फलस्वरूप इन कर्मचारियों की उतनी अवधि जिसके लिए नियोक्ता का अंशदान ब्याज सहित राजकोष में निर्धारित अवधि के भीतर

जमा हो जाता है, को पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हकारी सेवा में सम्मिलित कर लिया जाता है। शासन ने इस प्रकार की धनराशि के जमा करने हेतु समय वृद्धि देने के लिए विभागाध्यक्ष को अधिकृत किया है।

(2) राजाज्ञा सं. सा-4-20(2)/दस-503-75 दिनांक 5-3-80 के अनुसार रुपया 185-265 वेतनक्रम में सेलेक्शन ग्रेड (200-320) पाने पर भी उक्त वेतनक्रम के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों का रख-रखाव कार्यालयाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा ही किया जाता रहेगा।

4. सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की नयी नियमावली

राज्य कर्मचारियों के लिए भविष्य निर्वाह निधि की नयी नियमावली उ. प्र. सरकार के असाधारण गजट में 29 अक्टूबर, 1985 (नियमावली संलग्न) को प्रकाशित होने के तुरन्त बाद से लागू हो गयी है, अतः इस तिथि के बाद के सारे प्रकरण इस नियमावली के अन्तर्गत ही निस्तारित होंगे। पुनश्च चूंकि भविष्य निर्वाह निधि की व्यवस्था कर्मचारी और उसके परिवार के लिए इस उद्देश्य से की गयी है कि व बचत उसके गाढ़े समय में काम आ सके, इसी कारण इस निधि में जमा की गयी धनराशि भविष्य निर्वाह निधि अधिनियम, 1925 के अन्तर्गत अभिरक्षित है और उससे अभिदाताओं के किसी कर्ज या अन्य देनदारियों की वसूली नहीं की जा सकती है और न ही उसे अन्यथा अटैच किया जा सकता है। भविष्य निर्वाह निधि के प्रकरणों के निस्तारण में निम्न बिन्दुओं का ध्यान विशेष उपयोगी रहेगा जो नयी नियमावली के आधार पर उद्धृत किये जा रहे हैं :—

1. प्रत्येक आहरण-वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने अधीनस्थ कार्यरत प्रत्येक अभिदाता के लिए एक जी. पी. एफ. पासबुक खोले और इस निमित्त निहित निर्देशों के अनुसार उनका रख-रखाव करे तथा अभिदाता के स्थानान्तरण की स्थिति में, स्थानान्तरण की तिथि तक पासबुक को पूर्ण करके 'अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र' के साथ नये स्थल को अग्रसारित करे। (नियम 28)

2. नामांकन का इस निधि से बहुत महत्वपूर्ण सम्बन्ध है, अतः अभिदाता के निधि में शामिल होते ही उसे अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को नामांकन पत्र देना होगा, जो अभिदाता के परिवार होने की स्थिति में परिवार से बाहर नहीं होगा और यदि नामांकन एक से अधिक सदस्यों के लिए किया जाता है तो अभिदाता को उन्हें देय धनराशियों के विभाजन का अनुपात भी निश्चित करना होगा। परिवार न होने की स्थिति में किया गया नामांकन परिवार होते ही अवैध हो जायेगा। नामांकन किसी भी समय एक नया नामांकन पत्र देने पर निरस्त कराया जा सकता है। (नियम 5)

3. प्रत्येक नामांकन अथवा उसका निरस्तीकरण इस आशय के प्रपत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्राप्त होने की तिथि से ही प्रभावी माना जायेगा। (नियम 5)

4. अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज का आगणन पूर्व वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि से चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान खाते में जमा धनराशि पर किया जायेगा। यह ब्याज चालू वर्ष के प्रारम्भिक शेष पर निकाले गये ब्याज के अतिरिक्त होगा। चालू वर्ष के प्रारम्भिक शेष में पूर्व वर्ष में मिलने वाले 'बोनस' की धनराशि भी शामिल होगी। ब्याज के आगणन में 50 पैसे से अधिक की धनराशि पूरा एक रुपया मानी जायेगी और उससे कम की धनराशि छोड़ दी जायेगी। ब्याज की दर प्रति वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा संसूचित की जाती है।

पुनश्च, वेतन से होने वाली कटौतियां, कटौती वाले महीने को पहली तारीख को वसूल मानी जायेंगी। लेकिन यदि किसी माह का वेतन अगले माह की पहली तारीख के बजाय पूर्व माह में भुगतान हो जाय तो कटौती अगले माह की ही समझी जायेगी। (नियम 11)

5. विगत तीन वित्तीय वर्षों में अपने खातों से किसी तरह का अग्रिम न लिये जाने पर, वर्ष के अन्त में खाते के सम्पूर्ण शेष पर एक प्रतिशत की दर से बोनस प्राप्त होगा, जिसकी गणना निकटतम रुपयों में की जायेगी— बशर्ते अभिदाता से विगत तीन वर्षों से नियमित कटौतियां की गयी हीं। अल्प समय के लिए बिना वेतन के अवकाश, आधे वेतन के अवकाश तथा निलम्बन की अवधियां, जिसमें अभिदान निलम्बित रहा, अपवाद स्वरूप समझी जायेंगी, बशर्ते ऐसे अभिदान निलम्बन की अनुमति मिली हो (नियम 12)। इस सम्बन्ध में राजाज्ञा संख्या सा.-4-2९ /दस-512-75 दि. 25-11-78 एवं राजाज्ञा सा.-4-2133/दस-83-512-75 दि. 24-9-83 भी अवलोकनीय हैं।

6. जी. पी. एफ. खाते से अग्रिम आदि की प्रक्रिया का उदारीकरण किया गया है तथा अग्रिम के आवेदन-पत्र एवं स्वीकृति आदेश के प्रारूप उक्त नियमावली के परिशिष्ट 'अ' में उल्लिखित है। नये नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत प्राधिकारी की संतुष्टि पर निम्न उद्देश्यों के लिए अस्थायी अग्रिम अनुमन्य किये गये हैं :–

(i) अभिदाता या उसके परिवार या उस पर पूर्ण आश्रित व्यक्तियों की बीमारी, विकलांगता आदि पर होने वाले खर्चे, जिनमें यात्रा व्यय भी शामिल है।

(ii) अभिदाता, परिवार या पूर्ण आश्रित व्यक्तियों की उच्च शिक्षा के निमित्त, आवश्यकतानुसार यात्रा व्यय सहित।

(iii) अभिदाता की रीति-रिवाज और परम्परा के अनुसार उसके अपने. परिवार अथवा पूर्ण आश्रित व्यक्तियों से सम्बन्धित विभिन्न समारोहों के खर्चे के निमित्त।

(iv) अभिदाता, परिवार या पूर्णाश्रित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियों में होने वाले व्यय के निमित्त।

(v) भवन-निर्माण, क्रय, मरम्मत आदि पर होने वाले खर्चों के वहन के निमित्त।

(vi) अभिदाता के अपने प्रयोग के लिये वाहन क्रय, रेफ्रीजरेटर क्रय, कूलर क्रय, गैस-कनेक्शन या टेलीविजन क्रय पर होने वाले व्यय हेतु। (नियम 13 (2))

7. सामान्यतः अस्थायी अग्रिम विशेष कारणों को छोड़कर तीन महीने के वेतन या खाते में जमा धनराशि का आधा, जो भी कम हो, से अधिक नहीं स्वीकृत किया जायेगा। उसे अगला अग्रिम तभी स्वीकार किया जायेगा, जबकि पूर्व के अग्रिमों की अन्तिम वापसी की कम से कम 12 माह व्यतीत हो चुके हों। अग्रिम की स्वीकृति के आदेश पर अभिदाता के लेखा संख्या का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए तथा उसकी प्रतियां पासबुक रखने वाले आहरण अधिकारी तथा महालेखाकार को पृष्ठांकित होनी चाहिए। (नियम 13 (6))

8. सेवानिवृत्ति या अधिवर्षता आयु के 6 माह पूर्व की अवधि में सामान्यतः कोई भी अग्रिम स्वीकार नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि अस्थायी अग्रिम स्वीकृत ही किया जाना हो, तो यह स्वीकर्ता अधिकारी का दायित्व है कि ऐसी स्वीकृति आहरण अधिकारी एवं महालेखाकार को तुरन्त सूचित करके, अविलम्ब उनकी प्राप्ति स्वीकार करे। ऐसे अग्रिम की वसूली पूर्णतया यदि सेवानिवृत्ति तक न हो जाय तो उसका समायोजन विहित नियमों के अनुसार कर लिया जायेगा, यह उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। (नियम 13(7))

9. अस्थायी अग्रिम की वसूली की किस्तें इस तरह से निर्धारित की जानी चाहिए कि सेवानिवृत्ति (अधिवर्षता) से कम से कम 6 माह पूर्व अग्रिम की पूर्ण वापसी सम्भव हो सके। (नियम 14)

10. अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति के समय उसके कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिये और यदि स्वीकृति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त कारणों पर धन व्यय किया जा रहा है तो वह अभिदाता से अग्रिम की तत्काल वापसी की कार्यवाही कर सकेगा, जो एकमुश्त या किस्तों में हो सकती है। (नियम 15)

11. नियमावली के नियम 16 में जी. पी. एफ. खाते से अन्तिम निष्कासन की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख है। अन्तिम निष्कासन अभिदाता की 20 वर्ष की सेवा (खण्डित सेवावधियों एवं निलम्बन की अवधियों सहित, अगर निलम्बन के बाद अभिदाता पुनः सेवा में ले लिया गया हो) या सेवानिवृत्ति/अधिवर्षता आयु से 10 वर्ष के भीतर देय होता है। यह अग्रिम सामान्यतया खाते में जमा धनराशि का आधा या छः महीने का वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में खाते में उपलब्ध धनराशि का 3/4 तक स्वीकृत किया जा सकता है।

किसी एक उद्देश्य के लिए यदि पूर्व में अस्थायी अग्रिम स्वीकार किया जा चुका है तो उसी उद्देश्य के लिए उसी समय अन्तिम निष्कासन अनुमन्य न होगा।

विशेष कारणों से अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति करने वाला अधिकारी अभिदाता की प्रार्थना पर अस्थायी अग्रिम को अन्तिम निष्कासन में परिवर्तित कर सकता है, बशर्ते अभिदाता अन्यथा इसका पात्र हो।

एक उद्देश्य के लिए केवल एक बार ही अन्तिम निष्कासन अनुमन्य है। इस सम्बन्ध में आगे परिशिष्ट में विशेष विवरण दिया जा रहा है।

12. अभिदाता के सेवानिवृत्त होने के बाद उसके खाते में जमा की गयी धनराशि उसे देय हो जाती है।

13. यदि देय धनराशि के भुगतान से पूर्व या सेवाकाल में अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसके पक्ष में जमा धनराशि नामां- व्यक्ति/व्यक्तियों को उल्लिखित अनुपात में देय हो जाती है, बशर्ते वे परिवार के सदस्य हों। परिवार से बाहर के नामांकन की स्थिति जबकि अभिदाता का परिवार हो, परिवार के सदस्यों में सम्पूर्ण धनराशि बराबर-बराबर बँट जायेगी। लेकिन बालिग हो चुके पुत्रों, पुत्रों के बालिग पुत्रों, ब्याहता सुहागिन पुत्रियों तथा मृत पुत्र की सुहागन ब्याहता पुत्रियों को कोई भाग नहीं प्राप्त हो सकेगा।

14. अधिवर्षता को आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अन्तिम भुगतान का आवेदन-पत्र सेवानिवृत्ति के 6 माह सम्बन्धित आहरण अधिकारी को फार्म 425-बी पर भेजे जायेंगे। अन्य मामलों में इस श्रेणी के लिए देय होने की तिथि के 1 माह भीतर दावे प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। आहरण अधिकारी द्वारा देय धनराशि को सेवानिवृत्ति को तिथि को या अन्यथा देय तिथि तीन माह के भीतर अभिदाता को भुगतान कर दिया जायेगा।

15. अन्य श्रेणी के मामलों में दो आवेदन 425-ए फार्म पर अभिदाता द्वारा आहरण अधिकारी को त्रिपत्री में दिये जायेंगे- 90% के भुगतान के लिए और दूसरा अवशेष के भुगतान के लिए। सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व तथा अन्य मामलों में देय तिथि के 1 के अन्दर आवेदन कर दिया जाना चाहिए।

16. आहरण अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले 5 वर्षों को आगणन शीट तैयार करेगा (त्रिपत्री और प्राप्ति के एक माह के अन्दर आगणन शीट और आवेदन की दो-दो प्रतियां, पासबुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध वरिष्ठ लेखाधिकारी को अग्रसारित करेगा। लेखाधिकारी सम्यक् जांचोपरान्त 1 माह के अन्दर प्रकरण को स्वीकृति प्राधिकारी के पास 90 प्रति- भुगतान अधिकृत करने के लिए भेजेगा, जो 90 प्रतिशत भुगतान अधिकृत करने के लिए आहरण अधिकारी को एक आदेश पारित करते हुए प्रति कोषाधिकारी एवं महालेखाकार को देगा, जो अपने स्तर से अवशेष भुगतान को स्वीकृत/अधिकृत करेगा।

अन्तिम भुगतान

शासन ने राजाज्ञा सं. सा- 4-ए. जी. 57/दस- 84-510-84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 के द्वारा तृतीय एवं उससे उच्च श्रे- के सभी राजकीय कर्मचारियों के लिए पासबुक प्रणाली तथा उसके अन्तर्गत अन्तिम भुगतान की नई व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अन्त-

(1) राजाज्ञा सं. सा- 4-2450/दस- 503-77 दिनांक 12-12-77 से तृतीय व उससे उच्च श्रेणी के सेवकों जिनका वे- 1200/- तक था, पर पासबुक प्रणाली लागू की गई।

(2) राजाज्ञा सं. सा- 4-1314/दस- 81-503-77 दि. 1-8-81 द्वारा रु० 1200/- से अधिक वेतन पाने वाले ऐसे सेवकों भी यह व्यवस्था लागू की गई जिनके वेतन का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग के आदेश सं. ए- 1-2830/10-5(8)-26, दिनांक 24-10-. द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किये जाने का प्राविधान किया गया था।

(3) दिनांक 1-4-85 से सभी वर्गों के राजकीय सेवकों के लिए पासबुक प्रणाली लागू कर दी गई है।

90% का भुगतान

उक्त सेवकों को उनकी सेवा निवृत्ति के समय पासबुक में उपलब्ध धनराशि के 90% का भुगतान कर दिया जाय तथा शेष 10 प्रति- का भुगतान सेवानिवृत्ति के विलम्बतम तीन माह के भीतर महालेखाकार के लेखों से मिलान करके महालेखाकार के प्राधिकार पत्र पर कर दि- जाय। इस सम्बन्ध में शासन ने सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों की निम्नांकित प्रक्रिया के अक्षरशः पालन करने के आदेश भी दिये हैं

(क) सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पासबुक प्रणाली

(1) पासबुक प्रणाली 1975 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी। अब यह प्रणाली प्रत्येक स्तर कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू की गई। आहरण एवं वितरण अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि वे आवश्यक मात्रा में पासबुकों प्रतिपूर्ति राजकीय मुद्रणालय से सम्पर्क करके प्राप्त करें।

(2) आहरण-वितरण अधिकिारियों को स्थानीय प्रेसों से पासबुक छपाने या स्थानीय प्रेसों की छपी पासबुकों का प्रयोग से पूर्णतया वर्जित किया गया है।

(3) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पासबुकें पहले से बनी हैं उनकी पासबुकें यथावत् चालू रक्खी जायें। यदि उनमें अभी तक अन्तिम/प्रारम्भिक अवशेष प्रदर्शित नहीं किये जाते रहे हैं तो उनमें निम्नलिखित पैरा (ख) में निर्धारित प्रक्रियानुसार 1-4-85 के प्रारम्भिक अवशेष अंकित कर दिये जायँ और भविष्य में उनमें पैरा (घ) में अंकित प्रक्रिया के अनुसार प्रविष्टियाँ और (ङ) में उल्लिखित प्रक्रियानुसार ब्याज का आगणन किया जाय।

(4) पासबुकों में किसी प्रकार का मिटाना (इरेजर) वर्जित है। प्रत्येक प्रविष्टि पर अनुच्छेद (झ) के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। पासबुक प्रारम्भ करने के पूर्व पासबुक के पृष्ठ 4 से 13 तक की प्रविष्टियां पूरी करना, जिसमें कर्मचारी/अधिकारी के नामिनी का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। पासबुकें 31-3-85 तक पूर्ण करने के भी आदेश थे।

(ख) उपरोक्त नई प्रणाली लागू करने की तिथि तथा 1-4-85 का प्रारम्भिक अवशेष निकालने की प्रक्रिया

(1) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके लिए पासबुक पहली बार खोली जायेगी अथवा जिनकी पासबुकों में अन्तिम अवशेष/प्रारम्भिक अवशेष अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया हैं पासबुक में 1-4-85 को प्रारम्भिक अवशेष का आधार महालेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 83-84 की निर्गत लेखा पर्ची का अन्तिम अवशेष होगा। 1-4-85 के लिए प्रारम्भिक अवशेष निम्नवत् निकाला जायगा :—

(अ)	महालेखाकार द्वारा निर्गत वर्ष 83-84 की लेखा पर्ची में दिखाया गया अन्तिम अवशेष	....
(ब)	आहरण एवं वितरण अधिकारी के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 84-85 में जमा की गई धनराशि	....
(स)	वर्ष 84-85 में आगणित ब्याज	....
(द)	वर्ष 84-85 में प्रोत्साहन बोनस की धनराशि (यदि कोई हो)	....
	योग	....
(ब)	वर्ष 84-85 में लिये गये अस्थायी अग्रिम/अन्तिम निष्कासन की धनराशि (योग में से घटाएं)	....
	वर्ष 84-85 का अन्तिम अवशेष	....

(यदि किसी धनराशि में पैसा का उल्लेख हो तो 50 पैसे से कम को निचले रुपये में तथा यदि 50 पैसे या अधिक हो तो अगले रुपये में परिवर्तित कर पूर्णांक में दर्शाया जायगा।)

(2) यदि महालेखाकार द्वारा वर्ष 83-84 की लेखा पर्ची निर्गत न की गई हों तो पूर्व की निर्गत लेखा पर्ची को आधार मान लिया जायगा और उस लेखा पर्ची के अन्तिम अवशेष के बाद जमा की गई धनराशि, अस्थायी अग्रिम या अन्तिम निष्कासन ब्याज व बोनस का आगणन करके 84-85 का अन्तिम शेष निकाला जायगा।

(3) यदि किसी जमा व निकासी की प्रविष्टियाँ छूट गई हों जिनके लिए अभिदाता द्वारा लिखा गया हो तो उसकी पुष्टि अपने कार्यालय या जहाँ कर्मचारी उस अवधि में कार्यरत रहा हो उसके आहरण-वितरण अधिकारी से इसकी पुष्टि करके महालेखाकार को लिखते हुए इसको सम्मिलित किया जायगा। यदि उस अवधि (जिसका मिसिंग क्रेडिट/डेबिट है) के अभिलेख उपलब्ध न हों तो राजाज्ञा सं. सा- 4-ए. जी.- 2/दस- 84-527-79 दि. 8-3-1984 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार अभिदाता के कथन की पुष्टि में उससे शपथ-पत्र लेकर अपरिहार्य परिस्थिति में इसकी प्रविष्टि की जाय। उक्त शासनादेश में रु. 500/- की सीमा लगाई गई थी जिसे अब शासन ने पत्रांक सा- 4-ए. जी.- 57/दस- 84-510-84 दि. 26-9-84 द्वारा समाप्त कर दिया है।

(4) उक्त पैरा (3) के अनुसार मिसिंग क्रेडिट/डेबिट की पुष्टि कर निर्धारित प्रक्रियानुसार उस पर भी ब्याज आगणन कर 31-3-85 के अन्तिम शेष में सम्मिलित किया जायगा। इस प्रकार 1-4-85 के प्रारम्भिक शेष की पूर्ण सूचना आगणन शीट के साथ 30-6-85 तक

आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा महालेखाकार को भेजी जायगी जिससे वे अपने कार्यालय के लेखों को सही तथा अद्यावधिक कर सकें। इ सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्ति का निराकरण व्यक्तिगत स्तर पर ठीक करवाया जाय।

(ग) पासबुक का रख-रखाव

पासबुकों के उचित रख-रखाव एवं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की व्यक्तिगत रूप में होगी। पासबु आहरण-वितरण अधिकारी के व्यक्तिगत ताले-चाभी में रहेंगी। माह के अन्त में प्रविष्टि हेतु सम्बन्धित लेखाकार को दी जायेंगी। अप्रैल पासबुकों पर ब्याज आगणित करके एवं पासबुक पूर्ण करके सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को दिखाकर पासबुक तथा एक अलग रजिस्टर प हस्ताक्षर ले लें।

(घ) पासबुक में नैत्यिक प्रविष्टियां

पासबुकों में प्रत्येक माह की कटौती एवं कोई अस्थायी अग्रिम या अन्तिम निष्कासन से सम्बन्धित प्रविष्टियां पूर्ण कराने की जिम्मेदा आहरण-वितरण अधिकारी की है। यदि कोई अग्रिम या अन्तिम निष्कासन की प्रविष्टियां छूट जायेंगी, तो शासन को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति लिए सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(ङ) सेवानिवृत्ति के समय भुगतान

(1) प्रत्येक ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को जो 1-4-85 के उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे, उपरोक्त पासबुक में उपलब्ध अवशेष धनराशि 90% का भुगतान किया जायगा। इस प्रकार के भुगतान करने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक ऐसे सेवानिवृत्त होने वाले व्यवि के लिए उसकी सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व फार्म 425-ए अथवा 425-बी (जैसी स्थिति हो) पर आवेदन-पत्र प्राप्त करके सेवानिवृत्ति के वित्ती वर्ष से पहले पाँच वर्ष पूर्व तक के तथा सेवानिवृत्ति के वर्ष के ब्याज तथा बोनस के आगणन शीट्स पर तीन प्रतियों में बनायेंगे। चालू वित्तीय व की आगणन शीट में सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व तक की सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से दर्शायी जायँगी तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक तक ब्याज त बोनस आगणित किया जायगा। उपरिलिखित तीन प्रतियों में से पहली तथा दूसरी प्रति फार्म 425-ए/ 425-बी/ 425-सी (जैसी स्थिति ह सहित सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा अपने विभाग के विभागाध्यक्ष के साथ सम्बद्ध मुख्य लेखाधिकारी/ब०वित्त ल लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी को पासबुक सहित ब्याज तथा बोनस के आगणन की चेकिंग हेतु प्रेषित की जायगी। जहाँ लेखाधिकारी नहीं है व आहरण-वितरण अधिकारी उक्त शीट कोषाधिकारी को जांच हेतु प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित जांच अधिकारी इसकी जांच करके प्राप्ति के एक म के भीतर दोनों प्रतियों को सम्बन्धित अधिकारी को जो भविष्य निधि नियमावली के पांचवें शिड्यूल (पैरा- 2) में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अन्तिम निष्कासनों की स्वीकृत करने हेतु सक्षम हैं, प्रेषित कर देंगे।

उपरोक्त 90 प्रतिशत अन्तिम भुगतान की स्वीकृति हेतु भविष्य निधि नियमावली के पांचवें शिड्यूल (पैरा- 2) में उल्लिखित अधिका को शासन ने अधिकृत किया है। उपरोक्तानुसार मुख्य ले. अ./वरिष्ठ वित्त लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/कोषाधिकारी से आगणन शीट्स की प्रा के एक माह के भीतर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी पासबुक में उपलब्ध धनराशि के 90% का भुगतान आदेश बनाकर सम्बन्धित आहरण-वितर अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिसकी एक प्रति पासबुक के साथ महालेखाकार को, आगणन शीट्स की दूसरी प्रति फार्म 425-ए/बी/सी (जै स्थिति हो) के साथ सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को, तीसरी प्रति कोषाधिकारी को, चौथी प्रति विभाग के मुख्य ले. अ./वरिष्ठ ले. अ. को प्रेषि की जायगी।

(2) उक्त भुगतान आदेश प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी अभिदाता के लेखों का महालेखाकार के कार्याल से मिलान करवाने का व्यक्तिगत रूप से प्रयास करेंगे। यदि महालेखाकार से लेखों का मिलान हो जाने के उपरान्त महालेखाकार कार्यालय सेवानिवृत्ति के पूर्व ही 10 (दस) प्रतिशत के भुगतान के आदेश उपलब्ध हो जायें तो पूर्ण भुगतान हेतु (90% सक्षम अधिकारी के प्राधिकार पत्र 10% महालेखाकार के प्राधिकार पत्र पर) सेवानिवृत्ति के एक सप्ताह पूर्व बिल कोषाधिकारी को आहरण हेतु प्रस्तुत कर पूर्ण भुगतान कर्मच की सेवा-निवृत्ति के दिनांक को ही कर दिया जाय अन्यथा 90% का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिनांक को अवश्य कर दिया जाय।

सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं भुगतान लेखा शीर्षक "8005-राज्य भविष्य निधि- 01-सिविल -1 -सामान्य भविष्य निधि- 01-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग के अभिदाता- 02-अन्य अभिदाता के नामे" डाला जायगा। प्रोत्साहन की धनराशि भुगतान वेतन के साथ उसी लेखा शीर्षक से किया जायगा जिससे सम्बन्धित अधिष्ठान के वेतन भत्ते आदि आहरित किये जाते हो।

राजकीय कर्मचारियों के लिए

वित्त विभाग उ० प्र० शासन की राजाज्ञा सं. जी- 4/1890/दस -502-1985, दिनांक 29-10-85 के द्वारा सा. भ. निधि नियमावली, 1985, में सा. भ. निधि से अग्रिम देने की निम्नवत् व्यवस्था की गई है :—

अग्रिमों की प्रकृति	स्वीकर्ता अधिकारी	किन प्रयोजनों पर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है	सीमा	शर्तें	अन्य विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6
1. अस्थायी अग्रिम (साधारण)	कार्यालयाध्यक्ष (जो सम्बन्धित कर्मचारी के स्थानान्तरण पर वित्तीय ह. पु. खण्ड- 5 भाग- 1 के अनु.- 249 के तहत अग्रिम वेतन स्वीकृत करने हेतु अधिकृत हो)	अभिदाता, अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य या अभिदाता पर पूर्ण आश्रित सदस्य के— (1) बीमारी, चिकित्सा, विकलांगता (ऐसे प्रकरणों में जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित), विवाह, अन्त्येष्टि या ऐसे उत्सव जो उसके धार्मिक रीति रिवाज के कारण अनिवार्य हो, के लिए। (2) उच्च शिक्षा जो हाई स्कूल स्तर के बाद की— (अ) विदेश में—शैक्षिक, प्राविधिक, वोकेशनल या प्रोफेशनल शिक्षा हेतु। (ब) भारत में—मेडिकल, इन्जीनियरिंग, अन्य प्राविधिक तथा स्पेशलाइज्ड कोर्स। (3) न्यायिक परिवाद सम्बन्धी व्यय। (4) अभिदाता पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कानूनी अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त करने हेतु।	तीन माह का वेतन या जमा धनराशि का आधा, इसमें जो भी कम हो।	अग्रिमों की वसूली अधिकाधिक 20 किस्तों में व न्यूनतम 12 किस्तों में/अभिदाता की इच्छा पर 12 से कम किस्तों पर भी वसूली हो सकती है।	

1	2	3	4	5	6
		(5) मोटर सायकिल, स्कूटर (मोपेड सहित), सायकिल, रेफ्रीजरेटर, रूमकूलर, कुकिंग गैस कनेक्शन या टेलीविजन सेट जो अभिदाता के स्वयं प्रयोग हेतु क्रय हो । (6) अपने निवास हेतु – गृह निर्माण, गृह निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण, भवन मरम्मत, पुनर्निर्माण, परिवर्तन, परिवर्द्धन या विकास प्राधिकरण, स्वायत्त निकाय, हाउसिंग बोर्ड, हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी या सेल्फ-फाइनेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत भूमि या भवन के आवंटन हेतु धन जमा करने के लिए ।			
2. अस्थायी अग्रिम (विशेष कारणों से)	विभागाध्यक्ष (शि.नि./अ.शि.नि.)	—उक्तवत्—	तीन माह के वेतन से अधिक या निधि में जमा अवशेष के आधे से अधिक होने की दशा में ।	अधिकतम 36 किश्तों में वसूली की जायगी। अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारी की अवकाश-प्राप्ति के 6 माह पूर्व वसूली हो जानी चाहिए।	
3. अन्तिम निष्क्रमन (स्थायी अग्रिम या अवापसी अग्रिम)	विभागाध्यक्ष (शि.नि./अ.शि.नि.)	(ए) (1) अभिदाता, उसका स्वयं का बच्चा जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हो को उच्चतर शिक्षा, प्राविधिक, मेडिकल, इन्जीनियरिंग या इसी प्रकार की शिक्षा के लिए, विदेश या भारत में, आवश्यकतानुसार यात्रा व्यय सहित ।	खण्ड (ए) (सी) (डी) (ई) के अन्तर्गत अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का आधा या 6 माह के वेतन के बराबर, इसमें जो कम हो ।	अभिदाता की 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर (जिसमें निलम्बन अवधि जो बाद में	

1	2	3	4	5	6
		(2) पुत्र-पुत्री या उस पर वास्तव में आश्रित सम्बन्धी के विवाह। (3) अभिदाता, उसके परिवार या पूर्ण आश्रित सदस्य की बीमारी, विकलांगता आदि की चिकित्सा हेतु यात्रा व्यय सहित।	विशेष कारणों में जमा धन का 3/4 किन्तु अधिकतम 25,000 रुपये तक। रु० 25,000 से अधिक की मांग की दशा में दो किस्तों में भुगतान किया जायगा।	प्रभावी न रह गई हो या सेवा के अन्य व्यवधानों को जोड़कर) या उसकी सेवानिवृत्ति तिथि से 10 वर्ष पूर्व इसमें जो पहले हो। अन्तिम निष्कासन एक उद्देश्य के लिए एक ही बार किया जा सकता है।	विवाह के लिए निकासी का तीन माह में उपभोग आवश्यक है।
		(बी) (1) मोटरकार, मोटर सायकिल, स्कूटर (मोपेड सहित) या इस हेतु पूर्व लिये गये ऋण की वापसी हेतु	रु० 50,000 या जमा का आधा या इसका मूल्य जो भी कम हो	—उक्तवत्—	
		(2) मोटरकार, मोटर सायकिल, स्कूटर के वृहद मरम्मत या ओवरहालिंग	रु० 5,000 या जमा का आधा या मरम्मत का पूर्ण व्यय, इसमें जो कम हो।		
		(सी) (1) स्वयं के रहने के लिए भवन, उपयुक्त भूखण्ड अधिग्रहण करना, बना बनाया फ्लैट क्रय (2) उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये ऋण की वापसी (3) भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय करने या इस हेतु लिये गये ऋण की वापसी हेतु	अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का आधा या 6 माह के वेतन के बराबर, जो कम हो/विशेष कारणों पर 3/4 या	15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या 10 वर्ष की सेवा बाकी रहने पर इसमें जो भी कम हो। अन्तिम निष्कासन के 6 माह के भीतर कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिए तथा एक वर्ष	निष्कासन एक किस्त में स्वीकृत हो सकता है यदि भवन, फ्लैट या साइट के पूर्ण क्रय या इस हेतु प्राप्त ऋण वापसी के उद्देश्य

1	2	3	4	5	6
		(4) स्वयं के या एक्वायर भवन में परिवर्तन/परिवर्द्धन (5) पैतृक भवन में नवीनीकरण, परिवर्तन/परिवर्द्धन (6) क्रीत भूमि पर भवन निर्माण	रु० 25,000 तक। रु० 25,000 से अधिक की दशा में दो किस्तों में	में निर्माण पूर्ण कराना चाहिए। यदि ऋण की वापसी हेतु धन लिया गया है तो धन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर भुगतान कर देना चाहिए। एक उद्देश्य के लिए एक ही बार अन्तिम निष्कासन मान्य है।	पर ही एक किस्त में अन्तिम निष्कासन स्वीकार किया जा सकता है।
		(डी) जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम के भुगतान हेतु	अधिकतम 4 पालिसी, जिसमें निधि से फाइनेन्स पालिसी भी सम्मिलित है, की किस्तों का भुगतान	तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त।	वर्ष में एक बार ही एक पालिसी पर निष्कासन मान्य है।
		(ई) फार्म भूमि प्राप्ति हेतु या व्यापार परिसर की प्राप्ति हेतु या दोनों के लिए	उसके खाते में जमा धन का अधिकतम 3/4 या रु० 25,000 या अधिक।	अवकाश प्राप्त करने के 12 माह के भीतर।	

नोट : बच्चों के विवाह, बीमारी व भवन में परिवर्तन या बच्चों की शिक्षा में उसी उद्देश्य को एक उद्देश्य नहीं माना जायेगा।

आहरण-वितरण अधिकारी के लिए ज्ञातव्य

(1) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि पासबुक में ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिये।

(2) अभिदाता के परिवार का पूर्ण विवरण अंकित होना चाहिये।

(3) पासबुक के सभी स्तम्भ भरे जाने चाहिये।

(4) जी. पी. एफ. लेखा संख्या स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिये।

(5) सामान्य भविष्य निधि अनुसूची (शेड्यूल) पर पूरा नाम अंकित किया जाना चाहिये तथा जी. पी. एफ. लेखा संख्या सही होनी चाहिये।

(6) अभिदाता के स्थानान्तरण होने पर अनुसूची (शेड्यूल) के रिमार्क कालम में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिये।

(7) यदि सामान्य भविष्य निधि के मासिक अभिदान की धनराशि बदली जाती है तो अनुसूची (शेड्यूल) पर इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

(8) सामान्य भविष्य निधि के सीरीज की मोहर अलग-अलग रखना चाहिये।

(9) सामान्य भविष्य निधि शेड्यूल में अग्रिम की वसूली की किस्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये।

(10) वेतन बिल एवं सामान्य भविष्य निधि शेड्यूल की धनराशि के योग का मिलान किया जाना चाहिये।

(11) सामान्य भविष्य निधि के चालानों में यदि पूर्ण विवरण अंकित नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

(12) अग्रिमों के स्वीकृति आदेश को संदर्भित प्रपत्रों पर अंकित किया जाना चाहिये।

(13) सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 के 24(5) ए (4) के अनुसार 90 प्रतिशत भुगतान के आवेदन-पत्र प्रपत्र 425-ए अथवा 425-बी पर ही प्रस्तुत किया जाय।

(14) आगणन शीट वर्तमान वित्तीय वर्ष तथा उसके पूर्व के पांच वित्तीय वर्षों के बनाये जायं एवं वर्ष में आहरित धनराशि का उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये।

(15) सामान्य भविष्य निधि पास बुक के आहरण पक्ष में आदेश सहित आहरित धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाय। यदि किसी वर्ष आहरण नहीं किया जाता है तो भी आहरण शून्य अंकित कर आहरण-वितरण अधिकारी अपना हस्ताक्षर करें।

(16) आहरण-वितरण अधिकारी के स्वयं के 90 प्रतिशत भुगतान का प्रकरण उससे उच्च अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जाय।

ब्याज की दरें एवं आगणन के उदाहरण

भविष्य निधि पर देय ब्याज की दरें

वर्ष	दर प्रतिवर्ष	सम्मुख अंकित रुपये से जो धनराशि अधिक होगी उस पर ब्याज की दर
1957-58 से 61-62 तक	3.75 प्रतिशत	–
1962-63 से 64-65 तक	4.00 "	–
1965-66	4.25 "	–
1966-67	4.60 "	–
1967-68	4.80 "	–

1968-69	5.10 "	रु. 10.000 से अधिक पर	4.80
1969-70	5.25 "	– "	4.80
1970-71	5.50 "	"	4.80
1971-72	5.70 "	– "	5.00
1972-73 से 73-74 तक	6.00 "	– "	5.30
1-4-74 से 31-7-74 तक	6.50 "	रु. 15,000 "	5.80
1-8-74 से 31-3-75 तक	7.50 "	रु. 25,000 "	7.00
1975-76 से 76-77 तक	7.50 "	– "	7.00
1977-78 से 79-80 तक	8.00 "	"	7.50
1980-81	8.50 "	– "	8.00
1981-82	9.00 "	– "	8.50
1982-83	9.00 "	रु. 35,000 "	8.50
1983-84	9.50 "	रु. 40,000 "	9.00
1984-85	10.00 "	–	—
1985-86	10.50 "	–	—
1986-87	12.00 "		
1987-88	12.00 "		

टिप्पणी:– 1-4-86 से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष में तथा बाद के वर्षों में कोई प्रोत्साहन बोनस अलग से देय नहीं होगा। जिन मामलों में वर्ष के दौरान अंतिम निष्कासन (फाइनल या नान रिफन्डेबुल) लिया जायगा उनमें ली गयी धनराशि के एक प्रतिशत (1%) के बराबर निकटतम रुपये तक पूर्णांकित राशि अभिदाता के खाते में जमा की जाने वाली ब्याज की राशि से घटा दी जायगी।

2- ब्याज आगणन के नियम

ब्याज के आगणन के निम्नांकित फार्मूले दिये जा रहे हैं जिनके माध्यम से ब्याज आगणित किये जा सकते हैं। प्रारंभिक अवशेष की धनराशियों पर पूरे एक वर्ष के लिए निर्धारित दर पर ब्याज निकाला जायगा। इस सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक अर्थ- 2/1167-1307/52-10 (16) दि. 16-5-81 द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है :–

(1) $$\text{ब्याज} = \frac{\text{प्रारम्भिक अवशेष} \times \text{ब्याज की दर}}{100}$$

(2) प्रसंगागत वर्ष में जमा एवं निकासी की धनराशियों पर ब्याज की गणना निम्न फार्मूले से होगी :–

$$\text{ब्याज} = \frac{\text{मासिक अवशेषों का योग} \times \text{ब्याज की दर}}{1200}$$

(3) ब्याज आगणन की एक अन्य विधि निम्नवत दी जा रही है। इसकी सहायता से ब्याज निकालने में प्रारम्भिक अवशेष एवं मासिक अवशेषों पर पृथक-पृथक ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

उदाहरण :– 1 **वर्ष 82-83**

1-4-82 की प्रा. रो. – 1000
ब्याज की दर – 9%

माह/वर्ष	कटौती	ऋण की वापसी	योग	आहरण यदि हो	प्रत्येक माह के अन्त में अवशेष	विवरण
अप्रैल 82	20	–	20		1020	
मई 82	20	–	20		1040	
जून 82	20	–	20		1060	
जुलाई 82	20	–	20	504/-दि. 20-7-82	576	
अगस्त 82	20	21	41	24 किश्तों में	617	
सितम्बर 82	20	21	41	21/-की दर से	658	
अक्टूबर 82	20	21	41		699	
नवम्बर 82	20	21	41		740	
दिसम्बर 82	20	21	41		781	
जनवरी 83	20	21	41		822	
फरवरी 83	20	21	41		863	
मार्च 83	20	21	41		904	
योग			408	504	7080	

$$\text{ब्याज} = \frac{\text{प्रा. रो. सहित मासिक कटौतियों का योग (निकासी को घटाते हुए)} \times \text{ब्याज की दर}}{1200}$$

प्रा. रो.	1000-00		
मासिक कटौती	408-00		
ब्याज	53-00	$\frac{7080 \times 9}{1200}$	$= \frac{531}{10} = 53.10$ या 53रु०
	1461-00		
ऋण	504-00		
अन्तिम शेष	957-00		

ब्याज के आगणन में 50 पैसे से कम की धनराशि शून्य मान ली जाती है तथा 50 पैसे या अधिक को एक रु० में पूर्णांकित कर दिया जाता है।

Example No. 2

Name of Employee.. G.P.F. A/c No. .... Financial year 1982-83.

Sl. No.	Period	Amount of Subscription	Refund of Advance	Total	Withdrawal of Temporary/ Non-refundable advance	Monthly progressive Total	REMARKS
(1)	4/82	30.00	-	30.00	-	30.00	
(2)	5/82	30.00		30.00	-	60.00	
(3)	6/82	30.00	-	30.00	-	90.00	
(4)	7/82	30.00	-	30.00	-	120.00	
(5)	8/82	30.00	-	30.00	-	150.00	
(6)	9/82	30.00	-	30.00	-	180.00	
(7)	10/82	40.00	-	80.00	-	260.00	(1) Subscription raised to Rs. 40/- due to increase in pay.
		40.00	-				(2) Salary of Oct. payable in Nov. was also paid in Oct. as per G.O.
(8)	11/82		-	-	-	260.00	
(9)	12/82	40.00	-	40.00	-	300.00	
(10)	1/83	40.00	-	40.00	-	340.00	
(11)	2/83	40.00	-	40.00	-	380.00	
(12)	3/83	40.00	-	-	-	-	
		750.00	(from arrear pay)	790.00	-	1,170.00	
	Y Total -	1,170.00		1,170.00		3,340.00	

Hence average of monthly progressive Total = 3,340/ 12 =278.16 or say Rs. 278.00

SUMMARY OF CALCULATION

(i) Say Opening balance as on 1.4.1982	= Rs. 6989.00
(ii) Add. average of monthly progressive	
Total	= Rs. + 278.00
	= Rs. 7267.00
(iii) Hence 9% interest payable on	
Rs. 7267.00 for 12 months (One year)	= Rs. 654.03
or say	= Rs. 654.00
(iv) Therefore closing balance as on 31.3.1983 would be as under :	
(a) Opening balance as on 1.4.1982	= Rs. 6989.00
(b) Total deposit during the year	= Rs. 1170.00
(c) Interest as per above calculation	=Rs. 654.00
Hence closing balance as on 31.3.1983	= Rs. 8813.00

$$\frac{7267 \times 9 \times 1}{100} = \text{Rs. } 654.03$$

Example No. 3

Name of Employee.. G.P.F. A/c No. .... Financial year 1982-83.

Sl. No.	Period	Amount of Subscription	Refund of Advance	Total	Withdrawal of Temporary/ Non-refundable advance	Monthly progressive Total	REMARKS
(1)	4/82 (March paid in April)	20.00	100.00	120.00		120.00	
(2)	5/82	20.00	100.00	120.00		240.00	
(3)	6/82	20.00	100.00	120.00		360.00	
(4)	7/82	20.00	100.00	120.00		480.00	
(5)	8/82	20.00	100.00	120.00		600.00	Recovery of advance completed
(6)	9/82	20.00		20.00	1200.00*	(-) 580.00	Temporary advance of Rs. 1200/- paid in September recoverable in 24 instalments from the salary of Oct. payable in November. * 620-1200 = (-) 580.00
(7)	10/82	40.00		40.00		(-) 540.00	Subscription raised to Rs. 40/ due to increase in basic pay.
(8)	11/82	40.00	50.00 (1/24)	90.00		(-) 450.00	Recovery of 1st instalment (1/24) started from the salary of Oct. payable in Nov.
(9)	12/82	40.00	50.00 (2/24)	90.00		(-) 360.00	
(10)	1/83	40.00	50.00 (3/24)	90.00		(-) 270.00	
(11)	2/83	40.00	50.00 (4/24)	90.00		(-) 180.00	
(12)	3/83 (Feb. paid in March)	40.00	50.00 (5/24)	90.00		(-) 90.00	
	Total	360.00	750.00	1,110.00	1,200.00	(-) 670.00	(1800 - 2470 = (-) 670.00)

Hence average of monthly progressive total = (-) 670/12 = (-) 55.83 or say (-) Rs. 56.00

SUMMARY OF CALCULATION

(i) Say Opening balance as on 1.4.1982	= Rs. 5165.00
(ii) Add : average of monthly progressive	
Total	= (-)Rs. 56.00
	+
	= Rs. 5109.00
(iii) Hence 9% interest payable on	
Rs. 5109.00 for 12 months (One year)	= Rs. 459.81
or say	= Rs. 460.00
(iv) Therefore closing balance as on 31.3.1983 would be as under :	
(a) Opening balance as on 1.4.1982	= Rs. 5165.00
(b) Total deposit during the year	= Rs. 1110.00
(c) Interest as per above calculation	= Rs. 460.00
	= Rs. 6735.00

$$\frac{5109 \times 9 \times 1}{100} = \text{Rs. } 459.81$$

i.e., 6735.00

Less total withdrawal during the year 1200.00 (-) 1200.00

5535.00

Hence closing balance as on 31.3.1983 = Rs. 5535.00

Example No. 4

Name of Employee.. G.P.F. A/c No. .... Financial year 1982-83.

Sl. No.	Period	Amount of Subscription	Refund of Advance	Total	Withdrawal of Temporary/ Non-refundable Advance	Monthly progressive Total	REMARKS
(1)	4/82 (March paid in April	20.00	100.00	120.00	-	120.00	
(2)	5/82	20.00	100.00	120.00	-	240.00	
(3)	6/82	20.00	100.00	120.00	-	360.00	
(4)	7/82	20.00	100.00	120.00	-	480.00	
(5)	8/82	20.00	100.00	120.00	-	600.00	Recovery of advance completed
(6)	9/82	20.00		20.00	800.00*	(-) 180.00	Temporary advance of Rs. 800/- paid in September recoverable in 8 instalments from the salary of Oct. payable in November. * 620-800 (-) 180
(7)	10/82	40.00		40.00		(-) 140.00	Subscription raised to Rs. 40/- due to increase in basic pay.
(8)	11/82	40.00	100/-(1/8)	140.00		(-)	Recovery of Ist instalment (1/8) started from the salary of Oct. payable in Nov.
(9)	12/82	40.00	100/-(2/8)	140.00	-	140.00	
(10)	1/83	40.00	100/-(3/8)	140.00	-	280.00	
(11)	2/83	40.00	100/-(4/8)	140.00	-	420.00	
(12)	3/83 (Feb. paid in March)	40.00	100/-(5/8)	140.00	-	560.00	
	Total	Rs. 360.00	1,000.00	1,360.00	800.00	** 2,880.00	** (3,200 (-) 320.00 = Rs. 2,880.00)

Hence average of monthly progressive total = 2880/12 = Rs. 240.00

SUMMARY OF CALCULATION

(i) Say Opening balance as on 1.4.1982	= Rs. 5165.00
(ii) Add : average of monthly progressive Total	= (+) Rs. 240.00
	= Rs. 5405.00
(iii) Hence 9% interest payable on Rs. 5405.00 for 12 months (One year)	= Rs. 486.45
or say	= Rs. 486.00
(iv) Therefore closing balance as on 31.3.1983 would be as under :	
(a) Opening balance as on 1.4.1982	= Rs. 5165.00
(b) Total deposit during the year	= Rs. 1360.00
(c) Interest as per above calculation	= + Rs. 486.00
	= Rs. 7011.00
Less total withdrawal during the year	= Rs. 800.00
Hence closing balance as on 31.3.1983	= Rs. 6211.00

$$\frac{5405 \times 9 \times 1}{100} = \text{Rs. } 486.45$$

उदाहरण सं. 5

श्री 'ए' के खाते में 31-3-86 को अंतिम अवशेष रु० 50,000/- था। वर्ष 86-87 में निम्नांकित धनराशि जमा एवं आहरित की गयी। इनका वर्ष 86-87 के अन्त में अंतिम अवशेष निम्न प्रकार से निकाला जायेगा।

मास का नाम	अभिदान	अस्थायी अग्रिम की वापसी	योग	आहरण (अस्थायीअग्रिम/ अंतिम निष्कासन)	मासिक प्रोग्रेसिव योग
अप्रैल	400	–	400		400
मई	400	–	400		800
जून	400	–	400		1200
जुलाई	400	–	400		1600
अगस्त	400	–	400		2000
सितम्बर	400	–	400		2400
अक्टूबर	400	–	400	25000	(—) 22,200
नवम्बर	400	–	400		(—) 21,800
दिसम्बर	400	–	400		(—) 21,400
जनवरी	400	–	400		(—) 21,000
फरवरी	400	–	400		(—) 20,600
[illegible]	400	–	400		(—) 20,200
योग	4800	–	4800	25000	(—) 1,27,200
					(+) 8,400
					(—) 1,18,800

मासिक औसत $= \frac{(—)\ 1,18,800}{12} = (—)\ 9,900$

प्रारंभिक अवशेष + मासिक औसत = 50,000 + [(—) 9,900] = 40100

ब्याज $= \frac{40100 \times 12}{100} = 4812$

अन्तिम निष्कासन के कारण 1% की ब्याज में कमी = 250 (25000 रु० पर 1% की दर से एक वर्ष का ब्याज)

अतः शुद्ध देय ब्याज = 4562

प्रारंभिक अवशेष	=	50,000
वर्ष में जमा	=	4,800
वर्ष का ब्याज	=	4,562
योग	=	59,362
वर्ष में आहरण	=	(—) 25,000
31-3-87 को अंतिम शेष	=	रु० 34,362

ब्याज आगणन की द्वितीय प्रक्रिया

निम्न प्रकार से अंतिम अवशेष निकालिये

वर्ष के प्रा. अवशेष का ब्याज $= \dfrac{50{,}000 \times 12}{100} = 6{,}000$

वर्ष के मासिक औसत का ब्याज $= \dfrac{(-)\ 9{,}900 \times 12}{100} = (-)\ 1188$

वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष	=	50,000
वर्ष के प्रारंभिक अवशेष का ब्याज	=	+ 6,000
योग	=	56,000
वर्ष में जमा	=	+ 4,800
योग	=	60,800
घटाइये		
वर्ष के मासिक औसत का ब्याज		(—) 1188
	=	59612
वर्ष में आहरित रु० 25000 का एक प्रतिशत ब्याज		(—) 250
	=	59362
वर्ष का अंतिम निष्कासन	=	25000
अतः 31-3-87 का अंतिम अवशेष	=	34362

उदाहरण सं. 6

श्री 'बी' की सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के खाते में 31-3-84 को अंतिम अवशेष रु० 20,000/- था। उन्होंने माह अगस्त 1984 में रु० 3000 अस्थायी अग्रिम लिया था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 1984-85 के अन्त में उनके स.भ.नि. का अवशेष निम्न प्रकार से निकाला जायेगा।

माह का नाम	अभिदान की राशि	अस्थायी अग्रिम की वापसी	योग	आहरण/अस्थायी अग्रिम/अन्तिम निष्कासन	मासिक प्रोग्रेसिव योग
अप्रैल	200	–	200	—	200
मई	200	–	200	—	400
जून	200	–	200	—	600
जुलाई	200	–	200	—	800
अगस्त	200	–	200	3000	(—) 2000
सितम्बर	200		200	—	(—) 1800
अक्टूबर	200	100	300	—	(—) 1500
नवम्बर	200	100	300	—	(—) 1200
दिसम्बर	200	100	300	—	(—) 900
जनवरी	200	100	300	—	(—) 600
फरवरी	200	100	300	—	(—) 300
मार्च	200	100	300	—	
योग	**2400**	**600**	**3000**	**3000**	**(—) 8300**
					(+) 2000
					(—) 6300

$$\text{मासिक औसत} = \frac{(—)\ 6300}{12} = 525$$

प्रारंभिक अवशेष + मासिक औसत = रु० 20,000 (—) 525 = 19475

$$\text{ब्याज की धनराशि} = \frac{19475 \times 10}{100} = 1947.50$$

प्रारंभिक अवशेष + मासिक औसत = 19475

जोड़िए ब्याज = + 1947

योग = 21422

वर्ष में जमा अभिदान = + 3000

योग = 24422

वर्ष में आहरित धनराशि = (—) 3000

31-3-85 का अंतिम अवशेष = 21422

4– सामान्य भविष्य निधि नियमावली – 1985

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Finance (General) Section-4

No. G-4-1890/X—502-1985

Dated Lucknow, October 29, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G-4-1890/X—502-1985, dated October 29, 1985.

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH) RULES, 1985

In exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules published with notification no. C-591/X-374-1934, dated March 7, 1935, the Governor is pleased to make the following rules namely :—

THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH) RULES, 1985

Short Title And Definitions

1. *Short title and commencement* — *(a)* These rules may be called the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985.

(*b*) They shall come into force at once.

2. *Definitions*— (1) In these rules unless the context otherwise requires —

(*a*) 'Account Officer' in relation to group 'D' (formerly class IV) employees whose accounts are kept by departmental authorities means the drawing and disbursing officer concerned and in respect of other employees means the officer to whom the duty to maintain the provident fund account of the subscriber has been assigned by the Comptroller and Auditor-General of India ;

(*b*) 'emoluments' shall, save as otherwise expressly provided, mean pay, leave salary or subsistence grant as defined in the Financial Handbook, Volume II, and includes dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, if admissible, and any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service ;

(*c*) 'family' means —

(i) in the case of a male subscriber, the wife or wives and children of a subscriber and the widow or widows and children of a deceased son of the subscriber :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased, under the customary law of the community to which she belongs, to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Account Officer that she shall continue to be so regarded ;

(ii) In the case of a female subscriber, the husband and children of a subscriber, and the widow or widows and children of a deceased son of a subscriber :

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Account Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

Note — Child means a legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

(*d*) 'Fund' means the General Provident Fund :

(*e*) 'Leave' means any kind of leave as provided for in the Financial Handbook Volume II, Parts II to IV

(*f*) 'Undertaking' means –

(i) a statutory body incorporated by or under any Uttar Pradesh Act or Central Act :

(ii) a government company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956 ;

(iii) a Local Authority within the meaning of clause (25) of section 4 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 ;

(iv) a scientific organisation registered under the Societies Registration Act, 1860, wholly or partly under the control of the Central Government or any State Government.

(*g*) 'year' means a financial year.

(2) Any other expression used in these rules which is defined either in the Provident Funds Act, 1925 (Act no. 19 of 1925), or in the Financial Handbook, Volume II, Parts II to IV, is used in the sense defined therein.

(3) Nothing in these rules shall be deemed to have the effect of terminating the

existence of the General Provident Fund as heretofore existing or of constituting any new Fund.

CONSTITUTION OF THE FUND

3. *Constitution of Fund :—* (1) The Fund shall be maintained in India in rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited in the book of Government to an account named "The General Provident Fund". Sums of which payment has not been taken within six months after the issue of payment authority under these rules shall be transferred to "Deposits" at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

4. *Condition of eligibility* — All permanent Government servants and all temporary Government servants other than those appointed on contract and re-employed pensioners, after a continuous service of one year, shall subscribe to the Fund.

Note 1—Apprentices and Probationers shall be treated as temporary Government servants for the purpose of this rule.

Note 2—A temporary Government servant who completes one year continuous service during the middle of a month shall subscribe to the Fund from the next following month.

Note 3—Temporary Government servants (including Apprentices and Probationers) who have been appointed against regular vacancies and are likely to continue for more than a year may subscribe to the Fund any time before completion of one year's service.

Note 4—Executive authorities should inform the Account Officer as soon as a Government servant becomes liable to subscribe to the Fund.

NOMINATION

5. *Nomination*—(1) A subscriber shall at the time of joining the Fund, submit to the Head of Department/Head of Office a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before the amount has become payable, or having become payable, has not been paid :

Provided that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make such nomination only in favour of a member or members of his family :

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination duly made under this rule until he makes a nomination in accordance with the rule.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such a manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be in the form set forth in the First Schedule. The authority to whom the nomination is submitted shall ensure that it is according to the rules and its receipt will be acknowledged by him. In case the nomination is found incomplete or defective, it will be returned to the subscriber for correction and re-submission. When the nomination has been accepted, the required entries in respect thereof will be made at the appropriate place in the G.P.F. pass-book of the subscriber and duly signed by the drawing and disbursing officer. The nomination shall be kept securely with the subscriber's G.P.F. pass-book and when he is transferred to another department or office, the nomination along with his G.P.F. pass-book shall be transferred to the drawing and disbursing officer concerned after making an entry to this effect in the pass-book and an acknowledgement for the same shall also be obtained from that officer.

(4) A subscriber may, at any time, cancel a nomination by sending a notice in writing to the Head of the Department/ Head of Office. The subscriber shall, alongwith such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(5) A subscriber may provide in a nomination as follows :—

(*a*) In the event of any specified nominee predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members and where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

(*b*) The nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein :

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has no family, he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of the subsequently acquiring a family :

Provided further that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (*a*) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (*a*) of sub-rule (5) or on the occurrence of any

event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (*b*) of sub-rule (5) or the provisos thereto, the subscriber shall send to the Head of Department / Head of Office a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Head of Department/ Head of Office.

Note—In this rule, unless the context otherwise requires, the term "persons" or "person" shall include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not.

SUBSCRIBER'S ACCOUNT

6. *Subscriber's Account*—An account shall be opened in the name of each subscriber in which following shall be shown —

(i) his subscriptions ;

(ii) such other amount as the Government may decide to be credited from time to time.

(iii) interest, as provided by rule 11, on subscriptions ;

(iv) bonus, as provided by rule 12, on subscriptions ; and

(v) advances and withdrawals from the Fund.

CONDITIONS AND RATES OF SUBSCRIPTION

7. *Conditions of subscription*—(1) A subscriber shall subscribe monthly to the Fund except during the period when he is under suspension :

Provided tnat wnen a subscriber, on reinstatement, receives full pay for the period of suspension, he shall pay in one lump sum or in instalments as may be determined, the arrear subscriptions payable for that period. In other cases the subscriber may, at his option, pay the arrear subscriptions for the period of suspension, in one lump sum or in instalments as may be determined :

Provided further that a subscriber may, at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to half pay or half average pay.

(2) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during the leave referred to in the second proviso to sub-rule (1) in the following manner :—

(*a*) If he is an officer who draws his own pay bills, by making no deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave ;

(*b*) If he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the Head of his office before he proceeds on leave.

Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe. The option of a subscriber intimated under this sub-rule shall be final.

(3) A subscriber who has, under Rule 24, withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) —

(*a*) no deduction towards subscription to the Fund shall be made for the last six months pay of a subscriber preceding his retirement on superannuation.

(*b*) a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service otherwise than on retirement on superannuation unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Head of Office in writing, his option to subscribe for the said month.

8. *Amount of subscription*—(1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the condition that amount shall not be less than 10 per cent and not more than the amount of his emoluments and shall be expressed in whole rupees.

(2) For the purpose of sub-rule (1) the emoluments of a subscriber shall be as follows :

(*a*) In the case of subscriber who was in Government service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date :

Provided that —

(i) If the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty ;

(ii) If the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India ;

(*b*) In the case of a subscriber who was not in Government service on the 31st march of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the Fund.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner :—

(*a*) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, by deduction which he causes to be made in this behalf from his pay bill for that month ;

(*b*) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and elected not to subscribe during such leave, or was under suspension on that date, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his first pay bill after his return to duty;

(*c*) If he has entered Government service for the first time during the year, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his pay bill for the month during which he joins the Fund ;

(*d*) If he was on leave on the 31st March of the preceding year and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave by the deduction which he causes to be made in this behalf from his salary bill for that month ;

(*e*) If he was on foreign service to an Undertaking on the 31st March of the preceding year, by the amount deposited in the State Bank of India through Treasury Challan or forwarded to the Account Officer through Bank Draft on account of subscription for the month of April in the current year.

(4) The amount of subscription so fixed may be—

(*a*) reduced once at any time during the course of the year ;

(*b*) enhanced twice during the course of the year.

Provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum prescribed in sub-rule (I) :

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for a part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

9. *Transfer to foreign service or deputation out of India* — When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to the rules of the Fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

REALISATION OF SUBSCRIPTION

10. *Realisation of subscription* — (1) When emoluments are drawn from a Government Treasury in India or from an authorised office of disbursement outside India, recovery of subscriptions and of advances shall be made from the emoluments themselves.

(2) (*a*) When a subscriber is on foreign service to an Undertaking located in Uttar Pradesh, the above dues shall be recovered and deposited in the State Bank of India through a Treasury Challan every month by such Undertaking.

(*b*) In the case of a subscriber on deputation to an Undertaking located outside Uttar Pradesh the said dues shall be recovered and forwarded to the Account Officer through a Bank Draft of the State Bank of India every month by that Undertaking

(c) When a subscriber is on foreign service to any other institution the foreign employer or the subscriber shall deposit the said dues in the State Bank of India through a Treasury Challen every month if the institution is located in Uttar Pradesh or forward the dues to the Account Officer through a Bank Draft of the State Bank of India every month if the institution is located outside Uttar Pradesh.

NOTE — ~~When~~ the dues are deposited in the State Bank of India through a Treasury Challan, it should be ensured that account number of the subscriber and other relevant particulars are filled in correctly.

(3) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the Fund or is in default in any month or months during the course of a year otherwise than as provided in Rule 7, the total amount due to the Fund on account of arrears of subscription shall be forthwith be paid by the subscriber to Fund or in default, be recovered by deduction from his emoluments in instalments or otherwise, as may be directed by the authority specified in paragraph 1 of the Second Schedule.

INTEREST

Interest — (1) Subject to the provisions of sub-rule (5) Government shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year by the Government of India.

(2) (*a*) Interest shall be credited to the account of a subscriber on the last day in each year in following manner :—

(i) On the amount at the credit of a subscriber on the last day of the preceding year up to the end of current year.

(ii) On all sums credited to the account after the last day of the preceding year from the date of deposit up to the end of the current year.

(*b*) No interest shall be admissible on any sum withdrawn during the current year from the first day of the month in which such a sum withdrawn up to the end of the current year.

(*c*) The amount of interest, determined as aforesaid, if such amount is not in whole rupee, shall be rounded off to nearest whole rupee, a part of the rupee less than fifty paise shall be ignored and any other part shall be counted as next higher rupee.

Explanation—The amount at the credit of a subscriber on the last day of the preceding year will include the amount of bonus, if any, payable for such preceding year :

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this sub-rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, up to the date on which the amount standing to the credit of the subscriber became payable.

(3) In this rule, the date of deposit shall, in the case of recovery from emoluments, b deemed to be the first day of the month in which it is recovered :

Provided that where there has been delay in the withdrawal of pay or leave salary an allowances of a subscriber and consequently in the recovery of his subscription towards th Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay c leave salary of the subscriber was due under the rules irrespective of the month in which was actually drawn :

Provided further that where the emoluments for a month are drawn and disbursed c the last working day of the same month, the date of deposit shall, in the case of recovery his subscriptions, be deemed to be the first day of the succeeding month.

(4) In addition to any amount to be paid under Rules 20, 21 or 22 interest thereon up the end of the month preceding that in which the payment is authorised, shall be payable the person to whom such amount is to be paid :

Provided that where the application required under sub-rules (4) and (5) of Rule 24 submitted complete in all respects to the Head of Office or Department, whose duty is forward the same to the Account Officer, after the expiry of six months from the date t amount claimed became payable, interest shall be payable only up to the end of the mon preceding that in which the payment is authorised or up to the end of the twelvthmonth aft the month in which such amount become payable, whichever is earlier, except where it proved to the satisfaction of the Head of Office or Department concerned that t submission of the said application was delayed by circumstances beyond the control of t applicant, in which case the restriction of this proviso shall not apply :

Provided further that where a subscriber, on deputation to an Undertaking, subsequently absorbed in such Undertaking with effect from a retrospective date, then, f the purpose of calculating interest due on the Fund accumulations of the subscriber, the d of issue of the order regarding absorption shall be deemed to be the date on which t amount to the credit of subscriber became payable.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs t Drawing and Disbursing Officer that he does not wish to recieve it, but if he subsequen asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he as for it.

(6) In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess the amount standing to his credit on the date of the drawal, the overdrawn amou irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdra or final payment from the Fund, shall be repaid by him with interest thereon, or, in defa be ordered to be recovered by deduction from the emoluments or other dues of subscriber. In case the subscriber is still in service, the amount shall ordinarily be repa him or recovered from him in one lump sum, but if the total amount to be recovered is

than half of the subscriber's emoluments, recoveries may be made in monthly instalments as may be determined, taking into consideration the period left before the retirement of the subscriber. In case of a subscriber no longer in service, the entire amount with interest shall be repaid by him or recovered from him in one lump sum. In all cases of overdrawals, where the overdrawn amount or a part thereof, with interest, cannot be recovered by other means, it shall be recovered as arrears of land revenue. The overdrawn amount, after recovery, shall be credited to Government account under the receipt Head of the Department concerned.

(7) The rate of interest to be charged on overdrawn amount, referred to in sub-rule (6), would be 2½% over and above the normal rate on Provident Fund balance under sub-rule (1). The interest realised on the overdrawn amount shall be credited to Government account under the sub-head "Interest on overdrawals from Provident Fund" under the head "049—Interest Receipts—Interest receipts of State/ Union Territory Government—Other receipts—Interest on other miscellaneous loans."

(8) In case any excess or wrong payment is made, under Rule 23, the amount so paid together with interest as mentioned in sub-rule (6) above shall be recovered from the emoluments or other dues of the deceased subscriber and credited to Government account in the manner prescribed in the aforesaid sub-rule. If there be no such dues or the over-paid amount with interest cannot be recovered in full therefrom, the outstanding amount shall be recovered, if necessary, as arrears of land revenue, from the person who had received excess or wrong payment.

NOTE—All requests for advances / withdrawals / final payments / payments under Rule 23 shall be closely scrutinized and in cases where over-payments occur, responsibility should be fixed and, if necessary, action shall be taken both against the administrative and the accounts authorities.

12. *Incentive Bonus Scheme* — (1) A subscriber who does not withdraw any money from the amount standing to his credit in the Fund by way of advance under Rule 13 or withdrawn under Rule 16 during the preceding three years, shall be entitled to a bonus at the rate of 1 per cent on the entire balance at his credit on the last day of the year.

(2) The balance on which the bonus is to be calculated is the balance on the last day of the last years of the three years period after crediting interest for the said last year.

(3) The bonus so calculated shall be rounded off to the nearest whole rupee, a part of the rupee less than fifty paise shall be ignored and any other part shall be counted as next higher rupee. This will be credited to the account of the subscriber in addition to the interest on the balance to his credit in his account.

(4) The bonus will be admissible when a subscriber has been subscribing regularly to the Fund during the preceding three years except where under these rules temporary suspension of subscription has been permitted for a short period, that is while on leave without pay or on half pay or under suspension.

(5) The year for the purpose of calculating bonus will mean financial year. But if a subscriber joins the Fund or quits service in the middle of a year, the year of joining the Fund and the year of quiting service will be deemed to be full year.

(6) The amount of bonus will be debited to the Minor Head "Incentive Bonus to Provided Fund subscribers" under the Major Head "249 — Interest Payment-C-Interest on small savings, Provident Fund etc."

ADVANCES FROM THE FUND

13. *Advances from the fund* — (1) A temporary advance (in whole rupees) may be granted to a subscriber from the amount at his credit in the Fund, at the discretion of the appropriate authority specified in the Second Schedule subject to the conditions mentioned in sub-rules (2), (3), (4), (5), (6) or (7) :

NOTE : Forms of application and sanction order are given in Appendix 'A'.

(2) No advance shall be granted unless the sanctioning authority is satisfied that the applicant's pecuniary circumstances justify it, and that it will be expended on the following object or objects and not otherwise, namely :

(i) Meeting the expenses in connection with the illness, confinement or disability, including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber, members of his family or any other person actually dependent on him ;

(ii) Meeting cost of higher education, including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber, members of his family or any other person actually dependent on him in the following cases, namely :

(a) education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage ; and

(b) medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage.

(iii) Meeting obligatory expenses on a scale suitable to subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with the marriage of the subscriber or marriage, funerals or other ceremonies of the members of his family or any other person actually dependent on him.

(iv) Meeting the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent on him.

(v) Meeting the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(vi) Meeting the cost or part thereof of house or house-site or of construction of house for his residence or for reconstruction, repair of or addition or alteration to his house or for making payment towards the allotment of house-site or house to him by a Development Authority, Local Body, Housing Board or House Building Cooperative Society under a Housing Scheme, including a self financing scheme.

(vii) Meeting the cost of a motor cycle, scooter (including moped) bicycle, refrigerator, room-cooler, cooking gas connection or television set for subscriber's own use :

Provided that the Governor may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance for a purpose other than those mentioned in sub-clauses (i) to (vii) above if the Governor is satisfied with the justification given in support thereof.

(3) The sanctioning authority shall record in writing its reason for granting the advance.

(4) An advance shall not, except for special reason ;

(i) exceed three months' pay or half the amount at the credit of subscriber in the Fund whichever is less : or

(ii) be granted until at least twelve months have elapsed after the final repayment of all previous advances :

Provided that so long as the amount already advanced together with the fresh advance applied-for does not exceed the amount admissible under clause (i) at the time of the grant of the first advance, special reasons will not be required for the grant of a second advance or subsequent advances, and such advances may be granted by the authority specified in paragraph 1 of the Second Schedule, even if the condition mentioned in clause (ii) is not fulfilled.

Explanation — In this proviso the expression "the amount already advanced" means the amount, or the sum of amounts actually advanced and not the balance outstanding after any repayment.

(5) When an advance is sanctioned under sub-rule (4) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(6) In fixing the amount of an advance the sanctioning authority shall pay due regard to the amount at the credit of the subscriber in the Fund. Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the Fund with reference to his G.P.F. passbook or the latest available statement of General Provident Fund Account issued by the Account Officer under Rule 27 together with the

evidence of subsequent subscriptions, the competent authority may sanction advance within the prescribed limits. In doing so the competent authority shall take into account any advance or withdrawal already sanctioned to the subscriber. The sanction for the advance must indicate the General Provident Fund Account number and a copy thereof be endorsed to the drawing and disbursing officer maintaining the G.P.F. passbook as well as to the Account Officer.

(7) Ordinarily no advance will be sanctioned to a subscriber during the last six months preceding his retirement on superannuation. In special cases in which the sanction of such an advance is unavoidable, it may be sanctioned but it will be the responsibility of the sanctioning authority to ensure that such a sanction is promptly notified to the Account Officer in the case of a Group 'D' employee and to the drawing and disbursing officer and the Account Officer in the case of other subscribers, and acknowledgements thereof obtained from them without any delay. It will also be ensured by the above authorities that the amount of advance, if not fully recovered from the subscriber before retirement, is duly adjusted against the amount to be paid to him under sub-rule (4) or clause (*b*) of sub-rule (5) of Rule 24, whichever be applicable.

14. *Recovery of advances* — (1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct ; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects, and more than twenty-four. In special cases where the amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber under sub-rule (4) of Rule 13, the sanctioning authority may fix such number of instalments to be more than twenty-four but in no case more than thirty-six. It will be ensured in each case that the instalments are fixed in such a manner that the entire amount of the advance is recovered latest six months before the date of retirement of the subscriber or superannuation. A subscriber may, at his option, repay more than one instalment in a month. Each instalment shall be in whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such instalments.

(2) Recovery shall be made in the manner prescribed in Rule 10 and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to half pay or half average pay, as the case may be. The recovery may be postponed, on the subscriber's written request, by the sanctioning authority during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered by the sanctioning authority to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly instalments not exceeding twelve, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (4) of Rule 13.

(4) Recoveries made under this rule shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.

5. *Wrongful use of advance* — Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority is satisfied that money drawn as an advance from the Fund under Rule 13 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was accorded,He shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one lump sum from the emoluments of the subscriber, and if the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments as may be determined.

FINAL WITHDRAWAL FROM THE FUND

6. *Withdrawal from the Fund* — (1) Subject to the conditions specified herein, final withdrawals which will not be repayable may be sanctioned by the authorities competent to sanction an advance for special reasons under sub-rule (4) of Rule 13, at any time as follows :—

NOTE — Forms of application and sanction order are given in Appendix 'B'.

(A) After the completion of twenty years of service (including periods of suspension followed by reinstatement and other broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever be earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :—

(*a*) Meeting cost of higher education, including where necessary the travelling expenses of the subscriber or any dependent child of the subscriber in the following cases namely :—

(i) education outside India for academic, technical professional or vocational course beyond the High School stage, and

(ii) medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage.

(*b*) Meeting the expenditure in connection with the marriage of the subscriber's sons or daughters, and any other relation actually dependent on him ;

(*c*) Meeting the expenses in connection with the illness, confinement or disability including where necessary the travelling expenses of the subscriber or members of his family or any other person actually dependent on him ;

(B) After the completion of twenty years of service (including periods of suspension followed by reinstatement and other broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever be earlier,

and subject to the restrictions in respect of pay in force for the eligibility of advances for the purchase of a motor car, motor cycle or scooter (including moped) under the rules in the Financial Handbook Volume V, Part I, from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely :—

(i) purchasing a motor car, motor cycle or scooter (including moped) or repaying an advance already taken for the purpose under the rules in the Financial Handbook, Volume V, Part I.

(ii) extensive repairs or overhauling of his motor car, motor cycle or scooter.

(C) After the completion of fiteen yers of service (including period of suspension followed by reinstatement and other broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever be earlier, from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely :—

(*a*) Building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site ;

(*b*) Repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence ;

(*c*) Purchasing a site for building a house for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose ;

(*d*) Reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber ;

(*e*) Renovation, additions or alterations or upkeep of an ancestral house ;

(*f*) Constructing a house on a site purchased under sub-clause (c) .

(D) After the completion of three years of service (including periods of suspension followed by reinstatement and other broken periods of service, if any) of a subscriber from the amount standing to his credit in the Fund for the purpose of paying premium/premia of policies of life insurance, not exceeding four, including existing policies hitherto being financed from the Fund, effected by the subscriber on his own life or on the joint lives of the subscriber and his/her wife or husband.

(E) Within twelve months before the date of the subscriber's retirement, from the amount standing to his credit in the Fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both.

NOTE 1 — Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule. But marriage of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the municipal body of

the area where the house or flat is situated or payment of premium premia of policies of life insurance and education of children in different years shall not be treated as the same purpose. If two or more marraiges are to be celebrated simultaneously the amount admissible in respect of each marriage will be determined as if the withdrawals are sanctioned separately one after the other.

NOTE 2 — Second or subsequent withdrawal under sub-clause (*a*) or (*b*) of clause (C) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under Note 5.

NOTE 3 — Only one withdrawal shall be allowed in a year for a payment of premium premia of all policies of life insurance.

NOTE 4 — A subscriber, who has availed himself of an advance for house-building purpose under the rules in the Financial Handbook, Volume V, Part I or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clauses (*a*), (*c*), (*d*) and (*f*) of clause (C) for the purposes specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid rules subject to the limit specified in sub-rule (1) of Rule 17.

NOTE 5 — The house, flat or site for a house for which the amount, as aforesaid, is proposed to be withdrawn shall be situated at the place of duty of the subscriber or his intended place of residence after retirement. If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government, he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub-clauses (*a*), (*c*) and (*f*) of clause (C) for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.

NOTE 6 — Withdrawal for the purposes specified in clause (C) shall be sanctioned after the sanctioning authority has satisfied itself that —

(i) the amount is actually required for the purpose mentioned by the subscriber;

(ii) the subscriber possesses or intends to acquire forthwith the right to build a house on the proposed site ;

(iii) the amount withdrawn together with such other private savings, if any, as the subscriber may have, would be sufficient to build, acquire or redeem the house of the type proposed ;

(iv) in the case of withdrawal for the purchase of a house site, house or ready-built flat, the subscriber will secure an undisputed title to the house site, hosue or flat including the site ;

(v) for the purposes referred to in clause (iv) above, the subscriber has produced necessary deeds and papers to the sanctioning authority proving his title in respect of the property in question.

NOTE 7 — The amount proposed to be withdrawn under sub-clause (*b*) of clause (C) together with the amount previously withdrawn, if any, under sub-clause (*a*), shall not exceed 3/4th of the balance on the date of application.

NOTE 8 — Withdrawal under sub-clauses (*a*) or (*d*) of clause (C) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Explanation 1 — Where a subscriber already owns a house-site or a house or a flat, other than such share in a joint property as is not suitable for independent residential purpose, he will not be sanctioned a withdrawal for the purchase, building, acquisition or redemption of a house-site or a house, or a flat as the case may be.

Explanation 2 — Withdrawal may also be allowed for acquiring or building a house on a plot of land on lease from local bodies.

Explanation 3 — Withdrawal is permissible for repayment of any sort of loan taken for the house-building purposes whether the same has been taken from a private party or from Government under the Financial Handbook, Volume V, Part I, or under the Low or Middle Income Group Housing Scheme.

NOTE 9 — Subject to the monetary limits laid down in clause (*b*) of sub-rule (1) of Rule 17, a withdrawal for the purchase of a motor car, motor cycle or scooter (including moped) may also be allowed when the subscriber has already taken an advance for the same purpose under the rules in the Financial Handbook Volume V, Part I, provided that the total amount from both these sources does not exceed the actual price of the motor car, motor cycle or scooter, as the case may be.

NOTE 10 — The Life Insurance policies in respect of which withdrawals are sanctioned under clause (D) should not have been effected for the benefit of any beneficiary other than the wife or husband of the subscriber or the wife or husband and children of the subscriber or any of them.

NOTE 11 — A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under Rule 13 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(2) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the Fund with reference to his G.P.F. passbook or the latest available statement of General Provident Fund Account issued by the Account Officer under Rule 27, together with the evidence of subsequent subscriptions, the competent authority may sanction withdrawal within the prescribed limit. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or advance already sanctioned in favour of the subscriber. The sanction for the withdrawal must indicate the General Provident Fund Account number and a copy thereof be endorsed to the drawing and disbursing officer maintaining the G.P.F. passbook as well as to the Account Officer.

(3) Ordinarily no withdrawal will be sanctioned to a subscriber during the last six months preceding his retirement on superannuation. In special cases in which the sanction of such a withdrawal is unavoidable, it may be sanctioned but it will be the responsibility of the sanctioning authority to ensure that such a sanction is promptly notified to the Account Officer in the case of a Group 'D' employee and to the drawing and disbursing officer and the Account Officer in the case of other subscribers, and acknowledgement thereof obtained from them without any delay. It will also be ensured by the above authorities that the amount of withdrawal is duly adjusted against the amount to be paid to the subscriber under sub-rule (4) or clause (b) of sub-rule (5) of Rule 24, whichever be applicable.

17. *Conditions for withdrawal*— (1) (*a*) Any sum withdraw by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in clauses (A), (C), (D) or (E) of Rule 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six months, pay, whichever is less. In special cases the sanctioning authority may however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto 3/4th of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made and (ii) the amount to his credit in the Fund :

Provided that in no case the amount of withdrawal for purposes specified in sub-claueses (*d*) and (*e*) of clause (C) of sub-rule (1) of Rule 16 shall exceed Rs. 25,000.

NOTE 1 — In the case of construction of a house, if the amount of withdrawal exceeds Rs. 25,000, it will ordinarily be permitted to be drawn in two instalment. However, if the subscriber applies for the entire amount of withdrawal to be released in one instalments and the sanctioning authority is satisfied with justification given therefor, the entire amount may be released accordingly. The sanction will be issued for the entire amount of the withdrawal and if it is to be drawn in instalments, the number thereof will be specified in the sanctioning order.

NOTE 2 — For outright purchase of a site, house or flat, or for the repayment of a loan taken for the purpose, the withdrawal may be allowed in one instalment. In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed under a scheme, including a Self-Financing Scheme, of a Development Authority, Housing Board, Local Body or House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment of any instalment, every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule (1) of Rule 16.

(*b*) The amount of withdrawal for the purposes specified in sub-clause (i) of clause (B) of sub-rule (1) of rule 16 shall be limited to Rs., 50,000 or one-half of the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund or the actual price of the motor car, motor cycle or scooter (including moped), as the case may be, whichever is the least.

(*c*) The amount of withdrawal for the purposes specified in sub-clause (ii) of clause (B) of sub-rule (1) of Rule 16 shall be limited to Rs. 5,000 or one-half of the amount standing

to the credit of the subscriber in the Fund or the actual amount of repairing or overhauling, whichever is the least.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under Rule 16 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been utilised for the purpose for which it was withdrawn, shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined.

NOTE 1 — The withdrawal for marriage shall be utilised within three months.

NOTE 2 — The construction of the house shall commence within six months of withdrawal of money and should be completed within a period of one year from the date of commencement of construction. If, however the house is to be purchased or redeemed or a private loan previously raised for the purpose has to be repaid, this should be done within three months of the withdrawal.

NOTE 3 — The house-site shall be purchased within a period of one month of the withdrawal, or the withdrawal of the first instalment, as the case may be. In fulfilment of this condition, the sanctioning authority may require the production of receipts issued by the seller, the house building society, etc. in token of the amount of the withdrawal/instalments having been utilised for making payment towards purchase of the site.

Explanatiaon — The actual expenditure incurred in connection with sale or transfer deeds may be reckoned as part of the cost of the house or house-site.

NOTE 4 — The withdrawal for an insurance policy shall be utilised by the date on which premium was due to be paid and the subscriber shall be required to produce attested or photostat copy of the receipt by the Life Insurance Corporation failing which no further withdrawal for this purposes shall be permitted.

(3) A subscriber who has been permitted under sub-clauses (a), (b) or (c) of clause (C) of sub-rule (1) of Rule 16 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Governor), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Governor.

Provided that such permission shall not be necessary for —

(i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or

(ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Development Authority, Local Body, Nationalised Bank, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central or the State Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alterations to an existing house.

Conversion of an advance into a withdrawal — The authority competent to sanction an advance for special reasons under sub-rule (4) of Rule 13 may, on a written request from a subscriber who has earlier drawn a temporary advance under rule 13 for a purpose for which a final withdrawal is also admissible under Rule 16, convert the outstanding balance of the advance into a withdrawal, subject to the fulfilment of conditions laid down in Rules 16 and 17.

NOTE 1 — The drawing and disbursing officer shall, on receipt of information from the competent authority mentioned above, regarding conversion of an advance into a withdrawal, stop recovery from the pay bills. In the case of gazetted subscribers who are self-drawing officers, the competent authority shall endorse a copy of the order regarding such conversion to the Treasury Officer from where the subscriber draws his pay in order to enable the former to stop further recoveries. In every case of conversion the competent authority shall endorse a copy of his order to the Account Officer also.

NOTE 2 — The amount of an advance to be converted into a withdrawal shall not exceed the limits laid down in sub-rule (1) of Rule 17 and for this purpose the balance in the account of the subscriber at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance at his credit in the Fund. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

RE-ASSIGNMENT OF INSURANCE POLICIES

19. *Re-assignment of Insurance Policies* — After the commencement of these Rules, the Account Officer shall take the following action in respect of the existing policies hitherto being financed from the Fund :—

(i) It the policy had been assigned to the Governor under the rules heretofore in force, reassign the policy in Form (1) in the Third Schedule to the subscriber, or to the subscriber and the joint assured, as the case may be, and make it over to the subscriber together with a signed notice of the reassignment addressed to the Life Insurance Corporation ;

(ii) If the policy had simply been delivered to him under the rules heretofore in force, make over the policy to the subscriber ;

(iii) If the subscriber has died, the Accounts Officer shall —

(a) If the policy had been assigned to the Governor under the rules heretofore in force, re-assign the policy in Form (2) in the Third Schedule to such person as may be legally

entitled to receive it, and shall make over the policy to such person together with a signed notice of the reassignment addressed to the Life Insurance Corporation ;

(b) If the policy had simply been delivered to him under the rules heretofore in force, make over the policy to the beneficiary, if any, or if there is no beneficiary, to such person as may be legally entitled to receive it ;

Provided that if a policy assigned to the Governor has matured or fallen due for payment by reason of the death of the subscriber's wife or husband and the amount assured has been realised by the Account Officer from the Life Insurance Corporation and credited to the account of the subscriber, the said policy need not be re-assigned.

FINAL PAYMENT OF ACCUMULATIONS IN THE FUND

20. *Final Payment of accumulations in the Fund* — When a subscriber quits the service, the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him :

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated shall, if required to do so by the Government, repay any amoun paid to him from the Fund in pursuance of this rule, in a lump sum or in instalments as may be determined. The amount so repaid shall be credited to his account :

Provided further that where a subscriber after quitting the service takes up appointment, with or without any break, on a new post under the Central Government another State Government or an Undertaking, the amount of his subscriptions togethe with interest thereon may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Accoun if the concerned Government or Undertaking, as the case may be, also agree to such transfer. If, however, the subscriber does not opt for such transfer or the concerne Government or Undertaking does not agree to it, the amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

21. *Retirement of subscriber* — When a subscriber —

(*a*) has proceeded on leave preparatory to retirement or if he is employed in a vacatio department, on leave preparatory to retirement combined with vacation, or

(*b*) while on leave, has been permitted to retire or has been declared by a compete medical authority to be unfit for further service, the amount standing to his credit in th Fund shall, upon application made by him in that behalf, become payable to the subscribe

Provided that, if in a case covered by clause (*b*), the subscriber returns to duty, he may his discretion repay to the Fund for credit to his account, the amount paid to him pursuance of this rule.

22. *Procedure on death of subscriber* — On the death of a subscriber before the amount standi to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before paym

has been made, the amount at the credit of the subscriber shall be paid in the following manner :—

(i) When the subscriber leaves a family and —

(*a*) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of Rule 5, or of the corresponding rule heretofore in force, in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination :

(*b*) if no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares :

Provided that no share shall be payable to —

(1) Sons who have attained majority ;

(2) Sons of a deceased son who have attained majority ;

(3) Married daughters whose husbands are alive ;

(4) Married daughters of a deceased son whose husbands are alive ;

If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4) :

Provided further that the widow or widows and the child or chidlren of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso.

Note 1 — Any sum payable under this rule to a member of the family of a subscriber vests in such member under sub-section (2) of Section 3 of the Provident Funds Act, 1925.

Note 2 — When a nominee is a dependent of the subscriber as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925, the amount vests in such nominee under Sub-section (2) of Section 3 of the Act.

(ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of Rule 5, or of the corresponding rule heretofore in force, in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

(iii) When the subscriber leaves no family and no nomination is made by him in accordance with the provisions of Rule 5 subsists, or if such nomination relates only to part of the amount standing to his credit in the Fund, the relevant provisions of clause (*b*) and of sub-clause (*ii*) of clause (*c*) of sub-section (1) of Section 4 of the Provident Funds Act, 1925, shall be applicable to the whole amount or the part thereof, to which the nomination does not relate.

23. *Deposit-linked Insurance Scheme* — On the death of a subscriber during service, the Account Officer in the case of subscribers belonging to Group 'D' and the authority specified in paragraph 2 of the Second Schedule in other cases shall sanction, subject to the following conditions, payment of an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber and arrange its prompt disbursement to the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber by the drawing and disbursing officer :—

(*a*) The balance at the credit of such subscriber shall not at any time during three years preceding the month of death have fallen below the limits of —

(i) Rs. 4,000 in the case of a subscriber belonging to Group 'A' (i.e. a Gazetted Officer who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is more than Rs. 1,720) ;

(ii) Rs. 2,500 in the case of a subscriber belonging to Group 'B' (i.e. a Gazetted Officer who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is not more than Rs. 1,720) ;

(iii) Rs. 1,000 in the case of a subscriber belonging to Group 'C' (i.e. a non-gazetted official who has held for the greater part of the aforesaid period of three years a post the minimum of the pay scale of which is Rs. 354 or more) ;

(iv) Rs. 500 in the case of a subscriber belonging to Group 'D' (i.e. all other non-gazetted Officials) ;

(*b*) The additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 10,000 ;

(*c*) The subscriber has put in at least five year's service at the time of his death.

NOTE 1 — The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose as also for checking the minimum balances prescribed above —

(*a*) the balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of Rule 11 ; and

(*b*) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the

said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

NOTE 2 — Payments under this scheme should be in whole rupees. The amount shall be rounded off to the nearest whole rupees, a part of the rupee less than fifty paise shall be ignored and any other part shall be counted as next higher rupee.

NOTE 3 — Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and threfore the protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925, does not apply to sums payable under this scheme.

NOTE 4 — Where a Government servant has been admitted to the Fund under Rule 25 or 26 but dies before completion of three years of service or as the case may be, five years of service from the date of his admission to the Fund, that period of his service under the previous employer in respect whereof the amount of his subscriptions and the employer's contribution if any, together with interest have been received, shall count for purposes of clause (*a*) and clause (*c*). The average balance referred to in Note 1 above in respect of service under the previous employer shall be worked out on the basis of the records of that employer.

NOTE 5 — In case of subscribers other than those belonging to Group 'D', the amount paid under this rule shall be intimated to the Account Officer who will check the calculations and if it is found that an excess amount had been paid, the said amount shall be deducted from the residual amount to be paid under clause (*c*) of sub-rule (5) of Rule 24 and the payment of the remaining balance only after such deduction shall be authorised by the Account Officer. In case any short payment is found to have been made under this rule, the balance due shall be added to the aforesaid residual amount and the payment of such total amount authorised by the Account Officer.

'4. *Manner of payment of amount in the Fund* — (1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund becomes payable, it shall be paid as provided in section 4 of the Provident Funds Act, 1925, in the manner hereinafter prescribed.

(2) If the person to whom, under these rules, any amount or policy is to be paid, assigned, re-assigned or delivered is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment or assignment or delivery will be made to such manager and not to the lunatic.

(3) Payment shall be made in India in Rupees only. The person to whom the amount is payable shall make his own arrangement to receive payment in India.

(4) Where the subscriber was a Group 'D' employee, an application in Form 425-B set forth in the Fourth Schedule shall be made to the Account Officer, ordinarily, in case of retirement or superannuation six months prior to the date of retirement and within one month from the date on which the amount became payable in other cases. The Account

entitled to receive it, and shall make over the policy to such person together with a signed notice of the reassignment addressed to the Life Insurance Corporation ;

(b) If the policy had simply been delivered to him under the rules heretofore in force, make over the policy to the beneficiary, if any, or if there is no beneficiary, to such person as may be legally entitled to receive it ;

Provided that if a policy assigned to the Governor has matured or fallen due for payment by reason of the death of the subscriber's wife or husband and the amount assured has been realised by the Account Officer from the Life Insurance Corporation and credited to the account of the subscriber, the said policy need not be re-assigned.

FINAL PAYMENT OF ACCUMULATIONS IN THE FUND

20. *Final Payment of accumulations in the Fund* — When a subscriber quits the service, the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him :

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated shall, if required to do so by the Government, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule, in a lump sum or in instalments as may be determined. The amount so repaid shall be credited to his account :

Provided further that where a subscriber after quitting the service takes up appointment, with or without any break, on a new post under the Central Government another State Government or an Undertaking, the amount of his subscriptions together with interest thereon may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Account if the concerned Government or Undertaking, as the case may be, also agree to such transfer. If, however, the subscriber does not opt for such transfer or the concerned Government or Undertaking does not agree to it, the amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

21. *Retirement of subscriber* — When a subscriber —

(*a*) has proceeded on leave preparatory to retirement or if he is employed in a vacation department, on leave preparatory to retirement combined with vacation, or

(*b*) while on leave, has been permitted to retire or has been declared by a competent medical authority to be unfit for further service, the amount standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf, become payable to the subscriber:

Provided that, if in a case covered by clause (*b*), the subscriber returns to duty, he may his discretion repay to the Fund for credit to his account, the amount paid to him pursuance of this rule.

22. *Procedure on death of subscriber* — On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment

has been made, the amount at the credit of the subscriber shall be paid in the following manner :—

(i) When the subscriber leaves a family and —

(*a*) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of Rule 5, or of the corresponding rule heretofore in force, in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to whicn the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination :

(*b*) if no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares :

Provided that no share shall be payable to —

(1) Sons who have attained majority ;

(2) Sons of a deceased son who have attained majority ;

(3) Married daughters whose husbands are alive ;

(4) Married daughters of a deceased son whose husbands are alive ;

If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4) :

Provided further that the widow or widows and the child or chidlren of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso.

Note 1 — Any sum payable under this rule to a member of the family of a subscriber vests in such member under sub-section (2) of Section 3 of the Provident Funds Act, 1925.

Note 2 — When a nominee is a dependent of the subscriber as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925, the amount vests in such nominee under Sub-section (2) of Section 3 of the Act.

(ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of Rule 5, or of the corresponding rule heretofore in force, in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

(iii) When the subscriber leaves no family and no nomination is made by him in accordance with the provisions of Rule 5 subsists, or if such nomination relates only to part of the amount standing to his credit in the Fund, the relevant provisions of clause (*b*) and of sub-clause (*ii*) of clause (*c*) of sub-section (1) of Section 4 of the Provident Funds Act, 1925, shall be applicable to the whole amount or the part thereof, to which the nomination does not relate.

23. *Deposit-linked Insurance Scheme* — On the death of a subscriber during service, the Account Officer in the case of subscribers belonging to Group 'D' and the authority specified in paragraph 2 of the Second Schedule in other cases shall sanction, subject to the following conditions, payment of an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber and arrange its prompt disbursement to the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber by the drawing and disbursing officer :—

(*a*) The balance at the credit of such subscriber shall not at any time during three years preceding the month of death have fallen below the limits of —

(i) Rs. 4,000 in the case of a subscriber belonging to Group 'A' (i.e. a Gazetted Officer who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is more than Rs. 1,720) ;

(ii) Rs. 2,500 in the case of a subscriber belonging to Group 'B' (i.e. a Gazetted Officer who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is not more than Rs. 1,720) ;

(iii) Rs. 1,000 in the case of a subscriber belonging to Group 'C' (i.e. a non-gazetted official who has held for the greater part of the aforesaid period of three years a post the minimum of the pay scale of which is Rs. 354 or more) ;

(iv) Rs. 500 in the case of a subscriber belonging to Group 'D' (i.e. all other non-gazetted Officials) ;

(*b*) The additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 10,000 ;

(*c*) The subscriber has put in at least five year's service at the time of his death.

NOTE 1 — The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose as also for checking the minimum balances prescribed above —

(*a*) the balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of Rule 11 ; and

(*b*) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the

said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

NOTE 2 — Payments under this scheme should be in whole rupees. The amount shall be rounded off to the nearest whole rupees, a part of the rupee less than fifty paise shall be ignored and any other part shall be counted as next higher rupee.

NOTE 3 — Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and threfore the protection given by section 3 of the Provident Funds Act, 1925, does not apply to sums payable under this scheme.

NOTE 4 — Where a Government servant has been admitted to the Fund under Rule 25 or 26 but dies before completion of three years of service or as the case may be, five years of service from the date of his admission to the Fund, that period of his service under the previous employer in respect whereof the amount of his subscriptions and the employer's contribution if any, together with interest have been received, shall count for purposes of clause (*a*) and clause (*c*). The average balance referred to in Note 1 above in respect of service under the previous employer shall be worked out on the basis of the records of that employer.

NOTE 5 — In case of subscribers other than those belonging to Group 'D', the amount paid under this rule shall be intimated to the Account Officer who will check the calculations and if it is found that an excess amount had been paid, the said amount shall be deducted from the residual amount to be paid under clause (*c*) of sub-rule (5) of Rule 24 and the payment of the remaining balance only after such deduction shall be authorised by the Account Officer. In case any short payment is found to have been made under this rule, the balance due shall be added to the aforesaid residual amount and the payment of such total amount authorised by the Account Officer.

'4. *Manner of payment of amount in the Fund* — (1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund becomes payable, it shall be paid as provided in section 4 of the Provident Funds Act, 1925, in the manner hereinafter prescribed.

(2) If the person to whom, under these rules, any amount or policy is to be paid, assigned,re-assigned or delivered is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment or assignment or delivery will be made to such manager and not to the lunatic.

(3) Payment shall be made in India in Rupees only. The person to whom the amount is payable shall make his own arrangement to receive payment in India.

(4) Where the subscriber was a Group 'D' employee, an application in Form 425-B set forth in the Fourth Schedule shall be made to the Account Officer, ordinarily, in case of retirement or superannuation six months prior to the date of retirement and within one month from the date on which the amount became payable in other cases. The Account

Officer shall, subject to adjustment, if any, make payment of the amount standing to the credit of the subscriber in his G.P.F. pass-book on the date of retirement in case of retirement on superannuation and within three months from the date on which the amount became payable, in other cases.

(5) (*a*) In the case of other subscribers two applications in Form 425-A set forth in the Fourth Schedule shall be made to the drawing and disbursing officer, in triplicate, one for payment of 90 per cent of balance in the G.P.F. pass-book and the other for the residual amount. Ordinarily, the applications shall be made six months prior to the date of retirement in case of retirement on superannuation and within one month from the date on which the amount became payable, in other cases.

(*b*) The drawing and disbursing officer shall thereupon, prepare calculation sheets on the prescribed form the current as well as five preceding financial years, in triplicate, and forward within one month from the date of receipt of the applications, two copies of the calculation sheets with two copies of the applications and G.P.F. pass-book to the seniormost officer dealing with accounts attached to the Head of the Department, who, after subjecting them to appropriate checks, forward the same, within one month to the sanctioning authority mentioned in paragraph 2 of the Second Schedule with his recommendation for payment of 90 per cent of the balance of G.P.F. pass-book. Such sanctioning authority shall pass an order for the payment of 90 per cent of the balance of G.P.F. on the application and communicate the same to the drawing and disbursing officer, the Treasury Officer concerned and the Account Officer, in the form set forth in Appendix "C" so as to enable the recipient to receive the payment, in case of retirement on superannuation on the date of retirement, and within three months from the date on which the amount became payable, in the other cases.

NOTE — Where, in any department, there is no officer dealing with accounts, the checking of calculation sheets shall be done by the officer-in-charge of the Treasury of the concerned district.

(*c*) The sanctioning authority shall forward to the Account Officer the application duly completed, alongwith the order of 90 per cent balance and the copies of the calculation sheets with the G.P.F. pass-book to enable him to authorise payment of the residual amount. In case of retirement on superannuation the application shall be forwarded 3 months before the date of retirement and in other cases without avoidable delay. The Account Officer shall after reconciliation of account and subject to adjustment, if any, issue order for the payment of the residual amount so as to enable the recipient to receive the payment, is case of retirement on superannuation on the date of retirement or as soon thereafter as may be but, in any case, not later than three months after such date, and within three months from the date on which the amount became payable, in other cases.

TRANSFER OF ACCUMULATIONS IN THE FUND

25. *Procedure on appointment to Government service of a person from the Central or any other State Government* — (*a*) If a Government servant, who is a subscriber to a non-Contributory Provident Fund of the Central or any other State Government, is appointed to the service of the Uttar Pradesh Government permanently or temporarily and is likely to be made permanent in due course, the balance at his credit in such other Fund on the date of transfer may, with the consent of the other Government, be transferred to his credit in the Fund.

(*b*) If a Government servant, who is a subscriber to a Contributory Provident Fund of the Central or any other Government, is appointed to the service of the Uttar Pradesh Government permanently or temporarily and is likely to be made permanent in due course —

(i) the balance at his credit in such Contributory Provident Fund on the date of such appointment shall, with the consent of the other Government, be transferred to his credit in the Fund ;

(ii) the amount of such other Government contribution, with interest thereon, standing to his credit in the Contributory Provident Fund shall, with the consent of the other Government, be credited to the State Revenues.

6. *Procedure on transfer to Government service of a person from the service of an undertaking* —If a person admitted to the Fund was previously a subscriber to a Provident Fund of an Undertaking or governed by the Employees' Provident Fund Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Act No. 19 of 1952), the amount of his subscriptions and the employer's contribution, if any, together with the interest thereon may be transferred to his credit in the Fund with the consent of that body.

RULES OF PROCEDURE

Annual statement of account to be supplied to subscriber — (1) The Account Officer shall, within six months after the close of each year, send to each subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest and Incentive Bonus, if any, credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date.

(2) The Account Officer shall also give on reverse of the statement of account full particulars of missing credits, if any.

(3) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement and errors should be brought to the notice of the Account Officer within three months from the date of its receipt, along with relevant extracts from the G.P.F. pass-book, duly verified by the drawing and disbursing officer concerned.

28. *General Provident Fund Pass-Book* — (1) All drawing and disbursing officers shall maintain a G.P.F. pass-book in respect of the General Provident Fund Account of each subscriber working under them, in such manner and in such form as may be prescribed by the Government and the subscriber shall be entitled to receive a copy of the G.P.F. pass-book on payment of such fee as may be prescribed and to get it updated at such intervals and in such manner as may be prescribed by the Government.

(2) When a subscriber is transferred to another Government Department or an Undertaking, his pass-book completed in all respects till the date of his transfer shall be forwarded to such other Government Department or undertaking along with his Last Pay Certificate and a mention regarding the closing balance as on the date of transfer in the G.P.F. pass-book shall be made in the Last Pay Certificate. The pass-book so received will be maintained by such Government Deprtment/Undertaking in the same manner as prescribed in sub-rule (1).

By Order,

J.P. SINGH
Sachiv.

FIRST SCHEDULE [RULE 5 (3)]

FORM OF NOMINATION

Vhether the subscriber has a 'amily ——————— Yes/ No.

General Provident Fund Account No.................................

I...(full name) hereby nominate the person(s) mentioned below who / are member (s)/ not member(s) of my family as defined in Rule 2 (*c*) of the General Provident 'und (Uttar Pradesh) Rules, 1985 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund s indicated below in the event of my death before that amount has become payable or having ecome payable has not been paid.

Name and full Address of the nominee (s)	Relationship with the subscriber	Age of the nominee(s)	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid	Name, address and relationship of the person(s), if any, to whom the right of nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber.
1	2	3	4	5	6

Date.............................month.................19................

...tion :

Two witnesses to Signature

Name Address Signature.

Signature of the subscriber.

....

Name in Block Letters...............................

Designation...

NOTE — A subscriber who has a family at the time of making nomination shall make such omination only in favour of a member or members of his family. In case of a subscriber who had o family at the time of making nomination, it shall become invalid in the event of his ubsequently acquiring a family.

(Reverse of the form)

Space for use by the Head of Department/ Head of Office.

....

Nomination by Sri/ Smt./ Kumari .... Designation ....
Date of Receipt of nomination ....

Signature :..............................

Head of Department / Head of

Office

Designation.....................

Date..............................

Instructions for the subscriber :

(*a*) State whether you have a family — Definition of term 'Family' as given in the Genera Provident Fund (Uttar Pradesh) Rule, 1985 is reproduced below :
Family means —

(i) in the case of a male subscriber the wife/ wives and children of a subscribe and the widow or widows and children of a deceased son of the subscriber provided th if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has cease under the customary law of the community to which she belongs, to be entitled t maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of th subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscribe subsequently intimates in writing to the Account Officer that she shall continue to b so regarded ;

(ii) in the case of a female subscriber the husband and children of a subscribe and the widow or widows and children of a deceased son of a subscriber, provided tha if a subscriber by notice in writing to the Account Officer expresses her desire t exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be n longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unles the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

NOTE — Child means a legitimate child and includes an adopted child, wher adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

(b) Account number should be written correctly.

(c) Column 4 — If only one person is nominated, the words "in full" should

written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee, covering the whole amount of the Provident Fund, shall be specified.

(d) Column 5 — Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.

(e) Column 6 — Do not mention your name in this column.

(f) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

Second Schedule (Rule 13)

AUTHORITIES COMPETENT TO GRANT TEMPORARY ADVANCES

1. An advance for the grant of which special reasons are not required under sub-rule (4) of Rule 13, may be sanctioned by the authority competent to grant an advance of pay on transfer under paragraph 249 of the Financial Handbook, Volume V, Part I.

2. An advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (4) of Rule 13, may be sanctioned by the following authorities or such other authorities as may be declared competent by the Government from time to time.

(i) A department of the Government of Uttar Pradesh.

(ii) The following heads of department and other authorities, namely —

[1] A Secretary to Government.

[2] The Secretary, Board of Revenue.

[3] The High Court of Judicature at Allahabad.

[4] The Commissioners of Divisions.

[5] The Principal Chief/ Chief Conservators of Forests.

[6] The Engineer-in-Chief/ Chief Engineers of Public Works Department.

[7] The Directors of Education/ Higher Education and Additional Directors of Education/ Secondary Education.

[8] The Director of Medical Health and Family Welfare.

[9] The Director-General/ Inspectors-General of Police.

[10] The Inspector-General of Prisons.

[11] The Legal Remembrancer.

[12] The Conservators of Forests.

[13] The Superintending Engineers, Public Works Department.

[14] The Director of Agriculture.

[15] The Director of Industries.

[16] The Commissioner of Excise.

[17] The Inspector-General of Registration.

[18] The Registrar, Co-operative Societies.

[19] The Director of Animal Husbandry.

[20] The President, Legislative Council.

[21] The Speaker, Legislative Assembly.

[22] The President, Court of Wards.

[23] The Hydro-Electric Engineer, Irrigation Branch.

[24] The Chairman, Public Service Commission.

[25] The Secretary to the Governor.

[26] The Labour Commissioner.

[27] The Transport Commissioner.

[28] The Chief Mechanical Engineer, Mechanical Engineering Department, U.P. Government, Kanpur.

[29] The Joint Director of Agriculture.

[30] The Deputy Directors of Education.

[31] The Cane Commissioner.

[32] The Sales Tax Commissioner.

[33] The Land Reforms Commissioner.

[34] The Director of Panchayat Raj.

[35] The Chief Electrical Inspector to Government.

[36] The Director of Training and Employment.

[37] The Commissioner for Agricultural Production and Rural Development.

[38] The Director of Economic Intelligence and Statistics.

[39] The Director of Fruit Utilisation.

[40] The Director of Information.

[41] The Consolidation Commissioner.

[42] The Director of Vigilance.

[43] The Chief Audit Officer, Co-operative Societies and Panchayats.

[44] The Principal, K.N. College, Gyanpur (Varanasi).

[45] The Presiding Officer, Industrial Tribunal.

[46] The Chairman, Vigilance Commission and President, Administrative Tribunal (1).

[47] The Additional Director of Industries.

[48] The Entertainment and Betting Tax Commissioner.

[49] The Food Commissioner.

[50] The Director of Treasuries.

[51] The Director of Lotteries.

[52] The Director of Cultural Affairs.

[53] The Additional Director (Administration), Medical, Health and Family Welfare.

[54] The Divisional Joint Directors, Medical, Health and Family Welfare.

[55] The Secretary, Lok Ayukt.

(iii) in respect of non-gazetted officers only :—

[*a*] The Deputy Inspectors-General of Police (in respect of staff above the rank of Head Constable).

[*b*] The Deputy Inspector-General, Government Railway Police.

[*c*] The District and Sessions Judges.

[*d*] The Director, Printing and Stationery.

[*e*] The District Officers.

[*f*] The Superintendents of Police (in respect of Head Constables and Constables).

[*g*] The Joint Director, Printing and Stationery.

[*h*] The Director, National Cadet Corps.

[*i*] The Deputy Food Commissioner (in respect of non-gazetted staff at Headquarter).

[*j*] The Regional Food Controllers (in respect of all non-gazetted staff under them).

[*k*] The Deputy Director, N.C.C.

[*l*] The Additional Cane Commissioner (Administration).

[*m*] The Deputy Sales Tax Commissioner.

[*n*] The Zonal Additional/ Joint/ Deputy Directors of Industries.

Provided that no subscriber shall sanction an advance to himself.

Where a subscriber himself is the authority referred to in paragraphs 1 and above, an advance to him under these rules shall require the sanction of the next higher authority.

Third Schedule (Rule 19)

FORMS OF RE-ASSIGNMENT BY THE GOVERNOR OF THE UTTAR PRADESH

FORM (1)

In pursuance of Rule 19 of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985, the Governor of Uttar Pradesh doth hereby re-assign the within policy of assurance to the above-named A.B./A.B. and C.D.

Dated this ....day of....................................19......
Executed by ....,Account Officer of the Fund for and on behalf of the Governor of the Uttar Pradesh, in the presence of ....
....

YZ	XY
(One witness who should add his designation and address.)	*Signature of the Account Officer.*

FORM (2)

The above named A.B. having died on the .... day of ....19 .... The Governor of the Uttar Pradesh doth hereby re-assign the within policy of assurance to C.D ....
* in pursuance of Rule 19 of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985.

Dated this ....day of ....19 ....
Executed by ...., Account Officer of the Fund for and on behalf of the Governor of the Uttar Pradesh in the presence of ....

YZ	XY
(One witness who should add his designation and address.)	*Signature of the Account Officer.*

---

* Fill in particulars of persons legally entitled to receive the policy.

[Fourth Schedule (Rule 24 (5) (a)/ (4)]

FORM 425-A

(For Government servants other than those belonging to Group 'D')

Part I

FORM OF APPLICATION FOR FINAL PAYMENT OF 90 PER CENT OF BALANCE IN THE GENERAL PROVIDENT FUND ACCOUNT

To

....

....

....

(Drawing and Disbursing Officer)

Sir,

I am due to retire/ have proceeded on leave preparatory to retirement for .... months have resigned from Government service and my resignation has been accepted/ have been discharged/ dismissed with effect from .... forenoon/ afternoon.

2. I request that 90 per cent of the balance at my credit in my General Provident Fund Account, with interest and bonus (if any) due under the rules, may be paid to me. My Provident Fund Account No. is ....

3. A sum of Rs. .... was last deducted as Provident Fund Subscription from my pay bill for the month of .... 19 ....

4. I certify that I have neither drawn any temporary advance nor made any final withdrawal from my Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years.

Details of final withdrawals/ last temporary advance together with details of recovery taken by me from my Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years are given below :—

A—Final Withdrawals

Serial no.	Amount of withdrawal	Date of drawal
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		

B—Temporary Advance

Amount of advance	Date of drawal	Number of instalments in which amount was to be recovered	Number of instalments and amount recovered up to the date of application	Number of instalments and amount unrecovered up to the date of application	If the recovery has not been regular, give reasons therefor

5. I hereby certify that no amount was withdrawn/ the following were withdrawn by me from my Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years for payment of Insurance premia :

Serial no.	Amount	Date of drawal
1		
2		
3		
4		
5		
6		

6. The particulars of the Life Insurance policies financed by me from the Provident Fund which are to be released are given below :

Serial No.	Policy no.	Name of Branch of Life Insurance Corporation of India	Sum assured
1			
2			
3			
4			

7. I undertake that if any payment is made to me in excess of 90 per cent of the balance in the G.P.F. pass-book and such excess payment has not been adjusted from the payment of residual amount or from the Gratuity, I shall pay such excess amount to the Government.

Station :

Yours faithfully,
(Signature)

Date:

Name and Address.

Part II

FORM OF APPLICATION FOR FINAL PAYMENT OF THE RESIDUAL AMOUNT IN THE GENERAL PROVIDENT FUND ACCOUNT

To

The Accountant-General,
Uttar Pradesh, Allahabad.
(Through the Drawing and Disbursing Officer)

Sir,

I am due to retire/ have retired/ have proceeded on leave preparatory to retirement for .... months/ have resigned from Government service and my resignation has been accepted/ have been discharged/ dismissed with effect from .... forenoon/ afternoon.

2. I have submitted an application (*vide* Part I above) for the payment of 90 per cent of the balance at my credit in my General Provident Fund Account No......................... with interest and bonus (if any) due under the rules. I hereby request that the residual amount, after payment of 90 per cent of the balance in my General Provident Fund Account, may also be paid to me through the Drawing and Disbursing Officer/.. Treasury/ Sub-Treasury.

3. * My specimen signatures, in duplicate, duly attested by a Gazetted Officer, are enclosed.

Yours faithfully,

Station : *(Signature)*

Date : *Name and Designation*

---

* Paragraph 3 applies only when payment is desired through a Treasury/ Sub-Treasury.

Part III

FORM OF APPLICATION FOR FINAL PAYMENT OF 90 PER CENT OF BALANCE IN THE GENERAL PROVIDENT FUND ACCOUNT OF A DECEASED SUBSCRIBER (TO BE USED BY NOMINEES OR OTHER CLAIMANTS WHERE NO NOMINATION SUBSISTS)

To

....

....

(Drawing and Disbursing Officer)

Sir,

It is requested that arrangements may be made for the payment of 90 per cent of the balance in the General Provident Fund Account of Sri/ Srimati.. with interest and bonus (if any) due under the rules. The necessary particulars are given :

1. Name of the Government Servant.
2. Post held by the Government Servant.
3. Date of death (enclose certificate of death).
4. Provident Fund Account No...
5. Details of members of the family, as defined in Rule 2, of the subscriber :—

Serial no.	Name	Relationship with the subscriber	Age on the date of subscriber's death	In case of a daughter or a daughter of a deceased son of the subscriber, state whether she was unmarried, married or widowed on the date of subscriber's death
1				
2				
3				
4				
5				
6				

6. Details of the nominees alive on the date of death of subscriber, if nomination subsists :—

Serial no.	Name of the Nominee	Relationship with the subscriber	Share of nominee	Reasons for the claim, if the nominee is not a member of the subscriber's family
1				
2				
3				
4				

7. • In the case of amount due to a minor child whose mother (widow of subscriber), is not Hindu, the claim should be supported by Indemnity Bond or Guardianship Certificate, as the case may be.

8. If the subscriber has left no family and no nomination subsists, the names of persons to whom the Provident Fund money is payable (to be supported by letters of probate or succession certificate, etc.) :

Serial no.	Name	Relationship with the subscriber	Address
1			
2			
3			
4			

9. Religion of the claimant(s).

10. The payment is desired through the Drawing and Disbursing Officer/ through the .... Treasury/ Sub-treasury. In this connection the following documents duly attested by a Gazetted Officer in service/ Magistrate are attached :

(i) Personal marks of identification.

(ii) Left/ Right hand thumb and finger impression (in the case of illiterate claimants).

(iii) Specimen signatures in duplicate (in the case of literate claimants).

11. I/ We undertake that if any payment is made to me/ us in excess of 90 per cent of the balance in the G.P.F. pass-book and such excess payment has not been adjusted from the payment of residual amount or from the Gratuity, I/ We shall pay such excess amount to the Government.

Station...............
Date..............

Yours faithfully,
Signature of claimant(s)
(Full name and address).

Part IV

FORM OF APPLICATION FOR FINAL PAYMENT OF THE RESIDUAL AMOUNT IN THE GENERAL PROVIDENT FUND ACCOUNT OF A DECEASED SUBSCRIBER [TO BE USED BY THE NOMINEES OR OTHER CLAIMANTS WHERE NO NOMINATION SUBSISTS].

To

The Accountant-General
Uttar Pradesh, Allahabad
[Through the Drawing and Disbursing Officer]

Sir,

I/ We have submitted an appliction [*vide* Part III above] for the payment of 90 per cent of the balance in the General Provident Fund Account No... of Sri/ Srimati .... with interest and bonus [if any], due under the rules. It is requested that the residual amount, after payment of 90 per cent of the balance as aforesaid, may also be paid to me/ us through the Drawing and DisbursingOfficer/ .... Treasury/ Sub-treasury.

Station................ Yours faithfully,
Date.............. *Signature of claimant(s)*
(Full name and address).

[FOR USE BY THE DRAWING AND DISBURSING OFFICER]

1. The Provident Fund Account No. of Sri/ Srimati .... is ....

2. He/ She has retired/ will retire/ has proceeded on leave preparatory to retirement for .... months/ has resigned from Government service and his/ her resignation has been accepted/ has been discharged/ dismissed with effect from .... forenoon/ afternoon.

3. The last Fund deduction of Rs. .... and recovery on account of refund of advance Rs.................................. was made from his/ her pay *vide* voucher no. .... dated .... for Rs. .... of .... Treasury and was included in the G.P.F. schedule for Rs .... attached with the above voucher.

4. Certified that he/ she was neither sanctioned any temporary advance nor any final withdrawal from his/ her Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years.

OR

Certified that the following final withdrawals/ last temporary advance were sanctioned to him/ her and drawn from his/ her Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years :—

A—Final Withdrawals

Serial no.	Amount of withdrawal	Date of drawal	Voucher no.	Name of Treasury	Head of Account

B—Temporary Advance

Serial no.	Amount of advance	Date of drawal	Voucher no.	Name of Treasury	Head of Account	Month and year in which recovery completed

5. Certified that no amount was withdrawn/ the following amounts were withdrawn from his/ her Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years for payment of Insurance premia :—

Serial no.	Amount	Date of drawal	Voucher no.	Name of Treasury	Head of Account

6. The balance in his/ her G.P.F. pass-book as on .... (date on which the amount became payable), including interest payable up to that date and bonus (if any), is Rs .... (in figures) Rs. ....

.... (in words), as per calculation sheets attached and 90 per cent of th above balance comes to Rs. ....

7. Certified that no recoveries pertaining to G.P.Fund are to be made from him/her. Therefore, the payment of Rs. .... (in figures) Rupee .... (in words), which is 90 per cent of the balance in th subscriber's G.P.F. pass-book, to .... [name of subscriber o claimant (s) if he is dead] is recommended.

OR

The following recoveries pertaining to G.P. Fund are to be made from the subscriber

Serial No.	Particulars of recoveries	Amount. Rs.
1		
2		
3		
4		
	Total	....

After deducting the amount of Rs. .... on account of recoveri detailed above, the payment of Rs. ....(in figures) Rs. .... (in words) only out of 90 per cent of the balance in the subscriber's G.P.Fund pass-book t .... [name of subscriber or claimant (s) if he is dead] is recommended.

* 8. The subscriber died on... A death certifica is attached.

9. Forwarded along with the calculation sheets (in duplicate) and the applicatic for the payment of the residual amount, to ....

Date...........

Signature and Seal
Drawing and Disbursi
Officer

FOR USE BY THE CHECKING ACCOUNTS AUTHORITY

1. Certified that I have checked the attached calculation sheets and the abo calculations, which are correct.

2. The payment of Rs. .... (in figures) Rupees .... (in words) is recommended.

3. Forwarded to .... (sanctioning authority).

Date............. *Signature and seal of the checking accounts authority.*

* Information against serial no. 8 to be furnished, if the subscriber is dead.

(FOR USE BY THE SANCTIONING AUTHORITY)

1. Payment of Rs. .... (in figures) Rupees ....(in words) to .... [name of subscriber or claimant (s) if he is dead] sanctioned.

2. Application for payment of the residual amount along with calculation sheets and G.P.Fund pass-book forwarded to the Accountant-General, Uttar Pradesh, Allahabad. The G.P.F. pass-book may be returned to the Drawing and Disbursing Officer after authorising payment.

Date............. *Signature and seal of sanctioning authority.*

FORM 425-B

(For Government Servants belonging to Group 'D')

Part I

FORM OF APPLICATION FOR FINAL PAYMENT OF BALANCE IN THE GENERAL PROVIDENT FUND ACCOUNT

....

....

(Account Officer)

I am due to retire/ have retired/ have proceeded on leave preparatory to retirement for .... months/ have resigned from Government service and my resignation has been accepted/ have been discharged/ dismissed with effect from .... forenoon/ afternoon.

2. I request that arrangements may kindly be made to pay the entire amount at my credit in my General Provident Fund Account with interest and bonus (if any) due under the rules.

3. My Provident Fund Account no. is .... I desire tc receive payment through the Drawing and Disbursing Officer.

4. The undermentioned Life Insurance policies financed by me from Provident Fund Account may kindly be released.

Policy No.	Name of Branch of Life Insurance Corporation	Sum assured
1		
2		
3		
4		

Station :

Date :

Yours faithfully

[Signature]

Name

Address

Part II

FORM OF APPLICATION FOR FINAL PAYMENT OF BALANCE IN THE GENERA PROVIDENT FUND ACCOUNT OF A DECEASED SUBSCRIBER (TO BE USE BY THE NOMINEES OR OTHER CLAIMANTS WHERE NO NOMINATIO SUBSISTS).

To

....

....

[Accounts Officer]

Sir,

It is requested that arrangements may be made for the payment of the accumulation in General Provident Fund Account of Sri/ Srimati .... with interest and bonu any] due under the rules. The necessary particulars required in this connection are given below

1. Name of the Government Servant

2. Post held by the Government Servant

3. Date of death [enclose certificate of death]

4. Provident Fund Account No. ....

5. Details of members of the family, as defined in Rule 2, of the subscriber :—

Serial No.	Name	Relationship with the subscriber	Age on the date of subscriber's death	In case of a daughter or a daughter of a deceased son of the subscriber, state whether she was unmarried or widowed on the date of subscriber's death
1				
2				
3				
4				
5				
6				

6. Details of nominee alive on the date of death of subscriber, if nomination subsists :—

Serial No.	Name of the nominee	Relationship with the subscriber	Share of the nominee	Reasons for the claim, if the nominee is not a member of the subscriber's family.

7. In the case of amount due to a minor child whose mother [widow of subscriber] is not Hindu, the claim should be supported by Indemnity Bond or Guardianship certificate, as the case may be.

8. If the subscriber has left no family and no nomination subsists, the names of persons to whom the Provident Fund money is payable [to be supported by letters of probate or succession certificate, etc.] :

Serial No.	Name	Relationship with the subscriber	Address

9. Religion of the claimant [s]

10 The payment is desired through the Drawing and Disbursing Officer. In this connection the following documents duly attested by a Gazetted Officer in service/ Magistrate are attached :

[i] Personal marks of identification ;

[ii] Left/ Right-thumb and finger impression [in the case of illiterate claimants] ;

[iii] Specimen signatures in duplicate [in the case of literate claimants].

Yours faithfully.

Signature of claimant [s]

(Full name and address)

Station................

Date...................

(FOR USE BY THE OFFICE)

1. The Provident Fund Account no. of Sri/ Smt. .... is ....

2. He/ She has retired/ will retire/ has proceeded on leave preparatory to retirement for .... months/ has resigned from Government service and his/ her resignation has been accepted/ has been discharged/ dismissed with effect from .... forenoon/ afternoon.

3. The last Fund deduction of Rs. .... and recovery on account of refund of advance Rs... was made from his/ her pay vide voucher no................................ dated .... for Rs. .... of .... Treasury and was included in the G.P.F. Schedule for Rs. .... attached with the above voucher.

4. Certified that he/ she was neither sanctioned any temporary advance nor any final withdrawal from his/ her Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years.

OR

Certified that the following final withdrawals/ last temporary advance were sanctioned to him/ her and drawn his/ her Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years.

A—Final withdrawals

Serial no.	Amount of withdrawals	Date of drawal	Voucher no.	Name of Treasury	Head of Account
1					
2					
3					
4					

B—Temporary Advance

Amount of advance	Date of drawal	Voucher no.	Name of Treasury	Head of Account	Month and year in which recovery completed	If recovery not completed, number of instalments and amount unrecovered up to the date of application

5. Certified that no amount was withdrawn/ the following amounts were withdrawn from is/ her Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years for ayment of Insurance premia :

erial o	Amount	Date of drawal	Voucher no.	Name of Treasury	Head of Account

6. The balance in his/ her G.P.F. pass-book as on .... (date on hich the amount became payable), including interest payable up to that date and bonus (if any) Rs. .... (in figures) Rupees .... (in words).

7. Certified that no recoveries pertaining to G.P. Fund are to be made from him/ her. erefore, the payment of Rs. ....(in figures) Rupees .... n words) to .... [name of subscriber or claimant (s) if he/ she is dead] is commended.

OR

The following recoveries pertaining to G.P. Fund are to be made from the subscriber :

Serial no.	Particulars of recoveries	Amount Rs.
1		
2		
3		
4		
	Total	....

After deducting the amount of Rs. .... on account of recoverie detailed above, the payment of Rs. .... (in figures) Rupees .... (in words) only out of the balance in the subscriber' G.P.F. pass-book to .... [name of subscriber or claimant (s) if he/ she dead] is recommended.

** 8. The subscriber died on .... and the date h been verified from death certificate.

Signature and designation

the concerned official in th

Office of the Accounts Offic

** Serial no. 8 applies if the subscriber is dead.

(For use by the Accounts Officer)

Payment of Rs. .... (in figures) Rupees .... (in words) to .... [name subscriber or claimant (s)] [if he/ she is dead] sanctioned.

Date................................

Signature and seal

Accounts Offi

APPENDIX "A"

(Rule 13)

FORM (1)

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अस्थायी अग्रिम लेने के लिए प्रार्थना-पत्र

1-अभिदाता का नाम..............................

2-खाता संख्या..............................

3-पद नाम..............................

4-वेतन..............................

5-प्रार्थना-पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण :-

(1) वर्ष .... की लेखा पर्ची (एकाउण्ट स्लिप) के अनुसार जमा धनराशि ....

(2) माह.............................. से.............................. तक अभिदान द्वारा जमा धनराशि ....

(3) अग्रिम की वापसी (रिफण्ड आफ एडवांस) द्वारा जमा..............................

(4) निष्कासित धनराशि का विवरण :-

(क) अन्तिम निष्कासन..............................

माह/वर्ष.............................. से.............................. माह/वर्ष तक

(ख) अस्थायी अग्रिम :-

माह/वर्ष से.............................. माह/वर्ष तक

(5) शुद्ध जमा धनराशि..............................

(6) पूर्ववर्ती अग्रिम यदि शेष हों तो शेष धनराशि और उस अग्रिम का प्रयोजन.............................. ....

(7) अब मांगे जा रहे अग्रिम की धनराशि..............................

(8) (क) इस अग्रिम का प्रयोजन..............................

(ख) जिस नियमानुसार अनुमन्य है उसका सन्दर्भ..............................

(9) समेकित अग्रिम की धनराशि (मद 6+7) तथा जितनी मासिक किस्तों में समेकित अग्रिम धनराशि की अदायगी की जानी है ....

(10) अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिससे प्रार्थना का औचित्य सिद्ध हो सके.............................. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक............

पदनाम..............................

अनुभाग/विभाग..............................

[i] Personal marks of identification ;

[ii] Left/ Right-thumb and finger impression [in the case of illiterate claimants] ;

[iii] Specimen signatures in duplicate [in the case of literate claimants].

Yours faithfully.

Signature of claimant [s]

Station................

(Full name and address

Date...................

(FOR USE BY THE OFFICE)

1. The Provident Fund Account no. of Sri/ Smt. .... is ....

2. He/ She has retired/ will retire/ has proceeded on leave preparatory to retirement for .... months/ has resigned from Government service and his/ her resignation has been accepted/ has been discharged/ dismissed with effect from .... forenoon/ afternoon.

3. The last Fund deduction of Rs. .... and recovery on account of refund of advance Rs.. was made from his/ her pay vide voucher no................................ dated .... for Rs. .... of .... Treasury and was included in the G.P.F. Schedule for Rs. .... attached with the above voucher.

4. Certified that he/ she was neither sanctioned any temporary advance nor any final withdrawal from his/ her Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years.

OR

Certified that the following final withdrawals/ last temporary advance were sanctioned to him/ her and drawn his/ her Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years.

A—Final withdrawals

Serial no.	Amount of withdrawals	Date of drawal	Voucher no.	Name of Treasury	Head of Account
1					
2					
3					
4					

B—Temporary Advance

Amount of advance	Date of drawal	Voucher no.	Name of Treasury	Head of Account	Month and year in which recovery completed	If recovery not completed, number of instalments and amount unrecovered up to the date of application

5. Certified that no amount was withdrawn/ the following amounts were withdrawn from his/ her Provident Fund Account during the current as well as five preceding financial years for payment of Insurance premia :

Serial No	Amount	Date of drawal	Voucher no.	Name of Treasury	Head of Account

6. The balance in his/ her G.P.F. pass-book as on .... (date on which the amount became payable), including interest payable up to that date and bonus (if any) Rs. .... (in figures) Rupees .... (in words).

7. Certified that no recoveries pertaining to G.P. Fund are to be made from him/ her. Therefore, the payment of Rs. ....(in figures) Rupees .... (in words) to .... [name of subscriber or claimant (s) if he/ she is dead] is recommended.

OR

The following recoveries pertaining to G.P. Fund are to be made from the subscriber :

Serial no.	Particulars of recoveries	Amount Rs.
1		
2		
3		
4		
	Total	....

After deducting the amount of Rs. .... on account of recoveries detailed above, the payment of Rs. .... (in figures) Rupees .... (in words) only out of the balance in the subscriber's G.P.F. pass-book to .... [name of subscriber or claimant (s) if he/ she is dead] is recommended.

** 8. The subscriber died on .... and the date has been verified from death certificate.

Signature and designation of

the concerned official in the

Office of the Accounts Office

** Serial no. 8 applies if the subscriber is dead.

(For use by the Accounts Officer)

Payment of Rs. .... (in figures) Rupees .... (in words) to .... [name of subscriber or claimant (s)] [if he/ she is dead] sanctioned.

Date................................

Signature and seal of

Accounts Offic

APPENDIX "A"

(Rule 13)

FORM (1)

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अस्थायी अग्रिम लेने के लिए प्रार्थना-पत्र

1-अभिदाता का नाम ....

2-खाता संख्या ....

3-पद नाम ....

4-वेतन ....

5-प्रार्थना-पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण :—

(1) वर्ष .... की लेखा पर्ची (एकाउण्ट स्लिप) के अनुसार जमा धनराशि ....

(2) माह .... से .... तक अभिदान द्वारा जमा धनराशि ....

(3) अग्रिम की वापसी (रिफण्ड आफ एडवांस) द्वारा जमा ....

(4) निष्कासित धनराशि का विवरण :—

(क) अन्तिम निष्कासन ....

माह/वर्ष .... से .... माह/वर्ष तक

(ख) अस्थायी अग्रिम :—

माह/वर्ष से .... माह/वर्ष तक

(5) शुद्ध जमा धनराशि ....

(6) पूर्ववर्ती अग्रिम यदि शेष हों तो शेष धनराशि और उस अग्रिम का प्रयोजन ....

(7) अब मांगे जा रहे अग्रिम की धनराशि ....

(8) (क) इस अग्रिम का प्रयोजन ....

(ख) जिस नियमानुसार अनुमन्य है उसका सन्दर्भ ....

(9) समेकित अग्रिम की धनराशि (मद 6+7) तथा जितनी मासिक किस्तों में समेकित अग्रिम धनराशि की अदायगी की जानी है ....

(10) अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिससे प्रार्थना का औचित्य सिद्ध हो सके ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक ....

पदनाम ....

अनुभाग/विभाग ....

FORM (II)

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अस्थायी अग्रिम स्वीकार किये जाने का फार्म

एतद्द्वारा श्री/~~श्रीमती~~/कुमारी..................................

को उनके सा. भवि. नि. खाता संख्या.............................. से.................................. प्रयोजन के लिये खर्च की व्यवस्था करने हेतु.............................. रुपये (शब्दों में).............................. के अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति नियम संख्या.............................. .... के अनुसार दी जाती है।

2-अग्रिम स्वीकृत.............................. रुपये की.............................. मासिक किस्तों में वसूल किया जायगा जिसकी पहली किस्त.............................. (माह) के वेतन, जो.............................. (माह) में देय होगा, से प्रारम्भ होगी।

3-राजाज्ञा संख्या.............................. दिनांक.............................. के अनुसार स्वीकृत तथा भुगतान किये गये.............................. रुपये (शब्दों में).............................. किये गये अग्रिम में से.............................. रुपये (शब्दों में) के रकम की वसूली अभी बाकी है। यह शेष धनराशि और अब स्वीकृत की गयी अग्रिम की धनराशि जिसका कुल योग.............................. रुपये.............................. (शब्दों में).............................. होता है, की वसूली.............................. रुपये की.............................. मासिक किस्तों में की जायगी, जिसकी पहली किस्त.............................. माह के वेतन जो.............................. (माह) में देय होगा, से प्रारम्भ होगी।

4-श्री/श्रीमती/कुमारी के खाते में दिनांक.............................. को जमा धनराशि का विवरण निम्न है :—

(1) वर्ष की लेखा पर्ची के अनुसार जमा शेष रुपया

(2) बाद में :—

(क) अभिदान के रूप में माह.............................. से.............................. तक.............................. रुपया

(ख) पूर्व-स्वीकृत अग्रिम की वसूली माह.............................. से.............................. तक.............................. रुपया।

(3) कॉलम (1) तथा (2) का योग.............................. रुपया।

(4) निष्कासन, यदि कोई हो, की धनराशि.............................. रुपया।

(5) स्वीकृत की तिथि को शेष :

कॉलमम (3) में से कॉलम (4) घटाकर..............................।

दिनांक......................

हस्ताक्षर स्वीकृति देने वाला अधिकारी

पदनाम..........................

विभाग..........................

APPENDIX "B"

(Rule 16)

Form (1)

(सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अंतिम निष्कासन के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप)

कार्यालय का नाम..

1-अभिदाता का नाम..

2-खाता संख्या..

3-पद नाम..

4-वेतन..

5 -सेवा में आने की तिथि तथा अधिवार्षिकी (Superannuation) की तिथि

6-प्रार्थना-पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण :-

(i) वर्ष.......................... की लेखा पर्ची(एकाउण्ट स्लिप)/विभागीय लेजर के अनुसार जमा धनराशि

(ii) माह.......................... से.......................... तक अभिदान द्वारा जमा धनराशि..........................

(iii) अग्रिम की वसूली (रिफण्ड आफ एडवांस) द्वारा जमा धनराशि..........................

(iv) निष्कासित धनराशि का विवरण :-

(क) अंतिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल) माह/वर्ष.......................... से.......................... माह/वर्ष तक।

(ख) अस्थायी अग्रिम (टेम्पोरेरी एडवांस) माह वर्ष.......................... से.......................... माह/वर्ष तक

7-अंतिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल) की अपेक्षित धनराशि..........................

8-(क) अंतिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल) का प्रयोजन..........................

(ख) नियम/राजाज्ञा संख्या जिसके/जिनके अन्तर्गत प्रार्थना की गयी है..........................

....

9-क्या इसी प्रयोजन के लिये इससे पूर्व भी कोई अंतिम निष्कासन (फाइनल विदड्राल) लिया गया था, यदि हां, तो धनराशि और वर्ष बतायें

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम..........................

पदनाम..........................

अनुभाग/शाखा..........................

दिनांक..........................

FORM (2)

(सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अंतिम निष्कासन (Final withdrawal) की स्वीकृति प्रदान करने के आदेश का प्रारूप)

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी .... को उनके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या .... से .... प्रयोजन के व्यय वहन करने हेतु .... रुपये (शब्दों में) .... का अंतिम निष्कासन भविष्य निधि नियम/राजाज्ञा संख्या .... के अनुसार स्वीकार किया जाता है ।

2–अंतिम निष्कासन की धनराशि नियम 17 में निर्धारित की गयी सीमाओं से अधिक नहीं होगी। मूल नियम (फंडामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन .... रुपया है ।

3–यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... ने दिनांक को अपनी सरकारी सेवा के .... वर्ष पूरे कर लिये हैं । 10 वर्ष में अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होंगे/होंगी ।

4–दिनांक .... की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी .... के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है :–

(1) वर्ष .... की लेखा पर्ची के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि .... रु०

(2) दिनांक .... से दिनांक .... तक प्रति माह .... रु० की दर से अभिदान (Subscription) .... रु० ।

(3) दिनांक .... से दिनांक .... तक प्रति माह .... रु० की दर से अग्रिम की वसूली .... रु० ।

(4) मद (1), (2) तथा (3) का योग .... रु० ।

(5) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो .... रु० ।

(6) स्वीकृति प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद (4) में से मद (5) घटाइये .... रु०

5–(क) वर्ष .... की लेखा पर्ची के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्री .... को पिछली बार आदेश संख्या .... दिनांक .... द्वारा .... रुपये का अंतिम निष्कासन स्वीकृत किया गया था ।

(ख) ज्ञात हुआ है कि श्री .... को (जैसा कि उन्होंने बताया है) .... (स्वीकृतिकर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः निष्कासन के रूप में रु० .... की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

( )

सक्षम अधिकरी

संख्या (1)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :–

1–श्री/श्रीमती/कुमारी .... को उनका ध्यान नियमों/समय-समय पर जारी शासनादेशों की ओर आकृष्ट

किया जाता है जिनके अनुसार उन्हें यह समाधान करना होगा कि स्वीकृत धन का उपयोग उन्होंने उसी प्रयोजन के लिये किया है जिसके लिये वह निकाला गया है। अतः निष्कासन की धनराशि प्राप्त करने के .... महीने के भीतर वे इस आशय का प्रमाण-पत्र देंगे कि ऊपर स्वीकृत अग्रिम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया है जिसके लिये वह स्वीकृत किया गया था।

2--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, फण्ड अनुभाग .... को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अंतिम निष्कासन की धनराशि को श्री/श्रीमती/कुमारी के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या .... के ऋण पक्ष (debit side) में घटा दें तथा वर्ष .... की लेखा पर्ची में सम्मिलित करने तथा इसकी प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा करें।

3--कोषाधिकारी .... को।

आज्ञा से,

सक्षम अधिकारी।

APPENDIX "C"

[Rule 24 (5) (b)]

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान की स्वीकृति का प्रपत्र

संख्या ....

प्रेषक,

....

....

(स्वीकृति देने वाला अधिकारी)

सेवा में,

....

....

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

दिनांक .... 19 ....

विषय :—श्री/श्रीमती/कुमारी .... (अभिदाता का नाम) .... (पद नाम) .... के सामान्य भविष्य निधि खाता (संख्या ....) में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत का भुगतान।

महोदय,

मैं उपर्युक्त अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाता (संख्या ....) में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक .... को संलग्न कर रहा हूँ जिस पर मेरे द्वारा रु० ....

.... (अंकों में) रुपया .... (शब्दों में) का भुगतान श्री/श्रीमती/कुमारी .... (अभिदाता का, और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो, तो दावेदार का नाम) को किये जाने हेतु आदेश पारित कर दिये गये हैं। आपको एतद्द्वारा उपर्युक्त धनराशि के संबंधित व्यक्ति को अविलम्ब भुगतान की व्यवस्था करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है। इस संबंध में कृपया अपनी अनुपालन आख्या मुझको यथाशीघ्र भेजें।

2—शेष धनराशि के भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र, आगणन शीट्स तथा अभिदाता की जी. पी. एफ. पास-बुक सहित, महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

भवदीय,
स्वीकृति देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पदनाम।

संख्या.................... दिनांक.................... 19....................

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) कोषाधिकारी ....।

(2) महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) .... (चेक करने वाला विभागीय लेखाधिकारी)

(4) .... (अभिदाता का नाम और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो, तो दावेदार का नाम और पता)।

स्वीकृति देने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम।

5— 90 प्रतिशत जी. पी. एफ. भुगतान प्रकरणों के प्रेषण में ज्ञातव्य कमियां

प्रेषक,

मुख्य लेखाधिकारी
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद।

सेवा में

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
(शिक्षा विभाग) उत्तर प्रदेश।

पत्रांक राजपत्रित लेखा/ 12000/जी.पी.एफ.(90%)/ 86-87 दिनांक : 17-12-87

विषय : सामान्य भविष्य निधि के 90% प्रतिशत भुगतान के प्रकारणों की जांच में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा. 4-ए.जी. 57/दस- 84-510-84 दिनांक 26-12-84 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि शासन द्वारा तृतीय तथा उससे उच्च श्रेणी के सभी राजकीय कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु पर उनके, भविष्य निर्वाह निधि में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

शासन की अधिसूचना संख्या जी- 4 1880/दस -510-1985 दिनांक 29-10-85 द्वारा सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश)नियमावली 1985 तात्कालिक प्रभाव से लागू हो चुकी है।

2- उक्त नियमावली के नियम 24(5) के अनुसार तृतीय तथा उससे उच्च श्रेणी के सभी राजकीय सेवकों द्वारा फार्म 425-ए पर दो प्रतियों में प्रार्थना-पत्र आहरण-वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। एक प्रार्थना-पत्र सामान्य भविष्य निधि पासबुक में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत भुगतान तथा दूसरा शेष 10 प्रतिशत धनराशि के लिये होगा। सामान्यतया सुपरनुएशन पर सेवानिवृत्ति के 4 माह पूर्व और अन्य मामलों में एक माह के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

3- प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर तीन प्रतियों में वर्तमान वित्तीय वर्ष का तथा उससे पिछले पांच वित्तीय वर्ष की आगणन शीट तैयार की जायगी। आहरण अधिकारी द्वारा एक माह के अन्दर आगणन शीट की दो प्रतियां एवं प्रार्थना-पत्र की दो प्रतियां सामान्य भविष्य निधि की पासबुक के साथ मुख्य लेखाधिकारी की संस्तुति हेतु प्रेषित की जायगी। आवश्यक जांचोपरान्त मुख्य लेखाधिकारी 90 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति हेतु संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी शिक्षा निदेशक/अपर शिक्षा निदेशक, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक की संस्तुति भेजेंगे।

4- उक्त स्वीकृतिकर्ता अधिकारी 90 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा स्वीकृत आदेश की प्रतियां आहरण-वितरण अधिकारी, संबंधित कोषाधिकारी, महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, अभिदाता (यदि मृत्यु हो गयी हो, तो उसके दावेदार की) तथा मुख्य लेखाधिकारी, राजपत्रित लेखा अनुभाग शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की पृष्ठांकित की जायेंगी जिससे कि लाभार्थी को सुपरनुएशन पर सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि की तथा अन्य मामलों में तीन माह के अन्दर भुगतान प्राप्त हो सके।

5- उक्त स्वीकृतिकर्ता अधिकारी पूर्णरूपेण प्रार्थना-पत्र 90 प्रतिशत अंतिम निष्कासन का स्वीकृत आदेश, आगणन शीट की प्रतियां तथा सामान्य भविष्य निधि की अद्यावधिक पासबुक महालेखाकार (लेखा), उ. प्र., इलाहाबाद को प्रेषित करेंगे जिससे कि अभिदाता को अवशेष 10 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान प्राप्त हो सके। सुपरनुएशन के मामले में सेवानिवृत्ति की तिथि के तीन माह पूर्व इसे महालेखाकार (लेखा) को प्रेषित करना आवश्यक है जिससे कि अधिकार-पत्र समय से निर्गत हो सके।

6- सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान से संबंधित विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रकरणों में निम्नांकित सामान्य कमियां पाई गयी हैं जिसके कारण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण में विलम्ब होता है। ऐसी स्थिति में आपसे अनुरोध है कि सामान्य भविष्य निधि के भुगतान का प्रकरण अपने स्तर से समय से प्रेषित करने का कष्ट करें तथा निम्न बिन्दुओं पर अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर पूर्णरूप से परीक्षण के पश्चात् ही 90 प्रतिशत भुगतान के प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करें, जिससे कि भुगतान में अनावश्यक विलम्ब को रोका जा सके।

(क) प्रार्थना-पत्र फार्म 425-ए (संशोधित प्रारूप) पर प्रस्तुत किया जाय जैसा कि सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985 द्वारा निर्धारित किया गया हैं। उक्त नियमावली में आहरण-वितरण अधिकारी के प्रयोग के लिए जी प्रपत्र निर्धारित किया गया है उसी में संस्तुतियाँ अंकित करके प्रेषित किया जाय।

(ख) आगणन शीट वर्तमान वित्तीय वर्ष तथा उसके पूर्व के पांच वित्तीय वर्षों के बनाये जायं तथा वर्ष में आहरित धनराशि का उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। यदि वर्ष में कोई आहरण नहीं किया गया है तो उसमें स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय तथा आगणन शीट के प्रत्येक वर्ष की प्रत्येक प्रति पर आहरण-वितरण अधिकारी का पद की मोहर सहित हस्ताक्षर आवश्यक है।

(ग) सामान्य भविष्य निधि पासबुक में सभी वांछित प्रविष्टियां कर अद्यावधि पूर्ण किया जाना चाहिये। पासबुक की सभी प्रविष्टियां, कटिंग एवं ओवरराइटिंग आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये। यथासम्भव प्रयास यह होना चाहिये कि कटिंग एवं

ओवरराइटिंग न हो। यदि किसी कारणवश किसी पृष्ठ पर अधिक कटिंग एवं ओवरराइटिंग हो गयी हो तो उस पृष्ठ को निरस्त कर उस वर्ष का लेखा उसके आगे दूसरे पृष्ठ पर अंकित किया जाय। पासबुक के आहरण पक्ष में आहरण संबंधी स्वीकृति आदेश की संख्या, दिनांक, धनराशि, किस्त आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। इस पक्ष के स्तम्भ -8 में पद सहित आहरण-वितरण अधिकारी का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि किसी वर्ष आहरण नहीं हुआ है तो भी आहरण शून्य अंकित कर हस्ताक्षर किया जाय। ऐसा न होने पर पासबुक अपूर्ण समझी जायेगी।

(घ) सामान्य भविष्य निधि से आहरित की गयी धनराशि की सूचना भली-भांति जांच करके अंकित की जानी चाहिये। यदि इसमें जरा सी भी असावधानी की गयी और अंतिम निष्कासन आदि की प्रविष्टियां करके जमा धनराशि के अवशेष से नहीं घटाई गयीं तो अधिक भुगतान हो सकता है और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आहरण-वितरण अधिकारी की होगी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि निष्कासन की सभी प्रविष्टियां निष्कासन की तिथि को ही पासबुक में कर दी जाय।

(ङ) सामान्य भविष्य निधि की महालेखाकार द्वारा प्रदत्त लेखा पर्ची जिसके आधार पर आप द्वारा गणना किया गया है मूल रूप से संलग्न किया जाय।

(च) यदि अभिदाता की मृत्यु के कारण भुगतान की व्यवस्था की जा रही है तो आहरण-वितरण अधिकारी यह भी प्रमाणित करें कि दावेदार का प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लिये गये है और इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपत्रों के साथ प्रेषित करें तथा मूल प्रमाण-पत्र अपने कार्यालय में अभिरक्षित रखें।

(छ) प्रार्थना-पत्र, आगणन शीट, पासबुक, महालेखाकार की लेखा पर्ची, मृत्यु की दशा में दावेदार का प्रमाण-पत्र, आहरण-वितरण अधिकारी का संस्तुति पत्र, आदि सभी अभिलेख रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें।

(ज) आहरण-वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जब सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के 90 प्रतिशत भुगतान का प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करें तो उसकी सूचना मंडलीय उप शिक्षा निदेशक/मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को भी दें ताकि उक्त स्तर से भी समय से भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

(य) सभी आहरण-वितरण अधिकारियों से यह अनुरोध है कि वर्ष 1987-88 में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों की सूची 15 फरवरी, 1988 तक मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, राजपत्रित लेखा अनुभाग एवं अपने मंडलीय उप शिक्षा निदेशक को उपलब्ध करा दें।

(र) अंतिम निष्कासन की स्वीकृतियों के सभी आदेश अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड डाक द्वारा महालेखाकार को भेजा जाय और महालेखाकार से उसकी प्राप्ति स्वीकार कराई जाय।

(ल) सेवानिवृत्ति के चार माह बाकी रहने पर किसी कर्मचारी को उसके भविष्य निधि खाते से कोई अस्थायी अग्रिम अथवा अंतिम निष्कासन की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये साथ ही चार मास शेष रहने पर जी. पी. एफ. के मासिक अभिदान की कटौती भी समाप्त कर दी जायेगी।

(व) कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी अग्रिम व निष्कासन स्वीकृत हो या भुगतान किया जाय उनकी प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से पासबुक में की जायं।

(ट) अग्रिम के आहरण के बाउचर में सही लेखा संख्या अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

(ठ) आहरण-वितरण अधिकारी के स्वयं के 90% भुगतान का प्रकरण उससे उच्च अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जाय।

(द) कुछ ऐसे भी प्रकरण प्रकाश में आये है कि सा. भ. नि. से 90% भुगतान हेतु निदेशालय को भी प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है और 100% भुगतान हेतु महालेखाकार को भी प्रकरण प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर एवं आपत्तिजनक है। ऐसी स्थिति में अब यह आवश्यक है कि आवेदन-पत्र में यह प्रमाण-पत्र अंकित किया जाय कि 100 प्रतिशत भुगतान हेतु महालेखाकार को प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भवदीय

आर. एल. शुक्ल

मुख्य लेखाधिकारी

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

6—भविष्य निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना

शासनादेश संख्या सा- 4-209/दस- 501/75 दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 के द्वारा एक 1 अप्रैल, 1979 से भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना चालू की गयी है। जिसके अनुसार :—

(i) सेवाकाल में अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी निधि में जमा अवशेष धनराशि को संगत नियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों की कुछ प्रतिबिंधों के अधीन उस अभिदाता की मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उसके भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि के औसत के बराबर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की जायेगी किन्तु उच्चतम सीमा 10,000/- (दस हजार) से अधिक नहीं होगी।

(ii) अंशदायी भविष्य निधि के मामले में केवल अभिदाता के अभिदान की धनराशि तथा उस पर अनुमन्य ब्याज की धनराशि ही इस प्रयोजन के लिए अवशेष धनराशि मानी जायेगी

(iii) (क) मृतक अभिदाता के भविष्य निर्वाह निधि खाते में अवशेष धनराशि उसकी मृत्यु के पूर्ववर्ती 3 वर्षों में कभी भी निम्नलिखित सीमा से नीचे न गिरी हो :—

(1) समूह 'क' का अधिकारी (ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसके वेतनमान की अधिकतम धनराशि 1200/- से अधिक हो, नये वेतनमान में 1720 से अधिक हो) 4000-00

(2) समूह 'ख' का अधिकारी (जिसके वेतनमान की अधिकतम धनराशि 1200/- से अधिक न हो, नये वेतनमान में 1720 से अधिक न हो) 2500-00

(3) समूह 'ग' का कर्मचारी (जिसके वेतनमान का न्यूनतम पुराने वेतनमान में 200/- तथा नये वेतनमान में 354/- सेअधिक हो) 1000-00

(4) समूह 'घ' का कर्मचारी (शेष सभी अराजपत्रित पद के कर्मचारी) 500-00

(ख) इस योजना के अन्तर्गत लाभ तभी अनुमन्य होगा यदि मृत्यु के समय अभिदाता ने कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(iv) इस योजना से सम्बन्धित व्यय आय-व्ययक के लेखा शीर्षक " 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम- 104 जमा से- 01-शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा सम्बद्ध, बीमा योजना सरकारी भविष्य निधि- 00-33-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- जी. पी. एफ. सम्बन्धी प्रपत्र

APPLICATION FORM FOR THE ALLOTMENT OF GENERAL PROVIDENT FUND ACCOUNT NUMBER

ट्रेजरी (कोषागार) प्रपत्र संख्या 472-ए

सामान्य भविष्य निधि, उत्तर प्रदेश को स्वीकार करने का प्रार्थना-पत्र

प्रार्थीका पूरा नाम बड़े अक्षरों में	सरकारी पदनाम	कार्यालय जिससे सम्बद्ध हो, यदि प्रति-नियुक्ति पर हो, तो मूल विभाग/सरकार का भी उल्लेख कीजिये	सेवा, जिसमें प्रार्थी काम करता हो	क्या प्रार्थी स्थायी, अस्थायी अथवा पुनर्नियुक्त है। यदि अस्थायी हो तो सेवा शुरू होने का दिनांक लिखिये।	क्या स्थायी पद, जिस पर वह स्थायी है, पेंशन वाला है या बिना पेंशन का है।	प्रार्थी का वेतनक्रम	प्रतिमास परिलब्धियों की दर (सा.भ. निधि नियमावली का नियम 11)	प्रतिमास अभिदान की दर	यदि किसी अन्य निधि का अभिदाता है तो उस निधि का नाम और लेखा-संख्या	लेखा-संख्या जो लेखा अधिकारी/ आहरण अधि-कारी द्वारा प्रविष्ट की जायगी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

स्थान.........................

यथाविधि भरे हुए विहित प्रपत्र में नामन का एक प्रपत्र संलग्न है।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर और पदनाम

दिनांक.........................

प्रार्थी के हस्ताक्षर

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

सभी पत्र-व्यवहार में इस संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम..............................

कार्यालय का नाम तथा पूरा पता..............................

लेखा संख्या..............................

वित्तीय वर्ष..............................

ब्याज की दर..............................

भुगतान का मास	वेतन, अवकाश वेतन की सम्बद्ध अवधि	कोषागार वाउचर संख्या एवं दिनांक	वाउचर की धनराशि	उस भविष्य निधि शिड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गई हो	लेखा शीर्षक	सामान्य भविष्य निधि की कटौती			अस्थायी अग्रिम अथवा अंतिम निष्कासन				मासिक प्रोग्रेसिव योग जिस पर ब्याज का आगणन किया जाता है।	अन्य विवरण
						अभिदान	अग्रिम की वापसी	योग	कोषागार वाउचर संख्या व दिनांक	वाउचर की धनराशि	लेखा शीर्षक	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अप्रैल														
मई														
जून														
जुलाई														
अगस्त														
सितम्बर														
अक्टूबर														
नवम्बर														
दिसम्बर														
जनवरी														
फरवरी														
मार्च														
योग														

ब्याज का आगणन

1—धनराशि जिस पर ब्याज का आगणन किया गया (वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष + उपरोक्त स्तम्भ 14 के योग का मासिक औसत)

2—उपरोक्त धनराशि पर रेडीरेकनर के अनुसार ब्याज

पिछलेवर्ष/वर्षों में असमायोजित धनराशि का विवरण

वर्ष......................................

वर्ष......................................

वर्ष......................................

वर्ष......................................

योग......................................

ब्याज......................................

कुल योग......................................

वार्षिक लेखाबन्दी के ब्यौरे

प्रारम्भिक अवशेष......................................

जोड़िये

(1) वर्ष का अभिदान......................................

(2) अग्रिम वापसी......................................

(3) चालू वर्ष का ब्याज......................................

(4) प्रोत्साहन बोनस......................................

(5) पिछले वर्ष/वर्षों में असमायोजित धनराशि......................................

घटाइये योग......................................

(1) वर्ष के दौरान लिये गये अस्थायी अग्रिम एवं

अंतिम निष्कासन......................................

अंतिम अवशेष......................................

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद नाम की मुहर......

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
शिक्षा (राज. लेखा) विभाग
इलाहाबाद

प्र – 37
पंजीकृत

सेवा में,

उप शिक्षा निदेशक

....

....

पत्रांक राज. लेखा/ 151-जी.पी.एफ. 90%( )/18-8- दिनांक

विषय—श्री .... के सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि से 90% भुगतान हेतु संस्तुति।

संदर्भ पत्रांक/ 8-8-दिनांक

महोदय,

शासनादेश संख्या सा.- 4-ए.जी.- 57/दस- 84-500-84 दिनांक 26-12-1984 के अनुसार श्री .... सेवानिवृत्ति .... की महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष .... की लेखापर्ची, जी. पी. एफ. पासबुक एवं आगणन शीट के आधार पर सेवानिवृत्ति की तिथि .... को उनके जी.पी.एफ. खाते (जी.पी.एफ. नम्बर .... में .... रुपये) कुल जमा पाये गये जिसका नब्बे प्रतिशत .... रुपये (रुपये .... मात्र) होता है।

2—उपर्युक्त के आधार पर श्री .... को उनके जी.पी.एफ. खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान हेतु रु. .... (रु. .... मात्र) की संस्तुति करते हुए निवेदन है कि उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान अपने स्तर से करने की कृपा करें तथा शेष 10 प्रतिशत के भुगतान हेतु अपेक्षित प्रपत्र महालेखाकार, उ. प्र., इलाहाबाद को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

3—प्राप्त समस्त अभिलेख मूल रूप में अपेक्षित कार्यवाही हेतु आपको लौटाए जा रहे हैं। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न— 1—पासबुक
2—आगणन शीट
3—लेखापर्ची
4—फार्म 25
5—अण्डरटेकिंग

भवदीय

( )

मुख्य लेखाधिकारी
शिक्षा निदेशालय, उ. प्र.
इलाहाबाद

पृ.सं.राज.लेखा/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (प्रथम) उ. प्र. फण्ड (अनुभाग) इलाहाबाद।
2–
3–
4–

( )

मुख्य लेखाधिकारी
शिक्षा निदेशालय उ. प्र.
इलाहाबाद

फार्म 425 सी (1)

प्रपत्र "ग" **प्र – 38**

सेवाकाल में किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उसके भविष्य निधि खाते में औसत जमा अवशेष के आधार पर वित्त विभाग के राजाज्ञा संख्या सा- 4-209/दस -501/75, दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने का वह आवेदन-पत्र जिसका प्रयोग नामितों द्वारा या जहाँ कोई नामन (नामिनेशन) न हो, अन्य दावेदारों द्वारा किया जायेगा।

सेवा में,

(1) महालेखाकार,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से)

(2) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
(अधिकारी का पदनाम तथा उसके कार्यालय का पता दिया जाय)

महोदय,

अनुरोध है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी.................................. के भविष्य निधि खाते में उनकी मृत्यु माह (दिनांक....................) के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में रु०.......................... औसत जमा धनराशि अवशेष रही है उसके बराबर बीमा धनराशि के रु०.......................... की धनराशि का भुगतान करने का कृपया प्रबन्ध करें। इस सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण दे रहा हूँ :–

1– सरकारी कर्मचारी का नाम..................................

2– मृत्यु का दिनांक..................................

3– राज्य सरकार की सेवा प्रारम्भ करने का दिनांक..................................

4– वह पद जिस पर सरकारी कर्मचारी मृत्यु के पूर्व.................................. सेवारत था।

5– क्या मृत्यु की तिथि को कर्मचारी ने पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी।

6– मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में औसत जमा और उपरोक्त शासनादेश में निर्धारित न्यूनतम अवशेष को देखते हुए प्रार्थी बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि पाने का पात्र है अथवा नहीं.............................

7– नगरपालिका के प्राधिकारियों आदि द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाण-पत्र के रूप में, यदि उपलब्ध हो, मृत्यु का प्रमाण-पत्र (संलग्नक सं:.................................)

8– मृत्यु का दिनांक..................................

9– अभिदाता की प्रविष्टि (एलाटेड) भविष्य निधि लेखे की संख्या..................................

10– अभिदाता के नाम उसकी मृत्यु के माह से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में औसत जमा भविष्य निधि की धनराशि, यदि हो (रु०.....................)

11– यदि कोई नामन (नामिनेशन) हो, तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक की जीवित नामित (नामितों) का ब्योरा :–

नामित का नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	नामित का हिस्सा
1–		
2–		
3–		
4–		

12– उस दशा में परिवार का ब्योरा जबकि नामन (नामिनेशन) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया हो, जो परिवार का सदस्य न हों, परन्तु अभिदाता ने बाद में परिवार बना लिया हो।

13– यदि कोई नामन न हो तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर परिवार के उत्तर-जीवित सदस्यों का ब्योरा दिया जाय। यदि अभिदाता की कोई पुत्री या अभिदाता के किसी मृत पुत्र की पुत्री हो और उसका विवाह अभिदाता की मृत्यु के पूर्व हो गया हो तब उसके नाम के सामने यह लिख देना चाहिये कि क्या उसका पति अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर जीवित था।

नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	मृत्यु के दिनांक पर आयु
1–		
2–		

14– उस दशा में जबकि अवयस्क पुत्र/पुत्री की जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, यदि धनराशि देय हो, तो दावे का भुगतान यथास्थिति क्षतिपूर्ति बन्धपत्र या अभिभावक प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाना चाहिए।

15– यदि अभिदाता ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है और कोई नामन (नामिनेशन) न हो तो उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें भविष्य निधि की धनराशि देय है इसका समर्थन प्रमाण-पत्रों (लेटर्स आफ प्रोबेट) या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र आदि द्वारा किया जाना चाहिए।

नामित का नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	नामित का हिस्सा

16– दावेदार/दावेदारों का वर्ग

17– भुगतान.............................. के कार्यालय के जरिये.............................. कोषागार/उपकोषागार के जरिये चाहते हैं। इस सम्बन्ध में सेवारत गजटेड (राजपत्रित) अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा यथावत प्रमाणित निम्नलिखित लेख्य संलग्न हैं :–

(1)– अभिदाता के वैयक्तिक चिह्न ।

(2)– बायें/दायें हाथ के अँगूठा और उंगलियों की छाप/(दावेदार के अनपढ़ होने की दशा में)।

(3)– नमूने के हस्ताक्षर की दो प्रतियाँ

स्थान :– भवदीय

दिनांक (दावेदार के हस्ताक्षर)

(कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष के प्रयोग के लिये)

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित कि ऊपर दिये गये ब्योरों का विधिवत् सत्यापन कर लिया गया है।

2– श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. के भविष्य निधि लेखे की संख्या (जैसा कि वह उसे भेजे गये वार्षिक विवरण पत्रों से सत्यापित की गयी है)

3– उसकी मृत्यु दिनांक................ को हुई। नगर महापालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। इस मसले में उसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि उसकी मृत्यु के बारे में कोई संदेह नहीं है।

....

यह केवल उसी समय लागू होगा जबकि भुगतान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चाहा गया हो।

4– उसके.............................. महीने (सेवाकाल का अन्तिम मास लिखा जाना चाहिये) के वेतन से जो इस कार्यालय के देयक (बिल) संख्या.............................. दिनांक.............................. के द्वारा निकाला गया, अभिदान की अन्तिम कटौती................ .... रु. की, की गयी, जिसका.............................. कोषागर का नकदी प्रमाणक (बाउचर) संख्या.............................. थी और अग्रिम धन की वसूली.............................. रु. थी।

5– प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में न तो उसे कोई अस्थायी अग्रिम धन स्वीकृत किया गया और न उसे सामान्य भविष्य निधि लेखे से अन्तिम रूप से कोई धनराशि निकालने की स्वीकृति दी थी।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम तथा/अन्तिम निष्कासन के रूप में धनराशियाँ निकालने के लिए स्वीकृत दी गयी थी और वे निकाल ली गयी थीं :—

अग्रिम/अन्तिम निष्कासन	निकाली जाने वाली धनराशियाँ	चुकता किये जाने (इन्वेस्टमेन्ट) का दिनांक और स्थान	प्रमाण संख्या
1—			
2—			

6— प्रमाणित किया जाता है कि उसके भविष्य निधि खाते में वित्त बीमा पालिसियों के प्रीमियम के भुगतान हेतु उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में उसके भविष्य निधि लेखे से कोई धनराशि नहीं निकाली गयी। निम्नलिखित धनराशियाँ निकाली गयी थीं

पालिसी संख्या	कम्पनी का नाम	धनराशि	दिनांक	प्रमाणक संख्या
1—				
2—				
3—				

रा —54

8—सम्बान्धित राजाज्ञाएँ

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग - 4

संख्या सा- 4ए. जी.- 11/दस- 86-505/85

लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी, 1986

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी की यह कहने का निदेश हुआ है कि 29 अक्टूबर, 1985 के सरकारी गजट (असाधारण) में प्रकाशित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 19 में यह व्यवस्था की गई है कि भविष्य निर्वाह निधि से अब तक वित्त-पोषित जीवन बीमा पालिसियों को उक्त नियमावली के लागू होने की तिथि (29 अक्टूबर, 1985) के बाद महालेखाकार द्वारा प्रति-अभ्यर्पित (रि-एसाइन)कर दिया जायगा।

2—इस तरह की सभी पालिसियां संबंधित अभिदाता/लाभग्राही को शीघ्र प्राप्त हो जायं इसके लिये यह आवश्यक है कि ऐसी पालिसियों के सम्बन्ध में निम्न विवरण रजिस्टर्ड डाक द्वारा महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अविलम्ब भेज दिये जायं :—

1—अभिदाता का पूरा नाम

2—अभिदाता के नये/पुराने भविष्य निधि खाते की संख्या

3—बीमा पालिसी की संख्या

4—बीमा की धनराशि

5—बीमा किस्त की धनराशि

6—पालिसी प्रारम्भ होने की तिथि

7—पालिसी के परिपक्व (मेच्योर) होने की तिथि

8—वर्तमान विभाग/कार्यालय एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम/पदनाम तथा पूरा पता

9— अभिदाता/लाभग्राही का वर्तमान पता

3—भविष्य निधि खाते से वित्त-पोषित कोई बीमा पालिसी प्रति अभ्यर्पित (रि-एसाइन) होने से न रह जाय इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्यंक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं अपने संबंध में तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध में उक्त विवरण संहत (कन्सालीडेटेड) रूप में महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अविलम्ब उपलब्ध कराने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

वेद प्रकाश अग्रवाल
संयुक्त सचिव

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग - 4 **रा – 55**

संख्या सा- 4-209/दस- 501-75
लखनऊ : 5 दिसम्बर, 1979

कार्यालय ज्ञाप

विषय : भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना।

(Deposit-linked Insurance Scheme for subscribers to the Provident Fund)

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य निधि के अभिदाताओं में अधिक बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा उनके परिवार के लिये अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय ने उनके भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध एक बीमा योजना (Deposit-linked Insurance Scheme), जिसके अन्तर्गत अभिदाता को बिना प्रीमियम दिये बीमा के अनुरूप लाभ मिल सकेगा, लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है।

2—यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से लागू की जायेगी।

3—उक्त योजना निम्न रूप में लागू होगी :

(1) सेवाकाल में अभिदाता (Subscriber) की मृत्यु हो जाने पर उसकी निधि में जमा अवशेष धनराशि को संगत नियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों की निम्नलिखित उप-पैराग्राफ- (III) के परन्तुक के अधीन उस अभिदाता की मृत्यु के पूर्ववर्ती 3 (तीन) वर्षों में उसके भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि के औसत के बराबर अतिरिक्त धनराशि स्वीकार की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि योजना के अन्तर्गत किसी एक मामले में इस अतिरिक्त देय धनराशि की उच्चतम सीमा रु० 10,000 (रुपये दस हजार)से अधिक नहीं होगी।

(II) अंशदायी भविष्य निधि (Contributory Provident Fund) के मामले में केवल अभिदाता के अभिदान (Subscription) की धनराशि तथा उस पर अनुमन्य ब्याज की धनराशि ही इस प्रयोजन के लिये "अवशेष धनराशि" मानी जायेगी।

(III) उपरोक्त लाभ निम्न शर्तों के पूरी होने पर ही प्राप्य होगा :—

(क) मृतक अभिदाता के भविष्य निर्वाह निधि खाते में अवशेष धनराशि उसकी मृत्यु के पूर्ववर्ती 3 वर्षों में कभी भी निम्नलिखित सीमाओं से नीचे न गिरी हो :

(1) समूह 'क' का अधिकारी (अर्थात ऐसा राजपत्रित पद का अधिकारी, जिसके वेतनमान की अधिकतम धनराशि रु. 1,200 से अधिक हो).. रु. 4,000/-

(2) समूह 'ख' का अधिकारी (अर्थात ऐसा राजपत्रित पद का अधिकारी, जिसके वेतनमान की अधिकतम धनराशि रु. 1,200 से अधिक न हो).. रु. 2,500/-

(3) समूह 'ग' का कर्मचारी (अर्थात ऐसा अराजपत्रित पद का कर्मचारी, जिसके वेतनमान की न्यूनतम धनराशि रु. 200 या इससे अधिक हो).. रु. 1,000/-

(4) समूह 'घ' का कर्मचारी (शेष सभी अराजपत्रित पद के कर्मचारी).. रु 500/-

(ख) इस योजना के अन्तर्गत लाभ तभी अनुमन्य होगा, यदि मृत्यु के समय अभिदाता ने कम से कम 5 (पांच) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

4—इस योजना से सम्बन्धित व्यय आय-व्ययक के लेखाशीर्षक "288-सामाजिक सुरक्षा एवम् कल्याण-ड-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवम् कल्याण कार्यक्रम" के अन्तर्गत सम्बद्ध प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5—सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से यह निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवम् कर्मचारियों को इस राजाज्ञा द्वारा लागू योजना से अविलम्ब अवगत करा दें।

6—कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति भी स्वीकार की जाय।

सुरेन्द्र सिंह पांगती
विशेष सचिव

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवम् कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

तृतीय खण्ड

[राजकीय कर्मचारी सामूहिक जीवन बीमा
योजना सम्बन्धी नियम, निर्देश,
राजाज्ञाएं एवं प्रपत्र]

अध्याय—12

सामूहिक जीवन बीमा योजना का विवेचन

राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ उनके भविष्य की सुरक्षा के लिये तथा सेवारत मृत्यु की दशा में उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिये शासन की राजाज्ञा संख्या सामान्य–3-832/दस-14/76, दिनांक 24-5-1976 द्वारा सर्वप्रथम सामूहिक जीवन बीमा योजना राज्य कर्मचारियों पर दिनांक 1-3-76 से लागू की गयी।

(2) दिनांक 28-2-1980 तक इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम, कानपुर द्वारा किया जाता था। परन्तु राजाज्ञा सं० बीमा-1/दस-2/80, दि० 19-2-80 द्वारा दि० 1-3-1980 से इस योजना का संचालन शासन द्वारा सीधे अपने नियन्त्रण में ले लिया गया। दिनांक 1-3-1980 से योजना को शासन द्वारा संचालित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1-10-81 से प्रत्येक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (ग व घ समूह) के राजकीय कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह रु० 20/- की सामूहिक बीमा की कटौती का आदेश शासन द्वारा प्रदान किया गया। सेवारत कर्मचारी की मृत्यु की दशा में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए मृत्यु उपादान की धनराशि रु० 12,000/- से बढ़ाकर रु० 25,000/- कर दी गयी।

(3) राजाज्ञा संख्या 2627/दस-87/83, दिनांक 29 अक्टूबर 1984 द्वारा समूह 'क' एवं 'ख' के कर्मचारियों का मासिक अभिदान क्रमशः रु० 80/- तथा रु० 40/- प्रतिमाह कर दिया गया है तथा यह दिनांक 1-3-1985 से प्रभावी किया गया है। उक्त धनराशि का वर्गीकरण करके रु० 80/- में से रुपया 55/- बचत निधि में तथा रु० 25/- बीमा निधि में जमा किये जायेंगे। इसी प्रकार रु० 40/- प्रतिमाह के अभिदान में रु० 27.50 बचत निधि में तथा रुपये 12.50 बीमा निधि में जमा किये जायेंगे। सेवारत की मृत्यु की दशा में समूह 'क' के अधिकारियों के लाभार्थियों को रु० 80,000/- तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के लाभार्थियों को रुपये 40,000/- की उपादान धनराशि निश्चित की गई है।

(4) समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या सा-3-2105/दस-14/77 नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर 1978 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर नामांकन भर करके तथा अपने कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराके एक प्रति बीमा निदेशालय को प्रेषित की जाती है, जहाँ पर उन्हें सुरक्षित रक्खा जायगा। साथ ही अधिकारी की सेवा पुस्तिका में नामांकन पत्र की एक प्रति रखकर तदनुसार प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

सामूहिक बीमा लाभार्थी नामांकन

राजाज्ञा संख्या बीमा 56/दस-86-36/1981, दिनांक 10 जनवरी, 1986 द्वारा सामूहिक बीमा योजना-लाभार्थी का नामांकन विषय से संबंधित शासनादेश संख्या सा–3-2105/दस-14-77-नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 तथा शासनादेश संख्या बीमा–2307/दस-85-36/181, दिनांक 4 जून, 1985 को अतिक्रमित करते हुए राज्य कर्मचारियों के निधन पर उनके संतप्त परिवार को सामूहिक बीमा योजना की धनराशि

के भुगतान के संबंध में होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने की स्वीकृति दी गई :—

(1) इस योजना से आच्छादित समस्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से एतद्द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लाभार्थी का नामांकन प्राप्त कर लिया जाय। इस योजना के प्रयोजन हेतु यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अवयस्क व्यक्ति को नामांकित करता है तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में उसे अवयस्क व्यक्ति के लिये संरक्षक नियुक्त करना होगा जिसका उल्लेख नामांकन पत्र के स्तम्भ—7 में किया जायेगा। किसी अवयस्क लाभार्थी के पक्ष में दावा अग्रसारित करते समय दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह दावे के अग्रसारण पत्र तथा दावा प्रपत्रों पर अवयस्क व्यक्ति के प्राकृतिक संरक्षक के जीवित होने के तथ्य तथा नाम का उल्लेख करें।

(2) अधिकारी/कर्मचारी से प्राप्त नामांकन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में चिपका दी जाये तथा दूसरी प्रति अधिकारी/कर्मचारी की वैयक्तिक पत्रावली पर रख दी जाय, ताकि उसकी सेवारत मृत्यु होने पर देय सामूहिक बीमा की धनराशि अथवा सेवा निवृत्ति होने पर योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर देय धनराशि का भुगतान मृतक के लाभार्थी को आसानी से किया जा सके। नामांकन प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस बात की सही रूप से जांच करने के उपरान्त ही नामांकन पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करें कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भरा गया नामांकन-पत्र शासनादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण है और उसमें कोई कमी या त्रुटि नहीं है।

(3) उक्त नामांकन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही इस शासनादेश के जारी होने के तीन माह के भीतर कर ली जाय। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने शासनादेश संख्या सा—3-2105/दस-14-77-नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के अनुसार अपना नामांकन-पत्र पहले ही भर रखा है उन्हें इस प्रस्तर के अनुसार पुनः नामांकन-पत्र भरने की आवश्यकता तब तक नहीं है, जब तक कि वे स्वयं पूर्व में भरे गये नामांकन-पत्र में कोई संशोधन न करना चाहें।

(4) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के अनुसार नामांकन-पत्र भर रखा है और उक्त शासनादेश में वर्णित परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन के प्रतिबन्ध को नहीं माना है उसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अधिकारियों के नामांकनों को परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन करने की बाध्यता को न मानने के बावजूद भी वैध माना जायेगा जिनकी मृत्यु 4-6-85 या उसके उपरान्त हुई है। जिन अधिकारियों की मृत्यु 4-6-85 के पूर्व हो गयी है उनके नामांकन पत्रों में भी यदि परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन नहीं किया गया है तो उन्हें भी इस प्रतिबन्ध के साथ वैध माना जायेगा कि भुगतान करने के दिन तक किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चल रहा है। यदि किसी न्यायालय में वाद चल रहा है तो ऐसे मामलों में दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे न्यायालय में किसी प्रकार के वाद चलने की सूचना का उल्लेख बीमा निदेशालय को दावा भेजते समय दावे के अग्रसारण पत्र तथा समस्त दावा प्रपत्रों पर करें। यदि वे ऐसा उल्लेख नहीं करते हैं अथवा दावा भेजने के उपरान्त भी इस संबंध में कोई सूचना बीमा निदेशालय को प्राप्त नहीं होती है तो बीमा निदेशालय द्वारा यह प्रकल्पित करते हुए कि कोई वाद नहीं चल रहा है, दावे के निस्तारण की कार्यवाही परिवार के नामांकित व्यक्ति के पक्ष में कर दी जायेगी। बीमा निदेशालय

अथवा विभागाध्यक्ष से चेक प्राप्त हो जाने पर भी यदि किसी न्यायालय में किसी वाद के चलने की सूचना प्राप्त होती है तो लाभार्थी का भुगतान रोक लिया जायेगा । यदि लाभार्थी को भुगतान करने के उपरान्त कोई वाद उत्पन्न होगा तो उसका उत्तरदायित्व शासन का नहीं होगा

(5) प्रतिनियुक्ति पर गये हुए अधिकारी/कर्मचारी के मामले में कार्यवाही उनके पैतृक विभाग द्वारा की जायेगी ।

(6) भविष्य में सेवायोजित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके वेतन से प्राप्त होने वाली कटौती के तुरन्त बाद नामांकन प्राप्त कर लिया जाय ।

(7) राजपत्रित अधिकारियों, जिनके सेवा अभिलेख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के यहाँ रखे जाते हैं, के नामांकन की एक प्रति विभागाध्यक्ष अथवा शासन के संबंधित अनुभाग में, जहाँ संबंधित अधिकारी की वैयक्तिक पत्रावली का रख-रखाव होता हो, रखी जायेगी ।

2—इस योजना के उद्देश्य के लिये 'परिवार' में निम्नलिखित सदस्य माने जायेंगे :—

(1) पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो),

(2) पुत्रगण,

(3) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ (सौतेले तथा दत्तक पुत्र/पुत्रियाँ सहित),

(4) भाई (18 वर्ष की आयु से कम) तथा अविवाहित/विधवा बहनें (सौतेले भाई व बहिन सहित),

(5) पिता तथा माता,

(6) विवाहित पुत्रियाँ (सौतेली पुत्रियों सहित) त

(7) पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व पुत्रियाँ ।

परिवार की परिभाषा में जो क्रम ऊपर दिया गया है, उसके अनुसार नामांकन करने की कोई बाध्यता नहीं है और यह ऐच्छिक है । प्रत्येक राजकीय अधिकारी/कर्मचारी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह अपने परिवार के सदस्यों में से किसी को अथवा उनमें से कुछ या सबको अपनी सामूहिक बीमा योजना की धनराशि प्राप्त करने हेतु लाभार्थी के रूप में नामांकित करे । यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी चाहे, तो पूर्व नामांकन को रद्द करते हुए नया नामांकन कर सकता है ।

2—(क) यदि प्रस्तर-2 में वर्णित परिवार में कोई सदस्य न हो तो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है ।

3—सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत नामांकन उपलब्ध होने अथवा नामांकन के अभाव में सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान प्राधिकृत करने के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था अपनायी जायेगी :—

(क) निम्न अपवाद को छोड़कर नामांकन होने पर नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों को ही भुगतान किया जायेगा ।

(1) यदि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दो पत्नियां हैं तो नामांकित विधवा के साथ-साथ नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चों को भी भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नामांकित विधवा को सामूहिक बीमा योजना की देय धनराशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चों को भुगतान किया जायेगा। ऐसे मामलों में दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे बीमा निदेशालय को ऐसे दावे अग्रसारित करते समय अग्रसारण-पत्र तथा समस्त दावा प्रपत्रों में इस बात का उल्लेख करें कि नामांकित विधवा के साथ-साथ नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चे कर्मचारी की मृत्यु की तिथि को जीवित थे। यदि इस बात का उल्लेख दावा अग्रसारण अधिकारी द्वारा अग्रसारण पत्र तथा दावा प्रपत्रों पर नहीं किया जाता है तो बीमा निदेशालय द्वारा यह प्रकल्पित कर लिया जायेगा कि नामांकित विधवा के अतिरिक्त नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चे नहीं हैं और इसके फलस्वरूप यदि शासन को कोई हानि होती है तो दावा अग्रसारण अधिकारी ही इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) यदि नामांकित लाभग्राही अवयस्क है तथा नामांकित प्रपत्र के स्तम्भ-7 में प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में मृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संरक्षक नियुक्त है तो नियुक्त संरक्षक को इस प्रतिबन्ध के साथ भुगतान किया जायगा कि भुगतान की तिथि तक उक्त अवयस्क लाभग्राही का कोई संरक्षक सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं नियुक्त किया गया है। यदि न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति कर दी जाती है तो, भुगतान न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को किया जायेगा। दावा अग्रसारण अधिकारी द्वारा दावा भेजते समय यदि यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि अवयस्क का न्यायालय द्वारा गार्जियन नियुक्त है अथवा दावा भेजने के उपरान्त भी यदि न्यायालय द्वारा गार्जियन नियुक्त किये जाने की कोई सूचना बीमा निदेशालय को प्राप्त नहीं होती है तो बीमा निदेशालय द्वारा नामांकन पत्र के स्तम्भ-7 में नियुक्त संरक्षक को भुगतान कर दिया जायगा। बीमा निदेशालय अथवा विभागाध्यक्ष से चेक प्राप्त हो जाने के पश्चात् यदि न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किये जाने की सूचना प्राप्त हो जाती है तो भुगतान न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को ही किया जायेगा। यदि नामांकन प्रपत्र के स्तम्भ-7 में नियुक्त संरक्षक को भुगतान कर देने के उपरान्त न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को बीमा योजना का भुगतान करने का उत्तरदायित्व शासन का नहीं होगा।

(ख) प्रस्तर-2 में वर्णित परिवार के होने पर यदि सरकारी आधिकारी/कर्मचारी परिवार के बाहर के सदस्य को नामांकित कर देता है तो उसका नामांकन अवैध माना जायेगा और उसके भुगतान के लिये प्रस्तर-3 (ग) में निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(ग) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की नामांकन करने के पूर्व ही मृत्यु हो गयी हो तो सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उसके परिवार के सदस्यों को स्पष्टीकरण संख्या 1 से 5 के अधीन निम्नलिखित क्रम में होना चाहिये :—

(1) अधिकारी/कर्मचारी की पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो,

(2) अवयस्क पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियां,

(3) वयस्क पुत्र,

(4) माता व पिता,

(5) अवयस्क भाई तथा अविवाहित बहनें,

(6) विवाहित पुत्रियां,

(7) पहले मृत हो चुके पुत्रों के पुत्र व अविवाहित पुत्रियां।

स्पष्टीकरण

(1) न्यायालय के आदेशों को छोड़कर इस शासनादेश के प्राविधानों के विपरीत कोई दावा अनुमन्य नहीं होगा।

(2) सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु तिथि को दावा उत्पन्न होने की तिथि माना जायेगा। दावा उत्पन्न होने की तिथि को लाभार्थी का निर्धारण किया जायेगा तथा दावा उत्पन्न होने की तिथि को यह निर्धारित किया जायेगा कि भुगतान पाने वाला व्यक्ति नियमों के अनुसार भुगतान पाने का अधिकारी है अथवा नहीं।

(3) अवयस्क लाभार्थी की वयस्कता प्राप्त करने की आयु के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इण्डियन मेजारिटी ऐक्ट-1875 की धारा-5 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व न्यायालय द्वारा उसका कोई संरक्षक (सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद हेतु संरक्षक को छोड़कर) नियुक्त अथवा घोषित किया जाता है तथा ऐसे अवयस्क जिसकी सम्पत्ति 'कोर्ट आफ वार्ड्स' की अधीक्षणता में है, को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वयस्क माना जायेगा। अन्य व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वयस्क होंगे। उपरोक्त स्थितियों में उक्त वयस्कता की आयु से कम आयु वाले व्यक्ति को अवयस्क ही माना जायेगा।

(4) इस शासनादेश के अन्तर्गत निर्धारित लाभार्थी की भुगतान प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर भुगतान उसके विधिक उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

(घ) यदि लाभग्राही अवयस्क है तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में 'गार्जियन एण्ड वार्ड्स ऐक्ट' के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा नियुक्त अवयस्क के संरक्षक को भुगतान किया जायेगा।

(च) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु नामांकन प्रपत्र भरे बिना ही हो जाये और उसके परिवार में कोई सदस्य न हों तो ऐसी स्थिति में सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

4—पुराने मामलों में जहां कर्मचारी/अधिकारी की सेवारत अवस्था में अथवा सेवा निवृत्ति के बाद सामूहिक बीमा योजना के अधीन देय धनराशि प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो गयी हो तथा नामांकन के अभाव में मामले का निवटारा न हो सका हो वहां भी पैरा-3 (ग) तथा पैरा-3 (घ) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार मामले का निस्तारण किया जायेगा।

5—इस शासनादेश की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यदि किसी मृत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के लाभार्थी का निर्धारण सम्भव नहीं हो पायेगा, तो उसके सम्बन्ध में लाभार्थी का निर्धारण करने हेतु शासन को निर्णय लेने का अधिकार होगा जो अन्तिम होगा। (नामांकन पत्र का प्रारूप अन्त में संलग्न है)

(5) सेवारत कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर नामांकन न भरने की स्थिति में दावों का भुगतान सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्रों के आधार पर ही किया जायेगा। सेवारत मृत अधिकारियों के दावों के प्रेषण के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र अवश्य लगा होना चाहिये।

(6) योजना का वर्तमान स्वरूप उसकी संचालन व्यवस्था लाभार्थियों के दावों के प्रेषण तथा योजनान्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया का सविस्तार विवरण वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन की राजाज्ञा संख्या बीमा-1/दस-2-80, दिनांक 19 फरवरी, 1980 में किया गया है जिसकी प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को प्रेषित की जा चुकी है।

(7) योजनान्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के लाभार्थियों को भुगतान शिक्षा निदेशालय के माध्यम से किया जाता है। योजनान्तर्गत सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों तथा सेवारत रहते हुये मृतक राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित सामूहिक जीवन बीमा एवं बचत योजना के दावे के प्रेषण तथा धनराशि को लाभार्थी को भुगतान होने के सम्बन्ध में जो कठिननाइयां अनुभव में आयी हैं उनका उल्लेख निम्नवत् है :—

(अ) वित्त विभाग के सन्दर्भगत राजाज्ञा दिनांक 19-2-80 के प्रस्तर-4 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि शासन द्वारा लागू की जाने वाली यह योजना सम्बन्धित सरकारी सेवकों पर उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि तक ही प्रभावी रहेगी। सेवा निवृत्ति के उपरान्त यदि किसी सरकारी सेवक को सेवा विस्तरण प्रदान किया जाता है तो उसके सेवा विस्तरण अथवा पुर्ननियुक्ति की अवधि में यह योजना प्रभावी नहीं रहती। उक्त सेवा विस्तरण की अवधि में काटी गयी धनराशि "त्रुटिवश काटी गयी धनराशि' की संज्ञा से जानी जाती है। उक्त धनराशि की वापसी शासन की राजाज्ञा संख्या 2921/15-2-84-15 (84)/83, दिनांक 21 जून, 1985 में निहित प्रक्रिया के अनुसार वापस की जायेगी। उक्त मामले में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ऐसी त्रुटिवश कटौती की वापसी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर बीमा निदेशालय द्वारा अन्य दोवों के निस्तारण की भाँति त्रुटिवश काटी गयी, इस धनराशि की वापसी का चेक सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा। को कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से वितरित कराया जायगा। विभागाध्यक्ष द्वारा बीमा निदेशालय को भेजे गये कटौती की वापसी के प्रस्तावों में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि त्रुटिवश काटी गयी धनराशि किस अवधि से सम्बन्धित है तथा साथ ही उसमें बचत निधि एवं बीमा निधि की धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जाती है, क्योंकि त्रुटिवश काटी गयी धनराशि को 'बीमा निधि/बचत निधि' दोनों मदों से वापस किया जाता है। प्रायः सम्बन्धित प्रधानाचार्यों/अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित सावधानी नहीं बरती जाती तथा कर्मचारियों के वेतन से कटौती सत्रान्त तक जारी रखी जाती है जो अनियमित है जिसकी वापसी लम्बे समय तक कर्मचारियों की न हो सकने के कारण उनको असुविधा होती है।

(ब) **दावों के प्रपत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया**—वर्तमान समय में सम्बन्धित कर्मचारियों से दावे प्रपत्र पूर्ण कराकर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक

बीमा निदेशालय 31/62, प्रिंस काम्प्लेक्स, नवल किशोर रोड, लखनऊ को प्रेषित किये जाते हैं। उक्त बीमा निदेशालय से धन प्राप्त होते ही कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से उन कर्मचारियों को धनराशि प्राप्त करा दी जाती है। सेवानिवृत्त अथवा मृतक कर्मचारियों के दावे प्रपत्र अपरिहार्य, परिस्थितियों में लम्बे समय तक प्रेषित न किये जाने के परिणामस्वरूप भुगतान होने में विलम्ब हो जाता है। सेवारत स्थिति में मृत्यु होने की दशा में मृतक अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के बीमा धन को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभग्राही का दावा जी०आई०एस० फार्म सं० 20 व 21 पर (फार्म-20 की रसीदी टिकट लगी एक प्रति व फार्म 21 की 3 प्रति) जिस पर कार्यालयाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर हों, संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय 31/62, प्रिंस काम्प्लेक्स, नवल किशोर रोड, लखनऊ को तीन दिन में प्रस्तुत करना होता है। दावे के प्रपत्रों में मृत कर्मचारी के सही लाभग्राही का नाम एवं उनका सम्बन्ध अंकित न होने के कारण निदेशालय से चेक निर्गत करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। मृत कर्मचारी के सही लाभग्राही का विवरण प्राप्त करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारियों से पत्राचार करने में समय व्यतीत होता है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि मृत कर्मचारी के सही लाभग्राही का नाम सम्बन्धित दावे के प्रपत्रों में अंकित कर बीमा निदेशालय लखनऊ को दावे प्रपत्र प्रस्तुत किये जायें।

(स) समूह 'क', 'ख' के अधिकारियों पर संशोधित योजना चूंकि 1-3-85 से लागू की जायेगी। अतः इस योजनान्तर्गत आने वाले अधिकारियों की दिनांक 28-2-85 तक बचत निधि में जो धनराशि जमा रहेगी उस पर वर्तमान दर से 6 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहेगा और इसकी वापसी शासन के वर्तमान नियमों के अनुसार ही की जायेगी।

(द) यदि समूह 'ग' का कोई कर्मचारी समूह 'ख' अथवा समूह 'ख' का कर्मचारी समूह 'क' में 1-3-85 के पश्चात् पदोन्नत होता है तो उस पर पदोन्नत समूह के अभिदान की दर तथा 'इन्श्योरेन्स कवर' अगली 1 मार्च से लागू होगा और तब तक पदोन्नत के पूर्व की दर के इन्श्योरेन्स लागू होगा। अभिदान में देरी होने पर 11 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अभिदान लिया जायेगा। बकाया अभिदान अधिक से अधिक तीन किश्तों में वसूल किया जा सकता है। –

(य) वर्तमान नियमों के अधीन समूह 'ग' व 'घ' के सभी प्रकार के गैर पुलिस राज्य कर्मियों के लिए 20 रु० प्रतिमाह का अभिदान निर्धारित है और सेवारत कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसे रु० 25,000/- का भुगतान होता है। कर्मचारी द्वारा दिया गया रु० 20/- निम्न प्रकार से दो खातों में बंट जाता है :–

(क) बीमा निधि में रु० 6.05

(ख) बचत निधि में रु० 13.95

प्रति कर्मचारी प्रति माह रु० 1.70 शासन बीमा निधि में अपना शासकीय अंशदान देता है। यह फण्ड कर्मचारी को वापस नहीं होता है और सेवारत की मृत्यु की स्थिति में इसी फण्ड से कर्मचारी परिवार को रु० 25,000 का भुगतान होता है। इसके अतिरिक्त उसकी बचत निधि में जमा धन पर 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि की

दर पर ब्याज लगाकर यह धन भी उसके परिवार को वापस कर दिया जाता है। शा० सं० बीमा-994/दस-86-18/1986, दिनांक 30-4-86 द्वारा वर्ष 86-87 से बीमा निधि पर शासन द्वारा दिया जाने वाला अभिदान समाप्त कर दिया गया है।

(र) यदि कर्मचारी की मृत्यु नहीं होती तो वह सेवानिवृत्ति के समय या नौकरी छोड़ने के समय अपनी बचत निधि को राशि पर 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस पाने का अधिकारी होता है जो केवल त्याग-पत्र या मृत्यु की स्थिति को छोड़कर कभी भी उस धन से कम नहीं होती जो कर्मचारी के वेतन से काटा गया होता है।

(ल) त्याग-पत्र या मृत्यु की स्थिति में बचत निधि की राशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वापस हो जाती है। वह चाहे कितनी भी हो।

(व) राज्य सरकार के समूह 'क' में वह अधिकारीगण आयेंगे जिनके वेतनमानों का अधिकतम प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त स्वीकृत वेतनमानों में रु० 1,200/- से अधिक तथा द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 1,720/- से अधिक है। समूह 'क' में आने वाले अधिकारियों को छोड़कर शेष राज्य सरकार के सभी अधिकारी समूह 'ख' में आयेंगे।

(8) इस योजना से आच्छादित अधिकारियों की प्राप्तियों को लेखाशीर्षक "8011—बीमा तथा पेंशन निधियाँ—103-उ० प्र० राज्य सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-01-बीमा निधि-01-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि" तथा बचत निधि हेतु "-02-बचत-निधि-01—पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि" के प्राप्ति पक्ष में जमा किया जायेगा।

(9) इस बात का ध्यान रखा जाय कि यह योजना अल्पकालिक, सीजनल या अवकाशकालीन नियुक्तियों को छोड़कर सेवारत सभी स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती है। निलम्बन काल में कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से अभिदान की कटौती की जानी चाहिये। कटौतियां लागू श्रेणी के कर्मचारियों के प्रथम वेतन से ही प्रारम्भ हो जानी चाहिए।

(10) राजाज्ञा सं० बीमा–1671/दस-81, दि० 3-1-1982 द्वारा आदेश दिया गया कि कर्मचारी के अवकाश की अवधि तथा निलम्बन की अवधियों में चूंकि उनका रिस्क कवर्ड रहेगा अत: ऐसी अवधियों, जिनमें उसे कोई अवकाश वेतन देय नहीं होता, की समाप्ति पर जब सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी ड्यूटी पर आये, तब उसके अगले वेतन बिल, जिसमें उसका वेतन आहरित किया जाये, से उस अवधि, जिसमें उसे कोई वेतन देय नहीं था, से बकाया अभिदान समायोजित कर लिया जाये। यदि असाधारण अवकाश की अवधि में किसी कर्मचारी/अधिकारी की सेवारत मृत्यु हो जाती है तो उस अवधि का अभिदान सम्बन्धित लाभार्थी से ट्रेजरी चालान द्वारा जमा करा लिया जाये और मृतक से सम्बन्धित दावा राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निदेशालय को संदर्भित करते समय इस बात का स्पष्टतया उल्लेख कर दिया जाय कि अमुक अवधि से सम्बन्धित बकाया अभिदान ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कर दी गई है।

(11) राजाज्ञा सं० बीमा-1316/दस-16-80, दि० 21-10-81 के अनुच्छेद-5 के अनुसार ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो शासन के किसी पद पर नियुक्त हो अथवा वाह्य सेवा पर हो अथवा भारत सरकार

किसी अन्य राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर हों, इस योजना से आच्छादित रहेंगे। अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को, चाहे वह ड्यूटी पर हों, अवकाश पर हों, या निलम्बित हों, को भी अपना अभिदान देना है। 1-3-80 से वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी/कर्मचारी उ० प्र० शासन की ट्रेजरी चालान, बैंक ड्राफ्ट द्वारा पूर्ण विवरण सहित अपने वाह्य सेवा योजक/सम्बन्धित शासन द्वारा उस कर्मचारी/अधिकारी के प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे।

अनुच्छेद-8 के अनुसार कर्मचारी के स्थानान्तरण पर अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में भी इसका उल्लेख किया जायेगा।

अनुच्छेद-12 के अनुसार मासिक अभिदान रु० 20.00 पर शासकीय अंशदान की मासिक दर 1.70 पैसे के आधार पर उसके रिस्क फण्ड में रु० 93.00 व बचत खाते में रु० 167.40 प्रति वर्ष जमा होता था। अनुच्छेद-13 के अनुसार समस्त कार्यालयों द्वारा अपने कार्यालय में इस आशय का एक लेजर/रजिस्टर रखना होगा जिसमें प्रत्येक मास कर्मचारी से की गई कटौती का विवरण अंकित किया जायेगा। जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसकी कटौती कब से प्रारम्भ हुई एवं इसमें कोई व्यवधान तो नहीं हुआ है जिससे अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत करते समय उसमें सही तथ्यों का उल्लेख किया जा सके।

2—दावों (क्लेम्स) के निस्तारणार्थ अभिलेखों के रख-रखाव हेतु निर्देश

(1) सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय कर्मचारियों के दावों के निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ की स्थापना मार्च, 1980 में की गई है।

(2) राजकीय कर्मचारियों के वेतन से सामूहिक बीमा अभिदान की कटौती की दर, प्रक्रिया, राजकोष में अभिदान जमा करने हेतु लेखा शीर्षक, विभिन्न प्रपत्रों पर सूचना तैयार कर बीमा निदेशालय को प्रेषित करना, सेवा नियुक्ति मृत्यु की दशा में दावों का प्रेषण एवं दावों के भुगतान आदि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजकीय कर्मचारियों के दावों के नियमानुसार निस्तारण का पूर्ण उत्तरदायित्व सहायक शिक्षा निदेशक (बीमा) एवं सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का होगा। शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय इलाहाबाद के कार्यालय में बीमा के अधिकारी सहायक शिक्षा निदेशक (बीमा) हैं तथा आहरण वितरण अधिकारी सहायक उप शिक्षा निदेशक (विज्ञान) हैं। मण्डलों एवं जनपदों में उक्त कार्यों हेतु वहां के सम्बन्धित अधिष्ठान के आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3) राज्य कर्मचारी बीमा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सम्बन्धित दावेदारों/लाभार्थियों को देय धनराशि शिक्षा निदेशक के नाम से बनी चेक के माध्यम से वांछित विवरण सहित भेजी जाती है। प्राप्त चेकों को बीमा योजनान्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए०जी० ब्रान्च, इलाहाबाद में खोले गये शिक्षा दिदेशक, उत्तर प्रदेश के नाम खाते में पे-इन-स्लिप के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। तदुपरान्त पेईज एकाउन्ट्स चेक के माध्यम से लाभार्थियों को नियमानुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

(4) दावों की प्राप्ति एवं भुगतान करते समय सामान्य वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग 1 एवं विभिन्न शासनादेशों में दिये गये मुख्य नियम निम्नवत् हैं—

(क) उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त होने वाले दावों की सभी चेकों को सम्बन्धित पंजिका में अंकित किया जाना चाहिए तथा नामित अधिकारी द्वारा पंजिका पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ख) सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों के स्तर पर फार्म 2 पर एक कैश बुक रखी जायेगी। कैश बुक के प्रारम्भ में पृष्ठ संख्या का सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र भी अंकित किया जायेगा।

(ग) बीमा निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा सभी चेकों को रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में अंकित किया जायेगा एवं तत्काल स्टेट बैंक आफ इण्डिया ए०जी०,यू०पी० ब्रान्च, इलाहाबाद में खोले गये शिक्षा निदेशक के खाते में सहायक शिक्षा निदेशक (बीमा) द्वारा जमा किया जायेगा।

(घ) बीमा निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ से जी०आई०एस० प्रपत्र–2 के माध्यम से प्राप्त विवरण के अनुसार लाभार्थी को दावों का भुगतान पेईज एकाउन्ट्स चेक से किया जायेगा। चेक पर हस्ताक्षर करते समय तदनुसार रोकड़ बही के व्यय पक्ष में अंकित किया जायेगा। कैश बुक के अतिरिक्त दावों के भुगतान हेतु सम्बन्धित चेक बनाने वाले कर्मचारी एवं सहायक शिक्षा निदेशक (बीमा) द्वारा चेक डाकेट रजिस्टर पर भी हस्ताक्षर किया जायेगा। चेक डाकेट रजिस्टर का प्रारूप संलग्न है।

(ङ) निर्गत किये जाने वाली चेकों को सम्बन्धित पंजिका पर भी अंकित किया जायेगा तथा नामित कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा पंजिका पर भी हस्ताक्षर किये जायेंगे। शिक्षा निदेशालय से लाभार्थियों को सभी चेक पंजीकृत डाक से भेजी जायेगी।

(च) नियमित रूप से प्रत्येक माह स्टेट बैंक आफ इण्डिया से बैंक स्टेटमेंट सहायक शिक्षा निदेशक (बीमा) द्वारा प्राप्त किये जायेंगे और तदनुसार बैंक रिकेन्सीलियेशन स्टेटमेन्ट (बैंक समाधान विवरण) तैयार कराया जायेगा एवं उसके अनुसार वांछित कार्यवाही की जायेगी। उदाहरणार्थ यदि बैंक स्टेटमेन्ट में किसी अन्य ड्राइंग अधिकारी द्वारा काटी गई चेक का भुगतान शिक्षा निदेशक के लेखे में अंकित है तो उसे बैंक के माध्यम से ठीक कराया जायगा। यदि कोई काटी गई चेक को भुगतान के पश्चात् भी बैंक स्टेटमेन्ट में अंकित नहीं की गई तो उसका संशोधन कराया जायेगा।

(छ) कैश बुक एवं चेक डाकेट रजिस्टर के प्रत्येक प्रविष्टि एवं कटिंग पर नामित कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(ज) जहां तक जनपद एवं मण्डलों में आहरण अधिकारियों के स्तर पर कैशबुकों के रखने का प्रश्न है, वहां इस बारे में स्पष्ट करना है कि प्रत्येक आहरण अधिकारी के स्तर पर बीमा सम्बन्धी भुगतान हेतु अलग से एक कैशबुक रखी जायगी। शिक्षा निदेशालय से दावों के भुगतान हेतु प्राप्त चेकों की प्रविष्टि चेक प्राप्त होने के तत्काल बाद प्राप्ति पक्ष में पूर्ण विवरण के साथ की जायेगी एवं लाभार्थी को भुगतान के बाद वांछित प्रविष्टि व्यय पक्ष में की जायेगी।

(5) **चेकबुक एवं उसका रख-रखाव**

सहायक शिक्षा निदेशक (बीमा) द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए०जी०, यू०पी० ब्रान्च, इलाहाबाद से रिक्वीजीशन स्लिप के माध्यम से नई चेक बुक प्राप्त की जायेगी। चेक बुक प्राप्त होने पर सावधानीपूर्वक उसकी जांच की जायेगी तथा यदि चेकों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता/कमी है तो उसका स्पष्ट प्रमाण पत्र चेक बुक में अंकित किया जायेगा।

(6) चेक बुकें नामित अधिकारी द्वारा अपनी स्वयं की सुरक्षा में रखी जायेंगी।

(7) यदि लाभार्थी को निर्गत होने के पश्चात कोई चेक खो जाये तो उसके स्थान पर दूसरी चेक "नान-पेमेन्ट" प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी।

(8) एक चेक बुक की समाप्ति पर ही नई चेक बुक प्रारम्भ की जायेगी।

(9) नामित अधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त नियुक्ति अधिकारी के प्रमाणित हस्ताक्षर तत्काल स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ए०जी०, यू०पी० ब्रान्च, इलाहाबाद को भेजे जायेंगे।

(10) चेक बनाते समय चेक की काउन्टर फाइल, कैश बुक एवं चेक डाकेट रजिस्टर पर चेक बनाते वाले कर्मचारी एवं अधिकारी के दिनांक सहित हस्ताक्षर होने चाहिए। चेक की काउण्टर फाइल पर सेवा निवृत्त/मृत कर्मचारी के कार्यालय का पता, लाभार्थी के पिता/पति के नाम का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

(11) सहायक निदेशक (बीमा) प्रत्येक मण्डल से सेवा निवृत्त एवं मृत कर्मचारियों का प्रत्येक माह नियमित रूप से विवरण प्राप्त करेंगे, जिसके आधार पर सम्बन्धित आहरण अधिकारी को यदि आवश्यक हो तो बीमा सम्बन्धी दावों के शीघ्र निस्तारण हेतु बीमा निदेशालय, लखनऊ को अनुस्मारक भी भेजेंगे।

(12) प्रत्येक आहरण अधिकारी बीमा निदेशालय, लखनऊ को भेजे गये दावों की एक प्रति सहायक शिक्षा निदेशक (बीमा), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को अवश्य भेजेगा।

(13) सहायक निदेशक (बीमा) महीने की प्रत्येक 10 तारीख को लखनऊ जाकर बीमा निदेशालय, लखनऊ से शिक्षा निदेशालय के दावों से सम्बन्धित चेकों को प्राप्त करेंगे एवं वहां पड़े हुए अतिरिक्त दावों की आपत्तियों का निस्तारण कराने हेतु समुचित कार्यवाही करेंगे जिससे कि लाभार्थी को बीमा सम्बन्धी दावों का नियमानुसार भुगतान हो सके।

(14) सहायक निदेशक (बीमा) बीमा निदेशालय, लखनऊ से दावों की चेकों की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में लाभार्थी को सम्बन्धित आहरण अधिकारी के माध्यम से, नियमानुसार भुगतान हेतु चेक निर्गत करेंगे।

(15) बीमा निदेशालय से प्राप्त विवरण के अनुसार सहायक निदेशक (बीमा) भुगतान हेतु चेकों को तत्काल निर्गत करेंगे। उनके स्तर पर दावों एवं लाभार्थी से सम्बन्धित किसी प्रकार का परीक्षण नहीं किया जायेगा, क्योंकि बीमा निदेशालय से पूर्ण परीक्षण एवं विभिन्न शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार ही क्लेम्स तय किये जाते हैं एवं उसका विवरण प्रपत्र-2 में अंकित किया जाता है तथा विभागाध्यक्ष को भेजा जाता है।

(16) सहायक निदेशक (बीमा) द्वारा दावों की चेकों से सम्बन्धित अग्रसारण पत्र एवं प्रपत्र 2 को क्रमानुसार गार्ड फाईल में चिपकाकर सुरक्षित रखा जायेगा।

(17) सहायक निदेशक (बीमा) द्वारा अलग से डिस्पैच रजिस्टर उक्त कार्य हेतु रखा जायेगा जिसमें नियमानुसार एवं क्रमानुसार प्रविष्टियां की जायेंगी।

(18) सहायक निदेशक (बीमा) द्वारा दावों के भेजने वाले अग्रसारण पत्र की कार्यालय प्रति एवं आहरण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त भुगतान की रसीद आदि को सुरक्षित रूप से एक साथ रखा जायेगा।

(19) सहायक निदेशक (बीमा) शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के मुख्यालय पर कार्यरत आडिट इकाई के द्वारा प्रत्येक त्रैमास नियमित रूप से दावों की प्राप्ति एवं भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों का सम्प्रेक्षण करायेंगे।

(20) उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ से प्राप्त होने वाली चेकों की पंजिका संलग्न प्रारूप के अनुसार रखी जायेगी।

(21) दावों के भुगतान हेतु निर्गत होने वाली चेकों की पंजिका भी संलग्न प्रारूप में रखी जायेगी।

(22) चेक बुकों के भंडार एवं निर्गमन पंजिका भी संलग्न प्रारूप के अनुसार रखी जायेगी।

(23) चेक डाकेट रजिस्टर भी संलग्न प्रारूप के अनुसार रखा जायेगा।

(24) रिवैलीडेशन की स्थिति में चेक डाकेट रजिस्टर पर सम्बन्धित चेक के सामने रिवैलीडेटेड लिखकर सहायक शिक्षा निदेशक (बीमा) द्वारा रिवैलीडेशन किया जायेगा एवं तदुपरान्त उसी चेक को लाभार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया जायेगा।

(25) चेक बनाते समय किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाने पर चेक को निरस्त कर दिया जायेगा तथा चेक के दोनों तरफ 'कैंसिल्ड' (निरस्त) शब्द लिखकर आहरण अधिकारी द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर किये जायेंगे और किसी भी दशा में उसे काउन्टर फाइल से अलग नहीं किया जायेगा।

वी० पी० खण्डेलवाल
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

[illegible]

क्रमांक	दिनांक	लाभार्थी का विवरण	चेक नम्बर	धनराशि	चेक बनाने वाले कर्मचारी का हस्ताक्षर	आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ से प्राप्त होने वाली चेकों की पंजिका

क्र० सं०	प्राप्त होने वाले पत्र की संख्या एवं दिनांक	भेजने वाले का नाम व पद	चेक का दिनांक एवं संख्या	चेक की कुल धनराशि	चेक प्राप्ति का दिनांक	बैंक में जमा करने की तिथि	प्रपत्र–2 के अनुसार दावेदारों का नाम व देय धनराशि का विवरण	निदेशालय द्वारा लाभार्थी को निर्गत चेक की संख्या, दिनांक व धनराशि	आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या	चेक निर्गत करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के तिथि सहित हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

क्रम सं०	चेक संख्या	चेक का दिनांक	पाने वाले का नाम व पता	विवरण	धनराशि	नामित अधिकारी का हस्ताक्षर	रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या	कर्मचारी के हस्ताक्षर	पंजीकृत पत्र संख्या/ दिनांक व अधिकारी का नाम जिसको भेजा गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

चेक बुकों की भण्डार एवं निर्गमन पंजिका

क्रम सं०	प्राप्ति का दिनांक	चेक बुक संख्या (किताब वार)	चेक की प्रारिम्भक तथा अंतिम संख्या (बुक वार)	नामित अधिकारी के हस्ताक्षर	निर्गमन की तिथि	किसको निर्गमित की गयी	प्राप्त करने के हस्ताक्षर	प्रयोग की गई चेक बुक संख्या, दिनांक तथा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3—दावों के प्रपत्र प्रेषण हेतु ज्ञातव्य

(1) **अराजपत्रित कर्मचारियों के दावों का निस्तारण**—कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत देयों (Claims) के भुगतान हेतु तीन प्रतियों में निम्न प्रपत्र पूर्ण करके जीवन बीमा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किये जायेंगे;

(i) G. I. S. Form No. 1

(ii) G. I. S. Form No. 2

(iii) In case of death—G.I.S. Form No. 1 (a)

(2) **राजपत्रित कर्मचारियों के दावों का निस्तारण**—राजपत्रित कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा योजना सम्बन्धी दावों के निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा, तीन प्रतियों में, निम्न प्रपत्र पूर्ण करके जीवन बीमा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया जायगा—

(i) G. I. S. Form No. 20

(ii) G. I. S. Form No. 21

(iii) In case of death other than Police Officer—G. I. S. Form No. 22

(iv) In case of death of Police Officer—G. I. S. Form No. 23

4—उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड का गठन

शासन की राजाज्ञा संख्या बीमा 3291/दस-56/1984, दिनांक 29 नवम्बर, 1984 द्वारा राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के लाभ के 90 प्रतिशत अंश को सरकारी सेवकों तथा उनके परिवारों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय करने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड' का संचालन किया । उसके अन्तर्गत राजकीय कर्मचारियों की बीमारी एवं दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपंग सरकारी सेवकों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । उक्त शासनादेश सभी कार्यालयाध्यक्षों को प्रसारित किया जा चुका है ।

2—इस फण्ड के संचालन हेतु गठित प्रबन्ध समिति में निम्न हैं—

(1) अध्यक्ष—मुख्य सचिव,

(2) सदस्य—(1) वित्त सचिव, (2) कार्मिक सचिव, (3) राज्य कर्मचारी सेवा संघों के प्रतिनिधियों में से कार्मिक विभाग द्वारा नामित दो प्रतिनिधि,

(3) संयोजक—संयुक्त निदेशक, उ०प्र० राज्य सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ,

(4) कोषाध्यक्ष—उक्तवत् ।

3—इस फण्ड का लेखा राष्ट्रीयकृत बैंक के सेविंग बैंक एकाउण्ट में खोलकर उसमें इस योजना के लाभ का 90 प्रतिशत अंश स्थानान्तरित किया जायगा जिसे व्यय करने का अधिकार प्रबन्ध समिति को हैं किन्तु खाता कोषाध्यक्ष द्वारा आपरेट किया जाता है तथा लाभार्थियों को समस्त भुगतान एकाउण्ट पेई चेकों द्वारा होता है ।

चूंकि अभी बेनीवोलेन्ट फण्ड की नियमावली प्रख्यापित नहीं की जा सकी है। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये गये हैं—

(1) बीमारी या दुर्घटना के फलस्वरूप उन शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग सरकारी सेवकों को इस फण्ड से सहायता दी जायगी जो स्थायी रूप से अपंग हो गये हों और इस अपंगता के फलस्वरूप उन्हें सरकारी सेवा से हटना पड़ा हो।

(2) फण्ड से सहायता के पात्र अपंग सरकारी सेवक को दी जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण फण्ड की समिति द्वारा किया जायगा। परन्तु यह धनराशि किसी भी हालत में उस धनराशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी जो अपंग सरकारी सेवक को सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत सेवारत मृत्यु की स्थिति में इन्श्योरेन्स कवर के रूप में देय होती। किसी भी सरकारी सेवक को इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता की अधिकतम धनराशि की सीमा सरकारी सेवक की सेवारत मृत्यु की स्थिति में सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली इन्श्योरेन्स कवर की धनराशि होगी।

(3) इस फण्ड से सहायता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक या उसके प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने योग्य न रहने की स्थिति में उसके द्वारा सामूहिक बीमा योजना के नामिनी द्वारा, यदि नामांकन नहीं भरा गया है तो विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित उसके निकट सम्बन्धी द्वारा प्रार्थना-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करना होगा। यह प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप पर देना होगा जिसे विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना देते हुए उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड के संयोजक को अग्रसारित किया जायेगा।

(4) फण्ड की प्रबन्ध समिति को अधिकार है कि वह चाहे तो अपंग सरकारी सेवक को साक्षात्कार के लिए बुला सकती है।

(5) सरकारी सेवक को यह सुविधा उस माह के अन्तिम दिवस तक प्राप्त होगी जिस माह में वह अधिवर्षता आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त होते हों। सेवा विस्तरण एवं सेवा में पुनर्योजित होने पर यह योजना प्रभावी नहीं है।

(6) यह योजना उ०प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित समस्त सरकारी सेवकों पर लागू है।

5—अपेक्षित प्रपत्र

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का नामांकन-पत्र

मैं...एतद्‌द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को जो शासनादेश संख्या बीमा 56/दस-85-3-1981, दिनांक 10 जनवरी, 1986 में दी गयी सूची के अनुसार मेरी सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने पर सामूहिक बीमा योजना के अधीन देय धनराशि अथवा सेवा निवृत्ति के बाद उक्त योजना के अधीन मुझे प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु नामित करता/करती हूं।

नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम व पूरा पता	अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्ध	नामित व्यक्तियों की आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश	आकस्मिकतायें जिनके होने पर नामांकन अवैध हो जायेगा	उन व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम, आयु, देय अंश तथा पता/पते, जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति/व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे	यदि कालम 1 व कालम 6 में नामित व्यक्ति/व्यक्तियों में से कोई अवयस्क हो तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में नियुक्त संरक्षक का नाम, आयु, पता व अवयस्क से सम्बन्ध
1	2	3	4	5	6	7

नोट:—यदि कालम (1) व (6) में नामित किये गये व्यक्तियों में कोई अवयस्क हो तो उनकी आयु के साथ-साथ उनकी जन्म तिथि अंकित की जाय।

दिनांक

स्थान

साक्षी (1) हस्ताक्षर नाम पता

(2) प्रति हस्ताक्षरित

सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के

हस्ताक्षर.............................

पद...................................

विभाग...............................

हस्ताक्षर व सील

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

दिनांक.............................

प्र–40

राज्य सरकार के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी कटौतियों का उनकी सेवा-पुस्तिका में रखे जाने वाले विवरण का रूप-पत्र

1—अभिदाता का नाम..

2—अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में नामांकित लाभग्राही का नाम व पूरा पता..

3—अभिदाता के योजना में प्रवेश का दिनांक..

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम सहित

4—कटौतियों का वार्षिक विवरण :—

कटौतियों की अवधि		कटौती की दर	सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
कब से	कब तक		

प्र–41

जी० आई० एस० फार्म संख्या–1

सेवा में,

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए बचत मय सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत अपना दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत करता/करती हूँ :

1—(क) कर्मचारी का नाम
(ख) पिता का नाम
2—पद तथा वेतनमान
3—नियुक्ति का स्थान व पता
4—जन्म तिथि
5—(अ) सेवा में नियुक्ति का दिनांक
(ब) योजना में प्रवेश का दिनांक
6—क्या कर्मचारी निर्गमन के समय सेवा में था हाँ/नहीं
7—निर्गमन का कारण—
मृत्यु/सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र/सेवा समाप्ति (यदि मृत्यु हो गयी हो तो मृत्यु का कारण)
8—सेवा में निर्गमन का दिनांक
9—मृत्यु की स्थिति में
लाभग्राही का— (अ) नाम
(ब) पता
(स) संबंध

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि उक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंकन (रुपये)

दिनांक

स्थान

गवाह

हस्ताक्षर

नाम

पता

20 पैसे का रसीदी टिकट

कर्मचारी/लाभग्राही के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान

दिनांक

पदाधिकारी के हस्ताक्षर
जिसके अन्तर्गत कर्मचारी कार्यरत था।

जी० आई० एस० फार्म—2

उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिये बचत मय सामूहिक बीमा योजना स्तम्भ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भरे जायं।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम, पद व पता	नियुक्ति के स्थान का नाम	जन्म तिथि सेवा अभिलेखों के अनुसार	प्रवेश करने की तिथि		निकलने की तिथि	मृत्यु का कारण	लाभग्राही का नाम तथा पता
				सेवा में	योजना में			
1	2	3	4	5	7	7	8	9

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त विवरण सही है और शासन से उक्त विवरण के आधार पर दावा/दावों का भुगतान आग्रह करते हैं। उक्त लाभग्राही/लाभग्राहियों के नाम दावे का चेक दिया जावे। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि उक्त कर्मचारी/अधिकारियों की (मृत्यु की दशा में) मृतक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं तथा उक्त दावों का प्रपत्र तथा भुगतान इसके पहले कभी प्रेषित नहीं किया गया।

स्थान

दिनांक

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मोहर

यह स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरा जायगा

क्र०सं०	माह और वर्ष		अंशदान की संख्या	लाभ दिये बीमा धनराशि	बचत ब्याज सहित	बचत में अतिरिक्त दिया गया धन	योग	टिप्पणी
	प्रवेश का	निकलने का						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हम एतद्द्वारा शासन से रु० (रु०) की धनराशि जो बीमा धनराशि और डिपाजिट (बचत) योजना अनुबन्ध दिनांक के अन्तर्गत देय व मांग हुई, पूर्ण सन्तोष सहित दावों के विवरण अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

विभागाध्यक्ष/आहरण व वितरण अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मोहर

प्र—43

जी०आई०एस० फार्म संख्या–1 (अ)

(केवल मृत कर्मचारियों/अधिकारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

सेवा में,

निदेशक,
राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारी का दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूँ :

1–(अ) कर्मचारी का नाम
(ब) पिता/पति का नाम

2– मृत्यु के समय
(अ) पद
(ब) वेतनमान
(स) विभाग तथा विभागाध्यक्ष

3- जन्म तिथि

4–(अ) सेवा में नियुक्ति का दिनांक
(ब) योजना में प्रवेश का दिनांक

5– मृत्यु की तिथि

6– मृत्यु का कारण

7– मृत्यु की स्थिति में
लाभग्राही का (क) नाम
(ख) पता
(ग) मृतक से संबंध

1—मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि ऊपर अंकित विवरण सही है और शासन से उक्त विवरण के आधार पर दावे के भुगतान का आग्रह करता हूँ ।

2—मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि ऊपर अंकित मृत कर्मचारी/अधिकारी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा मृत्यु की ऊपर अंकित तिथि का मिलान मृत्यु प्रमाण पत्र से कर लिया गया है ।

3—उक्त दावे का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा है। इससे पूर्व दावा भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

4—मैं यह भी आश्वस्त करता हूं कि भुगतान प्राप्त होने पर लाभग्राही से रसीदी स्टैम्प लगी भुगतान की धनराशि की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लूंगा और इसकी सूचना सामूहिक बीमा निदेशालय को रसीद प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर प्रेषित कर दूंगा।

दिनांक

स्थान

* गवाह के हस्ताक्षर..................................
गवाह का नाम..................................
गवाह का पद नाम..................................

* गवाह के स्थान पर कार्यालय के उस कर्मचारी के हस्ताक्षर कराये जायें जिसने इस फार्म को भरा हो।

कार्यालयाध्यक्ष
आहरण एवं वितरण अधिकारी
के हस्ताक्षर..................................
नाम..................................
हस्ताक्षरकर्ता
का पद नाम..................................
कार्यालय की
मोहर..................................

नोट—यह स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरा जायगा

कर्मचारी का नाम	माह और वर्ष प्रवेश का	माह और वर्ष निकलने का	अंशदान की संख्या	लाभ देय बीमा धनराशि	बचत ब्याज सहित	योग	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

हम एतद्‌द्वारा शासन से रु० (रुपये) की धनराशि जो बीमा धनराशि और डिपाजिट (बचत) योजना के अन्तर्गत देय व मांग हुई, पूर्ण सन्तोष सहित दावों के उक्त विवरण के अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षरकर्ता का नाम..................................
हस्ताक्षरकर्ता का पद नाम..................................

कार्यालयाध्यक्ष/
आहरण एवं वितरण अधिकारी
के हस्ताक्षर..................................

जी० आई० एस० प्रपत्र संख्या—15

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत की जाने वाली अभिदानों की कटौतियों का शेड्यूल

(आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा तैयार करके बिल के साथ संलग्न किया जायेगा)

लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत कटौतियों को जमा किया जाना है :—

(1) "811–बीमा तथा पेन्शन निधियाँ–उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना–(क) बीमा निधि (i) पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि (ii) पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि (ख) बचत निधि (i) पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि (ii) पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि"

(2) कोषागार का नाम..

(3) माह ....19...........के वेतन बिल से, जिसका भुगतान माह.............................के प्रथम कार्य दिवस को किया जायेगा, की गयी अभिदानों की कटौती का विवरण निम्नवत् है :—

क्रमांक	विभाग/ अधिष्ठान का नाम	योजना के अन्तर्गत अभिदाताओं की कुल संख्या						योजना के अभिदान की कटौती की कुल धनराशि			अभ्युक्ति
		पुलिस विभाग को छोड़कर शेष अन्य विभागों के			पुलिस विभाग के						
		समूह 'क' के अधिकारी	समूह 'ख' के अधिकारी	कर्मचारी	समूह 'क' के अधिकारी	समूह 'ख' के अधिकारी	कर्मचारी	बीमा निधि	बचत निधि	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9 + 10)	12

प्रमाणित किया जाता है कि अल्पकालीन रिक्तियों में और सीजनल कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य समस्त नियमित अधिष्ठान में नियुक्त राज्य सरकार के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों से सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित दर से कटौती कर ली गयी है ।

टिप्पणी :—समूह 'क' के अन्तर्गत राज्य सरकार के वे सभी अधिकारीगण आयेंगे, जिनके वेतनमानों का अधिकतम प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरात स्वीकृत वेतनमानों में रु० 1200 से अधिक तथा द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 1720 से अधिक है । समूह 'क' के अधिकारियों के अतिरिक्त शेष सभी अधिकारी समूह 'ख' में आयेंगे । उत्तर प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के वे सभी अधिकारीगण, जिन्होंने केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण नहीं की है और राज्य सरकार की योजना का विकल्प बनाये रखा है, समूह 'क' के सदस्य माने जायेंगे ।

आहरण एवं वितरण अधिकारी के समुहर
पदनाम सहित हस्ताक्षर

लेखा शीर्षक–"811—बीमा तथा पेंशन निधियाँ—उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना—(क) बीमा निधि (ख) बचत निधि" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य शासकीय कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की अभिदानों की प्राप्तियों का रजिस्टर

कोषागार का नाम...

माह तथा वर्ष...

क्रमांक	आहरण एवं वितरण अधिकारी/वाह्य सेवायोजक का विवरण	वाउचर नम्बर तथा दिनांक, चालान नम्बर तथा दिनांक	योजना के अन्तर्गत अभिदाताओं की कुल संख्या — पुलिस विभाग को छोड़कर शेष अन्य विभाग के: समूह "क" के अधिकारी	समूह "ख" के अधिकारी	कर्मचारी	पुलिस विभाग के: समूह "क" के अधिकारी	समूह "ख" के अधिकारी	कर्मचारी	पुलिस विभाग को छोड़कर शेष अन्य विभागों से प्राप्त धनराशियाँ: बीमा निधि	बचत निधि	योग	पुलिस विभाग से प्राप्त धनराशियाँ: बीमा निधि	बचत निधि	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(10+11)	13	14	15(13+14)	16

योग :—

टिप्पणी :—समूह "क" के अन्तर्गत राज्य सरकार के वे सभी अधिकारीगण आयेंगे, जिनके वेतनमानों का अधिकतम प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त स्वीकृत वेतनमानों में रु० 1200/- से अधिक तथा द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 1720/- से अधिक है। समूह "क" के अधिकारियों के अतिरिक्त शेष सभी अधिकारी समूह "ख" में आयेंगे। उत्तर प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के वे सभी अधिकारी-गण, जिन्होंने केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण नहीं की है और राज्य सरकार की योजना का विकल्प बनाये रक्खा है, समूह "क" के सदस्य माने जायेंगे।

कोषाधिकारी के समुहर पदनाम सहित हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदानों की प्राप्तियों का संहृत विवरण

कोषागार का नाम...

माह तथा वर्ष...

योजना से आच्छादित अधिकारी/कर्मचारियों की कुल संख्या						योजना की कुल प्राप्त धनराशियाँ						
पुलिस विभाग को छोड़कर शेष विभाग के			पुलिस विभाग के			पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य विभागों की			पुलिस विभाग की			
समूह 'क' के अधिकारी	समूह 'ख' के अधिकारी	कर्मचारी	समूह 'क' के अधिकारी	समूह 'ख' के अधिकारी	कर्मचारी	बीमा निधि	बचत निधि	योग	बीमा निधि	बचत निधि	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11	12 (10+11)	13

टिप्पणी :–समूह 'क' के अन्तर्गत राज्य सरकार के वे सभी अधिकारीगण आयेंगे, जिनके वेतनमानों का अधिकतम प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त स्वीकृत वेतनमानों में रु० 1200/- से अधिक तथा द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 1720/- से अधिक है। समूह 'क' के अधिकारियों के अतिरिक्त शेष अधिकारी समूह 'ख' में आयेंगे। उत्तर प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के वे सभी अधिकारीगण, जिन्होंने केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण नहीं की है और राज्य सरकार की योजना का विकल्प बनाये रखा है, समूह 'क' के सदस्य माने जायेंगे।

कोषाधिकारी के समुहर पदनाम सहित
हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत चेकों द्वारा वेतन का भुगतान करने वाले विभागों के मासिक अभिदानों की प्राप्तियों का विवरण

(1) खण्ड/कार्यालय का नाम...

(2) माह तथा वर्ष...

योजना से आच्छादित अभिदाताओं की संख्या			योजना की कुल प्राप्त धनराशियाँ			
समूह 'क' के अधिकारी	समूह 'ख' के अधिकारी	कर्मचारी	बीमा निधि	बचत निधि	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7

टिप्पणी :—(1) यह प्रपत्र चेक जारी करने वाले विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अपने विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा।

(2) समूह 'क' के अन्तर्गत राज्य सरकार के वे सभी अधिकारीगण आयेंगे, जिनके वेतनमानों का अधिकतम प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरांत वेतनमानों में रु० 1200/- से अधिक तथा द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरांत पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 1720/- से अधिक है। समूह 'क' के अधिकारियों के अतिरिक्त शेष सभी अधिकारी समूह 'ख' में आयेंगे। उत्तर प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के वे सभी अधिकारीगण, जिन्होंने केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण नहीं की है और राज्य सरकार की योजना का विकल्प बनाये रखा है, समूह 'क' के सदस्य माने जायेंगे।

आहरण एवं वितरण
अधिकारी के हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत चेकों द्वारा वेतन का भुगतान करने वाले विभागों के मासिक अभिदानों की प्राप्तियों का संहत विवरण

(1) विभाग का नाम

(2) माह तथा वर्ष

क्रमांक	खण्ड/कार्यालय का नाम	योजना से आच्छादित अभिदाताओं की संख्या			योजना की कुल प्राप्त धनराशियाँ			अभ्युक्ति
		समूह 'क' के अधिकारी	समूह 'ख' के अधिकारी	कर्मचारी	बीमा निधि	बचत निधि	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9
	योग :—							

टिप्पणी :—(1) यह विवरण पत्र चेक जारी करने वाले विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रत्येक मास के सम्बन्ध में अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक भेजा जायेगा।

(2) समूह 'क' के अन्तर्गत राज्य सरकार के वे सभी अधिकारीगण आयेंगे जिनके वेतनमानों का अधिकतम प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरांत स्वीकृत वेतनमानों में रु० 1200/- से अधिक तथा द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरांत पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 1720/- से अधिक है। समूह 'क' के अधिकारियों के अतिरिक्त शेष सभी अधिकारी समूह 'ख' में आयेंगे। उत्तर प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के वे सभी अधिकारीगण, जिन्होंने केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण नहीं की है और राज्य सरकार की योजना का विकल्प बनाये रखा है, समूह 'क' के सदस्य माने जायेंगे।

विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा
अधिकृत अधिकारी के समुहर
हस्ताक्षर।

प्र–49

(केवल शासनादेश संख्या–बीमा–2627/दस–87/83, दिनांक, 29-10-84 से आच्छादित अधिकारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

जी०आई०एस० फार्म संख्या 20

(केवल अधिकारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

सेवा में,

———————————

———————————

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये बचत मय सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत अपना दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत करता/करती हूं :—

1—(अ) अधिकारी का नाम
(ब) पिता का नाम

2—पद तथा वेतन

3—नियुक्ति का स्थान व पता

4—जन्म तिथि

5—(क) सेवा में नियुक्ति का दिनांक
(ख) योजना में प्रवेश का दिनांक
(ग) रु० 10 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक
(घ) रु० 20 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक
(च) रु० 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक
(छ) रु० 80 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक

6—निर्गमन का कारण
सेवा निवृत्ति/त्याग-पत्र/सेवा समाप्ति

7—सेवा के निर्गमन का दिनांक

8—लाभग्राही का (अ) नाम
(ब) पता
(स) सम्बन्ध

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करती हूं कि उक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंकन (रुपया)

दिनांक
स्थान
गवाह
हस्ताक्षर
नाम
पता

20 पैसे का रसीदी टिकट

अधिकारी/लाभग्राही के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण मेरी पूर्ण जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है।

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर··········

स्थान
पता

हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम··········
हस्ताक्षरकर्त्ता का पद नाम··········
कार्यालय की मोहर··········

(केवल शासनादेश संख्या–बीमा–2627/दस 87/83, दिनांक 29-10-84 के आच्छादित अधिकारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

जी०आई०एस० फार्म संख्या–21

(प्रथम पृष्ठ)

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों के लिये बचत मय सामूहिक बीमा योजना

यह प्रपत्र तीन प्रतियों में सभी स्तम्भों को कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भर कर सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित करना है।

1—अधिकारी का नाम

2—पद नाम तथा वेतनमान

3—पता

4—नियुक्ति के स्थान का पता

5—जन्म तिथि सेवा अभिलेखों के अनुसार

6—सेवा में प्रवेश करने की तिथि

7—योजना में प्रवेश करने की तिथि

8—अभिदान देने की अवधि

(क) रु० 10 प्रतिमाह की दर से   से   तक

(ख) रु० 20 प्रतिमाह की दर से   से   तक

(ग) रु० 40 प्रतिमाह की दर से   से   तक

(घ) रु० 80 प्रतिमाह की दर से   से   तक

9—योजना से निकलने की तिथि

10—योजना से निकलने का कारण

11—लाभग्राही का नाम

पता

संबंध

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त विवरण सही हैं और शासन से उक्त विवरण के आधार पर दावे के भुगतान आग्रह करते हैं। उक्त लाभग्राही/लाभग्राहियों के नाम दावे का चेक दिया जाये। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि उक्त दावे का प्रपत्र तथा भुगतान इसके पहले कभी प्रेषित नहीं किया गया।

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर————

स्थान————————

हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम————————

दिनांक————————

हस्ताक्षरकर्त्ता का पद नाम————————

कार्यालय की मोहर————————

जी० आई० एस० फार्म संख्या–21 (द्वितीय पृष्ठ)

स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरे जावें

क्र० सं०	लाभार्थी का नाम	माह और वर्ष		अभिदान की संख्या	बचत निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित	बचत निधि में जमा धनराशि में अतिरिक्त दिया गया धन	योग	टिप्पणी
		प्रवेश का	निकालने का					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हम एतद्द्वारा शासन से रु०   (रु०   ) की धनराशि जो बीमा धनराशि और डिपाजिट (बचत) योजना के अनुबन्ध दिनांक   के अन्तर्गत देय हुई, पूर्ण संतोष सहित दावों के उक्त विवरण, अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/
आहरण व वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर

प्र–51

केवल शासनादेश सं०–बीमा 2627/दस–87-83, दिनांक 29-10-84 से आच्छादित अधिकारियों के दावों के प्रेषण हेतु

जी० आई० एस० फार्म संख्या–22 (प्रथम पृष्ठ)

(यह प्रपत्र तीन प्रतियों में सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित करना है)

(केवल मृत अधिकारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

सेवा में,

निदेशक,
राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
उ० प्र०, लखनऊ।

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत मृत अधिकारी का दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूँ :—

1—(अ) अधिकारी का नाम
(ब) पिता/पति का नाम

2—मृत्यु के समय—
(अ) पद
(ब) वेतनमान
(स) विभाग तथा विभागाध्यक्ष

3—जन्म तिथि······

4—(क) सेवा में नियुक्ति का दिनांक
(ख) योजना में प्रवेश का दिनांक
(ग) रु० 10 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक
(घ) रु० 20 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक
(च) रु० 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक
(छ) रु० 80 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक

5—मृत्यु की तिथि

6—मृत्यु का कारण

7—मृत्यु की स्थिति में लाभग्राही

(अ) नाम

(ब) पता

(स) मृतक से संबंध

1—मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि ऊपर अंकित विवरण सही है और शासन से उक्त विवरण के आधार पर दावे के भुगतान का आग्रह करता हूँ।

2—मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि ऊपर अंकित मृत अधिकारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा मृत्यु की ऊपर अंकित तिथि का मिलान प्रमाण-पत्र से कर लिया गया है। मृत्यु प्रमाण-पत्र, नामांकन/उत्तराधिकारी की प्रमाणित प्रतिलिपियां दावे के साथ संलग्न हैं।

3—उक्त दावे का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा है। इससे पूर्व दावा भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

4—मैं यह भी आश्वस्त करता हूँ कि भुगतान प्राप्त होने पर लाभग्राही से रसीदी स्टैम्प लगी भुगतान की धनराशि की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लूंगा और इसकी सूचना सामूहिक बीमा निदेशालय को रसीद प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर प्रेषित कर दूंगा।

कार्यालयाध्यक्ष/

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

*गवाह के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम

गवाह का नाम

गवाह का पदनाम

कार्यालय की मोहर

(*गवाह के स्थान पर कार्यालय के उस अधिकारी के हस्ताक्षर कराये जायें जिसने इस फार्म को भरा हो)

जी० आई० एस० फार्म संख्या–22 (द्वितीय पृष्ठ)

स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरे जावें

अधिकारी का नाम	माह और वर्ष		अभिदान की संख्या	बीमा धनराशि	बचत निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित	योग	टिप्पणी
	प्रवेश का	निकालने का					
1	2	3	4	5	6	7	8

हम एतद्द्वारा शासन से रु०   (रु०   ) की धनराशि, जो बीमा धनराशि और डिपाजिट (बचत) योजना के अन्तर्गत देय व मांग हुई पूर्ण संतोष सहित दावों के उक्त विवरण अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी के

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम

हस्ताक्षरकर्त्ता का पदनाम

कार्यालय की मोहर

प्र–52

(केवल शासनादेश संख्या—बीमा-2627/दस-87-83, दिनांक 29-10-84 से आच्छादित अधिकारयों के दावों के प्रेषण हेतु)

जी०आई०एस०–फार्म संख्या—23

(प्रथम पृष्ठ)

(केवल पुलिस विभाग के अधिकारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

सेवा में,

____

मैं उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिये बचतमय सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार प्रस्तुत करता/करती हूं—

1—(क) अधिकारी का नाम

(ख) पिता का नाम

2—पद तथा वेतनमान

3—नियुक्ति का स्थान व पता

4—(क) सेवा में नियुक्ति का दिनांक

(ख) योजना में प्रवेश का दिनांक

(ग) रु० 5 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक

(घ) रु० 10 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक

(च) रु० 15 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक

(छ) रु० 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक

(ज) रु० 80 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि से तक

5—जन्म तिथि

6—क्या अधिकारी दिनांक 1-3-85 के पूर्व समूह 'ख' का अधिकारी था हां/नहीं

7—यदि हां तो क्या उसने दिनांक 1-3-85 से संशोधित केन्द्रीय सरकार की योजना की भांति संचालित राज्य सरकार की योजना की सदस्यता ग्रहण करने के लिये विकल्प दिया है हां/नहीं

8—क्या अधिकारी निर्गमन के समय सेवा में था हां/नहीं

9—निर्गमन का कारण मृत्यु/सेवा निवृत्ति/त्याग पत्र/सेवा समाप्ति।

10—मृत्यु का कारण

11—सेवा से निर्गमन का दिनांक

12—मृत्यु की तिथि

13—मृत्यु की स्थिति में लाभग्राही का
(अ) नाम
(ब) पता
(स) सम्बन्ध

1—मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि ऊपर अंकित विवरण सही है और शासन से उक्त विवरण के आधार पर दावे के भुगतान का आग्रह करता हूं।

2—मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि ऊपर अंकित मृत अधिकारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा मृत्यु की ऊपर अंकित तिथि का मिलान मृत्यु प्रमाण-पत्र से कर लिया गया है। मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं नामांकन*/उत्तराधिकार*प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां दावे के साथ प्रेषित हैं।

3—उक्त दावे का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा है। इससे पूर्व मृतक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

4—मैं यह भी आश्वस्त करता हूं कि भुगतान प्राप्त होने पर लाभग्राही से रसीदी स्टैम्पस भुगतान की धनराशि की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लूंगा और इसकी सूचना सामूहिक बीमा निदेशालय को रसीद प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर प्रेषित कर दूंगा।

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

हस्ताक्षरकर्त्ता का पदनाम

स्थान

कार्यालय की मोहर

**गवाह के हस्ताक्षर

गवाह का नाम

गवाह का पदनाम

(**गवाह के स्थान पर कार्यालय के उस अधिकारी के हस्ताक्षर करायें जिसने इस फार्म को भरा हो)
(*जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

दिनांक

संख्या

संयुक्त निदेशक, उ० प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय लखनऊ को प्रेषित करते हुए मैं पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूं कि उल्लिखित कथन पूर्णरूपेण सही है।

रु० बीमा धन व अन्तिम लाभ के रूप में रु० का दावा ग्राह्य है।

पुलिस महानिरीक्षक

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद

कार्यालय मोहर

जी० आई० एस० फार्म संख्या—23

स्तम्भ बीमा निदेशालय द्वारा भरे जायें (द्वितीय पृष्ठ)

अधिकारी का नाम	माह और वर्ष		अभिदान की संख्या	बीमा धनराशि	बचत निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित	योग	टिप्पणी
	प्रवेश का	निकालने का					
1	2	3	4	5	6	7	8

हम एतद्द्वारा शासन से रु० (रु०) की धनराशि जो बीमा धनराशि और डिपाजिट (बचत) योजना के अन्तर्गत देय मांग हुई, पूर्ण संतोष सहित दावों के उक्त विवरण अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी के

हस्ताक्षर...

हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम.................................

हस्ताक्षरकर्त्ता का पदनाम..............................

कार्यालय की मोहर

शासनादेश संख्या बीमा–2627/दस–87-83, दिनांक 29-10-84 से आच्छादित पुलिस विभाग के समूह 'ख' के अधिकारियों द्वारा दिये गये विकल्प प्रपत्र का प्रारूप

विकल्प पत्र का प्रारूप

(समूह 'ख' के उन अधिकारियों के लिये जो 1-3-1985 से सामूहिक बीमा योजना अपनाना चाहते हैं।)

मैं————————————————वित्त (बीमा) अनुभाग के शासनादेश संख्या 2627/दस-87-83, दिनांक 29-10-1984 द्वारा पुलिस के समूह 'ख' के अधिकारियों के लिये 1-3-1985 से संशोधित बीमा योजना एवं बचत योजना को अपनाना चाहता हूं।

मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं कि यह विकल्प अन्तिम और अपरिवर्तनीय है।

अधिकारी के हस्ताक्षर..........................

अधिकारी का नाम..........................

अधिकारी का पदनाम..........................

मोहर..........................

शासनादेश संख्या बीमा-2627/दस–87-83, दिनांक 29-10-1984 से आच्छादित पुलिस विभाग के समूह 'ख' के अधिकारियों द्वारा दिये गये विकल्प प्रपत्र का प्रारूप।

विकल्प पत्र का प्रारूप

(पुलिस विभाग के समूह 'ख' के उन अधिकारियों के लिये जिन्होंने दिनांक 1-3-1985 से लागू की जाने वाली सामूहिक बीमा एवं बचत योजना नहीं अपनाया है।)

मैं————————————————वित्त (बीमा अनुभाग के शासनादेश संख्या बीमा–2627/दस-87-83, दिनांक 29-10-1984 द्वारा पुलिस राजपत्रित अधिकारी के लिये लागू वर्तमान सामूहिक बीमा योजना में बना रहना चाहता हूं, जिसके अनुसार सेवारत मृत्यु की स्थिति में रु० 50,000 का इश्योरेंस कवर बना रहेगा।

मैं यह स्पष्ट रूप से समझता हूं कि यह विकल्प अन्तिम और अपरिवर्तनीय है।

अधिकारी के हस्ताक्षर..........................

अधिकारी का नाम..........................

अधिकारी का पदनाम..........................

मोहर..........................

प्र–54

आवेदन/अग्रसारण पत्र का प्रारूप

सरकारी सेवा के दौरान बीमारी तथा दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी रूप से अपंग सरकारी सेवकों को 'उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड' से सहायता प्राप्त करने के लिए दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का प्रारूप।

आवेदन-पत्र

सेवा में,

अध्यक्ष,
प्रबन्ध समिति,
'उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड'

द्वारा

श्री.................................
....
....

महोदय, दिनांक..............................

(बीमारी तथा दुर्घटना का विवरण)

निवेदन है कि मैं/*श्री...के फलस्वरूप स्थायी रूप से अपंग हो *गया हूँ/गये हैं और मेडिकल बोर्ड द्वारा उत्पन्न अपंगता के कारण सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त कर दिया गया हूँ/गये हैं। *फलस्वरूप मुझे/उन्हें दिनांक.......................से * सरकारी सेवा से हटा दिया गया है/समय पूर्व सेवा निवृत्त कर दिया गया है। *सेवा समाप्ति/*समय पूर्व सेवानिवृत्ति के कारण मेरे/उनके ऊपर आश्रित परिवार के सदस्यों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। *मेरे/उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की सूची व विवरण तथा अन्य विवरण निम्नवत् हैं:—

1—*सरकारी सेवा समाप्ति–समय पूर्व सेवानिवृत्ति के दिनांक को सेवक के परिवार के आश्रित सदस्यों की सूची व विवरण:—

क्रम संख्या	आश्रित सदस्य का नाम	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	आयु	विवाहित/अविवाहित
1	2	3	4	5

2—चल तथा अचल सम्पत्ति से आय तथा आय के अन्य स्रोत ....

3—अन्य विवरण यदि कोई देना चाहे ....

आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त विवरण के आधार पर *मुझे/उन्हें 'उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड' से रु०......................................की सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी
*नामिती/निकट सम्बन्धी/
*सरकारी सेवक के हस्ताक्षर,
वास्ते अपंग सरकारी सेवक का नाम
सेवा से हटने के पूर्व का
पदनाम तथा कार्यालय का नाम

*नोट:—जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।

प्र–55

उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड से सहायता प्राप्त करने के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र को विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग द्वारा फण्ड के संयोजक को अग्रसारित किये जाने वाले अग्रसारण पत्र का प्रारूप ।

प्रेषक,

....

....

....

सेवा में,

संयोजक,

उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड

संख्या............................ दिनांक.............................

विषय—उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड से सहायता प्राप्ति हेतु श्री.............................के प्रार्थना पत्र का अग्रसारण ।

महोदय,

मैं 'उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड' सहायता हेतु श्री.......................................भूतपूर्व पदनाम........ ....कार्यालय का नाम..का प्रार्थना पत्र इस पत्र के साथ संलग्न करके अग्रसारित कर रहा हूँ । इसके विषय में निम्न विवरण भी दे रहा हूँ :—

1–सरकारी सेवक के पिता/पति का नाम

2–जन्म तिथि

3–सरकारी सेवा में प्रवेश का दिनांक

4–अधिवयता आयु प्राप्त करने का दिनांक

5–सरकारी सेवा समाप्ति/समय पूर्व सेवानिवृत्ति का दिनांक

6–मेडिकल बोर्ड द्वारा सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित किये जाने का दिनांक

7–सरकारी सेवा समप्ति/समय पूर्व सेवानिवृति के दिनांक को सरकारी सेवक के परिवार के आश्रित सदस्यों की सूची व विवरण :—

क्रम संख्या	आश्रित सदस्य का नाम	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	आयु	विवाहित/ अविवाहित
1	2	3	4	5

रा०–56

5–सम्बन्धित राजाज्ञाएं

संख्या–बीमा-911/दस-81

प्रेषक,

श्री शिवशंकर लाल भटनागर,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 1981

वित्त (बीमा) अनुभाग

विषय :—राज्य कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा एवं बचत योजना ।

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग के शासनादेश संख्या–बीमा-1/दस-2-80, दिनांक 19 फरवरी, 1980 के प्रस्तर-2 का आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा निवृत्त होने अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने पर बचत खाते में जमा धनराशि की वापसी की प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सेवा निवृत्त होने पर तथा सेवा से अन्यथा पृथक होने पर, **केवल त्यागपत्र देकर सेवा से पृथक होने वाले मामले को छोड़कर,** सरकारी सेवक को बचत खाते में जमा धनराशि छः प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस की जायेगी जो कम से कम उतनी धनराशि अवश्य होगी जो उससे उसकी सेवा अवधि में उसके वेतन से काटी गई हो । त्यागपत्र देकर सेवा से पृथक होने की दशा में सम्बन्धित सरकारी सेवक को केवल बचत खाते में जमा धनराशि छः प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस की जायेगी । यह निर्णय 1 मार्च, 1980 से ही प्रभावी रहेगा ।

2—मुझे यह भी कहना है कि बचत खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की संगणना के सरलीकरण के उद्देश्य से यह निर्णय भी लिया गया है कि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से ब्याज की धनराशि की संगणना पूरे मास के आधार पर की जायेगी, क्योंकि सरकारी सेवक द्वारा उसकी सेवा के अन्तिम मास के लिए पूरा अभिदान जमा कराया जाता है और बचत खाते से पूरी धनराशि की वापिसी भी की जाती है ।

भवदीय
शिवशंकर लाल भटनागर
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या–बीमा-2545/दस-54-1981

प्रेषक,

श्री वेद प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त
विभागाध्यक्ष तथा अन्य समस्त
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 1983

वित्त (बीमा) अनुभाग

विषय :—राज्य कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा एवं बचत योजना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–बीमा-1316/दस-16-80, दिनांक 21 अक्टूबर, 1981 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-13 में यह कहा गया है कि समस्त कार्यालयों द्वारा अपने कार्यालय में इस आशय का एक लेजर या रजिस्टर रखना होगा जिसमें प्रत्येक मास प्रत्येक कर्मचारी से की गई कटौती का विवरण अंकित किया जावेगा । यह भी कहा गया है कि सम्बन्धित कर्मचारी के उस कार्यालय से स्थानान्तरण होने पर इसी रजिस्टर से उसके अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि उसके वेतन से निर्धारित रूप से उसके स्थानान्तरण तक प्राप्त किये गये वेतन से कटौती की गयी है । प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख किये जाने की दशा में समुचित ध्यान रखेंगे ।

2—उसी शासनादेश के प्रस्तर-7 में यह व्यवस्था रखी गयी है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों से की गयी मासिक कटौती अधिष्ठान बिलों के माध्यम से की जायेगी और इसके लिए प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक वेतन बिल में इस आशय का प्रमाण-पत्र देगा कि वेतन बिल में दिखाये गये अल्पकालीन रिक्तियों में नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर शेष समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित कटौतियाँ कर ली गयी हैं और कटौती की कुल धनराशि वेतन बिल के प्रथम पृष्ठ पर सामूहिक बीमा योजना की कटौती के रूप में दिखा दी गई है । इसके अलावा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 में यह व्यवस्था की गयी है कि अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अथवा सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, यह उल्लेख किया जायेगा कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी ने अमुक दिनांक से अपना मासिक अभिदान निर्धारित दर से दिया है ।

3—सम्पूर्ण स्थिति पर विचार करने के उपरांत यह पाया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 तथा 8 में उल्लिखित व्यवस्था के रहते हुए प्रस्तर-13 में अंकित व्यवस्था को कार्यान्वित करने से कोई तथ्यपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा वरन् कार्य में अनावश्यक रूप से वृद्धि होगी। अतएव शासन ने यह निर्णय लिया है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-13 को अब निरस्त समझा जाय।

4—इस उद्देश्य से कि कर्मचारी द्वारा दिये गये अभिदान की आसानी से गणना की जा सके, शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में बीमा योजना सम्बन्धी आवश्यक विवरण संलग्न रूप-पत्र में रखा जाय। ऐसा करने से कटौती सुनिश्चित करने में जो अनावश्यक विलम्ब होता है उसे कम किया जा सकेगा।

5—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के विषय में संलग्न रूप-पत्र पर कर्मचारी का पैतृक विभाग, जहाँ से वह बाह्य सेवा पर भेजा गया हो, बाह्य सेवा अवधि की नियमित कटौती सम्बन्धी प्रविष्टि को सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे और इस प्रयोजन के लिये वे बाह्य सेवा योजक से आवश्यक विवरण प्राप्त करेंगे। अनुरोध है कि इस बारे में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
वेद प्रकाश
विशेष सचिव।

रा०–58

संख्या–बीमा–2337/दस–83–2/1980

प्रेषक,

श्री जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष
तथा अन्य समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊ, दिनांक 28 नवम्बर, 1983

वित्त (बीमा) अनुभाग

विषय—सेवारत कर्मचारियों के दावों के निस्तारण की प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय,

सरकारी सेवकों के लिए लागू सामूहिक बीमा योजना विषयक शासनादेश संख्या-बीमा-1316/दस-16-80, दिनांक 21 अक्तूबर, 1981 में सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों/सेवारत मृत राज्य कर्मचारियों के दावों के निस्तारण करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

2—शासन के सम्मुख यह तथ्य लाया गया है कि कुछ मामलों में सेवारत मृत्यु हो जाने पर दावों के निस्तारण में विलम्ब होता है, जिसके फलस्वरूप उनके लाभग्राहियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचारोपरान्त शासन ने सेवारत मृत्यु राज्य कर्मचारियों के दावों के निस्तारण की ऊपर संदर्भित 21 अक्तूबर, 1981 के शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित प्रक्रिया 1 अप्रैल, 1984 से लागू होगी।

3—संशोधित प्रक्रिया के अनुसार मृत कर्मचारियों के दावे नवीन प्रपत्र-1-अ पर मृत कर्मचारियों के कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रविष्टियों के भरने के उपरान्त उ० प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रपत्र-1-अ के द्वितीय पृष्ठ की सभी प्रविष्टियां बीमा निदेशालय द्वारा भरी जायेंगी, परन्तु इस प्रपत्र पर कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम व कार्यालय की मोहर, दावा प्रेषण करते समय ही पूर्ण करके प्रस्तुत किये जायेंगे। यह प्रपत्र सम्बन्धित कार्यालय के विशेष वाहक द्वारा निदेशालय को कर्मचारी की मृत्यु के तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रपत्र-1-अ तीन प्रतियों में भरकर बीमा निदेशालय को भेजा जायेगा और इस प्रपत्र की एक प्रति बीमा निदेशालय द्वारा यथावत् अपने रिकार्ड के लिए रखी जायेगी और शेष दो प्रतियां सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को बीमा निदेशालय द्वारा जारी किये गये चेक के साथ संलग्न करके लौटायी जायेंगी। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष प्रपत्र-1-अ की एक प्रति अपने कार्यालय में रखेगा और दूसरी प्रति अपने चेक के साथ, जो लाभग्राही के नाम जारी होगी, सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी को भेजेगा। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी इस चेक की लाभग्राही को भुगतान करने के साथ निर्धारित प्रपत्र संख्या—4 में रसीदी टिकट लगवाकर भुगतान की रसीद प्राप्त करेगा और इसे अपने कार्यालय में रखेगा तथा इसकी सूचना बीमा निदेशालय को तुरन्त ही उपलब्ध करायेगा।

4—1 अप्रैल, 1984 के पूर्व मृत राज्य कर्मचारियों के दावे यदि पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भी प्राप्त होते हैं, तो उनका निस्तारण ऊपर संदर्भित 21 अक्तूबर, 1981 के शासनादेश में निर्गत आदेशों के अनुसार किया जायगा।

5—मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इन आदेशों से सर्व सम्बन्धित को शीघ्र अवगत करा दिया जाय, ताकि ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावों के निस्तारण में विलम्ब न हो।

भवदीय,
जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

रा०–59

संख्या–बीमा-2627/दस–87/83

प्रेषक,

डा० जे० पी० सिंह,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कोषाधिकारी तथा अन्य
समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

लखनऊ, दिनांक 29 अक्टूबर, 1984

वित्त (बीमा) अनुभाग

विषय—दिनांक 1-3-1985 से राज्य सरकार द्वारा स्वयं संचालित सामूहिक बीमा योजना एवं बचत योजना में संशोधन ।

महोदय,

प्रदेश सरकार के अधीन सरकारी सेवकों के लिए दिनांक 1-3-1980 से वित्त विभाग द्वारा सामूहिक बीमा योजना चलायी जा रही है। भारत सरकार ने भी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये दिनांक 1-1-1982 से केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना लागू की है। राज्य सरकार के समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों का इन्श्योरेन्स कवर भारत सरकार के समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों से अधिक है परन्तु राज्य सरकार के समूह 'क' व 'ख' के अधिकारियों का इन्श्योरेन्स कवर केन्द्र सरकार के समूह 'क' व 'ख' के अधिकारियों से कम है। प्रदेश के अधिकारी सेवा संघ कुछ समय से यह मांग कर रहे थे कि समूह 'क' व 'ख' के अधिकारियों का इन्श्योरेन्स कवर केन्द्र सरकार की योजना की भाँति केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' व 'ख' के अधिकारियों के कवर के बराबर कर दिया जाय। इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब राज्य सरकार के समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों का इन्श्योरेन्स कवर केन्द्र सरकार के समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों से अधिक है तो उस स्थिति में राज्य सरकार के समूह 'क' व 'ख' के अधिकारियों का इन्श्योरेन्स कवर केन्द्र सरकार के समूह 'क' व 'ख' के अधिकारियों के बराबर कर दिया जाना अब अनुपयुक्त न होगा। अतः यह निर्णय लिया गया कि 1 मार्च, 1985 से राज्य सरकार के समूह 'क' व 'ख' के अधिकारियों के लिये भारत सरकार की केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना के अनुरूप ही सामूहिक बीमा योजना संचालित की जाय। इस संशोधित योजना के अन्तर्गत समूह 'क' व 'ख' के अधिकारियों का मासिक अभिदान 1 मार्च, 1985 से रु० 20 से बढ़कर क्रमशः रु० 80 तथा रु० 40 प्रतिमाह हो जायेगा। रुपये 80 में से रुपया 55 'बचत निधि' में तथा रुपये 25 'बीमा निधि' में जमा किये जायेंगे। इसी प्रकार रुपये 40 प्रतिमाह के अभिदान में रुपये 27.50 'बचत निधि' में तथा रुपये 12.50 'बीमा निधि' में जमा होंगे। 'बचत निधि' में जमा धनराशि पर 11 प्रतिशत की दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जायगा और

'बीमा निधि' में जमा धनराशि में उसी दर से ब्याज दिया जायगा जिस दर से पोस्ट आफिस द्वारा सेविंग बैंक डिपाजिट पर दिया जाता है। शासन द्वारा इन अधिकारियों के अभिदानों पर किसी प्रकार का शासकीय अंशदान देय नहीं होगा। सेवारत मृत्यु की स्थिति में समूह 'क' के अधिकारियों के लाभार्थियों को रुपये 80 हजार तथा समूह 'ख' के लाभार्थियों को रुपये 40 हजार की धनराशि देय होगी, जिसका भुगतान 'बीमा निधि' से किया जायेगा। इसके साथ ही मृत अधिकारियों की 'बचत निधि' में जमा धनराशि ब्याज सहित वापस की जायेगी। सेवानिवृत्ति अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले अधिकारियों के मामलों में केवल उनको 'बचत निधि' में जमा धनराशि ब्याज सहित वापस की जायेगी।

2—समूह 'क' व 'ख' के समस्त अधिकारियों को वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–सा–3-2105|दस-14/77–नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर नामांकन भर करके तथा अपने कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराके एक प्रति बीमा निदेशालय को प्रेषित करनी होगी, जहाँ पर उन्हें सुरक्षित रक्खा जायेगा। साथ ही अधिकारी की सेवा पुस्तिका में नामांकन पत्र की एक प्रति रखकर तदनुसार प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

3—सेवारत मृत्यु हो जाने पर नामांकन न भरने की स्थिति में दावों का भुगतान सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्रों के आधार पर ही किया जायेगा। सेवारत मृत अधिकारियों के दावों के प्रेषण के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र अवश्य लगा होना चाहिये।

4—चूंकि उक्त संशोधित योजना 1 मार्च, 1985 से लागू की जायेगी, अतः इस योजना के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों की 28-2-1985 तक 'बचत निधि' में जो धनराशि जमा रहेगी उस पर वर्तमान दर से 6 प्रतिशत के अनुसार ही वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहेगा और इसकी वापसी शासन के वर्तमान नियमों के अनुसार ही की जायेगी।

5—यदि समूह 'ग' का कोई कर्मचारी समूह 'ख' तथा समूह 'ख' का कर्मचारी समूह 'क' में 1 मार्च, 1985 के पश्चात् पदोन्नत होती है तो उस पर पदोन्नत समूह के अभिदान की दर तथा इन्श्योरेंस कवर अगली 1 मार्च से लागू होंगी और तब तक पदोन्नति के पूर्व की आच्छादित दर व इन्श्योरेन्स कवर लागू होगी। अधिकारी को नियमित रूप से प्रत्येक माह अभिदान देना होगा और यदि किसी कारणवश अभिदान देने में देरी हो जाती है तो अभिदान 11 प्रतिशत चक्रवृद्धि की दर से ब्याज सहित लिया जायेगा। बकाया अभिदान अधिक से अधिक तीन किश्तों में वसूला जा सकता है।

6—उपर्युक्त योजना उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय बन सेवा के उन अधिकारियों पर भी लागू होगी जिन्होंने अखिल भारतीय ग्रुप बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण नहीं की है और प्रदेश सरकार की योजना का विकल्प बनाये रक्खा है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी समूह 'क' में आयेंगे। राज्य सरकार के 1 मार्च, 1985 से पूर्व कार्यरत पुलिस विभाग के समूह 'ख' के अधिकारियों को छोड़कर शेष समस्त समूह 'क' व 'ख' के अधिकारियों पर यह योजना लागू होगी। पुलिस विभाग के समूह 'ख' के अधिकारियों को वर्तमान में रु० 40 का प्रतिमाह अभिदान लेकर रु० 50,000 का इन्श्योरेन्स कवर प्राप्त है। अतः 1 मार्च, 1985 के पूर्व कार्यरत पुलिस विभाग के समूह 'ख' के अधिकारियों के लिये यह विकल्प होगा कि वे चाहें तो विकल्प देकर 1 मार्च, 1985 से लागू की जाने वाली उपर्युक्त योजना

को अपना सकते हैं परन्तु यदि वह इसे अपनाते हैं तो उनका इन्श्योरेन्स कवर जो वर्तमान में रु० 50,000 है, से घटकर रु० 40,000 हो जायेगा। इस शासनादेश द्वारा संशोधित योजना को अपनाने वाले पुलिस विभाग के समूह 'ख' के अधिकारियों को शासनादेश के साथ संलग्न विकल्प पत्र पर अपना विकल्प देना होगा। संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित अधिकारियों का विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अन्दर (जारी होने को तिथि को सम्मिलित करते हुए) उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को सीधे प्राप्त हो जाना चाहिए तथा इस विकल्प की एक प्रति पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी भेजी जानी चाहिये। यदि यह विकल्प पत्र निर्धारित अवधि के अन्दर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को प्राप्त नहीं होता है तो यह समझ लिया जायेगा कि संबंधित अधिकारी ने योजना के वर्तमान स्वरूप को ही अपनाये रक्खा है।

7—राज्य सरकार के समूह 'क' में वह अधिकारीगण आयेंगे, जिनके वेतनमानों का अधिकतम प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त स्वीकृत वेतनमानों में रुपये 1,200 से अधिक तथा द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 1,720 से अधिक है। समूह 'क' में आने वाले अधिकारियों को छोड़कर शेष राज्य सरकार के सभी अधिकारी समूह 'ख' में आयेंगे।

8—पुलिस विभाग को छोड़कर शेष विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के दावे संलग्न जी०आई०एस० फार्म संख्या 20 तथा 21 पर राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे। जी०आई०एस० फार्म संख्या–20 की रसीदी टिकट लगी एक प्रति तथा जी०आई०एस फार्म संख्या–21 की तीन प्रतियों में दावे सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे। जी०आई०एस० फार्म संख्या–21 के द्वितीय पृष्ठ के सभी स्तम्भ सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा भरे जायेंगे परन्तु इस प्रपत्र पर कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अंकित होने चाहिये। इसी प्रकार पुलिस विभाग के अधिकारियों को छोड़कर शेष विभागों के सेवारत मृत अधिकारियों के दावे जी०आई०एस० फार्म संख्या–22 पर तीन प्रतियों में बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे। जी०आई०एस० फार्म संख्या–22 के द्वितीय पृष्ठ के सभी स्तम्भ राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा भरे जायेंगे परन्तु इस प्रपत्र पर कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम व कार्यालय की मोहर अंकित होनी चाहिये।

पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त एवं सेवारत मृत अधिकारियों के दावे जी०आई०एस० फार्म संख्या–23 पर तीन प्रतियों में बीमा निदेशालय को पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे। जी०आई०एस० फार्म संख्या–23 के द्वितीय पृष्ठ के सभी स्तम्भ सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा भरे जायेंगे, परन्तु इस प्रपत्र पर भी कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर, हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम तथा कार्यालय की मोहर अंकित होनी चाहिये।

9—यह पुनः स्पष्ट करना है कि इस योजना से आच्छादित अधिकारियों की प्राप्तियों को लेखा शीर्षक—
"811–बीमा तथा पेंशन निधियाँ—
उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना—
(क) बीमा निधि—
(I) पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि।
(II) पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि।

(ख) बचत निधि—

(I) पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि ।

(II) पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि ।"

के प्राप्ति पक्ष में जमा किया जायेगा । इस योजना के लागू होने के फलस्वरूप केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना के सदस्यों तथा राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों का अभिदान अब समान रूप से रु० 80 हो गया है । अतः इस बात की सम्भावना बढ़ गयी है कि केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना से आच्छादित अधिकारियों तथा राज्य सरकार की उपर्युक्त योजना से आच्छादित अधिकारियों की कटौतियां गलत लेखा शीर्षक में वर्गीकृत हो जायें । अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना के सदस्य हैं या भविष्य में होंगे उनकी कटौतियां लेखा शीर्षक "858—उचन्त लेखे—अखिल भारतीय सेवा अधिकारी ग्रुप बीमा योजना अभिदान" के अन्तर्गत जमा की जायेगी । अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि कटौतियों का गलत वर्गीकरण न हो ।

10—इस शासनादेश के आदेशों और प्राविधानों की सीमा तक राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में निर्गत समस्त शासनादेशों के प्राविधान और आदेश अतिक्रमित माने जायेंगे ।

11—यह भी अनुरोध है कि इन आदेशों को अपने अधीनस्थ सर्वसंबंधित को अवगत करा दें ।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार -

(जी०आई०एस० फार्म संख्या–20, 21, 22, 23
तथा विकल्प पत्र का प्रारूप)

भवदीय,
जे० पी० सिंह
वित्त सचिव ।

रा–60

सं०—बीमा–2437/दस–84–5/84

प्रेषक,

श्री गिरिजा सिंह,
उप सचिव,
उ० प्र० शासन ।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
उ० प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
32, पी० सी० एफ० बिल्डिंग, स्टेशन रोड, लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 14 मई, 1985

वित्त (बीमा) अनुभाग

विषय—सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत त्रुटिवश की गई कटौती की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में संशोधित प्रक्रिया ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके पत्र संख्या बीमा 11138/11/84, दिनांक 23-7-84 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश सं० सा–3-2447/दस-14(1)/79, दिनांक

25-2-80, जिसकी प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को पृष्ठांकन सं० 3/दस-5/80, दिनांक 11-4-80 द्वारा प्रेषित की गई, के अन्तर्गत निहित प्रक्रिया के अनुसार त्रुटिवश काटी गई धनराशि की वापसी का प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा अपने प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया जाता है और सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अपने वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग के परामर्श से त्रुटिवश काटी गई समस्त धनराशि की वापसी का आदेश जारी करते हैं जिन पर सम्बन्धित कार्यालय कोषागार से धनराशि आहरित करके सम्बन्धित कर्मचारी को भुगतान करते हैं। इस मामले में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बीमा अभिदान की त्रुटिवश काटी गई धनराशि की वापसी की प्रक्रिया वही होनी चाहिए जो सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने अथवा सेवानिवृत्ति पर बीमा दावे के भुगतान के सम्बन्ध में होती है। त्रुटिवश कटौती के सम्बन्ध में भी विभागाध्यक्ष को सीधे बीमा निदेशालय को लिखा जाना चाहिए और बीमा निदेशालय द्वारा कटौती की धनराशि की चेक विभागाध्यक्ष को भेजी जानी चाहिए।

2—ऐसी त्रुटिवश कटौती की वापसी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर बीमा निदेशालय द्वारा अन्य दावों के निस्तारण की भाँति त्रुटिवश काटी गई धनराशि की वापसी का चेक सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के नाम प्रेषित किया जायेगा। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उक्त चेक प्राप्त होने पर एकाउन्ट पेयी चेकों द्वारा संबन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके अन्तिम नियुक्ति के कार्यालय के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा। इस भुगतान की रसीद जी० आई० एस० प्रपत्र संख्या 4 (प्राप्ति रसीद) पर ही ले ली जायेगी। विभागाध्यक्ष बीमा निदेशालय को भेजे गए कटौती की वापसी के प्रस्तावों में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा कि त्रुटिवश की गई कटौती किस अवधि से सम्बन्धित है तथा साथ ही उसमें 'बचत निधि' एवं 'बीमा निधि' की धनराशि अलग-अलग दर्शायी जायेगी क्योंकि त्रुटिवश काटी गई धनराशि को 'बीमा निधि' एवं 'बचत निधि' दोनों से वापस किया जाना होगा। इस धनराशि का भुगतान योजना के दावों का भुगतान के निम्नांकित लोक लेखा शीर्षक के संवितरण पक्ष से किया जायगा—

(1) "811-बीमा-तथा पेंशन निधियां—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना—

(क) बीमा निधि—

(1) पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से सम्बन्धित बीमा राशि का भुगतान

(ख) बचत निधि—

(1) पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों में से सेवानिवृत्त या मृत व्यक्तियों से सम्बन्धित बचत राशि का भुगतान।"

(1) "811-बीमा-तथा पेंशन निधियां—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना—

(क) बीमा निधि—

(II) पुलिस विभाग के मृत कर्मचारी से सम्बन्धित बीमा राशि का भुगतान।

(ख) बचत निधि—

(II) पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों से संबन्धित बचत राशि का भुगतान"

भवदीय,
गिरिजा सिंह,
उप सचिव

रा—61

सं० बीमा–2825/दस–85–5/1980

प्रेषक

श्री हर गोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 25 सितम्बर, 1985

वित्त (बीमा) अनुभाग

विषय—राज्य सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत त्रुटिवश की गई कटौती की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में संशोधित प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या बीमा-2437/दस-84-5/84, दिनांक 14 मई, 1985 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत की गई त्रुटिवश कटौती की धनराशि के भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत किये जाने में एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार की धनराशि के भुगतान हेतु दावे विभागाध्यक्षों द्वारा संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को संलग्न जी० आई० एस० प्रपत्र संख्या 24 में प्रस्तुत किये जायें। इन आदेशों का अनुपालन कृपया सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : जी० आई० एस० प्रपत्र सं० 24

भवदीय,
हर गोविन्द डबराल
विशेष सचिव।

संख्या बीमा–2949/दस-85/87-83

प्रेषक,

श्री हर गोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कोषाधिकारी तथा अन्य
समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

लखनऊ, दिनांक 4 अक्टूबर, 1985

वित्त (बीमा) अनुभाग

विषय :–1-3-85 से राज्य सरकार द्वारा स्वयं संचालित सामूहिक बीमा योजना एवं बचत योजना में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या बीमा–2627/दस–87/83, दिनांक 29-10-1984 के प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के पैरा 2, 3 तथा 7 के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दु उठाये गये हैं और उन पर शासन से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है । उक्त बिन्दुओं पर पूर्ण रूप से विचारोपरान्त शासनादेश के उक्त पैराग्राफों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत स्पष्ट की जाती है :—

पैरा 2—इस पैरा में समूह 'क' व 'ख' के समस्त अधिकारियों को वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश सं० सा० 2105/दस–14/77–नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर नामांकन भरने को निर्देशित किया गया है । यह बिन्दु उठाया गया है कि जिन अधिकारियों ने पूर्व में ही अपना नामांकन निर्धारित प्रपत्र में भर रखा है क्या उन्हें भी पुनः नामांकन भरना होगा । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि समूह 'क' व 'ख' के ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने उक्त शासनादेश दिनांक 29-10-84 के लागू होने से पूर्व ही निर्धारित प्रपत्र में अपना नामांकन पत्र भर रखा है उन्हें तब तक दोबारा नामांकन पत्र भरने की आवश्यकता न होगी जब तक पूर्व में भरे गये नामांकन पत्र में उनके द्वारा कोई संशोधन किया जाना अपेक्षित न हो ।

पैरा 3—इस पैरा में यह व्यवस्था है कि सेवारत मृत्यु हो जाने पर नामांकन न भरने की दशा में दावों का भुगतान सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्रों के आधार पर ही किया जायगा । चूंकि सेवारत मृत्यु हो जाने पर नामांकन न भरने की दशा में बीमा की धनराशि का भुगतान मृतक के परिवार के सदस्यों को करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया शासनादेश सं० बीमा–2307/दस–85-36/81, दिनांक 4-6-85 के पैरा 3 (ग) व पैरा 3 (घ) में निर्धारित कर दी गयी है अतः शासनादेश दिनांक 29-10-84 का पैरा 3 उक्त सीमा तक अतिक्रमित/संशोधित समझा जायगा ।

पैरा 7—इस पैरा में कहा गया है कि राज्य सरकार के समूह 'क' में वे अधिकारी आयेंगे जिनके वेतनमानों का अधिकतम प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त स्वीकृत वेतनमानों में रु० 1200 से अधिक

तथा द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 1720 से अधिक है। समूह 'क' में आने वाले अधिकारियों को छोड़कर राज्य सरकार के शेष सभी अधिकारी समूह 'ख' में आयेंगे। इस प्रसंग में यह बिन्दु उठाया गया है कि ऐसे अधिकारी जिनका मौलिक वेतनमान रु० 1720 से अधिक नहीं है किन्तु उन्हें अपने पद पर रहते हुए सीनियर स्केल अथवा सेलेक्शन ग्रेड, जिसका वेतनमान रु० 1720 से अधिक है, दिया गया है, समूह 'ख' में माने जायेंगे अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य बीमा योजना के उद्देश्यों हेतु ऐसे समस्त अधिकारी जिनके वेतनमान का अधिकतम प्रथम/द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्रमश: रु० 1200 व रु० 1720 से अधिक है, चाहे वे सेलक्शन ग्रेड पा रहे हों या सीनियर स्केल, समूह 'क' के अन्तर्गत आयेंगे। उनसे भिन्न शेष समस्त अधिकारी समूह 'ख' के अन्तर्गत आयेंगे।

भवदीय,

हर गोबिन्द डबराल,
विशेष सचिव।

संख्या बीमा–3176/दस-85-94/83 **रा–63**

प्रेषक,

श्री हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष;
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 18 नवम्बर, 1985

वित्त (बीमा) अनुभाग

विषय:—सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि के भुगतान हेतु बैंक में खाता खोला जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की जानकारी में यह बात लाई गई है कि राज्य सरकार के कतिपय विभागाध्यक्षों द्वारा राज्य सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दावों के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या बीमा–1316/दस-16-80, दिनांक 21 अक्तूबर, 1981 के प्रस्तर 9 (च) में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन में स्टेट बैंक की शाखाओं में बचत खाते खोले गये हैं जिन पर ब्याज अर्जित हो रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि राज्य सामूहिक बीमे की धनराशि को बैंक के चालू खातों में ही जमा कराया जाना अपेक्षित है। अत: अनुरोध है कि जिन विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों द्वारा राज्य सामूहिक बीमे की धनराशि बैंक के बचत खातों में जमा की गई है उनको उक्त बचत खाते तात्कालिक प्रभाव से बन्द कर देने चाहिये और उनके स्थान पर अपने नाम से चालू खाते खोले जाने चाहिये।

2—मुझे यह भी कहना है कि बचत खातों में अब तक रखी गई धनराशि पर प्राप्त ब्याज को अगले आदेशों तक बचत खाते में ही रहने दिया जाय।

भवदीय,

हर गोबिन्द डबराल,
विशेष सचिव।

संख्या—बीमा–56/दस–86–36/1981

प्रेषक,

श्री हर गोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 10 जनवरी, 1986

वित्त (बीमा) अनुभाग

विषय :—सामूहिक बीमा योजना–लाभार्थी का नामांकन

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या सा–3–2105/दस–14–77–नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 तथा शासनादेश संख्या बीमा–2307/दस–85–36/81, दिनांक 4 जून, 1985 को अतिक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के निधन पर उनके संतप्त परिवारों को सामूहिक बीमा योजना की धनराशि भुगतान के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय :—

(i) इस योजना से आच्छादित समस्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों से एतद्द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लाभार्थी का नामांकन प्राप्त कर लिया जाय । इस योजना के प्रयोजन हेतु यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अवयस्क व्यक्ति को नामांकित करता है तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में उसे अवयस्क व्यक्ति के लिये संरक्षक नियुक्त करना होगा जिसका उल्लेख नामांकन पत्र के स्तम्भ–7 में किया जायेगा । किसी अवयस्क लाभार्थी के पक्ष में दावा अग्रसारित करते समय दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह दावे के अग्रसारण पत्र तथा दावा प्रपत्रों पर अवयस्क व्यक्ति के प्राकृतिक संरक्षक के जीवित होने के तथ्य तथा नाम का उल्लेख करें ।

(ii) अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त नामांकन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में चिपका दी जाय तथा दूसरी प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों की वैयक्तिक पत्रावली पर रख दी जाय, ताकि उसकी सेवारत मृत्यु होने पर देय सामूहिक बीमा की धनराशि अथवा सेवा निवृत्ति होने पर इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर देय धनराशि का भुगतान मृतक के लाभार्थी को आसानी से

किया जा सके । नामांकन प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस बात की सही रूप से जांच करने के उपरान्त ही नामांकन पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करें कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भरा गया नामांकन पत्र शासनादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण हो और उसमें कोई कमी या त्रुटि नहीं है ।

(iii) उक्त नामांकन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही इस शासनादेश के जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण कर ली जाय । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने शासनादेश संख्या सा-3-2105/दस-14-77-नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के अनुसार अपना नामांकन पत्र पहले ही भर रखा है उन्हें इस प्रस्तर के अनुसार पुनः नामांकन-पत्र भरने की आवश्यकता तब तक नहीं है, जब तक कि वे स्वयं पूर्व में भरे गये नामांकन-पत्र में कोई संशोधन न करना चाहें ।

(iv) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के अनुसार नामांकन पत्र भर रखा है और उक्त शासनादेश में वर्णित परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन के प्रतिबन्ध को नहीं माना है उसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकनों को परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन करने की बाध्यता को न मानने के बावजूद भी वैध माना जायेगा जिनकी मृत्यु 4-6-85 या उसके उपरान्त हुयी है । जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु 4-6-85 के पूर्व हो गयी है उनके नामांकन पत्रों में भी यदि परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन नहीं किया गया है तो उन्हें इस प्रतिबन्ध के साथ वैध माना जायेगा कि भुगतान करने के दिन तक किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चल रहा है । यदि किसी न्यायालय में वाद चल रहा है तो ऐसे मामलों में दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे न्यायालय में किसी प्रकार के वाद चलने की सूचना बीमा निदेशालय को दावा भेजते समय दावे के अग्रसारण पत्र तथा समस्त दावा प्रपत्रों पर करें । यदि वे ऐसा उल्लेख नहीं करते हैं अथवा दावा भेजने के उपरान्त भी इस सम्बन्ध में कोई सूचना बीमा निदेशालय को प्राप्त नहीं होती है तो बीमा निदेशालय द्वारा यह प्रकल्पित करते हुये कि कोई वाद नहीं चल रहा है, दावे के निस्तारण की कार्यवाही परिवार के नामांकित व्यक्ति के पक्ष में कर दी जायेगी । बीमा निदेशालय अथवा विभागाध्यक्ष से चेक प्राप्त हो जाने पर भी यदि किसी न्यायालय में किसी वाद के चलने की सूचना प्राप्त होती है तो भी लाभार्थी का भुगतान रोक लिया जायेगा । यदि लाभार्थी को भुगतान करने के उपरान्त कोई वाद उत्पन्न होगा तो उसका उत्तरदायित्व शासन का नहीं होगा ।

(v) प्रतिनियुक्ति पर गये हुये अधिकारी के मामले में कार्यवाही उनके पैतृक विभाग द्वारा की जायेगी ।

(vi) भविष्य में सेवायोजित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके वेतन से प्राप्त होने वाली पहली कटौती के तुरन्त बाद नामांकन प्राप्त कर लिया जाय ।

(vii) राजपत्रित अधिकारियों जिनके सेवा अभिलेख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के यहां रखे जाते हैं, के नामांकन की एक प्रति विभागाध्यक्ष अथवा शासन के सम्बन्धित अनुभाग में जहां सम्बन्धित अधिकारी की वैयक्तिक पत्रावली का रख-रखाव होता हो, रखी जायेगी ।

2—इस योजना के उद्देश्य के लिये 'परिवार' में निम्नलिखित सदस्य माने जायेंगे—

(1) पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो),

(2) पुत्रगण,

(3) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियां, (सौतेले तथा दत्तक पुत्र पुत्रियां सहित),

(4) भाई (18 वर्ष की आयु से कम) तथा अविवाहित/विधवा बहन (सौतेले भाई व बहनों सहित),

(5) पिता तथा माता;

(6) विवाहित पुत्रियां (सौतेली पुत्रियों सहित); तथा

(7) पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व पुत्रियां।

परिवार की परिभाषा में जो क्रम ऊपर दिया गया है उसके अनुसार नामांकन करने की कोई बाध्यता नहीं है और यह ऐच्छिक है। प्रत्येक राजकीय अधिकारी/कर्मचारी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह अपने परिवार के सदस्यों में से किसी को अथवा उनमें से कुछ या सबको अपनी सामूहिक बीमा योजना की धनराशि प्राप्त करने हेतु लाभार्थी के रूप में नामांकित करें। यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी चाहे तो पूर्व नामांकन को रद्द करते हुये नया नामांकन कर सकता है।

2—(क) यदि प्रस्तर-2 में वर्णित परिवार में कोई सदस्य न हो तो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है।

3—सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत नामांकन उपलब्ध होने अथवा नामांकन के अभाव में सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान प्राधिकृत करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था अपनायी जायेगी :—

(क) निम्न अपवाद को छोड़कर नामांकन होने पर नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों को ही भुगतान किया जायेगा।

अपवाद :—

(1) यदि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के समय किसी विशेष परिस्थितियों में दो पत्नियां हैं तो नामांकित विधवा के साथ-साथ नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चों को भी भुगतान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नामांकित विधवा को सामूहिक बीमा योजना की देय धनराशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चों को भुगतान किया जायेगा। ऐसे मामलों में दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे बीमा निदेशालय को ऐसे दावे अग्रसारित करते समय अग्रसारण पत्र तथा समस्त दावा प्रपत्रों में इस बात का उल्लेख करें कि नामांकित विधवा के साथ-साथ नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चे कर्मचारी की मृत्यु तिथि को जीवित थे। यदि इस बात का उल्लेख दावा अग्रसारण अधिकारी द्वारा अग्रसारण पत्र तथा दावा प्रपत्रों पर नहीं किया जाता तो बीमा निदेशालय द्वारा यह प्रकल्पित कर लिया जायेगा कि नामांकित विधवा के अतिरिक्त नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चे नहीं हैं और इसके

फलस्वरूप यदि शासन को कोई हानि होती है तो दावा अग्रसारण अधिकारी ही इसके लिये उत्तरदायी होंगे ।

(2) यदि नामांकित लाभग्राही अवयस्क है तथा नामांकन प्रपत्र के स्तम्भ-7 में प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में मृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संरक्षक नियुक्त है तो नियुक्त संरक्षक को इस प्रतिबन्ध के साथ भुगतान किया जायेगा कि भुगतान की तिथि तक उक्त अवयस्क, लाभग्राही का कोई संरक्षक सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं नियुक्त किया गया है । यदि न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति कर दी जाती है तो भुगतान न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को किया जायगा । दावा अग्रसारण अधिकारी द्वारा भेजते समय यदि यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि अवयस्क का न्यायालय द्वारा गार्जियन नियुक्त है अथवा दावा भेजने के उपरान्त भी यदि न्यायालय द्वारा गार्जियन नियुक्त किये जाने की कोई सूचना बीमा निदेशालय को प्राप्त नहीं होती है तो बीमा निदेशालय द्वारा नामांकन पत्र के स्तम्भ-7 में नियुक्त संरक्षक को भुगतान कर दिया जायगा । बीमा निदेशालय अथवा विभागाध्यक्ष से चेक प्राप्त हो जाने के पश्चात यदि न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किये जाने की सूचना प्राप्त हो जाती है तो भुगतान न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को ही किया जायगा । यदि नामांकन प्रपत्र के स्तम्भ-7 में नियुक्त संरक्षक को भुगतान कर देने के उपरान्त न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को बीमा योजना का भुगतान न करने का उत्तरदायित्व शासन का नहीं होगा ।

(ख) प्रस्तर-2 में वर्णित परिवार के होने पर यदि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी परिवार के बाहर के सदस्य को नामांकित कर देता है तो उसका नामांकन अवैध माना जायेगा और उसके भुगतान के लिये प्रस्तर-3 (ग) में निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

(ग) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की नामांकन करने के पूर्व ही मृत्यु हो गयी हो तो सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उसके परिवार के सदस्यों को स्पष्टीकरण संख्या 1 से 5 के अधीन निम्नलिखित क्रम में होना चाहिए :—

(1) अधिकारी/कर्मचारी की पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो ।

(2) अवयस्क पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियां ।

(3) वयस्क पुत्र ।

(3) माता व पिता ।

(5) अवयस्क भाई तथा अविवाहित बहनें ।

(6) विवाहित पुत्रियां ।

(7) पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व अविवाहित पुत्रियां ।

स्पष्टीकरण

(1) न्यायालय के आदेशों को छोड़कर इस शासनादेश के प्राविधानों के विपरीत कोई दावा अनुमन्य नहीं होगा।

(2) सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु तिथि को दावा उत्पन्न होने की तिथि माना जायेगा। दावा उत्पन्न होने की तिथि को लाभार्थी का निर्धारण किया जायेगा तथा दावा उत्पन्न होने की तिथि को यह निर्धारित किया जायेगा कि भुगतान पाने वाला व्यक्ति नियमों के अनुसार भुगतान पाने का अधिकारी है अथवा नहीं।

(3) अवयस्क लाभार्थी की वयस्कता प्राप्त करने की आयु के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि इण्डियन मेजारिटी ऐक्ट, 1875 की धारा-5 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व न्यायालय द्वारा उसका कोई संरक्षक (सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्य हेतु संरक्षक को छोड़कर) नियुक्त अथवा घोषित किया जाता है तथा ऐसे अवयस्क जिसकी सम्पत्ति 'कोर्ट आफ वार्डस' की अधीक्षणता में है, को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वयस्क माना जायेगा। अन्य व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वयस्क होंगे। उपरोक्त स्थितियों में उक्त वयस्कता की आयु से कम आयु वाले व्यक्ति को अवयस्क ही माना जायेगा।

(4) इस शासनादेश के अन्तर्गत निर्धारित लाभार्थी को भुगतान प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर भुगतान उसके विधिक उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

(5) यदि लाभग्राही अवयस्क है तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में 'गार्जियन एण्ड वार्डस् ऐक्ट' के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा नियुक्त अवयस्क के संरक्षक को भुगतान किया जायेगा।

(6) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु नामांकन प्रपत्र भरे बिना ही हो जाये और उसके परिवार में कोई सदस्य न हो तो ऐसी स्थिति में सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

4—पुराने मामलों में जहाँ कर्मचारी/अधिकारी की सेवारत अवस्था में अथवा सेवानिवृत्ति के बाद सामूहिक बीमा योजना के अधीन देय धनराशि प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो गयी हो तथा नामांकन के अभाव में मामले का निपटारा न हो सका हो वहाँ भी पैरा-3(ग) तथा पैरा-3(घ), जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार मामले का निस्तारण किया जायेगा।

5—इस शासनादेश की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यदि किसी मृत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के लाभार्थी का निर्धारण सम्भव नहीं हो पायेगा तो उसके सम्बन्ध में लाभार्थी का निर्धारण करने हेतु शासन को निर्णय लेने का अधिकार होगा जो अन्तिम होगा।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार
नामांकन प्रपत्र का प्रारूप।

भवदीय,
हर गोविन्द डबराल
विशेष सचिव।

रा–65

संख्या बीमा–994/दस–86–18/1986

प्रेषक,

श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक : 30 अप्रैल, 1986

वित्त (बीमा) अनुभाग

विषय :—राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में देय शासकीय अंशदान को चालू वित्तीय वर्ष (1986-87) से समाप्त किया जाना।

महोदय,

मुझे सरकारी सेवकों पर दिनांक 1 मार्च, 1980 से लागू की गई राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के सम्बन्ध में जारी किये गये पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें शासन द्वारा निर्धारित दरों पर सरकारी सेवकों से लिये जाने वाले अभिदान तथा उसमें 'बीमा निधि' पर शासकीय अंशदान की दरें इंगित की गई थीं।

शासनादेश संख्या बीमा–1/दस-2-80, दिनांक 19 फरवरी, 1980
शासनादेश संख्या बीमा–13/दस–2–80, दिनांक 17 मार्च, 1980
शासनादेश संख्या बीमा–1316/दस–16–80, दिनांक 21 अक्तूबर, 1981
शासनादेश संख्या बीमा–2627/दस–87–83, दिनांक 29 अक्तूबर, 1984

2—इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 1986-87 से राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों से लिये जाने वाले अभिदान में 'बीमा निधि' पर शासन द्वारा कोई अभिदान नहीं दिया जायेगा।

भवदीय,
सतीश चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव।

रा–66

संख्या बीमा–329/1दस–56/1984

प्रेषक,

डा० जे०पी० सिंह,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा
अन्य समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊ : दिनांक 29 नवम्बर, 1984

वित्त (बीमा) अनुभाग

विषय :—'उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड' का गठन तथा उससे बीमारी एवं दुर्घटना के कारण स्थाई रूप से मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपंग सरकारी सेवकों की सहायता।

महोदय,

मैं आपका ध्यान शासनादेश संख्या बीमा–1316/दस-16/80, दिनांक 21-10-1981 के प्रस्तर-21 की ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा, जिसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के लाभ का 90 प्रतिशत अंश सरकारी सेवकों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर एक बेनीवोलेन्ट फण्ड गठित करके उपयोग किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन ने यह निर्णय लिया है कि इस फण्ड का तत्काल गठन किया जाए और इसका नाम—'उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड' रक्खा जाये।

2—उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज़ बेनीवोलेन्ट फण्ड के संचालन हेतु निम्न प्रबन्ध समिति का गठन करने का निर्णय भी शासन ने लिया है :—

(1) अध्यक्ष	—	मुख्य सचिव
(2) सदस्यगण	—	1—सचिव, वित्त विभाग। 2—सचिव, कार्मिक विभाग। 3—राज्य संयुक्त संगठन में राज्य कर्मचारी सेवा संघों के प्रतिनिधियों में से शासन के कार्मिक विभाग द्वारा नामित दो प्रतिनिधि।
(3) संयोजक	—	तुरन्त कार्य प्रारम्भ करने हेतु इस पद का कार्य संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी

		सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ द्वारा सम्पादित किया जाएगा। इस पद पर स्थायी व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति को निर्णय लेने का अधिकार होगा।
(4) कोषाध्यक्ष	—	संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।

3—इस फण्ड के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 'उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड' के नाम से एक सेविंग बैंक एकाउन्ट खोला जाएगा और इसमें सामूहिक बीमा योजना के लाभ का 90 प्रतिशत अंश स्थानान्तरित किया जाएगा। इस फण्ड में उपलब्ध धनराशि को किस प्रकार इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि यह धनराशि बढ़ सके, इस सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार प्रबन्ध समिति को होगा। बेनीवोलेन्ट फण्ड की धनराशि को व्यय करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध समिति को होगा।

4—राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये फण्ड के खाते को कोषाध्यक्ष आपरेट करेंगे और फण्ड से लाभार्थियों को समस्त भुगतान एकाउन्ट पेयी चेकों द्वारा ही किया जाएगा।

5—बेनीवोलेन्ट फण्ड से संचालित योजनाओं के स्वरूप के विषय में प्रबन्ध समिति द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिये जायेंगे।

6—उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड की नियमावली वित्त (बीमा) अनुभाग द्वारा तैयार करके प्रबन्ध समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के उपरान्त नियमावली को न्याय विभाग से विधीक्षित करा करके अन्तिम रूप से प्रख्यापित कर दिया जाएगा।

7—बीमारी या दुर्घटना के कारण स्थाई रूप से शारीरिक एवं मानसिक रूय से अपंग सरकारी सेवकों को इस फण्ड से सहायता दिये जाने का निर्णय भी शासन द्वारा लिया गया है। शासन के निर्णय के अनुसार बीमारी या दुर्घटना के फलस्वरूप उन मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपंग सरकारी सेवकों को सहायता दी जायेगी जो स्थाई रूप से अपंग हो गये हों और इस अपंगता के फलस्वरूप उन्हें सरकारी सेवा से हटना पड़ा हो।

8—बेनीवोलेन्ट फण्ड से सहायता के पात्र अपंग सरकारी सेवक को दी जाने वाली सहायता की धनराशि का निर्धारण फण्ड की प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा, परन्तु यह धनाशि किसी भी हालत में उस धनराशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी जो अपंग सरकारी सेवक की राज्य सरकार की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत सेवारत मृत्यु की स्थिति में इन्श्योरेंस कवर के रूप में देय होती। किसी भी सरकारी सेवक को इस योजना के अन्तर्गत बेनीवोलेन्ट फण्ड से दी जाने वाली सहायता की अधिकतम धनराशि की सीमा सरकारी सेवक की सेवारत मृत्यु की स्थिति में सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली इन्श्योरेंस कवर की धनराशि होगी।

9—बेनीवोलेन्ट फण्ड से सहायता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक को संलग्नक–1 के प्रारूप पर आवेदन पत्र अपने विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करना होगा। सरकारी सेवक के इस हद तक अक्षम हो जाने की स्थिति में, जिसमें वह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने योग्य न रह जाय, यह प्रार्थना पत्र उसके

सामूहिक बीमा योजना के नामिनी द्वारा प्रस्तुत किया जायगा। यदि नामांकन न भरा गया हो, तो प्रार्थना पत्र विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित उसके निकट सम्बन्धी द्वारा प्रस्तुत किया जायगा। विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र को संलग्नक-2 के निर्धारित अग्रसारण पत्र के प्रारूप पर सूचना देते हुए उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड के संयोजक को अग्रसारित किया जाएगा।

10—फण्ड की प्रबन्ध समिति ऐसे प्रार्थना पत्रों पर विचार करेगी और उसे यह अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो अपंग सरकारी सेवक को साक्षात्कार के लिए प्रबन्ध समिति के सम्मुख बुला सकती है। सहायता की धनराशि के निर्धारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त समिति स्वयं तय करेगी।

11—प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति के उपरान्त बेनीवोलेन्ट फण्ड से दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण तथा इस सम्बन्ध में रखे जाने वाले अभिलेखों के सम्बन्ध में निर्णय प्रबन्ध समिति द्वारा लिये जायेंगे।

12—सरकारी सेवक को यह सुविधा उस माह के अन्तिम दिवस तक प्राप्त होगी जिस माह में वह अतिवयता आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त होते हों। यदि अतिवयता आयु प्राप्त हो जाने के उपरान्त सरकारी सेवक को सेवा में प्रसार दे दिया जाता है अथवा उन्हें सेवा में पुनर्योजित कर लिया जाता है, तो यह योजना उनकी सेवा में प्रसार तथा पुनर्योजन की अवधि में लागू नहीं होगी।

13—इस योजना के संचालन के लिए यदि किसी समय बेनीवोलेन्ट फण्ड में धनराशि उपलब्ध नहीं होगी तो उस स्थिति में कमी को शासन द्वारा पूरा किया जाएगा और शासन द्वारा कमी को पूरा करने के लिए दी जाने वाली धनराशि का समायोजन आगामी वर्षों में बेनीवोलेन्ट फण्ड को स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि से कर लिया जाएगा।

14—बेनीवोलेन्ट फण्ड से सहायता की यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित समस्त सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

15—ये आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

अनुरोध है कि इन आदेशों से अपने अधीनस्थ सर्वसम्बन्धित को अवगत करा दें।

संलग्नक : उपर्युक्त–दो

भवदीय,
जे० पी० सिंह,
वित्त सचिव।

चतुर्थ खण्ड

[शासकीय देनदारियों के कालातीत बिलों
के प्री आडिट नियम, निर्देश,
राजाज्ञाएं एवं प्रपत्र]

अध्याय—13

1—प्री आडिट बिल निर्देशिका

कालातीत अवशेष दावों के सम्बन्ध में नियमिक स्थिति, उनमें पाई जाने वाली कमियां एवं आहरण वितरण अधिकारी के अनुपालनार्थ आवश्यक निर्देश

(अ) सामान्य

(1) उन परिस्थितियों एवं कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय जिनके कारण क्लेम का भुगतान देय तिथि से एक वर्ष/तीन वर्ष के अन्दर नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में विलम्ब का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु किये प्रयासों का भी उल्लेख किया जाय।

(2) राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं वार्षिक वृद्धियों के व्यक्तिगत अवशेष दावे, जो रु० 1000/– से अधिक हों तथा जो एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक अवधि में प्रस्तुत किये गये हों, बिना किसी उच्च अधिकारी की 'अन्वेषण स्वीकृति' के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर–74(बी)(1) के अन्तर्गत पूर्व सम्प्रेक्षा हेतु भेजे जा सकेंगे।

(3) अराजपत्रित कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावे, जो रु० 1000/– से अनधिक हों और जो तीन वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अनधिक अवधि के हों, सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष की 'अन्वेषण स्वीकृति' के साथ ही पूर्व सम्प्रेक्षा हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर–74(बी)(2) के अन्तर्गत भेजे जा सकेंगे।

(4) रु० 1000/– से अनधिक राजपत्रित कर्मचारियों के व्यक्तिगत अवशेष दावों तथा अन्य शासकीय कर्मचारियों के ऐसे अवशेष दावे जो रु० 1000/– से अधिक के हों, और जिनकी अवधि तीन वर्ष से अधिक हो चुकी हो, वि०नि०सं० खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर–74(बी)(3) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष से अन्वेषण स्वीकृति प्राप्त कर ही पूर्व सम्प्रेक्षा हेतु भेजा जा सकेगा।

(5) यात्रा भत्ता बीजक, चाहे किसी भी धनराशि के हों, यदि देय तिथि से एक वर्ष के अन्दर भुगतान नहीं किये जा सके हों, तो उन्हें पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार अब शासन के प्रशासनिक विभाग को स्वीकृति हेतु भेजना अनिवार्य होगा।

(6) प्रासंगिक व्यय सम्बन्धी दावे, चाहे किसी भी धनराशि के हों, यदि देय तिथि से एक वर्ष की अवधि में भुगतान नहीं किये जा सके हों, तो उनका भुगतान पूर्व सम्प्रेक्षा के उपरान्त ही हो सकेगा।

(7) बिल निर्धारित प्रपत्र पर ही तैयार किये जायं।

(8) मुख्यालय स्तर पर जांच हेतु संदर्भित 'वाउचरों' की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण, अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्री आडिट हेतु प्रेषित अवशेष दावों के बिलों के साथ संदर्भित वाउचरों की कार्यालय प्रति से बिल

की धनराशि, आहरण की तिथि तथा विभिन्न माह वार अवधियों में वेतन, मंहगाई भत्ता आदि की उन दरों का उल्लेख करते हुए जिस दर पर 'पहले ही आहरण' किया जा चुका है, एक तालिका आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त संलग्न की जाय जिसके आधार पर दावे की जाँच की जा सके। यह तालिका बड़ी सावधानी से तैयार की जानी चाहिए। समय-समय पर इन्हीं तालिकाओं के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों के मूल अभिलेखों की जाँच की जायगी और त्रुटि पाई जाने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

(9) बिलों पर की गई कटिंग्स, ओवर राइटिंग्स आदि प्रायः आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अहस्ताक्षरित ही रह जाती है। इस ओर विशेष ध्यान रखा जाय।

(10) प्रायः दावों के बिलों पर निम्न प्रमाण-पत्र अंकित नहीं किये जाते हैं। बिल प्री आडिट हेतु भेजते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित कर लिया जाय—

(क) कि क्लेम यथार्थ (genuine), अनुमन्य एवम् सही है (in order),

(ख) कि क्लेम पहली बार प्रस्तुत किया गया है और इसके पूर्व आहरित नहीं किया गया है। (Certified that claim is genuine, in order and has not been drawn before)

(ग) कार्यालय अभिलेखों पर आवश्यक प्रविष्टियाँ कर दी गयी हैं, जिससे कि क्लेम को दुबारा आहरित न किया जा सके।

(11) बिलों पर लेखा शीर्षक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।

(ब) अवशेष वेतन बिल

(1) स्थायी एवं अस्थायी अधिष्ठान के बीजक एक ही बिल पर बनाये जायेंगे तथा अस्थायी अधिष्ठान के समक्ष उस अधिष्ठान की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश का उल्लेख किया जाय।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर–141 के अनुसार प्रत्येक मास का क्लेम अलग-अलग दिखाया जाय और कई मासों का क्लेम एक साथ सम्मिलित करके न दिखाया जाय।

(3) वेतन एवम् मंहगाई भत्ता आदि जिस दर पर देय है और जिस दर पर आहरित हो चुके हैं, का स्पष्ट विवरण (ड्यू एण्ड ड्रान) बिल पर दिया जाय और केवल 'नेट एमाउन्ट' ही न दिखाया जाय।

(4) सभी प्रकार से पूर्ण सेवा पुस्तिका/सर्विस रोल बिल के साथ संलग्न करके भेजी जाय।

(5) निम्नलिखित अभिलेख आवश्यकतानुसार बिल के साथ अवश्य संलग्न किये जांय :

(1) इन्क्रीमेन्ट सार्टिफिकेट।

(2) अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र।

(3) दक्षतारोक पार करने का सक्षम अधिकारी का आदेश।

(4) वेतन निर्धारण आदेश।

(5) अवकाश स्वीकृति का आदेश।

(6) निलम्बन/बहाली के आदेश ।

(7) गृह भत्ता/वाहन भत्ता आदि की स्वीकृतियाँ ।

(6) यह प्रमाणित किया जाना चाहिये कि सम्बन्धित कर्मचारी को, जिसके लिये गृह भत्ता क्लेम किया गया है, निःशुल्क आवास की सुविधा सम्बन्धित अवधि में उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(7) मंहगाई भत्ता, गृह भत्ता, सवारी भत्ता, धुलाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता आदि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रमाण-पत्र बिल पर आवश्यकतानुसार दिये जाने चाहिये।

(स) यात्रा भत्ता बिल

(1) दावेदारों के हस्ताक्षरों के नीचे दावा प्रस्तुत करने की तिथि तथा कार्यालय में दावा प्राप्त किये जाने की तिथि स्पष्ट रूप से दी जाय जिससे कि यह निश्चित किया जा सके कि यात्रा समाप्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर ही दावेदार द्वारा अपना दावा प्रस्तुत कर दिया गया था।

(2) यात्रा समाप्ति की तिथि के एक वर्ष के बाद दावेदार द्वारा प्रस्तुत दावा किसी भी दशा में स्वीकार न किया जाय और न उसे पूर्व सम्प्रेक्षा हेतु भेजा जाय।

(3) यात्रा बिलों पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार दिया जाना चाहिये :—

(क) कि यात्रा उसी श्रेणी में की गई है जिसके लिये क्लेम किया गया है।

(ख) कि परिवार के सदस्य, जिनके लिये यात्रा व्यय का क्लेम किया गया है, वास्तव में दावेदार के साथ ही रहते हैं और उस पर पूर्णरूप से आश्रित हैं तथा उसी श्रेणी में यात्रा की है जिसके लिये क्लेम किया गया है।

(ग) कि यात्रा जनहित में की गई है।

(घ) कि वे स्थान, जिनके लिये मील भत्ता क्लेम किया गया है, रेल अथवा बस मार्ग से जुड़े नहीं हैं।

(ङ) कि सम्बन्धित सरकारी सेवक ने उस सामान्य दूरी के दायरे से बाहर, जिसके लिये उसे मार्ग व्यय मिलता है, यात्रा की है।

(च) कि सरकारी सेवक को नियत यात्रा भत्ता (फिक्सड टी०ए०) प्राप्त नहीं है।

(4) घरेलू सामान ट्रक या मालगाड़ी से ले जाने की रसीद संलग्न की जाय।

(5) परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण तथा आयु एवं सम्बन्ध बिल पर दिया जाय।

(6) बिल पर नियंत्रण अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।

(द) कन्टिन्जेण्ट बिल

(1) क्लेम के समर्थन में स्वीकृति की प्रति संलग्न की जाय।

(2) व्यय का सही विभाजन अंकित किया जाय।

(3) बिल पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिये।

(4) उस परिस्थिति का उल्लेख किया जाय जिसके कारण पिछले वर्ष का क्लेम वर्तमान चालू वर्ष की ग्रांट से वहन किया जा रहा है।

(5) आवश्यकतानुसार निम्नलिखित प्रमाण-पत्र बिल पर दिये जायं :—

(i) कि क्लेम पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके पूर्व यह क्लेम आहृरित नहीं किया गया।

(ii) कि किराया उप शुल्क एवं करों तथा विद्युत चार्ज आदि की धनराशि, जो पिछले कन्टिन्जेन्ट बिल में आहृरित की गई थी, वास्तव में संबंधित पार्टियों को भुगतान कर दी गई है।

(iii) कि इस बिल पर आहृरित की जाने वाली धनराशि संबंधित पार्टियों को आहरण कर भुगतान कर दी जायगी।

(iv) कि क्लेम के 'दुबारा आहरण' की सम्भावना को समाप्त करने के निमित्त आवश्यक प्रविष्टियां कार्यालय अभिलेखों में कर दी गई हैं।

(v) कि भवन के किसी भाग का, जिसके लिये व्यय किया गया था, प्रयोग रिहायसी अथवा अन्य किसी उद्देश्य हेतु संबंधित अवधि में नहीं किया गया।

(vi) कि वे कर्मचारी, जिनके वेतन का क्लेम इस बिल में किया गया है, संबंधित अवधि में वास्तव में शासकीय सेवा में लगाये गये थे।

(vii) मार्ग व्यय (Convaynce allowance) भत्ते के क्लेम के समर्थन में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 को एपेन्डिक्स-दस में निर्धारित प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(viii) कि टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे और न्यूनतम टेण्डर स्वीकृत किया गया था।

(ix) कि भवन के उस भाग पर होने वाले व्यय, जिसे रिहायसी अथवा अन्य उद्देश्य से प्रयोग किया गया था निम्नलिखित कर्मचारियों से, जिन्हें उक्त व्यय वहन करना था, वसूल कर लिया गया है।

(6) रु० 50,000/- से ऊपर के कन्टिन्जेन्ट व्यय के क्लेम बिल के साथ 'कन्ट्रेक्ट' एवं 'एग्रीमेन्ट' की प्रतियां संलग्न की जायं।

2—Register of Bills passed after Preaudit

Sl.No.	Date of receipt of Claim	Source of receipt of the claim with letter No.& date	Brief description of the claim	Amount of Claim	Head of account	Amount passed after Preaudit	Amount disallowed if any	Signature of dealing Assistant
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sig. of Acctt.	Sig. of F. O.	Sig. of Chief Accounts Officer	Issue of Authority		Revalidation of authority	
			Treasury on which issued	No. & Date of authority	Date of revalidation	Signature of Chief Accounts Officer
10	11	12	13	14	15	16

3—Objection Register

Sl.No.	Date of receipt of claim	From whom received	Details of claim	Amount of claim	Sent vide objection memo No.......... Date .... alongwith objection memo in original	Sig. of officer signing the objection	Date of Receipt after objection	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

पंजीकृत

4—अधिकार पत्र

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
शिक्षा (प्रि–आडिट-सेल) अनुभाग
इलाहाबाद ।

सेवा में,

....

....

पत्रांक–प्रि–आडिट–सेल/ /8– 8, दिनांक

विषय :—पूर्व सम्प्रेक्षण के उपरान्त पारित देयक/दियकों की वापसी ।

महोदय/महोदया,

राजाज्ञा संख्या—ए–1–/2923/दस-3/1(6)/65 दिनांक 18-9-85, तथा राजाज्ञा संख्या ए–1/3959/दस-3/1(6)/65, दिनांक 23-1-86 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व सम्प्रेक्षणोपरान्त निम्नलिखित देयक कुल रुपये ....हेतु पारित करके भेजे जा रहे हैं । आप कृपया सम्बन्धित कोषागार के माध्यम से नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करें ।

स्वीकृत धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष के बजट शीर्षक–अनुदान संख्या ....प्लान/नान-प्लान-2202 सामान्य शिक्षा ....के मद में डाला जायगा ।

पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें ।

क्रमांक	देयक/दियकों की संख्या	धनराशि जिसके लिए पारित किया गया

संलग्नक : 1—उपर्युक्त देयक ।
2—सम्बन्धित सेवा पंजिका ।

भवदीय

( )

मुख्य लेखाधिकारी

शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद ।

पृ० सं०—प्रि आडिट सेल/ /उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2—कोषाधिकारी..............................

( )

मुख्य लेखाधिकारी

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद

नोट :—यह अधिकार पत्र निर्गम की तिथि से 6 मास की अवधि हेतु मान्य होगा ।

5—प्री-आडिट के समय बिल तथा सेवा पुस्तिका में निम्न अंकन करना होगा ।

ON THE BILL	IN SERVICE BOOK
Pre audited & passed for Rs... (Rupees... ....) Chief Accounts Officer.	Claim of Arrear Pay/D.A./Other Allowance pertaining to period from.................to............... amounting to Rs .... (Rupees..) pre audited & passed. Chief Accounts Officer

6—सम्बन्धित राजाज्ञा

संख्या–ए-1–3959/दस–3/1 (6)–65

प्रेषक,

श्री हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 1986

विषय :—उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा के कार्य महालेखाकार से हटाया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या ए–1–2923/दस-3/1 (6)–65, दिनांक 18 सितम्बर, 1985 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा का कार्य महालेखाकार से हटाकर उत्तर प्रदेश शासन के विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में नियुक्त उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा और सहायक लेखाधिकारी सेवा के वरिष्ठतम अधिकारियों को सौंपा गया है । जिन विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में उक्त सेवा के अधिकारी नियुक्त नहीं हैं उनमें कालातीत अवशेष दावों की लेखा परीक्षा करने का दायित्व विभागाध्यक्षों को दिया गया है ।

2—इस सम्बन्ध में कुछ बिन्दुओं पर शासन से मार्गदर्शन प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है । उदाहरणार्थ विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में क्या-क्या अभिलेख रखे जायेंगे और उनके क्या प्रारूप होंगे ? क्या इस के लिये नामित अधिकारियों के प्रमाणित हस्ताक्षर राज्य के प्रत्येक कोषागार को भेजे जायेंगे और पूर्व सम्परीक्षा के बाद कोषागारों को भेजे जाने वाले प्राधिकार का क्या प्रारूप होगा आदि ।

3—इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कालातीत अवशेष दावों की पूर्व सम्परीक्षा करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाय ।

(1) विभागाध्यक्ष के कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जायगा जिसका प्रारूप निम्नलिखित होगा :—

क्रम सं०	कार्यालय का नाम जहां से दावा प्राप्त हुआ है	दावा प्राप्त होने का दिनांक	दावे की प्रकृति (वेतन भत्ते या आकस्मिक व्यय आदि का)	दावे की धनराशि	दावे पर की गयी कार्यवाही	दावे की कार्यालयाध्यक्ष को वापसी का पत्रांक एवं दिनांक	पूर्व सम्परीक्षा करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(2) नामित अधिकारियों के प्रमाणित हस्ताक्षर कोषागारों को नहीं भेजे जायेंगे ।

(3) पूर्व सम्परीक्षा के बाद बिल पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश अथवा आपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, अंकित की जायगी।

(4) यदि पूर्व सम्परीक्षा के बाद दावे पर भुगतान आदेश अंकित किये जाते हैं तो उसके साथ दावे के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में आदेश भी जारी किये जायेंगे, जो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को सम्बोधित होंगे और उसकी प्रतिलिपि महालेखाकार व संबंधित कोषाधिकारी को पृष्ठांकित की जायगी। आपत्ति वाले दावे के संबंध में भी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए एक पत्र जारी किया जायगा जिसमें दावे के सम्बन्ध में सभी आपत्तियां उल्लिखित की जायगी।

(5) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे दावों को, जिनमें भुगतान आदेश अंकित है और उन्हें भुगतान स्वीकृति आदेश मिल गये हैं, भुगतान आदेश की स्वीकृति सहित कोषागार में प्रस्तुत किया जायगा जिस पर कोषाधिकारी भुगतान आदेश अंकित करके आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस कर देंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उसका भुगतान प्राप्त करके संबंधित कर्मचारियों को वितरित कर दिया जायगा।

4—कालातीत दावों की पूर्व सम्परीक्षा के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि पूर्व सम्परीक्षा के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कालातीत दावों में किन-किन बातों की जांच की जानी होगी। इस सम्बन्ध में सामान्य बिन्दुओं, जिन्हें कालातीत दावों में देखा जाना आवश्यक है, की सूची संलग्न है।

5—पूर्व सम्परीक्षा के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवशेष दावों के बिलों में उपर्युक्त प्रस्तर-3 और 4 में उल्लिखित बातें देखी जानी चाहिये और इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर आपत्ति मेमो बनाकर आपत्ति वाले बिलों के साथ संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को भेजा जाय।

भवदीय,
हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या ए--1-3959/दस-3/1(6)-65, दिनांक 23-1-86 का अनुलग्नक

विभागाध्यक्ष कार्यालय में कालातीत अवशेष दावों की पूर्व संपरीक्षा के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कालातीत अवशेष दावों को जांचने के लिये आवश्यक बिन्दुओं की सूची।

सामान्य—

(1) परिस्थितियां एवं विशेष कारण जिनके अन्तर्गत दावे का भुगतान इसके देय होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर नहीं किया जा सका और इस विलम्ब को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी?

(2) तीन वर्ष/छः वर्ष से अधिक पुराने दावों के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर 74 (बी) के अन्तर्गत दावे की जांच स्वीकार किये जाने के लिये कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की स्वीकृति बिल के साथ संलग्न है।

(3) बिल निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया है ।

(4) बिल पर उचित वर्गीकरण अंकित है ।

(5) बिल में कटिंग्स, ओवर राईटिंग्स, आल्टरेशन और इरेजर्स पर प्रमाणीकरण स्वरूप आहरण एवं वितरण अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर होने चाहिये ।

(6) बिल पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अंकित होने चाहिए—

(क) दावा उचित और अनुमन्य है ।

(ख) यह दावा पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके पहले इसे आहरित नहीं किया गया है ।

(ग) कार्यालय अभिलेखों में तत्संबंधी आवश्यक प्रविष्टियां कर ली गयी हैं ताकि दोहरा आहरण संभव न होने पाये ।

अवशेष वेतन बिल—

(1) स्थायी एवं अस्थायी अधिष्ठानों के दावे एक बिल में बनाये गये हैं ।

(2) अस्थायी पदों के सृजन के शासकीय स्वीकृति आदेश की संख्या एवं दिनांक बिल पर अंकित होनी चाहिये ।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर 141 के अन्तर्गत प्रत्येक महीने का दावा अलग-अलग दर्शाया गया है ।

(4) बिल में वेतन एवं महंगाई भत्ते आदि का देय और पूर्व में आहरण का पूरा विवरण दिया जाना चाहिये । केवल भुगतान की जाने वाली शुद्ध धनराशि का अंकित किया जाना ही पर्याप्त नहीं है ।

(5) बिल के अभ्युक्ति के कालम में ट्रेजरी वाउचर (संख्या दिनांक धनराशि आदि) जिससे दावा आहरण किये जाने से छूट गया था, अंकित होने चाहिये ।

(6) अवशेष बिल के साथ सभी प्रकार से पूर्ण सेवा-पुस्तिका अवशेष वेतन, अवकाश वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्तों के भुगतान के लिए भेजी जानी चाहिये तथा उसके साथ—

(अ) अनुपस्थिति विवरण

(आ) वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

(इ) अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र

(ई) निलम्बन/बहाली आदेश

यथास्थिति संलग्न होने चाहिये ।

कालातीत यात्रा-भत्ता बिल—

(1) दावादारों द्वारा यात्रा-भत्ता बिल पर दिनांक सहित हस्ताक्षर होने चाहिये ताकि यह जानना संभव हो सके कि यात्रा भत्ता का दावा उसके यात्रा समाप्ति तिथि के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(2) यात्रा-भत्ता दावा, इसके देय तिथि के एक वर्ष की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

(3) यात्रा-भत्ता बिल पर नियंत्रक अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिये । यात्रा का उद्देश्य भी उस पर अंकित होना चाहिए ।

(4) यात्रा-भत्ता बिलों पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र भी अंकित होने चाहिये—

(क) यात्रा उसी श्रेणी में की गयी है जिस श्रेणी का दावा प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) परिवार के सदस्य, जिनके लिये दावा प्रस्तुत किया गया है, पूर्णतः दावेदार पर निर्भर करते हैं और वास्तव में उसके साथ रहते हैं ।

(ग) यात्रा जनहित में की गयी ।

(घ) वे स्थान जिनके लिये (Milage Allowance) का दावा किया गया है, बस या रेलगाड़ी से सम्बद्ध नहीं थे ।

(च) राजकीय सेवक द्वारा साधारण क्षेत्र, जिसके लिये वाहन भत्ता दिया जाता है, से अधिक यात्रा की गयी है ।

(छ) राजकीय सेवक को निर्धारित यात्रा-भत्ता दिया जाता है ।

(5) व्यक्तिगत सामान को मालगाड़ी या ट्रक में ले जाये जाने की भुगतान की रसीद भी दी जानी चाहिये ।

(6) स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता बिल में परिवार के सदस्यों के विवरण, उनकी आयु और संबंध के साथ अंकित किये जाने चाहिये ।

कनटिन्जेन्ट बिल्स—

(1) कनटिन्जेन्ट दावे में संबंधित स्वीकृति की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिये ।

(2) व्यय का सही वर्गीकरण अंकित किया जाना चाहिये ।

(3) बिल, नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिये ।

(4) बिल के हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का पद नाम आदि भी हस्ताक्षर के नीचे अंकित होना चाहिये ।

(5) चालू वर्ष के अनुदान से पिछले वर्ष के व्यय के आहरण किये जाने के सम्बन्ध में परिस्थितियों का उल्लेख किया जाना चाहिये ।

(6) निम्नलिखित प्रमाण-पत्र बिल पर अंकित किये जाने चाहिये—

(क) प्रमाणित किया जाता है कि दावा ठीक, उचित और अनुमन्य है।

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है और इससे पहले इसे आहरित नहीं किया गया है।

(ग) किराया, दरें, कर और बिजली के भुगतान के लिये इससे पूर्व कनटिन्जेन्ट बिल में आहरित धनराशि का भुगतान संबंधित पार्टियों को वास्तव में कर दिया गया है।

(घ) प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में आहरित धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित पार्टियों को भुगतान कर दिया जायगा।

(ङ) दोहरे आहरण से बचने के लिये इस कार्यालय के अभिलेखों में इस आहरण की प्रविष्टि कर दी गयी है।

(च) भवन के कोई भाग, जिसके लिये व्यय किया गया था, आवासीय और अन्य उद्देश्यों के लिये उस अवधि में, जिसके लिये भुगतान किया गया है, उपयोग में नहीं लाया गया है।

(छ) प्रमाणित किया जात: है कि जिन व्यक्तियों का वेतन इस बिल में चार्ज किया गया है वास्तव में संबंधित अवधि में राजकीय सेवा में थे।

(ज) मनोरंजन से सम्बन्धित खर्च जो इस बिल में सम्मिलित किये गये हैं शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार किया गया है और यह व्यय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं किया गया है।

(झ) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के परिशिष्ट–10 के अन्तर्गत वाहन भत्ते से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए।

(ट) प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिन के लिये इस बिल में मकान किराया भत्ता आहरित किया गया है, के कब्जे में किराया मुक्त सरकारी आवास उस अवधि में नहीं रहा है जिसके लिए मकान किराया भत्ता आहरित किया है।

(ठ) प्रमाणित किया जाता है कि टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे और निम्नतम टेन्डर स्वीकार किया गया है।

(ड) प्रमाणित किया जाता है कि भवन के उस भाग, जिसका उपयोग आवासीय अथवा अन्य उद्देश्यों के लिये किया गया था, पर किया गया व्यय उस अवधि के लिए जिसके लिये चार्जेज दिये गये थे, निम्नलिखित शासकीय सेवकों, जिनके द्वारा यह देय था, वसूल कर लिया गया।

7—50,000 रुपये से अधिक के आकस्मिक व्यय के संबंध में संविदा और अनुबन्ध की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिये।

विश्वंभर राम,
संयुक्त सचिव।

7—Financial Hand Book, VOLUME V PART I का उद्धरण

Rule No. 74(a)

(1) No claims against Government other than those by one department against another or by the Government of India/other Administrations in India/another State Government, not preferred within one year of their becoming due, can be paid without an authority from the Accountant General irrespective of whether they are payable in cash or by book adjustment i.e. even when the net claim is for nil amount.

Exception—This rule shall not apply to the following category of claims which may be paid without preaudit by the Accountant General :

(i) Claims on account of pensions, the payment of which is regulated by special rules;

(ii) Claims (including personel claims of Government servants) not exceeding Rs. 1,000 presented within three years of their becoming due;

(iii) Claims on account of pay and allowance of such non-gazetted Government servants whose names are not required to be shown in the pay bills in accordance with rules or orders of Government;

(iv) Claims on account of interest on Government securities;

(v) Any other class of payments which are governed by special rules or orders of Government.

Explanation

(1) For the purpose of this rule the date on which the claim is presented at the Treasury or any other office of disbursement should be considered to be the date on which it is preferred.

(2) The dates on which the various claims become due for payment are explained below :

(i) **T. A. Claim**–A claim for travelling allowance should be considered as falling due for payment on the date succeeding the date of completion of the journey in respect of which travelling allowance claim is made and not

from the date of counter-signature of the travelling allowance bill. (But see also Explanation 2(viii) below)

(ii) **Transfer T. A. Claim** : The claims in respect of transfer travelling allowance where the officer and/or his family undertakes journey on different dates, should be considered as falling due for payment on the date succeeding the date of completion of each individual journey. Similarly the travelling allowance claims in respect of the transportation of personal effects should be considered as falling due on the date succeeding the date on which the personal effects are actually delivered to him.

(iii) **Increment** : The period of one year should be counted from the date on which the increment falls due for payment in the case of an ordinary increment and not with reference to the date on which the increment certificate is signed by the competent authority. Where an increment is withheld, the period of one year should be counted from the date on which the increment falls due after taking into account the period for which it is withheld. In a case in which increment next above the efficiency bar is to be allowed or in which a premature increment is to be granted, the claim for increment is to be supported by the sanction of the competent authority and the time limit should be reckoned from the date of the sanction of the increment or the date of accrual of the increment whichever is later.

(iv) **Grant in aid** : Claims on account of grant-in-aid and scholarships become due as soon as they are sanctioned, subject to the fulfilment of other conditions or periodicity, if any, attached thereto. The time limit for purposes of preaudit is to be reckoned from the date of their becoming so due.

(v) **House allowance** : A claim for house allowance may be considered to have fallen due for payment on the first day of the month following the month to which the house allowance relates.

(vi) **Claims arising on re-instalment** : The due date of claims of officials who are suspended and then reinstated will be taken the date of order of the reinstating authority.

(vii) **Leave salary** : The period of one year for the arrears of claims of leave salary should be reckoned from the date of sanction to leave or the first of the following month to which the leave salary claim relates whichever is later.

(viii) **Claims arising due to retrospective orders** : In the case of sanction accorded with retrospective effect the change does not become due before it is sanctioned. The time limit specified in this rule should be reckoned from the date of sanction and not from the date on the sanction takes effect.

(ix) **Non-Periodical contingent expenditure** : A claim for non periodical cotingent expenditure be considered as becoming due for payment for the purposes of this para as soon as the supply or service for which the payment is made is completed or rendered. Where, however, the expenditure requires the sanction of a superior authority the charge becomes due only on the date such sanction in accorded. Therefore, in such cases the limit of one year should be reckoned from the date of the sanction and not from when the supply or service was rendered.

74(a)(2)—Claims of Government against Railways for overcharges and claims or Railways against Government Departments for undercharges will be recognised and admitted if claims are preferred within six months.

(a) In the case of each payments from the date of payment.

(b) In the case of warrants or credit notes from the date of presentation of bill the Railway administration.

Explanation—The terms 'overcharges' and 'undercharges' used above mean overcharges and undercharges of railway freight and fares only. They refer to shortages and excesses in the items included in a bill which has already been rendered. The omission of an item in a bill is not an 'undercharges' nor is the erroneous inclusion of an items as 'overcharge'.

74(a)(3)—All arrrears claims arising out of single event or order should be treated as one and included in a separate bill and no arrear claims arising out of other events should be included in it.

74(a)(4)—The following instructions should be carefully observed with regard to the treatment of time barred elaims against the Government other than those for pay, allowances or increments.

(i) A claims against the Government which is barred by time under any provisions of law relating to limitation is ordinarily to be refused and no claim on account of such a time barred item is to be paid without sanction of

Government in the Administrative Department. The onus is upon the claiming authority to establish a claim to special treatment for a time barred item and it is the duty of the authority against whom such a claim is made to refuse the claim until a case for other treatment is made out. All petty time barred claims are to be rejected forthwith and only important claims of this nature considered.

(ii) It is the duty of the executive authority in the first instance to consider the question of time-bar before submitting a claim to the Accountant General for sanction under this paragraph and audit will refuse payment of all claims found to be time-barred until sanction of Government in the administrative department has been obtained.

74(b)(1)—Claim of Government Servants, whether gazetted or non-gazetted to arrears of pay and allowances, or to increments which have been allowed to remain in abeyance for a period exceeding one year but not exceeding three years, other than those referred to in exception (ii) below paragraph 74(a) (i), may be sent to the Accountant General of preaudit by the head of office without any higher sanction for investigation of the claim.

74(b)(2)—The head of office may sanction investigation of such claims of non-gazetted Government servants which do not exceed Rs. 1,000 and have remained in abeyance for a period exceeding three years but not exceeding six years.

74(b)(3)—In all other cases claims of a Government servant on account of arrears of pay, allowances or increment over three years old with reguler sanction of the Head of the Department for its investigation by the Accountant General.

74 (b) (4)—Where the investigation of a claim is rendered impossible owing to the destruction of records in the audit officer vide note 2 to sub para (vi) below the claim will not be admitted unless the Head of Department specially authorises the accountant General to admit it. The Head of Department should see that on such arrear bills a certificate to the effect that the claim is genuine in order admissible and has not been paid before, has been furnished by the head of office Concerned.

74 (b) (5)—The claims mentioned below should not be entertained by the head of office/Head of Department :

(a) Claims of Government servant for travelling allowance preferred by the claimants after one year of the date of their becoming due irrespective of the amount involved and the class of the employee.

Notes : (1) The right of a Government servant to travelling allowance including daily allowance is forfeited or deemed to have been relinquished if the claim for it is not preferred to the head of office or the controlling officer within one year from the date on which it becomes due.

(2) If the travelling allowance claim is not preferred by the administrative authority concerned for payment within one year from the date of its becoming due, it shall not be paid unless the reasons for delay are investigated in detail and a specific sanction issued by Finance Department. If the investigation shows that the claim could not be preferred in time due to administrative delay without adquate and cogent reasons, suitable action may be taken against the officer (s) concerned so that such delay do not recur in future.

(b) Personal claims of Govt. servants of amount not exceeding Rs. 50 each requiring sanction for investigation or admitance in accordance with the preceding sub-paragraph in cases in which the responsibility for the drawal of the amounts is of the Government servant himself, except such claim as it effects pension.

74 (b) (6)—Authorities before issuing orders for investigation should bear in mind that the investigation of arrears often involves a large amount of labour in the Audit office, out of all proportion to the Amount or importance of the claims preferred. They should therefore excercise their power with caution, rejecting petty claims unless they effect a man's pension.

Notes : (1) Where Heads of Departments are themselves the claimants of arrears of their dues, a reference should be made to Government in the administrative department.

(2) Travelling allowance bills are retained in the audit office for three years salary bills for six years and audit registers of establishment for eight years and of gazetted officers for twelve years.

(3) Delays in payments are opposed to all rules and budgetary principles and are highly incovenient and objectionable and when not satisfactori

explained will be brought to the notice of the Head of the Department concerned by the Accountant General.

(4) When submitting supplementary bills for preaudit the following particulars must be entered therein, in the absence of which the bills will not be preaudited for payment :

(i) The reasons why the amount claimed in the bill was not drawn before.

(ii) The source from which the amount is to be met should be correctly stated, such amounts can not be met from 'State Savings' or 'Budget Grants'.

(iii) Any other information which will facilitate audit and prevent unnecessary delay.

(5) Bills preaudited and passed for payment by the Accountant General may be cashed at the treasury up to the limit of six months from the order of payment, a fresh order being required thereafter.

74(c)—No payments may be made on account of increase to pay until the additional expenditure thereby caused has been provided for in the budget estimates and duly sanctioned.

Note : Periodical increments of pay are provided for in the budget estimates and are not increased to pay within the meaning of this clause.

74(d)—The provisions of this paragraph shall apply mutatis mutandis to arrear claims preferred against Government by persons not in Government service.

पंचम खण्ड

[राजकीय कर्मचारियों को देय

विभिन्न अग्रिमों के विवरण, नियम, निर्देश,

राजाज्ञाएं एवं प्रपत्र

तथा

राजकीय कार्य सम्पादन में काम आने

वाले अन्य प्रपत्र]

अध्याय-14

सरकारी सेवकों को अनुमन्य ऋण और अग्रिम

सरकारी सेवकों को विभिन्न प्रकार के अग्रिम एवं ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम वित्तीय नियम ग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-11 में विश्लेषित किये गये हैं। प्रारम्भ में अग्रिम केवल स्थायी सरकारी सेवकों ो ही अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था थी, किन्तु कार्मिक अनुभाग-1 के राज्यादेश संख्या-19/8/1980-ार्मिक-1, दिनांक 19-4-80 द्वारा शासन ने ऐसे अस्थायी कर्मचारियों, जो तीन वर्षों से अथवा इससे अधिक वधि से अस्थायी चले आ रहे हैं और नियुक्ति की तिथि से निरन्तर कार्यरत हों, को कुछ शर्तों को पूरा करने ी दशा में, जो कि उक्त राज्यादेश में समादिष्ट हैं, गृह निर्माण और वाहन क्रय अग्रिम स्वीकृत करने के आदेश दये गये हैं। साइकिल क्रय करने के लिये अस्थायी कर्मचारियों को दो स्थायी कर्मचारियों की प्रतिभूति पर अग्रिम वीकृति करने की सुविधा पहले से ही थी।

सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य किये जाने वाले अग्रिमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :—

—भूमि/भवन/भूखण्ड-निर्माण तथा भवन मरम्मत हेतु अग्रिम

(राज्यादेश संख्या—बी-3-997/दस-801 (11)/79-भवन, दिनांक 26-4-80)

विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निम्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम स्वीकृत कर सकते हैं :—

(अ) भवन निर्माण (भूमि क्रय सहित) अथवा

(ब) भवन क्रय हेतु (उसकी मरम्मत पर होने वाले व्यय सहित) या

(स) किसी भवन को गिराकर उसके पुनर्निर्माण हेतु, या

(द) भवन की मरम्मत हेतु परन्तु मरम्मत साधारण प्रकृति की नहीं होनी चाहिये, वरन भवन की मरम्मत कर रहने योग्य बनाने के लिये जब अधिक धन की आवश्यकता हो।

अग्रिम सरकारी सेवक के स्वयं के रहने के लिये मकान, जो कि वह अपने तैनाती के स्थान पर अथवा ा में ऐसे किसी स्थान पर जहाँ वह सेवा निवृत्ति के बाद स्थायी रूप से निवास करना चाहता हो, के लिये स्वीकृत या जा सकता है।

कर्मचारी को यह घोषित करना होगा कि वह अग्रिम से बनाये, खरीदे या मरम्मत करवाये गये भवन ो बगैर शासन की पूर्व अनुमति के न तो बेचेगा और ना ही स्वामित्व किसी को स्थानान्तरित करेगा। उसे ह भी घोषित करना होगा कि पैतृक मकान के अलावा उसका कोई अन्य निजी मकान नहीं है।

संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्ति में सरकारी सेवक के हिस्से के लिये उपरोक्त प्रयोजनों हेतु भवन अग्रिम ीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि सभी भागीदारों को अग्रिम का प्रस्ताव स्वीकार हो और सम्बन्धित सभी ागीदार संयुक्त रूप से अग्रिम के प्रतिदान के लिये प्रतिभूति के रूप में भूखण्ड/भवन राज्यपाल के पक्ष में बन्धक रने को तैयार हों। ऐसे मामलों में सम्बन्धित कर्मचारी को अग्रिम संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति शासन के पक्ष

में बन्धक रख दिये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत किया जा सकेगा। इस सबन्ध में प्रपत्र/फार्म निर्धारित किये गये हैं।

(1) **गृह निर्माण अग्रिम की सीमा**
(राज्यादेश संख्या-बी-3-2468/दस-84-1 (11)-79-भवन, दिनांक 6-6-84)

(1) मकान के निर्माण/अर्जन के लिये निर्माण अग्रिम की सीमा अब 75 मास का वेतन, रु० 1,25,000/-, जो भी कम हो, होगी। उसकी वसूली अधिकतम 240 मासिक किस्तों में होगी।

(2) मकान के विस्तार/मरम्मत के लिये अग्रिम की अधिकतम सीमा रु० 40,000/- अथवा ... का वेतन, जो भी कम हो, तक होगी। इसकी वसूली अधिकतम 120 मासिक किस्तों में होगी। स्वीकृत अग्रिम धनराशि वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी।

(2) **प्रतिदान की क्षमता**

सेवावधि	प्रतिदान हेतु निर्धारित
(क) 20 वर्ष बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी	वेतन का 50 प्र...
(ख) 10 वर्ष के पश्चात् तथा 20 वर्ष के पहले सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी	वेतन का 60 प्र...
(ग) दस वर्ष के भीतर सेवा निवृत होने वाले कर्मचारी	वेतन का $66\frac{2}{3}$ प्र...

(3) **भवन निर्माण अग्रिमों के सम्बन्ध में नियमिक प्रक्रिया**

(अ) वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1 के प्रैरा-244 (एल) के अनुसार स्वीकृति प्रधिकारी के कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें अग्रिमों हेतु प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना-पत्र उसके प्राप्त होने के अनुसार क्रमबद्ध किया जायेगा तथा अग्रिम उसी क्रम में वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा। एक वर्ष में जो प्रार्थना-पत्र निस्तारित नहीं हो पायेंगे, उन्हें अगले वर्ष को अग्रनेत किया जायेगा।

(ब) अग्रिम हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर मुख्य रूप से निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ उचित माध्यम से आना अनिवार्य है :-

(i) प्रश्नगत भूमि/भवन/भूखण्ड से सम्बन्धित रजिस्टर्ड सेल डीड की चार फोटो स्टेट प्रतियाँ... अग्रिमी से सम्बन्धित पुष्टि प्रमाण-पत्र।

(ii) आवास विकास परिषद्/विकास प्राधिकरण से क्रय किये जाने वाले निर्मित भवन/भूखण्ड की ... में उसके सचिव/सक्षम अधिकारी का प्रवेशन प्रमाण-पत्र एवम् अनापत्ति प्रमाण-पत्र, की प्रश्... भूमि/भवन/भूखण्ड को गृहनिर्माण अग्रिम के एवज में शासन के पक्ष में बंधक रखने में आपत्ति नहीं है और वह पूर्णतः भार मुक्त है।

(iii) वर्तमान मूल वेतन की सूचना, वैयक्तिक वेतन, महंगाई भत्ता का विवरण।

(iv) वर्तमान कटौतियों का विवरण आहरण वितरण अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित।

(v) सेवा निवृत्ति का दिनांक तथा वर्तमान अवशेष सेवाकाल।

(vi) अस्थायी अधिकारी/कर्मचारी की दशा में दो स्थायी अधिकारियों से भराया गया जमानतनामा तथा जमानत देने वाले अधिकारी/कर्मचारी किस वेतनमान में किस दिनांक से स्थायी हैं, का प्रमाण-पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिया जाये।

(vii) संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्ति की दशा में सभी सहभागियों से इस आशय का घोषणा-पत्र कि प्रश्नगत भवन/भूखण्ड को राज्यपाल महोदय के पक्ष में बन्धक रखने में कोई आपत्ति नहीं है और वे पूर्णत: इसके लिये बगैर किसी दबाव के सहमत हैं।

(viii) प्रतिभूति लेने वाले स्थायी अधिकारी/कर्मचारी से इस आशय का घोषणापत्र कि वह आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य अस्थायी अधिकारी/कर्मचारी का प्रतिभू नहीं है।

(ix) सम्बन्धित कर्मचारी की जन्मतिथि, सेवा निवृत्ति की तिथि, प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि, अवशेष सेवा काल, वर्तमान वेतन, भत्ते, अन्य कटौतियां तथा शुद्ध देय वेतन आदि का प्रमाण-पत्र (कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित)।

(x) कर्मचारी/अधिकारी द्वारा जिस भूमि/भूखण्ड/भवन हेतु अग्रिम की मांग की जा रही है, उसके सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित सम्पत्ति के उपनिबन्धक एवम् जिला विधि परामर्शी से भूमि/भूखण्ड/भवन के बारे में जांच कराकर इस आशय का समाधान कराकर कि सम्बन्धित सम्पत्ति समस्त भारों से मुक्त है और उसे शासन के पक्ष में बन्धक रखने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है, एक प्रमाण-पत्र दें।

भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राथमिकतायें :—

(1) राज्यादेश संख्या-बी-3-/1046/दस-81-1-(1)-77, दिनांक 7-5-1981 एवम् (2) राज्यादेश संख्या-बी-3-2405/दस-84-1 (11)-79-भवन, दिनांक 31-5-1984)

(i) ऐसे मामले जिनमें भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और उसकी एक या अधिक किस्त अवमुक्त की जा चुकी हो, तथा अवशेष किस्तें दी जानी हैं।

(ii) ऐसे मामले, जिनमें अग्रिम के इच्छुक राज्य कर्मचारी का सेवाकाल 20 वर्ष से कम रह गया हो।

(iii) ऐसे राज्य कर्मचारी, जिनको आवास परिषद्/विकास प्राधिकरण/नगर महापालिका/नगर पालिका द्वारा निर्मित भवन का आबंटन हो गया है अथवा जिनको उक्त संस्थाओं की 'सेल्फ फाइनेन्सिग स्कीम' के अन्तर्गत पंजीकरण हो गया है।

(iv) ऐसे मामलों, जिनमें सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों ने 2-7-1974 के पूर्व भूखण्ड क्रय कर लिया है और उसकी रजिस्ट्री उससे पूर्व करा ली है।

(v) कर्मचारी ने भूखण्ड उक्त संस्थाओं या अन्यत्र से क्रय कर लिया हो।

(vi) सभी प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण 'प्रथम आये प्रथम सेवा पाये' के आधार पर किया जा... किन्तु ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपना परिवार दो बच्चों तक रखा हो और अपना या अपनी पत्नी का नसबन्दी आपरेशन करा लिया हो या 40 वर्ष की आयु से अधिक ऐसे कर्मचारी जिनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो तो उन्हें 'प्रथम आये प्रथम सेवा पाये' के सिद्धान्त के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जायेगी । ऐसे कर्मचारियों की सूची अलग बनायी जायेगी और उन्हें 'प्रथम आये प्रथम सेवा पाये' के सिद्धान्त के अन्तर्गत आने वाले अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाये।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र/संस्थाओं द्वारा निर्मित आवासों (सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम) में क्रय हेतु भवन निर्माण अ... की अनुमन्यता की शर्तें :—

(i) ऐसे भवनों के क्रय हेतु प्रारम्भिक भुगतान (Earnest money/Registeration Depo... के लिए भवन निर्माण अग्रिम अनुमन्य न होगा । इसका भुगतान कर्मचारी को अपने स्रोत से करना होगा ।

(ii) 'सेल्फ फाईनेन्सिग' के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारी के पक्ष में आवंटन का आश्वासन मिलने के बाद ही सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण अग्रिम स्वीकार किया जा सकेगा । अग्रिम का भुगतान सीधे संस्था को किया जायेगा कर्मचारी को नहीं । इस अग्रिम का भुगतान संस्था को उनके द्वारा निर्धारित किस्तों में सीधे किया जायेगा तथा स्वीकृति आदेश में उन तिथियों का जिन पर किश्तों का भुगतान अपेक्षित होगा, स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाये ताकि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित संस्था को समय से भुगतान करते रहें। कर्मचारी को फार्म 22-ई पर त्रिपक्षीय अनुबन्ध तथा फार्म 25-ई पर दो स्थाई कर्मचारियों की प्रतिभूति देनी होगी ।

(iii) भवन निर्माण कार्य पूरा होने पर संस्था द्वारा भवन का कब्जा कर्मचारी को मिल जाने पर प्रश्नगत भवन को राज्यपाल महोदय के पक्ष में निर्धारित प्रारूप में बन्धक करना होगा ।

(iv) क्रय किये जाने वाले भवन की कीमत अनुमन्य स्वीकृत अग्रिम से अधिक होने की दशा में अवशेष मूल्य कर्मचारी को अपने निजी स्रोत से वहन करना होगा ।

(v) यदि स्वीकृत अग्रिम से भवन की कीमत अधिक होने की दशा में कर्मचारी अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता है अथवा उक्त योजना से अपने को विलग करना चाहता है अथवा भवन का वास्तविक कब्जा पाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या सेवा से विलग कर दिया जाता है तो संस्था द्वारा अग्रिम के रूप में कर्मचारी के एवज में भुगतान की गयी राशि को विभाग को लौटाना होगी ।

(vi) यदि सम्बन्धित संस्था द्वारा प्रथम किस्त प्राप्त करने के $2\frac{1}{2}$ वर्ष के अन्दर कर्मचारी को भवन का कब्जा नहीं दिया जाता है तो $2\frac{1}{2}$ वर्ष के बाद वास्तविक कब्जा दिये जाने की तिथि के मध्य की अवधि के लिये सम्बन्धित संस्था को शासन द्वारा भुगतान की गयी कुल धनराशि

7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से शासन को ब्याज देना होगा और इस प्रकार होने वाला लाभ शासन का होगा ।

2—वाहन अग्रिम

(1) **प्रकार**—वाहन अग्रिम चार प्रकार के होते हैं :-

(i) मोटरकार

(ii) मोटर साईकिल/स्कूटर

(iii) मोपेड

(iv) बाईसिकिल

(2) **पात्रता**—वर्तमान शासकीय आदेशों के अनुसार स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के अधिकारी/कर्मचारी उक्त हेतु पात्र समझे जायेंगे ।

(3) **अग्रिम की सीमा**

क्रमांक	वाहन का प्रकार/शासनादेश संख्या	पात्रता हेतु मानक	सीमा/धनराशि	वसूली की अवधि
1	—मोटरकार शासनादेश सं०बी–3-2966/दस-86-125/75 मो०स० दिनांक 24-5-1986	1500/-प्रतिमाह या अधिक वेतन पाने वाले राजकीय सेवक	24 माह का वेतन या रु०60,000/– या वाहन की कीमत जो भी कम हो ।	अधिकतम 96 मासिक किस्तों में ।
2	—मोटर साईकिल/स्कूटर शासनादेश सं०-बी-3-3124/दस-86-125/75 मो०स०, दिनांक 24-5-1986	रु०600/-से1500/-प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले राजकीय सेवक ।	12 माह का वेतन या रु० 10,000/– या वाहन की पूर्वानुमानित कीमत का 80 प्रतिशत जो भी कम हो ।	72 मासिक किस्तों में ।
3	—मोपेड/आटोसाईकिल शासनादेश सं०-बी-3-3125/दस-86-125/75 मो० स०, दिनांक 24-5-1986	रु०400/-से 599/-प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले राजकीय सेवक ।	10 माह का वेतन अथवा रु०4500/-या वाहन की पूर्वानुमानित लागत का 80प्रतिशत जो भी कम हो ।	72 मासिक किस्तों में ।
4	—बाईसिकिल शासनादेश सं०–बी–3-3126/दस-86-125/75 मो०सं० दिनाक 24-5-1986	सभी को	2 माह का वेतन अथवा रु० 300/-अथवा वाहन की कीमत जो भी कम हो ।	12 मासिक किस्तों में ।

(4) वाहन क्रय अग्रिम के सम्बन्ध में वांछित औपचारिकतायें

(i) अस्थायी अधिकारी/कर्मचारी की दशा में निर्धारित प्रपत्र 25-सी में जमानत नामा।

(ii) क्या वाहन का क्रय अधिकृत/अनधिकृत विक्रेता से किया जा रहा है अथवा नहीं? यदि पुरानी गाड़ी खरीदी जा रही हो तो बेचने वाले का नाम, पता तथा मूल्य की सूचना।

(iii) क्या क्रय किये जाने वाले वाहन का समाविष्ट बीमा कराया जा सकेगा।

(iv) जमानत देने वाले स्थायी कर्मचारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि वह सम्बन्धित अग्रिमी के अतिरिक्त किसी अन्य अस्थायी अधिकारी/कर्मचारी का प्रतिभू नहीं है।

(v) सिक्योरिटी बान्ड में प्रतिभू तथा साक्षियों के नाम, पदनाम, कार्यालय का पता आदि सुस्पष्ट लिखे जावें। सिक्योरिटी देने वाला अधिकारी/कर्मचारी किस तिथि से, किस वेतनमान में स्थायी हैं, का प्रमाण-पत्र कार्यालयाध्यक्ष से होना चाहिये।

(vi) इस आशय का घोषणा-पत्र अग्रिमी द्वारा दिया जाना होगा कि शासन द्वारा अन्तिम रूप से वाहन अग्रिम के सम्बन्ध में निर्धारित दरें उसे मान्य होंगी।

(vii) अग्रिमी द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र कि अग्रिमी की धनराशि स्वीकृत होने की दशा में उसके आहरण के तुरन्त बाद/निर्धारित अवधि में समस्त वांछित सूचना/प्रपत्र विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

अग्रिमों के लिए आवेदन पत्र

विभिन्न प्रकार के अग्रिमों की माँग करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्रों के प्रारूप प्रयोग में लाये जाते हैं। आवेदन पत्रों के प्रारूप आगे दिये जा रहे हैं।

अग्रिमों से सम्बन्धित विभिन्न अनुबन्ध एवं संविदा

गृह निर्माण/क्रय/मरम्मत एवं वाहन अग्रिमों को प्राप्त करने में अग्रिम प्राप्तकर्त्ता जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम प्राप्त करते हैं उससे सम्बन्धित भूमि/भवन या वाहन को तब तक के लिए शासन के प्रति बन्धक करना पड़ता है जब तक कि अग्रिम की वसूली नहीं होती है। विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के लिए प्रयुक्त बन्धक पत्र/संविदाओं के प्रारूप भी सुलभ संदर्भ हेतु दिये जा रहे हैं।

3. सम्बन्धित राजाज्ञायें

रा–68

संख्या बी–3-446/दस-85-1-(11)-79-भवन

प्रेषक,

श्री दिलीप कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रमुख कार्यालयों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 28 मई, 1985

वित्त आय-व्ययक अनुभाग-3

विषय :—राज्य कर्मचारियों के लिए गृह-निर्माण अग्रिम योजना को उदार बनाया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि राज्य कर्मचारियों की भवन निर्माण अग्रिम योजना से सम्बन्धित वर्तमान नियमों में राज्य कर्मचारी की पत्नी/पति दोनों के राज्य कर्मचारी होने की दशा में दोनों को ही भवन-निर्माण अग्रिम दिये जाने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है । शासनादेश संख्या बी–2-2055/दस-1 (1)-67, दिनांक 15 सितम्बर, 1971 के द्वारा भवन निर्माण अग्रिम हेतु निर्धारित प्रार्थना-पत्र के प्रारूप में अग्रिम के लिये प्रार्थी सम्बन्धित कर्मचारी को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देना होता है कि उसकी पत्नी/पति जो कि राज्य कर्मचारी है, से गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अधीन गृह निर्माण अग्रिम के लिये आवेदन-पत्र नहीं दिया है और अग्रिम नहीं लिया है । प्रमाण-पत्र की उक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि पति/पत्नी दोनों के ही राज्य कर्मचारी होने की दशा में उनमें से केवल एक ही भवन निर्माण अग्रिम हेतु पात्रता की श्रेणी में आते हैं । समुचित विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने राज्य कर्मचारियों के लिये भवन निर्माण अग्रिम की योजना को और अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से वर्तमान व्यवस्था में इस आशय के संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है कि यदि कर्मचारी की पत्नी/पति दोनों ही राज्य कर्मचारी हैं तो दोनों को अलग-अलग भवन निर्माण अग्रिम इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि आवेदक की पत्नी/पति/अवयस्क बच्चे का उस नगर/नगर समूह (टाउन)/अरबन एग्लोमरेशन) में जहाँ सरकार से अग्रिम लेकर मकान बनाया जाना अथवा अर्जित किया जाना प्रस्तावित है, पहले से कोई मकान नहीं होना चाहिये ।

शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि ऊपर सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 1971 द्वारा निर्धारित प्रार्थना-पत्र के प्रारूप को तदनुसार संशोधित करके उसका संलग्न प्रारूप निर्धारित कर दिया जाये । अतः भविष्य में भवन निर्माण अग्रिम के लिये आवेदन-पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप पर ही लिया जाये । इस प्रपत्र की प्रतियाँ काफी मात्रा में निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा छापी जायेंगी और मांग के अनुसार उनकी आपूर्ति की जायेगी ।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के सम्बन्धित नियम में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी ।

भवदीय,
दिलीप कुमार,
विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
संख्या बी-3-3487/दस-83-1 (11)-79-भवन
लखनऊ, दिनांक 7 सितम्बर, 1983

कार्यालय ज्ञाप

शासन/वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-3-3420/दस-82-1 (11)-79-भवन, दिनांक 6 अक्तूबर, 1982 के साथ पठित कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-3-2846/दस-83-1 (11)/79-भवन, दिनांक 7 जुलाई, 1983 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि समुचित विचारोपरान्त शासन द्वारा अग्रिम ऋण की प्रतिभूति में भूखण्ड भवन को बन्धक रखने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया/अनुबन्ध प्रपत्र निर्धारित किये जाते हैं :—

(1) जिन राज्य कर्मचारियों द्वारा जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश आवास परिषद्, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ एवं भारत सरकार के प्रतिष्ठान हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन आदि से पहले भवन निर्माण/क्रय हेतु ऋण लिया जाता है और लिया गया ऋण अपर्याप्त होने पर भवन के निर्माण/क्रय हेतु बाद में शासन से भी अतिरिक्त अग्रिम लिया जाता है ऐसे मामलों में भूखण्ड भवन को प्रथम चार्ज में सम्बन्धित संस्था के पक्ष में तथा द्वितीय चार्ज शासन के पक्ष में बन्धक रखने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग-1 में निर्धारित वर्तमान सम्बन्धित बन्धक-पत्र के प्रपत्रों के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"not withstanding anything hereinbefore contained it is hereby declared that the property hereby mertgaged is subject to the first charge of ....under the deed of mortgaged dated............................. registered as on..........................in Book.............................Vol................. on pages........................to..........................at the office of the sub-registrar ....on the..........................day of..........................19 . and the mortgagor hereby convenants that he, the mortgagor, will not create any further encumberance on the said property without the written permission of the mortgagee.

(2) ऐसे प्रकरणों में जिनमें भवन निर्माण/क्रय अग्रिम शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है और बाद में सम्बन्धित कर्मचारी ऊपर उल्लिखित किसी संस्था से पूर्णरूप से भवन निर्माण/क्रय करने के लिये अतिरिक्त ऋण लेना चाहता है तो उस स्थिति में बन्धक रखे गये भू-खण्ड/भवन पर प्रथम चार्ज के

स्थान पर द्वितीय चार्ज शासन द्वारा स्वीकार करने तथा प्रश्नगत सम्पत्ति पर सम्बन्धित संस्था के पक्ष में प्रथम चार्ज में बन्धक रखने की सुविधा दिये जाने के निमित्त अनुबन्ध किये जाने के लिए संलग्न प्रपत्र 22-एफ का प्रयोग किया जायेगा।

2—अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामले जिनमें अग्रिमी पहले किसी संस्था से ऋण लेता है और तदोपरांत शासन से, उन मामलों में शासन के हित में जो बन्धक-पत्र भरा जायेगा उस पर सम्प्रति लागू आदेशों के अन्तर्गत कोई स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्री फीस देय नहीं होगा। ऐसे मामले जिनमें अग्रिमी पहले शासन से ऋण ले और तदोपरान्त किसी संस्था से उनमें संलग्न प्रपत्र के अनुबन्ध-पत्र में अग्रिमी, वह संस्था तथा शासन तीनों पक्षकार (पार्टी) होंगे तथा उस भरवाये जाने वाले अनुबन्ध-विलेख का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में छः रुपये स्टाम्प शुल्क देय होगा और मूल्य के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस देय होगी, जिसकी अधिकतम धनराशि सम्प्रति 251 रुपये हैं। यह दोनों शुल्क अग्रिमी द्वारा वहन किया जायेगा। संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्ति (भू-खण्ड/भवन) के मामलों में दोनों प्रकार के शुल्क अग्रिमी द्वारा देय हैं। अतः संलग्न प्रपत्र में भरे जाने वाले अनुबन्ध-पत्र के रजिट्रेशन में भी निहित स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन फीस अग्रिमी द्वारा वहन की जायेगी।

3—वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

जे० एल० बजाज
वित्त सचिव।

रा–70

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–3
संख्या बी–3-2619/दस-80-1 (11)/79-भवन
लखनऊ, दिनांक 16 मई, 1981

कार्यालय-ज्ञाप

भवन निर्माण अग्रिम सम्बन्धी वर्तमान नियमों के अनुसार, प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं जैसे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ विकास प्राधिकरण आदि द्वारा निर्मित मकानों को क्रय करने के लिए भवन निर्माण अग्रिम अनुमन्य है। उक्त संस्थाओं में से कतिपय संस्थाओं द्वारा 'सेल्फ फाइनेन्सिग स्कीम' के अन्तर्गत भवनों के निर्माण की योजनायें चालू की गई हैं जिसके अनुसार भवनों का आवंटन 2 वर्ष से अधिक अवधि में हो पाता है। इस प्रकार से निर्मित होने वाले भवनों की कीमत का भुगतान किस्तों में किया जाना अपेक्षित होता है।

2—चूंकि उक्त योजना के अन्तर्गत कोई सम्पत्ति (भू-खण्ड अथवा उस पर निर्मित होने वाले भवन) तत्काल अथवा निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाती है, अतः वर्तमान नियमों के अनुसार उसके क्रय हेतु अग्रिम दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रदेश सरकार के इच्छुक कर्मचारी उक्त योजना में शामिल हो सकें और उक्त योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों को क्रय करने हेतु अग्रिम पा सके, इस हेतु शासन ने भवन निर्माण अग्रिम सम्बन्धी वर्तमान नियमों में संशोधन करने तथा निम्नलिखित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने का निर्णय लिया है :–

(1) ऐसे भवनों के क्रय हेतु प्रारम्भिक (earnest money/registration deposit) के लिए भवन निर्माण अग्रिम अनुमन्य नहीं होगा। इसका भुगतान सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को स्वयं अपने निजी स्रोत से करना होगा।

(2) 'सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम' के अन्तर्गत भवन आवंटित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से सम्बन्धित कर्मचारी के पक्ष में भवन के आवंटन का आश्वासन मिलने के बाद ही सम्बन्धित कर्मचारी को उसे अनुमन्य भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा, किन्तु उसका भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी के द्वारा अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में फार्म 22-ई पर एक त्रि-पक्षीय अनुबन्ध-पत्र (प्रतिलिपि संलग्न जिसका उल्लेख नीचे उप-प्रस्तर (7) में किया गया है) भरने के बाद सीधे सम्बन्धित संस्था को किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को दो ऐसे स्थायी कर्मचारियों की प्रतिभूति भी फार्म 25-ई (प्रतिलिपि संलग्न) में देनी होगी जो कि सेवा में उनके समकक्ष हों और जो सम्बन्धित भवन के शासन के पक्ष में बन्धक हो जाने से पूर्व ही सेवा निवृत्त होने वाले न हों। इस अग्रिम का भुगतान सम्बन्धित संस्था को उनके द्वारा निर्धारित किस्तों में किया जायेगा तथा अग्रिम स्वीकृति आदेश में उन तिथियों का, जिन पर किस्तों का भुगतान अपेक्षित होगा, स्पष्ट उल्लेख कर दिया जायेगा ताकि सम्बन्धित आहरण अधिकारी द्वारा किस्त की राशि का समय से आहरण करके सम्बन्धित संस्था को समय से भुगतान किया जा सके।

(3) सम्बन्धित संस्था को प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में अलग-अलग लेखा-जोखा रखना होगा और उस अग्रिम का समायोजन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रार्थित श्रेणी के भवन की कीमत के विरुद्ध करना होगा।

(4) भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सम्बन्धित संस्था द्वारा उस पर सम्बन्धित कर्मचारी को कब्जा देना होगा और सम्बन्धित कर्मचारी को उसे राज्यपाल महोदय के पक्ष में निर्धारित प्रारूप में बन्धक-पत्र भर कर बन्धक करना होगा।

(5) क्रय किये जाने वाले भवन की कीमत अनुमन्य स्वीकृत अग्रिम की धनराशि से अधिक होने की दशा में भवन के अवशेष मूल्य का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी को अपने निजी आय के स्रोत से वहन करना होगा।

(6) यदि सम्बन्धित कर्मचारी उक्त योजना से अपने को विलग करना चाहता है अथवा स्वीकृत अग्रिम से भवन की कीमत अधिक होने की दशा में अन्तर की धनराशि नहीं जमा कर पाता है अथवा

भवन का वास्तविक कब्जा पाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय अथवा वह नौकरी से विलग हो जाय या विलग कर दिया जाय तो अग्रिम के रूप में भुगतान की गई धनराशि सम्बन्धित संस्था द्वारा शासन को वापस करनी होगी।

(7) राज्य सरकार के हितों के रक्षार्थ अग्रिमी तथा सम्बन्धित संस्था को फार्म संख्या 22-ई में (प्रतिलिपि संलग्न) शासन के साथ एक त्रि-पक्षीय एग्रीमेंट (Tripartite Agreement) करना होगा।

(8) उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अग्रिम की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग 1 के अध्याय 11 के अनुच्छेद 244 (डी) के अनुसार की जायेगी।

(9) भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दर वही होगी जो कि अग्रिम स्वीकृत करने के समय शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी। यदि सम्बन्धित संस्था द्वारा प्रथम किस्त प्राप्त करने के बाद $2\frac{1}{2}$ वर्ष तक सम्बन्धित कर्मचारी को भवन का निर्माण कर उस पर उसका कब्जा नहीं दिया जाता है तो ढाई वर्ष के बाद वास्तविक कब्जा दिये जाने की तिथि के मध्य की अवधि के लिए सम्बन्धित संस्था को शासन द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से शासन को ब्याज देना होगा और इस प्रकार होने वाला लाभ शासन को होगा।

3—ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग-1 में यथावश्यक संशोधन बाद में अलग से किये जायेंगे।

आर० के० बर
वित्त सचिव

रा–71

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–3

संख्या बी-3-997/दस-80-1(11)/79-भवन

लखनऊ, दिनांक 26 अप्रैल, 1980

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण आदि अग्रिम ...त करने सम्बन्धी शासन के वर्तमान नियमों में केवल उसी कर्मचारी को उक्त अग्रिम अनुमन्य है जिसका अपने भूखण्ड/भवन पर पूर्ण स्वामित्व है/प्राप्त होगा अथवा वह उसका पट्टेदार (लीज होल्डर) है/होगा।

समुचित विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे कर्मचारी को भी भवन निर्माण आदि अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है जिसका भू-खण्ड/भवन उसके तथा उसकी पत्नी (अथवा उसके पति), उसके सगे भाई/भाइयों, उसके पिता, उसकी माता अथवा उसके पुत्र/पुत्रों के संयुक्त स्वामित्व में हो, अथवा उनके संयुक्त नाम में पट्टे पर हो बशर्ते अग्रिम का प्रस्ताव अन्य सभी प्रकार से नियमानुकूल हो तथा परिवार के सभी सम्बन्धित सदस्य संयुक्त रूप से अग्रिम से प्रतिदान के लिए प्रतिभूति के रूप में भू-खण्ड/भवन राज्यपाल के पक्ष में बन्धक रखने को तैयार हों। ऐसे मामलों में भी सम्बन्धित कर्मचारी को वांछित अग्रिम संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति के शासन के पक्ष में बन्धक रख दिये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत किया जायगा।

ऐसे भवन निर्माण आदि अग्रिम की स्वीकृति हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी के पति (अथवा उसकी पत्नी), उसके सगे भाई/भाइयों, उसके पिता, उसकी माता अथवा उसके पुत्र/पुत्रों (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा इस आशय का एक पत्र सम्बद्ध किया जाना चाहिए कि यदि प्रार्थित अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाता है तो परिवार के सभी सम्बन्धित सदस्य भू-खण्ड/भवन का अपना-अपना भाग संयुक्त रूप से अग्रिम के प्रतिदान के लिए प्रतिभूति के रूप में बन्धक रख देंगे।

ऐसे भू-खण्ड/भवन जो पूर्ण स्वामित्व के होंगे और जो प्रार्थी तथा उसके पति (अथवा उसकी पत्नी), उसके सगे भाई/भाइयों, उसके पिता, उसकी माता अथवा उसके पुत्र/पुत्रों के संयुक्त नाम से होंगे, उन पर भवन निर्माण आदि हेतु अग्रिम के लिए बन्धक-पत्र संलग्न बन्धक फार्म 22-डी में तथा परिवार के उक्त सदस्यों के संयुक्त नाम से पट्टे वाली सम्पत्ति पर अग्रिम के लिये संलग्न बन्धक-पत्र फार्म 23-ए में भरा जाना चाहिए।

शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि जिस मामलों में स्टैम्प ड्यूटी अग्रिम के लिए प्रार्थी कर्मचारी द्वारा वहन किया जाना है उनमें बन्धक-पत्र रजिस्ट्रेशन से पूर्व उचित मूल्य के स्टैम्प पर भरा जाना चाहिए।

ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग-1 चैप्टर 11 के सम्बन्धित अनुच्छेदों में आवश्यक संशोधन बाद में अलग से किये जायेंगे।

त्रिभुवन प्रसाद
वित्त सचिव।

4. अपेक्षित प्रपत्र

(अ) आवेदन पत्रों के प्रारूप

गृह निर्माण अग्रिम के लिए प्रार्थना-पत्र

1—नाम

2—पद नाम और कार्यालय का पता

3—घर का स्थायी पता

4—स्थायी पद अथवा मौलिक नियुक्ति

5—वेतन और भत्ते—

(1) मूल वेतन

(2) स्थानापन्न वेतन

(3) विशेष वेतन

(4) ब्यौरे सहित भत्ते

6—अपेक्षित अग्रिम धनराशि—

(क) भूमि खरीदने के लिए

(ख) मकान बनवाने के लिए

(ग) मकान और संलग्न भूमि खरीदने के लिए

(घ) खरीदे जाने वाले मकान की मरम्मत के लिये

(ङ) मकान फिर से बनवाने के लिए

(च) पिछली अग्रिम धनराशि से बनवाये गये या खरीदे गये मकान की मरम्मत/विस्तार के लिए

7—खरीदे जाने वाले प्लाट/मकान का पूर्ण विवरण और सही स्थान। :

8—यह सिद्ध करने के लिये आपके पास क्या प्रमाण है कि उक्त भूमि या मकान पर आपने निर्बाध स्वत्वाधिकार प्राप्त कर लिया है या कर लेंगे और उसे सरकार के पास बन्धक रखने में कोई बाधा न पड़ेगी। :

9—अग्रिम धनराशि कितनी किस्तों में चाहिये और प्रत्येक किस्त के कब तक पूर्ण रूप से उपयोग कर लिये जाने की सम्भावना है? :

10—मकान के निर्माण/क्रय/मरम्मत के बाद उसमें कौन रहेगा ? :

11—किसी ऐसे अन्य मकान का विवरण दीजिए जिसके आप स्वामी या हिस्सेदार हों। उक्त मकान में अपने अंश का मूल्य भी बताइये। :

12—यदि कोई मकान बनवाने, खरीदने/या उसकी मरम्मत इत्यादि कराने के लिये आपने इन नियमों के अधीन— कोई अन्य अग्रिम धनराशि ली हो तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए। :

13—किसी मकान को खरीदने, बनाने, उसकी मरम्मत करने या उसे फिर से बनाने के लिये भविष्य निधि से लिये गये स्थायी प्रत्याहरण (फाइनल विथड्राल) का पूरा-पूरा विवरण दीजिए। :

14—जन्म का दिनांक :

15—(क) सामान्यतः आप कब तक सेवा निवृत्त होंगे ? :

(ख) क्या आपका विचार इससे पहले सेवा-निवृत्त होने का है ? :

16—वसूली कब से और किस दर से होनी चाहिये :

17—क्या आपकी पत्नी/आपके पति राज्य सरकार के कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो— :

(1) उनका नाम, पद नाम तथा कार्यालय का पता अंकित करें।

(2) यदि उन्होंने इन नियमों के अधीन किसी अग्रिम के लिये आवेदन-पत्र दिया हो और/ या अग्रिम लिया हो तो निम्नलिखित विवरण दें—

(1) आवेदन पत्र देने की तिथि

(2) लिये गये अग्रिम का प्रयोजन

(3) लिये गये अग्रिम की राशि

(4) अग्रिम से खरीदे गये/बनाये गये/ मरम्मत कराये गये भवन का विवरण (जिसमें स्थान का उल्लेख अवश्य हो)

18—क्या आपने या आपकी पत्नी या आपके पति ने अपनी ओर से या किसी अवयस्क बच्चे की ओर से किसी अन्य स्रोत/संस्था से गृह निर्माण अग्रिम/ऋण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है या कोई ऋण/अग्रिम प्राप्त किया है, यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए। :

घोषणा

1—मैं, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं, कि ऊपर बताई गई विभिन्न मदों के उत्तर में मैंने जो सूचना दी है, वह जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, सही है।

2—मैंने मकान बनवाने आदि के लिए राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम को विनियमित करने वाले नियमों को पढ़ लिया है और उसमें दी गई शर्तों को मानने के लिये सहमत हूं।

3—जिस मकान के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया है उसे बनवाना अभी आरम्भ नहीं किया है।

4—मैं घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी/पति/अवयस्क बच्चे का उस नगर/नगर समूहन (टाउन अरबन एग्लोमरेशन) में, जहां सरकार से अग्रिम लेकर मकान बनाया जाना अथवा अर्जित किया जाना प्रस्तावित है, पहले से कोई मकान नहीं है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

पद नाम

विभाग/कार्यालय जिसमें वह नियुक्त हों।

निकटतम उच्च अधिकारी की सिफारिश।

× जो लागू न होते हों उन्हें काट दीजिए

अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम।

प्र–56

मोटर साइकिल/स्कूटर/कार क्रय करने हेतु अग्रिम धन प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र

1—प्रार्थी का नाम	:
2—प्रार्थी का पद	:
3—प्रभाग/कार्यालय (जिसमें कार्यरत है)	:
4—प्रभाग/कार्यालय जहां से वेतन मिलता है।	:
5—प्रार्थी के वेतन आहरण करने वाले अधिकारी का पद	:
6—प्रार्थी स्थायी है अथवा अस्थायी है।	:
7—प्राथी का वर्तमान मूल मासिक वेतन	:
8—आवेदित धनराशि (जो 10 माह के वेतन) से अधिक न हो।	:
9—प्रार्थी के रिटायर होने का वर्ष	:
10—पूर्व लिये हुए अग्रिम का विवरण (यदि है)	
(क) स्वीकृति आदेश संख्या व तिथि	:
(ख) स्वीकृति की गई धनराशि	:
(ग) भुगतान की तिथि	:
(घ) क्या पूर्व लिये गये अग्रिम की अदायगी की जा चुकी है यदि हां तो कब	:
11—कार्यालय से निवास स्थान की दूरी	:

स्थान : प्रार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक : पद नाम

मैं श्री घोषणा करता हूं कि मैंने मोटर कार/स्कूटर/मोटर साइकिल क्रय करने हेतु अग्रिम स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी सभी नियमों को पढ़कर एवं पूर्ण जानकारी करने के पश्चात प्रार्थना पत्र की प्रविष्टियां अंकित की है जो पूर्णतया सत्य है।

2—मैं अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात् तुरन्त मोटरकार/मोटर साइकिल/स्कूटर क्रय कर लूंगा तथा उसे एवं उसकी रसीद आवश्यकता पड़ने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दिखा दूंगा एवं ऐसा न करने पर सम्पूर्ण स्वीकृत अग्रिम धन एक मुस्त में ब्याज सहित शासन को तुरन्त वापस कर दूंगा।

दिनांक : प्रार्थी के हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता हूं कि प्रार्थना पत्र में अंकित प्रविष्टियों की भलीभांति जांच कर ली गई है तथा पूर्णतया सही है। प्रार्थी सरकारी कार्य हेतु अपने कर्तव्य पालन की सुविधा हेतु मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर क्रय करना चाहता है।

अग्रसारित करने वाले अधिकारी का नाम
व पद नाम

साइकिल क्रय करने हेतु अग्रिम धन प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र

प्र--57

1---प्रार्थी का नाम :

2---प्रार्थी का पदनाम :

3---प्रभाग (कार्यालय) जिसमें आवेदक कार्यरत है :

4---प्रार्थी के वेतन आहरण करने वाले अधिकारी का पद नाम :

5---प्रार्थी स्थायी हैं अथवा अस्थायी :

6---प्रार्थी का वर्तमान मूल वेतन :

7---आवेदित धनराशि (जो दो माह के वेतन) से अधिक न हो। :

8---प्रार्थी की जन्म तिथि :

9---प्रार्थी के सेवा निवृत्त होने का वर्ष :

10---प्रार्थी के बच्चों की संख्या, आयु सहित :

11---कार्यालय से निवास स्थान की दूरी :

12---पूर्व लिए हुए अग्रिम का विवरण---

(क) स्वीकृति आदेश संख्या व तिथि :

(ख) स्वीकृत धनराशि :

(ग) भुगतान प्राप्ति की तिथि/महीना :

(घ) पूर्व अग्रिम की अदायगी की तिथि :

2---मैं (सरकारी सेवक का नाम व पद) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं, कि मैंने साइकिल क्रय करने हेतु अग्रिम स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी सभी नियमों को पढ़कर एवं पूर्ण-जानकारी करने के पश्चात प्रार्थना-पत्र की प्रविष्टियां अंकित की हैं जो पूर्णतया सही हैं।

स्थान : प्रार्थी के हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता हूं, कि प्रार्थना-पत्र में अंकित प्रविष्टियों की भलीभांति जांच कर ली गयी है तथा यह सही हैं। प्रार्थी सरकारी कार्य हेतु अपने कर्तव्य पालन की सुविधा हेतु साइकिल क्रय करना चाहता है।

अग्रसारित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पद

FORM No. 22

(See Chapter XI, Paragraph 244-E)

Form of Mortgage

THIS INDENTURE made the..............................day of...............................one thousand nine hundred and.......................corresponding to Saka Samvat......................... BETWEEN Sri...............................son of ....resident of.......................... (Designation...........................) (hereinafter referred to as the 'mortgagor' which term shall where the context so admits include his heirs, executors, administrators and assigns) of the one part; and the GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (hereinafter referred to as the 'mortgagee' which term shall where the context so admits include his successors and assigns) of the other part.

WHEREAS the mortgagor is absolutely seized and possessed of or otherwise well entitled to the land, hereditaments and premises hereinafter described and expressed to be hereby conveyed, transferred and assured (hereinafter referred to as 'the said hereditaments')

AND WHEREAS the mortgagor has applied to the mortgagee for an advance of the sum of Rs......................for the purpose of enabling him to defray the expenses* of..........................as a suitable residence for his own use.

AND WHEREAS under the provisions contained in the Account Rules of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as 'the said Rules' which expression shall where the context so admits include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force), the mortgagee has agreed to advance to the mortgagor the said sum of Rs.....................in a lump sum (in the instalments mentioned in the Schedule hereto).†

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said AGREEMENT and in consideration of the sum of Rs..................paid on or before the execution of these presents to the mortgagor by the mortgagee the receipt whereof of the mortgagor doth hereby acknowledge (and the balance sum of Rs.............................. to be paid in the instalments mentioned in the Schedule hereto)† for the purpose of enabling the mortgagor to defray the hereinbefore recited expenses the mortgagor hereby convenants with the mortgagee to repay to the mortgagee the said principal sum and interest thereon calculated according to the said Rules on or before the .... day of.. ....19......next and if the loan shall not be repaid on that date will pay

interest in accordance with the said Rules. AND THIS INDENTURE ALSO WITNESSETH that for consideration aforesaid he the mortgagor doth hereby convey transfer and assure unto the mortgagee ALL that piece of land being Plot No................ situate in the.................... district of.....................registration district of..................sub-registration district of................ containing more or less now in the occupation of the mortgagor and bounded on the North by................East by...............and on the West by ....South by...............together with the dwelling house and the out office, stables, cookrooms and out-buildings now erected or hereafter to be erected on the said piece of land together with all rights, easements, appurtenances to the said hereditaments or any of them belonging TO HOLD the said hereditaments with their appurtenances including all erections and buildings hereafter erected and built on the said piece of land unto and to the use of the mortgagee absolutely subject to the provision for redemption hereinafter contained. PROVIDED ALWAYS that if and as soon as the said advance made upon the security of these presents shall have been repaid and interest thereon paid calculated according to the said Rules by the deduction of monthly instalments of salary of the mortgagor as in the said Rules mentioned or by any other means whatsoever then and in such case the mortgagee will upon the request and at the cost of the mortgagor reconvey, retransfer or re-assure the said hereditaments unto and to the use of the mortgagor or as he may direct AND it is hereby agreed and declared that if there shall be any breach by the mortgagor of the convenants on his part

---

*Insert 'the purchase of the said hereditament', 'building housed on the said hereditaments' or 'Repairing the said hereditaments' as the case may be.

†Delete words in erochet if advance is not to be by instalment.

The Schedule herein referred to

Rs. on or before.

Rs. on or before.

Signed by the said (mortgagor)—

In the presence of—

1st witness :

Address :

Occupation :

2nd witness :

Address :

Occupation :

(The deed should be registered)

NOTE—There must be two witnesses to a mortgage.

---

1. Delete the schedule if advance is not to be made by instalment.

प्र-59

भूमि क्रय हेतु स्वीकृत अग्रिम आहरण के समय संविदा करने का प्रारूप

FORM NO. 22-A

(See Chapter XI, Paragrph 244-N)

Form of Agreement to de cxecuted at the time of drawing an advance for the purchase of land on which to construct a house

AN AGREEMENT MADE............................day of... one thousand nine hundred and......................corresponding to Saka Samvat.................. ....BETWEEN.............................Son of... resident of...............................(designation)................................. .....(hereinafter called 'the Borrower' which expression shall include his legal representatives and assigns) of the one part and THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (hereinafter called 'the Governor') of the other Part.

WHEREAS the Borrower has agreed to purchase for the purpose of erecting a house thereon the piece of land situate in... ....in the registration.............. district of .. .. sub-district ....thana........................... containing.............................. more or less and bounded on the North by.... .... on the South by.................on the East by......................and on the West by.............. for the sum of rupees ....;

AND WHEREAS the Borrower has under the provisions of the Account Rules of the Government of Uttar pradesh (hereinafter referred as 'the said Rules' which expression shall include any amendments thereof for the time being in force) applied to the Governor of Uttar pradesh for a loan of rupees.................................to enable him to purchase the said piece of land and the Governor of Uttar Pradesh has agreed to lend the said sum of Rupees ....__________to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained.

NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in consideration of the sum of Rupees...............................paid dy the Governor of Uttar Pradesh to the borrower (the receipt of which the Borrower hereby acknowledges) the Borrower hereby agrees with the Governor of Uttar pradesh (1) to repay the Governor of Uttar Pradesh the said amount with interest calculated according to the said Rules by monthly deductions from his salary as provided for by the said Rules and hereby authorises the Governor of Uttar Pradesh to make such deduction and (2) within one month from the

date of these presents to expend the full amount of the said loan in the purchase of the said piece of land if the actual price paid is less than the loan to repay the differnce to the Governor forthwith and (3) to execute a document mortgaging the said piece of land and the house to be erected thereon to the Governor of Uttar Pradesh as security for the amount lent to the Borrower as aforesaid and interest in the form provided by the said Rule AND IT IS HEREBY FURTHER AGREED that the Borrower shall immediately he has purchased the said piece of land commence and erect thereon a suitable residence for his own use AND IT IS HEREBY ALSO AGREED AND DECLAERD that if the said piece of land has not been purchased and mortgaged as aforesaid within one month from the date of these presents or if the Borrower within that period becomes insolvent or quits the service or dies the whole amount of the loan and interest accrued thereon shall immediately become due and payable. AND the Borrower doth hereby agree and declare that the Governor may, on the certificate of the Secretary to the State Government in the Administrative Department, which shall be final, conclusive and binding on the Borrower, recover all dues hereunder as arrears of land revenue. And it is hereby lastly agreed and declared that the Governor shall be entitled to recover the balance of the said advance with interest remaining unpaid at the time of the Borrower's retirement or death preceding retirement from the whole or any specified part of the gratuity that may be sanctioned to him.

IN WITNESS whereof the Borrower has hereunto set his hand the day and year first before written.

Signed by the said
in the presence of

(1) ....address
occupation

(2) ....address
occupation

भवन निर्माण हेतु क्रीत भूमि शासन के प्रति बन्धक रखने का प्रारूप

FORM NO. 22-B

(See Chapter XI, Paragraph 244-N)

Form of Mortgage Deed to be executed in connection with an advance for the purchase of land and the construction of a house thereon.

THIS INDENTURE made the..............................day of..............................one thousand nine hundred and..............................corresponding to Saka Samvat.............................. BETWEEN..............................son of..............................resident of..............................(designation)..............................(hereinafter called 'the Mortgagor' which term shall where not repugnant to the context include his heirs, executors and administrators and assigns) of the one part and THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (hereinafter referred to as 'the mortgagee' which term shall where not repugnant to the context include his successors and assigns) of the other part.

WHEREAS by the Agreement, dated the..................day of....................19 and made between the mortgagor of the one part and the mortgagee of the other part the mortgagee advanced and lent to the mortgagor the sum of Rs.............................. for the purpose of purchasing the piece of land hereinafter described and intended to be hereby transferred and assured and as security for such loan the mortgagor agreed to execute a mortgage in favour of the mortgagee in the from of these presents AND WHEREAS the mortgagor on the..............................day of..............................19 duly purchased the said piece of land and is absolutely seized and possessed of or otherwise well entitled to the said piece of land AND WHEREAS the mortgagor has applied to the mortgagee for a further advance of the sum of Rupees.............................. for the purpose of enabling him to defray the expenses of erecting on the said piece of land a suitable residence for his own use AND WHEREAS under the provisions contained in Paragraph 244 of the Account Rules of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as 'the said Rules' which expression shall where the context so admits, include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force and shall be deemed to form part of these presents) the mortgagee has agreed to advance to the mortgagor the said further sum of Rs..............................in a lump sum (in the instalments mentioned in the Schedule hereto).*

---

*To be deleted if the payment is not to be by instalments.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in consideration of the said advances of Rupees..................................and Rupees..................................making a total of Rupees..............................so advanced as aforesaid and in pursuance of the said Agreement the mortgagor doth hereby covenant with the mortgagee to pay to the mortgagee the said principal sum and interest thereon calculated according to the said Rules on or before the............................day of..............................next and if the loan shall not be repaid on that date will pay interest in accordance with the said Rules.

AND THE INDENTURE ALSO WITNESSETH that for the consideration aforesaid the mortgagor doth hereby transer assign and assure unto the mortgagee ALL THAT piece of land being plot no..........................situate in..........................in the registration district of........................sub-district........................thana.......................... containing..........................more or less and bounded on the North by.......................... on the South by..........................on the East by..........................and on the West by..........................together with the dwelling-house and the out-offices, stables, cook-rooms and out-buildings erected or hereafter to be erected on the said piece of land together with all rights, easements and appurtenances to the same or any of them belonging TO HOLD the said premises including all erections and buildings hereafter erected on the said land (hereinafter referred to as 'the said premises') unto and to the use of the mortgagee absolutely subjeet to the proviso for redemption hereinafter contained PROVIDED ALWAYS that if and as soon as the said advance made upon the security of these presents shall have been repaid and interest thereon paid calculated according to the said Rules by the deduction of monthly instalments of the salary of the mortgagor as in the said Rules mentioned or by any other means, whatsoever then and in such case the mortgagee will upon the request and at the cost of the mortgagee will upon the request and at the cost of the mortgagor reconvey; retransfer or reassure the said premises unto and to the use of the mortgagor AND the mortgagor hereby covenants with the mortgagee that he, the mortgagor, now hath good right to transfer the said premises unto the mortgagee free from incumbrances AND FURTHER that the mortgagor and all other persons having or lawfully claiming any estate or interest in the said premises or any part thereof shall and will from time to time and at all times hereafter at his or their own cost do and executed or cause to be done and executed all such acts deeds and things for further and more perfectly assuring the said premises unto the mortgagee in manner aforesaid as shall or may be reasonably required PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed and declared that if there shall be any breach by the mortgagor of the convenants on his part herein contained or if he shall die or quit the service at any time before all sums due or payable to the mortgagee on

the security of these presents shall have been fully paid off then and in any of such cases it shall be lawful for the mortgagee to sell the said premises or building standing thereon or any part thereof either together or in parcels and either by public auction or by private contract or to the rescind any contract for sale and to resell without being answerable for any loss which may be occasioned thereby or to let the same for any term or period and to do and execute all such acts and assurances for effectuating any such sale or letting as the mortgagee shall think fit AND IT IS HEREBY DECLARED that the receipt of the mortgagee for the purchase money of the premises sold or any part thereof shall effectually discharge the purchase or purchasers therefrom AND IT IS HEREBY DECLARED that the mortgagee shall hold any rents, profits, premiums, salami or moneys arising from the premises or from any such letting or sale as aforesaid UPON trust in the first place thereout to pay all expenses attending such sale or otherwise incurred in relation to this security and in the next place to apply such moneys in or towards satisfaction of the moneys for the time being owing on the security of these present and then to pay the surplus, if any, to the mortgagor.

AND the mortgagor doth hereby agree and declare that without prejudice to any remedy provided by this deed, the Mortgagee may, on the certificate of the Secretary to the State Government in the Administrative Department which shall be final, conclusive and binding on the Mortgagor recover all dues hereunder as arrears of land revenue.

AND it is hereby lastly agreed and declared that Mortgagee shall be entitled to recover the balance of the said advance with interest remaining unpaid at the time of the Mortgagor's retirement or death preceding retirement from the whole or any specified part of the gratuity that may be sanctioned to him.

IN WITNESS whereof the mortgagor hath hereunto set his land the day and year first above written.

+The Schedule herein referred to

Signed by the mortgagor	Rs.....................on or before..................
In the presence of—	Rs.....................on or before..................

1st Witness.

Address.

Occupation.

2nd Witness.

Address.

Occupation.

(The deed should be registered)

Note—There must be two witness to a mortgage.

---

*Delete-if advance is not to be by instalments.

क्रीत भवन को शासन के प्रति बन्धक करने का प्रारूप

FORM NO. 22-C

(See Chapter XI, Paragraph 244-O)

Form of Agreement to be executed for an advance for the purchase of a house with land appurtenant thereto

AN AGREEMENT made on the..day of.................. ....one thousand nine hundred and..............................corresponding to Saka Samvat...........................BETWEEN Sri...son of ....resident of...(designation) ....(hereinafter called 'the Borrower' which expression shall include his legal representative and assigns) of the one part and THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (hereinafter called 'the Governor') of the other part.

WHEREAS the Borrower has agreed to purchase a house with land appurtenant thereto situate in...in the registration district of.............. .... sud district.................................. thana.................................containing ....more or less and bounded...on the North by......................................on the South by...on the East by......................................and on the West by...for the sum of Rupees............................ .

AND WHEREAS the Borrower has under the provisions of the Account Rules of the Government of Uttar pradesh (hereinafter referred to as 'the said Rules, which expresion shall include any amendments thereof for the time being in force) applied to the Governor for a loan of Rs ....) to enable him to purchase the said house with land appurtenant thereto and the Governor has agreed to lend the said sum of Rupees.............................to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained. NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in consideration of the sum of Rupees......................... paid by the Governor to the Borrower (the receipt of which the Borrower hereby acknowledges) the Borrower hereby agrees with the Governor : (1) to repay the Governor the said amount with interest calculated according to the said Rules and hereby authorizes the Governor to make such, deductions and (2) within one month from the date of these presents to spend the full amount of the said loan in the pur-

chase of the said house with land appurtenant thereto, and if the actual price paid is less than the loan, to repay the difference to the Governor forthwith and (3) to execute a document mortgaging the said house with land appurtenant thereto as security for the amount lend to the Borrower as aforesaid and interest in the form provided by the said Rules AND IT IS HEREBY FURTHER AGREED AND DECLARED that if the said house with land appurtenant thereto has not been purchased and mortgaged as aforesaid with in one month from the date of these present or if the Borrower within that period becomes insolvent on quits the service or dies, the whole amount of the loan and interest accured thereon shall immediately become due and payable. AND the Borrower doth hereby agree and declare that the Governor may on the certificate of the Secretary of the State Government in the Administrative Department, which shall be final, conclusive and binding on the Borrower, recover all dues hereunder as arrear of land revenue, AND it is hereby lastly agreed and declared that the Governor shall be entitled to recover the balance of the said advance with interest remaining unpaid at the time of the Borrower's retirement or death preceding retirement from the whole or any specified part of the gratuity that may be sanctioned to him.

IN WITNESS WHEREOF the Borrower has hereunto set his hand the day and year first before written.

Signed by the Borrower............................In the presence of...........................

1............................ address........................... Occupation.........................

2............................ address........................... Occupation.........................

प्र–62

ऐसे भूखण्ड/भवन, जो अग्रिम प्राप्तकर्त्ता के परिवार के सदस्यों के संयुक्त नाम से हो, के बन्धक पत्र का प्रारूप

FORM NO. 22-D

THIS INDENTURE is made on the..
day of..........................one thousand nine hundred and..
corresponding to Saka Samvat the......................................day of......................
one thousand nine hundred and..BETWEEN
Sri/Smt./Km..son/wife/daughter of
Sri... residens on...
(Designation.........................) hereinafter called 'The Mortgagor', which term shall

where the context so admits include his/her heirs, executors, administrators and assigns) of the first part and *(Sri/Srimati..son of/wife of Sri..resident of... who is the.. (relationship with the Mortgagor) of the Mortgagor (hereinafter called 'The Surety' which term shall, where the context so admits include his/her heirs, executers, administrators and assigns) of the Second part.

†(1) Sri/Srimati..son of/wife of Sri...resident of... who is the..............................(relationship with the Mortgagor) of the Mortgagor,

(2) Sri/Srimati..son of/wife of Sri...resident of... who is the..............................(relationship with the Mortgagor) of the Mortgagor,

(3) Sri/Srimati..son of / wife of Sri..............................resident of..............................who is the........................... (relationship with the Mortgagor) of the Mortgagor. (4) etc. (hereinafter jointly called the sureties 'which term shall, where the context so admits, include their respective heirs, executors, administrators and assigns) of the Second Part; AND the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called 'the Mortgagee', which term shall, where the context so admits include his successors in-office and assigns) of the Third part.

WHEREAS the Mortgagor and the Surety/Sureties are absolutely seized and possessed of or otherwise well entitled to the land, hereditaments and premises hereinafter described and expressed to be hereby conveyed, transferred and assured (hereinafter referred to as 'the hereditaments').

AND WHEREAS the Mortgagor has applied to the Mortgagee for an advance of the sum of Rs........................(Rupees...........................) for enabling him/her to defray the expenses of ‡......................as a suitable residence for his/her own use.

AND WHEREAS under the provisions contained in the Account Rules of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as 'Rule' which expression shall

---

* Where only two joint owners of the property.

† Where more than two joint owners of the property.

‡ Insert 'the purchase of the hereditaments', 'building house on the said hereditaments' or repairing the said hereditaments', as the case may be.

where the context so admits include any amendments there or addition thereto for the time being in force) the Mortgagee has agreed to advance to the Mortgagor the sum of Rs..................(Rupees...................) in a lump sum (in the instalments mentioned in the Schedule here to)§

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH as follows :—

1. In pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rs..........................paid on or before the execution of these presents to the Martgagor by the Mortgagee the receipt whereof of the Mortgagor hereby acknowledges (and the balance sum of Rs...........................to be paid in the instalments mentioned in the Sechdule hereto)§† for the purpose of enabling the Mortgagor to defray the hereinbefore recited expenses, the Mortgagor and the surety (Sureties) hereby convenant with the Mortgagee that the Mortgagor will repay to the Mortgagee the said principal sum and interest thereon calculated according to the said Rules on or before the..................day of......................19 next and if the loan shall not be repaid on that date will pay interest in accordance with the said Rules.

2. For the consideration aforesaid the Mortgagor and the Surety (Sureties) hereby convey, transfer and assure unto the Mortgagee. All that piece of land being plot no..........................situated in the..........................district of.......................... registration district of..........................sub-registration district of.......................... containing more or less......................(area) now in the occupation of the Mortgagor and the Surety (Sureties) and bounded as follows :

North

South

East

West

together with the dwelling house and the out-office, stables, cook rooms and out-buildings now erected or hereafter to be erected on the said piece of land together with all rights, easements, appurtenances to the said hereditaments or any of them beloning TO HOLD the said hereditaments with their appurtenance including all erections and buildings hereafter erected and built on the said piece of land unto and to the use of the mortgagee absolutely subject to the provision for redemption hereinafter contained.

---

§ Delete the words in crochets if the advance is not to be by instalments.

3. If and as soon as the said advance made upon the security of these presents is repaid with interest thereon calculated according to the Rules by the deduction of monthly instalments from the salary of the mortgagor or by any other means whatsoever then the mortgagee will upon the request and at the cost of the mortgagor and/or the Surety (Sureties) reconvey, retransfer or reassure the hereditaments unto and to the use of the Mortgagor and the Surety (Sureties) or as they may direct.

4. It is hereby agreed and declared by the Mortgagor and the Surety (Sureties) that if there be any breach by the Mortgagor and/or the Surety (Sureties) of the convenants herein contained or if the Mortgagor dies or does not remain in the service of the Mortgagee before the said principal sum and interest thereon have been fully paid to the Mortgagee then the Mortgagee may sell the hereditaments or any part thereof either together or in parcels and either by public auction or by private contract with Power to rescind any contract for sale and to resell without being ansuarable for any loss which may be occasoned there by and to do and execute all such acts and assurances for effectuating any such sale as the Mortgagee thinks fit and the receipt issued by the Mortgagee for the purchase money of the premises sold or any part thereof shall effectually discharge the purchaser or purchasers therefrom.

5. The Mortgagee shall hold the money that arises from any sale in pursuance of the aforesaid power UPON TRUST in the first place thereout to pay all the expenses incrurred on such sale and in the next place to apply the same towards satisfaction of the amount for the time being owing on the security of these presents and then to pay the surplus, if any, to the Mortgagor and the Surety.

6. The Mortagagor and the Surety (Sureties) hereby convenant with the Mortagagee that they, the Mortgagor and the Surety (Sureties) shall during the continuance of this security observe and perform all the provisions and conditions of the Rules on his/their part to be observed and performed in respect of these presents and the hereditaments.

7. The said Rules shall be deemed and taken to be part of these presents.

8. The Mortgagee may recover the balance of the said advance and interest remaining unpaid from the whole or any specific part of the gratuity that may be sanctioned to the Mortgagor.

9. Without prejudice to any remedy provided by law or this deed, the Mortgagee may on the certificate of the Secretary to Government in the administrative department which shall be final, conclusive and binding on the Mortgagor and the

Surety (Sureties), recover all dues hereunder from Mortgagor and Surety/Sureties or and of them jointly or serverally as arrears of land revenue.

IN WITNESS WHEREOF the Mortgagor and the Surety (Sureties) have hereunto set their hands the day year first above written.

THE SCHEDULE HEREIN REFERRED TO

Rs...on or before

Rs...on or before

Signed by;

Witness :

1. .... (1) Mortgagor

(Address) (2) Surety (Ist Surety)

Occupation

2. .... (3) Surety (IInd Surety)

(Address)

Occupation

प्र–63

(परिवार के सदस्यों के संयुक्त नाम से पट्टे वाली सम्पत्ति पर अग्रिम प्राप्त करने के लिए बन्धक पत्र का प्रारूप)

FROM No. 23–A

THIS INDENTURE is made on the..............................day of.......................... one thousand nine hundred and...............................corresponding to Saka Samvat the ....day of.........................one thousand nine hundred and....................... BETWEEN Sri/Smt./Km...............................son of/wife of/daughter of Sri................... resident of............................(Designation ....) (hereinafter called 'The Mortgagor' which term shall, where the context so admits include his/her heirs, executors, administrators and assigns) of the first part AND* (Sri/Srimati.................... son of/wife of Sri..........................resident of..........................who is the..................... (relationship with the Mortgagor) of the Mortgagor (hereinafter called 'The Surety'

---

*Where only two joint owners of the property.

which term shall where the context so admits include his/her heirs includes administration and assigne) of the counter part.

† (1) Sri/Smt..son of/wife of Sri................................ resident of...................................... who is the..(relationship with the Mortagagor) of the Mortgagor, (2) Sri/Srimati..................................son of/ wife of Sri...................................who is the..................................(relationship with the Mortagor) of the Mortagor (3) Sri/Smt..........................son of/wife of Sri................... ....resident of..........................who is the.. (relationship with the Mortgagor) of the Mortgagor (4) etc. (hereinafter called 'The Sureties' which term shall, where the context so admits, include their respective heirs, executors, administrators and assigns) of the second part,) AND the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called 'The Mortgagee', which term shall, where the context so admits include his successors in office and assigns) of the third part.

WHEREAS the mortgagor is entitled jointly with the surety (sureties) to the piece of land, hereditaments and premises hereinafter described under a lease from ....dated....................for a term of years expiring[1]............................ subject to a rental of Rs..........................per[2].......................

AND WHEREAS the mortgagor has applied to the mortgagee for an advance of of the sum of rupees...............................for the purpose of enabling him to defray the expenses.......................of[3].......... ....as suitable residence for his own use.

AND WHEREAS under the provisions contained in the Account Rules of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred as 'the said Rules' which expression shall where the context so admits include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force and shall be deemed to form part of these presents) the mortgagor has agreed to the mortgagor the said sum of Rs......................in a lump sum (in the instalments mentioned in the Schedule hereto)[4]

---

†Where more than two joint owners of the property.

1. Date of end of lease.
2. Mensem or annum.
3. Insert "the purchase of the said hereditaments", "building a house on the said hereditament" or "repairing the said hereditament" as the case may be
4. Delete words in crochets if further advances are not to be made.

NOW THIS INDENTURE WITNESSED that in consideration of the said advance and in pursuance of the said agreement the mortgagor doth hereby covenant with the mortgagee to pay to the mortgagor said principal sum and interest there on calculated according to the said Rules on or before the........................day of.................. and if the loan shall not be repaid on that date will pay interest in accordance with the said Rules.

AND THIS INDENTURE ALSO WITNESSTH that for the consideration aforesaid the mortgagor and the surety (sureties) hereby demise, led and transfer unto the mortagee ALL THAT piece of land bearing plot No. .... situated in ....the registration district of..........................sub diestirct ....thana.....................containing........................more or less and bounded on the North by........................on the South by........................on the East by.................... and on the West by.......................together with the dwelling-house and the out-offices, stables, cookrooms and out-building and all kinds used or intended to be used with the said dwelling house now erected or hereafter to be erected together with all rights, easements and appurtenances to the same or any of them belonging TO HOLD the said premises including all erections and buildings hereafter erected on the said land unto the mortgagee his successors in office and assigns for all the residue now unexpired of the Said term of years granted by the said lease except the last day of the said term PROVIDED ALWAYS that if and as soon as the said advance made upon the security of these presents and interest thereon calculated according to the said Rules shall have been repaid by the deduction of monthly instalmants of salary of the mortagagor as in the said Rules mentioned or by any other means whatsoever the demise hereby made shall be void AND the mortgagor and the Surety (Sureties) hereby covenant with the mortgagee that the lease creating the term or estate for which the said land is held by the mortgagor and the surety (Sureties) is now a good, valid and effectuall lease and is in full force, unforfeited and unsurrendered and free from encumbrances and shall in nowise become void or voidable and that all the rents reserved thereby and all the covenants, conditions and agreements contained therein and on their and on their part to be paid observed and performed have been paid, observed and performed up to the date of these presents AND also that the mortgagor and the surety (sureties) will at all times so long as any money remains due on the security of these presents pay, observe and perfrom or cause to be paid, observed and performed all the said rents, covenants, conditions and agreements and will keep the mortgagee indemnified against all action, proceedings, cost, charges, claims and demands, if any, to be incurred or sustained by

the mortgagee by reason of the non-payment of the said rents or the non-observance of such convents or conditions or agreements or any of them AND ALSO that the mortgagor and the surety (sureties) not have good right and full powers to demise the said premises to the mortgagee in manner aforesaid AND that it shall be lawful of the mortgagee to enter into and upon and to hold and enjoy the said demised premises during the terms hereby granted without any interruption or disturbance by the mortgagor and the surety (sureties) or any person claiming through or intrust for them, AND that the mortgagor and the surety (sureties) at the request at any time hereafter of the mortgagee will at their own cost execute and do all such assurances and things as may be necessary or proper for more effectually vesting the said premises in the mortgagee in manner aforesaid as may by the mortgagee be reasonably required PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed and declared that if there shall be any breach by the mortgagor and the surety (sureties) of the covenants on their part herein containee or if the mortgagor shall die or quit the service at any time before all sums due or payable to the mortgagee on the security of these presents shall have been fully paid off then and in any of such cases it shall be lawful for the mortgagee to sell the said premises or buildings or any part thereof either together or in parcels and either by public auction or by private contract or to rescind any contract for sale and to resell without being answerable for any loss which may be occasioned thereby or to let the same for any term or period and to do and execute all such acts and assurances for effectuating any such sales or letting as the mortgagee shall think fit AND it is hereby declared by the mortgagor and the surety (sureties) that the receipt of the mortgagee for the purchase money of the premises sold or any part thereof shall effectually discharge the purchaser or purchasers thereform AND it is hereby declared that after any sale of the said premises or any part thereof under the aforesaid power the mortgagor and the surety (sureties) shall stand possessed of the premises sold for the last day of the term granted to them by the hereinbefore recited lease IN trust for the purchaser, his executors, administrators and assigns to be assigned and disposed of as he or they may direct AND it is hereby declared that the mortgagee shall hold any rents, profits, premiums, Salami or moneys arising from the premises or from any such letting or sale as aforesaid UPON trusts in the first place thereon to pay all expenses attending such sale or otherwise incurred in relation to this security and in the next place to apply such moneys in or towards satisfaction of moneys for the time being owing on the security of these presents and then to pay the surplus if any to the morgagor and the surety (sureties) AND the mortgagor and the surety (sureties) both hereby agree and declare that without prejudice to any remedy provided by this deed, the Moatgagee may on the certificate of the

Secretary to the State Government in the Administrative Department which shall be final, conclusive and binding on the Mortgagor and the surety (sureties), recover all dues here under from both (all) of them, jointly or severally as arrears of land revenue. AND it is hereby lastly agreed and declared that the Mortgagee shall be entitled to recover the balance of the said advance with interest remaining unpaid at the time of the Mortgagor's retirement or death preceding retirement from the whole or any specified part of the gratuity that may be sanctioned to him. In WITNESS whereof the mortgagor and the surety (sureties) have hereunto set their hand the day and year first above written.

The Schedule herein referred to

Rs.......................................on or before.......................

Rs.......................................on or before.......................

Signed by
the Mortgagor
the Surety

In the presence of—
First Witness
(Address)
Occupation

Second witness
(Address)
Occupation

(the deed should be registered).

Note—There must be two witnesses.

प्र–64

(राजाज्ञा बी-3-2619/दस-80-1 (11)/79 दिनांक 16-5-81 से निर्धारित सेल्फ फाइनेन्सिग स्कीम के अन्तर्गत भवन आवंटन पर त्रपक्षीय अनुबन्ध का प्रारूप)

FORM NO. 22-E

Form of Tripartite Agreement to be executed at the time of drawing advance by a State Government Servant for purchase of flat under the "SELF FINANCING HOUSING SCHEME" of the....................

(Name of the Board or Authority as the case may be)

THIS AGREEMENT made this...............................day of................................
one Thousand Nine Hundred...
between Shri .... son of..
residing at................................. at present serving as..

....(hereinafter called "the First Party" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his/her heirs, executors, administrators and legal representatives) of the first part AND......................
....(Name of the Borad or Authority us the case may be) a statutory body having its office at......................(hereinafter called "the Second Party") of the Second part and the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called "the Third Party") of the third part.

WHEREAS the First Party desires to purchase a readybuilt house (which term shall include a readybuilt flat) from the Second Party under it Self Financing Housing Scheme (hereinafter referred to as 'the said Scheme') which envisages allotment of readybuilt houses after a period of..........................years and payment of the cost of the house in instalments as mentioned hereinafter.

AND WHEREAS the First Party has under the provisions of the rules framed by the Government of Uttar Pradesh (hereinafter called "the Government") to regulate the grant of advances to the State Government servant for building houses, etc., (hereinafter referred to as "the said Rules" including any modifications thereof) applied to the Government for an advance of Rs..........................to purchase a house under the said Scheme and the Government have sanctioned an advance of Rupees........................
....................................to the First Party vide letter no....................dated.....................
of (sanctioning authority) a copy of which is annexed to these presents for the purpose aforesaid on the terms and conditions set forth therin.

NOW THIS DEED WITNESSES as follows :-

1. In consideration of the sum of Rs..
(insert amount already deposited) already deposited by the First Party as initial amount of registration deposit with the Second Party under the said scheme for the purchase of a readybuilt house and the sum of Rs..(insert the amount of advance sanctioned) to be paid by the Goveroment directly to the Second Party on behalf of the First Party, it is here by agreed to by and between the parties hereto as follows :—

(1) (a) On the receipt of an assurance from the Second Party that the house will be allotted to the Government Servant, the First Party herein, the amount of House Building Advance permissble under the said rules having been sanctioned to the First Party will be released on

his furnishing requistite security of two permanent Government Servants as required under the Rules and the actual payment vill be made to the Second Party directly by the Government as follows :—

* As provided in the said scheme

* (1)
(2)
(3)
(4)

(b) When the First Party mortgages the house as required in sub-clause (3) the sureties mentioned in the case preceding sub-clause (1) (a) will stand discharged.

Note :—The final price of the house will be determined by the Second Party and the balance of the amount will be paid by the First Party and before delivery of possession of the house to the First Party.

The amount in excess of the amount of House Building Advance permissible and sanctioned to the First Party will be borne and paid by the First Party to the Second Party directly so as to make the payment in full to the Second Party in the manner as mentioned hereinbefore.

In case there is any delay in the payment of any instalment by the Government or the First Party, in either case it will be treated a default on the part of the First Party shall be liable to pay a penalty @............% per annum for the period of delay on delayed payment to the Seeond party.

(2) The Second party will maintain a separate account for the First party and adjust the payment of advance received by it from the Government against the cost of the particular category of house applied for by him.

(3) On completion of the house the Second Party will hand over its possession to the First Party forthwith along with the title in the land underneath or appurtenant, thereto, such title being on lease hold right basis and the First Party will within........ ....days of the handing over of such possession, mortgage the house to the Third Party as security for the said advance. He shall also furnish all such information and papers as may be required by the Government in connection therewith.

(4) The First Party shall repay to the Government the said amount of Rs. ....(insert full amount sanctioned) with interest calculated in accordance with paragraph (6) (a) mentioned below in...............................(number of instalments to be filled in) monthly instalments, of Rs..........................each from his salary payable in and from the month of..............................One thousand nine hundred........................ or the month following the obtaining of possession of the house, whichever is earlier and the First Party hereby authorises the Government to make such deductions from his monthly salary, leave salary and subsistance allowance bills.

(5) If the First Party wants to withdraw from the said scheme or fails to pay the balance amount representing the difference between the House Building Advance sanctioned by the Government and the actual cost of the house, or quits or is removed from the service of the Government or dies before he receives actual possession of the house from the Second Party, the amount of the House Building Advance will be refunded forthwith by the Second Party to the Government. The amount of initial deposit of Rs...........................(Amount already deposited to be inserted) only will be refunded to the First Party or his legal heirs by the Second Party after deducting such amount as may be payable by him as provided in the said scheme. Provided Always that in case the First Party quits or is removed from the service of the Government or dies, the Second Party may in its absolute descretion, allow the First Party or his legal hires, if they choose so, as the case may be, to deposit the amount refunded to the Government as mentioned herein above after getting an undertaking from the First Party or his legal heirs, as the case may be, to pay such further sum or sums as may have been payble by First Party under these presents to the Second Party and in such case the terms of this agreement as applicable to the Second Party and the First Party shall continue and shall always be deemed to have continued as binding between them irrespective of the fact that in relation to the Government this agreement has come to an end.

(6) (a) The First Party shall pay to the Government interest on House Building Advance at the following rates :—

(i)	On first Rs. 25,000	@	% p.a.
(ii)	On next	@	% p.a.
(iii)	On next	@	% p.a.

(b) If the Second Party does not deliver possession of the house to the First Party within two and a half years of the payment of the first

instalment by the Government to the Second Party, the Second Party shall pay interest to the Government at the rate of 7% p.a. after the expiry of the aforesaid period till the delivery of the possession of the house to the First Party on the amount paid by the Government to the Second Party.

2. The Stamp Duty, if any, payable on these presents shall be borne and paid by the Government.

3. IN WITNESS WHEREOF THE FIRST PARTY has hereunto set his hand and Shri....................................of the....................................(Board or Authority as the case may be) has hereunto set his hand and Shri.................................. ...in the office of ....for and on behalf of the Governor of U. P. has hereunto set his hand on the respective dates given under their signatures.

First Witness (Signature of the First Party)

Address

Occupation

Second Witness

Address

Occupation

Signed by Shri...of the...

(Board or Authority as the case may be) in the presence of :—

1.

2.

Signed by Shri.................................. in the office of...

for and on behalf of the Governor of U. P.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

All that house no

(राजाज्ञा बी-3-2619/दस-80-1 (11) दि० 16-5-81 में निर्धारित सेल्फ फाइनेन्सिग स्कीम में भवन आवंटन के समय दो प्रतिभूति प्रस्तुत करने का प्रपत्र)

FORM NO. 25–E

Form of Bond to be executed by two permanent Government servants as sureties of a temporary/permanent Government servant granted an advance for purchase of a house under the 'Self Financing Housing Scheme' of the..............

(Name of the Board or Authority as the case may be)

AN AGREEMENT made on the..........................day of...........................in the year...corresponding to Saka Samvat the.. day of................................ BETWEEN.. a temporary/permanent servant of the Government of Uttar Predesh serving as.............. in the office of the..son of.. and resident of..(hereinafter called 'the Borrower') and Sri...................................a permanent servant of the Government of Uttar Pradesh serving as...............................in the office of the.......................son of......................... and resident of....................(hereinafter called 'the First Surety') and Sri....................... a permanent servant of the Government of Uttar Pradesh serving as....................in the office of the.........................son of...........................and resident of....................... (hereinafter called 'the Second Surety') (Both of whom are hereinafter collectively referred to as 'the Sureties') of the one part AND the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called 'the Governor') of the other part :

Where as servants of the Government of Uttar Pradesh have been allowed the facility of advance for the purchase of a house under the 'Self Financing Housing Scheme' of the..............................(Name of the Board or Authority) inter alia on condition that the Government servant shall furnish two sureties, who shall be permanent servants of the Government of Uttar Pradesh, and who shall stand discharged after the house is mortgaged by the Borrower to the satisfaction of the Government on the appropriate form prescribed in the Financial Handbook, Volume V, Part I.

And whereas at the request of the Borrower the Government of Uttar Pradesh (hereinafter called 'the Government') has agreed to grant him an advance of Rs .... to enable him to purchase a readybuilt house (which term shall include a readybuilt flat) bearing no..................situate in.....................in the registration district of... ....

sub-district.......................................thana..
measuring..approximately..

AND whereas the said loan is being paid directly to the said Board/Authority on behalf of the Borrower on the conditions contained in this Agreement and in the Tripartite Agreement dated..............................entered into between the Borrower, the Governor and the Board/Authority.

NOW THIS DEED WITNESSES as follows :

1. In consideration of the sum Rs.......................(in words............................) agreed to be paid by the Borrower (the payment of which shall be made directly to the Board/Authority on behalf of the Borrower) in the instalments mentioned in the Schedule hereto the Borrower hereby covenants with the Governor as follows :—

(1) The Borrower shall repay to the Governor the said amount with interest calculated according to the provisions of the Account Rules of the Government (hereinafter called 'the said Rules' which expression shall include any amendments of additions thereto for the time being in foree) by monthly deductions from his salary as provided by the said Rules and the Borrower authorises the Government to make such deductions.

(2) The Borrower shall within..calendar months from the date of getting possession of the House execute a document mortgaging the said house to the Governor as security for the amount lent to the Borrower and interest, in the form provided by the said Rules.

2. If the Borrower commits breach of any condition of the aforesaid Tripartile Agreement or this Agreement or if the Borrower becomes insolvent or ceases to be in the service of the Government or dies, the whole amount of the loan and interest accrued thereon shall immediately become due and payable.

3. The sureties agree that they shall be jointly and severally liable to pay the said principal sum together with interest thereon and authorise the Government to make necessary deductions from their respective salaries. But the sureties shall stand discharged, when the Borrower executes mortgage in accordance with clause 1 (2) of this deed.

4. The Governor may on the certificate of the secretary to the State Government in the Administrative Department which shall be final, conclusive and binding on

the Borrower and the Sureties, recover all amounts due under this deed from the Borrower and/or the Sureties Jointly or seperatly as arrears of land revenue.

5. If the Borrower dies while in service of the Government or ceases to be in the service of the Government. by retirement or otherwise, and an amount is due from him under this deed, the Governor may recover such amount from the gratuity payable to the Borrower or to the undischarged Sureties or to one or more of them.

6. The expressions 'the Borrower' and 'the Sureties', unless there be anything repugnant to the subject or context, include their respective heirs, legal representatives and successors,and the expression 'Governor' includes his successors and assigns.

In witness whereof the Borrower and the Sureties have hereunto set their respective hands the day and year first above written.

THE SCHEDULE HEREIN REFERRED TO

Signed by the Borrower :-

In the presence of

1.

Address

2.

Address

Signed by the First Surety :-

In the presence of

1.

Address

2.

Address

Signed by the Second Surety :-

In the presence of

1.

Address

2.

Address

राजाज्ञा बी-3-3487/दस-83(1), दिनांक 7-9-83 द्वारा निर्धारित (एक ही भूखण्ड पर दो स्रोतों से ऋण लेने पर बन्धक पत्र का प्रारूप)

FORM No. 22-F

FORM OF AGREEMENT TO BE EXECUTED IN CONNECTION WITH HOUSE BUILDING ADVANCE/FOR CREATING SECOND CHARGE OF THE MORTGAGED PROPERTY (LAND/BUILDING)

AN AGREEMENT made this.......... ....day of .... One Thousand Nine Hundred.................................corresponding the Saka Samvat the ....day of.................................one thousand nine hundred......................... BETWEEN.................................son of...........................resident of................................ (designation)..............................(hereinafter called 'The Mortgagor' which term shall unless repugnant to the context include his heirs, executors and administrators and assigns) of the first part AND the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as 'the Mortgagee' which term shall unless repugnant to the context include his successor-in office and assigns) of the second part AND.......... (hereinafter called "the Financial Institutions' which term shall unless repugnant to the context include its successors-in-office and assigns) of the third part :

WHEREAS by a deed of Mortgage dated................................made between the mortgagor and the Mortgagee and registered as document No.........................in Book No..........................Vol. No..............................on pages at the office of the .... on the........... ....(hereinafter called 'the Principal Deed') the Mortgagor mortgaged the property described in the schedule has to the mortgagee by way of first charge as security for the sum of Rs............................(Rupees..............................) advanced by the Mortgagee to the Mortgagor to enable the Mortgagor to construct/purchase a house situated at

AND WHEREAS the aforesaid sum has not proved sufficient for the aforesaid purpose and the Mortgagor has requested 'the Financial Institution' for grant of a loan of Rs........................(Rupees........................ ...) to complete the construction/purchase the house above mentioned and the Financial Institution has agreed to grant the said loan on the condition inter alia that the property mortgaged to the Mortgage under the Principal deed should be mortgaged to the Financial Institution by way of first charge and the mortgagee should have a second charge on the said property to which the Mortgagee has agreed and to effectuate the said object the parties hereto execute these presents to modify the principal deed in the manner hereinafter appearing.

AND WHEREAS this deed is supplement to the principal deed.

NOW THIS DEED WITNESSES and the parties hereto hereby agree as follows :—

1. That form the date the property mentioned in the principal deed is mortgaged to the Financial Institution by the Mortgagor as security for the said loan of Rs........................(Rupees........................) granted by the Financial Institution to the Mortgagor as mentioned herein above, the Mortgagee's charge on the said property shall become the second charge, the first charge being that of the Financial Institution as aforesaid.

2. That as soon as the said property is released from the charge as aforesaid of the Financial Institution, the Martgagee's charge thereon shall become the first charge.

3. That the Mortgagor shall not without the previous written permission of the Mortgagee create any encumbrance on the said property other than that created under the Princial deed and to be created as aforesaid in favour of the Financial Institution.

4. That save as varied and modified as above the principal deed shall remain in and full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have signed these presents on the day and year first above written.

THE SEHEDULE

Siigned by—

(Full particulars of the property as mentioned in the principal deed)

For and on behalf of the Mortgagee	Mortgagor
Witness :	Witness :
1.	1. ....
2.	2. ....
Witness—	Signed by—
1.	For and on behalf of the Financial
2.	Institution.

(The deed should be registered)

Delete which ever is inapplicable.

ऐसी भूमि जिस पर अग्रिम प्राप्तकर्त्ता का पूर्ण स्वत्वाधिकार नहीं है भवन अग्रिम प्राप्त करने पर बन्धक करने का प्रारूप

FORM NO. 23

(See Chapter XI, Paragraph 244–E & 244–H)

Form of mortgage for house building advance granted to officers who do not possess full proprietary rights in the land upon which the house stands or is intended to be erected thereon.

THIS INDENTURE made the............................day of..............................19 . corresponding Saka Samvat...............................BETWEEN Sri.............................. son of..resident of..(designation) ....(hereinafter called 'the mortgagor' which terms shall where not repugnant to the context include his heirs, executors and administrators and assigns) of the one part and THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (hereinafter referred to as 'the mortgagee' which term shall where not repugnant to the context include his successors and assigns) of the other part.

WHEREAS THE mortgagor is entitled to the piece of land, hereditaments and premises hereinafter described under a lease from.............................dated.......................... for a term of years expiring[1].......................subject to a rental of Rs............................. per[2]...

AND WHEREAS the mortgagor has applied to the mortgagee for an advance of the sum of rupees.................................for the purpose of enabling him to defray the expenses.......................of[3].......................as suitable residence suitable for his own use.

AND WHEREAS under the provisions contained in the Account Rules of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred as 'the said Rules', which expression shall where the context so admits include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force and shall be deemed to form part of these presents) the mortgagee has agreed to advance to the mortgagor the said sum of Rs in a lumpsum (in the instalments mentioned in the Schedule hereto).[4]

---

1. Date of end of lease.
2. Mensum or annum.
3. Insert 'the purchase of the said hereditaments', 'building a house on the said hereditament' or 'repairing the said hereditament' as the case may be.
4. Delete words in erochets if further advances are not to be made.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in consideration of the said advance and in pursuance of the said agreement the mortgagor doth hereby convenant with the mortgagee to pay to the mortgagee the said principal sum and interest thereon calculated according to the said Rules or before the.......................day of....................... next and if the loan shall not be repaid on that date will pay interest in accordance with the said Rules.

AND THIS INDENTURE ALSO WITNESSETH that for the consideration aforesaid the mortgagor doth hereby demise, let and transfer unto the mortgagee ALL THAT piece of land bearing Plot no.........................situated in.................................the registration district of.......................sub-division........................thana.......................... containing..........................more or less and bounded on the North by.......................... on the South by..on the East by...........................and on the West by..........................together with the dewlling-house and the out offices, stables, cook-rooms and out buildings all kinds used or intended to be used with the said dwelling-house now erected or hereafter to be erected together with all rights, easements and appurtenances to the same or any of them belonging TO HOLD the said premises including all erections and buildings hereafter erected on the said land unto the mortgagee his successors and assigns for all the residue now unexpired of the said term of years granted by the said lease except the last day of the said term PROVIDED ALWAYS that if and as soon as the said advance made upon the security of these presents and interest thereon calculated according to the said Rules shall have been repaid by the deduction of monthly instalments of salary of the mortgagor as in the said Rules mentioned or by any other means whatsoever the demise hereby made shall be void AND the mortgagor hereby covenants with the mortgagee that the lease creating the terms or estate for which the said land is held by the mortgagor is now a good, valid and effectual lease and is in full force, unforfeited and unsurrendered and free from encumbrances and shall in nowise become void or voidable and that all the rents reserved thereby and all the covenants, conditions and agreements contained therein and on his part to be paid observed and performed have been paid, observed and performed up to the date of these presents AND also that the mortgagor will at all times so long as any money remains due on the security of these presents pay, observe and perform or cause to be paid, observed and performed all the said rents convenants, conditions and agreements and will keep the mortgagee indemnified against all action, proceedings, cost, charges, claims and demands, if any, to be incurred or sustained by the mortgagee by reason of the non-payment of the said rents of the non-observance or

non-performance of such convenants or conditions or agreements or any of them AND ALSO that the mortgagor now has good right and full powers to demise the said premises to the mortgagor in manner aforesaid AND that it shall be lawful for the mortgagee to enter into and upon and to held and enjoy the said demised premises during the terms hereby granted without any interruption or disturbance by the mortgagor or any person claiming through or in trust for him, AND that the mortgagor at the request at any time hereafter of the mortgagee will at his own cost execute and do all such assurance and things as may be necessary or proper for more effectually vesting the said premises in the mortgagee in manner aforesaid as may by the mortgagee be reasonably required PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed and declared that if there shall be any breach by the mortgagor of the convenants on his part herein contained or if he shall die or quit the service at any time before all sums due or payable to the mortgagee on the security of these presents shall have been fully paid off then and in any of such cases it shall be lawful for the mortgagee to sell the said premises or buildings or any part thereof either together or in parcels and either by public action or by private contract or to rescind any contract for sale and to resell without being anserable for any loss which may be occasioned thereby or to let the same for any term or period and to do and execute all such acts and assurances for effectuating any such sales or letting as the mortgagee shall think fit AND it is hereby declared that the receipt of the mortgagee for the purchase money of the premises sold or any part thereof shall effactually discharge the purchaser or purchasers therefrom AND it is hereby declared that after any sale of the said premises or any part thereof under the aforesaid power the mortgagor shall stand possessed of the premises so sold for the last day of the term granted to him by the hereinbefore receipted lease in trust for the purchaser his executors, administrators and assigns to be assigned and disposed of as he or they may direct AND it is hereby declared that the mortgagee shall hold any rents profits, premiums, salami moneys arising for the premises of from any such letting or sale aforesaid UPON trusts in the first place thereon to pay all expens attending such sale or otherwise incurred in relation to this security and in the next place to apply such moneys in or towards satisfaction of moneys for the time being owing on the security of these presents and then to pay the surplus if any to the mortgagor AND the mortgagor doth hereby agree and declare that without prejudice to any remedy provided by this deed, the Mortgagee may on the certificate of the Secretary to the State Government in the Administrative Department which shall be final, conclusive and binding on 'the Mortgagor', recover all dues hereunder as arrears of land revenue AND it is hereby lastly agreed and declared that the mortgagee shall be entitled to recover the balance

of the said advance with interest remaining unpaid at the time of the Mortgagor's retirement or death preceding retirement from the whole or any specified part of the gratuity that may be sanctioned to him. IN WITNESS whereof the mortgagor hath hereunto set his hand the day and year first above written.

The Schedule herein referred to

Rs...on or before...

Rs...on or before...

Signed by the Mortgagor

In the presence of—

First Witness	Second Witness
Address	Address
Occupation	Occupation

(the deed should be registered).

NOTE—There must be two witnesses to a mortgagee.

FORM No. 24

(See Chapter XI, Paragraph 244-E)

Form of Re-conveyance for House-Building Advances

THIS INDENTURE made the..................................day of..............................19 corresponding to Saka Samvat..............................between the GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (hereinafter called 'the Governor') of the one part and.................................. son of...resident of.....................................(designation) ....(hereinafter called 'the mortgagor') of the other part is supplemental to an Indenture of mortgage, dated the...................day of ....19 , and made BETWEEN the mortgagor of the one part and the Governor of the other part and registered on the . ...day of..........................19 at the office of the Sub-Registrar..........................in Book ....Volume............................ pages..............................to....... ...., as no.........................for..................... (hereinafter called 'the PRINCIPAL INDENTURE); WHEREAS all moneys Viz Rupees ....as principal and interest due and owing on the security of the PRINCIPAL INDENTURE have been fully paid and satisfied and the Governor has accordingly at the

request of the mortgagor agreed to execute such re-conveyance of the mortgaged premises in the within written INDENTURE comprised as is hereinafter contained. NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and in consideration of the premises the Governor doth hereby grant, assign and re-convey unto the mortgagor, his heirs, executors, administrators and assigns ALL THAT the piece of land situated in the........................ containing..........................more or less bounded on the North by.......................on the South by............................on the East by.................... and on the West by............................together with the dwelling-house and out-offices, stables, cook-rooms and out-building thereon AND ALL and singular the premises in the PRINCIPAL INDENTURE comprised or expressed to be thereby assured or which now are by any means vested in the Governor subject to redemption under or by virtue of the PRINCIPAL INDENTURE with their rights, easements and appurtenances as in the PRINCIPAL INDENTURE expressed and all the estates right, title, interest, property, claim and demand whatsoever of the Governor into, out of or upon, the same premises by virtue of the PRINCIPAL INDENTURE to have and to hold the premises hereinbefore expressed to be hereby granted, assigned and re-conveyed upto and to the use of the mortgagor, his heirs, executors, administrators and assigns for ever freed and discharged from all money intended to be secured by the PRINCIPAL INDENTURE and from all actions suits, accounts, claims and demands for or in respect of the said moneys or any part thereof or for or in respect of the PRINCIPAL INDENTURE or there of anything relating to the premises AND the Governor hereby convenants with mortagagor, his heirs, executors, administrators and assigns that the Governor has heirs, executors, administrators and assigns that the Governor has not done or knowingly suffered or been party or privy to anything whereby the said premises, or/any part thereof, are/is or can be impeached, encumbered or affected in title, estate or otherwise howsoever IN WITNESS where of the parties hereto have hereunto set their hands and seals the day and year first above written.

Signed, sealed and delivered by...
for and on behalf of the Governor of Uttar Pradesh

IN THE PRESENCE OF—

(1)...Address...
Occupation

(2)...Address...
Occupation

अस्थायी कर्मचारी को भवन अग्रिम देने में दो स्थायी कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूति के रूप में दिये जाने वाले बाण्ड फार्म का प्रारूप

FORM NO. 25–D

Form of Bond to be executed by two permanent Government Servants as sureties of a temporary government servant granted an advance for purchase of land and/or building or construction/repair of a house.

AN AGREEMENT made on the..................day of..................in the year........... corresponding to Saka Samvat......................................BETWEEN.................................. a temporary servant of the Government of Uttar Pradesh serving as............................. at the office of the...son of... and resident of..(hereinafter called 'the Borrower') and Sri...a permanent Servant of the Government of Uttar Pradesh serving as..................................in the office of the......................... son of..............................and resident of..................................(hereinafter called 'the First Surety') and Sri..a permanent servant of the Government of Uttar Pradesh serving as..........................in the office of the........... ....son of..and resident of........................... (hereinafter called' the Seeond Surety') (both the First Surety and the Second Surety are hereinafter collectively referred to as 'the sureties') of the one part AND the Government of Uttar Pradesh (hereinafter called 'the Governor') of the other part;

Whereas the temporary servants of the Government of Uttar Pradesh have been allowed the facility of advance for the purchase/for the repair of a house inter alia on condition that the temporary government servant shall furnish two sureties who shall be permanent servants of the Government of Uttar Pradesh but the Sureties shall stand discharge after the Borrower becomes permanent and after the land/house has been mortgaged by the Borrower to the satisfaction of the Government on the form as may be applicable prescribed in the FHB Vol. V, Part I :–

And whereas at the request of the Borrower the Government of Uttar Pradesh (hereinafter called 'the Government') has agreed to grant him an advance of Rs........... ....to enable him to :—

*(1) to purchase for the purpose of erecting a house thereon the piece of land

Delete whichever not applicable.

bearing No....................situated in..................in the registration district of.................sub-district.....................thana.....................containing...... ....more or less and bounded on the North by............on the South by.........................on the East by..................on the West by...........

*(2) to construct a house on the piece of land no..........................situated in ....in the registration district..................sub-district................. thana.....................containing......................more or less and bounded on the North by.....................on the South by.....................on the East by ....on the West by.......................

(3) to purchase a house with land appurtenent thereto bearing No.................. situated in.........................in the registration district of....................sub-district......................thana...........................measuring.........................more or less and bounded on the North by.................on the South by.............. on the East by......................on the West by............................

*(4) to repair the house bearing No..............situate in..................in the registration district of.....................sub-district.................thana............. bounded on the North by.....................on the South by..................... on the East by....................on the West by..........................

And whereas the said loan is being paid under the......... ....provisions of the Account Rules of the Government (hereinafter referred to as 'the said Rules' which expression shall included any amendments or additions thereto for the time being in force) and the conditions hereinafter contained.

Now this deed witnesses as follows :—

(1) In consideration of the sum of..........................(in word.....................) agreed to be paid by the Government to the Borrower in one lump *sum/in the *instalment mentioned in the Schedule here to the Borrower hereby covenants with the Governor as follows :—

(1) the Borrower shall within............month/months of the date of these present expend the full amount of the said loan for the purpose aforesaid and if the actual expenditure is less than the loan he shall repay the difference to the Governor forthwith.

*Delete whichever not applicable.

(2) The Borrower shall repay to the Governor the said amount with interest calculated according to the said rules by monthly deductions from his salary as provided by the said Rules and hereby authorises the Government to make such deductions.

(3) The Borrower shall immediately after the drawal of the said loan or any part thereof commence and erect thereon a suitable residence for his own use and in the case of advance for repairs, shall immediatly carry out the repairs.

(4) The Borrower shall within.......................calendar months from the date of drawal of the loan or the first instalment thereof, as the case may be, execute a document mortgaging the said piece of land and the house to be erected thereon to the Governor as security for the amount lent to the Borrower as aforesaid and interest on the form provided by the said Rules.

(2) If the Borrower commits breach of any condition of this agreement or if the Borrower becomes insolvent or ceases to be in the service of the Government or dies the whole amount of the loan and interest accrued thereon shall immediatly become due and payable.

(3) The Sureties hereoy agree that they shall be jointly and severally liable to pay the said principal sum together with interest thereon aforesaid and hereby authorises the Government to make such deductions from their respective monthly salaries. Provided that the obligations of the sureties hereunder shall stand discharged after the Borrower becomes permanent and after the Borrower furnishes the registered mortgage deed in accordance with the provisions herein contained.

(4) The Governor may on the certificate of the Secretary to the State Government in the Administrative Department, which shall be final, conclusive and binding on the Borrower and the Sureties recover all dues hereunder from the Borrower and/or the Sureties as arrears of land revenue.

(5) The Governor shall also be entitled to recover the balance of the said advance with interest remaining unpaid at the time of the Borrower's retirement or death preceeding such ceaser from the whole or any specified part of the gratuity that may be sanctioned to the Borrower and/or the Sureties.

(6) The expression 'the Borrower' and 'the Sureties' shall unless there be anything repugnant to the subject or context include their respective heirs, legal representa-

tives and successors and the expression 'Governor' shall include his successors and assigns.

In witness where of the Borrower and the Sureties have hereunto set their respective hands the day and year first above written.

THE SCHEDULE HEREIN REFERRED TO

Signed by the Borrower :—

In the presence of

1.

Address

2.

Address

Signed by the First Surety :—

In the presence of

1.

Address

2.

Address

Singed by the Second Surety :—

In the presence of

1.

Address

2.

Address

मोटरकार/मोटरसायकिल/मोटरबोट/स्कूटर बन्धक करने का फार्म

FORM NO. 25

(See Chapter XI, Paragraph 245-N (3)

Form of Mortgage Bond for Motor Car/Boat/Cycle/Scooter Advance

THIS INDENTURE made this............................day of..........................one thousand nine hundred and.......................corresponding to Saka Samvat........................ BETWEEN.................son of.........................resident of.....................(designation) ....(hereinafter called 'the Borrower') of the one part and THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (hereinafter called 'the Governor') of the other part.

WHEREAS, the Borrower has applied/applied for and has been granted an advance of Rupees...............................to purchase Motor Car/Boat/Cycle/Scooter on the terms of paragraph 245/246 of the Account Rules of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as 'the said Rules', which expression shall include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force) AND WHEREAS one of the conditions upon which the said advance has been/was granted to the Borrower is/was that the Borrower will/would hypothecate the said Motor Car/Boat/Cycle/Scooter to the Governor as security for the amount lent to the Borrower AND WHEREAS the Borrower has purchased with or partly with the amount so advanced as aforesaid the Motor Car/Boat/Cycle/Scooter particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower doth hereby covenant to pay to the Governor the sum of Rs.......................aforesaid by equal payments of Rs.............. each on the first day of every month and will pay interest on the sum for the time being remaining due and owing calculated according to the said Rules and the Borrower doth agree that such payments may be recovered by monthly deductions from his salary in the manner provided by the said Rules, and in further pursuance of the said agreement the Borrower doth hereby assign and transfer unto the Governor the Motor Car/Boat/Cycle/Scooter the particulars whereof are set out in the Schedule hereunto written by way of security for the said advance and the interest thereon as required by the said Rules.

And the Borrower doth hereby agree and declare that he has paid in full the purchase price of the said Motor Car/Boat/Cycle/Scooter and that the same is his

obsolute property and that he has not pledged and so long as any moneys remain payble to the Governor in respect of the said advance will not sell, pledge or part with the property in or possession of the said Motor Car/Boat/Cycle/Scooter PROVIDED ALWAYS and it is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of principal or interest shall not be paid or recovered in manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die or at any time cease to be in the service or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or possession of the said Motor Car/Boat/Cycle/Scooter or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors of if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgement against the Borrower the whole of the said principal sum which shall then be remaining due and unpaid together with interest there on calculated as aforesaid shall forthwith become payable AND IT IS HEREBY AGREED and declared that the Governor may on the happening of any of the event hereinbefore mentioned seize and take possession of the said Motor Car/Boat/Cycle/Scooter and either remain in posses sion thereof without removing the same or else may remove and sell the said Motor Car/ Boat/Cycle/Scooter either by public auction or private contract and may out of the sale moneys retain the balance of the said advance then remaining unpaid and any interest due thereon calculated as aforesaid and all costs, Charges, expensee and payments properly Incurred or made in maintaining, defending or realizing his rights hereunder and shail pay over the surplus, if any to the Borrower, his executors, administrators or personal representative PROVIDED FURTHER that the aforesaid power of taking possession or selling of the said Motor Car/Boat/Cycle/Scooter shall not prejudice the right of the Governor, to sue the Borrower or his personal representative for the said balance remaining due and interest or in the case of the Motor Car/Boat/Cycle/Scooter being sold the amount by which the net sale-proceeds fall short of the amount owing AND the Borrower hereby further agrees that so long as any moneys are remaining due and owing to the Governor he, the Borrower, will insure and keep insured the said Motor Car/Boat/Cycle/Scooter against loss or damage by fire, theft, or accident with an Insurance Company to be approved by the Accountant General, Uttar Pradesh, and will produce evidence to the satisfication of the Accountant General that the Motor Insurance Company with whome the said Motor Car/Boat/Cycle/Scooter is insured have received notice, that the Governor is interested in the Policy AND the Borrower hereby further agrees that he will not permit or suffer the said Motor Car/Boat/Cycle/Scooter to be destroyed or injured or deteriorated in a greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof AND further that in the event of any damage or accident happening to the said Motor Car/Boat/Cycle/Scooter the Borrower will forth-

withh have the same repaired and made good. AND the Borrower hereby also agrees and declares that Governor May, on the certificate of the Secretary to the State Government in the Administrative Department, which shall be final, conclusive and binding on the Borrower, recover all due here under as arrears of land revenue.

IN WITNESS whereof the said....................(Borrower) hath hereunto set his hand the day and the year first above written.

THE SCHEDULE

Description of Motor Car/Boat/Cycle/Scooter.
Makers, name.
Description.
Number of cylinders.
Engine Number.
Chassis Number.
Cost Price.

Signed by the Borrower.

Two witness—(1) In the presence of — Address...
Occupation ....

(2) and of — Address...
Occupation ....

मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटरबोट अग्रिम आहरण के समय प्रस्तुत संविदा का फार्म

FORM NO. 25-A

(See Chapter XI, Paragraph 245-N (2))

Form of Agreement to be executed at the time of drawing an advance for the purchase of Moter-Car/Boat/Cycle/Scooter

AN AGREEMENT made...day of............................. one thousand nine hundred and...........................corresponding to Saka Samvat BETWEEN Sri...son of...resident of...(designation).....................................(hereinafter called 'the Borrower', which expression shall include his legal representatives and assignees of

the one part and THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (hereinafter called the Governor) of the other part WHEREAS the Borrower has under the provisions of the Account Rules of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as 'the said Rules', which expression shall include any amendments thereof for the time being in force) applied to the Governor for a loan of Rs.. (Rupees...) for the purchase of a Motor/Car/Boat/Cycle/Scooter and the Governor has agreed to lend the said amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in consideration of the sum of Rs.............................paid by the Governor to the Borrower (the receipt of which the Borrower hereby acknowledges) the Borrower hereby agrees with the Governor (1) to pay the Governor the said amount with interest calculated according to the said Rules by monthly deductions from his salary as provided for by the said Rules and hereby authorizes the Governor to make such deductions and (2) within one month from the date of these presents to expend the full amount of the said loan in the purchase of a Motor/Car/Boat/Cycle/Scooter or if the actual price paid is less than the loan to repay the difference to the Governor forth with and (3) to execute a document hypothecating the said Motor/Car/Boat/Cycle/Scooter to the Governor as security for the amount lent to the Borrower as interest in the form provided by the said Rules AND IT IS HEREBY LASTLY AGREED AND DECLARED THAT if the Motor/Car/Boat/Cycle/Scooter aforesaid and has not been purchased and hypothecated as aforesaid within one month from that date of these resents or if the Borrower within that period becomes insolvent or quits the service or dies the whole amount of the loan and interest accrued thereon shall immediately become due and payable AND the Borrower doth hereby agree and declare that the Governor may, on the certificate of the Secretary to the State Government in the Administrative Department, which shall be final, conclusive and binding or the Borrower, recover all dues hereunder as arrears of land revenue.

In WITNESS whereof the Borrower has hereunto set his hand the day and year first before written.

Signed by the said

In the presence of—

(1) .... Address..

Occupation.....................................

(2) .... Address..

Occupation.....................................

प्र–72

FORM NO. 25-B

(See Chapter XI, Paragraph 245–N(4)–Note)

(Letter intimating to the Insurance Company the Government's interest in insurance policies of Motor Cars, etc.)

From..

To..

(Through the Accountant General..

Dear Sir,

I beg to inform you that the Government is interested in the Motar Car/Boat/Cycle/Scooter Insurance Policy No...........................Secured in your Company and to request that you will kindly make a note of the fact in the records of the Company.

Place.................................   Yours faithfully,

Date..................................

प्र–73

अस्थायी कर्मचारी को वाहन अग्रिम देने में स्थायी कर्मचारी द्वारा प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले बान्ड का फार्म

FORM NO. 25–C

(See Chapter XI Paragraph 242)

Form of bond to be executed by a permanent Government servant as surety of a temporary Government servant granted an advance.

KNOW ALL MEN BY THESE RESENTS that we,.. son of................................resident of..(hereinafter called 'the Principal') AND......................son of....................resident of .... (hereinafter Called 'the Surety') are held and firmly bound to the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called 'the Governor') in the sum of Rs......................to be paid to the Governor, his successors or assigns for which payment well and truly to be made we bind ourselves, our heirs, executors, administrators and representatives jointly and severally.

WHEREAS the principal holds a temporary appointment as.................under the Government of Uttar Pradesh, (hereinafter called 'the State Government') and has

requested the State Government to grant him an advance of Rs...............for the purpose of purchasing a (name of conveyance).

AND WHEREAS the Surety who holds a permanent appointment as................ under the State Government has agreed to indemnify the payment by the Principal of the said sum with interest thereon and in case of default to meet the deficiency by having deductions made from his pay :

AND WHEREAS the State Government have paid the said advance to the Principal on the condition that it shall be refunded with interest by the Principa in accordance with provisions of the Account Rules of the State Government (hereinafter referred to as 'the said Rules') and in default by the Surety by having deductions made from his pay or otherwise as considered proper by the State Government :

NOW THE CONDITION of tho above written bond is such that if the Principal or the Surety has repaid the said amount with interest thereon due under the said Rules, then the above written bond or obligation shall be void and of no effect, otherwise the same shall be and remain in full force and effect.

PROVIDED ALWAYS that if any time the principal ceases to be in the service of the State Government, the wole or so much of the said Principal of Rs................ as shall then remain unpaid together with interest thereon, which shall have accrued thereon, shall immediately become due and payable to the State Government and be recoverable from the Surety.

AND it is hereby agreed and declared that without prejudice to and provided hereinbefore the State Government may on a certificate of the Secretary to the State Government in the Administrative Department (which shall be final, conclusive and binding on the Principal and the Surety) recover all dues hereunder as arrears of land revenue.

IN WITNESS to the above written bond and to all the terms and conditions hereinbefore contained we have signed hereunder this.................day of......................., nineteen hundred and..

Signed by............................ Principal...........................

in the presence of Surety ....

and of (1) ....

Address........................

(2) ....

Address..........................

5—अन्य आवश्यक प्रपत्रों के प्रारूप पत्र

राजकीय कार्यालयों/विद्यालयों में विभिन्न कार्यों को सम्पादित कराने में काम आने वाले कतिपय प्रपत्र एवं संविदाएं कार्य में लाये जाते हैं। इन आवश्यक प्रारूपों को इस आशय से दिया जा रहा है कि नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार इनका प्रयोग आहरण-वितरण अधिकारी कर सके जिससे अनावश्यक आपत्तियाँ न हों एवं शासकीय कार्यों का सुसम्पादन सुनिश्चित हो सके।

प्रारूपों के विवरण निम्नवत् है:—

(1) अवकाश यात्रा सुविधा स्वीकृति आदेश
(2) टेण्डर माँगने के प्रपत्र (दो प्रकार के)
(3) ठेकेदारों से बैंक गारन्टी प्राप्त करने का
(4) ठेकेदारों से किये जाने वाले संविदा
(5) व्यक्तिगत भवन को सरकारी कार्य हेतु किराये पर लेने का लीज फार्म
(6) अनुदान उपभोग प्रमाण-पत्र
(7) अनुपयोगी वस्तुओं के नीलाम/खारिज करने का
(8) सार्वजनिक नीलामी की नोटिस का
(9) अदेय प्रमाण-पत्र
(10) कर्मचारी द्वारा अपनी मृत्यु की स्थिति में, सम्पत्ति के मालिकाना हक देने सम्बन्धी बिल का प्रारूप
(11) आयु के सम्बन्ध में प्रस्तुत संविदा का प्रारूप

प्र–74

अवकाश यात्रा सुविधा स्वीकृति आदेश का प्रपत्र

अवकाश यात्रा सुविधा

Draft of Office Order regarding the sanction of leave travel Concession

कार्यालय-ज्ञाप

श्री...

पदनाम.., जो राज्य सरकार की अनवरत सेवा में 15 वर्षों अथवा अधिक से कार्यरत हैं, को..............................(गन्तव्य स्थान) की सपरिवार यात्रा हेतु शासनादेश संख्या–सा–4-628/दस-82-604-82, दिनांक 1-4-82 सपठित राज्यादेश संख्या–सा–4-1647/दस-82-604/82, दिनांक 30-8-82 एवम् राज्यादेश संख्या–सा–4-572/दस-83-604/82, दिनांक 5-3-83 के उपबन्धों के आधीन अवकाश यात्रा सुविधा, जो दोनों ओर की यात्राओं के लिये अधिकतम 3000 किलोमीटर तक प्रतिबन्धित होगी, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2—इस यात्रा हेतु श्री..को दिनांक...............................से दिनांक...............................तक का उपार्जित अवकाश स्वीकार किया जाता है।

3—प्रमाणित किया जाता है, कि श्री..ने अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत बहिर्गामी यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को सरकार के आधीन 15 वर्ष या उससे अधिक की अनवरत सेवा पूरी कर ली है।

4—प्रमाणित किया जाता है, कि अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टियाँ श्री...की सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी में कर दी गयी हैं।

5—प्रमाणित किया जाता है, कि श्री...ने चालू कैलेन्डर वर्ष...में उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा का उपभोग नहीं किया है।

6—अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय (देय अग्रिम सहित, यदि कोई हो तो) मानक मद 'वेतन' के नाम डाला जायेगा।

सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय...

संख्या— दिनांक.................................

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) सम्बन्धित कर्मचारी।

(2) अधिष्ठान अनुभाग।

(3) लेखाधिकारी।

(4) आहरण एवं वितरण अधिकारी।

(5) कोषाधिकारी.................................।

प्र–75

टेण्डर प्रारूप

(जब फार्म बिक्री हेतु हो)

DEPARTMENT OF..

TENDER NOTICE

(If tender documents are to be sold separately to tenderer)

Sealed tenders are invited, in duplicate, in a double sealed cover regarding the supply of..., latest by 1 P.M. on.................... addressed to the undersigned, which will be opened on the same day at 2 P. M. in presence of members of purchase committee and representative of tenderers.

The cost of one pair of tender document will be Rs. 50/- which may be paid in cash or draft in favour of..payble at.............................. The tender documents will be sold upto 12 P. M. on..........................Any other details, if so required, may be had from the Office of the undersigned on any working day between 11 A. M. to 3 P.M.

The purchase committee have got the sole right to accept or reject any or all tenders without assigning any reasons, whatsoever, it may be.

COMPETENT OFFICER

टेण्डर/कोटेशन का प्रारूप

(जब टेण्डर फार्म बिक्री हेतु न हो)

Draft of Quotation/Tender Notice letter if tender documents are not to be sold Separately to Tenderes

1. M/s.
2. M/s.
3. M/s.
4. M/s.
5. M/s.
6. M/s.
7. M/s.
8. M/s.
9. M/s.
10. M/s.

Quotations/Tenders are invited in duplicate in a sealed cover regarding the supply of undernoted items, latest by....................A.M./P.M., on........................198 addressed to...on the following terms and conditions :—

1. **Particulars and specification of required items alongwith quantity :**

(a)..

(b)..

(c)..

(d)..

2. **Validity of quotation/tenders :** It should be upto 90 days from the date of opening of the quotation.

3. Item-wise sealed sample, wherever required and possible may also be attached.

4. **Prices :** as F. O. R. (side or destination) by road transport or F. O. R. (destimation or nearest Railway Station) by goods train should only be quoted giving breakup of Ex-works-price, excise duty, sales tax, packing charges, forwarding charges amd octroi if any. (Government Departments have been exempted to pay the octroi but Municipal corporations are not following it charging the octroi from Government Departments).

5. **Payment Terms :** 100% payment will be made after 30 days of receipt and approval of the goods.

or

90% payment will be made against documents through bank. Balance 10% payment will be made within 30 days of receipt of goods at the site and its approval.

6. **Delivery Period :** (Required delivery period should be mentioned).

7. **Performance guarantee :** The supplier shall be responsible for all manufacturing defects upto a period of one year from the date supply of goods and will be liable to replace the defective goods/parts, free of cost, within 30 days of receipt of intimation in this respect.

8. **Penalities nnd Arbitration :** In case of any dispute, the decision of..shall be final and binding on both the parties.

9. **Earnest Money :** Each quotation/tender must be accompanied by earnest money of Rs..................in form of bank draft/bank guarantee in favour of M/s..payable at..........................(place) and the same will be refunded to the tenderers or quotationers within 30 days of the final decision.

10. The certified copy of U. P. Sales Tax / Central Sales Tax Registration certificates and Income Tax Clearance certificate (if applicable) may also be attached.

11. **Experience :** in the trade relating to the above job/supply may also be mentioned alongwith proof.

12. The quotationers/tenderers who have been black listed/debarred by any Government Department of U.P./India are requested not to submit their tenders/quotations for the above job.

The above quotations/tenders will be opened on.....................at.................. A.M./P.M. in presence of the representatives of quotationers/tenderers and members of our purchase committee have got sole right to reject or accept any or all quotations/tenders without assigning any reasons whatsoever, it may be.

प्र–77

ठेकेदार से बैंक गारन्टी प्राप्त करने का प्रारूप

Draft of Bank Guarantee for retention money/Security deposit

THIS GUARANTEE made on the..................................by................................ (Name of bank with address)..........................(hereinafter called 'the Bank') of the one part in favour of M/s..................................(Name of Department or company/or Governor as the case may be) (hereinafter called say 'the Company') of the other part.

WHEREAS under contract made between M/s..........................(Name and address of the Contractor)......................(hereinafter referred to as 'the Contractor') and the Company, the Contractor has agreed to undertake the supply, design, installation and commissioning of..............................(Name of work with location)................ on the terms and conditions as provided in the contract.

AND WHEREAS the said contract provides that the Company shall, at the time of making any payment to the contractor for the equipment supplied under the Contract, deduct 10% of the total amount of equipment including taxes and duties from each intermediate (running) bills towards retention money and the contractor shall have option to replace the same by a Bank Guarantee of equivalent amount. AND WHEREAS the Contractor has approached the Bank for the purpose of furnishing Bank Guarantee to the Company.

AND WHEREAS the Company has agreed to accept a Bank Guarantee from the said Bank on condition specially that Bank shall on demand from the Company and without demur pay to the Company a sum of Rupees......................only (Rs........... only) or such lesser sum as the Company may demand and the amounts so paid to the Company shall for all purpose serve as retention money/security deposit under the Contract.

AND WHEREAS at the request of the Contractor the Bank has agreed to give its Guarantee as hereinafter contained.

NOW THIS DEED WITNESSES AS FOLLOWS :

1. In consideration of the promises the Bank hereby undertakes to pay to the Company on demand a sum of not exceeding Rs..............................(Rupees........... ....only) without demur and without requiring the Company to invoke any legal remedy that may be available to it to compel by the contractor to the Bank to pay the same or to compel such performances.

2. This Guarantee shall come into force from the date hereto and shall remain valid for a period of 12 months from the date of submission or 12 months from the date of completion of work whichever is later. If, however, the period of the Contract is, for any reason, extended thereby extending the said period and upon such extension if the Contractor fails to furnish a renewed guarantee for the cxtended period the Bank shall pay to the Company the said sum of Rs..............................(Rupees.................... ....only) or such lesser sum as the Company may demand to serve as security under the Contract.

3. This guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Bank or of the Contractor.

4. The Company and Contractor will be at liberty to carry out any modifications in the said contract during the terms of the said contract and any extensions thereof, notice of such modifications to the Bank is hereby waived.

NOTWITHSTANDING anything contained hereinbefore our maximum liability under this guarantee is restricted to Rs.........................(Rupees..............................) Our guarantee will remain valid and in force for a period of twelve months ending on ....unless an action to enforce a claim or demand under this guarantee is filed with the Bank within six months from that date, all the right of the Company under this guarantee shall be forfeited and the Bank shall be released and discharged from the liabilities under this deed of guarantee.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereinto have signed this deed on this... ....day of..............................One Thousand Nine Hundred Eighty...... ....

Signature of this Guarantor in presence of witnesses :

Witness

1. ....

2. ....

Signed by

For and behalf of the............................

....Bank.

Date..............................

Place............................

Accountant

Branch Manager

सरकारी कार्यों/निर्माण/क्रय में ठेकेदार से किये जाने वाले संविदा का प्रारूप

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
Department

FORM OF AGREEMENT

THIS INDENTURE made on the..............................day of....................19 .
BETWEEN...........................son of.............................resident of.............................
(hereinafter called 'the Contractor' which expression where the context so admits or implies includes *his/their/its heirs, executors, administrators and assigns) of the one part AND the Governor of the Uttar Pradesh (hereinafter called 'the Governor' which expression where the context so admits or implies his successors-in-office and assigns) of the other part.

WHEREAS the Governor requires the execution of certain works for.................
(hereinafter called 'the works') at....................and has cause to be notified a schedule of works to be executed and has caused suffient time and opportunity to be given to the Contractor to inspect and measure the building or buildings which are to be repaired.

AND WHEREAS the contractor has agreed to execute upon and subject to the conditions hereunder printed (hereinafter called the 'said conditions') the works shown in the said schedules for the sum of Rupees.............................(hereinafter called the 'contract sum').

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS

(1) In consideration of the Contract sum to be paid by the Governor at the time and in the manner set forth in the said conditions the contractor will upon and subject to the said conditions execute and complete the works.

(2) The Governor will pay the Contractor the Contract sum or such other sum as shall become payable at the time and in the manner set forth in the said conditions.

(3) The said conditions shall be read and construed as forming part of this Contract and the parties hereto respectively shall abide by and observe and perform and comply with the terms, stipulation and agreements herein

*In case of a Corporate body its successors or assigns.

contained and on their part to be observed, performed and complied with respectively.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have signed this deed on the dates respectively shown against their signatures. ....

Contractor

In the presence of :

(1)...

(2)...

Signed for and on behalf of the Governor by..

In the Presence of :

(1)...

(2)...

प्र–79

ऐसे क्रय के लिए संविदापत्र जिसमें निर्माण कार्य सम्मिलित हो
FORM OF AGREEMENT/CONTRACT

This agreement made the.................................day of.............................19..... at..between...

....

(hereinafter referred to as the 'Contractor') of the one part and the.............................. ....(Name of Deptt. or Company or Governor with full address) (hereinafter called the 'Purchaser') of the other part.

Whereas the purchaser is about to erect and commission the................................ ....(hereinafter called the 'Works') and contract for the same has been entered into between the contractor and the purchaser on terms mentioned / enumerated or referred to in general conditions, specifications, schedules, drawings, form of tender, purchaser's letter of indent No...Contractors' letter No. ....and schedule of prices which for the purpose of identification have been signed by....................................on behalf of.. (the contractor) and..............................(.................................of the purchaser) on behalf of the purchaser and all of which are deemed to form part of this contract as

through separately set out herein and are included in the expression 'Contract' whenever herein used.

AND whereas the purchaser has accepted the tender of the contractor for the provision and execution of the said work for the sum of.. upon the terms and subject to the conditions hereinafter mentioned.

NOW THESE WITNESSES and the parties hereby agree and declar as follows : that is to say, in consideration of the payments to be made to the contractor by the purchaser as hereinafter mentioned the contractor shall duly provide the plant for the said works and shall do and perform all other works and things in the contract mentioned or described or which ever implied therefrom or therein respectively or may be reasonably necessary for the completion of the said works within and at the times and in the manner and subject to the terms, conditions and stipulations mentioned in the said contract.

AND in consideration of the due provision, erection, execution, construction and completion of the said works as aforesaid the purchaser will pay to the contractor the said sum of..., or such other sums as may become to the contractor under the provisions of this contract such payments to be made at such time and in such manner as is provided by the contract.

IN WITNESSES WHEREOF the parties hereto have signed this deed here under on the dates respectively mentioned against the signature of each.

Signed	Signed
(for and on behalf of the purchaser).	(for and on behalf of the contractor).
By	By
In the presence of and of	In the presence of and of

प्र–80

व्यक्तिगत भवन को सरकारी कार्यों के लिए किराये पर लेते समय मालिक मकान से लीज पत्र भरवाने का प्रपत्र

(See Anexure 'A' TO CHAPTER XIII AND RULE 24 TO APPENDEX X)

(Standard lease for hiring private building for Government purposes)

THIS LEASE made on the..................................day of.............................19 . corresponding to take Saka Samvat...........................BETWEEN...................................son of..................................resident of...............................(hereinafter called 'the lessor') of the one part AND the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called 'the lessee') of the other part.

WITNESS as follows :

1. In consideration of the rent hereinafter reserved and of the convenants on the part of the lessee hereinafter contained the lessor hereby demises to the lessee for the purpose of the residence or office or both of.........................all that land with the buildings and trees thereon fully described in the Schedule hereto together with all rights of easements and appurtenances whatever belonging or in any way appurtenant thereto TO HOLD the same to the lessee for a term of.....................years from the.................... day of.....................paying therefor during the said term to the lessor or his authorized agent the monthly rent of...............................(Rs..) on the ....day of the months succeeding for which the rent is due, the first of such payments to be made on the.........................day of..............19 .

2. The lessee hereby convenants with the lessor as follows :

(1) That he shall, during the term hereby granted, pay to the lessor the monthly rent hereby reserved on the day and in the manner hereinbefore appointed. PROVIDED THAT no rent shall also be payable to the lessor for the period the premises are rendered uninhabitable by reason of special or such other repairs being in progress or from any other cause.

(2) That he shall not at any time carry on or permit to be carried on the said premises any trade or business whatever or use the same for any other purpose than as the residence or office or both of the........................without the consent in writing of the lessor first had and obtained.

(3) That he shall at the expiration of the said term or sooner determination thereof peaceable and quietly surrender to the lessor the said premises. PROVIDED ALWAYS that if any part of the said rent shall be in arrear and upaid for the space of three calendar months, whether the same shall have been lawfully demanded or not, or if there shall be a breach or non-observance of any of the convents by the lessee hereinbefore contained, then and in any such case the lessor may, notwithstanding the waivier of any previous cause or right of re-entry, re-enter upon the said premises and thereupon this demise shall absolutely determine.

3. The lessor hereby convernants with the lessee as follows :

(1) That the lessee paying the rent hereby reserved may hold and envoy the demised premises during the said term without any interruption by the lessor or any person whomsoever.

(2) That he shall during the said term pay all rates, taxes (including tax for water meter which will be provided and repaired by him), assessments and charges whatsoever, except those of a service character such as water, drainage and lighting taxes, scavenging tax and tax for the cleaning of latrines and privies, now payable or hereafter to become payable in respect of the demised premises.

(3) That he shall execute at his own expenses all structural repairs and carry out such additions, alterations and repairs as are necessary to render the building habitable for the purpose for which it is required before the demised permises are occupied and shall during the said term keep at all times the demised premises in good and substantial repairs both externally and internally and also the boundary and other walls, approach roads, water-channels, sewers, drains rails, gates, fences and fixtures on or connected with the same, and shall in particular keep the roofs of all buildings watertight and shall white-wash or colour-wash such buildings both in side and outside in......................each year and shall every......................year paint all doors, windows and other wooden structures, and renew broken glass-panes, doors, bolts, etc.

(4) That he shall maintain the electric installation, fans, waterconnection and such other fittings provided by him in proper working order and shall renew the electric installations wholly or in part, should the officer of the

Public Works Department, Uttar Pradesh, whose opinion in the matter shall be final and binding on the parties hereto, so advise. The lessor shall also supply bulbs and shades in the first instance and subsequent renewals shall be made by the lessee.

(5) That in case any special repairs, additions and such alterations which do not substantially change the building, are at any time desired by the lessee to be made to the demised premises, the lessor shall either get them done himself within the period specified by the lessee or allow the lessee to have them done at the expense of the lassor provided that the amount which the lassor would be bound to spend in such repairs shall not exceed two months rent for the premises during a year.

(6) That the lessor shall at the request and cost of the lessee at the end of the term of years hereby granted execute to the lessee a new lease of the demised premises by way of renewals on the terms and conditions herein-before cotained :

PROVIDED that if any time the lessor shall fail to execute such repair and white or colour-wash or to maintain the electric and water connections as are specified in sub-clauses (3) and (4) above, the lessee after giving fourteen day's notice in writing to the lessor may execute the same and deduct the cost thereof from the rent payable by the lessee.

4. The parties hereto hereby further mutually agree as follows :—

(a) That the lessee shall be entitled to enjoy and utilize for his own use or in any way he likes the fruits and produce of the trees and compound of the demised premises which will be maintained by the..................at his expense but the timber of the trees shall belong to the lessor.

(b) That the tenancy hereby created shall be determinable at the option of the lessee by giving to the lessor two calendar months notice in writing.

(c) That the expressions 'the lessor' and 'the lessee' hereinbefore used shall unless such an interpretation be inconsistent with the context, include in the case of the former his heirs, successors, executors, administrators, representatives and assigns and in the case of the latter, his successors and assigns.

(d) That any demand for payment or notice requiring to be made upon or given to the lessee shall be sufficiently made or given if sent by the lessor or his agent through the post by registered letter addressed to the.............. of..................and that any notice requiring to be given to the lessor shall be sufficiently given if sent by the lessee through the post by registered letter addressed to the lessor at his usual or last known place or residence or business (or at....................) and that any demand or notice sent by post in either case shall be assumed to have been delivered in the usual course of post.

IN WITNESS WHEREOF the lessor and...........................for and on behalf of lessee have signed this deed on the day and year first above written.

The Schedule herein referred to

(Full particulars of the land and building hereby demised should be given).

Signed by

(the lessor)

In the presence of

(1)

Address

(2)

Address

Signed by

(the lessee)

For and on behalf of the lessee.

In the presence of

(1)

Address

(2)

Address

प्र-81

अनुदान उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

FORM No. 42-I

(See paragraph 369-H)

FORM OF UTILISATION CERTIFICATE

Serial no. letter no. amount and date	Certified that out of Rs..........of Grants-in-aid sanctioned during the year.................... in favour of................................under this Office/Department letter no., given in the margin and Rs........... ....on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs........................has been utilised for the purpose of...
Total	....

for which it was sanctioned and that the balance of Rs....................remaining unutilised at the end of the year has been surrendered to Government (vide no.......................... dated..............................)/will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.....,......................

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilised for the purpose for which it was santioned.

Kinds of check exercised :

1.
2.
3.
4.
5.

Signature..

Designation...

Date

अनुपयोगी वस्तुओं के नीलाम एवं खारिज करने की कार्यवाही का प्रपत्र

FORM A

CONDEMNATION OF GOODS

REPORT OF UNSERVICEABLE STORES AND ITS CONDEMNATION AND DISPOSAL BY DESTRUCTION/ AUCTION RELATING TO FINANCIAL YEAR...........

Name of the Department/Ward/Section

Sl. No.	Particulars	Total quantity/ weight	Original Purchase Price.	Year of Purchase/ Stock entry	Present Condition	Recommendation by competent authority for disposal by destruction/Auction	Mode of Disposal	Remark
						The committee examined the unserviceable goods physically. The goods are beyond repair and can not be used in any office of..............Department. Hence committee decided to condemn these goods as per rules. The corresponding condemnation entries in stock register may be made.	These article will be desposed off by burning/auction in presence of member of committee. Store Incharge Chief Accounts Officer	Head of office Head of the Department.

NIEPA DC
D05123

प्र–83

सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस का प्रपत्र

PUBLIC AUCTION NOTICE

The following scrap goods of............................will be sold by Public Auction on............................at............P. M. as per U. P. Government rules and procedure. The above goods are placed in............... ..premises and are open for public inspection. The other particulars of these goods, if so required, may be had from the office of the undersigned on any working day between 11 A. M. to 4 P. M. upto.........................

The highest bidder will have to deposit 50% of the bid amount in cash on the spot and remaining 50% amount of the bid will be payable by the bidder at the time of lifting the scrap goods.

The undersigned will have the sole right to accept or reject any or all the bids without assigning any reasons whatsoever it may be.

LIST OF OLD SCRAP GOODS FOR AUCTION

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Dated   Signature with seal

प्र–84

Draft of no dues certificate

अदेय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. पद नाम..........................जो इस कार्यालय में दिनांक...........................से दिनांक.....................तक कार्यरत रहे/अथवा दिनांक..के अपराह्न में सेवा निवृत्त हुये थे, से किसी प्रकार का सामान/धन कार्यालय अभिलेखों के अनुसार लेना/वसूलना शेष नहीं है।

सक्षम अधिकारी

*कार्यालय...

*संख्या.............. दिनांक.................................

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) सम्बन्धित कर्मचारी।

(2) अधिष्ठान प्रभाग।

(3) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।

प्र–85

DRAFT OF WILL

(Say-For the distribution of properties to heirs after death)

KNOW ALL MEN by these presents THAT I.. S/O...R/O ....AM ABSOLUTE OWNER OF THE immoveable/moveable PROPERTIES STATED IN the annexure ATTACHED HEREWITH : The immoveable/moveable properties stated in the annexure are free from all encumbrances whatsoever and having the clear and marke table title.

I am having the following sons and daughters; my successors/heirs as per Indian Succession Act :

(i)

(ii)

(iii)

I hereby declare that after my death, the properties mentioned in the annexure be appropriated to my sucessors and heirs in the following proportions :

The above will has been executed by me in full consciousness in the presence of witnesses stated herein below this................................day of.......................19........

Executant

Witnesses :

1.

2.

Draft of Affidavit

(Say for the proof of age)

D-5723
15. 3. 90

On General stamp paper
of Rs. 5/-

IN THE MATTER OF PROOF OF AGE

Affidavit of Sri..s/o Shri..
R/o..............................aged about..............................years by caste.............................

I..the above named deponent swear on oath as under :

1—That I was born on....................in the village.................city...................
District.......................

2—That I had passed my High School Examination in the year..........................
from U.P. Board of High School & Intermediate Education, Allahabad.

3—My above stated High School certificate was lost in the year.......................
for which I have already notified vide newspaper titled..............................
dated....................

4—I have also moved an application to U. P. Board authorities for obtaining the duplicate Copy of High School certificate which is still awaited.

5—Till the above certificate is received, I hereby depose that my date of birth is......................

6—That the above depositions are based on my personal knowledge and on the basis of the records available with me. So help me God.

Signature of Deponent.

Verified this day of year.